



सत्यमेव जयते

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार
प्रतिवेदन संख्या 2 वर्ष 2019

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तराखण्ड सरकार
प्रतिवेदन संख्या 2 वर्ष 2019

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		ix
विहंगावलोकन		xi
अध्याय-I सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा क्षे उ)		
बजट परिचय	1.1.1	1
राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग	1.1.2	1
राज्य सरकार के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित निधियाँ	1.1.3	2
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.1.4	2
आयोजना एवं लेखापरीक्षा का सम्पादन	1.1.5	2
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.1.6	3
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियाँ	1.1.7	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की जवाबदेही	1.1.8	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.1.9	5
स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में रखने की स्थिति	1.1.10	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों का वर्ष-वार विवरण	1.1.11	6
निष्पादन लेखापरीक्षा		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग		
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण की पद्धति	1.2	7
अनुपालन लेखापरीक्षा		
उच्च शिक्षा विभाग		
निष्क्रिय व्यय	1.3	40
गृह विभाग		
राजस्व की हानि	1.4	41
उद्योग विभाग		
विशेष राज्य पूँजी निवेश सब्सिडी (18 प्रतिशत ब्याज दर सहित) और विशेष ब्याज सब्सिडी की वसूली न किया जाना	1.5	42
सिंचाई विभाग		
निष्क्रिय व्यय/उद्देश्यों की पूर्ति न होना	1.6	44

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
उत्तराखण्ड में ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली	1.7	46
अनुपस्थित चिकित्सकों से ₹ 18 करोड़ की क्षतिपूर्ति का वसूल न किया जाना	1.8	61
लोक निर्माण विभाग		
परिहार्य व्यय	1.9	62
ग्रामीण विकास विभाग		
इन्दिरा आवास योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा	1.10	64
ग्रामीण निर्माण विभाग		
प्रतिशत प्रभार का करारोपण नहीं करना	1.11	75
समाज कल्याण विभाग		
वृद्धावस्था पेंशन योजना	1.12	76
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तराखण्ड राज्य परिवहन विभाग		
देहरादून में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तराखण्ड राज्य परिवहन विभाग की भूमिका	1.13	92
अध्याय-II		
राजस्व क्षेत्र		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2.1.1	115
राजस्व बकायों का विश्लेषण	2.1.4	119
बकाया निर्धारण	2.1.5	120
वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन	2.1.6	120
कर वापसी के प्रकरण	2.1.7	121
लेखापरीक्षा के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया	2.1.8	121
लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों का निपटारा करने वाले तन्त्र का विश्लेषण	2.1.9	123
विभागों / शासन द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही	2.1.10	124
लेखापरीक्षा आयोजना	2.1.11	125
लेखापरीक्षा परिणाम	2.1.12	125
राजस्व अध्याय का आच्छादन	2.1.13	126
माल और सेवा कर (जी एस टी) के परिवर्तन के लिए तैयारियाँ	2.1.14	126
निष्पादन लेखापरीक्षा		
वन विभाग		
वन विभाग से राजस्व प्राप्तियाँ	2.2	136

अनुपालन लेखापरीक्षा		
वाणिज्य कर विभाग		
कर का न्यूनारोपण	2.3	172
अर्थदण्ड का अनारोपण	2.4	174
कर का अनारोपण	2.5	176
आबकारी विभाग		
अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री	2.6	177
खनन विभाग		
खनिजों के भण्डारण हेतु शुल्क का अनारोपण	2.7	178
खनन प्राप्ति की वसूली न किया जाना	2.8	180
रॉयल्टी की त्रुटिपूर्ण गणना	2.9	181
शुल्क का अनारोपण	2.10	182
अध्याय-III		
सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यविधि	3.1	185
परिचय	3.1.1	185
जवाबदेही संरचना	3.1.1.3	186
सांविधिक लेखापरीक्षा	3.1.1.4	187
सा क्षेत्र 3 द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण	3.1.1.5	187
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश	3.1.1.6	188
भाग-I (ऊर्जा क्षेत्र)		
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप	3.2	190
परिचय	3.2.1	190
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन	3.2.1.2	190
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण	3.2.1.3	191
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	3.2.1.4	191
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	3.2.1.5	192
उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान	3.2.1.6	194
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण	3.2.1.7	194
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	3.2.1.8	195
निवेश पर प्रतिफल	3.2.1.9	196
निवल मूल्य का क्षरण	3.2.1.11	200
लाभांश का भुगतान	3.2.1.12	201
इक्विटी पर प्रतिफल	3.2.1.13	202

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	3.2.1.14	203
कम्पनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण	3.2.1.15	203
ब्याज-व्याप्ति अनुपात	3.2.1.16	203
ऋण-टर्नओवर अनुपात	3.2.1.17	204
उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत सहायता	3.2.1.18	205
संचालन क्षमता में सुधार के लिए योजना	3.2.1.19	205
वित्तीय परिवर्तन के लिए योजना	3.2.1.20	205
उदय योजना का कार्यान्वयन	3.2.1.21	206
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियाँ	3.2.1.22	207
निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर	3.2.1.23	208
लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर अनुवर्ती कार्यवाही	3.2.1.24	208
कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा	3.2.1.25	209
कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन	3.2.1.26	209
भाग-II (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप परिचय	3.3	210
राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान	3.3.1	210
राज्य सा क्षे उ में निवेश	3.3.1.2	211
राज्य सा क्षे उ का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण	3.3.1.3	211
राज्य सा क्षे उ को बजटीय समर्थन	3.3.1.5	212
राज्य सा क्षे उ को बजटीय समर्थन	3.3.1.6	213
उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान	3.3.1.7	214
कार्यरत राज्य सा क्षे उ द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता	3.3.1.8	215
अकार्यरत राज्य सा क्षे उ के द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता	3.3.1.9	216
सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण	3.3.1.10	217
राज्य सा क्षे उ के द्वारा लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव	3.3.1.11	217
कार्यशील राज्य सा क्षे उ का निष्पादन	3.3.1.12	218
निवेश पर प्रतिफल	3.3.1.13	219
ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल	3.3.1.14	220
निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर प्रतिफल	3.3.1.15	222
निवल मूल्य का क्षरण	3.3.1.18	225
लाभांश का भुगतान	3.3.1.19	226
इक्विटी पर प्रतिफल	3.3.1.20	226
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	3.3.1.21	227
सा क्षे उ के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण	3.3.1.22	228
ब्याज-व्याप्ति अनुपात	3.3.1.23	228

ऋण-टर्नओवर अनुपात	3.3.1.24	229
अकार्यरत सा क्षे उ का समापन	3.3.1.25	229
राज्य सा क्षे उ के लेखों पर टिप्पणियाँ	3.3.1.26	230
अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर	3.3.1.28	231
लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर अनुवर्ती कार्यवाही	3.3.1.29	231
कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	3.3.1.30	232
कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन	3.3.1.31	232
अनुपालन लेखापरीक्षा		
गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड		
आय की हानि	3.4	233
उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड		
राजस्व की हानि	3.5	234
उत्तराखण्ड वन विकास निगम		
ब्याज की हानि	3.6	236
उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
उपभोक्ता को अनुचित लाभ	3.7	237

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.1.1	ले प में सम्मिलित प्रस्तरों पर कृ का टि की प्राप्ति से संबन्धित स्थिति	241
1.2.1	विभागीय ओर्गेनोग्राम	244
1.2.2	सैंपलिंग का विवरण	245
1.2.3	सूखन पर अतिरिक्त भुगतान का विवरण	245
1.2.4	विनिर्दिष्टियों की सूची (चावल): (जी ओ आई आदेश दिनांक: एक सितम्बर 2014, सं-8-1/2014-एस & आई)	246
1.2.5	विश्लेषण प्रक्रिया (भारत सरकार के आदेश दिनांक: एक सितम्बर 2014, सं-8-1/2014-एस & आई)	247
1.2.6	खाद्यान्न के उठान एवं वितरण प्रदर्शित करता हुआ पिक्टोग्राफ	248
1.2.7	राशन कार्ड एवं इकाइयों का विवरण	249
1.2.7 अ	राशन कार्ड, इकाइयों तथा खाद्यान्न की आवश्यकता का विवरण	250
1.2.8	जनपदों में आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न का वितरण	251
1.2.9	परिवहन विभाग की दरों तथा निम्नतम निविदत दरों की तुलना में अंतर	252
1.2.10	दो/तीन स्थानों के लिए ट्रांसपोर्टर्स के चयन को दर्शाने वाला विवरण	252
1.2.11	गोदामों के निर्माण का विवरण	253
1.4.1	छः जिलों में चालान किये गये वाहनों से कम प्रशमन शुल्क लिये जाने का विवरण	253

1.7.1	राज्य के 20 ब्लड बैंकों द्वारा घटते क्रम में रक्त इकाइयों का संग्रह	254
1.7.2	चयनित आठ ब्लड बैंकों में वी बी डी की स्थिति और एस बी टी सी द्वारा प्रगति रिपोर्ट में इसकी प्रतिशतता दिखायी गयी है	255
1.7.3	लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करने की प्रक्रिया	256
1.7.4	लाइसेंस के गैर-नवीनीकरण की स्थिति मार्च 2018 तक	257
1.7.5	जून 2018 तक लाइसेंस के गैर-नवीनीकरण की स्थिति	258
1.7.6	2015 से मार्च 2018 के दौरान उपकरणों के कैलिब्रेशन न किए जाने की स्थिति	259
1.10.1	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जिन पर अनुवर्ती प्रतिवेदन में विचार नहीं किया गया	260
1.12.1	वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता मानदण्ड और चयन प्रक्रिया का विवरण	261
1.13.1	वायु प्रदूषकों, उनके स्रोतों और प्रभाव का विवरण	262
1.13.2 अ	संयुक्त निरीक्षण के लिए चयनित औद्योगिक इकाइयों की सूची	266
1.13.2 ब	औद्योगिक इकाइयों की सूची जिनमें सी टी ओ 31-03-18 तक वैध था	267
1.13.2 स	औद्योगिक इकाइयों की सूची, जिन्हें कभी सी टी ओ नहीं मिला, लेकिन अभी भी संचालित हैं	268
1.13.3	प्रदूषण सूचकांक के समग्र स्कोर के वर्गीकरण की प्रणाली	269
2.2.1	वितान न खोलने के कारण राजस्व की प्राप्ति न होने से संबन्धित विवरण	270
2.2.2	चिन्हीकरण के अभाव में पातन न होने के कारण राजस्व प्राप्त न होने का विवरण	272
2.2.3	उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा पातन न किए जाने से रॉयल्टी प्राप्त न होने का विवरण	273
2.2.4 अ	ठोस, योग्य एवं अयोग्य वृक्षों की श्रेणियों के वर्गीकरण के मापदण्ड	273
2.2.4 ब	वास्तविक उत्पादन पर रॉयल्टी का भुगतान न होने के कारण राजस्व की क्षति का विवरण	274
2.2.5	अवैध पातन का विवरण	275
2.2.6	लीसा के कम उत्पादन से क्षति	276
2.2.7	उपखनिजों के कम उत्पादन से अभिवहन शुल्क की नदी-वार क्षति का विवरण	277
2.2.8	प्रीमियम एवं पट्टा किराए की गलत गणना एवं कम / न वसूली का विवरण	278
2.2.9	संभावित राजस्व के हस्तांतरित न किए जाने का विवरण	281
2.2.10	संभावित प्राप्तियों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियाँ	282
2.3.1	चार व्यापारियों के पाँच प्रकरणों में कर के न्यूनारोपण का विवरण	283
2.6.1	अनुज्ञापियों पर प्रशमन शुल्क के न्यूनारोपण का विवरण	284
2.8.1	स्टोन क्रशर मालिकों से विनियमितीकरण शुल्क ₹ 1.21 करोड़ एवं वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹ 0.65 करोड़ की वसूली न किए जाने का विवरण	285
2.9.1	दो जिला खान अधिकारियों द्वारा छः मामलों में रॉयल्टी की गलत गणना का विवरण	287

2.10.1	रिवर ट्रेनिंग, विकास शुल्क और क्षतिपूर्ति शुल्क की गणना दर्शाने वाला विवरण	288
3.2.1	नवीनतम वर्ष के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय परिणामों का सारांश जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया	291
3.2.2	31 मार्च 2018 तक स्थापना के बाद से चार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाने वाला विवरण	292
3.3.1	31 मार्च 2018 तक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	293
3.3.2	कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में, जिस अवधि के लिए उनके लेखे बकाया हैं, राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	296
3.3.3	नवीनतम वर्षों के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के सारांशित वित्तीय परिणाम जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया	297
3.3.4	वर्ष 2001-02 से 2017-18 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्षवार विवरण	299
3.6.1	अर्जित ब्याज और जिसे अर्जित किया जा सकता था को दर्शाने वाला विवरण	301

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखे जाते हैं जबकि अध्याय III भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(अ) के अंतर्गत विधानमण्डल में प्रस्तुत किया जाता है।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय I**, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत सम्पादित सरकारी विभागों के सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा क्षेत्र 3) के व्यय की लेखापरीक्षा से संबन्धित है। इस अध्याय में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय II** में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत सम्पादित राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व प्राप्त करने वाले प्रमुख विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय III**, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा से संबन्धित है। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा (इन कम्पनियों में वह कम्पनियाँ भी सम्मिलित हैं, जिन्हें कम्पनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कम्पनी माना गया है) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धाराओं 139 एवं 143 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पादित की जाती है एवं सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबन्धित विधानों के अंतर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत उल्लिखित हैं जो वर्ष 2017-18 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में संज्ञान में आए। साथ ही साथ वे प्रकरण भी सम्मिलित हैं, जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आए थे परन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके। वे दृष्टांत, जो वर्ष 2017-18 की आगामी अवधि से संबन्धित हैं परन्तु वर्ष 2017-18 से संबद्ध हैं, जहाँ कहीं भी आवश्यक हुए, सम्मिलित किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का सम्पादन किया गया है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षा यथा (i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण की पद्धति, (ii) वन विभाग से राजस्व प्राप्तियाँ, तथा एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित 23 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर ₹ 2,271.08 करोड़ के वित्तीय परिणाम के साथ सम्मिलित किये गये हैं।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 20,206 करोड़ से बढ़कर ₹ 35,074 करोड़ हो गया। राज्य सरकार का राजस्व व्यय वर्ष 2013-14 में ₹ 16,216 करोड़ से 79 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹ 29,083 करोड़ हो गया।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल व्यय में 80 से 84 प्रतिशत राजस्व व्यय सम्मिलित था, जबकि इस अवधि में पूँजीगत व्यय 15 से 19 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 16 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा, जबकि 2013-14 से 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 11.57 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ीं।

राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 24,889 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 27,105 करोड़ थी। इसमें से, 44 प्रतिशत की वृद्धि कर राजस्व (₹ 10,164.93 करोड़) एवं करेत्तर राजस्व (₹ 1,769.53 करोड़) के द्वारा हुई। शेष 56 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों का राज्यांश (₹ 7,084.91 करोड़) एवं सहायता अनुदान (₹ 8,085.20 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ। राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष के सापेक्ष ₹ 2,216 करोड़ की वृद्धि हुई। राज्य सरकार द्वारा माल और सेवा कर (जी एस टी) को प्रभावी रूप से 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक जी एस टी में समाहित/असमाहित करों को शामिल करते हुए जी एस टी के अंतर्गत कुल प्राप्ति ₹ 7,006 करोड़ थी (आई जी एस टी के अनंतिम आवंटन एवं राज्य की क्षतिपूर्ति को शामिल करते हुए)।

31 मार्च 2018 को, उत्तराखण्ड में 30 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (3 सांविधिक निगम एवं 08 अकार्यरत कंपनियों को सम्मिलित करते हुए 27 सरकारी कंपनियाँ) थे। 30 सितम्बर 2018 तक, अंतिमीकृत वार्षिक लेखों के अनुसार कार्यरत सा क्षेत्र ने ₹ 8,770.99 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया।

ऊर्जा क्षेत्र में सा क्षेत्र

31 मार्च 2018 को, चार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 6,309.01 करोड़ था। निवेश में 46.72 प्रतिशत इक्विटी तथा 53.28 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, इन सार्वजनिक उपक्रमों को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 385.03 करोड़ एवं ₹ 81.95 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2017-18 के दौरान, प्राप्त

₹ 103.45 करोड़ की बजटीय सहायता में इक्विटी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 53.00 करोड़, ₹ 35.49 करोड़ एवं ₹ 14.96 करोड़ सम्मिलित थे। चार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में से, 2017-18 के लिए तीन कार्यशील ऊर्जा क्षेत्र के साक्षे उ द्वारा 30 सितम्बर 2018 तक लेखे प्रस्तुत किए थे। वित्तीय विवरणों के अनुसार, दो साक्षे उ ने ₹ 92.62 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा एक साक्षे उ ने ₹ 229.22 करोड़ की हानि वहन की।

साक्षे उ - ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त

31 मार्च 2018 को, 26 साक्षे उ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 4,118.59 करोड़ था। इसमें से, उत्तराखण्ड सरकार का इक्विटी में ₹ 1,036.73 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण में ₹ 337.29 करोड़ का योगदान था। इन साक्षे उ में कुल निवेश में 82.91 प्रतिशत इक्विटी तथा 17.09 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, इन साक्षे उ को प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 378.35 करोड़ एवं ₹ 712.23 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017-18 के दौरान दी गयी ₹ 712.23 करोड़ की बजटीय सहायता में इक्विटी एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 63.02 करोड़ एवं ₹ 649.21 करोड़ सम्मिलित थे। कुल 26 साक्षे उ में से, किसी भी साक्षे उ ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2017-18 के लेखे 30 सितम्बर 2018 को या उससे पूर्व प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

इस प्रतिवेदन को तीन अध्यायों में संयोजित किया गया है। अध्याय-I से सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र, अध्याय-II राजस्व क्षेत्र तथा अध्याय-III से सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) संबद्ध हैं। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ नीचे सारांशित किये जा रहे हैं।

अध्याय-1

निष्पादन लेखापरीक्षा

1.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण की पद्धति

भारत सरकार द्वारा, निर्धारित मानकों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) के परिवारों को विशेष रूप से रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1997 में, भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) शुरू की गई थी। राज्य के गठन (नवम्बर 2000) से यह योजना उत्तराखण्ड में संचालित थी। सबसे गरीब व्यक्ति को भोजन की उपलब्धता¹ सुनिश्चित करने के लिए, दिसम्बर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना (ए ए वाई) शुरू की गई थी। सभी स्तरों पर लेनदेन की पारदर्शी रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने हेतु, भारत सरकार ने (दिसम्बर 2012 में) 'टी पी डी एस के एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण' हेतु एक प्लान योजना शुरू की।

आगे, भारत में संसद द्वारा, लोगों को गरिमायुक्त जीवन जीने हेतु सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन एफ एस ए) अधिनियमित (सितम्बर 2013) किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के अंतर्गत खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन और वितरण प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा, राशन कार्ड के डिजिटाइजेशन; पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण; खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, उठान, वितरण, परिवहन और भण्डारण में कमजोरियों को सामने लायी। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार थे:

- 'एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण योजना' के अन्तर्गत सप्लाई चेन और फेयर प्राइस शॉप ऑटोमेशन निर्धारित तिथि से चार से पाँच वर्ष व्यतीत होने के बाद भी लागू नहीं किए गए।

[प्रस्तर 1.2.7]

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित किए जाने वाले पात्र परिवारों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, जैसा कि पात्रता मानदण्ड से संबन्धित अपूर्ण सूचनाएँ लिए जाने के दृष्टांत थे, जिसके परिणामस्वरूप कोई आश्वासन नहीं था कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया। इससे अपात्र लाभार्थियों को योजना के लाभ हेतु शामिल किया गया और पात्र लाभार्थियों को बाहर रखा गया।

[प्रस्तर 1.2.8.1 एवं 1.2.8.2]

¹ ए ए वाई परिवारों को, प्रतिमाह 24.600 कि ग्रा चावल और 10.400 कि ग्रा गेहूँ विशेष रियायती दर क्रमशः तीन रुपये प्रति कि ग्रा और दो रुपये प्रति कि ग्रा पर प्रदान करते हुए।

- विभाग, कमीशन एजेन्टों के माध्यम से अधिप्राप्ति पर, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित नहीं कर सका।

[प्रस्तर 1.2.9.1]

- विभाग ने राज्य में ₹140.13 करोड़ मूल्य का 0.63 लाख मीट्रिक टन चावल और ₹9.83 करोड़ मूल्य का 0.23 लाख मीट्रिक टन गेहूँ (ए ए वाई एवं बी पी एल श्रेणी को) वास्तविक आवश्यकता से अधिक वितरित किया।

[प्रस्तर 1.2.10.2]

- राज्य में खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता पर्याप्त नहीं थी। राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर 44 प्रतिशत और 45 प्रतिशत के मध्य और जिला स्तर पर 32 प्रतिशत भण्डारण क्षमता की कमी थी।

[प्रस्तर 1.2.11.3]

- वेयरहाउस मैनुअल के अनुसार भण्डारण गोदामों में बुनियादी उपकरणों और सुविधाओं का अभाव था।

[प्रस्तर 1.2.11.5]

- विभाग के पास पर्याप्त धन उपलब्ध होने के बावजूद भी भारतीय रिजर्व बैंक से ₹515.85 करोड़ की नगद साख सीमा प्राप्त की गई थी। परिणामस्वरूप, विभाग को नगद साख सीमा के सापेक्ष भारतीय रिजर्व बैंक को किए गए ब्याज के भुगतान के कारण ₹19.35 करोड़ का नुकसान हुआ।

[प्रस्तर 1.2.12.2]

- लेवी स्कीम के अन्तर्गत अधिप्राप्त चावल की मात्रा के सापेक्ष मिलर्स को मंडी श्रम प्रभार के रूप में ₹3.48 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

[प्रस्तर 1.2.12.5]

- राज्य खाद्य आयोग में अपेक्षित सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई थी और राज्य खाद्य आयोग के गठन के चार वर्ष बाद केवल एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान राज्य स्तर पर या चयनित जनपदों में किसी भी स्तर पर सतर्कता समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण में 69.93 प्रतिशत से 81.38 प्रतिशत तक की कमी रही।

[प्रस्तर 1.2.13.1, 1.2.13.2, 1.2.13.3 व 1.2.13.4]

- अधिनियम शुरू होने के लगभग पाँच साल बीत जाने के बाद भी उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज पर आवधिक सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने हेतु नियम तैयार नहीं किए गए थे।

[प्रस्तर 1.2.13.5]

अनुपालन लेखापरीक्षा

निष्क्रिय व्यय

उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध, राजकीय महाविद्यालय, डाकपत्थर, देहरादून द्वारा ₹ 2.59 करोड़ के व्ययोपरांत अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं हेतु निर्मित छात्रावास की सुरक्षा एवं कर्मचारियों की कमी के कारण उपयोग नहीं किया जा सका तथा छात्रावास भवन जनवरी 2015 से अनुपयोगी पड़ा रहा।

[प्रस्तर 1.3]

राजस्व की हानि

गृह विभाग से संबद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों द्वारा निर्धारित दर पर प्रशमन शुल्क की वसूली न किए जाने के कारण ₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि।

[प्रस्तर 1.4]

विशेष राज्य पूँजी निवेश सब्सिडी (18 प्रतिशत ब्याज दर सहित) और विशेष ब्याज सब्सिडी की वसूली न किया जाना

यद्यपि योजना के दिशानिर्देश, सब्सिडी दिये जाने की शर्तों के उल्लंघन के प्रकरण में वसूली का प्रावधान करता है फिर भी उद्योग विभाग तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद भी एक दोषी औद्योगिक इकाई से ₹ 49.56 लाख की वसूली करने में विफल रहा।

[प्रस्तर 1.5]

निष्क्रिय व्यय/उद्देश्यों की पूर्ति न होना

अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग, द्वारा पाइपों की अधिप्राप्ति पर ₹ 2.42 करोड़ का निष्क्रिय व्यय किया गया जोकि खुले में लावारिस पड़े हुए थे एवं प्रकृति की अनिश्चितताओं पर छोड़ दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, परियोजना के अन्य घटकों पर ₹ 46.31 लाख का निष्फल व्यय किया गया। इसके अलावा, चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी परियोजना के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया था।

[प्रस्तर 1.6]

उत्तराखण्ड में ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत ब्लड बैंक, राष्ट्रीय रक्त नीति में परिकल्पित 100 प्रतिशत स्वैच्छिक रक्तदान (वी बी डी) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिप्लेसमेंट डोनर्स को चरणबद्ध तरीके से कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सका। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एस बी टी सी) द्वारा दी गई सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ पर्याप्त नहीं थीं। एस बी टी सी की वार्षिक रिपोर्ट और चयनित ब्लड बैंकों से प्राप्त

आँकड़ों के अनुसार वी बी डी की प्रतिशतता में महत्वपूर्ण अंतर था। राज्य में 35 ब्लड बैंकों में से 13 ब्लड बैंक पाँच महीने से लेकर बीस साल तक एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ ही चल रहे थे। 2015-18 की अवधि के दौरान आयोजित किए जाने वाले आवश्यक 96 निरीक्षणों के सापेक्ष केवल 22 नियमित निरीक्षण ही किए जा सके। 2015-18 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा चयनित किसी भी ब्लड बैंक का निरीक्षण नहीं किया गया था। आठ चयनित ब्लड बैंकों में से पाँच निर्धारित समय में उपकरणों की कैलिब्रेशन नहीं कर रहे थे। डोनर एवं मास्टर पंजिकाओं का रखरखाव अधिनियम में निर्धारित पूर्ण प्रपत्र में नहीं किया जा रहा था।

[प्रस्तर 1.7]

अनुपस्थित चिकित्सकों से ₹ 18 करोड़ की क्षतिपूर्ति का वसूल न किया जाना

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सकों से करार भंग होने के कारण ₹ 18 करोड़ की क्षतिपूर्ति को वसूल करने में असफल रहा। दोषियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई जिससे राज्य के दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का उद्देश्य विफल हुआ।

[प्रस्तर 1.8]

परिहार्य व्यय

अधिशाली अभियंता, प्रांतीय खण्ड, हरिद्वार द्वारा 192.69 मीट्रिक टन आधिक्य स्टील की अप्रयुक्त मात्रा के लिए ₹ 1.69 करोड़ का भुगतान किया गया, जिससे बचा जा सकता था यदि स्टील की आधिक्य मात्रा का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता।

[प्रस्तर 1.9]

प्रतिशत प्रभार का करारोपण नहीं करना

प्रतिशत प्रभार के करारोपण के संबन्ध में अधिशाली अभियंता, ग्रामीण निर्माण प्रभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा वित्तीय नियमों और सरकारी आदेशों का पालन न करने के कारण सरकारी खजाने को ₹ 73.20 लाख की क्षति होना।

[प्रस्तर 1.11]

वृद्धावस्था पेंशन योजना

वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों/नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने में समाज कल्याण विभाग सक्षम नहीं था। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया विभिन्न कमियों से भरी थी। पेंशन डेटाबेस में इनपुट व वैलिडेशन कंट्रोल की कमी थी। जिसके परिणामस्वरूप, 614 लाभार्थियों को ₹ 0.17 करोड़ के अधिक भुगतान के प्रकरण थे, मृत व्यक्तियों को ₹ 0.10 करोड़ का वितरण किया गया, अपात्र व्यक्तियों को ₹ 4.18 करोड़ का वितरण किया गया और 85 लाभार्थियों को ₹ 0.21 करोड़ का दोहरा भुगतान किया गया। भारत सरकार से

निधियों की कम माँग करने के कारण राज्य सरकार को ₹ 33.29 करोड़ का भार वहन करना पड़ा। अपात्र लाभार्थियों के लिए भारत सरकार से ₹ 7.25 करोड़ का अनियमित दावा किया गया। त्रैमासिक पेंशन किस्त के भुगतान में 366 दिनों तक के विलम्बित भुगतान के प्रकरण थे। 34,551 लाभार्थियों को ₹ 15.25 करोड़ के पेंशन एरियर का भुगतान नहीं किया गया। योजना के कार्यान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन नहीं किया गया था। शिकायत निवारण और सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए तंत्र भी लागू नहीं था।

[प्रस्तर 1.12]

देहरादून में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तराखण्ड राज्य परिवहन विभाग की भूमिका

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू ई पी पी सी बी) ने वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं बनाया। इसने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित सभी 12 वायु प्रदूषकों की निगरानी नहीं की। यू ई पी पी सी बी द्वारा अपनी 'सहमति व्यवस्था' के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को लाने के लिए उद्योग विभाग के साथ पंजीकृत उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए समन्वय नहीं किया गया। प्रदत्त सहमति की अवधि समाप्त होने के पश्चात इसके नवीनीकरण की निगरानी हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था। परिवहन विभाग द्वारा 15 साल पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किए गये थे। इसके पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था कि सभी वाहन 'प्रदूषण नियंत्रण' प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद उत्सर्जन परीक्षण के लिए पुनः आएंगे। यह ईंट भट्टों और खनन इकाइयों द्वारा वायुमंडल में फैलने वाले प्रदूषकों के उत्सर्जन को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए अपने विनियामक कार्य का निर्वहन करने में भी विफल रहा। यू ई पी पी सी बी द्वारा की जाने वाली निगरानी में कमी पाई गई। यह अपनी कार्य पद्धति से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और उसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने में विफल रहा।

[प्रस्तर 1.13]

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

2.2 वन विभाग से राजस्व प्राप्तियाँ

वनों का विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' में सम्मिलित है। वनों का प्रबंधन एवं नियंत्रण तथा विभिन्न वन उपजों पर रॉयल्टी, फीस एवं अर्थदण्ड के माध्यम से प्राप्त होने वाला राजस्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम (व स अ), 1980 जो कि केंद्रीय विधान हैं तथा समय-समय पर संशोधित उत्तराखण्ड प्रकाष्ठ एवं

अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 2012 एवं उपखनिज परिहार नियमावली एवं इनके अधीन जारी की गयी अधिसूचनाओं/आदेशों के द्वारा शासित होता है।

वन विशिष्ट प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो कि स्वयं को बनाए रखने के लिए स्वतः ही सक्षम होते हैं। विभाग का प्राथमिक कर्तव्य वनों को बनाये रखने की प्रणाली तथा सुरक्षा का प्रबंधन एवं वृक्षारोपण गतिविधियों द्वारा उनका संरक्षण एवं वृद्धि करना है। वन संसाधनों को बनाये रखना सरकार को वन-वर्धनिक संक्रियाओं के माध्यम से सतत राजस्व प्राप्त करवाने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वनों से प्राप्तियाँ करेत्तर प्राप्तियाँ हैं एवं 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान उत्तराखण्ड सरकार की कुल करेत्तर राजस्व प्राप्तियों में इसका भाग 17.58 प्रतिशत से लेकर 31.63 प्रतिशत तक रहा। वन विभाग की राजस्व प्राप्तियों पर यह निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संपादित की गयी कि क्या वन संसाधनों से प्राप्त होने वाले राजस्व को इष्टतम करने के उत्तराखण्ड सरकार के प्रयास पर्याप्त थे एवं विदोहन के लिए उपलब्ध संसाधनों को राज्य के हित में राजस्व वृद्धि करने के लिए सर्वोत्कृष्ट तरीके से उपयोग में लाया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा में अनेक प्रणालीगत कमियाँ उजागर हुईं और यह वन संसाधनों से महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त करने के लिए सरकार के समक्ष अवसरों को रेखांकित करता है। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- विभाग कार्य योजनाओं की तैयारी में विलम्ब की प्रणालीगत समस्या से जूझ रहा था क्योंकि वर्तमान में लागू 24 कार्य योजनाओं में से कोई भी कार्य योजना विभाग के द्वारा समय पर तैयार नहीं की जा सकी। विभाग ने कार्य योजनाओं की तैयारी में विलम्ब की समस्या पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2014 में निर्दिष्ट स्थायी कार्य योजना इकाइयाँ भी स्थापित नहीं की।

[प्रस्तर 2.2.7.1 एवं 2.2.7.2]

- कार्य योजनाओं की तैयारी एवं अनुमोदन में विलम्ब के कारण दो प्रभागों में वृक्ष-पातन की गतिविधियाँ बंद करनी पड़ीं जिससे ₹ 75.37 करोड़ की रॉयल्टी की प्राप्ति नहीं हो सकी।

[प्रस्तर 2.2.8.1]

- साल वनों में आवरण खोलने की संक्रिया न करने के कारण विभाग ₹ 330.12 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, आवरण खोलने की संक्रिया के अभाव का विपरीत प्रभाव नए साल वृक्षों की संवृद्धि एवं साल वनों की समग्र गुणवत्ता पर भी पड़ता है।

[प्रस्तर 2.2.8.2]

- दो प्रभागों में वृक्षों को पातन हेतु चिन्हित न कर सकने के कारण पातन नहीं हुआ एवं आंकलित मात्रा में प्रकाष्ठ की प्राप्ति नहीं हुई जिस कारण से ₹ 27.90 करोड़ की रॉयल्टी प्राप्त नहीं हो सकी।

[प्रस्तर 2.2.8.3]

- यू एफ डी सी द्वारा वृक्षों का पातन न किए जाने के कारण प्रकाष्ठ की प्राप्ति नहीं हुई जिस कारण से ₹ 14.28 करोड़ की रॉयल्टी अप्राप्त रही।

[प्रस्तर 2.2.8.4]

- 2013-18 की अवधि के दौरान यूकेलिप्टस की रॉयल्टी के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण ₹ 31.19 करोड़ की रॉयल्टी की हानि हुई।

[प्रस्तर 2.2.8.5]

- 2013-18 की अवधि के दौरान यू एफ डी सी द्वारा जलौनी प्रकाष्ठ के विक्रय से ₹ 13.94 करोड़ एवं वृक्षों की जड़ों के विक्रय से ₹ 42.17 करोड़ की प्राप्ति हुई। तथापि, विभाग को इन राशियों में से कोई भी भाग प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वृक्षों की जड़ों एवं जलौनी पर रॉयल्टी आरोपित करने के लिए आवश्यक तंत्र का अभाव था।

[प्रस्तर 2.2.8.6]

- बद्रीनाथ एवं टिहरी वन प्रभागों द्वारा लीसा विदोहन की समय सीमा का पालन न किये जाने के कारण लीसा का उत्पादन कम रहा जिससे ₹ 2.39 करोड़ की हानि हुई।

[प्रस्तर 2.2.9.1]

- योग्य चीड़ वृक्षों को लीसा उत्पादन के लिए कार्य योजना में सम्मिलित न किए जाने के कारण विभाग को प्रति वर्ष ₹ 2.47 करोड़ की हानि हुई।

[प्रस्तर 2.2.9.2]

- वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र ने नदी तल से अवैध खनन के कारण उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर आरोपित की गयी ₹ 1.96 करोड़ की माँग को निरस्त करके एवं ₹ 6.34 करोड़ की माँग को ₹ 0.29 करोड़ में परिवर्तित करने के कारण विभाग को राजस्व की हानि हुई।

[प्रस्तर 2.2.10.2]

- उपखनिजों से त्रुटिपूर्ण दरों पर अभिवहन शुल्क वसूल किए जाने के कारण ₹ 72.27 लाख की क्षति हुई।

[प्रस्तर 2.2.10.3]

- विभाग द्वारा आठ लीज़ ग्रहणकर्ताओं से वसूली योग्य ₹ 417.95 करोड़ का प्रीमियम एवं लीज़ किराया वसूल नहीं किया गया।

[प्रस्तर 2.2.10.4]

अनुपालन लेखापरीक्षा

कर का न्यूनारोपण

वाणिज्य कर विभाग द्वारा गलत दर से कर लागू करने के कारण कर के न्यूनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 51.71 लाख की राजस्व क्षति।

[प्रस्तर 2.3]

अर्थदण्ड का अनारोपण

टी डी एस विलम्ब से जमा करने के कारण वाणिज्य कर विभाग द्वारा व्यवसायी से ₹ 0.59 करोड़ के अर्थदण्ड तथा ब्याज की वसूली न किया जाना।

[प्रस्तर 2.4]

कर का अनारोपण

वाणिज्य कर विभाग के कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा चावल के आटे की बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित करने के स्थान पर कर मुक्त बिक्री माने जाने के परिणामस्वरूप ₹ 8.59 लाख के कर का अनारोपण हुआ।

[प्रस्तर 2.5]

अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री

आबकारी विभाग द्वारा अनुज्ञापियों पर अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री किये जाने पर प्रशमन शुल्क के कम आरोपण के कारण ₹ 19.50 लाख की राजस्व क्षति हुई।

[प्रस्तर 2.6]

खनिजों के भण्डारण हेतु शुल्क का अनारोपण

तीन भण्डारकर्ताओं से खनिजों के भण्डारण हेतु निर्धारित शुल्क का अनारोपण एवं वसूली न किए जाने के कारण खनन विभाग को ₹ 3.17 करोड़ की राजस्व क्षति हुई।

[प्रस्तर 2.7]

खनन प्राप्ति की वसूली न किया जाना

खनन विभाग द्वारा स्टोन क्रशर मालिकों से ₹ 1.21 करोड़ के विनियमितीकरण शुल्क और ₹ 0.65 करोड़ के वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली न किए जाने के परिणामस्वरूप शासन को ₹ 1.86 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

[प्रस्तर 2.8]

रॉयल्टी की त्रुटिपूर्ण गणना

खनन विभाग द्वारा रॉयल्टी की गणना गलत दर से किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 32.74 लाख की रॉयल्टी का कम वसूल किया जाना।

[प्रस्तर 2.9]

शुल्क का अनारोपण

खनन विभाग द्वारा पट्टों पर रिवर ट्रेनिंग, विकास शुल्क और क्षतिपूर्ति शुल्क के अनारोपण से जिला खनिज फाउण्डेशन में ₹ 59.68 लाख की धनराशि कम जमा हुई जिसका उपयोग खनन से सम्बन्धित कार्यों से प्रभावित लोगों/क्षेत्रों के लाभ के लिए किया जाना था।

[प्रस्तर 2.10]

अध्याय-III**अनुपालन लेखापरीक्षा****आय की हानि**

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड को प्रचलित दर से कम दर पर भूमि पट्टे पर देने के कारण ₹ 1.08 करोड़ के पट्टा किराया का परित्याग करना पड़ा।

[प्रस्तर 3.4]

राजस्व की हानि

उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड लाभार्थियों से ऋण के रूप में दिये गए ₹ 12.94 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी। इसके अलावा, कम्पनी ने अतिरिक्त ब्याज से बचने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से राष्ट्रीय स्तर के निगमों को ₹ 8.29 करोड़ वापस कर दिये।

[प्रस्तर 3.5]

ब्याज की हानि

अपने फण्ड के अनुचित प्रबन्धन के कारण उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने ₹ 1.14 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज को अर्जित करने का अवसर खो दिया।

[प्रस्तर 3.6]

उपभोक्ता को अनुचित लाभ

उपभोक्ता द्वारा भुगतान में नियमित रूप से चूक करने के बावजूद भी उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बार-बार किश्तों का पुनः निर्धारण कर उपभोक्ता को अनुचित लाभ दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.34 करोड़ के बकाया का संचय हुआ तथा राजस्व की वसूली नहीं हुई।

[प्रस्तर 3.7]

अध्याय-1

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

अध्याय-1

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा क्षेत्र 3)

1.1 परिचय

1.1.1 बजट परिचय

राज्य में 64 सरकारी विभाग एवं 41 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य सरकार के बजट आंकलन और व्यय की स्थिति निम्न तालिका-1.1.1 में दी गयी है:

तालिका-1.1.1: वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य सरकार का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	बजट आंकलन	व्यय	बजट आंकलन	व्यय	बजट आंकलन	व्यय	बजट आंकलन	व्यय	बजट आंकलन	व्यय
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएँ	6,804.28	6,182.04	8,157.61	7,402.28	8,910.83	8,409.98	11,129.62	9,934.09	12,300.01	12,408.50
सामाजिक सेवाएँ	7,766.53	7,298.01	10,555.22	9,223.69	11,386.47	9,926.69	14,217.69	10,528.57	12,493.03	10,929.44
आर्थिक सेवाएँ	2,755.73	2,067.95	4,271.41	3,856.47	4,394.41	3,983.21	5,648.75	3,902.66	5,020.83	4,276.21
सहायता अनुदान एवं अशंदांन	727.66	668.41	807.79	681.27	1,046.63	766.56	1,254.33	906.18	1,736.94	1,468.54
योग (1)	18,054.20	16,216.41	23,792.03	21,163.71	25,738.34	23,086.44	32,250.39	25,271.50	31,550.81	29,082.69
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	4,874.19	3,712.03	4,591.37	4,939.01	4,004.85	4,217.38	5,744.36	4,954.22	5,514.37	5,914.37
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	248.66	277.99	212.59	150.97	172.67	83.15	395.22	165.05	252.35	76.83
लोक ऋण का पुनर्भूगतान	2,152.79	1,316.81	1,757.79	893.89	2,776.79	1,996.56	2,032.23	1,127.40	2,640.23	1,720.72
आकस्मिकता निधि	40.00	194.48	180.00	194.15	175.00	385.46	205.00	227.70	375.00	481.50
लोक लेखों का संवितरण	14,212.33	25,190.33	15,683.06	33,534.94	16,247.59	36,536.73	6,602.72	26,607.34	6,521.46	35,366.30
अन्तिम रोकड़ शेष	-	2,433.41	-	1,772.02	-	1,462.80	0.00	2,785.95	--	2,733.60
योग (2)	21,527.97	33,125.05	22,424.81	41,484.98	23,376.90	44,682.08	14,979.53	35,867.66	15,303.41	46,293.32
महायोग (1+2)	39,582.17	49,341.46	46,216.84	62,648.69	49,115.24	67,768.52	47,229.92	61,139.16	46,854.22	75,376.01

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त लेखों

1.1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान राज्य का कुल व्यय¹ ₹ 20,206 करोड़ से बढ़ कर ₹ 35,074 करोड़ हो गया। राज्य सरकार का राजस्व व्यय वर्ष 2013-14 में ₹ 16,216 करोड़ से वर्ष 2017-18 में 79 प्रतिशत से बढ़कर ₹ 29,083 करोड़ हो गया।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान कुल व्यय में 80 से 84 प्रतिशत राजस्व व्यय सम्मिलित था, जबकि इस अवधि में पूँजीगत व्यय 15 से 19 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 16 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा, जबकि 2013-14 से 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 11.57 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ीं।

¹ कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

1.1.3 राज्य सरकार के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित निधियाँ

विगत वर्षों में भारत सरकार (भा स) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियाँ अन्तरित की गईं। तथापि, भारत सरकार द्वारा सी एस एस/ए सी ए से संबन्धित समस्त सहायता क्रियान्वयन अभिकरणों को नहीं बल्कि राज्य सरकार को जारी करने के निर्णय के बावजूद, भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित राशि ₹ 2,175.18 करोड़ में से (केंद्रीय निकायों और राज्य सरकार के दायरे से बाहर अन्य संगठन सहित), वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 1,001.37 करोड़ (अर्थात् 46 प्रतिशत; राज्य बजट के दायरे से बाहर निधियाँ-अलेखापरीक्षित आँकड़े) विभिन्न राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को अन्तरित किये गये।

1.1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण निम्न तालिका-1.1.2 में दिया गया है:

तालिका-1.1.2: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आयोजनेत्तर अनुदान	981	944	1,043	824	714
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	3,558	4,083	1,173	1,532	1,621
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	13	99	609	843	76
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	523	1,879	2,479	3,035	4,391
राज्यों को अन्य अंतरण / अनुदान (जी एस टी क्षतिपूर्ति)	-	-	-	-	1,283
योग	5,075	7,005	5,304	6,234	8,085
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	14	38	(-) 24	18	30
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	29	35	25	25	30

वर्ष 2013-14 से 2014-15 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में वृद्धि देखी गई तथापि, वर्ष 2015-16 में गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,701 करोड़ (24.28 प्रतिशत) की कमी आई। चालू वर्ष के दौरान, गत वर्ष की तुलना में भारत सरकार से सहायता अनुदान की प्राप्तियों में ₹ 1,851 करोड़ (29.69 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2017-18 में वृद्धि को, राज्य में जी एस टी (01 जुलाई 2017 से प्रभावी) लागू होने के बाद राजस्व के नुकसान के बदले प्राप्त ₹ 1,283 करोड़ की क्षतिपूर्ति तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं (₹ 89 करोड़) एवं केंद्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं (₹ 1,356 करोड़) के अन्तर्गत अनुदान के हस्तांतरण में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। चालू वर्ष के दौरान आयोजनेत्तर अनुदान एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजना के लिए अनुदान क्रमशः ₹ 110 करोड़ एवं ₹ 767 करोड़ घट गये थे।

1.1.5 आयोजना एवं लेखापरीक्षा का सम्पादन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं, जिसमें पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ ही साथ मीडिया रिपोर्टों को भी ध्यान में रखने के अतिरिक्त, उनकी गतिविधियों की विकटता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियन्त्रण और

हितधारकों की चिंताओं के जोखिम निर्धारण से प्रारम्भ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा का निर्णय लिया जाता है एवं एक वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षा आपत्तियों को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र) लेखापरीक्षित इकाइयों के अध्यक्षों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह इस पर एक माह के भीतर अपनी आख्या प्रस्तुत करें। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा आपत्तियों का या तो निस्तारण कर लिया जाता है या पुनः अनुपालन हेतु आगामी कार्यवाही के लिए सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाहित करने हेतु संसाधित किया जाता है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के द्वारा राज्य के 423 आहरण और संवितरण अधिकारियों और नौ स्वायत्त निकाय की इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की गई। इसके अतिरिक्त, एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी सम्पादित की गई।

1.1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के साथ ही साथ चयनित विभागों के आन्तरिक नियन्त्रण की गुणवत्ता से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण कमियों, जिनसे कार्यक्रमों की सफलता और विभागों के कार्यकलाप पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा, की जानकारी दी। यह विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा और सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु एवं नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुधार लाने के लिए कार्यकारी को उपयुक्त सिफारिशें पेश करने पर केन्द्रित थी।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा और लेखा अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों से अपेक्षित है कि प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप प्रस्तरों को जिन्हें भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रियाएँ छः सप्ताह के अन्दर दें। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के व्यक्तिगत संज्ञान में यह भी लाया जाता है कि ऐसे प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने की सम्भावना की दृष्टि से, जिसे उत्तराखण्ड विधानसभा में रखा जाना है, यह वांछनीय होगा कि इस प्रकरण में उनकी टिप्पणियों को इसमें सम्मिलित किया जाये। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों और प्रस्तरों को सम्बन्धित अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को भी उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, एक

निष्पादन लेखापरीक्षा² और एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित 11 लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों को भेजा गया। तथापि, मात्र पाँच प्रकरणों में सरकार का औपचारिक उत्तर प्राप्त हुआ है (अगस्त 2019)।

1.1.7 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियाँ

राज्य सरकार के विभागों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आई वसूलियों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पुष्टि हेतु एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को सूचित करने के लिए संदर्भित किया गया। लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वर्ष 2017-18 के दौरान क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, कुमाऊँ खण्ड, हल्द्वानी द्वारा ₹ 86.27 लाख की वसूली की गई।

1.1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की जवाबदेही

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, लेन-देनों की नमूना जाँच द्वारा सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण सम्पादित करता है तथा विहित नियमों एवं क्रियाविधियों के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य अभिलेखों के रखरखाव की पुष्टि करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र) जारी किये जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों एवं उच्च प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर अपनी अनुपालन आख्या से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड को अवगत करवाएँ। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा लम्बित नि प्र पर अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से गम्भीर अनियमितताओं को कार्यालयाध्यक्षों के संज्ञान में लाया जाता है।

31 मार्च 2018 को नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित 3,235 नि प्र में निहित 8,486 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ बकाया थीं, जिसका विवरण निम्न तालिका-1.1.3 में दिया गया है:

तालिका-1.1.3: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/प्रस्तर

क्र सं.	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन ³	प्रस्तर	सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में)
1.	सामाजिक क्षेत्र	1,739	5,242	17,789.48
2.	सामान्य क्षेत्र	482	964	1,293.83
3.	आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा क्षेत्र)	1,014	2,280	7,66,138.00
योग		3,235	8,486	7,85,221.31

नि प्र एवं नि प्र में प्रस्तरों के निस्तारण की प्रगति में तेजी एवं अनुश्रवण के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियाँ गठित की हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा समितियों की 10 बैठकें आयोजित हुईं, जिसमें 126 प्रस्तरों को निस्तारित किया गया। विभागीय अधिकारी विहित समय

² सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण की पद्धति।

³ बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/प्रस्तर 2006-07 से लिए गये हैं।

सीमा के अंदर नि प्र पर उचित कार्यवाही करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही की कमी रही।

यह संस्तुति की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र और उचित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकरण पर गौर कर सकती है।

1.1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.1.9.1 स्वप्रेरित कृत कार्यवाही टिप्पणियों (कृ का टि) का प्रस्तुतिकरण

लोक लेखा समिति की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रदर्शित समस्त लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर स्वप्रेरित कार्यवाही शुरू करनी चाहिए इनको लोक लेखा समिति द्वारा जाँच हेतु लिया गया हो या नहीं। राज्य विधानमण्डल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन महीने के भीतर विभागों को भी उनके द्वारा की गई सुधारात्मक कृत कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही को दर्शाते हुए, विस्तृत टिप्पणियाँ, जिसकी यथोचित रूप से लेखापरीक्षा द्वारा जाँच की जाती है, प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

तथापि, यह देखा गया कि 31 मार्च 2018 तक, वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में सम्मिलित 295 लेखापरीक्षा प्रस्तरों में से 41 विभागों के 97 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबन्ध में स्वप्रेरित कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं (जैसा कि **परिशिष्ट-1.1.1** में वर्णित है)। वर्ष 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को 20 सितम्बर 2018 को विधानसभा के पटल पर रखा गया था। इससे सम्बन्धित कृत कार्यवाही व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं (अगस्त 2019)।

1.1.9.2 लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर कृत कार्यवाही

लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रस्तर, जिन पर उनके द्वारा चर्चा की गई, के संबन्ध में की गई टिप्पणियों/ अनुशंसाओं पर, कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ, जिनकी प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के द्वारा यथोचित जाँच की गई, ऐसी की गई टिप्पणियों/संस्तुतियों की तिथि से छः माह के अंदर समिति को प्रस्तुत करनी होती हैं। वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में सम्मिलित 295 लेखापरीक्षा प्रस्तरों में से 31 मार्च 2018 तक लोक लेखा समिति द्वारा केवल 186 लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर चर्चा की गई। लोक लेखा समिति द्वारा 97 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबन्ध में संस्तुतियों की गई हैं। समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार की ओर से पाँच प्रस्तरों पर कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ लम्बित हैं।

1.1.10 स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में रखने की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये हैं। इन में से कई निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है एवं उनके लेन-देनों,

परिचालन गतिविधियाँ और लेखों, विनियामक मुद्दों, आंतरिक नियन्त्रण आदि की जाँच की जाती है। राज्य में एक स्वायत्त निकाय (उत्तराखण्ड जल संस्थान) के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को पाँच वर्षों (अर्थात् 2015-16 से 2019-20) के लिए सौंपी (जनवरी 2016) गई। वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षा द्वारा जारी उत्तराखण्ड जल संस्थान की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ ले प्र) राज्य विधानसभा के समक्ष अभी तक रखा जाना शेष है।

1.1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों का वर्ष-वार विवरण

पिछले दो वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा प्रस्तरों का उनकी मुद्रा मूल्य सहित वर्ष-वार विवरण निम्न तालिका-1.1.4 में दिया गया है।

तालिका-1.1.4: वर्ष 2015-17 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मुद्रित निष्पादन लेखापरीक्षाओं और प्रस्तरों के सम्बन्ध में विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		प्रस्तर		प्राप्त उत्तर	
	संख्या	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर
2015-16	02	124.08	17	170.76	02	निरंक
2016-17	02	127.24	10	23.85	निरंक	01

इस अध्याय में ₹ 1,251.46 करोड़ की मुद्रा मूल्य की एक निष्पादन लेखापरीक्षा⁴ और 11 लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्युत्तरों को, जहाँ कहीं भी प्राप्त हुए, उचित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

⁴ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण की पद्धति।

निष्पादन लेखापरीक्षा

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

1.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन एवं वितरण की पद्धति

भारत सरकार द्वारा, निर्धारित मानकों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) के परिवारों को विशेष रूप से रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1997 में, भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी पी डी एस) शुरू की गई थी। राज्य के गठन (नवम्बर 2000) से यह योजना उत्तराखण्ड में संचालित थी। सबसे गरीब व्यक्ति को भोजन की उपलब्धता⁵ सुनिश्चित करने के लिए, दिसम्बर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना (ए ए वाई) शुरू की गई थी। सभी स्तरों पर लेनदेन की पारदर्शी रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने हेतु, भारत सरकार ने (दिसम्बर 2012 में) 'टी पी डी एस के 'एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण' हेतु एक प्लान योजना शुरू की।

आगे, भारत में संसद द्वारा, लोगों को गरिमामय जीवन जीने हेतु सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन एफ एस ए) अधिनियमित (सितम्बर 2013) किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के अंतर्गत खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भण्डारण, परिवहन और वितरण प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा, राशन कार्ड के डिजिटाइजेशन; पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण; खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, उठान, वितरण, परिवहन और भण्डारण में कमजोरियों को सामने लायी। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार थे:

मुख्यांश

- 'एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण' योजना के अन्तर्गत सप्लाइ चैन और फेयर प्राइस शॉप ऑटोमेशन निर्धारित तिथि से चार से पाँच वर्ष व्यतीत होने के बाद भी लागू नहीं किए गए।

[प्रस्तर 1.2.7]

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित किए जाने वाले पात्र परिवारों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, जैसा कि पात्रता मानदण्ड से संबन्धित अपूर्ण सूचनाएँ लिए जाने के दृष्टांत थे, जिसके परिणामस्वरूप कोई आश्वासन नहीं था कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया। इससे अपात्र लाभार्थियों को योजना के लाभ हेतु शामिल किया गया और पात्र लाभार्थियों को बाहर रखा गया।

[प्रस्तर 1.2.8.1 एवं 1.2.8.2]

⁵ ए ए वाई परिवारों को, प्रतिमाह 24.600 कि ग्रा चावल और 10.400 कि ग्रा गेहूँ विशेष रियायती दर क्रमशः तीन रुपये प्रति कि ग्रा और दो रुपये प्रति कि ग्रा पर प्रदान करते हुए।

- विभाग, कमीशन एजेंटों के माध्यम से अधिप्राप्ति पर, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित नहीं कर सका।

[प्रस्तर 1.2.9.1]

- विभाग ने राज्य में ₹140.13 करोड़ मूल्य का 0.63 लाख मीट्रिक टन चावल और ₹ 9.83 करोड़ मूल्य का 0.23 लाख मीट्रिक टन गेहूँ (ए ए वाई एवं बी पी एल श्रेणी को) वास्तविक आवश्यकता से अधिक वितरित किया।

[प्रस्तर 1.2.10.2]

- राज्य में खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता पर्याप्त नहीं थी। राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर 44 प्रतिशत और 45 प्रतिशत के मध्य और जिला स्तर पर 32 प्रतिशत भण्डारण क्षमता की कमी थी।

[प्रस्तर 1.2.11.3]

- वेयरहाउस मैनुअल के अनुसार भण्डारण गोदामों में बुनियादी उपकरणों और सुविधाओं का अभाव था।

[प्रस्तर 1.2.11.5]

- विभाग के पास पर्याप्त धन उपलब्ध होने के बावजूद भी भारतीय रिजर्व बैंक से ₹515.85 करोड़ की नगद साख सीमा प्राप्त की गई थी। परिणामस्वरूप, विभाग को नगद साख सीमा के सापेक्ष भारतीय रिजर्व बैंक को किए गए ब्याज के भुगतान के कारण ₹19.35 करोड़ का नुकसान हुआ।

[प्रस्तर 1.2.12.2]

- लेवी स्कीम के अन्तर्गत अधिप्राप्त चावल की मात्रा के सापेक्ष मिलर्स को मंडी श्रम प्रभार के रूप में ₹3.48 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

[प्रस्तर 1.2.12.5]

- राज्य खाद्य आयोग में अपेक्षित सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई थी और राज्य खाद्य आयोग के गठन के चार वर्ष बाद केवल एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान राज्य स्तर पर या चयनित जनपदों में किसी भी स्तर पर सतर्कता समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण में 69.93 प्रतिशत से 81.38 प्रतिशत तक की कमी रही।

[प्रस्तर 1.2.13.1, 1.2.13.2, 1.2.13.3 व 1.2.13.4]

- अधिनियम शुरू होने के लगभग पाँच साल बीत जाने के बाद भी उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज पर आवधिक सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने हेतु नियम तैयार नहीं किए गए थे।

[प्रस्तर 1.2.13.5]

1.2.1 प्रस्तावना

टी पी डी एस से पहले, पी डी एस सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य पात्रता योजना थी। 1997 में, भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) के परिवारों को, विशेष रूप से रियायती

दर, अर्थात् आर्थिक लागत के 50 प्रतिशत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से टी पी डी एस की शुरुआत की और इसके साथ ही गरीबी रेखा के ऊपर (ए पी एल) के परिवारों के लिए आवंटन, आर्थिक लागत के 100 प्रतिशत पर बनाए रखा गया। भारत सरकार ने राज्यों को बी पी एल परिवारों के चिन्हीकरण के लिए व्यवस्थाएँ प्रतिपादित करने की सलाह दी। तदनुसार, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार (नवम्बर 2000 में उत्तराखण्ड के सृजन से पहले) ने बी पी एल परिवारों का चिन्हीकरण करने के लिए दिशा-निर्देश (मार्च 1997) जारी किए। बी पी एल परिवारों में सबसे गरीब लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए दिसम्बर 2000 में ए ए वाई शुरू की गई। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ए ए वाई के अंतर्गत 1.91 लाख परिवारों का चिन्हीकरण किया और उन्हें योजनान्तर्गत आच्छादित किया।

वर्ष 2013 में, संसद द्वारा गरिमामय जीवन जीने के लिए लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन एफ एस ए) लागू किया गया था। अधिनियम के अनुसार, उत्तराखण्ड में 101.17 लाख (जनगणना 2011) जनसंख्या में से 61.94 लाख लोगों को इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना था। तत्पश्चात, एन एफ एस ए के अंतर्गत 7.69 लाख ए ए वाई लाभार्थी और 54.23 लाख प्राथमिक परिवार (पी एच एच) लाभार्थियों को आच्छादित किया गया। उत्तराखण्ड सरकार ने एन एफ एस ए के अन्तर्गत पात्र परिवारों का चिन्हीकरण करने के लिए पात्रता मानदण्ड निर्दिष्ट करने वाले दिशा-निर्देश जारी किए (जुलाई 2013)। दिशा-निर्देशों के अनुसार, मौजूदा ए ए वाई और बी पी एल लाभार्थियों के अतिरिक्त, कतिपय परिवारों⁶, जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक हो, का चिन्हीकरण किया जाना था। वितरण मापदण्डों, खाद्यान्नों की मात्रा और दरों का विवरण नीचे तालिका-1.2.1 में दिया गया है:

तालिका-1.2.1 खाद्यान्न के मापदण्ड एवं पात्रता का विवरण

लाभार्थियों की श्रेणी	खाद्यान्न पात्रता (प्रति माह)	निर्गमन दर (₹/कि ग्रा)	
		गेहूँ	चावल
पूर्ववर्ती टी पी डी एस			
ए पी एल	15 कि ग्रा (10 कि ग्रा गेहूँ और 5 कि ग्रा चावल) प्रति कार्ड	5.00	7.00
बी पी एल	35 कि ग्रा (11.800 कि ग्रा गेहूँ और 23.200 कि ग्रा चावल) प्रति कार्ड	4.15	5.65
ए ए वाई	35 कि ग्रा (10.400 कि ग्रा गेहूँ और 24.600 कि ग्रा चावल) प्रति कार्ड	2.00	3.00
एन एफ एस ए			
ए ए वाई	35 कि ग्रा (13.300 कि ग्रा गेहूँ और 21.700 कि ग्रा चावल) प्रति कार्ड	2.00	3.00
पी एच एच ⁷	5 कि ग्रा (2 कि ग्रा गेहूँ और 3 कि ग्रा चावल) प्रति राशनकार्ड का सदस्य	2.00	3.00

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

⁶ ऐसे परिवार जिसकी मुखिया, विधवा, कुष्ठ या एच आई वी से पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांग, साठ और उससे अधिक उम्र का व्यक्ति, परिवार जिसका मुखिया रिक्शा चालक; कुली; श्रमिक; कूड़ा उठाने वाला; मोची; खेतिहर मजदूर; शहरी गंदी बस्तियों में निवास करने वाले परिवार, तथा राज्य में संचालित आश्रम तथा अनाथ आश्रम।

⁷ पी एच एच में ₹15,000 तक की मासिक आय वाले बी पी एल परिवार तथा अन्य परिवार जैसा कि फुटनोट 6 में वर्णित है, सम्मिलित हैं।

सभी स्तरों पर लेनदेन की पारदर्शी रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने टी पी डी एस के 'एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण' पर एक आयोजनागत योजना शुरू (दिसम्बर 2012) की।

1.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

शासन स्तर पर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (एफ सी एस एंड सी ए) विभाग के प्रमुख सचिव योजनाओं⁸ के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य को गढ़वाल और कुमाऊँ दो मंडलों में बाँटा गया है, और इन मंडलों में प्रत्येक में क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक (आर एफ सी) अधिप्राप्ति और वितरण के पूरे संचालन को आयुक्त, एफ सी एस एंड सी ए के पर्यवेक्षण में देखता है। जनपद स्तर पर, संबन्धित जिला आपूर्ति अधिकारियों (डी एस ओ) द्वारा 9,309 उचित मूल्य की दुकानों (एफ पी एस) के नेटवर्क के माध्यम से संबन्धित क्षेत्र के राशनिंग अधिकारियों/आपूर्ति निरीक्षकों की सहायता से इस योजना को लागू किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा **परिशिष्ट-1.2.1** में दिया गया है।

1.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह निर्धारित करने के लिए थे कि क्या:

- राज्य ने टी पी डी एस कार्यों के 'एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण' पर आयोजनागत योजना को लागू करने के लिए सुधारों की शुरुआत की;
- खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति मितव्ययतापूर्वक, दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से की गई;
- उठान और वितरण की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी थी कि सभी लोगों की खाद्यान्न तक पहुँच थी और वितरण समय, निर्धारित पैमाने और दर पर था;
- ट्रांसपोर्टर्स और हैंडलिंग ठेकेदारों का चयन एवं परिवहन और हैंडलिंग दरों का निर्धारण पारदर्शी और मितव्ययी तरीके से किया गया था;
- खाद्यान्नों का भण्डार प्रबंधन वैज्ञानिक था तथा खाद्यान्नों की सुरक्षा और गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था पर्याप्त थी;
- टी पी डी एस और एन एफ एस ए के कार्यान्वयन पर सार्वजनिक खर्च का वित्तीय प्रबंधन दक्ष और मितव्यय था; तथा
- योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुश्रवण और नियंत्रण तंत्र पर्याप्त और प्रभावी था।

1.2.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यविधि

तेरह में से चार जनपदों⁹ में 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक (आर एफ सी)

⁸ सितम्बर 2015 तक टी पी डी एस तथा अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम।

⁹ पौड़ी और टिहरी (गढ़वाल), अल्मोड़ा और उधमसिंह नगर (कुमाऊँ)।

(कुमाऊँ एवं गढ़वाल) तथा प्रोबेबिलिटी प्रपोशनल टू साइज़ विदाउट रिप्लेसमेंट पद्धति के आधार पर चयनित चार जिला पूर्ति अधिकारियों (डी एस ओ) के अभिलेखों की नमूना जाँच के द्वारा, फरवरी से जून 2018 के दौरान निष्पादित लेखापरीक्षा की गयी। कुल व्यय को नमूने के प्रयोजन के लिए आकार माप के रूप में लिया गया था।

दो प्रकार के गोदाम अर्थात् बेस गोदाम जो आर एफ सी के नियंत्रण में तथा आंतरिक गोदाम डी एस ओ के नियंत्रण में थे। आंतरिक गोदामों के चयन हेतु प्रत्येक चयनित जनपद में दो तहसीलों को सिम्पल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट पद्धति का उपयोग करके चुना गया था। चार अधिकतम क्षमता वाले बेस गोदामों अर्थात् प्रत्येक मण्डल से दो¹⁰ (23 बेस गोदामों में से) और प्रत्येक चयनित तहसील से दो¹¹ अधिकतम क्षमता वाले आंतरिक गोदामों (197 आंतरिक गोदामों में से) का चयन किया गया। इस प्रकार, भौतिक सत्यापन हेतु कुल पन्द्रह (चार बेस और ग्यारह आंतरिक) गोदामों का चयन किया गया था, जैसे कि **परिशिष्ट-1.2.2** में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, 910 एफ पी एस में से चयनित गोदामों से सम्बद्ध 90 (10 प्रतिशत) तथा 34,130 राशन कार्ड धारकों में से चयनित एफ पी एस से सम्बद्ध 3,413 (10 प्रतिशत) लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया।

1.2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए मानदण्ड निम्न स्रोतों से प्राप्त किए गए थे:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013।
- भारत सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001, 2004 और टी पी डी एस (नियंत्रण) आदेश 2015।
- टी पी डी एस परिचालनों के एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण की योजना के दिशानिर्देश।
- वेयरहाउस मैनुअल, वेयरहाउसिंग के संचालन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 और विभागीय मैनुअल-V।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश और सरकारी आदेश।

1.2.6 प्रवेश एवं बहिर्गमन गोष्ठी

विभाग के साथ 27 फरवरी 2018 को एक प्रवेश गोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और मानदण्डों पर चर्चा की गई थी। शासन के साथ 31 अक्टूबर 2018 को एक निकास गोष्ठी भी आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। शासन/विभाग के विचारों को रिपोर्ट में उपयुक्त जगहों पर सम्मिलित किया गया है।

¹⁰ किच्छा और रुद्रपुर (कुमाऊँ), ज्वालापुर और बहादुराबाद (गढ़वाल)।

¹¹ चयनित जनपद उधमसिंह नगर में कोई आंतरिक गोदाम नहीं था, एवं चयनित जनपद पौड़ी के अंतर्गत तहसील श्रीनगर में केवल एक आंतरिक गोदाम था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण एवं पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण

1.2.7 टी पी डी एस संचालन का एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण

विभिन्न चुनौतियों जैसे टी पी डी एस सप्लाई चैन में खाद्यान्न की लीकेज व विपथन; जाली और नकली राशन कार्ड; समावेशन और बहिष्करण त्रुटियाँ; पारदर्शिता की कमी; और कमजोर शिकायत निवारण और सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र पर ध्यान देने हेतु, भारत सरकार ने 'टी पी डी एस के एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण' हेतु एक आयोजनागत योजना आरंभ (दिसम्बर 2012) की। एन एफ एस ए, जो सितम्बर 2013 में अधिनियमित किया गया था, ने भी इस बात पर जोर दिया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विपथन को रोकने हेतु एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण आवश्यक था। योजना के दो कम्पोनेंट¹² थे। **कम्पोनेंट I के अन्तर्गत, लाभार्थी डेटाबेस का डिजिटाइजेशन; एफ पी एस डेटाबेस का सृजन; और भण्डारण गोदाम डेटाबेस का सृजन सितम्बर 2015 में पूर्ण कर लिया गया था। तथापि, सप्लाई चैन मैनेजमेंट का कम्प्यूटरीकरण, जो मार्च 2013 तक पूरा होना था, अपूर्ण था। कम्पोनेंट II के अन्तर्गत एफ पी एस ऑटोमेशन भी अपूर्ण रहा, जबकि इसके पूरा होने की निर्धारित तिथि मार्च 2014 थी। लाभार्थी डेटाबेस के डिजिटाइजेशन में पाई गई कमियों की आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है:**

1.2.7.1 लाभार्थियों के चिन्हीकरण एवं डेटाबेस के डिजिटाइजेशन में देरी

एन एफ एस ए की धारा 10 (1) (बी) में निहित प्रावधानों के अनुसार, लाभार्थी का चिन्हीकरण और डिजिटाइजेशन अधिनियम के शुरू होने के 365 दिनों के भीतर पूरा किया जाना था। इस योजना के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी 2013 में बजट अनुमोदित किया गया था। चयनित फर्म के साथ जून 2014 को निष्पादित अनुबंध के अनुसार, फर्म को डिजिटाइजेशन फॉर्म में दिये गए सभी अनिवार्य फील्डों से संबन्धित डेटा की प्रविष्टि करनी थी, डेटा प्रविष्टि के बाद प्रविष्टि किए गए डेटा की हार्ड कॉपी प्रदान करनी थी और मूल राशन कार्ड / फॉर्म वापस करना था। डेटा प्रविष्टि का काम पूरा करने के लिए फर्म द्वारा प्रत्येक जिले में न्यूनतम पाँच डेटा एंट्री ऑपरेटर (डी ई ओ) तैनात किए जाने थे और कार्य, अनुबन्ध की तिथि से साठ दिनों के भीतर पूरा किया जाना था।

जनपदों में अपेक्षित कर्मचारियों की तैनाती न होने के कारण, सितम्बर 2014 के पहले सप्ताह तक, फर्म द्वारा 13 जनपदों में से केवल पाँच में ही डिजिटाइजेशन का काम शुरू किया गया। विभाग द्वारा, फर्म के अनुरोध पर काम पूरा करने का समय दो बार अर्थात् 5 जनवरी 2015 एवं 15 फरवरी 2015 तक बढ़ा दिया गया। इस बीच, फर्म द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण, सभी

¹² **कम्पोनेंट-I:** में राशन कार्ड/लाभार्थियों का डिजिटाइजेशन; एफ पी एस डेटाबेस का सृजन; भण्डारण गोदाम डेटाबेस का सृजन; सप्लाई चैन मैनेजमेंट का कम्प्यूटरीकरण शामिल था।

कम्पोनेंट-II: में एफ पी एस ऑटोमेशन जिसमें लाभार्थियों के प्रमाणीकरण के लिए एफ पी एस पर पॉइंट ऑफ़ सेल (पी ओ एस) उपकरणों की स्थापना, एफ पी एस पर लाभार्थियों को बिक्री की रिकॉर्डिंग और केंद्रीय सर्वर में लेनदेन डेटा अपलोड करना शामिल था।

जिलाधिकारियों को अपने स्तर पर समान निविदा दरों पर कार्य करने के निर्देश (दिसम्बर 2014) दिये गए थे। जैसा कि फर्म विस्तारित अवधि के भीतर डिजिटाइजेशन कार्य को पूरा नहीं कर सकी, अतः शेष कार्य विभाग द्वारा सितम्बर 2015 तक पूरा किया गया। अंततः, राज्य में एक वर्ष की देरी से, अक्टूबर 2015 में एन एफ एस ए लागू किया गया। विभाग द्वारा कार्य में होने वाली देरी और कमियों की अनदेखी करते हुए, अनुबंध को समाप्त करने और एक नई सक्षम फर्म का चयन करने के स्थान पर फर्म को अनुचित समय वृद्धि प्रदान की गयी। **परिणामस्वरूप, न केवल एन एफ एस ए के कार्यान्वयन में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ बल्कि 26.26 लाख अपात्र लाभार्थियों को विलम्बित अवधि में खाद्यान्न भी प्रदान किया गया जोकि डिजिटाइजेशन के परिणामस्वरूप निरस्त कर दिये गए थे।** इंगित किए जाने पर, संयुक्त आयुक्त ने अवगत कराया (दिसम्बर 2018) कि राज्य में जून 2013 में हुई आपदा के कारण कार्य में देरी हुई तथा कार्य हेतु दिसम्बर 2013 में निविदाएँ आमंत्रित की गयी थीं। राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण, फर्म द्वारा कुछ कठिनाइयाँ व्यक्त की गईं एवं तदनुसार समय वृद्धि प्रदान की गयी थी। आगे कहा गया कि फर्म द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण विभाग द्वारा स्वयं जिला स्तर पर डिजिटाइजेशन कार्य कराया गया था।

1.2.7.2 लाभार्थी डेटाबेस का त्रुटिपूर्ण डिजिटाइजेशन

मई 2018 तक, विभाग विद्यमान राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (ई आर सी एम एस) सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा था। ई आर सी एम एस डेटाबेस को राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (आर सी एम एस) सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित (मई 2018) किया गया। विभाग से, एन एफ एस ए से संबन्धित राशन कार्ड धारकों और इकाइयों का डेटाबेस प्राप्त किया (जून और अगस्त 2018) गया और उसका विश्लेषण किया गया। निम्नलिखित कमियाँ, जो उदाहरणात्मक हैं, पायी गयीं:

- डेटाबेस में अभिलेखों की विशिष्टता और दोहराव की कमी को सुनिश्चित करने हेतु कोई विशिष्ट पहचान फील्ड नहीं थी। **राज्य स्तर पर, कई राशन कार्डों को समान आधार नंबर (573 तक) से सम्बद्ध किया गया था।** चयनित जनपदों में, टिहरी में 573 राशन कार्ड तक; पौड़ी में 51 राशन कार्ड तक; अल्मोड़ा में 107 राशन कार्ड तक और उधमसिंह नगर में 30 राशन कार्ड तक, एक ही आधार नंबर से सम्बद्ध किए गए थे;
- **राज्य में एक ही मतदाता पहचान पत्र से कई (15,729 तक) राशन कार्डों को सम्बद्ध किया गया था।** इसके अलावा, राशन कार्डों को, एन ए, यू पी, एन यू एल एल, मल्टीपल जीरो आदि जैसे अनुचित मतदाता पहचान पत्र संख्या से भी सम्बद्ध किया गया था। चयनित जनपदों में, एक ही मतदाता पहचान पत्र के साथ कई राशन कार्डों (आठ तक) को सम्बद्ध किया गया था;
- **चयनित जनपदों में एक ही बी पी एल, आई डी के साथ कई राशन कार्डों (38 तक) को सम्बद्ध किया गया था;**
- चयनित जनपदों में, समान नाम, वोटर आई डी और एफ पी एस के नाम से कई राशन कार्ड (चार तक) थे; तथा

- राज्य के 13,21,000 राशन कार्डों में से 1,82,515 में आय का विवरण नहीं था। इसी प्रकार, टिहरी में 88,000 में से 12,055 में; पौड़ी में 91,000 में से 35,325 में; अल्मोड़ा में 80,000 में से 15,014 में; और ऊधमसिंह नगर में 2,13,000 राशन कार्डों में से 14,131 में आय के विवरण का उल्लेख नहीं था।

उपर्युक्त कमियों ने दर्शाया कि डेटा को डिजिटाइज़ करते समय न तो सॉफ्टवेयर में इनपुट कंट्रोल और वैलिडेशन चैक्स लागू किए गए और ना ही आवेदकों से प्रामाणिक दस्तावेज अर्थात् वोटर आई डी, बी पी एल आई डी और आधार ही प्राप्त किए गए। इसलिए, विभाग डेटा की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में विफल रहा।

इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया (अक्टूबर, 2018) कि इनपुट कंट्रोल और वैलिडेशन चैक्स को सशक्त किया जा रहा था, और यू आई डी ए आई से आधार संख्या सत्यापित की जा रही थी। उन्होंने आगे अवगत कराया कि लेखापरीक्षा द्वारा डेटाबेस में पाई गई कमियों को जल्द ही संशोधित किया जाएगा।

यद्यपि लाभार्थी डेटाबेस का डिजिटाइजेशन, एफ पी एस डेटाबेस का सृजन और भण्डारण डेटाबेस का सृजन पूरा हो गया था, लगभग एक वर्ष की देरी के बाद लाभार्थियों के डिजिटाइजेशन को कई कमियों के साथ पूरा किया गया था, जैसा कि आधार, वोटर आई डी और बी पी एल आई डी को कई राशन कार्डों से सम्बद्ध किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में एन एफ एस ए के कार्यान्वयन में देरी हुई। तथापि, सप्लाइ चैन मैनेजमेंट और एफ पी एस स्वचालन का कम्प्यूटरीकरण अपूर्ण रहा। इस प्रकार, विभाग पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रहा और एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण का वास्तविक उद्देश्य विफल रहा जैसा कि प्रस्तर संख्या 1.2.9.2, 1.2.10.2 और 1.2.10.3 में चर्चा की गयी है।

राज्य सरकार सप्लाइ चैन और एफ पी एस स्वचालन के उचित कार्यान्वयन के माध्यम से पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न के वितरण को सुनिश्चित कर सकती है।

1.2.8 लाभार्थियों का चिन्हीकरण

एन एफ एस ए से पूर्व, राज्य में कुल 128.75 लाख इकाइयाँ¹³ थीं जो पूर्ववर्ती टी पी डी एस के अंतर्गत आच्छादित थीं। राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन के बाद, एन एफ एस ए के अंतर्गत कुल लाभार्थी 61.92 लाख हो गये थे। राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत अन्य 40.57 लाख लाभार्थी आच्छादित किए गए थे। इस प्रकार, राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन के परिणामस्वरूप 26.26 लाख इकाइयाँ {128.75 - (61.92 + 40.57)} समाप्त की गयीं। इस तथ्य के बावजूद कि लाभार्थी के डेटाबेस का डिजिटाइजेशन कई कमियों से भरा हुआ था, राज्य सरकार पूर्ववर्ती टी पी डी एस में प्रचलित 26.26 लाख अपात्र लाभार्थियों को निरस्त कर सकी। लेखापरीक्षा ने चयनित जनपदों में पात्र

¹³ राशन कार्ड में उल्लिखित सदस्यों की संख्या।

लाभार्थियों की चिन्हीकरण की प्रक्रिया की जाँच की, जिसमें पाई गई कमियों कि चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है:

1.2.8.1 परिवारों के चिन्हीकरण में अनियमितता

भारत सरकार ने वर्ष 2013 में एन एफ एस ए अधिनियमित किया। अधिनियम के अनुसार, उत्तराखण्ड में इस योजना के अंतर्गत 61.94 लाख लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया जाना था। उत्तराखण्ड सरकार ने पात्रता मानदण्ड, पात्र परिवारों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया तथा एन एफ एस ए में आच्छादित करने हेतु जनपद वार आबादी विनिर्दिष्ट करते हुए जारी (जुलाई-अगस्त 2013) किए गए दिशानिर्देश के अनुसार, प्रचलित ए ए वाई और बी पी एल लाभार्थियों के अतिरिक्त, कतिपय परिवारों, जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक हो को, जैसा कि **फुटनोट 6** में उल्लेख किया गया है, का चिन्हीकरण किया जाना था। इनका चिन्हीकरण करने के बाद, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए और अधिक परिवारों को आच्छादित किया गया। इसके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास विभाग (आर डी डी), उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तैयार की गई ग्रामवार बी पी एल सूची को संज्ञान में लिया जाना था तथा शहरी क्षेत्रों में ₹15,000 तक की आय वाले परिवारों को एन एफ एस ए के अंतर्गत आच्छादित किया जाना था। आय प्रमाण हेतु, आय प्रमाणपत्र जो नायब तहसीलदार से नीचे के पद के अधिकारी द्वारा जारी न किया गया हो, आवश्यक था।

इसके अतिरिक्त, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में, लाभार्थियों का चयन ग्राम विकास अधिकारी और लेखपाल द्वारा ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में किया जाना था, और शहरी क्षेत्रों में, पात्र परिवारों का चयन खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और स्थानीय निकाय कार्मिकों द्वारा किया जाना था। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, प्रचलित ए ए वाई और बी पी एल लाभार्थियों के अतिरिक्त एन एफ एस ए के अंतर्गत 38.76 लाख लाभार्थियों का चिन्हीकरण नीचे **तालिका-1.2.2** में दिए गए विवरणानुसार की गई:

तालिका-1.2.2: एन एफ एस ए के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों का विवरण

(आँकड़े लाख में)

अवधि	ए ए वाई		बी पी एल		ए पी एल		योग	
	कार्ड	इकाई	कार्ड	इकाई	कार्ड	इकाई	कार्ड	इकाई
एन एफ एस ए से पूर्व	1.91	8.26	3.07	14.90	23.20	105.59	28.18	128.75
एन एफ एस ए के बाद	ए ए वाई		प्राथमिक परिवार (पी एच एच)				योग	
	कार्ड	इकाई	कार्ड	इकाई	कार्ड	इकाई	कार्ड	इकाई
	1.82	7.69	11.38		54.23		13.20	61.92

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

चयनित जनपदों¹⁴ की लेखापरीक्षा के दौरान, निम्नलिखित कमियाँ पाई गयीं:

¹⁴ टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और उधमसिंह नगर।

- लाभार्थियों के चिन्हीकरण के लिए उपयोग किए गए आवेदन फॉर्म में अपेक्षित फील्ड जो कि कतिपय परिवारों के चयन के लिए आवश्यक थे जैसा कि फुट नोट 6 में इंगित किया है, नहीं थे। इनकी अनुपस्थिति में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि केवल पात्र लाभार्थी ही योजना के अंतर्गत आच्छादित किए गए थे।
- जनपद उधमसिंह नगर में, आय प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना 2.08 लाख परिवारों¹⁵ को एन एफ एस ए के अंतर्गत राशन कार्ड जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए आय प्रमाणपत्रों की उपलब्धता देखने हेतु दो तहसीलों अर्थात् नई टिहरी की सात तहसीलों में से टिहरी और अल्मोड़ा की सात तहसीलों में से द्वाराहाट के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। अभिलेखों से पता चला कि 795 आवेदनपत्रों¹⁶ में से केवल 258 आवेदनपत्रों¹⁷ के साथ आय प्रमाण पत्र संलग्न पाये गए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के चिन्हीकरण के लिए ग्राम सभाओं की खुली बैठक से संबन्धित अभिलेखों का रख-रखाव किसी भी चयनित जनपद में नहीं पाया गया।
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार की गई बी पी एल सूची पर विचार किया जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्येक नमूना जनपद में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी बी पी एल सूची का रैनडम आधार पर लिए गए एक गाँव के एन एफ एस ए में आच्छादित परिवारों से मिलान किया गया। यह पाया गया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चिन्हित 284 बी पी एल परिवारों में से 114 परिवारों को योजना से बाहर कर केवल 170 परिवारों को एन एफ एस ए के अंतर्गत आच्छादित किया गया था।
- निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास अधिकारियों और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकाय/आपूर्ति निरीक्षकों के माध्यम से प्रचलित/ नए लाभार्थियों को आवेदन पत्र जारी किए। तत्पश्चात उन्हें वापस एकत्र किया गया और उनके डिजिटाइजेशन के बाद राशन कार्ड जारी किए गए।

इंगित किए जाने पर, तथ्यों को स्वीकारते हुए, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया (अक्टूबर 2018) कि सुधारात्मक उपाय किए जा रहे थे, लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कमियों पर भविष्य में ध्यान दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एन एफ एस ए के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की चिन्हीकरण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एन एफ एस ए के अंतर्गत पात्र परिवारों को शामिल नहीं किया गया और अपात्र परिवारों को शामिल किया गया था, जैसा कि आगामी प्रस्तर में चर्चा की गयी है।

¹⁵ ए ए वार्ड: 17,634 + पी एच एच: 1,90,613 = 2,08,247 (अर्थात् 2.08 लाख)।

¹⁶ टिहरी के 475 और द्वाराहाट के 320।

¹⁷ टिहरी के 255 और द्वाराहाट के तीन।

1.2.8.2 पात्र परिवारों को शामिल न करना और अपात्र परिवारों को शामिल करना

यह सत्यापित करने हेतु कि क्या एन एफ एस ए में आच्छादित किए जाने हेतु पात्र परिवारों का विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार चिन्हीकरण किया गया था और यह सुनिश्चित करने हेतु कि योजनान्तर्गत कोई अपात्र परिवार सम्मिलित नहीं किया गया, जनपद हरिद्वार¹⁸ के दो चयनित गोदामों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रैंडम आधार पर चयनित शहरी मलिन बस्तियों¹⁹, आश्रमों²⁰, अनाथ आश्रमों²¹ और सामान्य बस्तियों²² का एक संयुक्त भौतिक सत्यापन²³ किया गया। जिसमें यह पाया गया कि:

- इस तथ्य के बावजूद कि वे दैनिक मजदूर, भिखारी और रिक्शा चालक आदि की श्रेणी के थे और एन एफ एस ए के अंतर्गत पात्र थे, 147 पात्र परिवारों में से 35 (24 प्रतिशत) को राशन कार्ड जारी नहीं किए गए।
- इस तथ्य के बावजूद कि सभी घरों में मजदूर, रिक्शा चालक, भिखारी, नौकरानी आदि शामिल थे 147 पात्र परिवारों में से 50 (34 प्रतिशत) को एन एफ एस ए (पी एच एच) कार्ड के स्थान पर राज्य खाद्य योजना²⁴ के कार्ड जारी किए गए थे।
- दूसरी ओर, इस तथ्य के बावजूद कि ये परिवार एन एफ एस ए के अंतर्गत आच्छादित किए जाने हेतु पात्र नहीं थे, क्योंकि उनकी मासिक आय ₹18,000 और ₹60,000 के बीच थी, 147 परिवारों में से छः परिवारों (4 प्रतिशत) को एन एफ एस ए (पी एच एच) कार्ड जारी किए गए थे।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार से प्राप्त की गयी सूचना के अनुसार, 2014-15 तक हरिद्वार में 238 एच आई वी रोगी थे। तथापि, डी एस ओ द्वारा एन एफ एस ए के अंतर्गत एच आई वी रोगियों को आच्छादित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।
- इस तथ्य के बावजूद कि दो अनाथ आश्रमों नामतः मातृ आँचल और अनाथ शिशु पालन ट्रस्ट में (अगस्त 2018 तक) क्रमशः 70 और 62 निवासी थे, को राशन कार्ड जारी नहीं किए गए।
- अजरधाम आश्रम के 75 निवासियों में से 45 निवासियों को वंचित रखते हुए, 30 को तीन राशन कार्ड जारी किए गए।

¹⁸ ज्वालापुर एवं बहादुराबाद, जनपद हरिद्वार।

¹⁹ इन्दिरा बस्ती, बैरागी कैंप और लक्कड़/खत्ता बस्ती (हरिद्वार)।

²⁰ अजरधाम महिला आश्रम और चिदानंद कुष्ठ आश्रम।

²¹ अनाथ शिशु पालन ट्रस्ट हरिद्वार और मातृ आँचल हरिद्वार।

²² सुभाष नगर, पावडोई, गणेशपुरम, कनखल, बहादुराबाद और जगजीतपुर।

²³ जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार के कार्मिकों के साथ भौतिक सत्यापन किया गया।

²⁴ राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत पाँच कि ग्रा गेहूँ ₹ 8.60 प्रति कि ग्रा और 10 कि ग्रा चावल ₹ 15 प्रति कि ग्रा की दर से वितरित किया जाता है जबकि एन एफ एस ए के अंतर्गत रियायती दर ₹ तीन प्रति कि ग्रा चावल तथा ₹ दो प्रति कि ग्रा गेहूँ से अधिक नहीं, दर पर वितरित किया जाता है।

इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया (अक्टूबर 2018) कि अपात्र परिवारों को बाहर करने और एन एफ एस ए के अंतर्गत पात्र परिवारों को शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे थे।

यह नमूना जाँच पर आधारित है। सरकार/विभाग को राज्य भर में एन एफ एस ए के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को हटाने तथा पात्र लाभार्थियों को सम्मिलित करने हेतु ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की आवश्यकता है।

पात्र लाभार्थियों का चिन्हीकरण करते समय ग्रामीण विकास विभाग की बी पी एल सूची का संज्ञान नहीं लिया गया, लाभार्थियों से आय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों के चयन की निर्दिष्ट प्रक्रिया (जैसे राशन कार्ड जारी करने हेतु आवेदनपत्र में वांछित फील्ड्स का न होना, लाभार्थियों से आय प्रमाणपत्र प्राप्त न करना एवं सभी बी पी एल परिवारों को सम्मिलित न करना इत्यादि) का भी पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को शामिल नहीं किया गया और अपात्र परिवारों को शामिल किया गया।

राज्य सरकार योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के चिन्हीकरण के लिए विशिष्ट पात्रता मानदण्ड एवं प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित सकती है ताकि पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहें। विभाग को अपात्र परिवारों को हटाने और पात्र परिवारों को सम्मिलित करने हेतु लाभार्थी डेटाबेस की आवधिक समीक्षा करनी चाहिए।

1.2.9 खाद्यान्न की अधिप्राप्ति

भारत सरकार द्वारा, अधिप्राप्ति की दक्षता को बढ़ाने और स्थानीय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) का लाभ प्रदान करने के साथ ही पारगमन लागत को बचाने की दृष्टि से वर्ष 1997-98 में खाद्यान्न की विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति (डी सी पी) योजना शुरू की गयी। उत्तराखण्ड राज्य ने 2002-03 और 2003-04 में क्रमशः चावल और गेहूँ के लिए डी सी पी को अपनाया। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार स्वयं और एजेंसियों के माध्यम से भारत सरकार की ओर से एम एस पी पर गेहूँ और धान की अधिप्राप्ति करती है। केंद्र सरकार हर साल इस तरह की अधिप्राप्ति पर किए गए सम्पूर्ण व्यय की, प्रति वर्ष जारी की गयी कॉस्ट शीट के अनुसार प्रतिपूर्ति करती है। डी सी पी के अन्तर्गत धान की अधिप्राप्ति में पाई गई अनियमितताओं की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है:

1.2.9.1 किसानों को एम एस पी के भुगतान का सत्यापन न किया जाना

2014-15 से 2016-17 के वर्षों के दौरान, कमीशन एजेंटों (सी ए) के माध्यम से 23.45 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई, जिसके सापेक्ष ₹3,701.70 करोड़ का भुगतान किया गया

था। किसानों को एम एस पी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, उत्तराखण्ड सरकार ने (सितम्बर 2014) आदेश जारी किए जिसमें निर्दिष्ट था कि नियत दस्तावेजों²⁵ को सी ए द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों के साथ संलग्न किया जाना था। वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक सी ए संबन्धित ₹ 20.40 करोड़ के 299 भुगतान देयकों की नमूना-जाँच ने कई अनियमितताओं खुलासा किया, जैसा कि नीचे उल्लिखित है:

- 191 मामलों में, 6आर²⁶ फॉर्म में किसानों के हस्ताक्षर नहीं थे।
- 11 मामलों में, 6आर फॉर्म संलग्न नहीं पाया गया।
- 228 मामलों में, 6आर फॉर्म में नीलामी की तारीख²⁷ का उल्लेख नहीं किया गया था।
- सभी मामलों में, किसानों को भुगतान के साक्ष्य, देयकों के साथ संलग्न नहीं पाए गए।

उपरोक्त कमियों के आलोक में, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि सी ए द्वारा किसानों से धान, एम एस पी पर खरीदा गया था। इंगित किए जाने पर, वरिष्ठ क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों, कुमाऊँ और गढ़वाल ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए, अवगत कराया (मई और जून 2018) कि प्रत्येक कार्य दिवस पर खाद्यान्न और परिवहन से संबन्धित 500 बिलों को पारित किया गया था और कार्य के अधिक दबाव के कारण, राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इस प्रकार, विभाग किसानों को एम एस पी का भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहा। विभाग के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त सत्यापन में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई थी, जिसमें सर्वेक्षण में शामिल 32 किसानों²⁸ में से 30 ने कहा था कि उन्हें सी ए द्वारा ₹ 50 से ₹ 100 के बीच एम एस पी से कम कीमत का भुगतान किया गया था।

यह नमूना जाँच पर आधारित है। सरकार/विभाग को सुधारात्मक उपाय करने और बिल पास करते समय यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं।

1.2.9.2 आवश्यक मात्रा से अधिक चीनी की अधिप्राप्ति

भारत सरकार ने चीनी मिलों से लेवी की बाध्यता को हटाने का निर्णय (अप्रैल 2013) लिया और एक नई योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से चीनी का क्रय किया जाना

²⁵ सी ए द्वारा 9 आर में, 6 आर की स्व-प्रमाणित प्रति (इस साक्ष्य के रूप में कि अधिप्राप्ति किसानों से की गयी है), किसानों को उनसे अधिप्राप्त धान के सापेक्ष किए गए भुगतान का साक्ष्य, मंडी लेबर चार्ज के भुगतान का साक्ष्य और खरीद पर भुगतान किए गए वैट का साक्ष्य संलग्न करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

²⁶ कृषि उत्पादन मंडी नियामक के नियम 68 (2) के अनुसार, विनियमित मंडी में विक्रेता को लेन देन का विवरण जैसे किसान का नाम, विक्रय की गई मात्रा, नीलामी की तारीख, बिक्री की दर और किसानों के हस्ताक्षर दर्ज करने हेतु फॉर्म 6 आर जारी किए जाते हैं।

²⁷ राज्य सरकार के (अक्टूबर 2013) के आदेश के अनुसार किसानों को एम एस पी सुनिश्चित करने हेतु मंडी में नीलामी की जानी थी।

²⁸ सर्वे हेतु आर एफ सी गढ़वाल के नियंत्रण में संचालित दो खरीद केन्द्रों यथा ज्वालापुर और बहादुरबाद से किसानों की सूची प्राप्त की गयी थी।

था और भारत सरकार द्वारा प्रचलित आवंटित मात्रा तक, टी पी डी एस के अंतर्गत ₹13.50 प्रति किलोग्राम खुदरा मूल्य की दर से वितरित मात्रा के सापेक्ष, ₹18.50 प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करनी थी। यह देखा गया कि 2015-16 और 2016-17 के दौरान 1.31 लाख²⁹ मीट्रिक टन की आवश्यक मात्रा के सापेक्ष ₹489.69 करोड़ मूल्य की 1.46 लाख मीट्रिक टन चीनी का क्रय किया गया, जो 0.15 लाख मीट्रिक टन अधिक थी। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि एन एफ एस ए के कार्यान्वयन के बाद, राशन कार्ड और इकाइयों की संख्या में क्रमशः 5.09 लाख और 26.26 लाख की कमी आई, लेकिन तदनुसार निर्धारण नहीं किया गया और प्रचलित आवंटन के अनुसार चीनी की मात्रा का क्रय किया गया। इससे भारत सरकार को सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करने के कारण ₹28.55 करोड़³⁰ की हानि हुई। इंगित किए जाने पर, मुख्य विपणन अधिकारी ने अवगत कराया (जून 2018) कि क्रय राज्य के निर्धारित कोटे के अनुसार किया गया और क्रय की गई चीनी को मौजूदा लाभार्थियों को वितरित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लाभार्थियों की संख्या में आई कमी पर ध्यान नहीं दिया गया तथा वास्तविक आवश्यकता से अधिक चीनी के क्रय किए जाने से 0.15 लाख मीट्रिक टन अधिक का वितरण किया गया। इस तथ्य के बावजूद कि लाभार्थियों की संख्या में 26.26 लाख की कमी आई, वास्तविक आवश्यकता से 0.15 लाख मीट्रिक टन अधिक चीनी का क्रय एवं वितरण किया गया। इस प्रकार, अतिरिक्त चीनी की खुले बाजार में बिक्री की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

1.2.9.3 सूखन पर ₹ 38.98 लाख का अतिरिक्त भुगतान

भारत सरकार द्वारा जारी कॉस्ट शीट के अनुसार, मिलर्स को एम एस पी पर एक प्रतिशत की दर से सूखन³¹ का भुगतान किया जाना था। अभिलेखों (अगस्त 2018) की नमूना जाँच के दौरान, यह देखा गया कि वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में, सूखन पर एक प्रतिशत के स्थान पर एम एस पी के सौ प्रतिशत की दर से मिलर्स को भुगतान किया गया था। परिणामस्वरूप, सात मिलर्स³² को ₹38.98 लाख जैसा कि परिशिष्ट-1.2.3 में वर्णित है का अधिक भुगतान किया गया था। इंगित किये जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया (अक्टूबर 2018) कि सूखन का भुगतान एम एस पी के एक प्रतिशत की दर से किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भुगतान एक प्रतिशत के बजाय एम एस पी के सौ प्रतिशत पर किया गया था।

²⁹ अप्रैल 2015 से सितम्बर 2015: कुल इकाइयों 1,28,75,210x0.5 कि ग्रा. x 6 माह/1,000=38,625.63 मीट्रिक टन, अक्टूबर 2015 से मार्च 2017: कुल इकाइयों: 1,02,49,007x0.5 कि ग्रा. x 18 माह/1,000=92,241.063 मीट्रिक टन
कुल = 38,625.63 + 92,241.063 = 1,30,866.693 मीट्रिक टन (अर्थात् 1.31 लाख मीट्रिक टन)।

³⁰ भारत सरकार को हानि: चीनी की अतिरिक्त मात्रा (15,432.807 मीट्रिक टन अर्थात् 0.15 लाख मीट्रिक टन) x ₹ 18,500 प्रति मीट्रिक टन = ₹ 28.55 करोड़।

³¹ धान अधिकतम 17 प्रतिशत नमी पर खरीदा जाता है और 14 प्रतिशत से 15 प्रतिशत नमी पर मिलिंग की जाती है; खरीद और मिलिंग के दौरान हुए नुकसान को सूखन कहा जाता है।

³² महावीर राइस मिल ज्वालापुर, हरिद्वार; गंगा राइस मिल, रुड़की; बालाजी राइस मिल, बहादुराबाद; शिवालिक राइस मिल, बहदुराबाद, हरिद्वार; एस आर उद्योग, कोटद्वार; गणेश राइस मिल, हरिद्वार; और के पी इंडस्ट्रीज मंगलौर, हरिद्वार।

1.2.9.4 धान/ चावल की गुणवत्ता की जाँच

धान की अधिप्राप्ति करते समय मंडियों में केवल नमी की जाँच की जाती है। अधिप्राप्ति के बाद, कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को धान उपलब्ध कराया जाता है। बेस गोदाम में कस्टम मिल्ड चावल प्राप्त करते समय चावल की गुणवत्ता की जाँच निर्धारित गुणवत्ता मानकों जैसे टूटे हुए अनाज, फ़ॉरेन मैटर्स, क्षतिग्रस्त/आंशिक क्षतिग्रस्त अनाज, बदरंग अनाज, चाकी अनाज, लाल अनाज, डिहस्कड अनाज, इत्यादि (परिशिष्ट-1.2.4) के अनुसार की जाती है। इन जाँचों के संचालन के लिए बेस गोदामों में डिस्पेंसिंग बैलेंस, स्कूप सेट, पॉम हस्कर, चिमटी, सीड कैलिपर, पेट्री डिश, नमी मीटर, डी-हस्क सेट, इत्यादि उपकरण होना आवश्यक है। मिलर्स से चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूनाकरण और विश्लेषण विधि, भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) (परिशिष्ट-1.2.5) द्वारा दी गई विधि के अनुसार किया जाना था।

आर एफ सी के अंतर्गत संचालित गोदामों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि मिलर्स से प्राप्त प्रत्येक चावल की लॉट के सापेक्ष विश्लेषण रजिस्टर में लगभग समान विनिर्देश (निर्धारित सीमा के अन्दर) दर्ज किए गए थे। तथापि, गोदामों में चयन विधि और गुणवत्ता विश्लेषण के समर्थन में दस्तावेजों का रख-रखाव नहीं पाया गया। इन दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि मिलर्स से चावल प्राप्त करते समय निर्धारित गुणवत्ता जाँच की गई थी। इसे, इन तथ्यों के प्रकाश में भी देखा जा सकता है कि अक्टूबर 2017 में की गई एक विभागीय जाँच के दौरान, 0.06 लाख मीट्रिक टन घटिया चावल पाया गया। इसके अतिरिक्त, चयनित बेस गोदामों के भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि विभाग द्वारा गेहूँ, धान और चावल की गुणवत्ता जाँच हेतु बेस गोदामों/केन्द्रों को कोई उपकरण अधिप्राप्त या उपलब्ध नहीं कराये गए। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया (अक्टूबर 2018) कि नवीनतम परीक्षण किट और उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए कार्यवाही की जा रही थी।

किसानों को एम एस पी का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को लाभ नहीं मिला। वास्तविक आवश्यकता से चीनी की अधिक अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के कारण भारत सरकार को ₹ 28.55 करोड़ का नुकसान हुआ एवं खुले बाजार में अतिरिक्त चीनी की बिक्री की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

राज्य सरकार सी ए के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति करते समय किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कर सकती है।

1.2.10 उठान और वितरण

विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार, एम एस पी योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की अधिप्राप्ति भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई), किसानों, सी ए और सहकारिता विभाग से की जाती है। अधिप्राप्ति के पश्चात, खाद्यान्न आर एफ सी के नियंत्रण में संचालित बेस/रेलहेड गोदामों में भण्डारित किए जाते

हैं। आगे, एफ पी एस के माध्यम से लाभार्थियों को वितरित किए जाने हेतु डी एस ओ के नियंत्रण में संचालित शासकीय आंतरिक गोदामों (जनपद की तहसील में स्थित) को उनकी माँग के अनुसार, खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। राशन कार्ड धारकों को केंद्रीय निर्गमन दर³³ पर खाद्यान्न वितरित किया जाता है। खाद्यान्न के उठान और वितरण की प्रक्रिया को दर्शाने वाला एक पिक्टोग्राफ **परिशिष्ट-1.2.6** में दर्शाया गया है। खाद्यान्नों के उठान और वितरण में पाई गई कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तर में की गई है:

1.2.10.1 देरी से खाद्यान्न का उठान

राज्य सरकार ने निर्देश दिया (जनवरी 2011) कि प्रत्येक माह आवंटन के अनुसार पूरी मात्रा में खाद्यान्न, आर एफ सी³⁴ द्वारा आंतरिक गोदामों को पूर्ववर्ती माह की 23 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रत्येक माह के प्रथम 15 दिन के भीतर लाभार्थियों को वितरण किए जाने हेतु खाद्यान्न, पूर्ववर्ती माह की 23 तारीख से महीने के आखिरी दिन के बीच आंतरिक गोदामों से एफ पी एस को आपूर्ति की जानी चाहिए। चयनित जनपदों के अभिलेखों के अनुसार, खाद्यान्न के उठान, आपूर्ति और वितरण में देरी का विवरण नीचे **तालिका-1.2.3** में दिया गया है:

तालिका-1.2.3 खाद्यान्न के उठान, आपूर्ति और वितरण में देरी का विवरण

एजेंसी का नाम	खाद्यान्न के उठान की तिथि	देरी
बेस गोदाम से आंतरिक गोदाम	पिछले माह की 23 तारीख तक	38 दिन तक
आंतरिक गोदाम से एफ पी एस	पिछले माह की 23 तारीख से अंतिम दिन तक	30 दिन तक
लाभार्थियों को वितरण	वर्तमान माह की 15 तारीख तक	एक से 15 दिन तक

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

विभिन्न स्तरों पर आपूर्ति में देरी ने अंततः पात्र लाभार्थियों को प्रभावित किया, जैसा कि लाभार्थी सर्वे से पुष्टि हुई, जिसमें 3,413 में से 3,218 लाभार्थियों (94.28 प्रतिशत) ने अवगत कराया था कि उन्हें खाद्यान्न देरी से मिल रहा था। इस प्रकार, पात्र लाभार्थियों को समय से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित नहीं किया गया। इंगित किए जाने पर, डी एस ओ पौड़ी और अल्मोड़ा ने अवगत कराया (मार्च- अप्रैल 2018) कि आंतरिक गोदामों पर अपर्याप्त भण्डारण स्थान और परिवहन वाहनों की कमी के कारण, खाद्यान्न का समय पर उठान और वितरण सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि दुर्गम और पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित गोदामों में भण्डारण क्षमता की भारी कमी देरी का कारण थी। उत्तर को इस संदर्भ में देखा जाना है कि विभाग लेखापरीक्षा अवधि के दौरान गोदामों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने में विफल रहा और उनके पास कोई ठोस योजना नहीं थी, जैसा कि **प्रस्तर संख्या 1.2.11.4** में चर्चा की गई है।

³³ गेहूँ: ₹ दो प्रति कि ग्रा, चावल: ₹ तीन प्रति कि ग्रा।

³⁴ गढ़वाल मण्डल के जनपदों हेतु आर एफ सी, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल के जनपदों हेतु आर एफ सी, कुमाऊँ।

डी एस ओ टिहरी के अंतर्गत गजा में, जो चयनित आंतरिक गोदाम में से एक था, को रैंडमली जाँच हेतु लिया गया था, यह पाया गया था कि भण्डारण क्षमता में 94.16 मीट्रिक टन की कमी थी। इसके अतिरिक्त, टिहरी और अल्मोड़ा के चयनित जनपदों के निविदा दस्तावेजों की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि जिन ट्रांसपोर्टरों के पास केवल एक या दो ट्रक थे, उनके साथ, एक से अधिक गोदामों हेतु परिवहन अनुबंध किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यकता के अनुसार ट्रकों की उपलब्धता नहीं थी। ट्रक मालिकों को समय पर खाद्यान्न के उठान हेतु पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध न कराने हेतु नोटिस भी जारी किए गए थे। इंगित किए जाने पर, डी एस ओ अल्मोड़ा ने तथ्यों (दिसम्बर 2018) को स्वीकार किया और अवगत कराया कि भविष्य में परिवहन अनुबंधों के संबन्ध में सावधानी बरती जाएगी।

1.2.10.2 चावल और गेहूँ का अधिक वितरण

विभाग द्वारा प्रदान की गयी प्रचलित राशन कार्ड और इकाइयों की संख्या, जैसा कि **परिशिष्ट-1.2.7** और **परिशिष्ट-1.2.7 अ** में वर्णित है, के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित मापदंडों³⁵ के अनुसार बी पी एल और पी एच एच के लिए चावल और गेहूँ की आवश्यकता का आंकलन किया गया था। यह पाया गया कि वितरण वास्तविक आवश्यकता से अधिक किया गया था, जैसा कि नीचे **तालिका-1.2.4** में उल्लिखित है:

तालिका-1.2.4: वास्तविक आवश्यकता से अधिक वितरण का विवरण

(मात्रा लाख मीट्रिक टन में)

अवधि	श्रेणी	चावल					गेहूँ				
		आरक्यू*	ए	एल	डी	अधिक	आरक्यू*	ए	एल	डी	अधिक
2013-14 - 2017-18	ए ए वाई	2.60	2.60	2.67	2.66	0.06	1.32	1.33	1.36	1.34	0.02
2013-14 - सितम्बर 2015	बी पी एल	2.14	2.37	2.56	2.58	0.44	1.09	1.14	1.27	1.30	0.21
अक्टूबर 2015 - 2017-18	पी एच एच	4.88	5.02	5.11	5.01	0.13	3.25	3.08	3.15	3.11	0.00
योग		9.62	9.99	10.34	10.25	0.63	2.41	5.55	5.78	2.64	0.23³⁶

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

आर क्यू - आवश्यक मात्रा, ए - आवंटन, एल - उठान और डी - वितरण।

(*) आवश्यक मात्रा का आंकलन लेखापरीक्षा द्वारा किया गया।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ₹140.13 करोड़ मूल्य का 0.63 लाख मीट्रिक टन चावल और ₹9.83 करोड़ मूल्य का 0.23 लाख मीट्रिक टन गेहूँ (ए ए वाई एवं बी पी एल श्रेणी के लिए) वास्तविक आवश्यकता से अधिक वितरित किया गया था। मापदण्डों के अनुसार, उपरोक्त अवधि के दौरान सभी श्रेणियों में चावल और गेहूँ का आवंटन/वास्तविक आवश्यकता से अधिक उठान था। चयनित जनपदों में भी चावल और गेहूँ का अधिक वितरण देखा गया था, जैसा कि **परिशिष्ट-1.2.8**

³⁵ ए पी एल (चावल 5 कि ग्रा और गेहूँ 10 कि ग्रा प्रति कार्ड); बी पी एल (चावल 23.200 कि ग्रा और गेहूँ 11.800 कि ग्रा प्रति कार्ड); ए ए वाई (चावल 24.600 कि ग्रा और गेहूँ 10.400 कि ग्रा प्रति कार्ड) एन एफ एस ए के कार्यान्वयन के बाद चावल 21.700 कि ग्रा और गेहूँ 13.300 कि ग्रा प्रति कार्ड); पी एच एच (चावल 3.00 कि ग्रा और गेहूँ 2.00 कि ग्रा प्रति इकाई)।

³⁶ गेहूँ की अधिक मात्रा की गणना ए ए वाई व बी पी एल श्रेणी के अंतर्गत की गयी थी।

में वर्णित है। इंगित किए जाने पर, संयुक्त आयुक्त ने अवगत कराया (अगस्त 2018) कि यह डिजिटाइजेशन से पहले राशन कार्डों में दोहराव के कारण था और डिजिटाइजेशन के बाद विभाग ने लगभग 26 लाख इकाइयों को समाप्त कर दिया। उन्होंने आगे अवगत कराया कि राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ इकाइयों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी और निकट भविष्य में खाद्यान्नों के अधिक वितरण की पूरी जाँच की जाएगी।

यह जाँच करने हेतु कि क्या चावल और गेहूँ का अधिक वितरण वास्तव में लाभार्थियों तक पहुँच रहा था, दो चयनित आंतरिक गोदामों (जनपद नई टिहरी का गजा और अल्मोड़ा का बगवाली पोखर) को चुना गया। 2017-18 के दौरान इन गोदामों को किए गए खाद्यान्न के आवंटन और सभी संबद्ध एफ पी एस को खाद्यान्न के वितरण का मिलान प्रत्येक एफ पी एस में मानकों के अनुसार आवश्यकता एवं सम्बद्ध कुल राशन कार्डों/इकाइयों से सत्यापित किया गया था। यह पाया गया कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में चावल और गेहूँ प्रदान किया गया था, जैसा कि नीचे दी गई तालिका-1.2.5 वर्णित है:

तालिका-1.2.5 दो चयनित आंतरिक गोदामों में आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न के आवंटन का विवरण

(मात्रा कुन्तल में)

आंतरिक गोदाम गजा (टिहरी)							
क्र सं	एफ पी एस का नाम	चावल			गेहूँ		
		आवश्यक	आवंटन	अधिक	आवश्यक	आवंटन	अधिक
1.	गजा	521.844	556.512	34.668	342.156	353.363	11.207
2.	नकोट	749.280	760.554	11.274	-	-	-
3.	पोखरी	45.396	46.266	0.870	29.004	31.411	2.407
4.	लाओवा	119.640	120.430	0.790	-	-	-
5.	अडवानी	177.348	186.313	8.965	-	-	-
6.	बमनगाँव	-	-	-	66.120	68.700	2.580
आंतरिक गोदाम बगवाली पोखर (अल्मोड़ा)							
1.	भटूरा	76.740	87.000	10.260	50.460	58.500	8.040
2.	बाडी	82.140	119.000	36.860	54.060	75.000	20.940
3.	दुगड्डा	181.236	193.500	12.264	-	-	-
4.	वसूली शरा	199.668	243.850	44.182	132.132	215.970	83.838
5.	पनर गाँव	81.504	130.500	48.996	53.496	77.000	23.504
6.	पोखर	67.908	74.500	06.592	-	-	-
7.	तेलमनारी	81.504	87.000	05.496	53.496	55.000	1.504
8.	जाख	65.388	93.450	28.062	42.612	57.360	14.748
9.	दमौली	57.492	72.550	15.058	-	-	-
10.	मेलता	47.220	94.000	46.780	30.780	51.000	20.220

आगे, 16 एफ पी एस में से आठ (गजा में 03 और बगवाली पोखर में 05) के बिक्री रजिस्टर के विश्लेषण से, जैसे कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, उद्घाटित हुआ कि लाभार्थियों को मानकों एवं उनकी ग्राह्यता के अनुसार खाद्यान्न जारी किए गए थे और उन्हें मानकों से अधिक खाद्यान्न जारी नहीं किया गया था। यह इंगित करता है कि एफ पी एस द्वारा प्राप्त गेहूँ और चावल की अधिक मात्रा को डाइवर्ट किया जा सकता है और गैर-लाभार्थियों को बेचा जा सकता है जिसकी जाँच

किये जाने की आवश्यकता है। इंगित किए जाने पर, डी एस ओ, अल्मोड़ा ने अवगत कराया (दिसम्बर 2018) कि इस मामले की जाँच की जाएगी।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन से संबन्धित अनुश्रवण तंत्र की कमी थी। एफ पी एस के निरीक्षण में अत्यधिक कमी थी, जैसा कि प्रस्तर संख्या 1.2.13.4 में चर्चा की गयी और सामाजिक लेखापरीक्षा भी संपादित नहीं की गयी थी जैसा कि प्रस्तर संख्या 1.2.13.5 में चर्चा की गयी है। आगे, सतर्कता समिति की बैठकें भी नहीं की गईं, जैसा कि प्रस्तर संख्या 1.2.13.3 में चर्चा की गई है। परिणामस्वरूप, खाद्यान्नों के वितरण से संबन्धित कमियों का पता और सुधारा नहीं जा सका।

यह नमूना जाँच पर आधारित है। गेहूँ और चावल के अधिक वितरण के दृष्टांत की जाँच की आवश्यकता है। आगे, भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के लिए सरकार/विभाग को सुधारात्मक उपाय करने और टी पी डी एस के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यदि विभाग ने एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण लागू किया होता, तो खाद्यान्नों के अधिक वितरण के मामलों से बचा जा सकता था।

1.2.10.3 गोदाम और उससे सम्बद्ध एफ पी एस की भण्डार पंजिका में मिलान न होना

लेखापरीक्षा ने यह जाँच करने के लिए कि क्या आंतरिक गोदामों की भण्डार पंजिका और उनसे सम्बद्ध एफ पी एस की भण्डार पंजिका के बीच विसंगतियां थीं, दो आंतरिक गोदामों अर्थात् गजा और बगवाली पोखर की विस्तृत जाँच की। अल्मोड़ा के चयनित गोदाम बगवाली पोखर से 29 एफ पी एस सम्बद्ध थे। इनमें से वर्ष 2017-18 के पाँच एफ पी एस³⁷ के भण्डार पंजिकाओं का गोदाम की भण्डार पंजिका के साथ मिलान किया गया था। विवरण नीचे तालिका-1.2.6 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.2.6 दो नमूना आंतरिक गोदामों में खाद्यान्न की मात्रा में अंतर का विवरण

खाद्यान्न	आंतरिक गोदाम द्वारा जारी मात्रा		एफ पी एस द्वारा प्राप्त की गयी मात्रा		अंतर		योग		एफ पी एस की भण्डार पंजिका में दर्ज न की गयी मात्रा
	पी एच एच	ए ए वाई	पी एच एच	ए ए वाई	पी एच एच	ए ए वाई	निर्गत	प्राप्त	
चावल	543.40	95.00	441.50	88.00	101.90	7.00	638.40	529.50	108.90
गेहूँ	384.47	85.50	296.50	59.00	87.97	26.50	469.97	355.50	114.47

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि आंतरिक गोदाम से निर्गत की गयी गेहूँ और चावल की मात्रा और एफ पी एस द्वारा प्राप्त मात्रा के बीच विसंगति थी, क्योंकि 108.90 कुन्तल चावल और 114.47 कुन्तल गेहूँ संबन्धित एफ पी एस के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं पाये गए थे। इंगित किए

³⁷ वसूली शेष, तेलमनारी, दुगड़डा, बगुना और रतगुल।

जाने पर, जिला आपूर्ति अधिकारी, अल्मोड़ा ने अवगत कराया कि (दिसम्बर 2018) इस मामले की जाँच की जाएगी।

यह कार्य दुष्कृत था। विभाग जिम्मेदारी तय करने के लिए जाँच शुरू कर सकता है। यदि स्टॉक में चोरी पायी जाती है तो एक एफ आई आर दर्ज करने की भी संस्तुति की जाती।

प्रत्येक स्तर पर खाद्यान्नों के उठान में विलम्ब हुआ था, जिससे बाद में लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण में विलम्ब हुआ। राज्य भर में चावल और गेहूँ का अधिक वितरण हुआ। आगे, एफ पी एस को आवश्यकता से अधिक मात्रा में चावल और गेहूँ उपलब्ध कराया गया था, लेकिन लाभार्थियों को उनकी स्वीकार्यता और मानकों के अनुसार खाद्यान्न जारी किया गया था इसने यह इंगित किया कि एफ पी एस द्वारा प्राप्त गेहूँ और चावल की अधिक मात्रा गैर-लाभार्थियों को बेची जा सकती है। विभाग को इस तरह के दुराचरण से बचने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एफ पी एस स्वचालन को लागू करने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करे और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित चावल और गेहूँ के अधिक वितरण के प्रकरणों की जाँच करे। विभाग ऐसे और अधिक प्रकरणों को चिन्हित करने के लिए सभी जिलों में इस जाँच का विस्तार कर सकता है।

1.2.11 खाद्यान्न का परिवहन और भण्डारण

निर्धारित समय-सीमा के अंदर पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करने के हेतु टी पी डी एस के अंतर्गत खाद्यान्नों का यथासमय और प्रभावी परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है। एफ सी आई डिपो से बेस गोदामों तक तथा आगे एक बेस गोदाम से दूसरे बेस गोदाम तक मण्डल स्तर पर आर एफ सी द्वारा एवं बेस गोदामों से आंतरिक गोदामों तक जिला स्तर पर जिला आपूर्ति अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों के परिवहन हेतु ठेकेदारों के चयन लिए निविदा प्रक्रिया की गई थी। आगे, पात्र लाभार्थियों को गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए गोदामों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का उचित भण्डारण बहुत आवश्यक है। खाद्यान्नों के परिवहन और भण्डारण की प्रक्रिया में पाई गई कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है:

1.2.11.1 परिवहन दरों का अनियमित निर्धारण

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने सितम्बर 2013 में राज्य में माल ढुलाई के लिए दरें³⁸ निर्धारित की थी। खाद्यान्न के परिवहन के लिए प्रत्येक मार्ग हेतु क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक द्वारा अलग-अलग निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। गढ़वाल में पहले 15 किलोमीटर और कुमाऊँ क्षेत्र में पहले 8 किलोमीटर की दर के आधार पर निविदाओं का आंकलन किया जाता है। प्रत्येक नमूना जाँच किए गए मार्गों में निविदायें, न्यूनतम निविदा दर को आवंटित की गई। तथापि, एक ही क्षेत्र में विभिन्न

³⁸ 25 पैसे प्रति कुन्तल प्रति किलोमीटर मैदानी क्षेत्रों में एवं 38 पैसे प्रति कुन्तल प्रति किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्रों में।

मार्गों की न्यूनतम निविदा दर में व्यापक अन्तर था। सबसे कम निविदा दर की तुलना में गढ़वाल में 47 प्रतिशत से 111 प्रतिशत तक अधिक दरें देखी गईं तथा कुमाऊँ में सबसे कम निविदा दरों की तुलना में 34 प्रतिशत से 201 प्रतिशत तक अधिक दर को अनुमोदित किया गया (परिशिष्ट-1.2.9)।

आगे, राज्य सरकार के आदेश (मार्च 2014) में कहा गया है कि परिवहन की दरें निर्धारित करते समय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, एफ सी आई, पी डब्ल्यू डी, सिंचाई विभाग और परिवहन यूनियनों की परिवहन दरों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, परिवहन आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट दरों की तुलना में गढ़वाल में 260 प्रतिशत से 1,000 प्रतिशत तक एवं कुमाऊँ में 397 प्रतिशत से 2,410 प्रतिशत तक बढ़ी हुई दरें अनुमोदित की गई थीं (परिशिष्ट-1.2.9)।

गढ़वाल में ट्रांसपोर्टर्स/हैंडलिंग ठेकेदारों, जो केवल दो ट्रकों के मालिक थे, का चयन इस तथ्य के बावजूद किया गया कि उन्हें दो या तीन स्थानों (परिशिष्ट-1.2.10) पर परिवहन हेतु अनुबंधित किया गया था।

इंगित किए जाने पर प्रमुख सचिव द्वारा दोनों मण्डलों (गढ़वाल और कुमाऊँ) की परिवहन दरों में अंतर को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि परिवहन दरों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, दोनों मण्डलों से परिवहन आयुक्त द्वारा जारी दरों पर विचार करते हुए प्रस्ताव प्राप्त किए जा रहे थे।

1.2.11.2 खाद्यान्न का भण्डारण प्रबंधन

विभाग के अंतर्गत दो प्रकार के गोदाम अर्थात् बेस गोदाम और आंतरिक गोदाम संचालित थे। डी सी पी के अंतर्गत अधिप्राप्त एवं एफ सी आई से उठाये गये खाद्यान्नों को बेस गोदामों में भण्डारण किया गया था और आगे, जनपदों में मुख्य रूप से ब्लॉक/तहसील स्तर पर स्थित आंतरिक गोदामों को आपूर्ति की गई थी। मार्च 2018 तक, विभाग के पास 1.04³⁹ लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले 197 गोदाम थे, जिनमें से 87 (44.16 प्रतिशत) गोदाम किराए के भवनों में चालू थे।

1.2.11.3 अपर्याप्त क्षमता

भारत सरकार के आदेशों (सितम्बर 2014 से लागू) के अनुसार, पृथक रूप से प्रत्येक आवंटन माह हेतु खाद्यान्न के उठान की वैधता अवधि, आवंटन माह से पूर्ववर्ती माह के प्रथम दिन से आरंभ करते हुए, 30 दिन है। तदनुसार, विभाग ने सूचित किया कि खाद्यान्नों का समय पर उठान और वितरण सुनिश्चित करने के लिए दो महीने के आवंटन हेतु भण्डारण क्षमता आवश्यक है। राज्य के लिए खाद्यान्न आवंटन के सापेक्ष बेस गोदामों की भण्डारण क्षमता का विवरण नीचे दी गई तालिका-1.2.7 में दर्शाया गया है:

³⁹ विभागीय गोदामों की क्षमता: 76,349.00 मीट्रिक टन + किराए के गोदामों की क्षमता: 27,453.400 मीट्रिक टन = 1,03,802.400 मीट्रिक टन (अर्थात् 1.04 लाख मीट्रिक टन)।

तालिका-1.2.7 : खाद्यान्न के आवंटन के सापेक्ष बेस गोदामों की क्षमता का विवरण

(क्षमता लाख मीट्रिक टन में)

गोदाम का प्रकार	वार्षिक आवंटन	उपलब्ध भण्डारण क्षमता	आवंटन के अनुसार आवश्यक क्षमता	क्षमता में कमी (प्रतिशतता)
बेस गोदाम, गढ़वाल	2.91	0.27	0.49	0.22 (45)
बेस गोदाम, कुमाऊँ	2.14	0.20	0.36	0.16 (44)
आंतरिक गोदाम	5.05	0.57	0.84	0.27 (32)

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य भर में मंडल स्तर पर 44 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक तथा जनपद स्तर पर 32 प्रतिशत तक भण्डारण क्षमता की कमी थी। भण्डारण क्षमता की कमी के कारण लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण में विलम्ब हुआ, जैसा कि प्रस्तर 1.2.10.1 में चर्चा की गई है। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने स्वीकार किया कि, भण्डारण क्षमता की अत्याधिक कमी थी एवं अगले पाँच वर्षों में 43 गोदामों के निर्माण हेतु, अप्रैल 2018 में एक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था।

1.2.11.4 गोदामों का निर्माण

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राज्य में नए गोदामों के निर्माण द्वारा भण्डारण क्षमता में वृद्धि के लिए विभाग के पास कोई योजना नहीं थी। अगले पाँच वर्षों के दौरान चरणबद्ध तरीके से नए गोदामों के निर्माण की योजना, केवल अप्रैल 2018 में ही तैयार की गई थी। इसीलिए, विभाग कम भण्डारण क्षमता की बाधाओं को दूर करने में विफल रहा। आगे, यह पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि में बनाए जा रहे चार गोदामों का निर्माण कार्य पहुँच मार्ग की अनुपलब्धता; कार्यदायी संस्था को शेष धनराशि का अवमुक्त न किया जाना; एवं निर्माण स्थल पर कठोर चढ़ान पाये जाने के कारण अपूर्ण रहा। विवरण परिशिष्ट-1.2.11 में दिया गया है। इंगित किए जाने पर, संयुक्त आयुक्त द्वारा तथ्यों को स्वीकार (जून 2018) किया गया।

1.2.11.5 गोदामों में उपकरणों / सुविधाओं का अभाव

मैनुअल फॉर ऑपरेशनलाईजिंग ऑफ वेयरहाउसिंग (डैवलपमेंट रेगुलेशन) एक्ट, 2007⁴⁰ के अनुलग्नक-II के अनुसार, उचित भण्डारण प्रबंधन के लिए प्रत्येक गोदाम में बुनियादी उपकरण/सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। चयनित जनपदों टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा; एवं आर एफ सी कुमाऊँ और गढ़वाल के अभिलेखों की संवीक्षा में अनेक कमियाँ पाई गई, जैसा कि नीचे दी गई तालिका-1.2.8 में दर्शाया गया है:

⁴⁰ विभाग ने अपना स्टोरेज मैनुअल तैयार नहीं किया था। उसकी अनुपस्थिति में, भारत सरकार द्वारा जारी वेयरहाउस मैनुअल का प्रयोग बेंचमार्किंग के लिए किया गया।

तालिका-1.2.8: गोदामों में उपलब्ध बुनियादी उपकरणों / सुविधाओं का विवरण।

जनपद/मंडल का नाम	कुल गोदामों की संख्या	कुल गोदामों में से, गोदामों में सुविधाओं की अनुपलब्धता						
		धर्म कांटा	अग्नि शामक	रात्रि रोशनी	धूमन आवरण	कीटनाशक	संरक्षित परिसीमा	प्रवेश/निकास द्वार
टिहरी	27	27	27	27	27	27	26	27
पौड़ी	22	22	22	22	22	22	22	22
अल्मोड़ा	15	15	15	15	15	15	15	08
आर एफ सी गढ़वाल	12	12	12	12	12	12	07	06
आर एफ सी कुमाऊँ	10	10	10	10	10	10	00	01

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

इसलिए, भण्डारण गोदामों में मैनुअल के अनुसार आवश्यक बुनियादी उपकरणों और सुविधाओं का अभाव था। आगे, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और बेस गोदामों (कुमाऊँ क्षेत्र, और गढ़वाल क्षेत्र) के 15 चयनित गोदामों (विभागीय आठ और किराए पर सात) के भौतिक सत्यापन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गयीं:

- गोदामों के लिए कोई उचित स्टैक योजना नहीं थी; खाद्यान्नों के बोरो को उचित तरीके से नहीं रखा गया था; उचित प्रविष्टियों के साथ स्टैक कार्ड नहीं रखे गए थे; धूमन चार्ट और नागरिक चार्टर प्रदर्शित नहीं किए गए थे और कीटनाशक पंजिका का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।
- इसके अतिरिक्त, बेस गोदाम किच्छा और रुद्रपुर (उधमसिंह नगर) जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे और खाद्यान्न बहुत ही अव्यवस्थित और अस्वच्छ स्थिति में भण्डारित थे क्योंकि गोदाम की छत क्षतिग्रस्त होने के कारण बारिश का पानी गोदाम के अंदर संचित था, जैसा कि निम्नलिखित तस्वीरों में देखा जा सकता है:



चित्र 1.2.1: रुद्रपुर (उधमसिंह नगर) में गोदाम की जीर्ण शीर्ण स्थिति

चित्र 1.2.2 एवं 1.2.3: किच्छा (उधमसिंह नगर) में गोदाम की छत क्षतिग्रस्त होने के कारण गोदाम में एकत्र वर्षा का पानी

इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया (अक्टूबर 2018) कि इस प्रयोजन हेतु एक विभागीय मैनुअल तैयार किया जा रहा था और विभागीय गोदामों को आवश्यक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया था।

परिवहन दरों के निर्धारण के समय, परिवहन आयुक्त की निर्दिष्ट दरों पर विचार नहीं किया गया और विभिन्न ट्रांसपोर्टों के लिए अनुमोदित परिवहन दरों में एकरूपता नहीं थी। भण्डारण क्षमता की अत्यधिक कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न उठाने में विलम्ब हुआ। तथापि, विभाग के पास भण्डारण क्षमता बढ़ाने की कोई योजना नहीं थी। आगे, गोदामों में मूलभूत उपकरणों और सुविधाओं का भी अभाव था।

राज्य सरकार समय से खाद्यान्न के उठान व लाभार्थियों को वितरण हेतु गोदामों की भण्डारण स्थिति में सुधार एवं भण्डारण क्षमता में वृद्धि करना सुनिश्चित कर सकती है।

1.2.12 वित्तीय प्रबंधन

1.2.12.1 निधियों की उपलब्धता और उपयोग

विभाग के अन्तर्गत दो मुख्य शीर्ष अर्थात् 2408 "खाद्य, भण्डारण एवं भण्डारगृह" तथा 4408 "खाद्य, भण्डारण एवं भण्डारगृह पर पूँजीगत परिव्यय" संचालित थे। अधिप्राप्ति, भण्डारण एवं खाद्यान्नों के वितरण से संबन्धित व्यय 4408 के अन्तर्गत इन्द्राज किया जाता है जबकि अधिष्ठान एवं खाद्यान्नों के परिवहन से संबन्धित व्यय 2408 के अन्तर्गत इन्द्राज किया जाता है। उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के प्रस्तर 16 के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आंकलन यथासंभव सटीक हों, हर सावधानी बरती जानी चाहिए। आगे, मैनुअल के प्रस्तर 30 के अनुसार, बजट आंकलन तैयार करते समय पिछले तीन वर्षों के वास्तविक व्यय के औसत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान मुख्य शीर्ष 4408 के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता और उपयोगिता का विवरण नीचे तालिका-1.2.9 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.2.9: निधियों की उपलब्धता और उपयोगिता का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्त निधियाँ	किया गया व्यय	बचत (प्रतिशत)
2013-14	2,211.00	1,840.70	370.30 (16.75)
2014-15	2,303.50	1,751.82	551.68 (23.95)
2015-16	2,314.52	2,218.45	96.07 (4.15)
2016-17	2,351.66	2,253.75	97.91 (4.16)
2017-18	2,369.27	1,341.43	1,027.84 (43.38)

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

इस प्रकार, विभाग ने 2013-14, 2014-15 और 2017-18 में बजट की अधिक्य माँग प्रस्तुत की थी। इसके परिणामस्वरूप, 16.75 प्रतिशत, 23.95 प्रतिशत और 43.38 प्रतिशत की उल्लेखनीय बचत हुई। इसने अपूर्ण बजट प्रबंधन को इंगित किया। इंगित किए जाने पर, वित्त नियंत्रक ने अवगत कराया कि (दिसम्बर 2018) बजट की माँग आवश्यकता के अनुसार की गई थी; और पुनः अवगत कराया कि भविष्य में सभी सावधानियाँ बरती जाएंगी।

1.2.12.2 ₹19.35 करोड़ की हानि

गेहूँ और धान की अधिप्राप्ति हेतु किसानों को तत्काल भुगतान करने के लिए, निधियों की कमी की स्थिति में, राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) से नगद साख सीमा (सी सी एल) प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया था। मार्च 2015 और जनवरी 2016 में आर बी आई से क्रमशः ₹115.85 करोड़ और ₹400 करोड़ की सी सी एल प्राप्त की गई थी, जिसके सापेक्ष आर बी आई को ब्याज सहित, ₹535.20 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था। यह पाया गया कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 2014-15 और 2015-16 में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ (अप्रैल) में गेहूँ और धान की अधिप्राप्ति हेतु ₹2,000 करोड़ की धनराशि विभाग को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके सापेक्ष क्रमशः ₹1,494.62 करोड़ और ₹1,965.29 करोड़ व्यय किए गए। इस प्रकार, दो वर्षों के दौरान क्रमशः ₹505.38 करोड़ और ₹34.71 करोड़ की धनराशि अव्ययित थी। विभाग के पास पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध होने के बावजूद आर बी आई से ₹515.85 करोड़ की सी सी एल प्राप्त की गई थी। परिणामस्वरूप, सी सी एल के सापेक्ष आर बी आई को किए गए ब्याज के भुगतान के कारण विभाग को ₹19.35 करोड़ की हानि हुई। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया (अक्टूबर 2018) कि रबी विपणन सत्र⁴¹ में गेहूँ और खरीफ विपणन सत्र⁴² में चावल की अधिप्राप्ति हेतु, वार्षिक बजट की स्वीकृति की प्रत्याशा में, किसानों, मिलर्स और सी ए को यथा समय भुगतान हेतु सी सी एल ली गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सम्बन्धित वित्तीय वर्षों में गेहूँ और धान की अधिप्राप्ति करने हेतु पूरे वित्तीय वर्ष में पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध थीं।

1.2.12.3 भारत सरकार से ₹680.66 करोड़ की लंबित सब्सिडी

डी सी पी हेतु उत्तराखण्ड सरकार और भारत सरकार के बीच निष्पादित समझौता जापन (एम ओ यू) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अंतिम समायोजन पर लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार को डी सी पी पर सब्सिडी का नियत आकस्मिक व्यय⁴³ का 100 प्रतिशत और शेष आकस्मिक व्यय का 95 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। 2013-14 से 2017-18 के दौरान, भारत सरकार को ₹2,766.21 करोड़ के सब्सिडी के दावे प्रस्तुत किए गए थे, जिसके सापेक्ष भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा 2008-09 से 2017-18 तक के लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत न किए जाने के कारण ₹680.66 करोड़ रोकते हुए केवल ₹2,085.55 करोड़ का भुगतान किया। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) 2006-07 तक के लेखे भारत सरकार को भेजे गए थे; 2007-08 से 2009-10 तक के वर्षों के लेखे तैयार किए गए थे और बाद के वर्षों के लिए खातों को तैयार करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही थी।

⁴¹ अप्रैल से जून।

⁴² अक्टूबर से जनवरी।

⁴³ एम एस पी, बोनस, वैट सहित कर, मिलिंग प्रभार, सूखन।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि विभाग 2007-08 के बाद से वार्षिक लेखापरीक्षित लेखों को भारत सरकार को प्रस्तुत करने में विफल रहा जिसके कारण यह भारत सरकार से पूर्ण अनुदान राशि से वंचित था।

1.2.12.4 वैंट का अनियमित भुगतान

उत्तराखण्ड वैंट अधिनियम की धारा 4 (2) (अ) के अनुसार, पी डी एस के माध्यम से बेचे जाने वाले सामान को वैंट से छूट दी गई है। आर एफ सी कुमाऊँ और गढ़वाल के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि अधिनियम का उल्लंघन करते हुए एफ सी आई, सी ए और मिलर्स को क्रमशः ₹ 41.15 करोड़, ₹ 175.32 करोड़ और ₹ 25.58 करोड़ का भुगतान किया गया। विभाग द्वारा 2013-14 से 2017-18 के दौरान किए गए खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति का विवरण नीचे तालिका-1.2.10 में दिया गया है:

तालिका-1.2.10: खाद्यान्न अधिप्राप्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	अधिप्राप्ति का प्रकार	आर एफ सी कुमाऊँ		आर एफ सी गढ़वाल	
		अधिप्राप्ति का मूल्य	भुगतानित वैंट	अधिप्राप्ति का मूल्य	भुगतानित वैंट
2013-14 से 2017-18	एफ सी आई से खाद्यान्न	383.86	17.09	555.79	24.06
2014-15 से 2017-18	सी ए से धान ⁴⁴	3,529.27	167.11	172.43	8.21
2013-14 एवं 2014-15	मिलर्स से लेवी चावल ⁴⁵	530.15	24.28	27.82	1.30
योग		4,443.28	208.48	756.04	33.57

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना।

इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) यह प्रकरण समय-समय पर शासन को भेजा गया था और इस पर निर्णय अपेक्षित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार एफ सी आई, सी ए और मिलर्स को वैंट का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, एफ सी आई, सी ए और मिलर्स को ₹ 242.05 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

1.2.12.5 मंडी लेबर चार्ज का अनियमित भुगतान

भारत सरकार के आदेशों⁴⁶ के अनुसार, वैधानिक शुल्क, केवल भुगतान के साक्ष्य की रसीदें प्रस्तुत करने पर देय होंगे। लेवी राइस के संबन्ध में, केवल वे निजी राइस मिलर्स जो विनियमित मंडियों में धान का क्रय करते हैं, वे भारत सरकार द्वारा प्रत्येक विपणन सत्र हेतु जारी कॉस्ट शीट में विनिर्दिष्ट दरों पर मंडी लेबर चार्ज (एम एल सी)⁴⁷ की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध

⁴⁴ कुमाऊँ : 22.32 लाख मीट्रिक टन (2014-15 से 2016-17), गढ़वाल: 1.13 लाख मीट्रिक टन (2014-15 से 2016-17)।

⁴⁵ कुमाऊँ : 18.49 लाख मीट्रिक टन और गढ़वाल: 0.12 लाख मीट्रिक टन।

⁴⁶ सांविधिक शुल्क, जैसे कि क्रय कर/व्यापार कर, मंडी प्रभार, बाजार शुल्क, कमीशन एजेन्टों, सैस इत्यादि केवल भुगतान के साक्ष्य की रसीदें प्रस्तुत करने पर देय होंगे (भारत सरकार आदेश दिनांक जनवरी 2015)।

⁴⁷ विनियमित मंडी में पैकिंग, सिलाई, तथा खाद्यान्न बोरो की चढ़ाई और उतराई हेतु श्रमिकों को भुगतान।

कराई गई सूचना के अनुसार, 2013-14 और 2014-15 में, एम एस पी लेवी योजना के अंतर्गत 2.48 लाख मीट्रिक टन चावल की अधिप्राप्ति की गई थी, जिसके सापेक्ष मिलर्स को ₹557.97 करोड़ का भुगतान किया गया था। भुगतान देयकों की नमूना-जाँच के दौरान, यह पाया गया कि मिलर्स द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत बिलों के साथ फॉर्म 6-आर संलग्न नहीं थे। इसीलिए, विभाग यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि लेवी चावल का क्रय विनियमित मंडियों में किया गया था। इसके अतिरिक्त, मिलर्स द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत बिलों के साथ एम एल सी पर किए गए खर्च के संदर्भ में साक्ष्य संलग्न नहीं पाए गए। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान, लेवी योजना के अंतर्गत खरीदे गए चावल की मात्रा के सापेक्ष मिलर्स को एम एल सी के रूप में ₹3.48 करोड़ का भुगतान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप मिलर्स को ₹3.48 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया था। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि (अक्टूबर 2018) वरिष्ठ मण्डलीय लेखा अधिकारियों को भुगतान करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे थे कि सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को बिलों के साथ संलग्न किया गया है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

1.2.12.6 ₹ 2.58 करोड़ के टी डी एस की कटौती न किया जाना

आयकर अधिनियम की धारा 194सी (6) में किए गए संशोधनों, जून 2015 से लागू के अनुसार, ट्रांसपोर्टरों⁴⁸ को किए गए भुगतान के सापेक्ष, स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) की जाएगी। आर एफ सी, कुमाऊँ और गढ़वाल के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, यह पाया गया कि 2015-16 से 2017-18 के दौरान ट्रांसपोर्टरों को बिना दो प्रतिशत की दर से ₹2.58 करोड़ की टी डी एस कटौती किए बिना ₹128.75⁴⁹ करोड़ का भुगतान किया गया था। आगे, जब भुगतान किए गए देयकों की नमूना जाँच की गई, यह पाया गया कि देयकों के साथ न तो कोई घोषणा प्रमाण पत्र संलग्न था और ना ही स्वामित्व साबित करने के लिए परिवहन हेतु उपयोग किए गए वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र को संलग्न किया गया। इसलिए, आयकर अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने के कारण ट्रांसपोर्टरों को अनुचित लाभ हुआ और सरकार को ₹2.58 करोड़ के राजस्व की हानि भी हुई।

इंगित किए जाने पर, वरिष्ठ मण्डलीय लेखा अधिकारी, कुमाऊँ और गढ़वाल ने तथ्यों (जून 2018) को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि कटौती क्रमशः सितम्बर 2017 और दिसम्बर 2017 से की जा रही थी।

⁴⁸ जब तक कि ट्रांसपोर्टर पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय दस या उससे कम माल वाहक का मालिक होने के लिए भुगतानकर्ता को एक घोषणा प्रस्तुत नहीं करता है। इसके अलावा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के परिपत्र 19, 2015 के प्रस्तर 43.4 के अनुसार, टी डी एस से यह छूट केवल परिववाहक द्वारा निजी स्वामित्व के वाहनों द्वारा की गयी गुड्स कैरिज (एस) के लिए प्राप्त परिवहन शुल्क के संबन्ध में लागू है।

⁴⁹ कुमाऊँ : ₹ 52.82 करोड़ + गढ़वाल: ₹ 75.93 करोड़ = ₹ 128.75 करोड़।

1.2.12.7 बोरों की वसूली न किया जाना

राज्य सरकार के शासनादेश (सितम्बर 2016) के अनुसार, अधिप्राप्ति अभिकरणों की माँग के आधार पर, धान के क्रय हेतु बोरों की व्यवस्था संबन्धित आर एफ सी के माध्यम से एफ सी एस एंड सी ए द्वारा की जानी थी, और कस्टम मिल्ड चावल के राज्य पूल/एफ सी आई के हस्तांतरण के बाद, बोरे मिलर्स के पक्ष में जारी किए जाने थे तथा बोरों की लागत संबन्धित वर्ष की कॉस्ट शीट में उल्लिखित दर पर वसूल की जानी थी। आर एफ सी, गढ़वाल के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि 2014-15 से 2016-17 के दौरान मिलर्स को 20.28 लाख बोरे जारी किए गए थे, जिसके सापेक्ष केवल नौ लाख बोरे प्राप्त हुए थे और ₹ 5.82 करोड़⁵⁰ मूल्य के 11.28 लाख बोरे अभी भी मिलर्स के पास थे। मिलर्स से न तो बोरे वापस प्राप्त किए गए और न ही उनसे बोरों की लागत वसूल की गयी थी। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) बोरे चावल मिलर्स के थे जो उनके द्वारा स्वयं के संसाधनों से अधिप्राप्त किये गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा हेतु आर एफ सी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से उद्घाटित हुआ कि बोरे विभाग द्वारा मिलर्स को उपलब्ध कराये गए थे और जो बोरे मिलर्स से वापस प्राप्त नहीं हुए उनके सापेक्ष वसूली नहीं की गई थी।

पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद, आर बी आई से सी सी एल प्राप्त की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज का भुगतान किए जाने के कारण शासकीय राजकोष को ₹19.35 करोड़ की हानि हुई। 2008-09 से भारत सरकार को वार्षिक लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को ₹680.66 करोड़ की सब्सिडी जारी नहीं की गई थी। विभाग ने वैट अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एफ सी आई, सी ए और मिलर्स को वैट के रूप में ₹242.05 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

1.2.13 अनुश्रवण तन्त्र

पी डी एस नियंत्रण आदेश, 2001, 2015 और एन एफ एस ए (अधिनियम) में परिकल्पित है कि राज्य सरकार, राज्य, जिला, ब्लॉक और एफ पी एस इत्यादि स्तर पर रिपोर्टिंग और अनुश्रवण की आवधिक प्रणाली, नियमित निरीक्षण और सतर्कता समितियों (वी सी) की बैठक सुनिश्चित करेगी। अनुश्रवण तन्त्र में पाई गई कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है:

1.2.13.1 राज्य खाद्य आयोग का गठन

एन एफ एस ए की धारा 16 (1) और (2) में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और समीक्षा के उद्देश्य से एक राज्य खाद्य

⁵⁰ 2014-15: ₹ 41.19 प्रति बोरा; 2015-16: ₹ 45.94 प्रति बोरा और 2016-17: ₹ 56.68 प्रति बोरा, क्षमता प्रति बोरा 50 कि ग्रा।

आयोग (एस एफ सी) का गठन करेगी। एस एफ सी में एक अध्यक्ष और पाँच अन्य सदस्य शामिल होंगे। राज्य में एस एफ सी का गठन (नवम्बर 2013), एक अध्यक्ष और एक सदस्य सचिव के साथ किया गया था। एस एफ सी के गठन के लगभग दो वर्ष के विलम्ब के बाद एक सदस्य (अक्टूबर 2015) को नियुक्त किया गया था और सदस्यों के चार पद अभी भी खाली पड़े थे। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) आयोग के शेष सदस्यों को नियुक्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही सरकार के स्तर पर अंतिम चरण में थी।

1.2.13.2 वार्षिक रिपोर्ट को विधानमंडल में प्रस्तुत न करना

अधिनियम की धारा 16 (6) (एफ) में कहा गया है कि एस एफ सी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। यह पाया गया कि एस एफ सी के गठन के चार साल बाद केवल एक रिपोर्ट तैयार की गई और सरकार को (जुलाई 2017) भेज दी गई। रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश किया जाना अपेक्षित था।

1.2.13.3 सतर्कता समितियों की बैठकों का आयोजन

एस एफ एस ए की धारा 29 में, टी पी डी एस की पारदर्शिता और समुचित कार्यप्रणाली तथा कार्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु राज्य, जिला, ब्लॉक/तहसील और एफ पी एस स्तर पर सतर्कता समितियों (वी सी) के गठन की परिकल्पना की गई है। **तथापि, यह पाया गया कि वी सी का गठन 2010 में किया गया था, परन्तु ये निष्क्रिय रहीं, क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राज्य स्तर या नमूना जनपदों टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और उधमसिंह नगर में किसी भी स्तर पर बैठक का आयोजन नहीं किया गया था।** विभाग ने जनवरी 2018 में वी सी का पुनर्गठन किया। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) सभी डी एस ओ को प्रत्येक स्तर पर बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया था और आगे अवगत कराया गया कि भविष्य में प्रभावी कदम सुनिश्चित किए जाएंगे। उत्तर विभाग की शिथिलता दर्शाता है क्योंकि अधिनियम शुरू होने के चार साल से अधिक समय के बाद वी सी का पुनर्गठन किया गया था। वी सी की अनुपस्थिति में, टी पी डी एस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का उद्देश्य असफल रहा, जैसा कि अधिक वितरण के मामले पाये गए जिसकी चर्चा **प्रस्तर 1.2.10.2** में की गयी है।

1.2.13.4 उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण में कमी

पी डी एस (नियंत्रण) आदेश, 2001 के उपनियम (6) (2) और टी पी डी एस नियंत्रण आदेश, 2015 के उपनियम 11 में प्रावधान है कि नियत प्राधिकारी द्वारा एफ पी एस का नियमित निरीक्षण, तीन महीने में कम से कम एक बार, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। **यह पाया गया कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान, राज्य में एफ पी एस के निरीक्षण में 69.93 प्रतिशत से 81.38 प्रतिशत तक की कमी थी। नमूना जनपदों में यह कमी 35 प्रतिशत और 98 प्रतिशत के बीच थी।** इंगित किए जाने

पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) विभाग द्वारा भविष्य में प्रभावी प्रवर्तन के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही थी।

1.2.13.5 सामाजिक लेखापरीक्षा न किया जाना

एन एफ एस ए के उपनियम 28 (1) में प्रावधान है कि एफ पी एस के कामकाज पर समय-समय पर सामाजिक लेखापरीक्षा की जानी चाहिए, जिसमें लोग सामूहिक रूप से किसी कार्यक्रम या योजना के नियोजन और कार्यान्वयन का अनुश्रवण और मूल्यांकन करते हैं। यह पाया गया कि अधिनियम के शुरू होने के लगभग पाँच साल बीत जाने के बाद भी, सामाजिक लेखापरीक्षा किए जाने हेतु नियम नहीं बनाए गए थे। परिणामस्वरूप, एन एफ एस ए के कार्यान्वयन के बाद से एफ पी एस के कामकाज की सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

1.2.13.6 मानव संसाधन की कमी

योजना के कुशल कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत संख्या के अनुसार पर्याप्त मानव संसाधन होना चाहिए। विभाग के मानव संसाधन के विवरणों के विश्लेषण से पता चला कि स्वीकृत संख्या के सापेक्ष मानव संसाधनों की कमी थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका-1.2.11 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.2.11 स्वीकृत संख्या और तैनाती की स्थिति का विवरण (जून 2018 तक)

शाखा	पद	स्वीकृत संख्या	तैनाती की स्थिति	कमी (प्रतिशत)
आपूर्ति	एरिया राशनिंग ऑफिसर	61	16	45 (74)
	आपूर्ति निरीक्षक	240	144	96 (40)
	चौकीदार/पल्लेदार	219	164	55 (25)
विपणन	वरिष्ठ विपणन अधिकारी	39	14	25 (64)
	विपणन निरीक्षक	100	63	37 (37)
	विपणन सहायक	60	29	31 (52)
	गोदाम चौकीदार	42	31	11 (26)

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किये गये आँकड़े।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधनों की तैनाती में 25 प्रतिशत से लेकर 74 प्रतिशत तक की कमी थी। चार नमूना जनपदों में भी स्थिति निराशाजनक⁵¹ थी। मानव संसाधन में कमी को, एफ पी एस के नियमित निरीक्षण की कमी; एफ पी एस में खाद्यान्नों के स्टॉक का सत्यापन न करना; और लाभार्थियों को समय से खाद्यान्न वितरण में विलम्ब के संदर्भ में देखा जा सकता है। इंगित किए जाने पर, संयुक्त आयुक्त ने स्वीकार किया (अगस्त 2018) कि अपर्याप्त मानव संसाधनों के कारण, विभाग को योजना के सफल कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

1.2.13.7 फर्जी राशन कार्ड और इकाइयों का उन्मूलन

पी डी एस नियंत्रण आदेश 2015 की धारा 3 (13) और 4 (19) यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकार नियमित रूप से अपात्र परिवारों को हटाने या पात्र परिवारों को शामिल करने के उद्देश्य से

⁵¹ एरिया राशनिंग ऑफिसर और आपूर्ति निरीक्षक की तैनाती में क्रमशः पौड़ी में 83.33 और 38.46 प्रतिशत, टिहरी में 75 और 68.57 प्रतिशत, उधमसिंह नगर में 100 और 38.46 प्रतिशत और अल्मोड़ा में 100 और 38.46 प्रतिशत की कमी थी।

पात्र परिवारों की सूची की समीक्षा करेगी और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में फर्जी या अयोग्य राशन कार्डों के उन्मूलन के लिए विशेष वार्षिक अभियान आयोजित करेगी। तथापि, विभाग ने यह कवायद नहीं की थी। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 2013-14 से सितम्बर 2015 की अवधि के दौरान, टी पी डी एस के अन्तर्गत 128.75 लाख इकाइयाँ थीं, जो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या से, 27.58 लाख अधिक थीं।

इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) राशन कार्ड विभिन्न एजेंसियों, जैसे पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्थानीय निकायों और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा, जारी किए गए थे। मानव संसाधनों की कमी के कारण, विभाग फर्जी या अयोग्य राशन कार्डों के उन्मूलन के लिए विशेष वार्षिक अभियान का आयोजन नहीं कर सका। तथापि, डिजिटाइजेशन के दौरान, 26.26 लाख इकाइयाँ समाप्त की गई थी, जैसा कि **प्रस्तर संख्या 1.2.8** में इंगित किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, यदि विभाग द्वारा फर्जी या अयोग्य राशन कार्ड को समाप्त करने की नियमित कवायद की गई होती, तो नकली और अपात्र राशन कार्डों/इकाइयों को काफी हद तक समाप्त किया गया होता।

1.2.13.8 सूचना, शिक्षा और संचार

पी डी एस नियंत्रण आदेश 2015 की धारा 11 (16) यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ-साथ एफ पी एस के बाहर डिस्प्ले बोर्ड द्वारा राशन कार्ड धारकों को उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। चयनित जनपदों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि राशन कार्ड धारकों को शिक्षित करने के लिए ऐसी कोई गतिविधि किसी भी जनपद में नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए लाभार्थी सर्वे के परिणाम से उद्घटित हुआ कि चयनित जनपदों में सर्वे किए गए 3,413 लाभार्थियों में से 1,894 (55.49 प्रतिशत) लाभार्थियों ने अवगत कराया कि वे लाभों अर्थात् एन एफ एस ए में खाद्यान्न के वितरण के निर्धारित पैमाने और निर्गम मूल्य आदि के बारे में अनभिज्ञ थे। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी के माध्यम से राशन कार्ड धारकों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही थी और पैम्फलेट का वितरण किया जा रहा था।

1.2.13.9 सिटिज़न चार्टर का प्रदर्शन न करना

पी डी एस नियंत्रण आदेश 2015 की धारा 11 (13) यह निर्धारित करती है कि राज्य सरकार योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के अधिकारों और विशेषाधिकार के संबन्ध में सूचनाएं प्रदर्शित करेगा जैसा कि कानून में निर्धारित किया गया हो या केंद्र सरकार द्वारा जारी मॉडल सिटिज़न चार्टर पर आधारित हो। चयनित जनपदों की नमूना जाँच में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा न तो कोई सिटिज़न चार्टर जारी किया गया था और ना ही किसी भी चयनित जनपद में सिटिज़न चार्टर को अपनाया गया

था। परिणामस्वरूप, लाभार्थी एन एफ एस ए के लाभ के बारे में अनभिज्ञ थे, जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तर में चर्चा की गई थी। इंगित किए जाने पर, प्रमुख सचिव ने अवगत कराया कि (अक्टूबर 2018) सिटिजन चार्टर का प्रारूप तैयार किया जा रहा था।

टी पी डी एस की पारदर्शिता और समुचित कार्यपद्धति को सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता समिति की बैठकें किसी भी स्तर पर आयोजित नहीं की गई थीं, एफ पी एस के निरीक्षण में भारी कमी थी और सामाजिक लेखापरीक्षा के संपादन के नियमों को भी सरकार द्वारा तैयार नहीं किया गया था। यदि विभाग ये उपाय करता तो खाद्यान्नों के अतिरिक्त वितरण से बचा जा सकता था।

सरकार नियमित अंतराल पर सतर्कता समितियों की बैठक, एफ पी एस का पर्याप्त निरीक्षण करना एवं उनके कामकाज पर आवधिक सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु नियम बनाना सुनिश्चित कर सकती है।

1.2.14 एफ पी एस के भौतिक सत्यापन के परिणाम

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित जनपदों में, चयनित गोदामों से सम्बद्ध 90 एफ पी एस का भौतिक सत्यापन एवं सर्वे किया गया। भौतिक सत्यापन और सर्वे के परिणाम इस प्रकार हैं:

- 87 (96.67 प्रतिशत) एफ पी एस मालिकों को निर्धारित तिथि तक खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो रही थी। परिणामस्वरूप, एफ पी एस मालिक निर्धारित तिथि के भीतर खाद्यान्न वितरित करने में सक्षम नहीं थे।
- 30 (33.33 प्रतिशत) एफ पी एस मालिकों ने खाद्यान्न की गुणवत्ता के बारे में शिकायत की और 34 (37.78 प्रतिशत) एफ पी एस मालिकों ने लाभार्थियों से खाद्यान्न की गुणवत्ता के बारे में भी शिकायत प्राप्त की।
- केवल 23 (25.56 प्रतिशत) एफ पी एस का नियमित रूप से निरीक्षण किया गया था।
- 29 (32.22 प्रतिशत) एफ पी एस मालिकों द्वारा खाद्यान्न का स्टॉक प्रदर्शित नहीं किया गया था।
- 48 (53.33 प्रतिशत) एफ पी एस मालिकों द्वारा खाद्यान्न वितरण के निर्धारित मानदण्डों को प्रदर्शित नहीं किया गया था।
- 41 (45.55 प्रतिशत) एफ पी एस मालिकों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे।
- 32 (35.55 प्रतिशत) एफ पी एस मालिकों द्वारा टोल फ्री/हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित नहीं किया गया था।
- कोई भी एफ पी एस मालिक लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित नहीं कर रहा था।
- सभी एफ पी एस मालिक खाद्यान्नों के नमूने प्रदर्शित नहीं कर रहे थे।
- 90 प्रतिशत एफ पी एस मालिक लाभार्थियों की सूची को अपडेट नहीं कर रहे थे।

1.2.15 लाभार्थी सर्वे का परिणाम

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित जनपदों में चयनित एफ पी एस से सम्बद्ध 3,413 लाभार्थियों का सर्वे किया गया था। लाभार्थी सर्वे के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- 1,035 (30.33 प्रतिशत) लाभार्थियों ने अवगत कराया कि एफ पी एस के खुलने और बंद होने का समय एफ पी एस मालिक द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया था।
- 1,894 (55.49 प्रतिशत) लाभार्थी योजना के लाभों से अनभिज्ञ थे।
- 3,218 (94.29 प्रतिशत) लाभार्थियों को निर्धारित तिथि अर्थात् प्रत्येक महीने की 15 तारीख के भीतर राशन नहीं मिल रहा था।
- 1,962 (57.49 प्रतिशत) लाभार्थियों ने अवगत कराया कि खाद्यान्न की गुणवत्ता औसत थी।
- 38 लाभार्थियों को मानदण्डों की तुलना में अधिक मात्रा में खाद्यान्न मिल रहा था।
- 265 लाभार्थियों को मानदण्डों की तुलना में कम मात्रा में खाद्यान्न मिल रहा था।

1.2.16 निष्कर्ष

एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण दिसम्बर 2012 में सभी स्तरों पर लेनदेन की पारदर्शी रिकॉर्डिंग और विपथन को रोकने और पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न के वितरण में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु शुरू किया गया था, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एवं एफ पी एस ऑटोमेशन के कार्यान्वयन न होने के कारण इसे प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके बाद, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सितम्बर 2013 में लागू किया गया था और अधिनियम के अनुसार, उत्तराखण्ड में, 101.17 लाख जनसंख्या (जनगणना 2011) में से 61.94 लाख को आच्छादित किया जाना था। तत्पश्चात्, 7.69 लाख अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थियों और 54.23 लाख प्राथमिक परिवार लाभार्थियों (पी एच एच) को आच्छादित किया गया। राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन के परिणामस्वरूप विभाग ने 26.26 लाख अपात्र लाभार्थियों को निरस्त किया, जो पूर्ववर्ती टी पी डी एस में मौजूद थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित किए जाने वाले पात्र परिवारों के चिन्हीकरण के लिए निर्दिष्ट पात्रता मानदण्ड और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, पात्र परिवारों को योजना के लाभ से वंचित रखा गया तथा अपात्र परिवारों को योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया। कमीशन एजेन्टों के माध्यम से अधिप्राप्ति पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान भी विभाग द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। गेहूँ और चावल के अतिरिक्त वितरण के दृष्टांत भी देखे गए। राज्य में खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता पर्याप्त नहीं थी और राज्यभर में मण्डलीय स्तर पर 44 प्रतिशत से 45 प्रतिशत और जिला स्तर पर 32 प्रतिशत तक भण्डारण क्षमता की कमी थी। राज्य में उपलब्ध भण्डारण गोदामों में, बुनियादी उपकरणों और सुविधाओं का अभाव था। पर्याप्त धन की उपलब्धता के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त ₹ 515.85 करोड़ की नगद साख सीमा के सापेक्ष दिए गए ब्याज के कारण विभाग ने ₹ 19.35 करोड़ का नुकसान उठाया। अनुश्रवण तंत्र में कमी पाई गई। राज्य खाद्य आयोग में अपेक्षित संख्या में सदस्य नियुक्त नहीं किए गए थे; राज्य खाद्य आयोग के गठन के चार साल बाद केवल एक रिपोर्ट तैयार की गई थी; और लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, राज्य स्तर या चयनित जनपदों में, किसी भी स्तर पर सतर्कता समिति की कोई बैठक

आयोजित नहीं की गई थी। 2013-14 से 2017-18 के दौरान राज्य में एफ पी एस के निरीक्षण में 69.93 प्रतिशत से 81.38 प्रतिशत तक की कमी थी। अधिनियम प्रारम्भ होने के लगभग पाँच साल बीत जाने के बाद भी सामाजिक लेखापरीक्षा कराने के नियम तय नहीं किए गए थे।

अनुपालन लेखापरीक्षा

उच्च शिक्षा विभाग

1.3 निष्क्रिय व्यय

महाविद्यालय द्वारा ₹2.59 करोड़ के व्ययोपरांत अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं हेतु निर्मित छात्रावास की सुरक्षा एवं कर्मचारियों की कमी के कारण उपयोग नहीं किया जा सका तथा छात्रावास भवन जनवरी 2015 से अनुपयोगी पड़ा रहा।

अनुसूचित जाति (अनु जा) और अनुसूचित जनजाति (अनु जन जा) के छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से उत्तराखण्ड सरकार (जी ओ यू) ने राजकीय महाविद्यालय, डाकपत्थर, देहरादून के परिसर में बालकों एवं बालिकाओं के छात्रावासों⁵² के निर्माण के लिए ₹3.43 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2008)। इसी क्रम में, 2008 से 2012 के दौरान कार्यदायी संस्था⁵³ को ₹2.76⁵⁴ करोड़ की राशि जारी की गई।

महाविद्यालय के अभिलेखों (सितम्बर 2017) की जाँच में पाया गया कि एक छात्रावास के निर्माण पर ₹2.54 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके लिए निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा पुनरीक्षित आगणन राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था (मार्च 2014), जिसे स्वीकृत नहीं किया गया था। कार्यदायी संस्था ने अवशेष धनराशि ₹0.22 करोड़⁵⁵ (अप्रैल 2014) वापस कर दी और महाविद्यालय को छात्रावास भवन हस्तगत कर दिया (जनवरी 2015)। महाविद्यालय ने छात्रावास भवन को अधिग्रहित कर, छात्रावास की साज-सज्जा पर अतिरिक्त ₹0.05 करोड़ (जून 2015) व्यय किया। निर्मित छात्रावास भवन विगत तीन वर्षों से अनुपयोगी पड़ा हुआ था क्योंकि किसी भी छात्र ने छात्रावास में निवास का विकल्प नहीं चुना था।

यह में इंगित किये जाने पर, प्राचार्य ने अवगत कराया (मार्च 2018) कि छात्रों से छात्रावास के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तथापि, सुरक्षा और कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया कि छात्रावास के संचालन के लिए पदों के सृजन हेतु कार्यवाही (दिसम्बर 2015, अक्टूबर 2017 एवं दिसम्बर 2017) की जा रही थी। उत्तर

⁵² छात्रों के लिए 50 बिस्तर छात्रावास और छात्राओं के लिए 50 बिस्तर छात्रावास।

⁵³ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड।

⁵⁴ 2007-08: ₹ 50 लाख, 2008-09: ₹ 50 लाख, 2009-10: ₹ 36 लाख, 2010-11: ₹ 40 लाख 2011-12: ₹ 100 लाख।

⁵⁵ ₹ 2.76 करोड़ - ₹ 2.54 करोड़ = ₹ 0.22 करोड़।

स्वीकार्य नहीं था, चूँकि शासनादेश (दिसम्बर 1997) के अनुसार, छात्रावास के कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर रखा जाना था और उनका पारिश्रमिक छात्रावास प्रभार एवं अन्य सेवा प्रभार से लिया जाना था और इस व्यवस्था के लिए कोई भी पद स्वीकृत नहीं किया जाना था। इसलिए, महाविद्यालय को, छात्रावास के संचालन के लिए अपने स्वयं के स्रोतों से सुरक्षा एवं कर्मचारियों की तैनाती की व्यवस्था करनी चाहिए थी।

इस प्रकार, महाविद्यालय, ₹ 2.59 करोड़ के व्यय के पश्चात, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्मित भवन का उपयोग नहीं कर सका। छात्रावास भवन जनवरी 2015 से अनुपयोगी पड़ा था जिससे छात्रों को अपेक्षित लाभ से वंचित रखा गया।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अप्रैल 2018), उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

गृह विभाग

1.4 राजस्व की हानि

निर्धारित दर पर प्रशमन शुल्क की वसूली न किए जाने के कारण ₹ 3.17 करोड़ के राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन, परिवहन खण्ड-1 द्वारा जारी अधिसूचना (09 अगस्त 2016) में मोटर अधिनियम, 1988 की धारा 179 (1)⁵⁶ के अंतर्गत अनुदेशों के उल्लंघन पर प्रशमन शुल्क ₹100 से संशोधित कर ₹ 500 किया गया।

छ: जिलों⁵⁷ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017) में पाया गया कि अधिसूचना जारी होने और गजट में प्रकाशन (01 अक्टूबर 2016) के बाद भी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 179(1) अंतर्गत जारी अनुदेशों का अनुपालन किए बिना 79,230 वाहनों⁵⁸ का चालान संशोधित दर ₹ 500 के स्थान पर ₹100 की दर से किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दोषी पाये वाहनों से ₹ 3.17 करोड़⁵⁹ प्रशमन शुल्क की कम वसूली की गयी (जैसा कि **परिशिष्ट-1.4.1** में वर्णित)।

⁵⁶ धारा 179-आदेशों के अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इंकार करना (1) जो कोई जानबूझकर ऐसे किसी निर्देश की अवज्ञा करेगा जो वैसा निर्देश देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिया गया है या ऐसे किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को बाधा पहुंचाएगा जो व्यक्ति या प्राधिकारी उसका निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित या सशक्त है, वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है, जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

⁵⁷ पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, चमोली एवं टिहरी।

⁵⁸ चमोली: 4,079 वाहन, टिहरी: 3,025 वाहन, ऊधमसिंह नगर: 27,749 वाहन, पिथौरागढ़: 6,228 वाहन, देहरादून: 18,446 वाहन, हरिद्वार: 19,703 वाहन।

⁵⁹ 79,230 वाहन X (₹ 500 - ₹ 100) = ₹ 3,16,92,000 (अर्थात ₹ 3.17 करोड़)।

यह इंगित किए जाने पर सरकार द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को निर्देश जारी किए कि वे संबन्धित जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित करें कि यदि उनके द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की संगत धाराओं में शासन द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क से कम धनराशि वसूल की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

निर्धारित दर से प्रशमन शुल्क की वसूली न होने के कारण ₹ 3.17 करोड़ की राजस्व हानि हुयी, जिसके लिये संबन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी शासन/विभाग द्वारा तय की जानी आवश्यक है।

उद्योग विभाग

1.5 विशेष राज्य पूँजी निवेश सब्सिडी (18 प्रतिशत ब्याज दर सहित) और विशेष ब्याज सब्सिडी की वसूली न किया जाना

यद्यपि योजना के दिशानिर्देश, सब्सिडी दिये जाने की शर्तों के उल्लंघन के प्रकरण में वसूली का प्रावधान करता है फिर भी उद्योग विभाग तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद भी एक दोषी औद्योगिक इकाई से ₹ 49.56 लाख की वसूली करने में विफल रहा।

उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2008 के बाद राज्य में स्थापित नई औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विशेष राज्य पूँजी निवेश सब्सिडी सहायता (वि रा पूँ नि स स⁶⁰) योजना एवं विशेष ब्याज सब्सिडी प्रोत्साहन (वि ब्या स प्रो⁶¹) योजना फरवरी 2008 में लागू की गयी थी। वि रा पूँ नि स स योजना का प्रस्तर 10(3) प्रावधान करता है कि लाभान्वित उद्यमी व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ करने के बाद न्यूनतम 10 वर्ष तक व्यवसाय जारी रखे। इसके अतिरिक्त, योजना का प्रस्तर 11(1) प्रावधान करता है कि उपरोक्त प्रस्तर 10(3) में निहित प्रावधानों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उद्यमी द्वारा प्राप्त राज्य सहायता की राशि की वसूली एकल किस्त में उसी प्रकार से की जाएगी जैसे कि भू राजस्व की वसूली 18 प्रतिशत ब्याज की दर के साथ देय होती है। पुनः वि ब्या स प्रो योजना का प्रस्तर 7(2) प्रावधान करता है कि ब्याज सब्सिडी प्रोत्साहन केवल उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाएगा, जो

⁶⁰ इस योजना के अंतर्गत, उन उद्यमियों, जो राज्य के स्थायी और वास्तविक निवासी हैं, को कार्यशाला-निर्माण, संयंत्र एवं मशीनरी और उपकरण के निर्माण पर किए गए स्थायी पूँजी निवेश का 25 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 30 लाख वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा और अन्य उद्यमियों के लिए कार्यशाला-निर्माण, संयंत्र एवं मशीनरी और उपकरण के निर्माण पर किए गए स्थायी पूँजी निवेश का 20 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 25 लाख।

⁶¹ इस योजना के अंतर्गत, श्रेणी-अ क्षेत्र (पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत और रुद्रप्रयाग) के निर्दिष्ट जिलों में स्थित उद्योगों, जो बैंकों / वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, को कुल स्वीकृत ऋण के 6 प्रतिशत तक साधारण ब्याज का प्रोत्साहन दिया जा सकता है जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 5.00 लाख है और श्रेणी-ब क्षेत्र {पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, देहरादून (विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर और रायपुर के क्षेत्रों को छोड़कर) और नैनीताल (हल्द्वानी एवं रामनगर के क्षेत्रों को छोड़कर)} में निर्दिष्ट किए गए जिलों में स्थित उद्योगों को ब्याज प्रोत्साहन 5 प्रतिशत की दर से या अधिकतम ₹ 3 लाख दिया जा सकता है।

ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के बाद न्यूनतम पाँच वर्ष तक अपने व्यवसाय को जारी रखे अन्यथा सरकार संबन्धित औद्योगिक इकाई से पूरी सब्सिडी राशि वसूलने का अधिकार रखती है।

महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र (जि उ कें), हल्द्वानी के अभिलेखों की जाँच (मई 2017) में पाया गया कि एक उद्यम (मै ब्लू बेल) को जि उ कें से उद्यमी ज्ञापन (उ ज्ञा) भाग-1⁶² पर वि रा पूं नि स स एवं वि ब्या स प्रो योजना से सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, 11 मार्च 2011 को मंजूरी मिली थी, जिसके सापेक्ष ₹25 लाख की पूँजीगत सब्सिडी और ₹6.39 लाख की ब्याज सब्सिडी (जुलाई 2013 और मार्च 2015) स्वीकृत की गई थी और उद्यमी को क्रमशः मार्च 2014 और मार्च 2015 में वितरित की गई। वि रा पूं नि स स एवं वि ब्या स प्रो योजना नियम 2008 के अनुसार यह सब्सिडी होटल की स्थापना के लिए प्रदान की गयी थी। होटल मार्च 2012 में चालू हुआ एवं मार्च 2015 में बंद हो गया तथा उसके बाद अप्रैल 2015 से होटल की इमारत में एक स्कूल शुरू किया गया। चूँकि होटल स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण होने से पहले और ब्याज सब्सिडी प्राप्त (मार्च 2015) करने के पाँच वर्ष पूर्ण होने से पूर्व बंद हो गया था, जिसके लिए उपरोक्त सब्सिडी वि रा पूं नि स स एवं वि ब्या स प्रो योजना के अंतर्गत प्रदान की गयी थी और परिणामस्वरूप उद्यमी पूँजी सब्सिडी पर ₹18.17 लाख⁶³ ब्याज सहित पूँजी सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी की ₹31.39 लाख⁶⁴ की राशि को वापस करने के लिए उत्तरदायी था।

सरकार ने, उत्तर में, अवगत कराया (अप्रैल 2018) कि उद्यमी से पूँजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी की राशि की वसूली न्यायोचित नहीं थी क्योंकि इकाई ने अपना व्यवसाय तीन साल तक जारी रखा था जो कि योजना के प्रावधान में 18 नवम्बर 2011 को किए गए संशोधन⁶⁵ के अनुसार था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा 11 मार्च 2011 को वि रा पूं नि स स योजना के अंतर्गत जि उ कें से उद्यमी ज्ञापन (उज्ञा) भाग-1 पर मंजूरी मिल गई थी जो कि योजना के प्रावधानों में किए गए संशोधन (18 नवम्बर 2011) से पूर्व की थी। इसलिए, किया गया संशोधन इस मामले में लागू नहीं था क्योंकि कोई भी आदेश/अधिसूचना इसके जारी होने की तारीख से लागू होती है, जब तक कि

⁶² उ ज्ञा भाग-1 वि रा पूं नि स स एवं वि ब्या स प्रो योजना के अंतर्गत पंजीकरण का पहला चरण / हिस्सा है। दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र की भौतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उ ज्ञा भाग-1 की स्वीकृति को योजना के अन्तर्गत पूर्व पंजीकरण के रूप में माना गया था और पूँजी निवेश पर सब्सिडी के लिए पात्रता राशि की गणना जि उ कें द्वारा उस राशि पर, जो कि उद्यम द्वारा उ ज्ञा भाग-1 की तिथि से निवेश की गई थी।

⁶³ उद्यमी को ₹25 लाख की पूँजीगत सब्सिडी 18 मार्च 2014 को प्रदान की गई थी। पूँजीगत सब्सिडी ₹25 लाख पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 18.03.14 से 31.03.18 (4 साल 14 दिन) अवधि के कुल ब्याज ₹18,17,260 (₹18.17 लाख माना)।

⁶⁴ ₹(25 लाख+ 6.39 लाख)।

⁶⁵ उत्तराखण्ड शासन के ओ एम संख्या.2931/VII-II/123-उद्योग/08/2011 दिनांक 18 नवम्बर 2011 के द्वारा संशोधन किया गया जिसके अनुसार न्यूनतम उत्पादन अवधि पूर्ववर्ती 10 वर्ष से बदल कर 3 वर्ष कर दिया गया था।

पूर्वव्यापी तिथि से प्रयोज्यता निर्दिष्ट नहीं होती। इसके अतिरिक्त, इकाई ब्याज अनुदान (मार्च 2015) प्राप्त करने के पश्चात पाँच साल की अवधि तक काम नहीं कर रही थी जो कि वि ब्या स प्रो योजना नियम, 2008 के अनुसार आवश्यक था।

इसलिए, उद्योग विभाग तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी दोषी औद्योगिक इकाई से ₹49.56 लाख⁶⁶ की वसूली करने में विफल रहा।

सिंचाई विभाग

1.6 निष्क्रिय व्यय/उद्देश्यों की पूर्ति न होना

खण्ड द्वारा पाइपों की अधिप्राप्ति पर ₹2.42 करोड़ का निष्क्रिय व्यय किया गया जोकि खुले में लावारिस पड़े हुए थे एवं प्रकृति की अनिश्चितताओं पर छोड़ दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, परियोजना के अन्य घटकों पर ₹46.31 लाख का निष्फल व्यय किया गया। इसके अलावा, चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी परियोजना के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा रुद्रप्रयाग जिले (जखोली ब्लॉक) में ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (ग्रा अ वि नि-XVII) के अंतर्गत 18 किलोमीटर (किमी) लंबी लस्तर बाएं नहर निर्माण परियोजना के लिए ₹9.84 करोड़ की स्वीकृति (मार्च 2012) प्रदान की गयी थी। नौ किमी नहर का निर्माण माइल्ड स्टील (एम एस) पाईप से किया जाना था तथा शेष नौ किमी का निर्माण चिनाई चैनल के माध्यम से किया जाना था।

अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड (सिं ख) रुद्रप्रयाग के अभिलेखों के जाँच (मई 2017) में पाया गया कि कार्य के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति (त स्वी), जिसे मुख्य अभियन्ता (मु अ), सिंचाई विभाग को प्रेषित (18 जनवरी 2014) किया गया था, लेखापरीक्षा तिथि तक प्रदान नहीं की गयी थी। तथापि, मु अ एवं विभागाध्यक्ष ने इस परियोजना के लिए ₹280.52 लाख (23 सितम्बर 2013) एवं ₹75 लाख (26 जुलाई 2014) की राशि आवंटित की, यद्यपि गैथाना ग्राम के ग्रामीणों द्वारा इसके संरेखण को लेकर नहर के निर्माण कार्य का विरोध किया गया (27 नवम्बर 2013) था। जाँच में यह भी पाया गया कि 15 किमी नहर, जो वन-भूमि में आती है, की स्वीकृति उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 26 मार्च 2014 को प्रदान की गयी थी। इस तथ्य की जानकारी के बावजूद कि इस परियोजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी तथा संरेखण को लेकर विवाद था, विभाग द्वारा 3.4 किमी में कार्य⁶⁷ संपादित करने के लिए आठ ठेकेदारों के साथ ₹3.29 करोड़ के 17 अलग-अलग अनुबंध गठित किए गए थे (फरवरी-मार्च 2014)। ठेकेदारों ने मार्च 2014 में पाइपों की आपूर्ति की तथा नहर के मुहाने तक पहुँच मार्ग के अभाव में सड़क किनारे उनका ढेर लगा दिया और ठेकेदारों को

⁶⁶ ₹ 31.39 लाख (पूँजीगत सब्सिडी + ब्याज सब्सिडी) + ₹ 18.17 लाख (पूँजीगत सब्सिडी पर 18 प्रतिशत दर से ब्याज)।

⁶⁷ एम एस पाईप की आपूर्ति, ढुलान एवं फिक्सिंग तथा दोनों सिरों पर फ्लेंग, वॉशर, नट-बोल्ट, दो परत पेंट करने और बाहरी सतह पर एक परत पेंट करने और बिछाने के लिए श्रमिक को देय मजदूरी सहित।

₹ 2.42 करोड़⁶⁸ की राशि का भुगतान किया गया। गैथाना गाँव को दरकिनार कर एक पुनरीक्षित सर्वेक्षण (दिसम्बर 2013-फरवरी 2014) किया गया। परिणामस्वरूप, नहर की लम्बाई बढ़कर 21 किमी हो गई जिसमें से 18 किमी लम्बाई वन-भूमि में पड़ती थी। नए संरेखण हेतु प्राक्कलन दो बार पुनरीक्षित (अप्रैल 2015 और फ़रवरी 2016) किया गया और अंततः अधीक्षण अभियंता (अधी अभि) ने ₹ 31.65 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन को कई कारणों⁶⁹ से बिना स्वीकृत किए मूल रूप में खण्ड को वापस कर दिया। ₹ 2.42 करोड़ की लागत से अधिप्राप्त किए गए पाइप चार वर्ष से भी अधिक समय से मार्ग के किनारे/ग्रामीणों की भूमि पर लावारिस पड़े थे। इसके अतिरिक्त, खण्ड ने परियोजना पर ₹ 46.31 लाख⁷⁰ का भी व्यय किया।

इसे इंगित किए जाने पर, खण्ड ने अवगत कराया (मई 2017) कि सितम्बर 2013 में निधि आवंटन के पश्चात निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई एवं तदनुसार अनुबंध गठित किए गए थे। खण्ड द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के पश्चात कार्य को पूर्ण किया जाएगा। तथापि, अधी अभि, सिंचाई विभाग, रुद्रप्रयाग द्वारा अपने नवीनतम उत्तर (नवम्बर 2018) में अवगत कराया कि (i) ग्रामीणों द्वारा संरेखण पर आपत्ति किए जाने के कारण, मूल संरेखण पर कार्य संपादित नहीं किया जा सकता है और वन-भूमि स्वीकृति न होने तथा अनुचित लाभ-लागत अनुपात के कारण नए संरेखण पर भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है; (ii) जब पाइपों को उठाने के लिए कदम उठाए गए तो ग्रामीणों ने पाइपों को उठाने से रोक दिया और पाइपों को अपनी भूमि में रखने की एवज में किराए की माँग की। पाइपों को उठाने तथा किराए के भुगतान हेतु एक प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है और इसके अनुमोदन एवं स्वीकृति के पश्चात, पाइपों को उठाया जाएगा तथा किसी अन्य परियोजना में प्रयोग के लिए भण्डार में रखा जाएगा।

इस प्रकार, खण्ड द्वारा पाइपों की अधिप्राप्ति पर ₹ 2.42 करोड़ का निष्क्रिय व्यय किया गया जोकि खुले में लावारिस पड़े हुए थे एवं प्रकृति की अनिश्चितताओं पर छोड़ दिए गए थे, इसके अतिरिक्त, परियोजना के अन्य घटकों पर ₹ 46.31 लाख का निष्फल व्यय किया गया। इसके अलावा, चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी परियोजना के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2018): उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

⁶⁸ बैंड की लागत, फिक्सिंग शुल्क, सब-गेडिंग को बिछाने और पेंटिंग के लिए भुगतान को छोड़कर।

⁶⁹ 1. पुनरीक्षित प्राक्कलन को परियोजना की स्वीकृति के एक वर्ष के भीतर प्रेषित किया जाना चाहिये था। 2. लाभ-लागत अनुपात एक से कम था, और 3. परियोजना की लागत ₹ 2.50 लाख प्रति हेक्टेयर होनी चाहिये थी जबकि यह ₹ 9.65 लाख प्रति हेक्टेयर थी।

⁷⁰ सर्वेक्षण: ₹ 7.44 लाख, वन-भूमि मुआवजा: ₹ 24.83 लाख, पंहच मार्ग: ₹ 7.95 लाख एवं विविध व्यय: ₹ 6.09 लाख।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1.7 उत्तराखण्ड में ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली

ब्लड बैंक, राष्ट्रीय रक्त नीति में परिकल्पित 100 प्रतिशत स्वैच्छिक रक्तदान (वी बी डी) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिप्लेसमेंट डोनर्स को चरणबद्ध तरीके से कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सका। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एस बी टी सी) द्वारा दी गई सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ पर्याप्त नहीं थीं। एस बी टी सी की वार्षिक रिपोर्ट और चयनित ब्लड बैंकों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार वी बी डी की प्रतिशतता में महत्वपूर्ण अंतर था। राज्य में 35 ब्लड बैंकों में से 13 ब्लड बैंक पाँच महीने से लेकर बीस साल तक एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ ही चल रहे थे। 2015-18 की अवधि के दौरान आयोजित किए जाने वाले आवश्यक 96 निरीक्षणों के सापेक्ष केवल 22 नियमित निरीक्षण ही किए जा सके। 2015-18 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा चयनित किसी भी ब्लड बैंक का निरीक्षण नहीं किया गया था। आठ चयनित ब्लड बैंकों में से पाँच निर्धारित समय में उपकरणों की कैलिब्रेशन नहीं कर रहे थे। डोनर एवं मास्टर पंजिकाओं का रखरखाव अधिनियम में निर्धारित पूर्ण प्रपत्र में नहीं किया जा रहा था।

1.7.1 परिचय

रक्त ट्रांसफ्यूजन एक जीवन-रक्षक माध्यम है जिसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के भीतर रोगी प्रबंधन में एक आवश्यक भूमिका है। भारत सरकार ने एक एकीकृत रणनीति⁷¹ के माध्यम से लोगों को सुरक्षित एवं पर्याप्त रक्त ट्रांसफ्यूजन सेवाओं के प्रावधान के लिए, ट्रांसफ्यूजन संचरित संक्रमण के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रक्त नीति (एन बी पी) तैयार की (अप्रैल 2002 में, 2007 और 2016 में संशोधित)। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स (डी एंड सी) अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत 'ड्रग्स'⁷² की परिभाषा के अनुसार मानव रक्त को आच्छादित किया गया है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सी डी एस सी ओ), लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी, के साथ निरीक्षण करने के बाद राज्य ड्रग कंट्रोलर्स (एस डी सी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के माध्यम से उक्त अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत 'ब्लड बैंकों'⁷³ को विनियमित किया गया है।

नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एन बी टी सी) रक्त केंद्रों के संचालन से संबन्धित सभी मामलों के संबन्ध में सर्वोच्च निकाय है, जबकि राज्य स्तर पर रक्त कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी

⁷¹ केवल स्वैच्छिक, गैर-पारिश्रमिक रक्त डोनर्स से रक्त का संग्रह शामिल है, सभी ट्रांसफ्यूजन संचरित संक्रमणों की स्क्रीनिंग के लिए और अनावश्यक ट्रांसफ्यूजन की कमी।

⁷² मानव के आंतरिक या बाह्य उपयोग के लिए सभी दवाएं और मानव में किसी भी बीमारी या विकार के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए या उपयोग किए जाने वाले सभी पदार्थ।

⁷³ "ब्लड बैंक" का अर्थ है एक स्थान या संगठन या इकाई या संस्था या ऐसे संगठन द्वारा की गई अन्य व्यवस्थाएं, संग्रह के लिए सभी या किसी भी संचालन को पूरा करने के लिए इकाई या संस्थान, एफेरेंसिस (यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त से, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स को अलग करने के बाद, डोनर्स से लिया जाता है एवं फिर से एक साथ उक्त डोनर में ट्रांसफर किया जाता है), भण्डारण, डोनर्स से लिए गए रक्त का प्रसंस्करण और वितरण और/या रक्त घटकों की तैयारी, भण्डारण और वितरण के लिए।

स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (एस बी टी सी) की है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन ए सी ओ) रक्त ट्रांसफ्यूजन सेवाओं को सुदृढ करने के लिए एन बी टी सी को बजट आवंटित करता है। मार्च 2018 तक, राज्य में 35 ब्लड बैंक काम कर रहे थे, जिनमें से 20 राज्य सरकार द्वारा जैसा कि **परिशिष्ट-1.7.1** में वर्णित है, चार केंद्र सरकार द्वारा, सात निजी पार्टियों⁷⁴ द्वारा और चार विभिन्न धर्मार्थ संस्थानों द्वारा प्रबंधित थे। 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार के ब्लड बैंकों में रक्त इकाइयों⁷⁵ का संग्रह राज्य में कुल संग्रह का 48 से 53 प्रतिशत था।

2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान "उत्तराखण्ड में ब्लड बैंकों की कार्यप्रणाली" विषय पर आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा मार्च और मई 2018 के बीच एस डी सी, एस बी टी सी और महानिदेशक स्वास्थ्य के अभिलेखों की जाँच के माध्यम से की गयी थी तथा राज्य सरकार के आठ ब्लड बैंकों⁷⁶ के कार्यालय को 2015-18 की अवधि के दौरान अधिकतम रक्त इकाइयों के संग्रह के आधार पर चुना गया।

1.7.2 एस बी टी सी की भूमिका

एन बी पी के अनुसार, एस बी टी सी राज्य स्तर पर रक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। उत्तराखण्ड में, एस बी टी सी की स्थापना⁷⁷ (अगस्त 2004) सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (स्वा एंव प क) विभाग की अध्यक्षता के रूप में हुई थी। अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

1.7.2.1 कार्य योजना को न बनाना

एन बी पी के प्रावधान के अनुसार, एस बी टी सी को धीरे-धीरे प्रतिस्थापन रक्त डोनर्स⁷⁸ को चरणबद्ध कम करने और स्वैच्छिक रक्त डोनर्स (वी बी डी)⁷⁹ से सुरक्षित और गुणवत्ता वाले रक्त के संग्रह का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता थी। तथापि,

⁷⁴ निजी पार्टियों द्वारा प्रबंधित सात ब्लड बैंकों में से छः अस्पतालों से जुड़े हैं और एक स्टैंडएलोन ब्लड बैंक है (किसी भी अस्पताल से जुड़ा नहीं है)।

⁷⁵ एक यूनिट = 350 एम एल

वर्ष	रक्त संग्रह (यूनिट में) विभिन्न स्तर पर					योग
	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	प्राइवेट	धर्मार्थ संस्थाएं	स्टैंडएलोन ब्लड	
2015-16	58,080(53)	832(1)	14,444(13)	5,860 (5)	30,872(28)	1,10,088
2016-17	59,068(48)	1,569(1)	23,175(19)	10,267(8)	29,793(24)	1,23,872
2017-18	60,836(48)	3,783(3)	21,177(17)	15,845(13)	24,696(19)	1,26,337

⁷⁶ सुशीला तिवारी मेमोरियल (एस टी एम) अस्पताल, हल्द्वानी, (ii) एस एस जीना बेस अस्पताल, हल्द्वानी, (iii) एल डी भट्ट सरकारी अस्पताल, काशीपुर, (iv) एच एम जी जिला अस्पताल, हरिद्वार, (v) एस जे एन एस एम सरकारी संयुक्त अस्पताल, रुड़की, (vi) दून अस्पताल, देहरादून, (vii) बी डी पांडे जिला अस्पताल, पिथौरागढ़ और (viii) बेस अस्पताल श्रीनगर, पौड़ी।

⁷⁷ सोसायटी अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत।

⁷⁸ परिवार/प्रतिस्थापन दाता: एक डोनर जो रोगी के परिवार/समुदाय के किसी सदस्य को रक्त देता है, जिसमें रोगी के परिवार द्वारा डोनर को एक छिपा हुआ भुगतान शामिल हो सकता है (ii) वह जो उसके सदस्य के लिए आवश्यक होने पर रक्त देता है परिवार/समुदाय; इसमें ज़बरदस्ती या भुगतान शामिल हो सकता है और (iii) किसी भी स्रोत से लाभों को शामिल किए बिना किसी विशेष रोगी को आवश्यक रक्त के प्रतिस्थापन में रक्तदान करने वाले रोगी के परिवार या मित्र का सदस्य।

⁷⁹ एक स्वैच्छिक रक्त डोनर वह व्यक्ति होता है जो अपनी मर्जी से रक्त, प्लाज्मा या अन्य रक्त घटक देता है और इसके लिए कोई भुगतान नहीं करता है, या तो नगद के रूप में या उस प्रकार से जिसे पैसे का विकल्प माना जा सकता है।

यह देखा गया कि एस बी टी सी द्वारा ऐसी कोई कार्य योजना तैयार नहीं की जा रही थी। कार्य योजना के अभाव में, एस बी टी सी राज्य में वी बी डी के संबन्ध में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सकी जैसा कि प्रस्तर 1.7.3.1 में विस्तृत है।

सौ प्रतिशत स्वैच्छिक रक्तदान हासिल करने के लिए, एस बी टी सी को प्रतिस्थापन रक्त डोनर्स को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए।

1.7.2.2 एस बी टी सी की गवर्निंग बॉडी की अपर्याप्त बैठकें

एस बी टी सी काउंसिल नियम, 2004 के अनुसार, एस बी टी सी की गवर्निंग बॉडी की बैठकें, इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए, वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जानी थीं। तथापि, यह देखा गया कि 2015-18 की अवधि के दौरान आवश्यक छः बैठकों में से, गवर्निंग बॉडी की केवल दो बैठकें⁸⁰ आयोजित की गईं। परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष की राज्य परिषद की वार्षिक रिपोर्ट, अगले वर्ष के लिए पूछताछ और अनुसंधान कार्य के प्रस्ताव और अगले वर्ष के लिए धन की माँग जैसे मामलों पर समीक्षा एवं चर्चा नहीं की जा सकी।

1.7.2.3 एस बी टी सी द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार (आई ई सी) गतिविधियों का अपर्याप्त आयोजन

एस बी टी सी एक सोसायटी है जिसे एन ए सी ओ और राज्य सरकार द्वारा अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है। एस बी टी सी को उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (यू एस ए सी एस) से अनुदान प्राप्त होता है, जैसा कि एन ए सी ओ द्वारा प्रदान किया जाता है और राज्य अनुदान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के वार्षिक बजट से प्राप्त किया जाता है। एन बी पी के अनुसार, एस बी टी सी द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए जनसंचार माध्यमों सहित संचार के सभी माध्यमों का उपयोग करके आई ई सी अभियान का विकास और प्रारम्भ करना था तथा भुगतान आधारित रक्त डोनर्स के साथ-साथ अनाधिकृत ब्लड बैंकों से रक्त की खरीद से उत्पन्न खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करना था।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान आई ई सी गतिविधियों पर आवंटित बजट और व्यय को नीचे तालिका-1.7.1 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.7.1: आई ई सी गतिविधियों पर बजट आवंटन और व्यय का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य
प्राप्त अनुदान	25.40	11.50	8.96	निरंक	निरंक	निरंक	1.00	2.20	1.41	निरंक
व्यय	16.47	3.89	6.99	0.16	3.29 ⁸¹	0.35	2.04 ⁸²	2.07	1.41	निरंक

स्रोत: एस बी टी सी।

⁸⁰ 03 अगस्त 2015 और 18 मई 2017।

⁸¹ पिछले वर्षों के अनुदानों से।

⁸² पिछले वर्षों की शेष राशि से ₹ 1.04 लाख का अतिरिक्त व्यय किया गया था।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आई ई सी गतिविधियों के लिए एस बी टी सी को आवंटित अनुदानों में भारी गिरावट आई है। लेखापरीक्षा जाँच में पाया कि उपरोक्त अवधि के दौरान एस बी टी सी ने भारत सरकार और राज्य सरकार से आई ई सी गतिविधियों के लिए अनुदान की राशि बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया था। यह भी देखा गया कि वर्ष 2013-14 में 27 आई ई सी गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जबकि वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में क्रमशः नौ, छः, आठ और केवल दो गतिविधियाँ स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए की गयी थीं।

उक्त के संबन्ध में इंगित किए जाने पर, एस बी टी सी ने अवगत कराया कि आई ई सी गतिविधियों को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन ए सी ओ) द्वारा चलाया जा रहा है। जवाब मान्य नहीं था, क्योंकि एन बी पी के दिशानिर्देशों के अनुसार रक्त और रक्त के घटकों की गुणवत्ता, सुरक्षा और उपलब्धता सुनिश्चित करने और 100 प्रतिशत स्वैच्छिक रक्त दान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियमित स्वैच्छिक रक्त दान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एस बी टी सी के द्वारा आई ई सी गतिविधियाँ किया जाना अनिवार्य था। आई ई सी गतिविधियों की कमी को ब्लड बैंकों की खराब उपलब्धि की पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाना चाहिए जैसे कि वी बी डी के संबन्ध में प्रस्तर 1.7.3.1 में चर्चा की गई है।

स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक रूप से जागरूकता पैदा करने के लिए एस बी टी सी को संचार के सभी माध्यमों का उपयोग करके आई ई सी अभियान शुरू करने का प्रयास करना चाहिए।

1.7.2.4 राष्ट्रीय रक्त नीति के प्रावधानों का पालन न किया जाना

एस बी टी सी उत्तराखण्ड द्वारा एन बी पी के निम्नलिखित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

लक्ष्य	प्रावधान	टिप्पणियाँ
मानव संसाधन विकास के माध्यम से जनशक्ति को मजबूत करना	सभी मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफ्यूजन दवा का एक अलग विभाग स्थापित किया जाएगा।	वर्तमान में, राज्य में तीन मेडिकल कॉलेज हैं। तीन मेडिकल कॉलेजों ⁸³ में से किसी एक में भी ट्रांसफ्यूजन दवा विभाग स्थापित नहीं किया गया था।
	सभी ब्लड बैंकों में प्रभावी ट्रांसफ्यूजन सेवाएँ प्रदान करने के लिए चिकित्सकों के अलग केंद्र बनाए जाएंगे।	राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई केंद्र नहीं बनाया गया था।
ट्रांसफ्यूजन दवा और संबन्धित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना	ब्लड बैंकिंग से संबन्धित ट्रांसफ्यूजन दवा और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान की सुविधा के लिए एस बी टी सी द्वारा निधि का कोष बनाया जाना चाहिए।	शोध को सुविधाजनक बनाने के लिए एस बी टी सी द्वारा धन का कोई कोष नहीं बनाया गया था।
	अन्य ब्लड बैंकों के साथ जानकारी साझा करने हेतु नेटवर्किंग की सुविधा के लिए नियमित रूप से सभी ब्लड बैंकों	राज्य में जिला अस्पताल, पौड़ी में ब्लड बैंक को अभी तक नेटवर्क सुविधा से जोड़ा जाना बाकी है। एस बी टी सी ने कहा कि डोनर्स की जानकारी साझा करने के संबन्ध में, प्रत्येक

⁸³ दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, एसटीएम मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर।

	द्वारा उपयोग के लिए कंप्यूटर आधारित सूचना और प्रबंधन प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।	ब्लड बैंक एक डोनर की डायरेक्टरी बनाए हुए है जिसमें दुर्लभ ब्लड ग्रुप डोनर भी सम्मिलित हैं और किसी भी आपात स्थिति में संपर्क किया जा सकता है। डोनर्स की जानकारी के बारे में डेटा ब्लड बैंकों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं बनाया गया था।
रक्त ट्रांसफ्यूजन सेवाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए पर्याप्त नियामक और विधायी कदम उठाने और ब्लड बैंकों में लाभप्रदता को समाप्त करने के लिए कदम उठाये जाने थे।	राज्य/एस बी टी सी द्वारा निजी अस्पतालों/ नर्सिंग होम के पंजीकरण के लिए नियम तैयार करने थे, जिसमें उनके रोगियों के लिए रक्त की खरीद के लिए लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक के साथ संबद्धता के प्रावधान सम्मिलित किए जाने थे।	राज्य सरकार/एस बी टी सी ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया था।

राज्य में राष्ट्रीय रक्त नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए एस बी टी सी द्वारा उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

1.7.2.5 अपर्याप्त जनशक्ति

एस बी टी सी की सुचारू कार्यप्रणाली हेतु, एन ए सी ओ ने निदेशक⁸⁴ का एक पद, उप सहायक निदेशक⁸⁵ के दो पद, अनुभाग अधिकारी का एक पद और अधीनस्थ कर्मचारियों के आठ पदों को स्वीकृत किया (मई 2009)। राज्य सरकार ने निदेशक के एक पद (जून 2016), उप सहायक निदेशकों के दो पद और एस बी टी सी के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों (आउटसोर्सिंग के माध्यम से) के 06 पद सृजित किए। राज्य सरकार द्वारा अनुभाग अधिकारी और दो अधीनस्थ कर्मचारियों के पद सृजित नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त, एस बी टी सी में उप सहायक निदेशकों के सृजित पद नहीं भरे गए हैं। एस बी टी सी ने इस मामले को राज्य सरकार के साथ-साथ एन ए सी ओ के संज्ञान में लाकर अपनी जनशक्ति को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया।

उक्त के संबन्ध में, एस बी टी सी ने अवगत कराया कि एस बी टी सी में रिक्त पदों को भरने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

राज्य में राष्ट्रीय रक्त नीति के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी हेतु राज्य सरकार एन ए सी ओ द्वारा प्रस्तावित एस बी टी सी के स्टाफ को बढ़ा सकती है।

1.7.3 स्वैच्छिक रक्त दान

1.7.3.1 स्वैच्छिक डोनर्स से रक्त का संग्रह

स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम सुरक्षित और गुणवत्ता वाली रक्त संचरण सेवा की नींव है क्योंकि स्वैच्छिक गैर-पारिश्रमिक रक्त डोनर्स से रक्त संग्रह को सबसे सुरक्षित माना जाता है। इस संदर्भ में,

⁸⁴ उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के निदेशक के द्वारा पदेन पदभार और प्रभार की देखभाल की जा रही थी।

⁸⁵ मेडिकल-01 और आई ई सी-01।

एन बी पी के अनुसार रिप्लेसमेंट डोनर्स के चलन को धीरे-धीरे समयबद्ध कार्यक्रम में, 100 प्रतिशत स्वैच्छिक गैर-पारिश्रमिक रक्त दान प्राप्त करने हेतु, चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।

(अ) चयनित ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान की स्थिति

चयनित ब्लड बैंकों के अभिलेखों की जाँच से पाया गया कि एच एम जी जिला अस्पताल, हरिद्वार को छोड़कर, अन्य ब्लड बैंक, एन बी पी में अनुमानित 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिप्लेसमेंट डोनर्स को चरणबद्ध तरीके से कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सके। नमूना जाँच किये आठ ब्लड बैंकों में से पाँच ब्लड बैंकों⁸⁶ में, कुल एकत्र हुई रक्त इकाइयों (टी बी सी) के सापेक्ष वी बी डी की प्रतिशता 2015-16 की तुलना में 2017-18 में घट गयी। इसके अलावा, एस बी टी सी द्वारा प्रतिस्थापन डोनर को धीरे-धीरे कम करने के लिए कार्य योजना के अभाव में आठ में से सात ब्लड बैंक⁸⁷ लक्ष्य का 40 प्रतिशत भी प्राप्त नहीं कर सके जैसा कि **परिशिष्ट-1.7.2** में वर्णित है और ये ब्लड बैंक मुख्य रूप से प्रतिस्थापन दान पर निर्भर थे।

उत्तर में, संबन्धित ब्लड बैंकों ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में नीति का अनुपालन किया जाएगा।

एस बी टी सी को 100 प्रतिशत स्वैच्छिक रक्तदान प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए एवं राज्य के सभी ब्लड बैंकों से भी इसका अनुपालन सुनिश्चित कराना चाहिए।

(ब) डेटा का मिलान न होना

एस बी टी सी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एवं चयनित ब्लड बैंकों से प्राप्त वी बी डी की प्रतिशता के आँकड़ों में महत्वपूर्ण अंतर था। जैसा कि **परिशिष्ट-1.7.2** में विस्तृत है।

एस बी टी सी ने अवगत कराया कि वार्षिक रिपोर्ट में दिखाए गए आँकड़े स्वैच्छिक रक्त डोनर्स और परिवार डोनर्स के योग थे। जबकि, एन ए सी ओ की पारिवारिक डोनर की परिभाषा के अनुसार, परिवार दाता, रिप्लेसमेंट डोनर्स की श्रेणी में आता है। इसलिए वी बी डी के बारे में एस बी टी सी के आँकड़े बढ़े हुए पाये गये और राज्य में वी बी डी की सही स्थिति को चित्रित नहीं किया गया।

(स) निजी, केन्द्र सरकार, धर्मार्थ एवं स्टैंडएलोन ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान की स्थिति

एस बी टी सी द्वारा निजी, केन्द्र सरकार, धर्मार्थ एवं स्टैंडएलोन ब्लड बैंकों के लिए तैयार की गई वी बी डी के संबन्ध में वार्षिक रिपोर्ट से पता चला कि 2015-18 की अवधि के दौरान सात ब्लड

⁸⁶ (i) एस टी एम अस्पताल हल्द्वानी, (ii) एस एस जीना बेस अस्पताल हल्द्वानी, (iii) एल डी भट्ट, अस्पताल काशीपुर, (iv) एच एम जी जिला अस्पताल हरिद्वार और (v) एस जे एन एस एम अस्पताल, रुड़की।

⁸⁷ (i) एस टी एम अस्पताल हल्द्वानी, (ii) एस एस जीना बेस अस्पताल हल्द्वानी, (iii) एल डी भट्ट, अस्पताल काशीपुर, (iv) एस जे एन एस एम अस्पताल रुड़की, (v) दून अस्पताल देहरादून, (vi) बी डी पांडे अस्पताल पिथौरागढ़ और (vii) बेस अस्पताल श्रीनगर।

बैंकों⁸⁸ में वी बी डी की प्रतिशता बहुत कम थी। इसके अतिरिक्त, यह बी एच ई एल, हरिद्वार के ब्लड बैंक के मामले में शून्य प्रतिशत था जैसा कि निम्न तालिका-1.7.2 में दिया गया है। इन ब्लड बैंकों ने ज्यादातर रिप्लेसमेंट डोनर्स से रक्त एकत्र किया।

तथापि, आठ ब्लड बैंकों में वी बी डी की प्रतिशतता संतोषजनक थी और उपरोक्त अवधि के दौरान आई एम ए ब्लड बैंक द्वारा 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया था।

तालिका-1.7.2: निजी/केंद्र सरकार/धर्मार्थ/स्टैंडएलोन में वी बी डी के प्रतिशता का विवरण

क्र.सं.	ब्लड बैंक	वी बी डी का प्रतिशता ⁸⁹			
		ब्लड बैंक का नाम	2015-16	2016-17	2017-18
1.	निजी	मैक्स अस्पताल, देहरादून	7	5	18
2.		एच आई एच टी जौलीग्रॉंट, देहरादून	89	63	67
3.		सुभारती, देहरादून	-	22	19
4.		श्रीकृष्णा, ऊधमसिंह नगर	-	11	20
5.		कैलाश अस्पताल, देहरादून	-	-	13
6.		जीवन रेखा अस्पताल, काशीपुर	100	100	94
7.	केंद्र	एम एच, देहरादून	100	97	100
8.		एम एच, रुड़की	71	91	100
9.		बी एच ई एल, हरिद्वार	0	0	0
10.		ए आई आई एम एस, ऋषिकेश	-	61	43
11.	धर्मार्थ	सेवा चेरिटेबल ब्लड बैंक, बाजपुर	--	--	20
12.		महन्त इंद्रेश, अस्पताल, देहरादून	84	96	98
13.		आर के एम एस, हरिद्वार	4	9	37
14.		काशीपुर चेरिटेबल ब्लड बैंक, काशीपुर	--	--	81
15.	एकल	आई एम ए ब्लड बैंक, देहरादून	100	100	100

स्रोत: एस बी टी सी की प्रगति रिपोर्ट।

नोट: क्र सं 3, 4, और 10, 2016-17 में प्रारम्भ हुए व क्र सं 5, 11 और 14 वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ हुए।

एस बी टी सी ने अवगत कराया कि 100 प्रतिशत स्वैच्छिक दान संभव नहीं था और इस उद्देश्य के लिए निजी ब्लड बैंकों में पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति आदि के बारे में कुछ सीमाएँ थीं। एस बी टी सी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एन बी पी के अनुसार राज्य स्तर पर, एस बी टी सी प्रतिस्थापन डोनर को बाहर करने हेतु नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और वी बी डी के माध्यम से 100 प्रतिशत संग्रह को लागू करना विचारणीय था। इसके अतिरिक्त, निजी पार्टी द्वारा संचालित आई एम ए ब्लड बैंक (स्टैंडएलोन ब्लड बैंक) ने 2015-18 की अवधि के दौरान लगातार तीन वर्षों में 100 प्रतिशत वी बी डी प्राप्त किया एवं इस ब्लड बैंक ने उपरोक्त अवधि में राज्य में सबसे अधिक रक्त इकाइयों का योगदान दिया था।

⁸⁸ तालिका-1.7.2 में क्रमांक 1, 3, 4, 5, 9, 11 और 13।

⁸⁹ वी बी डी की प्रतिशता की गणना संबन्धित ब्लड बैंक द्वारा एकत्र की गई कुल रक्त इकाइयों के सापेक्ष की जाती है।

1.7.4 विनियामक मुद्दे

1.7.4.1 ब्लड बैंकों को लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करना

रक्त को 'दवा' के रूप में पहचाने जाने से, ब्लड बैंकों को दवा और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है। एस डी सी नियामक प्राधिकरण है, जो सी डी एस सी ओ की संस्तुति के साथ ब्लड बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार है। लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण से पहले ड्रग इंस्पेक्टर और सी डी एस सी ओ के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाना चाहिए। लाइसेंस के जारी / नवीनीकरण की प्रक्रिया **परिशिष्ट-1.7.3** में विस्तृत है। लाइसेंस पाँच साल तक वैध होते हैं, जिसके बाद आवश्यक श्रमशक्ति और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के संबन्ध में नए सिरे से निरीक्षण करने के बाद उसका नवीनीकरण किया जाता है। 2015-18 की अवधि के दौरान, राज्य में 17 ब्लड बैंक के लाइसेंस नवीनीकृत किए जाने थे। इनमें से केवल चार ब्लड बैंकों के लाइसेंस नवीनीकृत किए गए थे जैसा कि **परिशिष्ट-1.7.4** में वर्णित है।

एस डी सी के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राज्य में 35 ब्लड बैंकों में से 13 (12 सरकारी और एक निजी) ब्लड बैंक एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ संचालन कर रहे थे (जून 2018 तक)। इन 13 ब्लड बैंकों में से दून ब्लड बैंक का मामला अनुमोदन के लिए सी डी एस सी ओ को भेजा गया था और छः ब्लड बैंक लाइसेंस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण न किए जाने के कारण छः महीने से दो साल तक की अवधि तक बिना लाइसेंस के संचालन कर रहे थे। छः मामलों में, निरीक्षण अधिकारियों ने निरीक्षण किया था और विभिन्न कमियों को उजागर किया था जैसे प्रयोगशाला और रक्त के भण्डारण के लिए अपर्याप्त स्थान, ब्लड बैंक में असंतोषजनक साफ-सफाई; उपकरणों का कैलिब्रेशन न किया जाना, अभिलेखों का अपर्याप्त रखरखाव, थर्मोग्राफ का काम नहीं करना, जैसा कि **परिशिष्ट-1.7.4** में वर्णित है। तथापि, ब्लड बैंकों द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया एवं आठ महीने से बीस साल⁹⁰ तक बिना लाइसेंस के संचालन कर रहे थे जैसा कि **परिशिष्ट-1.7.5** में वर्णित है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के नियम 122-ओ के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकारी या अनुमोदन प्राधिकारी, लाइसेंसधारक को कारण बताओ नोटिस देने के बाद ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द या निलंबित कर सकता है। तथापि, ब्लड बैंकों के संयुक्त निरीक्षण में इंगित कमियों को सुधारने में नाकाम रहने वाले ब्लड बैंकों के विरुद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारी या अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

बिना लाइसेंस के ब्लड बैंकों के संचालन में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आवश्यक मानकों में कमी तथा असुरक्षित रक्त की आपूर्ति जोखिम से भरा होता है।

⁹⁰ जिला अस्पताल, पिथौरागढ़ और जिला अस्पताल, उत्तरकाशी क्रमशः 20 साल और 10 से अधिक वर्षों से लाइसेंस के बिना चल रहे थे।

राज्य ड्रग कंट्रोलर को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोषी ब्लड बैंकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

1.7.4.2 ब्लड बैंकों को लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करने की प्रक्रिया में अनियमितताएँ

उत्तराखण्ड एस डी सी के अभिलेखों की जाँच के दौरान, ब्लड बैंकों के लाइसेंस को नवीनीकृत करने में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं:

ब्लड बैंक का नाम	मानदण्ड	टिप्पणियाँ
सुभारती अस्पताल , देहरादून	लाइसेंस की शर्त के अनुसार, लाइसेंस में उल्लिखित तकनीकी कर्मचारियों में किए गए किसी भी बदलाव को तुरंत लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा। जहां ब्लड बैंक के संविधान में कोई परिवर्तन होता है, वर्तमान लाइसेंस को उस तारीख से तीन महीने की अधिकतम अवधि के लिए मान्य माना जाएगा, जिस पर परिवर्तन हुआ है।	लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा कार्यरत तकनीकी स्टाफ के नाम का उल्लेख करके अवधि (मई 2015 से मई 2020) के लिए ब्लड बैंक का लाइसेंस नवीनीकृत (मई 2015) किया गया था। लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण (मई 2017) के समय, यह पाया गया कि लाइसेंस में उल्लिखित तकनीकी स्टाफ ने संयुक्त निरीक्षण की तारीख से एक साल पहले ही ब्लड बैंक छोड़ दिया था। लाइसेंस की शर्त के अनुसार, लाइसेंस अधिकतम तीन महीने के लिए मान्य था। इसलिए ब्लड बैंक वैध लाइसेंस के बिना चल रहा था।
सुशीला तिवारी मेमोरियल (एस टी एम) अस्पताल, हल्द्वानी	लाइसेंस निरंतरता में प्रदान किया जाना था।	फरवरी 2010 से फरवरी 2015 तक इसे नवीनीकृत करने के बजाय लाइसेंस मार्च 2012 से मार्च 2017 तक नवीनीकृत किया गया था। इस प्रकार लाइसेंसिंग प्राधिकरण की लापरवाही के कारण से ब्लड बैंक को दो साल तक वैध लाइसेंस के बिना काम करने दिया गया।
सभी ब्लड बैंक	राष्ट्रीय रक्त नीति (एन बी पी) प्रावधानित करती है कि ब्लड बैंकों को लाइसेंस जारी करना/नवीनीकरण इस शर्त के अधीन है कि लाइसेंसधारक को पूर्व का लाइसेंस रक्त संग्रह रिपोर्ट, चिकित्सा अधिकारी और परामर्शदाता का प्रमाण और विवरण एवं अलग-अलग सुविधाओं के रक्त घटक को इंगित करने वाली वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि एस डी सी से पिछले लाइसेंस की फोटो प्रति जमा करके 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एन ओ सी) प्राप्त करना है।	अभिलेखों की जाँच से पता चला कि एस डी सी से आवश्यक एन ओ सी के बिना सभी ब्लड बैंकों को लाइसेंस जारी/नवीनीकृत किए जा रहे थे।

1.7.4.3 ब्लड बैंकों के नियमित निरीक्षण का अभाव

लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अनुसार, रक्त और रक्त उत्पादों के मानक का पता लगाने के लिए, एक ब्लड बैंक की, सी डी एस सी ओ के ड्रग इंस्पेक्टरों की एक टीम और राज्य लाइसेंसिंग

प्राधिकरण तथा यदि आवश्यक हो तो एक विशेषज्ञ के साथ, लाइसेंस की दिनांक से आवधिक रूप से वर्ष में कम से कम एक बार पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए।

एस बी टी सी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2015-18 के दौरान लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा 96 निरीक्षण⁹¹ किए जाने थे। तथापि, एस डी सी से एकत्रित जानकारी में पाया गया कि उपरोक्त अवधि के दौरान केवल 22 निरीक्षण⁹² ही किए जा सके। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2015-18 के दौरान चयनित ब्लड बैंकों में से किसी का भी निरीक्षण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, एस डी सी ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण नियमित निरीक्षण नहीं किए जा सके। ब्लड बैंकों के निरीक्षण के अभाव में, रक्त और रक्त घटकों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ब्लड बैंकों की कार्यापद्धति को सुनिश्चित करने के लिए, लाइसेंस का अनुमोदन (सी डी एस सी ओ) एवं जारी करने (स्टेट ड्रग कंट्रोलर) वाले प्राधिकारियों को ब्लड बैंकों का नियमित निरीक्षण करना चाहिए।

1.7.5 रक्त और रक्त घटकों का गुणवत्ता नियंत्रण

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ब्लड बैंकों को विभिन्न विधियों अर्थात् न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन परीक्षण (एन ए टी), एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोरबेंट परख (एलिसा) III एवं IV और रैपिड टेस्ट किट का उपयोग करके एकत्रित रक्त के विरुद्ध विभिन्न परीक्षण (स्क्रीनिंग) सीफिलिस, मलेरिया, एच आई वी I और II, हेपेटाइटिस बी और सी करने की आवश्यकता होती है। इन सभी परीक्षणों में संक्रमण का पता लगाने के लिए अलग-अलग संवेदनशीलता है; कुछ परीक्षण संक्रमित (विंडो पीरियड) से कम अवधि के भीतर संक्रमण का पता लगा सकते हैं। लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पायी गईं:

1.7.5.1 एच आई वी के लिए खून की अपर्याप्त जाँच

एन ए सी ओ के निर्देशों के अनुसार, एच आई वी के लिए रक्त की जाँच आवश्यक रूप से तीन अलग-अलग एंटीजन अर्थात् दो रैपिड और एक एलिसा एंटीजन या दो एलिसा और एक रैपिड एंटीजन का उपयोग करके की जानी चाहिए। आगे यह निर्देशित किया गया कि एड्स, हेपेटाइटिस बी एवं सी, सीफिलिस और मलेरिया के खिलाफ रक्त की जाँच के लिए एलिसा रीडर और आवश्यक एलिसा परीक्षण किट और विभिन्न रैपिड टेस्ट किट यू एस ए सी एस द्वारा सभी ब्लड बैंकों को उपलब्ध कराए जाने हैं। यह पाया गया कि एच एम जी जिला अस्पताल, हरिद्वार ब्लड बैंक को छोड़कर सभी चयनित ब्लड बैंक एच आई वी के खिलाफ रक्त की जाँच के लिए एलिसा रीडर का उपयोग नहीं कर रहे थे, जिससे रक्त के प्राप्तकर्ताओं को संक्रमण होने की आशंका बनी रहती है। तथापि, जैसा कि

⁹¹ 2015-16=30; 2016-17=33; और 2017-18=33 (योग-96)।

⁹² 2015-16=03; 2016-17=08; और 2017-18=11 (योग-22)।

एन ए सी ओ द्वारा प्रदान/निर्दिष्ट किया गया था सभी एकत्रित रक्त इकाइयों (ब्लड बैंक पिथौरागढ़ को छोड़कर जैसा कि **प्रस्तर 1.7.6 ब में वर्णित है**), को विभिन्न रैपिड टेस्ट किट द्वारा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सीफिलिस और मलेरिया के लिए जाँच / परीक्षण किया जा रहा था।

जब लेखापरीक्षा द्वारा एच आई वी के विरुद्ध रक्त इकाइयों के परीक्षण के लिए एलिसा एंटीजन के उपयोग न किए जाने के बारे में इंगित किया गया, तो ब्लड बैंकों ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि एलिसा एच आई वी परीक्षण किट यू एस ए सी एस द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जा रहे थे।

एस बी टी सी और राज्य ड्रग कंट्रोलर को एच आई वी के विरुद्ध रक्त की जाँच के बारे में एन ए सी ओ के दिशानिर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण करना चाहिए।

1.7.5.2 ब्लड बैंकों द्वारा उपकरणों के अप्रभावी कैलिब्रेशन

अधिनियम में, अन्य बातों के साथ, आवश्यक है कि संग्रह और प्रसंस्करण, परीक्षण, रक्त और रक्त घटकों के भण्डारण के लिए ब्लड बैंकों में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का नियमित और अनुसूचित आधार पर मानकीकरण और कैलिब्रेट किए जाएँ। प्रारंभिक उपयोग से पहले प्रयोगशाला थर्मामीटर को कैलिब्रेट किया जाना आवश्यक है; हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज को वार्षिक कैलिब्रेट किया जाना और चार अन्य उपकरणों⁹³ को छमाही आधार पर कैलिब्रेट किया जाना है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016 के बाद से तीन ब्लड बैंकों के उपकरणों⁹⁴ को कैलिब्रेट नहीं किया गया था; जिला अस्पताल, पिथौरागढ़ में उपकरण 2015 से तथा सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में 2017 से कैलिब्रेट नहीं किए गए थे जैसा कि **परिशिष्ट-1.7.6** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा कि भविष्य में कैलिब्रेशन किए जाएंगे।

निर्धारित अंतराल पर उपकरण का कैलिब्रेशन न किए जाने से त्रुटिपूर्ण और अविश्वसनीय रीडिंग जोखिम से भरा होता है, जिसके परिणामस्वरूप रक्त की अविश्वसनीय गुणवत्ता एकत्र एवं जारी की जा सकती है, जिससे रोगियों को जोखिम में डाला जा सकता है।

1.7.5.3 डोनर रजिस्टर

अधिनियम में यह प्रावधान है कि प्रत्येक ब्लड बैंक को क्रम संख्या, दान की दिनांक, नाम, पता और डोनर के हस्ताक्षर के साथ आयु का विवरण, वजन, हिमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर, चिकित्सीय जाँच बैग संख्या एवं रोगी का विवरण, दान की श्रेणी, डेफरल अभिलेख⁹⁵ और चिकित्सा अधिकारी

⁹³ जनरल लैब सेंट्रीफ्यूज, ऑटोमेटेड ब्लड टाइपिंग, हिमोग्लोबिन मीटर और रिफ्रेक्टोमीटर या यूरिनोमीटर।

⁹⁴ (i) एल डी भट्ट अस्पताल काशीपुर, (ii) एस एस जीना अस्पताल हल्द्वानी और (iii) एस जे एन एम अस्पताल रुड़की।

⁹⁵ डेफरल अभिलेख ब्लड डोनर रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं। यह उन डोनर्स का रिकॉर्ड है जिन्हें संक्रामक बीमारी होने के संदेह के कारण रक्तदान से बाहर रखा गया है।

प्रभारी के हस्ताक्षर इंगित करते हुए डोनर रजिस्टर का रखरखाव करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, रक्त दान के लिए सामान्य स्थितियां यह प्रदान करती हैं कि डोनर की आयु 18 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए; वजन 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए; हिमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए; और औषधि के बिना रक्तचाप सामान्य स्थिति में होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस एस जीना अस्पताल, हल्द्वानी को छोड़कर सभी चयनित ब्लड बैंकों में, इस रजिस्टर को अधिनियम में निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण रूप से बनाया नहीं जा रहा था। आयु, वजन, हिमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर, डोनर के हस्ताक्षर और चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर रजिस्टर में दर्ज नहीं किए जा रहे थे। परिणामस्वरूप, रक्तदान के लिए उपर्युक्त सामान्य शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

1.7.5.4 मास्टर रजिस्टर

अधिनियम में रक्त और रक्त घटकों के लिए एक मास्टर रजिस्टर निर्धारित किया गया है जिसका प्रत्येक ब्लड बैंक द्वारा रखरखाव किया जाना चाहिए। इस रजिस्टर में बैग सीरियल नंबर, संग्रह की तारीख, समाप्ति की तारीख, मात्रा एम एल में, आर एच समूह, एच आई वी, मलेरिया, हेपेटाइटिस, सीफिलिस के परीक्षण के लिए परिणाम, विवरण के साथ डोनर का नाम और पता, उपयोग जारी करने की संख्या, घटक तैयार या खारिज किया गया और चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

चयनित ब्लड बैंकों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि तीन⁹⁶ ब्लड बैंक मास्टर रजिस्टर का रखरखाव नहीं कर रहे थे और अन्य पाँच⁹⁷ इस रजिस्टर को पूर्ण रूप से नहीं बना रहे थे। रक्त की मात्रा, आर एच समूह, उपयोग जारी करने की संख्या और चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर रजिस्टर में दर्ज नहीं किए जा रहे थे। इसलिए, इन ब्लड बैंकों में मास्टर अभिलेख नहीं था, जैसा कि रक्त और इसके घटकों के लिए निर्धारित था तथा यह अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध था।

इसे इंगित किये जाने पर, ब्लड बैंकों ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में अधिनियम का अनुपालन किया जाएगा।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के सभी प्रावधानों के अनुपालन के लिए, एस बी टी सी और राज्य ड्रग कंट्रोलर को ब्लड बैंकों की कार्यपद्धति का अनुश्रवण सुनिश्चित करना चाहिए और यह भी

⁹⁶ (i) एस टी एम मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, (ii) बी डी पांडे जिला अस्पताल, पिथौरागढ़ और (iii) एल डी भट्ट अस्पताल, काशीपुर।

⁹⁷ (i) एस एस जेना बेस अस्पताल, हल्द्वानी, (ii) एच एम जी जिला अस्पताल, हरिद्वार, (iii) एस जे एन एस एम सरकारी संयुक्त अस्पताल, रुड़की, (iv) दून अस्पताल, देहरादून, और (v) बेस अस्पताल श्रीनगर, पौड़ी।

सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिनियम के सभी प्रावधानों का अनुपालन राज्य में ब्लड बैंकों द्वारा किया जा रहा है।

1.7.6 जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में ब्लड बैंक द्वारा अधिनियम का घोर उल्लंघन

चयनित ब्लड बैंकों द्वारा रक्त और रक्त घटकों की गुणवत्ता नियंत्रण से संबन्धित, उपर्युक्त कमियों के अतिरिक्त बी डी पांडे जिला अस्पताल, पिथौरागढ़ के ब्लड बैंक के अभिलेखों की संवीक्षा और भौतिक निरीक्षण में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

(अ) यह ब्लड बैंक 1998 से वैध लाइसेंस के बिना काम कर रहा है। यह संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा 2002, 2007 और 2018 में बताई गई सभी कमियों⁹⁸ को दूर करने में विफल रहा। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा इसकी खराब कार्यपद्धति के बावजूद, डोनर और प्राप्तकर्ता दोनों के जीवन को खतरे में डालते हुए कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई थी।

(ब) अधिनियम के अनुसार एकत्रित रक्त की एच आई वी, हेपेटाइटिस बी और सी, मलेरिया और सीफ़िलिस का पता लगाने के लिए ठीक से जाँच की जानी है ताकि गुणवत्ता वाला रक्त प्रदान किया जा सके जो किसी भी संक्रामक बीमारी से मुक्त हो। तथापि, यह पाया गया कि 02 फरवरी 2017 से 31 मार्च 2018 (14 माह) के दौरान, मलेरिया की जाँच के बिना 1,194 रक्त इकाइयों⁹⁹ और 21 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2018 (20 माह) के दौरान 707 रक्त इकाइयों¹⁰⁰ को सीफ़िलिस जाँच के बिना रोगियों को जारी किया गया।

उक्त के संबन्ध में इंगित किए जाने पर, चिकित्सा अधिकारी, ब्लड बैंक, पिथौरागढ़ ने अवगत कराया कि स्लाइड विधि के माध्यम से मलेरिया की जाँच की जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्लाइड विधि के साथ मलेरिया परीक्षण करने के लिए अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। उपरोक्त अवधि के दौरान, अस्पताल के स्टॉक अभिलेख के अनुसार मलेरिया और सीफ़िलिस के लिए एकत्रित रक्त इकाइयों की जाँच के लिए ब्लड बैंक के पास आवश्यक संख्या में टेस्ट किट नहीं थे।

ब्लड बैंक के भौतिक सत्यापन में निम्न कमियाँ दिखाई दीं:

⁹⁸ नसबंदी और प्रशासन कक्ष प्रदान नहीं किया गया; संक्रमणीय बीमारी के लिए प्रयोगशाला का उपयोग अन्य उपभोग्य वस्तुओं के भण्डारण के रूप में भी किया जाता है; रिकॉर्ड और स्टोर रूम उचित तरीके से नहीं थे; संक्रामक रोग के लिए रक्त जाँच केवल रैपिड किट विधि द्वारा किया गया था, एलिसा का उपयोग नहीं किया जा रहा था, आदि।

⁹⁹ केवल 291 परीक्षण किट (91 प्रारंभिक संतुलन + 200 उल्लेखित अवधि के दौरान प्राप्त हुए थे) स्टॉक में उपलब्ध थे जबकि अवधि के दौरान 1,485 रक्त इकाइयों (अर्थात् 1,485-291 = 1,194) की जाँच की गई थीं।

¹⁰⁰ स्टॉक में केवल 3,318 वी डी आर एल परीक्षण किट (1,318 उद्घाटन शेष + 2000 प्राप्त हुए थे) स्टॉक में उपलब्ध थे जबकि अवधि के दौरान 4,025 रक्त इकाइयों की जाँच की गई थी। अर्थात् (4,025-3,318 = 707)।

<p>अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि रक्त समूह सेरोलॉजी और रक्त संचारित बीमारियों जैसे हेपेटाइटिस, सीफिलिस, मलेरिया और एच आई वी के लिए अलग प्रयोगशाला होनी चाहिए।</p> <p>यह पाया गया कि रक्त समूह द्वारा रक्त समूह सेरोलॉजी और रक्त संचारणीय रोगों का परीक्षण एक साथ एक ही प्रयोगशाला में किया जा रहा था, जैसा कि साथ में चित्र संख्या 1.7.1 में दर्शाया गया है।</p>	
<p>अधिनियम के अनुसार, ब्लड बैंक का संचालन और रक्त घटकों की तैयारी स्वच्छ परिस्थितियों में होनी चाहिए। कमरों की दीवार और फर्श, जहां रक्त का संग्रह या रक्त घटकों की तैयारी की जाती है, चिकनी, धोने योग्य और साफ रखने काबिल होनी चाहिए। नालियां पर्याप्त आकार की होनी चाहिए और सीधे सीवर से जुड़ी होनी चाहिए।</p> <p>भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि उचित जल निकासी प्रणाली के अभाव में, पानी नाली से बाहर निकल रहा था और फर्श पर बिखर रहा था। डिस्पोजेबल आइटम ब्लड बैंक की गैलरी में रखे गए थे। परिणामस्वरूप, ब्लड बैंक अस्वच्छ स्थिति में संचालित हो रहा था, जैसा कि साथ में चित्र संख्या 1.7.2 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त अपशिष्ट रक्त और रक्त नलियों को परीक्षण की मेज पर रखे गए कूड़ेदान में डाला गया था जैसा कि चित्र संख्या-1.7.1 में दर्शाया गया है।</p>	<p>चित्र संख्या 1.7.1: ब्लड बैंक द्वारा एक ही प्रयोगशाला में ब्लड ग्रुप सीरोलॉजी और रक्त संचारणीय रोगों का परीक्षण किया जा रहा था।</p>  <p>चित्र संख्या 1.7.2: अस्पताल की कार्यपद्धति बहुत ही अस्वच्छ परिस्थितियों में संचालित थी।</p>
<p>रक्त की थैलियों को बंद करने के लिए ट्यूब सीलर के स्थान पर मोमबत्ती की लौ का उपयोग किया जा रहा था, जैसा कि साथ में चित्र संख्या 1.7.3 में दर्शाया गया है, तथापि, ब्लड बैंक के स्टोर में ट्यूब सीलर्स उपलब्ध थे। यह अस्वच्छ तरीका रक्त की गुणवत्ता को कम कर सकता है।</p>	 <p>चित्र संख्या 1.7.3: अस्पताल में मोमबत्ती की लौ का उपयोग किया जा रहा था</p>
<p>साथ में चित्र संख्या 1.7.4 में दर्शाए गए रक्त के क्रॉस मिलान के लिए एक्सपायर्ड टेस्ट किट का उपयोग किया जा रहा था। स्टोर में सीफिलिस के परीक्षण के लिए कई एक्सपायर्ड रैपिड टेस्ट किट मिले।</p>	 <p>चित्र संख्या 1.7.4: रक्त के क्रॉस मिलान के लिए एक्सपायर्ड परीक्षण किट का उपयोग किया जा रहा था।</p>

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के घोर उल्लंघन के लिए, एस डी सी को अधिनियम के नियम 122-ओ के अनुसार ब्लड बैंक के विरुद्ध उचित कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।

1.7.7 जिला चंपावत में ब्लड बैंक की स्थापना नहीं होना

एन बी पी के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ब्लड बैंक होना चाहिए। यह पाया गया कि एन बी पी के लागू होने (2002) के सोलह वर्षों के बाद भी, लेखापरीक्षा की तिथि (मई 2018) तक जिला चंपावत में कोई ब्लड बैंक स्थापित नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने महानिदेशक, स्वास्थ्य को सूचित (जून 2016) किया कि ब्लड बैंक की स्थापना नहीं होने के कारण मरीजों को समय पर रक्त नहीं मिल सका और परिणामस्वरूप, कई रोगियों की मृत्यु रक्त की पूर्ति न होने से हुई। तथापि, महानिदेशक, स्वास्थ्य द्वारा इस संबंध में दो साल (जून 2018) के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इसे इंगित किए जाने पर, एस बी टी सी ने अवगत कराया कि ब्लड बैंक भवन का निर्माण 2011 में मापदण्डों के अनुसार किया गया था। तथापि, आवश्यक उपकरण वर्ष 2016-17 के दौरान खरीदे जा सके थे क्योंकि 2011-12 से 2015-16 के दौरान निधि उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, यह अवगत कराया कि जिला अस्पताल ने ब्लड बैंक की स्थापना के लिए 2017-18 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। एस बी टी सी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधि की माँग एस बी टी सी ने 2015-16 में की थी।

अतः चंपावत में ब्लड बैंक की स्थापना में अत्यधिक विलम्ब ने, न केवल स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता को दर्शाया है, बल्कि रोगियों के जीवन को भी खतरे में डाल दिया।

1.7.8 निष्कर्ष

एस बी टी सी द्वारा कार्ययोजना के अभाव में तथा अपर्याप्त आई ई सी क्रियाकलापों के कारण जैसा कि रक्त नीति में परिकल्पित है, ब्लड बैंक रिप्लेसमेंट डोनर्स को चरणबद्ध तरीके से कम करके वी बी डी का 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर सके। एस बी टी सी की वार्षिक रिपोर्ट और चयनित ब्लड बैंकों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार वी बी डी के प्रतिशत में महत्वपूर्ण अंतर था। राज्य में 35 ब्लड बैंकों में से, 13 लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण न किये जाने या सम्बन्धित ब्लड बैंकों द्वारा कमियों को दूर न किये जाने के कारण एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ पाँच माह से 20 वर्ष तक संचालित हो रहे थे। 2015-18 की अवधि के दौरान 96 निरीक्षणों के सापेक्ष केवल 22 निरीक्षण किए गए। 2015-18 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा चयनित किसी भी ब्लड बैंक का निरीक्षण नहीं किया गया था। आठ चयनित ब्लड बैंकों में से, पाँच द्वारा निर्धारित समय में उपकरण की जाँच नहीं की गयी थी। डोनर और मास्टर रजिस्ट्रों का या तो रखरखाव नहीं किया जा रहा था अथवा अपूर्ण रूप से रखरखाव किया जा रहा था। जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में

ब्लड बैंक में अधिनियम का घोर उल्लंघन देखा गया और जिला चंपावत में ब्लड बैंक की स्थापना में अत्याधिक विलम्ब हुआ।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

1.8 अनुपस्थित चिकित्सकों से ₹18 करोड़ की क्षतिपूर्ति का वसूल न किया जाना

विभाग चिकित्सकों से करार भंग होने के कारण ₹18 करोड़ की क्षतिपूर्ति को वसूल करने में असफल रहा। दोषियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई जिससे राज्य के दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का उद्देश्य विफल हुआ।

राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर को निर्देश (जुलाई 2008) दिया कि उत्तराखण्ड प्री-मेडिकल टेस्ट (यू पी एम टी) के माध्यम से एम बी बी एस कोर्स में प्रवेश के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को अपना एम बी बी एस कोर्स पूरा करने के बाद पहाड़ी एवं दुर्गम इलाकों में पाँच साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवा करनी होगी। यह सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने और राज्य के पहाड़ी एवं दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। चयनित उम्मीदवारों को प्रवेश के समय एक शपथपत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था, जिसके अनुसार वे राज्य के पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में पाँच साल की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्हें एक ऐसे बॉन्ड पर भी हस्ताक्षर करना अनिवार्य था जिसके अनुसार वे दूरदराज के क्षेत्रों में पाँच साल की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। ऐसे छात्र सम्पूर्ण एम बी बी एस कोर्स के लिए रियायती दर पर प्रति वर्ष ₹ 15,000 के शिक्षण प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे और उनकी शिक्षा की शेष लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी। जो उम्मीदवार इन क्षेत्रों में सेवा करने के लिए इच्छुक नहीं थे उन्हें राज्य सरकार को एकमुश्त ₹ 30 लाख की राशि का भुगतान करना था। सरकार ने एक समझौता पत्र का प्रारूप जारी कर प्रधानाचार्यों को 2008 एवं 2009 बैच के छात्रों एवं उनके माता-पिता/अभिभावकों के द्वारा हस्ताक्षरित बॉन्ड¹⁰¹ प्राप्त करने के लिए निर्देशित (सितम्बर 2009) किया। राज्य द्वारा जारी निर्धारित बांड के माध्यम से अनुबंध के आधार पर सेवा देने से संबन्धित दिशा-निर्देश केवल 2008 से 2012 के बैच तक ही प्रभावी थे।

अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2017) एवं मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर तथा महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून से एकत्र (मई 2018) सूचनाओं से ज्ञात हुआ कि छात्रों द्वारा शपथ पत्र (प्रवेश के समय) पर हस्ताक्षर किए गए थे और 2008 तथा 2009 बैच के छात्रों एवं उनके पिता/माता-पिता/अभिभावक द्वारा बॉन्ड पर यह सुनिश्चित करने के लिए हस्ताक्षर (वर्ष 2014 में) किए गए थे कि छात्र एम बी बी एस कोर्स पूरा करने के बाद राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में न्यूनतम पाँच

¹⁰¹ यह बॉन्ड 2012 बैच तक प्रभावी था जिसके बाद एक नए बॉन्ड को अंतिम रूप दिया गया।

साल की सेवा प्रदान करेंगे तथा ऐसा न करने पर वे ₹ 30 लाख का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। कोर्स के लिए चुने गए 200 छात्रों¹⁰² में से महानिदेशक द्वारा 180 छात्रों¹⁰³ को राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों के रूप में नियुक्त किया गया था। यद्यपि यह देखा गया कि इन नियुक्त डॉक्टरों में से 60 डॉक्टर, शपथ पत्र की शर्तों के उल्लंघन के साथ-साथ **बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन कर**, या तो ज्वाइन करने की तिथि से या कुछ समय अपनी सेवाएँ देने के बाद, अपनी इयूटी से अनुपस्थित थे। फिर भी, विभाग द्वारा इन 60 डॉक्टरों पर न तो ₹18 करोड़¹⁰⁴ की क्षतिपूर्ति का दावा किया गया और न ही 22 महीने से लेकर चार साल तक की अवधि बीत जाने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर के प्रधानाचार्य ने बताया (दिसम्बर 2017) कि अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही विचाराधीन है।

विभाग के उदासीन रवैये के कारण दोषियों से ₹18 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली नहीं की गई। इसके अलावा राज्य के सुदूर जिलों में स्वीकृत 890 पदों के सापेक्ष 391 डॉक्टरों की कमी के कारण राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के मूल उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

लोक निर्माण विभाग

1.9 परिहार्य व्यय

खण्ड द्वारा 192.69 मीट्रिक टन आधिक्य स्टील की अप्रयुक्त मात्रा के लिए ₹ 1.69 करोड़ का भुगतान किया गया, जिससे बचा जा सकता था यदि स्टील की आधिक्य मात्रा का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद हरिद्वार में अर्द्ध-कुम्भ मेला-2016 के दौरान यातायात को व्यवस्थित करने के लिए पाँच अस्थायी/अर्द्ध-अस्थायी स्टील गर्डर पाइल सेतु के निर्माण हेतु ₹14.52 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (जनवरी 2015) की गयी थी। सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा इन कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियाँ फ़रवरी 2015 में प्रदान की गयी थीं। मेला अधिकारी (अर्द्ध-कुम्भ मेला-2016) द्वारा सेतु निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) को मई 2015 में सौंपा गया था।

¹⁰² 2008 और 2009 बैच, प्रत्येक के लिए 100।

¹⁰³ शेष 20 छात्रों की जानकारी विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की जा सकी।

¹⁰⁴ 60 X @ ₹ 30 लाख= ₹ 18 करोड़।

अधिकांसी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2017) एवं आगे संग्रहित (अप्रैल से जून 2018) की गई सूचना से ज्ञात हुआ कि मेला अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक (मई 2015) में लिए गए निर्णय के आलोक में उपर्युक्त पाँच स्वीकृत सेतुओं में से बैरागी कैंप से गौरीशंकर द्वीप (बी सी जी डी) सेतु¹⁰⁵ के निर्माण का कार्य स्थगित कर दिया गया था। काँवड़¹⁰⁶ मेले के दृष्टिगत मेला अधिकारी की अध्यक्षता में ही आयोजित एक अन्य बैठक (जुलाई 2015) में काँवड़ से पहले मायापुर इस्केप चैनल पर स्थित दक्षद्वीप और बैरागी कैंप (डी डी बी सी) सेतु (चार अनुबंधित सेतुओं, जिसके लिए अनुबंध का गठन मई 2015 में किया गया था, में से एक) का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, पाइल सेतु के निर्माण के लिए आवश्यक हैमर वाइब्रो मशीन¹⁰⁷ उपलब्ध नहीं होने के कारण कम समय में पाइल ब्रिज का निर्माण संभव नहीं था जिसके कारण इसके स्थान पर एक क्रेट¹⁰⁸ सेतु के निर्माण का निर्णय लिया गया था। ठीक उसी समय, बी सी जी डी सेतु, जिसका निर्माण कार्य पूर्व आयोजित बैठक (मई 2015) में स्थगित किया गया था, के निर्माण कार्य (स्टील की उसी विशिष्टियों की आपूर्ति एवं संरचना द्वारा, जिसका प्रयोग डी डी बी सी सेतु में किया गया था) को प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया था। तथापि जाँच में यह पाया गया कि डी डी बी सी सेतु के प्रकार में हुए बदलाव के कारण क्रेट सेतु को स्थापित करने के लिए स्टील की वांछित मूल आवश्यक मात्रा 266 मीट्रिक टन से घट कर 73.31 मीट्रिक टन हो गयी थी। इसलिए स्टील की शेष मात्रा 192.69 मीट्रिक टन¹⁰⁹ ठेकेदार के पास पड़ी थी जिसका उपयोग बी सी जी डी सेतु में किया जा सकता था। खण्ड ने ठेकेदार को अवशेष पड़े स्टील का उपयोग करने का निर्देश देने की बजाय, ठेकेदार को बी सी जी डी सेतु के लिए पुनः 518.45 मीट्रिक टन स्टील की खरीद और निर्माण करने की अनुमति दी। इस प्रकार, खण्ड 192.69 मीट्रिक टन अवशेष स्टील का उपयोग नहीं कर सका तथा उसे अप्रयुक्त स्टील के लिए ठेकेदार को ₹1.69 करोड़¹¹⁰ का भुगतान करना पड़ा, जिसे टाला जा सकता था।

इसे इंगित किए जाने पर, खण्ड ने अवगत कराया (जून 2018) कि सेतु के स्टील पार्ट्स मेला अधिकारी की परिसंपत्ति है जिसे भविष्य में होने वाले कुम्भ मेला के दौरान अतिरिक्त सेतुओं के

¹⁰⁵ जिन चार सेतुओं के लिए ठेकेदार के साथ अनुबंध का गठन (मई 2015) किया गया था उसमें यह सेतु शामिल नहीं था।

¹⁰⁶ भगवान शिव के भक्तों का एक वार्षिक तीर्थाटन जो कि कांवड़िया या “भोले” के नाम से जाना जाता है जिसमें उत्तराखण्ड में स्थित हिंदू तीर्थ स्थानों हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री से गंगा नदी का पवित्र जल ला कर भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है। यह तीर्थाटन हिन्दू माह श्रावण (जुलाई-अगस्त) के महीने में आयोजित किया जाता है।

¹⁰⁷ एक उपकरण जो मरीन डॉक, पुल, भवन, सड़क, रेल, दीवार एवं अन्य प्रकार के निर्माण-कार्य की नींव के निर्माण के लिए जमीन के अंदर या बाहर पाइल का संचालन करता है।

¹⁰⁸ स्टील क्रेट, जिसका शीर्ष और तल खुला होता है तथा बोल्टर से भरा होता है जिस पर सेतु के ऊपरी ढाँचा को खड़ा किया जाता है।

¹⁰⁹ 266 मीट्रिक टन - 73.31 मीट्रिक टन = 192.69 मीट्रिक टन।

¹¹⁰ 192.69 मीट्रिक टन x ₹ 87,500 = ₹ 1,68,60,375 (अर्थात ₹1.69 करोड़)।

निर्माण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। खण्ड का उत्तर वित्तीय हस्त-पुस्तिका (खण्ड-VI)¹¹¹ के प्रस्तर-179 की पूर्ण अवहेलना था। पी डब्ल्यू डी को छः साल (2022) के बाद आने वाले आगामी कुंभ मेला का इंतजार करने की बजाय बी सी जी डी सेतु के निर्माण में डी डी बी सी सेतु के अवशेष स्टील का उपयोग करके विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए था।

इस प्रकार, खण्ड द्वारा अप्रयुक्त स्टील की 192.69 मीट्रिक टन अतिरिक्त मात्रा के लिए ₹1.69 करोड़ व्यय किए, जिससे बचा जा सकता था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अगस्त 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

ग्रामीण विकास विभाग

1.10 इन्दिरा आवास योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

1.10.1 परिचय

“इन्दिरा आवास योजना” (इं आ यो) की निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें 2008-09 से 2012-13 की अवधि आच्छादित की गई थी, को 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) में सम्मिलित किया गया था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु पाँच जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल एवं टिहरी गढ़वाल चुने गए थे। प्रतिवेदन नवम्बर 2014 में राज्य विधान सभा की पटल पर रखी गई थी एवं जिस पर अभी तक (अप्रैल 2018) लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा नहीं की गई है। इं आ यो में पायी गई कमियों को दूर करने हेतु इस योजना को एक अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (प्र आ यो-ग्रा) के रूप में पुनर्गठित किया गया। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नई योजना के ढांचे में लाये गए परिवर्तन के कारण प्रतिवेदन में शामिल 28 लेखापरीक्षा आपत्तियों में से पाँच आपत्तियाँ प्रासंगिक नहीं रहीं (जैसा कि परिशिष्ट 1.10.1 में दर्शाया गया है)।

1.10.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं क्रियाविधि

अनुवर्ती लेखापरीक्षा फरवरी से अप्रैल 2018 की अवधि में पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को लागू किए जाने का अनुमान लगाए जाने के उद्देश्य से आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, उत्तराखण्ड, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी आर डी ए), नैनीताल एवं देहरादून, डी आर डी ए प्रकोष्ठ एवं प्रत्येक चयनित जनपद नैनीताल एवं देहरादून के दो चयनित विकासखण्डों¹¹² के कार्यालयों के लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच की गई।

¹¹¹ प्रस्तर 179 प्रावधान करता है कि आवश्यकता से अधिक भण्डार या सामग्रियों की आवश्यकता से काफी पहले क्रय से सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों नुकसान हो सकते हैं और इसे टाला जाना चाहिए।

¹¹² देहरादून में - विकासखण्ड रायपुर एवं सहसपुर एवं नैनीताल में- विकासखण्ड हल्द्वानी एवं रामनगर।

लेखापरीक्षा दल द्वारा दो जनपदों के चार चयनित विकास खण्डों के 200 इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा¹¹³ मकानों (49 इं आ यो मकानों एवं 151 प्र आ यो-ग्रा मकानों) का भौतिक सत्यापन भी किया गया। लेखापरीक्षा में 2015-16 से 2017-18 की अवधि आच्छादित की गई थी। लेखापरीक्षा, 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल 28 टिप्पणियों के सापेक्ष चार अनुशंसाओं जिनको शासन द्वारा निकास गोष्ठी (नवम्बर 2013) में स्वीकार किया गया था, के संदर्भ में निष्पादित की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

शासन स्तर से स्वीकार की गई 23 लेखापरीक्षा आपत्तियों एवं चार लेखापरीक्षा अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को निम्नानुसार तीन श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है:

1.10.3 लेखापरीक्षा अनुशंसाओं का क्रियान्वयन

अ. नगण्य अथवा कोई प्रगति नहीं

पूर्व प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गई अनुशंसा	विभाग द्वारा सूचित अद्यतन स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/टिप्पणी
(i) किसी भी नमूना परीक्षित डी आर डी ए द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी। अपितु प्रत्येक विकास खण्ड के लिए मात्र विगत वर्षों के अपूर्ण आवासों को पूर्ण किए जाने हेतु वार्षिक वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य बिना किसी समयावधि के निर्धारित किए गए थे। वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 1.3.6.2)	पात्र व्यक्तियों को योजना के लाभ देने के लिए इं आ यो दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।	किसी वर्ष विशेष हेतु जनपदों, विकासखण्डों एवं अंततोगत्वा ग्राम पंचायतों (ग्रा पं) को श्रेणीवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य श्रेणी) लक्ष्य आवंटित किए जाते थे एवं ऐसे लक्ष्यों को कार्य योजना के रूप में माना जाता है।	वार्षिक कार्य योजना बनाए जाने के संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। अनुशंसा अभी भी क्रियान्वित की जानी है क्योंकि दो चयनित जनपदों के लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वार्षिक कार्य योजना अभी भी नहीं बनाई गई थी।
(ii) प्रतिपूर्ति का दावा न किया जाना (दैवीय आपदा एवं अन्य आपातकालिक स्थितियों जैसे आग, दंगे आदि से प्रभावितों हेतु) (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.7.5)		जनपद पिथौरागढ़ हेतु इं आ यो के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं से संबन्धित द्वितीय किस्त ₹ 168.75 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को	उत्तर सुसंगत नहीं है। इं आ यो के प्रावधानों के अनुरूप राज्य को केंद्र से अपनी उस राशि हेतु दावा किया जाना चाहिए था जो धनराशि आपदा आपत्तिकाल हेतु उपयोग में लायी गई थी। अतः अनुशंसा को अभी भी

¹¹³ व्यवस्थित प्रतिचयन के आधार पर प्रत्येक जनपद से 100 मकानों का चयन किया गया (यह एक प्रकार की संभाव्यता प्रतिचयन प्रणाली है जिसमें अव्यवस्थित प्रारम्भिक बिन्दु एवं निर्धारित आवधिक अंतराल के अनुरूप बड़ी जनसंख्या से नमूना सदस्यों का चयन किया जाता है)।

		प्रेषित किया गया है (दिसम्बर 2017)।	क्रियान्वित किया जाना है।
(iii) चयनित जनपदों के डी आर डी ए द्वारा योजना के पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु गैर सरकारी संगठनों (गै. स. सं) को सम्मिलित किए जाने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था। अतः सामुदायिक निगरानी एवं पारदर्शिता में कमी पायी गई थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.10.4)	योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है ताकि योजना की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सके।	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (स्व स स) के द्वारा, प्र आ यो -ग्रा के आवासों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के संबन्ध में निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं।	अनुशंसा अभी भी क्रियान्वित की जानी है क्योंकि अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि योजना की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु गै स सं की कोई भागीदारी नहीं थी।

ब. आंशिक कार्यान्वयन

पूर्व प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गई अनुशंसा	विभाग द्वारा सूचित अद्यतन स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/टिप्पणी
(i) 12,505 भूमिहीन बी पी एल परिवार स्थायी इं आ यो प्रतीक्षा सूची में थे जिनके लिए वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान संबन्धित डी आर डी ए द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग (आ ग्रा वि वि) को ₹ 61.87 करोड़ की राशि के प्रस्ताव भेजे गए थे। जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को नहीं भेजा गया। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 1.3.6.6)।	पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ देने के लिए इं आ यो दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।	होमस्टेड साइट स्कीम के क्रियान्वयन हेतु जनपदों को वर्ष 2014-15 में ₹ 1,515.85 लाख (केंद्रान्श ₹ 361.40 लाख + राज्यॉश ₹ 361.40 लाख + अतिरिक्त राज्यॉश ₹ 793.05 लाख) की धनराशि 3,475 बी पी एल अ जा/अ ज जा के भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान कराये जाने हेतु उपलब्ध कराई गई थी परंतु उपलब्ध भूमि की अधिक दरें /भूमि की अनुपलब्धता के कारण भूमि नहीं खरीदी जा सकी।	अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई क्योंकि चयनित दो जनपदों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि देहरादून एवं नैनीताल में क्रमशः ₹ 39.38 लाख और ₹ 692.37 लाख की धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद 110 एवं 1,934 बी पी एल अ जा/ अ ज जा भूमिहीन परिवारों को लेखापरीक्षा तिथि तक भूमि प्रदान नहीं की गयी थी। अप्रयुक्त धनराशि समर्पित भी नहीं की गई थी।
(ii) वर्ष 2008-13 के दौरान किसी भी लाभार्थी को आवास ऋण नहीं प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा 1,149 इं आ यो के आवासों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया जिसमें यह देखा गया कि लाभार्थियों को ऐसी किसी भी सुविधा की		लाभार्थियों को बैंक ऋण दिलाये जाने हेतु विकास खण्डों को निर्देश जारी कर दिये गए हैं तथा बैंक ऋण सुविधा से संबन्धित जन जागरूकता अभियान	अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई क्योंकि डी आर डी ए, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा

<p>जानकारी नहीं थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 1.3.8.6)</p>		<p>आयोजित किए जा रहे हैं एवं जनपद हरिद्वार के दो लाभार्थियों को प्र आ यो-गा के अंतर्गत बैंक ऋण स्वीकृत किया गया है।</p>	<p>के संबन्ध में जागरूकता कार्यक्रम दोनों चयनित ब्लॉकों में आयोजित किए गए थे, जबकि डी आर डी ए नैनीताल में 2016-18 के दौरान ऐसा कोई जागरूकता कार्यक्रम नहीं किया गया था।</p>
<p>(iii) संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि 47 प्रतिशत घर ऐसे थे जिनका निर्माण स्थायी दीवारों और छत के बिना किया गया था तथा घरों की दीवारों को बाहर से प्लस्टर नहीं किया गया था। बिना दरवाजे/ खिड़कियों वाले घर भी थे। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 1.3.8.7)</p>		<p>इं आ यो/प्र आ यो-गा आवासों में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें कि दीवारों/छतों पर प्लस्टर न हो। जनपद/विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्वीकृत आवासों का भौतिक निरीक्षण किया जाता है तथा संबन्धित अधिकारियों एवं लाभार्थियों को, आवासों को पूर्णतः पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गए हैं। इसके अलावा विकासखण्ड स्तर पर तैनात अवर अभियन्ताओं को यू आई आर डी प्रशिक्षण केंद्र, रुद्रपुर में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।</p>	<p>अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई क्योंकि 200 पूर्ण आवासों (49 इं आ यो आवास और 151 प्र आ यो-गा आवास) के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 24 प्रतिशत इं आ यो आवास और 16 प्रतिशत प्र आ यो-गा आवास स्थायी दीवारों/छत एवं बाहरी प्लस्टर के बिना थे।</p>
<p>(iv) पाँच चयनित जनपदों में से केवल उधमसिंह नगर में ही डी आर डी ए द्वारा अपने विकास खण्डों को ₹ 2.41 लाख की राशि इं आ यो के बोर्ड एवं लोगो को ठीक से लगाने के लिए जारी की गई थी। तथापि, डी आर डी ए द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या इस धनराशि का उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए ही किया गया था, क्योंकि डी आर डी ए को कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 1.3.8. 9)</p>		<p>इं आ यो के लोगो हेतु प्रदान की गई धनराशि का उपयोग संबन्धित खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा किया गया है तथा संबन्धित डी आर डी ए को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं।</p>	<p>अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई क्योंकि इं आ यो आवासों के भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया था कि 49 इं आ यो आवासों में से, 48 आवास इं आ यो लोगो के बिना पाए गए थे।</p>

<p>(v) सर्तकता निगरानी समिति (स नि स) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य एवं जिला स्तर पर 2008-13 के दौरान 20 बैठकों (एक वर्ष में चार बैठकें) का आयोजन होना था। जबकि, राज्य स्तर पर केवल तीन बैठकें आयोजित की गईं एवं वर्ष 2008-13 के दौरान नमूना चयनित जिलों में तीन से चार बैठकें आयोजित की गईं। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.10.1)</p>	<p>योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढीकृत किए जाने की आवश्यकता है ताकि योजना की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सके।</p>	<p>राज्य स्तर पर माननीय ग्राम्य विकास मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित (अक्टूबर-2017) की गयी थी। जनपद स्तर पर, माननीय सांसद द्वारा जब भी समय दिया गया, बैठकें आयोजित की गईं।</p>	<p>अनुशांसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई क्योंकि राज्य स्तर के साथ-साथ जनपद स्तर पर बैठकें तो हुईं परन्तु आवश्यक मापदण्डों के अनुसार नहीं।</p>
<p>(vi) वर्ष 2008-13 की अवधि में चयनित जनपदों में 823 शिकायतें प्राप्त हुईं तथा संबन्धित विकास खण्डों को अग्रेषित की गई, जिसमें से संबन्धित विकास खण्डों द्वारा केवल 78 मामलों का सत्यापन किया गया उनमें से केवल 34 मामलों का निपटारा किया गया। डी आर डी ए के पास शेष शिकायतों पर की गई कार्यवाही उपलब्ध नहीं थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.10.3)</p>	<p>राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठों का गठन किया गया है एवं शिकायत पंजिकाओं का रखरखाव किया गया है तथा जिसके माध्यम से शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। इसके अलावा, समाधान पोर्टल के माध्यम से इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा से संबन्धित जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनका भी विभिन्न स्तरों पर निस्तारण किया जा रहा है। राज्य स्तर पर प्राप्त 825 शिकायतों में से 71 निस्तारित की जा चुकी हैं तथा शेष 754 प्रक्रियाधीन हैं।</p>	<p>राज्य, जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठों का गठन किया गया है तथा जिसके माध्यम से शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। इसके अलावा, समाधान पोर्टल के माध्यम से इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा से संबन्धित जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनका भी विभिन्न स्तरों पर निस्तारण किया जा रहा है। राज्य स्तर पर प्राप्त 825 शिकायतों में से 71 निस्तारित की जा चुकी हैं तथा शेष 754 प्रक्रियाधीन हैं।</p>	<p>अनुशांसा का आंशिक क्रियान्वयन किया गया है क्योंकि राज्य स्तर पर प्राप्त 825 शिकायतों के सापेक्ष 754 शिकायतें अभी भी लंबित थीं, जबकि दो चयनित डी आर डी ए के लेखा-अभिलेखों से उद्घटित हुआ कि न तो शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए थे और न ही प्र आ यो-ग्रा के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप शिकायत पंजिका जैसे किसी अभिलेख का रख-रखाव किया जा रहा था।</p>
<p>(vii) 1,149 इं आ यो आवासों के भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 967 घरों में इं आ यो बोर्ड और लोगो प्रदर्शित नहीं किए गए थे; 47 प्रतिशत घर स्थायी दीवारों, छत और बाहरी पलस्तर के बिना थे; लाभार्थियों को आवास ऋण सुविधा की जानकारी नहीं थी; 165 इं आ यो आवास अधूरे पाए गए; बुनियादी सुविधाओं जैसे कि</p>	<p>संबंधितों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा वर्ष 2016-17 से, पूर्ण निर्मित/निर्माणाधीन मकानों की भौतिक स्थिति से संबन्धित सभी जानकारी एवं तस्वीरें प्र आ यो-ग्रा के अंतर्गत</p>	<p>संबंधितों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा वर्ष 2016-17 से, पूर्ण निर्मित/निर्माणाधीन मकानों की भौतिक स्थिति से संबन्धित सभी जानकारी एवं तस्वीरें प्र आ यो-ग्रा के अंतर्गत</p>	<p>अनुशांसाएँ आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई हैं क्योंकि 200 इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा आवासों के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि ➤ 98 प्रतिशत आवासों में इं आ यो का लोगो प्रदर्शित</p>

<p>रसोई, धुआँ रहित चूल्हा, वेंटिलेशन, सेनेटरी और ड्रेनेज सुविधाओं एवं बिजली की आपूर्ति में कमी थी; टी एस सी, एन आर डब्ल्यू एस पी, आर जी जी वी वाई और एल आई सी जैसे कार्यक्रमों के साथ इं आ यो का कोई अभिसरण नहीं था। इं आ यो आवास के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट और मानक डिजाइन नहीं था तथा 100 प्रतिशत मामलों में महिला सदस्यों को आवासों का आवंटन नहीं किया गया था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 1.3.11)</p>		<p>आवाससॉफ्ट¹¹⁴ ऐप पर अपलोड की जा रही हैं।</p>	<p>नहीं पाया गया था।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 31 प्रतिशत प्र आ यो-ग्रा आवास एवं 26 प्रतिशत इं आ यो आवास निर्माणाधीन थे। ➤ 24 प्रतिशत इं आ यो आवास एवं 16 प्रतिशत प्र आ यो-ग्रा आवास बिना स्थायी दीवारों/छतों एवं प्लस्टर के थे। ➤ नैनीताल के दोनों चयनित विकास खण्डों में कोई जागरूकता कार्यक्रम नहीं किया गया। ➤ गृह डिजाइन / टाइपोलॉजी का अनुमोदन भारत सरकार के स्तर पर लंबित था। ➤ आठ से 40 प्रतिशत के बीच बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता थी। <p>भौतिक रूप से सत्यापित 49 इं आ यो आवासों और 151 प्र आ यो-ग्रा आवासों में से, सं स्व अ, रा ग्रा पे ज का, रा गा ग्रा वि यो और भा जी बी नि जैसे अन्य कार्यक्रमों¹¹⁵ के साथ इं आ यो की अभिसरण दर शून्य से 22 प्रतिशत के बीच थी, जबकि प्र आ यो-ग्रा के साथ म गा रा ग्रा रो गा यो/ स्व भा मि (ग्रा), रा ग्रा पे ज का और दी द उ ग्रा ज्यो यो की अभिसरण दर चार से 81 प्रतिशत के बीच थी। 2015-16 के दौरान 96 प्रतिशत</p>
---	--	---	---

¹¹⁴ आवास सॉफ्ट इं आ यो एवं प्र आ यो-ग्रा के ई-गवर्नेंस को सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्थानीय भाषा-सक्षम कार्य प्रवाह पर आधारित लेन-देन स्तर का प्रबंधन सूचना तंत्र है।

¹¹⁵ सं स्व अ- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, रा ग्रा ज सं का-राष्ट्रीय ग्रामीण जल संपूर्ति कार्यक्रम, रा गा ग्रा वि यो- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, भा जी बी नि- भारतीय जीवन बीमा निगम, म गा रा ग्रा रो गा यो- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्व भा मि (ग्रा) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), रा ग्रा पे ज का- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, दी द उ ग्रा ज्यो यो- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।

			आवास (इं आ यो) परिवार की महिला सदस्यों को आवंटित किए गए थे।
(viii) पाँच नमूना जाँच किए गए जिलों में से तीन जिलों में, यह पाया गया कि 2008-13 के दौरान, 45 इं आ यो आवास उन लाभार्थियों को आवंटित किए गए थे जो पहले से ही अन्य योजनाओं से लाभान्वित हो चुके थे तथा हरिद्वार जिले के दो चयनित विकास खण्डों में 10 लाभार्थी, जिनके पास पक्के मकान थे उन्हें 2011-13 के दौरान ₹ 4.41 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। <i>(विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 1.3.8.5)</i>	पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ देने के लिए इं आ यो दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।	देहरादून में 14 अनियमित लाभार्थियों में से सात लाभार्थियों से ₹ 2.11 लाख की राशि वसूल की गई और शेष मामलों में वसूली की प्रक्रिया गतिमान थी। इसके अतिरिक्त संबन्धित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई, हरिद्वार में दो लाभार्थियों से वसूली की गई तथा डी आर डी ए प्रकोष्ठ में जमा कर दी गई। नैनीताल में, एक लाभार्थी दो योजनाओं से लाभान्वित हुआ इसलिए, संबन्धित कर्मचारी के अभिलेखों में प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए लाभार्थी से वसूली की गई। वर्तमान प्र आ यो-ग्रा के अन्तर्गत, सभी विवरण आवाससॉफ्ट पर अपलोड किए जा रहे हैं और इसलिए, ऐसी अनियमितता की पुनरावृत्ति दूर हो गई है।	अनुशंसा को अभी भी पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना था क्योंकि देहरादून में सात लाभार्थियों से अभी भी वसूली की जानी थी।
(ix) यह पाया गया कि लाभार्थियों की सहायता के लिए किसी भी जनपद एवं विकास खण्ड स्तर के अधिकारी को लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल आवास प्रौद्योगिकियों तथा आपदा रोध निर्माण प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था। <i>(विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.9.2)</i>		विकासखण्ड स्तरीय अवर अभियन्ताओं को इं आ यो /प्र आ यो-ग्रा के लाभार्थियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा इस तरह तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।	अनुशंसा को अभी भी पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना था क्योंकि भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 49 इं आ यो आवासों एवं 151 प्र आ यो-ग्रा आवासों में से क्रमशः केवल 43 प्रतिशत और 64 प्रतिशत आवास विकास खण्ड स्तर के इंजीनियरों द्वारा तकनीकी रूप से समर्थित पाए गए।

<p>(x) यह देखा गया कि 2008-13 के दौरान, राज्य, जनपदों एवं विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा किया गया निरीक्षण निर्धारित मापदण्डों से काफी कम था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.10.2)</p>	<p>योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढीकृत किए जाने की आवश्यकता है ताकि योजना की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सके।</p>	<p>इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा आवासों के भौतिक निरीक्षण हेतु विकासखण्डों को निर्देश जारी किए गए हैं एवं इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा आवासों का भौतिक निरीक्षण समय-समय पर किया जा रहा है।</p>	<p>अनुशंसा को अभी भी पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाना था क्योंकि चार चयनित विकासखण्डों में से केवल विकास खण्ड हल्द्वानी ही 2016-18 की अवधि के निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान कर सका। तथापि, नियमित अंतराल पर जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था।</p>
<p>(xi) नमूना जाँच किए गए जनपदों में यह पाया गया कि योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा की किसी भी प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.10.5)</p>	<p>योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रणाली सुनिश्चित की जा सकती है।</p>	<p>सामाजिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा आवासों की सामाजिक लेखापरीक्षा की जा रही है एवं सामाजिक लेखापरीक्षा से संबन्धित सूचना आवाससॉफ्ट पर अपलोड किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं तथा इस तरह की सूचना आवाससॉफ्ट पर अपलोड की जा रही है।</p>	<p>अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई है क्योंकि यह पाया गया कि चार चयनित विकास खण्डों में से, 2016-18 के दौरान केवल तीन विकासखण्डों¹¹⁶ के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा की गई थी। तथापि, तीनों में से किसी भी खण्ड में सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।</p>
<p>(xii) 2008-13 की अवधि में नमूना जाँच किए गए जनपदों में अत्यधिक अव्ययित धनराशि के साथ साथ कम राज्यांश अवमुक्त किया गया एवं प्रस्तावों को न भेजने / देरी से भेजने के कारण केंद्रान्श सहायता में कटौती हुई। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.7.1)</p>	<p>वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ किया जा सकता है जिससे कार्यान्वयन एजेंसियों को विलंब से धनराशि जारी करने, धनराशि का व्ययवर्तन, और भारत सरकार से धनराशि में कटौती से बचा जा सके।</p>	<p>राज्य स्तर पर इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा से संबन्धित स्टेट नोडल खाता संचालित है एवं धनराशि अंतरण आदेश (ध अ आ) के द्वारा धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अंतरित की जा रही है तथा जनपद स्तर पर न तो बैंक खाते संचालित किए जा रहे हैं और न ही जनपदों के पास धनराशि शेष है।</p>	<p>अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि, अव्ययित धनराशि के मामले, प्रस्तावों को प्रेषित नहीं किया जाना / देरी से किया जाना, द्वितीय किस्त विलंब से अवमुक्त, अवमुक्त न किया जाना तथा बैंक शेष एवं आवाससॉफ्ट के शेष में अंतर और उपयोगिता प्रमाण पत्र विलम्ब से प्रेषित करने के मामले अभी भी थे।</p>

¹¹⁶ हल्द्वानी, रामनगर एवं सहसपुर।

<p>(xiii) स्वीकृत किए गए आवासों के सापेक्ष मात्र 44 प्रतिशत आवास पूर्ण थे जबकि मासिक प्रगति विवरण में 94 प्रतिशत भौतिक उपलब्धि दिखाई गई थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.8.1)</p>		<p>वर्ष 2016-17 से इं आ यो / प्र आ यो-ग्रा आवासों की भौतिक प्रगति आवाससॉफ्ट पर अपलोड की जा रही है।</p>	<p>अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई क्योंकि 200 (49 इं आ यो आवासों और 151 प्र आ यो-ग्रा आवासों) पूर्ण आवासों के भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि 26 प्रतिशत इं आ यो आवास एवं 31 प्रतिशत प्र आ यो-ग्रा आवास अपूर्ण थे लेकिन विभाग द्वारा पूर्ण घोषित किए गए थे।</p>
<p>(xiv) नमूना जाँच किए गए डी आर डी ए में पाया गया कि अभिसरण के उद्देश्य हेतु एक भी पत्रावली नहीं खोली गई थी। इसके बावजूद, विभाग द्वारा 2008-13 की अवधि में अन्य प्रमुख योजनाओं के साथ अभिसरण की स्थिति अपने मासिक प्रगति विवरण के माध्यम से भारत सरकार को नियमित रूप से सूचित की जा रही थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.8.8)</p>	<p>राज्य/जनपद स्तर पर पूर्ण कार्यात्मक आवास इकाइयों को सुनिश्चित करने के लिए अन्य कार्यक्रमों के साथ इं आ यो गतिविधियों के अभिसरण को प्राथमिकता दी जा सकती है।</p>	<p>इं आ यो/प्र आ यो-ग्रा का अन्य योजनाओं से अभिसरण किए जाने के संबंध में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों को समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं एवं इं आ यो / प्र आ यो-ग्रा का मनरेगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पेयजल सुविधाओं हेतु एन आर डी डब्लू पी तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से अभिसरण किया जा रहा है।</p>	<p>अनुशंसा आंशिक रूप से क्रियान्वित की गई क्योंकि जनपद देहरादून और नैनीताल के चयनित विकास खण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि प्र आ यो-ग्रा योजना को केवल मनरेगा के साथ अभिसरित किया जा रहा था, यद्यपि योजना को अन्य कार्यक्रमों¹¹⁷ के साथ भी अभिसरित किया जाना था।</p>

स. पूर्ण क्रियान्वयन

पूर्व प्रतिवेदन में किए गए लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गई अनुशंसा	विभाग द्वारा सूचित अद्यतन स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/टिप्पणी
<p>(i) आवासों की कमी से संबन्धित कोई भी आँकड़े विभाग के किसी भी स्तर पर उपलब्ध नहीं थे। डी आर डी ए द्वारा सम्बन्धित लाभार्थियों को निधियों का आवंटन, एस सी / एस टी जनसंख्या की बजाय कट ऑफ स्कोर के आधार पर किया जा रहा था जो योजना के मानकों के</p>		<p>दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के प्रत्येक जनपद में इं आ यो की प्रतीक्षा सूची तैयार की गयी है। जिससे स्वतः ही आवासों की आवश्यकताओं का आंकलन होता है।</p>	<p>विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसा को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है।</p>

¹¹⁷ पेयजल सुविधा हेतु रा गा पे ज का, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (दी द उ ग्रा ज्यो यो) एवं प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (प्र उ यो)।

<p>विपरीत था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.6.4)</p>		<p>अप्रैल 2016 से प्र आ यो-ग्रा के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन एसईसीसी-2011 के सर्वेक्षण पर आधारित है जिसे आवाससॉफ्ट पर अपलोड किया गया है।</p>	
<p>(ii) वर्ष 2008-13 के दौरान पाया गया कि 38 बी पी एल आईडी के सापेक्ष 77 लाभार्थियों को इकाई सहायता प्रदान की गयी (सहसपुर के एक मामले को छोड़कर जहां एक बी पी एल आईडी के सापेक्ष तीन लाभार्थियों को इकाई सहायता प्रदान की गई) तथा देवप्रयाग विकासखण्ड में एक लाभार्थी को एक बी पी एल आई डी के सापेक्ष ₹ 35,000 का भुगतान दो बार किया गया। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.8.2)</p>	<p>पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ देने के लिए इं आ यो दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।</p>	<p>38 बी पी एल आईडी के सापेक्ष 77 लाभार्थियों को इकाई सहायता प्रदान किए जाने संबंधी प्रकरण की जाँच की गई एवं संबन्धित खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि बी पी एल आईडी संख्या के त्रुटिपूर्ण अंकन के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ।</p> <p>विकास खण्ड देवप्रयाग में दोहरे भुगतान से संबन्धित प्रकरण की जाँच की गई एवं प्रकरण को सही पाया गया तथा संबन्धित कर्मचारियों से वसूली के आदेश एवं दंडात्मक कार्यवाही/कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।</p>	<p>विभागीय उत्तर का सत्यापन किया गया। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसा को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है।</p>
<p>(iii) जनपद देहरादून के चयनित विकास खण्डों के अभिलेखों की जाँच तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन में देखा गया कि 43 लाभार्थियों, जिनको वर्ष 2010-11 के दौरान आवास स्वीकृत किये गये थे, को तत्समय लागू बढ़ी हुई दरों पर भुगतान नहीं किया गया था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.7.2)</p>		<p>जनपद देहरादून में 45 लाभार्थियों को पुरानी दरों, अर्थात् ₹ 35,000 प्रति आवास, के अनुसार भुगतान किया गया, क्योंकि इन लाभार्थी को वित्तीय वर्ष 2009-10 के लक्ष्यों के सापेक्ष सहायता स्वीकृत की गई थी, जिसके लिए ₹ 35,000 प्रति आवास ही अनुमन्य था।</p>	<p>विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसा को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है।</p>

<p>(iv) चयनित चार डी आर डी ए में ₹ 1.74 करोड़ की इं आ यो निधि का व्ययावर्तन व्यय के अन्य मदों में किया गया जिसमें से ₹ 0.37 करोड़ लेखापरीक्षा तिथि तक असमायोजित थे। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.7.3)</p>	<p>वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकता है जिससे कार्यान्वयन एजेंसियों को विलंब से धनराशि जारी करने, धनराशि का व्ययावर्तन, और भारत सरकार से धनराशि में कटौती से बचा जा सकता है।</p>	<p>इं आ यो निधियों को बहुत कम समय के लिए अन्य घटकों को आवश्यक परिस्थितियों में अंतरित किया गया था तथा उक्त निधियाँ समायोजित कर दी गई हैं।</p>	<p>विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसा को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है।</p>
<p>(v) पाँच नमूना परीक्षित जिलों में पाया गया कि मुख्य बैंक खाते में जमा केन्द्रांश ₹ 146.81 करोड़ इं आ यो के बैंक खाते में 10 से 349 दिनों के पश्चात उस पर बिना ब्याज अर्जित किए स्थानान्तरित किया गया। आगे, दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए चयनित सभी पाँच जिलों में अलग-अलग बैंकों में कई बचत खाते (दो से 11 के बीच) खोले गये। इसके अतिरिक्त, डी आर डी ए, हरिद्वार और टिहरी जनपद के देवप्रयाग विकास खण्ड में योजना की धनराशि चालू खाते में रखी गयी जिसके परिणामस्वरूप इं आ यो निधियों पर ब्याज की हानि हुई। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.7.4)</p>		<p>सभी जनपदों में योजनान्तर्गत एक ही खाता खोला गया है तथा वर्तमान में जनपद स्तर पर कोई भी इं आ यो का खाता संचालित नहीं है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार ऐसे सभी बैंक खाते बंद कर दिये गए हैं। वर्तमान में राज्य स्तर पर एक ही मुख्य खाता संचालित है जिसमें से निधियों को एफ टी ओ के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है।</p>	<p>विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसा को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है।</p>
<p>(vi) यह पाया गया था कि सभी नमूना परीक्षित विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में 56 से 93 प्रतिशत तक ग्राम विकास अधिकारियों (ग्रा वि अ) की भारी कमी थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर-1.3.9.1)</p>	<p>योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया जा सकता है।</p>	<p>विभागीय स्तर पर वर्ष 2013 के पश्चात 161 नए ग्रा पं वि अ की भर्ती की गई है एवं शेष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रक्रिया गतिमान है।</p>	<p>विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अनुशंसा को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है। चार चयनित विकास खण्डों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत पदों के अनुरूप थी।</p>

1.10.4 निष्कर्ष

कुल 23 की गई टिप्पणियों के सापेक्ष 26 प्रतिशत टिप्पणियाँ पूर्णरूपेण क्रियान्वित की गयीं; 61 प्रतिशत टिप्पणियाँ आंशिक रूप से क्रियान्वित की गयीं तथा 13 प्रतिशत टिप्पणियाँ जनवरी 2019 तक क्रियान्वित नहीं की गयीं थीं। यद्यपि राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुलझाने में महत्वपूर्ण प्रगति की तथापि वार्षिक कार्य योजना न बनाए जाने, योजना की निगरानी में गै स सं की संलिप्तता न होना, निधियों का अव्ययित रहना, दैवीय आपदा से प्रभावित पीड़ितों की सहायता हेतु प्रतिपूर्ति की धनराशि की माँग न किया जाना, राज्य स्तरीय समितियों के साथ-साथ जनपद स्तरीय समितियों की बैठकें आयोजित न किए जाने एवं शिकायती प्रकरणों का समाधान न किए जाने संबंधी प्रकरणों पर प्रमुखता से लगातार ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण निर्माण विभाग

1.11 प्रतिशत प्रभार का करारोपण नहीं करना

प्रतिशत प्रभार के करारोपण के संबंध में वित्तीय नियमों और सरकारी आदेशों का पालन न करने के कारण सरकारी खजाने को ₹ 73.20 लाख की क्षति होना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-VI के प्रस्तर 635 और 636 निक्षेप कार्यों पर प्रतिशत प्रभार¹¹⁸ का प्रावधान निर्धारित करते हैं। सरकार ने भी कार्यदायी संस्थाओं को उनके द्वारा गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय निकायों और वाणिज्यिक विभागों के लिए किए जाने वाले निक्षेप कार्यों पर प्रतिशत प्रभार के करारोपण हेतु निर्देशित (फरवरी 1997 और मई 2008¹¹⁹) किया था।

अधिशाली अभियंता (अ अ), ग्रामीण निर्माण प्रभाग, देहरादून के अभिलेखों की जाँच (अगस्त 2017) में यह उद्घटित हुआ कि 202 अलग-अलग निक्षेप कार्यों¹²⁰ (2015-17 के दौरान) के लिए ₹11.13 करोड़ की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति ग्राहक विभागों¹²¹ द्वारा प्रदान की गई थी। तथापि, खण्ड द्वारा वित्तीय नियमों और सरकारी आदेशों (मई 2008) की शर्तों का उल्लंघन करते हुए, अलग-अलग निक्षेप कार्यों के विस्तृत प्राक्लनों में 10 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार का प्रावधान नहीं किया गया था। स्वीकृत कुल धनराशि में से, ग्राहक विभागों द्वारा ₹8.70 करोड़ जारी किए गए, जिसमें से लेखापरीक्षा की तिथि तक खण्ड द्वारा विभिन्न निक्षेप कार्यों पर ₹7.32 करोड़

¹¹⁸ स्थापना, मशीन एवं उपकरण और लेखापरीक्षा/खातों के प्रभार के रूप में कुल राशि, यदि कोई वसूली योग्य हो।

¹¹⁹ सरकार द्वारा संशोधित शुल्क, जो 27 फरवरी, 1997 के आदेश द्वारा अधिक्रमित कर दिया गया था, जिसमें प्रतिशत प्रभार के प्रावधान में 12.5 प्रतिशत की एक समान दर थी। संशोधित आदेश (मई 2008) के अनुसार, प्रतिशत प्रभार ₹ एक करोड़ तक के कार्यों पर 10 प्रतिशत है, ₹ एक करोड़ से अधिक की लागत लेकिन ₹ पाँच करोड़ से कम के कार्यों पर 9 प्रतिशत और ₹ 5 करोड़ से अधिक के कार्यों पर 8 प्रतिशत है।

¹²⁰ सिडकुल-184 कार्य और एमडीडीए-18 कार्य (2015-17)। सीसी रोड़, सामुदायिक केंद्र, नाली का निर्माण, पुलिया का निर्माण, रिटेनिंग वाल आदि जैसे कार्य।

¹²¹ स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड और मसूरी-देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी।

व्यय किए गए थे। खण्ड द्वारा 202 कार्यों के विस्तृत प्राक्कलनों में ₹ 1.11 करोड़¹²² प्रतिशत प्रभार को शामिल करने के संबन्ध में वित्तीय नियमों और सरकारी आदेशों का पालन नहीं किया गया। प्रतिशत प्रभार नहीं लगाने के कारण लेखापरीक्षा तिथि तक ₹ 73.20 लाख¹²³ की क्षति हुई। व्यय की राशि में वृद्धि होने पर धनराशि की क्षति बढ़ती जायेगी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर, अधिशासी अभियंता ने तथ्यों को स्वीकार (अगस्त 2017) करते हुए अवगत कराया कि प्राक्कलनों में प्रतिशत प्रभार का प्रावधान नहीं किया गया था इसलिए, ग्राहक विभागों से प्रतिशत प्रभार नहीं लिया जा सका। आगे अवगत कराया कि भविष्य में इस तरह के ग्राहक विभागों से संबन्धित कार्यों के विस्तृत प्राक्कलनों में प्रतिशत प्रभार का प्रावधान किया जाएगा और तदनुसार करारोपण किया जाएगा। इसके अलावा, खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर प्रतिशत प्रभार जमा करने के लिए प्रकरण ग्राहक विभागों के साथ उठाया (अक्टूबर 2017 और दिसम्बर 2017) गया। सितम्बर 2017 में हुई एक बैठक में आर डब्ल्यू डी के सचिव और मुख्य अभियंता द्वारा भी लेखापरीक्षा आपत्ति पर सहमति व्यक्त की गयी थी।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (नवम्बर 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

समाज कल्याण विभाग

1.12 वृद्धावस्था पेंशन योजना


वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों/नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने में विभाग सक्षम नहीं था। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया विभिन्न कमियों से भरी थी। पेंशन डेटाबेस में इनपुट व वैलिडेशन कंट्रोल की कमी थी। जिसके परिणामस्वरूप, 614 लाभार्थियों को ₹ 0.17 करोड़ के अधिक भुगतान के प्रकरण थे, मृत व्यक्तियों को ₹ 0.10 करोड़ का वितरण किया गया, अपात्र व्यक्तियों को ₹ 4.18 करोड़ का वितरण किया गया और 85 लाभार्थियों को ₹ 0.21 करोड़ का दोहरा भुगतान किया गया। भारत सरकार से निधियों की कम माँग करने के कारण राज्य सरकार को ₹ 33.29 करोड़ का भार वहन करना पड़ा। अपात्र लाभार्थियों के लिए भारत सरकार से ₹ 7.25 करोड़ का अनियमित दावा किया गया। त्रैमासिक पेंशन किस्त के भुगतान में 366 दिनों तक के विलम्बित भुगतान के प्रकरण थे। 34,551 लाभार्थियों को ₹ 15.25 करोड़ के पेंशन एरियर का भुगतान नहीं किया गया। योजना के कार्यान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन नहीं किया गया था। शिकायत निवारण और सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए तंत्र भी लागू नहीं था।

¹²² 10 प्रतिशत ₹ 11.13 करोड़ = ₹ 1.11 करोड़।

¹²³ 10 प्रतिशत ₹ 7.32 करोड़ = ₹ 73.20 लाख।

1.12.1. प्रस्तावना

भारत सरकार (भा स) ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) के नाम से पूर्णतया वित्त पोषित केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ की (अगस्त 1995)। वर्ष 2007 में एन एस ए पी के चार घटकों में से एक वृद्धावस्था पेंशन योजना (वृ पें यो) का नाम बदल कर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इ गा रा वृ पें यो) किया गया। इस योजना के अंतर्गत केवल गरीबी रेखा से नीचे¹²⁴ (बी पी एल) के 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु के व्यक्ति ही पात्र हैं। राज्य में बी पी एल परिवार का चिन्हीकरण ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2002 में किए गए सर्वे¹²⁵ पर आधारित था। सरकार एन एस ए पी के अंतर्गत मई 2016 तक ₹ 800 प्रति माह (60-79 वर्ष के आयु वर्ग के लिए केंद्रांश: ₹ 200 और राज्यांश: ₹ 600 जबकि 80 वर्ष और अधिक आयु वालों के लिए केंद्रांश: ₹ 500 और राज्यांश: ₹ 300) की दर से मासिक पेंशन प्रदान कर रही थी। जून 2016 से पेंशन की दर ₹ 1,000 प्रति माह (60-79 वर्ष के आयु वर्ग के लिए केंद्रांश: ₹ 200 और राज्यांश: ₹ 800 जबकि 80 वर्ष और अधिक आयु वालों के लिए केंद्रांश: ₹ 500 और राज्यांश: ₹ 500 तक बढ़ाई गई, जैसा कि साथ के चार्ट-1.12.1 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार 60 वर्ष की आयु से ऊपर एवं बी पी एल श्रेणी के अंतर्गत चिन्हित न हुए लोगों को भी कुछ शर्तों, जो कि नीचे वर्णित हैं, की पूर्ति (जैसा कि मार्च 2014 में संशोधित किया गया) के अधीन वृद्धावस्था पेंशन (वृ पें) प्रदान कर रही थी:



- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 60 वर्ष और अधिक आयु के व्यक्ति जिनकी भू-संपत्ति 2.5 एकड़ से कम है और समस्त स्रोतों से कुल पारिवारिक मासिक आय ₹ 4,000 से कम है।
- (ii) शहरी क्षेत्रों के लिए समस्त स्रोतों से मासिक पारिवारिक आय ₹ 4,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

समाज कल्याण विभाग द्वारा आगे स्पष्ट किया (जून 2016) गया कि व्यक्ति जिनके पुत्र / पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं किन्तु गरीबी की रेखा से ऊपर जीवनयापन कर रहे हों वे पेंशन के लिए

¹²⁴ उत्तराखण्ड में केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही बी पी एल सर्वेक्षण किया गया था।

¹²⁵ यह सर्वेक्षण 13 मापदण्डों जैसे भूमि का क्षेत्रफल, घर का प्रकार, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, उपभोक्ता सामान, साक्षरता, नौकरी की स्थिति, बच्चों की स्थिति, ऋण स्थिति आदि पर आधारित था। सर्वेक्षित परिवारों को प्रत्येक मानदंड पर 0 से 4 तक अंक दिये जाने थे। इस प्रकार अधिकतम अंक 52 थे। उत्तराखण्ड में एक बी पी एल परिवार के चिन्हीकरण के लिए अधिकतम अंक सीमा 25 थी।

पात्र नहीं होंगे। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मई 2016 तक ₹ 800 प्रति माह की दर से वृ पें दी जा रही थी तत्पश्चात इसे जून 2016 से ₹ 1,000 प्रति माह तक बढ़ा दिया गया।

उत्तराखण्ड में वृ पें यो के कार्यान्वयन से संबन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा, जिसमें दोनों इ गा रा वृ पें यो एवं वृ पें शामिल हैं, 2015-16 से 2017-18 की अवधि का आच्छादन करते हुए मार्च 2018 से अक्टूबर 2018 के दौरान की गई। 13 जिला समाज कल्याण अधिकारियों (जि स क अ) में से चार जि स क अ, कुमाऊँ और गढ़वाल क्षेत्र¹²⁶ प्रत्येक से दो, प्रोबेबिलिटी प्रपोशनल टू साइज़ विदाउट रिप्लेसमेन्ट पद्धति के आधार पर, योजना पर किए गए व्यय को आकार मान कर, अभिलेखों की जाँच हेतु चयनित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक चयनित जनपद में दो विकास खण्ड और प्रत्येक विकास खण्ड में दो ग्राम पंचायतें (ग्रा पं) सिम्पल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेन्ट पद्धति के आधार पर चयनित की गई हैं। प्रत्येक चयनित ग्रा पं में से 20 लाभार्थियों को रैंडमली लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए चयनित किया गया। इसके अलावा जिला अल्मोड़ा में पायलट अध्ययन (फरवरी 2018) भी किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य में सबसे कम लाभार्थियों वाले जनपद चंपावत को भी लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया।

निदेशक समाज कल्याण विभाग (नि स क), हल्द्वानी के अभिलेखों की भी जाँच की गई थी।

1.12.2 लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया

राज्य में वृ पें यो के अंतर्गत पात्रता मानदंड, लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया और पेंशन वितरण **परिशिष्ट-1.12.1** में विस्तृत रूप से वर्णित है।

सभी चयनित जि स क का के अभिलेखों की नमूना जाँच में स्वीकृति प्रक्रिया में निम्न कमियाँ पाई गई हैं:

- आवेदन प्रपत्र में आवेदकों के स्वामित्व वाली भूमि और उनके पुत्र/पौत्र की आय के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए कोई कॉलम नहीं था। इस सूचना के अभाव में, आवेदकों से कोई प्रमाणपत्र¹²⁷ / शपथपत्र नहीं लिया गया था। लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, जैसा कि **प्रस्तर 1.12.8** में चर्चा की गई है, यह पाया गया कि ऐसे गैर-बी पी एल लाभार्थी थे जिनके पास स्वीकार्य सीमा से अधिक भूमि थी।
- किसी भी चयनित जनपद में आवेदनों के सत्यापन के लिए दल का गठन नहीं किया गया था। इसलिए सत्यापन दलों के माध्यम से आवेदकों की पात्रता सत्यापित करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। हमने अपात्र व्यक्तियों को पेंशन वितरण के प्रकरण देखे, जैसा कि **प्रस्तर 1.12.4.4, 1.12.4.5 एवं 1.12.4.6** में चर्चा की गई है।

¹²⁶ कुमाऊँ क्षेत्र: पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर, गढ़वाल क्षेत्र: देहरादून और हरिद्वार।

¹²⁷ पटवारी प्रतिवेदन।

- आवेदकों अथवा संबन्धित ग्रा पं को स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना नहीं दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप जिन आवेदकों के आवेदन निरस्त किए गए हैं वो अपील नहीं कर सके।
- 24 चयनित ग्रा पं की नमूना जाँच में पाया गया कि पेंशनरों की सूची नहीं लगाई गई थी और अभिलेख जैसे आवेदन प्रपत्र, स्वीकृति/ अस्वीकृति आदेश तथा संबन्धित रजिस्टर किसी भी ग्रा पं में संधारित नहीं किए जा रहे थे। यह भी पाया गया कि एन एस ए पी के दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए लाभार्थियों के फोटोग्राफ और सहायक दस्तावेज़ पेंशन डेटाबेस में अपलोड नहीं किए जा रहे थे।
- दिशानिर्देशों के अनुसार, समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ पेंशन के लिए आवेदन विकास खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करने थे। विकास खण्ड स्तर पर सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन की जाँच करने के बाद आवेदन जि स क का को पेंशन स्वीकृति के लिए अग्रेषित किए जाने थे। छः जनपदों के 12 चयनित विकासखण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि विकास खण्ड स्तर¹²⁸ पर आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की तिथि उपलब्ध नहीं थी। चूँकि आवेदन प्राप्ति की तिथि को अभिलेखित नहीं किया जा रहा था, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि आवेदन चार सप्ताह की निर्धारित समयसीमा के अंदर निस्तारित किए गए थे। यद्यपि, आवेदन जिस तिथि को जनपद कार्यालयों में अग्रेषित किए गए थे वह अभिलेखों में उपलब्ध थी।
- छः चयनित जनपदों में से जनपद हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के लंबित आवेदनों की जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि तक 3,292 आवेदन¹²⁹ लंबित थे, जिसमें से 1,944 आवेदन¹³⁰ दिसम्बर 2017-मार्च 2018 से लंबित थे।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने अवगत कराया कि आवेदन प्रपत्र में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। यह भी आश्वस्त किया गया कि योजना के समस्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु जनपद कार्यालयों को निर्देशित किया जाएगा।

सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि लाभार्थियों के चयन के लिए जारी दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार सभी मौजूदा मानदण्डों का सख्ती से पालन किया जाए।

1.12.3 वित्तीय प्रबंधन

1.12.3.1 निधियों की उपलब्धता एवं उपयोग

योजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 से 2017-18 के मध्य निधियों की उपलब्धता और उपयोग (दोनों केंद्र एवं राज्य पोषित) का वर्णन नीचे तालिका-1.12.1 में दिया गया है:

¹²⁸ अल्मोड़ा में ताकूला विकास खण्ड, देहरादून में चकराता विकास खण्ड और पिथौरागढ़ में मूनाकोट विकास खण्ड को छोड़कर।

¹²⁹ हरिद्वार - 791, उधमसिंह नगर - 2,501।

¹³⁰ हरिद्वार - 446, उधमसिंह नगर - 1,498।

तालिका-1.12.1: निधियों की उपलब्धता एवं उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त निधियाँ		कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय		अन्तिम शेष	
		केंद्रांश	राज्यांश		केंद्रांश	राज्यांश	केंद्रांश	राज्यांश
2015-16	3.39	47.79	314.91	366.09	49.90	302.85	1.28	12.06
2016-17	0.00 ¹³¹	71.09	406.79	477.88	64.31	400.98	6.78	5.81
2017-18	6.78	61.60	448.00	516.38	68.38	448.00	0.00	0.00
योग		180.48	1,169.70		182.59	1,151.83		

स्रोत: निदेशक, समाज कल्याण द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में राज्यांश का अंतिम शेष राज्य सरकार को समर्पित किया जाता है, जबकि केंद्रांश अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक शेष के रूप में अग्रेषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 के दौरान पाँच जिला कोषागारों को वर्ष 2015-16 के अंतिम त्रैमास के लिए लाभार्थियों को पेंशन भुगतान हेतु ₹ 12.36 करोड़¹³² जारी किए गए थे। यह राशि न तो लाभार्थियों को स्थानांतरित की गई थी न ही शासन को समर्पित की गई थी। इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (मई 2018) कि प्रकरण पर संबन्धित कोषागारों के साथ कार्यवाही की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। सूचना अभी तक प्रतीक्षित है (अगस्त 2019)।

1.12.3.2 लाभार्थियों के गलत आंकलन के कारण राज्य राजकोष पर अतिरिक्त भार

एन एस ए पी के दिशानिर्देशों के अंतर्गत भारत सरकार इंग्रॉ रा वृ पें योजना के अंतर्गत आंशिक सहायता¹³³ प्रदान करती है। नि स क के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इंग्रॉ रा वृ पें के अंतर्गत की गई माँग उन लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के अनुरूप नहीं थी, जिन्हें पेंशन वितरित की जा रही थी। वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 7,65,599 लाभार्थियों¹³⁴ हेतु ₹ 235.08 करोड़ की माँग की जिसके सापेक्ष ₹ 180.48 करोड़ मिले तथा 6,46,687 लाभार्थियों को ₹ 268.37 करोड़ वितरित किए। इसके परिणामस्वरूप, राज्य राजकोष पर ₹ 87.89 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा, जिसमें से ₹ 33.29 करोड़ भारत सरकार से कम माँग के कारण था, जैसा कि नीचे तालिका-1.12.2 में दिया गया है:

¹³¹ 2015-16 के केंद्रांश के अंतिम अवशेष ₹ 1.28 करोड़, पाँच कोषागारों को जारी किए गए ₹ 12.36 करोड़ में सम्मिलित था जो कि मार्च 2018 तक असमायोजित था।

¹³² राज्यांश ₹ 11.08 करोड़ और केंद्रांश ₹ 1.28 करोड़।

¹³³ 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के लिए: ₹ 200 प्रति माह प्रति लाभार्थी और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए: ₹ 500 प्रति माह प्रति लाभार्थी।

¹³⁴ यह न तो डेटाबेस में उपलब्ध आँकड़ों पर आधारित था और न ही जिलों के मासिक प्रगति प्रतिवेदन पर।

तालिका-1.12.2: आवश्यकता के सापेक्ष की गई माँग का विवरण

वर्ष	पेंशनरों की संख्या जिन्हें पेंशन वितरित की गई			पेंशनरों की संख्या जिनके लिए वास्तव में अनुदान की माँग की गई			आधिक्य(+)/कम(-) माँग (प्रतिशत)
	(60-79 वर्ष)	(80 वर्ष और अधिक)	(₹ करोड़ में)	(60-79 वर्ष)	(80 वर्ष और अधिक)	(₹ करोड़ में)	
2015-16	1,18,912	1,30,865	107.06 ¹³⁵	1,85,637	64,381	83.18	(-)23.88 (28.71)
2016-17	94,277	84,035	73.05	2,21,579	37,913	75.93	(+)2.88 (3.79)
2017-18	1,19,151	99,447	88.26	2,15,792	40,297	75.97	(-)12.29 (16.18)
योग	3,32,340	3,14,347	268.37	6,23,008	1,42,591	235.08	(-)33.29 (14.16)

स्रोत: निदेशक, समाज कल्याण द्वारा प्रदान किये गए आँकड़े।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य द्वारा वर्ष 2015-16 व 2017-18 में क्रमशः 28.71 प्रतिशत व 16.18 प्रतिशत की कम माँग की गई जबकि वर्ष 2016-17 में भारत सरकार से 3.79 प्रतिशत की अधिक माँग की गई।

इस संबन्ध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि माँग मासिक प्रगति प्रतिवेदन (मा प्र प्र) में दर्शाये गए लाभार्थियों की संख्या के आधार पर की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि माँग न तो मा प्र प्र में दर्शाये गए लाभार्थियों की संख्या से मेल खाती थी और न ही यह उन लाभार्थियों की संख्या के अनुरूप थी जिन्हें पेंशन वितरित की जा रही थी।

सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि एन एस ए पी के अंतर्गत भारत सरकार को की गई माँग उन लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के साथ समवर्ती है जिन्हें पेंशन वितरित की जानी है।

1.12.3.3 भारत सरकार से अनियमित दावा

एन एस ए पी के दिशानिर्देशों के अनुसार इंगॉ रा वृ पें के अंतर्गत सहायता केवल बी पी एल श्रेणी के व्यक्ति के लिए ही लागू है। भारत सरकार से, 60 से 79 वर्ष की आयु वर्ग के लिए ₹ 200 प्रति माह तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹ 500 प्रति माह तक की, सहायता सीमित थी।

चयनित जि स क का में लाभार्थी डेटाबेस की जाँच में पाया गया कि एन एस ए पी के अंतर्गत आच्छादित 1,17,454 लाभार्थियों (मार्च 2018 तक) में से केवल 49,924 (42.51 प्रतिशत) लाभार्थियों के प्रकरण में बी पी एल पहचान संख्या अंकित थी। शेष 67,530 लाभार्थियों के नाम के सापेक्ष बी पी एल पहचान संख्या अंकित नहीं थी जैसा कि नीचे तालिका-1.12.3 में दर्शाया गया है:

¹³⁵ = 1,18,912 @ ₹ 2,400 प्रति वर्ष (₹ 28,53,88,800) + 1,30,865 @ ₹ 6,000 प्रति वर्ष (₹ 78,51,90,000) = ₹ 1,07,05,78,800 अर्थात् ₹ 107.06 करोड़।

तालिका-1.12.3: लाभार्थियों का विवरण जिनके सापेक्ष बी पी एल पहचान संख्या अंकित नहीं थी

जनपद का नाम	एन एस ए पी के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या जिनके सापेक्ष बी पी एल आई डी अंकित है	लाभार्थियों की संख्या जिनके सापेक्ष बी पी एल आई डी अंकित नहीं है	लाभार्थियों का आयु वर्गीकरण जिनके लिए बी पी एल आई डी अंकित नहीं था	
				80 वर्ष और अधिक	60-79 वर्ष
अल्मोड़ा	24,370	12,262	12,108	11,146	962
देहरादून	22,816	6,656	16,160	11,224	4,936
हरिद्वार	28,979	6,922	22,057	21,485	572
पिथौरागढ़	10,042	5,119	4,923	4,217	706
ऊँ सि नगर	23,375	17,531	5,844	2,945	2,899
चंपावत	7,872	1,434	6,438	6,388	50
योग	117,454	49,924	67,530	57,405	10,125

स्रोत : जि स क का द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े।

इसके अतिरिक्त 67,530 प्रकरणों में से, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत 8,134 लाभार्थियों (12 प्रतिशत) के अभिलेखों की जाँच की गई तथा यह पाया गया कि एन एस ए पी के अंतर्गत 6,184 लाभार्थी (76 प्रतिशत) बी पी एल श्रेणी में नहीं आ रहे थे। इसके बावजूद उनको त्रुटिपूर्ण तरीके से एन एस ए पी के अंतर्गत बी पी एल श्रेणी में सम्मिलित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 2015-18 की अवधि में भारत सरकार से ₹7.25 करोड़ का अनियमित दावा किया गया जैसा कि नीचे तालिका-1.12.4 में वर्णित है:

तालिका-1.12.4: लाभार्थियों का विवरण जो कि केंद्रीय सहायता के लिए पात्र नहीं थे

जनपद का नाम	नमूना जाँच किए गए लाभार्थियों की संख्या	अपात्र लाभार्थियों की संख्या जिन्हें एन एस ए पी के अंतर्गत पेंशन स्वीकृत की गई			भारत सरकार से 2015-18 की अवधि में की गई माँग (₹ करोड़ में)
		कुल	80 वर्ष और अधिक	60 से 79 वर्ष	
1	2	3	4	5	6 (स्तम्भ 4 x ₹ 6,000 + स्तम्भ 5 x ₹ 2400) x 3 वर्ष
अल्मोड़ा	600	319	318	01	0.57
देहरादून	1,150	735	553	182	1.13
पिथौरागढ़	540	248	248	00	0.45
ऊँ सि नगर	5,844	4,882	1,472	3,410	5.10
योग	8,134	6,184	2,591	3,593	7.25

स्रोत : जि स क का द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि एन एस ए पी के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को भुगतान बंद कर दिया जाएगा और इन लाभार्थियों को राज्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त शासन ने अवगत कराया (मई 2019) कि जनपदों को एन एस ए पी के लाभार्थियों की बी पी एल पहचान संख्या पेंशन डेटाबेस में अंकित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

सरकार भारत सरकार से अनियमित दावे से बचने के लिए एन एस ए पी योजना के अंतर्गत गलत तरीके से शामिल किए गए गैर-बी पी एल लाभार्थियों को बाहर करने के लिए सुधारात्मक उपाय शुरू कर सकती है।

चूँकि ये अनियमितताएँ कुछ मामलों की नमूना जाँच के आधार पर उजागर की गई हैं, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग यह सत्यापित करने के लिए कि शेष सभी मामलों में एन एस ए पी के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही है या नहीं, की जाँच कर सकता है।

1.12.4 पेंशन सॉफ्टवेयर में अपर्याप्तता के कारण अनियमित भुगतान

1.12.4.1 पेंशन सॉफ्टवेयर में वैलिडेशन व इनपुट कंट्रोल में कमी

समाज कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से वृद्धावस्था पेंशन के वितरण हेतु एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ई-एस पी ए एन प्रारम्भ किया (नवम्बर 2011)।

इनपुट एवं वैलिडेशन कंट्रोल के साथ साथ निर्धारित नियमों के साथ हुई विसंगतियों की जाँच हेतु विभाग द्वारा रखरखाव किए गए वृद्धावस्था पेंशन से संबन्धित डेटाबेस की जाँच (4,33,095 पेंशनरों के अभिलेख) की गई। कमियाँ नीचे विस्तृत हैं:

1. आयु कॉलम जन्म तिथि कॉलम से असंगत है। डेटाबेस में जन्म तिथि कॉलम अनिवार्य फील्ड नहीं था जबकि आयु अनिवार्य थी। डेटाबेस के आयु कॉलम में 901 वर्ष तक की आयु को देखा जा सकता है।
2. राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत ₹ 4,000 से अधिक की राशि के इनपुट को रोकने के लिए मासिक आय कॉलम में 'इनपुट कंट्रोल' की कमी थी।
3. यू आई डी/ आधार संख्या में रिक्त और डुप्लीकेट वैल्यू थे, जो वैलिडेशन कंट्रोल की कमी को दर्शाता हैं।
4. डेटाबेस में आवेदन प्राप्त दिनांक, आवेदन निराकरण दिनांक और स्वीकृति दिनांक रखने का प्रावधान नहीं था, जिसके कारण प्रकरणों के निपटारे में हुई देरी से संबन्धित सूचना उपलब्ध नहीं थी।
5. विभाग द्वारा कॉलम जैसे 'कोई भूमि है', 'भूमि का विवरण' का उपयोग/प्रविष्टि नहीं की जा रही थी। यद्यपि यह मुद्दा पात्रता मानदण्ड के अनुसार आवेदक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण था।
6. विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मोबाइल नंबर अनिवार्य है किन्तु डेटाबेस में यह एक अनिवार्य फील्ड नहीं थी।
7. पुत्र की मासिक आय और पुत्र का व्यवसाय कॉलम में शून्य अथवा रिक्त प्रविष्टि थी। राज्य सरकार के आदेशानुसार पात्रता निर्धारित करने के लिए पुत्र की मासिक आय एवं व्यवसाय महत्वपूर्ण मानदंड थे।
8. पेंशनर डेटाबेस राज्य के बी पी एल डेटाबेस से लिंक नहीं था।
9. डेटाबेस में जीवन प्रमाणपत्र की प्रविष्टि करने का कॉलम नहीं था और विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों से संबन्धित जीवन प्रमाणपत्र भी प्राप्त नहीं किए जा रहे थे।
10. प्रणाली में ₹ 1,000 तक प्रति व्यक्ति पेंशन सीमित करने का कोई प्रावधान नहीं था।
11. केंद्र और राज्य के मध्य शेयरिंग पैटर्न लाभार्थियों की आयु सीमा के आधार पर भिन्न होता है। अतः प्रणाली में लाभार्थी की आयु और पेंशन के केंद्रांश एवं राज्यांश हेतु वन टु वन मैपिंग होनी चाहिए। यद्यपि प्रणाली में यह सुविधा नहीं थी।

तालिका-1.12.5: महत्वपूर्ण इनपुट में रिक्त और शून्य/डुप्लिकेट वैल्यू व वाले प्रकरणों की संख्या

क्र स	कॉलम का नाम	प्रकरणों की संख्या
1.	जन्म तिथि	49,521 प्रकरणों में रिक्त /शून्य मान के
		4,989 प्रकरणों में आयु 100 से 125 वर्ष
		9 प्रकरणों में आयु >125 वर्ष
2.	यू आई डी (आधार संख्या)	26,957 प्रकरणों रिक्त / शून्य मान के
		64 प्रकरणों डुप्लिकेट मान के
3.	बी पी एल परिवार आई डी	1,13,795 प्रकरणों रिक्त / शून्य मान के
4.	मोबाइल नंबर	3,12,004 प्रकरणों रिक्त / शून्य मान के

सरकार उपरोक्त कमियों को दूर करके पेंशन डेटाबेस को सुदृढ़ करना सुनिश्चित कर सकती है और तदनुसार पेंशन सॉफ्टवेयर को संशोधित कर सकती है।

अपर्याप्त नियंत्रण तंत्र से कई अनियमितताएँ हुईं जैसा कि आगामी प्रस्तरों में वर्णन किया गया है।

1.12.4.2 मृत व्यक्तियों को पेंशन

एन एस ए पी के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 3.6.3 (vii) के अनुसार ग्राम पंचायत/नगर पालिका लाभार्थी की मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण को निर्दिष्ट स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के आदेश (26 मई 2016) में विहित है कि लाभार्थी का जीवन प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए।

चयनित 24 गा पं के 480 लाभार्थियों के संयुक्त लाभार्थी सर्वेक्षण में यह पाया गया कि संबन्धित गा पं द्वारा पेंशनर की मृत्यु की सूचना नहीं दी गई थी तथा लाभार्थियों के संबन्ध में जीवन प्रमाण पत्र भी प्रत्येक वर्ष प्राप्त नहीं किए गए थे। पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंह नगर के जि स क का द्वारा करवाए गए भौतिक सत्यापन के अभिलेखों से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। परिणामस्वरूप, मृत लाभार्थियों के नाम नियमित और तुरंत नहीं हटाये जा रहे थे जिससे न केवल लाभार्थी सूची अपूर्ण रही, बल्कि लाभार्थियों के खाते में उनकी मृत्यु के पश्चात भी पेंशन राशि का हस्तांतरण हुआ। जनपद पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर एवं चंपावत के चयनित ग्राम पंचायतों में भौतिक सर्वेक्षण के दौरान संबन्धित गा पं की लाभार्थी सूची ग्राम प्रधान और ग्रामीणों को दिखाई गई, जिन्होंने सूची में दर्शाये गए कुछ लाभार्थियों की मृत्यु के संबन्ध में लेखापरीक्षा को सूचित किया। पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर और चंपावत के जि स क का 74 लाभार्थियों¹³⁶ की मृत्यु के बारे में अनभिज्ञ थे चूँकि विभाग योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार जीवन प्रमाणपत्र की वार्षिक रूप से पुष्टि नहीं कर रहा था। उनकी पेंशन राशि बैंक खातों में उनकी मृत्यु के बाद एक से लेकर 78 माह की अवधि के लिए जमा की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹10.35 लाख¹³⁷ का अनियमित भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा

¹³⁶ ऊधमसिंह नगर: 49, पिथौरागढ़:15, चंपावत:10।

¹³⁷ ऊधमसिंह नगर: ₹ 7.18 लाख, पिथौरागढ़: ₹ 2.49 लाख, चंपावत: ₹ 0.68 लाख।

को उपलब्ध करवाए गए पाँच मृत लाभार्थियों के बैंक विवरणियों की जाँच में पाया गया कि चार बैंक खातों से लाभार्थियों की मृत्यु के बाद भी आहरण किए गए थे।

इसे इंगित किए जाने पर संबन्धित जि स क अ ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया कि मृत व्यक्तियों की पेंशन रोक दी जाएगी तथा भुगतान की गई धनराशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। शासन ने आगे अवगत (मई 2019) कराया कि संबन्धित जि स क अ से अनुपालन प्राप्त करने के बाद अंतिम उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

सरकार प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों के जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक तंत्र विकसित करना सुनिश्चित कर सकती है और साथ ही साथ मृत व्यक्तियों को पेंशन के संवितरण से बचने के लिए नियमित रूप से भौतिक सत्यापन भी करा सकती है।

1.12.4.3 लाभार्थियों को अधिक भुगतान

प्रत्येक लाभार्थी को 2015-16 से 2017-18 की अवधि में देय पेंशन राशि ₹ 800 प्रति माह मई 2016 तक और तत्पश्चात ₹ 1,000 प्रति माह थी।

पेंशन डेटाबेस के विश्लेषण में पाया गया कि 2015-18 के दौरान राज्य के 11,511 लाभार्थियों को अधिक भुगतान किया गया था। चूँकि विसंगतियों और अपर्याप्त इनपुट कंट्रोल के कारण डेटाबेस विश्वसनीय नहीं पाया गया था इसलिए वर्ष 2015-18 के दौरान जि स क का देहरादून और चंपावत में स्वीकृत 4,067 प्रकरणों¹³⁸ का स्वतः सत्यापन किया गया। 614 प्रकरणों¹³⁹ (15 प्रतिशत) में यह पाया गया कि ₹ 1,000 प्रति व्यक्ति पेंशन सीमित करने के अंतर्निहित वैलिडेशन चेक के अभाव में लाभार्थियों को ₹ 17.08 लाख¹⁴⁰ का अधिक भुगतान किया गया, जैसा कि प्रस्तर 1.12.4.1 में ऊपर उल्लिखित है।

इसे इंगित किए जाने पर, जि स क का ने उत्तर दिया कि इन लाभार्थियों को त्रुटिवश अधिक भुगतान किया गया था और शीघ्र ही वसूली किए जाने का आश्वासन दिया गया।

चूँकि ये अनियमितताएँ कुछ मामलों की नमूना जाँच के आधार पर उजागर की गई हैं, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग लाभार्थियों को अधिक भुगतान सत्यापित करने के लिए शेष सभी मामलों की जाँच कर सकता है।

1.12.4.4 मासिक आय ₹4,000 से अधिक वाले व्यक्तियों को पेंशन का वितरण

उत्तराखण्ड सरकार ने निर्णय लिया (मार्च 2014) कि ₹ 4,000 तक की मासिक पारिवारिक आय वाले व्यक्ति भी वृ पें यो के लिए पात्र होंगे।

¹³⁸ देहरादून- 3,924 प्रकरण और चंपावत- 143 प्रकरण।

¹³⁹ देहरादून 496 प्रकरण और चंपावत 118 प्रकरण।

¹⁴⁰ देहरादून- 11.23 लाख और चंपावत- 5.85 लाख।

2015-16 से 2017-18 तक की अवधि के पेंशन डेटाबेस के विश्लेषण में पाया गया कि राज्य में गैर बी पी एल प्रकरणों में ₹ 4,000 से अधिक की मासिक आय वाले 295 लाभार्थियों को ₹ 0.83 करोड़ स्वीकृत किए गए थे, जो कि वर्तमान नियमों का उल्लंघन था। लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान भी ₹ 4,000 से अधिक मासिक आय वाले व्यक्तियों को पेंशन वितरण के प्रकरण पाये गये, जैसा कि प्रस्तर 1.12.8 में उल्लिखित है।

1.12.4.5 पेंशन के दोहरे भुगतान का पता न लगाना

चयनित जि स क का द्वारा उपलब्ध करवाए गए डेटा की जाँच में पाया गया कि 85 लाभार्थियों¹⁴¹ को समान आधार संख्या/बी पी एल आईडी /बैंक खाता संख्या के सापेक्ष दोहरी पेंशन आईडी आवंटित की गई थी। चूँकि डेटाबेस डुप्लीकेट आधार संख्या/ बी पी एल आईडी/ बैंक खाता संख्या का पता नहीं लगा सकता था इसलिए 85 लाभार्थियों को अप्रैल 2011 से जनवरी 2018 के मध्य विभिन्न अवधियों के दौरान दो बार पेंशन स्वीकृत की गई थी तथा मार्च 2018 तक निरंतर भुगतान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.87 लाख¹⁴² का दोहरा भुगतान किया गया।

इसे इंगित किए जाने पर शासन ने अवगत कराया (मई 2019) कि दोहरे भुगतान की वसूली के लिए निर्देश जारी कर दिये गए हैं।

चूँकि ये अनियमितताएँ कुछ मामलों की नमूना जाँच के आधार पर उजागर की गई हैं, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग शेष सभी मामलों की जाँच कर सकता है कि क्या अन्य लाभार्थियों को दोहरी पेंशन स्वीकृत की गई है।

1.12.4.6 अपात्र व्यक्तियों को पेंशन का वितरण

राज्य सरकार ने निर्देश जारी किये (मार्च 1990) कि ऐसे मामले जहाँ पति एवं पत्नी दोनों वृ पें के लिए पात्र होंगे, वहाँ पेंशन केवल पति अथवा पत्नी को स्वीकृत की जाएगी और ऐसे प्रकरणों में महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखण्ड सरकार ने जून 2016 में जारी अपने आदेश के द्वारा उपरोक्त निर्देशों की पुनः पुष्टि की।

चूँकि आवश्यक वैलिडेशन कंट्रोल का अभाव था इसलिए 2007-08 से 2017-18 के दौरान 1,147 मामलों में समान बी पी एल आईडी नंबर वाले पति एवं पत्नी दोनों को पेंशन स्वीकृत की गयी और मार्च 2018 तक लगातार भुगतान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2008 एवं जनवरी 2018 के बीच विभिन्न अवधि के दौरान ₹ 4.18 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ जैसा कि नीचे तालिका-1.12.6 में विस्तृत है। इसके अलावा, 24 चयनित ग्रा पं के 480 लाभार्थियों के

¹⁴¹ देहरादून 17, हरिद्वार-31, पिथौरागढ़-21 और ऊधमसिंह नगर-16 लाभार्थी।

¹⁴² देहरादून: ₹ 4.87 लाख, हरिद्वार: ₹ 8.37 लाख, पिथौरागढ़: ₹ 5.58 लाख और ऊधमसिंह नगर: ₹ 2.05 लाख।

संयुक्त लाभार्थी सर्वेक्षण में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई। यह पाया गया कि 41 मामलों (नौ प्रतिशत) में, पति एवं पत्नी दोनों पेंशन प्राप्त कर रहे थे।

तालिका-1.12.6: चयनित जनपदों में पति एवं पत्नी दोनों को स्वीकृत पेंशन का विवरण

जनपद का नाम	पति एवं पत्नी दोनों को स्वीकृत पेंशन	स्वीकृति की अवधि	अनियमित भुगतान (₹ करोड़ में)
अल्मोड़ा	586	2010-11 से 2017-18	2.20
देहरादून	115	2011-12 से 2017-18	0.33
हरिद्वार	91	2013-14 से 2017-18	0.30
पिथौरागढ़	25	2007-08 से 2016-17	0.15
उसिं नगर	330	2011-12 से 2017-18	1.20
योग	1,147		4.18

स्रोत: सम्बन्धित जि स क अ द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े।

इसे इंगित किए जाने पर शासन ने अवगत कराया (मई 2019) कि अपात्र लाभार्थियों की पेंशन रोकने एवं उनको भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गए हैं।

चूँकि ये अनियमितताएँ कुछ मामलों की नमूना जाँच के आधार पर उजागर की गई हैं, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग सभी बचे हुए मामलों की जाँच यह सत्यापित करने के लिए कर सकता है कि क्या लाभार्थियों के पति को भी पेंशन स्वीकृत हो गई है। सरकार भी पति एवं पत्नी दोनों को पेंशन की मंजूरी की जाँच करने के लिए एक तंत्र विकसित करना सुनिश्चित कर सकती है।

1.12.5 अन्य निष्कर्ष

1.12.5.1 पेंशन का विलम्ब से वितरण

राज्य सरकार ने त्रैमासिक आधार पर लाभार्थियों को पेंशन वितरण हेतु आदेश जारी किये (मार्च 2011)। पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान क्रमशः जून, सितम्बर और दिसम्बर माह में किया जाना था और अन्तिम किस्त का भुगतान उस वर्ष के फरवरी माह के अन्त तक किया जाना था।

चयनित जि स क अ के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वर्ष 2015-18 के दौरान भुगतान में 366 दिनों तक का विलम्ब हुआ जैसा कि नीचे तालिका-1.12.7 में वर्णित है:

तालिका-1.12.7: नमूना जांचित जनपदों में लाभार्थियों को पेंशन भुगतान में विलम्ब का विवरण

जनपद का नाम	पेंशन भुगतान में विलम्ब दिनों में		
	2015-16	2016-17	2017-18
अल्मोड़ा	21 - 75	22 - 84	12 - 51
देहरादून	05 - 112	13 - 51	04 - 23
हरिद्वार	04 - 112	13 - 45	05 - 54
पिथौरागढ़	01 - 366	25 - 217	07 - 119
उधम सिंह नगर	24 - 60	26 - 75	18 - 28
चम्पावत	14 - 26	00 - 23	07 - 38

स्रोत: सम्बन्धित जि स क अ द्वारा प्रदान किए गए आँकड़े।

इसे इंगित किए जाने पर शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (मई 2019) कि संबन्धित जनपदों को पेंशन वितरण समय से करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गए हैं।

1.12.5.2 बकाया का भुगतान न किया जाना

राज्य सरकार ने आदेश जारी किया (जून 2016) कि जिन लाभार्थियों ने अपना आधार कार्ड जमा नहीं किया है उन्हें वृद्धावस्था पेंशन वितरित नहीं की जाएगी। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा आधार कार्ड जमा करने की अवधि मार्च 2018 तक बढ़ायी गयी (दिसम्बर 2017)।

अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2018) में पाया गया कि जि स क का हरिद्वार और पिथौरागढ़ में आधार कार्ड जमा न करने के कारण 6,703 लाभार्थियों¹⁴³ को पेंशन का वितरण अक्टूबर 2016 से रोक दिया गया था। सरकार द्वारा आधार कार्ड जमा करने की तिथि मार्च 2018 तक बढ़ाए जाने के बावजूद इन पेंशनरों को लेखापरीक्षा तिथि तक विभिन्न अवधि (अक्टूबर 2016 और सितम्बर 2017 के मध्य की) से सम्बन्धित ₹ 7.79 करोड़ करोड़ के बकाया का भुगतान नहीं किया गया था।

इसके अलावा, स क वि द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (मई 2018) की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 की अवधि में राज्य में नौ जनपदों¹⁴⁴ के 34,551 लाभार्थी धनराशि की अनुपलब्धता के कारण ₹ 15.25 करोड़¹⁴⁵ की पेंशन/बकाया पेंशन के भुगतान से वंचित थे।

इसे इंगित किये जाने पर, सम्बन्धित जि स क अ ने अवगत कराया कि मानव संसाधन की कमी के कारण बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका और आश्वासन दिया गया कि इन लाभार्थियों को यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। लाभार्थियों को पेंशन/बकाया धनराशि का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में स क वि ने अवगत कराया कि बजट शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किया गया है (मई 2018) तथा धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त इसे वितरित कर दिया जाएगा। शासन ने आगे अवगत कराया (मई 2019) कि नौ जनपदों में से दो जनपदों (अल्मोड़ा और देहरादून) ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया है।

1.12.6 मानव संसाधन की कमी

राज्य सरकार ने निर्देश जारी किये (जून 1981) कि जिला कार्यालयों में वृ पें कार्य के लिए 1,500 से अधिक जीवित पेंशनरों के लिए तीन लिपिक पदस्थापित होंगे। जि स क अ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्रत्येक चयनित जनपद में लिपिक के तीन स्वीकृत पदों के सापेक्ष, केवल आठ लिपिक¹⁴⁶ ही पदस्थापित थे। अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में 67 प्रतिशत और देहरादून एवं उधमसिंह नगर में 34 प्रतिशत की कमी थी।

¹⁴³ हरिद्वार: 5,656 और पिथौरागढ़ में: 1,047।

¹⁴⁴ चमोली: 549, रुद्रप्रयाग: 1,849, देहरादून: 9,620, हरिद्वार: 5,307, नैनीताल: 6,787, अल्मोड़ा: 1,929, बागेश्वर: 4,320, चम्पावत: 435 और उधमसिंह नगर: 3,755।

¹⁴⁵ वर्ष 2017-18 के चतुर्थ त्रैमास की पेंशन और अक्टूबर 2016 एवं सितम्बर 2017 के मध्य की अवधि का बकाया।

¹⁴⁶ अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में एक एक और देहरादून एवं उधमसिंह नगर में दो दो।

इसे इंगित किए जाने पर शासन ने अवगत कराया (मई 2019) कि जनपद/विकास खण्ड स्तर पर कंप्यूटर संचालक एवं कनिष्ठ सहायक के पदों के सृजन हेतु प्रशासनिक विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

1.12.7 सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ

एन एस ए पी के दिशानिर्देश यह प्रावधानित करता है कि राज्य को पोस्टर, ब्राउजर, मीडिया एवं अन्य माध्यमों से इस योजना के अंतर्गत पात्रता तथा इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत एवं निरंतर प्रचार सुनिश्चित करना चाहिए। सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियों पर व्यय प्रशासनिक मद से किया जाना था। स क वि एवं छ: चयनित जि स क अ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-18 के दौरान जनपद देहरादून एवं चम्पावत को छोड़ कर राज्य में अखबार/अन्य मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा पाँच ग्राम पंचायतों¹⁴⁷ में किये गये सर्वेक्षण में पाया गया कि वृ पें के लिए पात्र 25 व्यक्तियों¹⁴⁸ द्वारा न ही पेंशन के लिए आवेदन किया गया था और न ही क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं/कार्मिकों द्वारा इनकी पहचान की गयी थी।

इसे इंगित किये जाने पर, स क वि ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया कि भविष्य में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। पात्र व्यक्तियों की पहचान न होने के सम्बन्ध में, सम्बन्धित जि स क अ ने अवगत कराया कि वृ पें के लिए पात्र व्यक्तियों को शामिल करने के लिए सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। विभाग, पात्र लाभार्थियों जिनको अब तक योजना में किसी कारण से शामिल नहीं किया गया है, की पहचान के लिए सभी जनपदों में इस प्रकार के अभ्यास कर सकती है।

विभाग पात्र लाभार्थियों, जिन्हें अभी तक इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, के चिन्हीकरण करने के लिए सभी जनपदों में यह कवायद कर सकता है।

1.12.8 लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणाम

लेखापरीक्षा द्वारा समाज कल्याण विभाग के कार्मिकों के साथ 24 चयनित ग्रा पं के 480 लाभार्थियों का संयुक्त लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया था। लाभार्थी सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार थे:

- 41 लाभार्थियों (नौ प्रतिशत) के पति भी वृ पें प्राप्त कर रहे थे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य वित्त पोषित पेंशन योजना के नौ लाभार्थियों (दो प्रतिशत) के पास 2.5 एकड़ की अनुमन्य सीमा से अधिक भूमि थी।

¹⁴⁷ जनपद उधमसिंह नगर में कुरैया ग्रा पं, जनपद हरिद्वार में डेलना और बहादुरपुर सैनी, जनपद चम्पावत में कमलेख और गरसारी।

¹⁴⁸ कुरैया-05, डेलना-06, बहादुरपुर सैनी-11, कमलेख-02 और गरसारी-01 व्यक्ति।

- राज्य वित्त पोषित पेंशन योजना के 11 लाभार्थियों (दो प्रतिशत) के परिवार के सदस्य शासकीय कर्मचारी थे।
- राज्य वित्त पोषित पेंशन योजना के 53 लाभार्थियों (11 प्रतिशत) की पारिवारिक आय ₹ 4,000 प्रतिमाह से अधिक थी।

1.12.9 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

1.12.9.1 राज्य / जिला स्तरीय समिति का गठन न किया जाना

एन एस ए पी के दिशानिर्देश प्रावधानित करते हैं कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति (रा स्त स) और मुख्य अधिशासी अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति (जि स्त स) का गठन किया जाएगा। यह समितियाँ कार्यक्रम के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी। रा स्त स/जि स्त स द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमशः भारत सरकार एवं राज्य नोडल विभाग को प्रस्तुत की जानी थी। इसके अलावा, कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सतर्कता और निगरानी समिति (स नि स) का भी गठन किया जाना था। स नि स की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी थी।

यह पाया गया कि दिशानिर्देशों के विपरीत, न तो राज्य स्तर पर रा स्त स और न ही चयनित जनपदों में जि स्त स का गठन किया गया था। तथापि, राज्य स्तर पर स नि स का गठन किया गया था परन्तु वर्ष 2015-18 की अवधि में आवश्यक 12 बैठकों के सापेक्ष केवल चार बैठकें ही आयोजित की गयीं।

1.12.9.2 शिकायत निवारण तंत्र

एन एस ए पी के दिशानिर्देश प्रावधानित करते हैं कि विकास खण्ड, जनपद, नगर पालिका स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली का गठन किया जाना चाहिए और शिकायतों को संबोधित किये जाने हेतु एक अधिकारी नामित किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता को शिकायत निवारण के लिए समय सीमा इंगित करते हुए प्राप्ति रसीद दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिकायत निवारण के लिए उत्तराखण्ड सरकार के समाधान पोर्टल (आनलाईन पोर्टल) और जिलाधिकारी द्वारा आयोजित जनसुनवाई के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

चयनित जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि किसी भी जनपद में शिकायत निवारण के लिए कोई भी नामित अधिकारी नहीं था। सम्बन्धित जि स क अ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-18 के दौरान जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में क्रमशः केवल पाँच एवं चार शिकायत दर्ज की गयीं और अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत जनपद में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गयी थी। उधमसिंह नगर में वर्ष 2015-18 के दौरान समाधान पोर्टल और जन सुनवाई के माध्यम से 373 शिकायत प्राप्त हुईं और सभी का निस्तारण कर दिया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर सम्बन्धित जि स क अ ने अवगत कराया कि शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। शासन ने आगे बताया कि संबन्धित जनपदों में जनपद/विकास खण्ड/नगर पालिका स्तर पर शिकायत निवारण हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति के लिए निर्देश जारी कर दिये हैं।

1.12.9.3 सामाजिक लेखापरीक्षा का अभाव

एन एस ए पी के दिशानिर्देश यह प्रावधानित करते हैं कि निर्णय लेने और नीति निष्पादन में सार्वजनिक भागीदारी, सुशासन के सिद्धांतों में से एक है। इस प्रयोजन हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा योजना के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए आवश्यक था। ग्राम सभा/वाड सभिति द्वारा प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित किया जाना था।

चयनित जि स क अ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चयनित ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था तथा वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान चयनित जनपदों की किसी भी ग्राम पंचायत में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया कि सामाजिक लेखापरीक्षा समिति के गठन और सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये जाएंगे। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा एक आवश्यक घटक था।

1.12.9.4 भौतिक सत्यापन में कमी

राज्य सरकार के दिशानिर्देश (नवम्बर 1981) यह प्रावधानित करते हैं कि लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन छमाही आधार पर यह जाँच करने के लिए किया जाना चाहिए कि पेंशनर जीवित है और वर्तमान में भी पेंशन के लिए पात्र है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नवम्बर 2009 में जारी किये गये अपने आदेश में उपरोक्त निर्देशों की पुनः पुष्टि की गयी।

छः चयनित जि स क अ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2015-18 के दौरान पेंशनरों का भौतिक सत्यापन अपेक्षित छः बार के सापेक्ष जनपद हरिद्वार में दो बार और जनपद उधमसिंह नगर एवं चंपावत में तीन बार किया गया जबकि जनपद देहरादून, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में केवल एक बार ही किया गया। पेंशनरों के अपर्याप्त भौतिक सत्यापन के परिणामस्वरूप पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात भी भुगतान हुआ जैसा कि ऊपर प्रस्तर 1.12.4.2 में चर्चा की गयी है।

इस संबन्ध में इंगित किए जाने पर शासन ने अवगत कराया (मई 2019) कि सभी जि स क अ को वर्ष में दो बार समस्त लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किए जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

1.12.10 निष्कर्ष

राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना का कार्यान्वयन कई कमियों से ग्रस्त था। एन एस ए पी के अन्तर्गत लाभार्थियों का त्रुटिपूर्ण आंकलन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार से कम

धनराशि की माँग की गई। गैर बी पी एल श्रेणी के लाभार्थियों को एन एस ए पी के अन्तर्गत गलत तरीके से आच्छादित किया गया था। पेंशन साफ्टवेयर में वैलिडेशन एवं इनपुट कंट्रोल का अभाव था। मृत व्यक्तियों को पेंशन का वितरण, पति-पत्नी दोनों को पेंशन की स्वीकृति और लाभार्थियों को विलम्ब से पेंशन का भुगतान भी पाया गया। विभाग के पास पर्याप्त मानव शक्ति का अभाव था। विभाग द्वारा योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए पर्याप्त प्रचार अभियान नहीं चलाया गया।

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तराखण्ड राज्य परिवहन विभाग

1.13 देहरादून में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तराखण्ड राज्य परिवहन विभाग की भूमिका

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू ई पी पी सी बी) ने वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं बनाया। इसने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित सभी 12 वायु प्रदूषकों की निगरानी नहीं की। यू ई पी पी सी बी द्वारा अपनी 'सहमति व्यवस्था' के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को लाने के लिए उद्योग विभाग के साथ पंजीकृत उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए समन्वय नहीं किया गया। प्रदत्त सहमति की अवधि समाप्त होने के पश्चात इसके नवीनीकरण की निगरानी हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था। परिवहन विभाग द्वारा 15 साल पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किए गये थे। इसके पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था कि सभी वाहन 'प्रदूषण नियंत्रण' प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद उत्सर्जन परीक्षण के लिए पुनः आएँ। यह ईट भट्टों और खनन इकाइयों द्वारा वायुमंडल में फैलने वाले प्रदूषकों के उत्सर्जन को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए अपने विनियामक कार्य का निर्वहन करने में भी विफल रहा। यू ई पी पी सी बी द्वारा की जाने वाली निगरानी में कमी पाई गई। यह अपनी कार्य पद्धति से संबन्धित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और उसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने में विफल रहा।

1.13.1 प्रस्तावना

वायु प्रदूषण को स्वास्थ्य जोखिम पैदा करने वाले स्तरों पर हवा में जहरीले रसायनों या यौगिकों की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वायु प्रदूषण मानव और पदार्थ, वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह सांस लेने में तकलीफ, रक्त सम्बन्धी रोग, आंखों की समस्या और त्वचा एवं फेफड़ों के विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण बनता है। सामान्य तौर पर वायु प्रदूषकों के रूप में पहचाने जाने वाले पदार्थों में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस पी एम), रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (आर एस पी एम), सल्फर डाइऑक्साइड (एस ओ₂), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड

(एन ओ₂), कार्बन मोनोऑक्साइड (सी ओ), कार्बन डाइऑक्साइड (सी ओ₂), मीथेन और ओजोन घटाने वाले पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सी एफ सी) शामिल हैं। वायु प्रदूषण के सबसे सामान्य रूप से पहचाने जाने वाले स्रोत वाहन; उद्योग; निर्माण गतिविधियां; कचरा जलाना, आदि हैं।

पिछले कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय बन गया है, और देहरादून कोई अपवाद नहीं है। भारत सरकार ने लोकसभा को सूचित (15 दिसम्बर 2017) किया कि तीन में से दो मानकों यथा एसओ₂ और पार्टिकुलेट मैटर 10 (पीएम₁₀) के आधार पर देहरादून भारत में पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील घोषित शहरों में, सर्वाधिक प्रदूषित शहर था। ग्रीनपीस रिपोर्ट (2016) के अनुसार, देहरादून पीएम₁₀ के सापेक्ष, देश में 5वां सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा था।

देहरादून में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तराखण्ड राज्य परिवहन विभाग की भूमिका पर एक विषयक अनुपालन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गयी कि क्या वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन हेतु वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (वायु अधिनियम) के प्रावधानों का अनुपालन किया गया। उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू ई पी पी सी बी) के कार्यालय के साथ देहरादून में इसके क्षेत्रीय कार्यालय (आर ओ) के 2015-18 की अवधि से संबन्धित अभिलेखों की मार्च 2018 से जून 2018 के दौरान, लेखापरीक्षा की गयी। परिवहन विभाग के प्रासंगिक रिकॉर्ड की भी जाँच की गई।

आर ओ देहरादून के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा दल ने देहरादून में स्थित तीनों निगरानी स्टेशन¹⁴⁹ तथा 793 औद्योगिक इकाइयों¹⁵⁰ में से 32 का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी यह जानने के लिए किया गया कि क्या वह यू ई पी पी सी बी द्वारा निर्गत संचालन की सहमति (सी टी ओ) में उल्लिखित पर्यावरण सुरक्षा उपायों का अनुपालन कर रहे थे। साथ ही 19 'प्रदूषण नियंत्रण' केन्द्रों (पी यू सी) में से छः का भौतिक सत्यापन यह देखने के लिए किया गया कि क्या वे लागू प्रावधानों का अनुपालन कर रहे थे।

1.13.2 योजना

1.13.2.1 वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु 'व्यापक कार्यक्रम' का अभाव

अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, यू ई पी पी सी बी द्वारा वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन हेतु एक व्यापक कार्यक्रम को तैयार किया जाना था। इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने 20 जनवरी 2015 के अपने पत्र द्वारा यू ई पी पी सी बी को स्रोत संविभाजन

¹⁴⁹ बी एस एन एल ऑफिस, घंटाघर; अंचल डेयरी, रायपुर रोड और हिमालयन ड्रग, आई एस बी टी।

¹⁵⁰ जिसमें पाँच खनन इकाइयाँ और सात ईट भट्टा इकाइयाँ शामिल हैं।

अध्ययन¹⁵¹ करने का निर्देश दिया। तथापि, यह देखा गया कि बोर्ड ने कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार नहीं किया। देहरादून में चल रहे उद्योगों की संख्या के बारे में अपेक्षित जानकारी के अभाव (जैसा कि प्रस्तर 1.13.5.1 में चर्चा की गई है) एवं स्रोत संविभाजन अध्ययन नहीं किए जाने के कारण वायु प्रदूषण के स्रोतों के चिन्हीकरण एवं उनका परिमाणीकरण न होने के अभाव में बोर्ड वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी योजना बनाने की स्थिति में नहीं था।

इसे इंगित किए जाने पर, यू ई पी पी सी बी ने कहा कि वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन हेतु एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापक कार्यक्रम के अभाव में, यू ई पी पी सी बी प्रभावी रूप से अपने अधिदेश को पूरा करने की स्थिति में नहीं था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट (2016) के मद्देनजर व्यापक कार्यक्रम का अभाव गंभीरता को दर्शाता है जो इंगित करता है कि उत्तराखण्ड में वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा मौत एवं विकलांगता का दूसरा सबसे बड़ा जोखिम कारक है।

यू ई पी पी सी बी को वायु अधिनियम की धारा 17 के अनुसार एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने का प्रयास करना चाहिए।

1.13.3 वित्तीय व्यवस्था

यू ई पी पी सी बी के वित्तीय संसाधनों में जल उपकर, सहमति शुल्क और अन्य प्राप्तियाँ शामिल थीं। यू ई पी पी सी बी की 2015-16 से 2017-18 के दौरान आय और व्यय तालिका-1.13.1 में नीचे दी गई है:

तालिका-1.13.1: आय और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आय					व्यय			शुद्ध अधिशेष (प्रतिशत)
	सहमति शुल्क	जल उपकर	ब्याज आय	अन्य आय*	कुल आय	स्थापना और अन्य व्यय**	आयकर	कुल खर्च	
2015-16	18.76	1.83	12.14	2.90	35.63	10.21	2.08	12.29 (34.49)	65.51
2016-17	16.68	2.02	10.55	2.11	31.36	11.34	2.45	13.79 (43.97)	56.03
2017-18	20.40	0.56	9.75	1.74	32.45	11.32	0.06	11.38 (35.07)	64.93
योग	55.84	4.41	32.44	6.75	99.44	32.87	4.59	37.46 (37.67)	

स्रोत: यू ई पी पी सी बी द्वारा प्रदत्त आँकड़े।

* बायो मेडिकल शुल्क, स्टैक मॉनिटरिंग और विश्लेषण शुल्क, एन ओ सी शुल्क, ज़ब्त बैंक गारंटी, जोखिम शुल्क, आदि।

** पूँजीगत व्यय (भवन निर्माण, भूमि की खरीद, वाहन, कंप्यूटर, फर्नीचर, आदि की खरीद)।

नोट: कोष्ठक में आँकड़े कुल आय का प्रतिशत दर्शाते हैं।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि:

- 2015-18 के दौरान उपलब्ध कुल निधि में अधिशेष निधियों का प्रतिशत 56.03 प्रतिशत और 65.51 प्रतिशत के बीच था।

¹⁵¹ स्रोत संविभाजन अध्ययन मुख्य रूप से मापक पर आधारित है जो रिसेप्टर मॉडलिंग के माध्यम से स्रोतों को ट्रैक करता है और प्रदूषण में उनके स्रोतों की पहचान और योगदान की सीमा की पहचान करने में मदद करता है।

- सम्पूर्ण धनराशि 'स्थापना और अन्य खर्चों' पर व्यय की गई थी।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एन ए एम पी) निधि से संबन्धित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण नीचे तालिका-1.13.2 में दिखाया गया है:

तालिका-1.13.2: एन ए एम पी निधि से संबन्धित प्राप्तियों और खर्चों का विवरण

(₹ करोड़ में)

एन ए एम पी निधियों की प्राप्तियाँ और व्यय			
क्र सं	वर्ष	प्राप्त राशि	कुल व्यय ¹⁵²
1	2015-16	0.41	0.51
2	2016-17	-	0.52
3	2017-18	-	0.41

स्रोत: यू ई पी पी सी बी द्वारा प्रदत्त आँकड़े।

1.13.4 वायु गुणवत्ता की निगरानी

1.13.4.1 समस्त वायु प्रदूषकों की निगरानी न किया जाना

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने 12 चिन्हित प्रदूषकों सहित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एन ए ए क्यू एस) अधिसूचित (नवम्बर 2009) किये थे। इसमें पाँच गैसीय प्रदूषक एस ओ₂, एन ओ₂, ओजोन (ओ₃), सी ओ और अमोनिया (एनएच₃), दो धूल से संबन्धित पैरामीटर (पी एम₁₀ और पी एम_{2.5}), तीन धातु (लेड, निकल और आर्सेनिक) और दो जैविक प्रदूषक {बेंजीन और बेंजो (ए) पाइरीन (बीएपी)-पर्टिकुलेट} शामिल थे। पर्यावरण पर प्रमुख वायु प्रदूषकों का प्रभाव परिशिष्ट-1.13.1 में दर्शाया गया है।

यह देखा गया कि:

- यू ई पी पी सी बी, देहरादून में स्थित सभी तीनों स्टेशन पर नियमित रूप से केवल तीन वायु प्रदूषकों एस ओ₂, एन ओ₂ और पी एम₁₀ की निगरानी कर रहा था।
- पी एम_{2.5} के अतिरिक्त शेष प्रदूषकों जैसे कि अमोनिया, लेड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, बीएपी, आर्सेनिक और निकेल जो कि सूक्ष्म कण हैं एवं दीर्घकालिक रोगों के फैलने एवं उनके दुष्प्रभाव हेतु जाने जाते हैं, की निगरानी नहीं की जा रही थी।

परिणाम स्वरूप यू ई पी पी सी बी प्रदूषण जनित स्वास्थ्य के खतरों का आंकलन करने एवं शमनकारी उपायों द्वारा विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषकों एवं उनके हानिकारक प्रभावों को नियंत्रित एवं विनियमित करने की स्थिति में नहीं था।

यू ई पी पी सी बी ने कहा कि तकनीकी विशेषज्ञता वाले कर्मियों के अभाव, लैबोरेटरी और सैंपलिंग उपकरणों¹⁵³ की कमी और सैम्पलर्स की स्थापना के लिए स्थान का निर्धारण न होने के कारण, सभी प्रदूषकों को मापा नहीं जा सका।

¹⁵² व्यय यू ई पी पी सी बी द्वारा किए जाते हैं और बाद में सी पी सी बी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।

¹⁵³ पी एम_{2.5} को मापने के लिए सैम्पलर जून, 2018 में परीक्षण के आधार पर आपूर्तिकर्ता से व्यवस्थित किया गया था इसे भी स्थापित नहीं किया गया।

यह भी देखा गया कि यू ई पी पी सी बी उपकरण की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान के निर्धारण हेतु कोई भी अध्ययन कराये जाने में नाकाम रहा। इसके अतिरिक्त, इसने सी पी सी बी को संसाधनों की आवश्यकता के बारे में सूचित नहीं किया।

यू ई पी पी सी बी को सी पी सी बी द्वारा अधिसूचित सभी 12 प्रदूषकों के अनुश्रवण का प्रयास करना चाहिए।

1.13.4.2 प्रदूषकों का स्तर

वायु अधिनियम और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिदेश को लागू करने के लिए निरंतर वायु गुणवत्ता सर्वेक्षण/निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से वर्तमान और प्रत्याशित वायु प्रदूषण का आंकलन करना आवश्यक था। सी पी सी बी द्वारा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी (एनएएक्यूएम) नेटवर्क शुरू किया गया (1984-1985) जिसे बाद में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एन ए एम पी) का नाम दिया गया। एन ए एम पी के अन्तर्गत देहरादून में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी तीन स्टेशनों के माध्यम से मुख्यतः तीन प्रदूषकों एस ओ₂, एन ओ₂ और पी एम₁₀ के मापन के द्वारा किया जा रहा था। तत्संबंधी आँकड़े नीचे दी गई तालिका-1.13.3 में प्रदर्शित हैं

तालिका-1.13.3: 2015-2017 के दौरान प्रदूषकों के स्तर को दर्शाने वाला विवरण

(यूनिट माइक्रोग्राम/मी³)

वर्ष	घंटाघर			रायपुर रोड			हिमालयन ड्रग, आई एस बी टी			
	औसत	पी एम ₁₀	एस ओ ₂	एन ओ ₂	पी एम ₁₀	एस ओ ₂	एन ओ ₂	पी एम ₁₀	एस ओ ₂	एन ओ ₂
2015		159.54	26.48	29.92	155.35	26.33	29.53	237.75	27.45	30.43
2016		180.05	25.07	28.66	245.23	25.92	28.99	288.12	27.10	30.05
2017		190.40	24.97	28.50	220.74	25.84	28.85	302.34	26.66	29.68
मानक		60	20	30	60	20	30	60	20	30

स्रोत: यू ई पी पी सी बी द्वारा प्रदत्त आँकड़े।

वर्ष 2015 से 2017¹⁵⁴ तक इन स्टेशनों के संबन्ध में विश्लेषण रिपोर्ट के उपरोक्त परिणामों की जाँच ने खुलासा किया कि:-

- एस ओ₂ का वार्षिक औसत मान 24.97 माइक्रोग्राम/मी³ और 27.45 माइक्रोग्राम/मी³ के बीच था जो निर्धारित सीमा (20 माइक्रोग्राम/मी³) से अधिक है।
- एन ओ₂ का वार्षिक औसत मान 28.50 माइक्रोग्राम/मी³ और 30.43 माइक्रोग्राम/मी³ के बीच था जो निर्धारित सीमा (30 माइक्रोग्राम/मी³) से थोड़ा अधिक है।

¹⁵⁴ वार्षिक औसत मान की गणना यू ई पी पी सी बी द्वारा कैलेंडर वर्ष हेतु की जाती है।

➤ पी एम₁₀ का वार्षिक औसत मान 155.35 माइक्रोग्राम/मी³ और 302.34 माइक्रोग्राम/मी³ के बीच था जो निर्धारित सीमा (60 माइक्रोग्राम/मी³) से काफी अधिक है।

इसे इंगित किए जाने पर यू ई पी पी सी बी ने तथ्य को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि वायु प्रदूषण के उपशमन और नियंत्रण की कार्य योजना मसौदा चरण में थी।

1.13.4.3 अनियमित निगरानी

एन ए एम पी दिशानिर्देश कहता है कि प्रदूषकों की एक वर्ष में 104 अवलोकनों के लिए, एक सप्ताह में दो बार 24 घंटे हेतु (गैसीय प्रदूषकों के लिए 4-प्रति घंटा नमूना और पार्टिकुलेट कण के लिए 8-प्रति घंटा नमूना का औसत), निगरानी करनी चाहिए। नमूने की अवधि और आवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि आँकड़ों के साथ सांख्यिकीय रूप से विश्वसनीय औसत प्राप्त किया जा सके। एन ए एम पी के अंतर्गत निगरानी के विभिन्न उद्देश्यों में से एक एन ए ए क्यू एस के अनुपालन का निर्धारण करना है।

तीन वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों के संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि एस ओ₂, एन ओ₂ और पी एम₁₀ का मापन एक दिन में 16 घंटे के लिए चार घंटे एवं आठ घंटे के अंतराल पर क्रमशः एस ओ₂, एन ओ₂ और पी एम₁₀ के लिए किया जा रहा था, जो निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप नहीं था। इसलिए, वार्षिक औसत, प्रदूषकों के वास्तविक स्तर के गलत निर्धारण और गैर प्रतिनिधिक होने का खतरा हो सकता है।

इंगित किए जाने पर, आर ओ, यू ई पी पी सी बी देहरादून ने कहा कि कर्मचारियों और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण, 24 घंटे की निगरानी नहीं की गयी।

यू ई पी पी सी बी को कर्मचारियों एवं बुनियादी सुविधाओं की कमी की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है ताकि गलत और गैर-प्रतिनिधिक डेटा उत्पन्न होने के जोखिम को कम करने के लिए एन ए एम पी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदूषकों की निगरानी की जा सके।

1.13.4.4 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन

1.13.4.4 (अ) गैर-प्रतिनिधिक स्थल

पी पी सी बी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुछ पेड़ पी एम के स्रोत भी हो सकते हैं जैसे कि डिट्रिटस, पराग, या कीट-भागों। इसलिए, सैमप्लर्स को उन स्थानों पर स्थित होना चाहिए जो आस-पास के पेड़ों से 20 मीटर से अधिक दूरी पर हों। इसके अलावा, परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के सभी हिस्से खुले होने चाहिए अर्थात्, अंतर्ग्रहण सीमित स्थान के भीतर नहीं होना चाहिए और प्रवेशिका की ऊंचाई जमीन से 3-10 मीटर ऊपर होनी चाहिए। यदि उपकरण का स्थान ऐसा है कि यह मॉनिटरिंग साइट की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो प्राप्त डेटा प्रदूषकों के स्तर की स्थिति और रुझानों के निर्धारण में अधिक उपयोगी नहीं हो सकता।

तीन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (ए ए क्यू एम एस) के संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि निर्धारित मानदण्डों के विपरीत, तीनों सैम्पलर्स के सभी किनारे खुले हुये नहीं थे तथा उन्होंने हवा के मुक्त प्रवाह को प्रतिबंधित कर दिया था। एक प्रकरण में सैम्पलर्स पास के पेड़ों से 20 मीटर के भीतर स्थित थे। सैम्पलर्स के नमूना चित्रों को निम्नानुसार दर्शाया गया है-



चित्र 1.13.1: हिमालयन ड्रग, आई एस बी टी (5 अप्रैल 2018)
प्रेक्षण-पास के पेड़ से 20 मीटर के भीतर स्थित



चित्र 1.13.2: हिमालयन ड्रग, आई एस बी टी (5 अप्रैल 2018)
प्रेक्षण-पास के पेड़ों से 20 मी के भीतर स्थित



चित्र 1.13.3: आँचल डेयरी, रायपुर (5 अप्रैल 2018)
प्रेक्षण-चारों तरफ से खुला नहीं



चित्र 1.13.4: अंचल डेयरी, रायपुर (5 अप्रैल 2018)
प्रेक्षण-चारों तरफ से खुला नहीं



चित्र 1.13.5: बी एस एन एल कार्यालय, घंटाघर
(5 अप्रैल 2018) प्रेक्षण- चारों तरफ से खुला नहीं



चित्र 1.13.6: बी एस एन एल कार्यालय, घंटाघर
(5 अप्रैल 2018) प्रेक्षण- चारों तरफ से खुला नहीं

निर्धारित मानदण्डों के विपरीत वायु निगरानी उपकरणों की स्थापना से गलत और गैर-प्रतिनिधिक परिणाम उत्पन्न होने का जोखिम होता है।

इसे इंगित किए जाने पर, यू ई पी पी सी बी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं उत्तर दिया कि एन ए एम पी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

1.13.4.4 (ब) संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई अन्य कमियाँ

तीन ए ए क्यू एम एस के संयुक्त भौतिक सत्यापन ने अन्य विभिन्न कमियों का खुलासा किया जैसा कि तालिका-1.13.4 में चर्चा की गई है:

तालिका-1.13.4: ए ए क्यू एम एस के संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम दिखाने वाले विवरण

एन ए एम पी दिशानिर्देशों के प्रावधान	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
<ul style="list-style-type: none"> वाहनों के प्रकार और संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। इस स्रोत से निकलने वाले प्रदूषण भार का अनुमान लगाया जाना चाहिए ताकि उन स्रोतों की पहचान की जा सके जो प्रदूषण की महत्वपूर्ण मात्रा पैदा कर रहे हैं। यह जानकारी प्रदूषकों की पहचान करने में मदद करेगी जो एक क्षेत्र में अपेक्षित हो सकते हैं और इस लिए मापा जाना चाहिए। 	<ul style="list-style-type: none"> वाहनों के प्रकार और संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं रखी गई थी। इन मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना के समय भी इस संबंध में यू ई पी पी सी बी द्वारा कोई आंकलन नहीं किया गया था।
<ul style="list-style-type: none"> तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, हवा की गति और दिशा के संबंध में मौसम संबंधी डेटा एकत्र किया जाना चाहिए। मॉनिटरिंग स्टेशनों के स्थान का निर्धारण करने में सर्वाधिक हवा की दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 	<ul style="list-style-type: none"> तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, हवा की गति और दिशा के संबंध में कोई मौसम संबंधी डेटा एकत्र नहीं किया गया था।
<ul style="list-style-type: none"> साइट आश्रय और तत्संबंधी अन्य सुविधाएं जैसे पर्याप्त रेटिंग की बिजली, आदि उपलब्ध होनी चाहिए। स्टेशनों को प्रतिकूल मौसम की स्थिति से बचाया जाना चाहिए। 	<ul style="list-style-type: none"> साइट आश्रय की सुविधायें जैसे बारिश, धूप, आदि से सुरक्षा के लिए शेड उपलब्ध नहीं थे।
<ul style="list-style-type: none"> प्रयोगशाला उपकरण को नियमित रूप से कैलिब्रेट किया जाना चाहिए ताकि त्रुटियों को कम किया जा सके। 	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2012 के बाद से उपकरणों को कैलिब्रेट नहीं किया गया था।
<ul style="list-style-type: none"> फील्ड सहायकों को पर्यावरण रसायन शास्त्र में एम.एससी. होना चाहिए। 	<ul style="list-style-type: none"> ए ए क्यू एम एस के लिए फील्ड सहायक 12 स्तर की योग्यता रखते थे।
<ul style="list-style-type: none"> निर्बाध बिजली आपूर्ति का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि दिन में 24 घंटे निगरानी की जा सके। 	<ul style="list-style-type: none"> पावर बैंक अप के लिए सुविधा का अभाव था।

यू ई पी पी सी बी को एन ए एम पी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सैम्पलर्स स्थापित करने और रखरखाव के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि गलत एवं गैर-प्रतिनिधिक डेटा उत्पन्न होने के जोखिम से बचा जा सके।

1.13.4.5 पेट्रोल/डीजल खुदरा स्टेशनों के निकट बेंजीन के स्तर की निगरानी का अभाव

बेंजीन, ट्रेस स्तर पर वायुमंडल में मौजूद हाइड्रोकार्बनों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, व्यावसायिक रूप से बेंजीन के अत्यधिक संपर्क में आने से नार्कोसिस, सिरदर्द, चक्कर आना, उर्नीदापन, भ्रम, कंपकंपी और बेहोशी हो सकती है। बेंजीन मुख्य रूप से पेट्रोल स्टेशनों में वाष्पीकरण

से निकलता है। पेट्रोल एक बहुत ही वाष्पशील पदार्थ है। यह लोडिंग और वितरण के दौरान जल्दी से वाष्पित हो जाता है। यह पेट्रोल पंपों में उच्च परिवेशी सांद्रता को बढ़ावा देता है। यह ईंधन भरने वाले स्टेशनों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्र बनाता है।

बेंजीन की निकासी एक उपकरण द्वारा नियंत्रित होती है जिसे वेपर रिकवरी सिस्टम¹⁵⁵ (वी आर एस) कहा जाता है जो ईंधन को एक वाहन या एक आउटलेट में पंप किए जाने पर उत्सर्जित होने वाले धुएँ को एक पाइप के माध्यम से वापस सोख लेता है।

सी पी सी बी ने एन ए ए क्यू एस के साथ 12 चिन्हित प्रदूषकों को अधिसूचित (नवम्बर 2009) किया था। बेंजीन निगरानी किए जाने वाले प्रदूषकों में से एक था। सी पी सी बी द्वारा निर्धारित एन ए ए क्यू एस के अनुसार, बेंजीन का अनुमन्य स्तर 5 माइक्रोग्राम/मी³ है।

यू ई पी पी सी बी के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि:

- बेंजीन के स्तर की निगरानी और नियंत्रण की कोई योजना नहीं बनाई गई थी।
- यू ई पी पी सी बी द्वारा देहरादून में खुदरा पेट्रोल/डीजल स्टेशनों के निकट बेंजीन के स्तर का कभी भी कोई परीक्षण नहीं किया गया था।
- यू ई पी पी सी बी ने खुदरा पेट्रोल/डीजल स्टेशनों पर वी आर एस की स्थापना सुनिश्चित नहीं की।
- यू ई पी पी सी बी ने खुदरा पेट्रोल/डीजल स्टेशनों को सहमति व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।
- इसके अलावा, देहरादून में 97 खुदरा पेट्रोल/डीजल स्टेशनों में से दस के संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि कोई भी स्टेशन वी आर एस से लैस नहीं था।

इसे इंगित किए जाने पर यू ई पी पी सी बी तथ्यों से सहमत था। उसने कहा कि बेंजीन स्तर की निगरानी से संबन्धित कोई कार्ययोजना नहीं थी और सक्षम अधिकारी से निर्देश प्राप्त करने के बाद कदम उठाए जाएंगे।

इस तरह, यू ई पी पी सी बी बेंजीन के स्तर की मात्रा का आंकलन करने और इस प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए कोई भी कदम उठाने में विफल रहा।

मनुष्यों पर बेंजीन के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यू ई पी पी सी बी को बेंजीन के स्तर की मात्रा का आंकलन करने के लिए प्रयास करने चाहिए और इसे अनुमन्य स्तर के अन्तर्गत रखने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए।

¹⁵⁵ सी पी सी बी के दस्तावेज़ के अनुसार।

1.13.5 औद्योगिक प्रदूषण

1.13.5.1 सर्वेक्षण का गैर-संचालन और औद्योगिक इकाइयों की पहचान न किया जाना

वायु अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन नहीं करेगा।

उद्योग के प्रस्तावक को जिला उद्योग केन्द्र (डी आई सी) में 'सिंगल विंडो' के माध्यम से आवेदन करना होता है। इसके बाद, क्षेत्रीय अधिकारी (आर ओ), यू ई पी पी सी बी वायु अधिनियम 1981, और दून घाटी अधिसूचना, 1989 के अन्तर्गत आवेदन की जाँच करता है और उद्योग की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन देता है। इसके बाद, प्रस्तावक अलग से, 'स्थापित करने हेतु सहमति' (सी टी ई) के लिए आवेदन करता है और संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संबन्धित दस्तावेजों की जाँच की जाती है और यदि आवेदन ठीक पाया जाता है तो प्रस्तावक को आवश्यक शुल्क जमा करने के लिए कहा जाता है। इस स्तर पर, आर ओ के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक इकाइयों का साइट निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आर ओ/हेड ऑफिस द्वारा, जैसा भी मामला हो, सी टी ई जारी किया जाता है। सी टी ओ को जारी करते समय भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। निरीक्षण के समय, सी टी ई से जुड़ी शर्तों के अनुपालन को भी सत्यापित किया जाता है।

यू ई पी पी सी बी को देहरादून में चालू कुल औद्योगिक इकाइयों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिला उद्योग केंद्र, देहरादून के अनुसार 2015-18 के दौरान, 1,104 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गईं। तथापि, केवल 107¹⁵⁶ औद्योगिक इकाइयों ने सी टी ई प्राप्त करने के लिए यू ई पी पी सी बी के समक्ष आवेदन किया। यू ई पी पी सी बी ने पंजीकृत उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए न तो कोई सर्वेक्षण किया और न ही उद्योग विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया ताकि इनको अपनी सहमति व्यवस्था के अंतर्गत लाया जा सके। डेटा के अभाव में, यू ई पी पी सी बी, देहरादून में चालू औद्योगिक इकाइयों के संबन्ध में यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि औद्योगिक इकाइयों ने ऐसे उपाय, जो यह सी टी ओ शर्तों¹⁵⁷ के माध्यम से लागू करना चाहता है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किए हैं।

इसे इंगित किए जाने पर, यू ई पी पी सी बी ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था और केवल वही उद्योगों, जिन्होंने सी टी ओ के लिए आवेदन किया था, उनकी सहमति के अंतर्गत थे। इसने आगे कहा कि इस मुद्दे को बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जाएगा।

यू ई पी पी सी बी को वैध सी टी ओ के बिना काम करने वाले उद्योगों की पहचान करने और उन्हें अपनी सहमति व्यवस्था के अंतर्गत लाने के प्रयास करने चाहिए।

¹⁵⁶ इन 107 औद्योगिक इकाइयों में से 94 को सी टी ई प्रदान किया गया। आगे 94 इकाइयों में से केवल 52 इकाइयों को ही सी टी ओ प्रदान किया गया। सी टी ओ जारी करने के समय, सी टी ई से जुड़ी शर्तों को भी सत्यापित किया जाता है।

¹⁵⁷ उद्योग विभाग लाइसेंसिंग के समय पर्यावरण मंजूरी से संबन्धित कोई भी शर्त नहीं लगाता है।

1.13.5.2 सहमति का नवीनीकरण

वायु अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत उद्योगों को दी गई सहमति के नवीनीकरण हेतु यू ई पी पी सी बी द्वारा निर्दिष्ट इसकी वैधता की अवधि के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है।

यू ई पी पी सी बी ने पूर्व में जारी की गई सहमति की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद सहमति के नवीनीकरण की निगरानी हेतु कोई भी तंत्र विकसित नहीं किया। यू ई पी पी सी बी द्वारा डेटा के रखरखाव के अभाव में अपने सी टी ओ को नवीनीकृत किए बिना संचालन में रहने वाली औद्योगिक इकाइयों की संख्या का पता नहीं लगाया जा सका। इस तरह अधिनियम के प्रावधानों को उचित प्रकार से लागू करने के लिए यू ई पी पी सी बी के पास आवश्यक जानकारी का अभाव था।

बोर्ड की सहमति व्यवस्था के अन्तर्गत 793 औद्योगिक इकाइयों में से 32 औद्योगिक इकाइयों, जैसे कि **परिशिष्ट-1.13.2 अ** में वर्णित है, के संयुक्त भौतिक सत्यापन में ज्ञात हुआ की कुल 19 इकाइयाँ, जैसे कि **परिशिष्ट-1.13.2 ब** में वर्णित है, बोर्ड द्वारा प्रदत्त सहमति के आवश्यक नवीनीकरण कराये बिना ही एक माह से तीन माह तक की अवधि में संचालन में रही (लेखापरीक्षा तिथि तक)। इसके अलावा, अन्य चार इकाइयों में से, तीन इकाइयों ने, जैसे कि **परिशिष्ट-1.13.2 स** में वर्णित है, यद्यपि सी टी ई तो ले लिया था, लेकिन सी टी ओ के लिए आवेदन नहीं किया था; एक इकाई ने सी टी ई के लिए आवेदन किया जिसे अस्वीकार कर दिया गया, फिर भी उक्त इकाई कार्य/संचालन कर रही थी।

इसे इंगित किए जाने पर, यू ई पी पी सी बी ने स्वीकार किया कि सी टी ओ की वैधता के अनुश्रवण हेतु कोई निगरानी तंत्र नहीं था।

यू ई पी पी सी बी को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई ने अपने सी टी ओ को निर्धारित समय सीमा के भीतर नवीनीकृत किया है और सी टी ई/सी टी ओ के लिए आवेदन की अस्वीकृति के बाद कोई भी औद्योगिक इकाई संचालित नहीं हो रही है।

चूँकि ये अनियमितताएँ कुछ मामलों की नमूना जाँच के आधार पर उजागर की गई हैं, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि यू ई पी पी सी बी को सभी सहमति की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी औद्योगिक इकाइयों ने अपने सी टी ओ का नवीनीकरण करवा लिया है और कोई भी औद्योगिक इकाई सी टी ई/सी टी ओ के लिए आवेदन की अस्वीकृति के बाद संचालित नहीं है।

1.13.5.3 सी टी ओ की अस्वीकृति के बाद निगरानी की कमी

आर ओ, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों की जाँच से पाया गया कि 2015-18 की अवधि के दौरान 29 मामलों¹⁵⁸ में, सी टी ओ के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था।

¹⁵⁸ ताजा और पुराने मामलों को सम्मिलित कर।

तथापि, बोर्ड, ऐसा कोई भी निगरानी तंत्र यथा निरीक्षण, विकसित नहीं कर सका जो यह सुनिश्चित कर सके कि संबन्धित औद्योगिक इकाइयों के सहमति हेतु प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत किए जाने के बाद उक्त इकाइयाँ संचालित नहीं हुई; जैसा कि 32 इकाइयों के भौतिक सत्यापन के दौरान एक इकाई ऐसी पाई गई जिसका सहमति प्रार्थना पत्र अस्वीकृत होने के बावजूद वह संचालन में थी।

1.13.5.4 पूर्वव्यापी प्रभाव से सहमति जारी करना

देहरादून में उद्योगों का वर्गीकरण¹⁵⁹ सी पी सी बी के निर्देशों और दून वैली अधिसूचना, 1989 पर आधारित है। विवरण **परिशिष्ट-1.13.3** में दिया गया है।

वायु अधिनियम की धारा 21 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत, यू ई पी पी सी बी को सी टी ई एवं सी टी ओ जारी करने का अधिकार दिया गया था। प्रारंभ में दी गई सी टी ओ की समाप्ति से पहले, इकाइयों को अपने सी टी ओ को नवीनीकृत करने की आवश्यकता थी। पूर्व में निर्गत सी टी ओ¹⁶⁰ की समाप्ति के 60 दिन पहले सी टी ओ के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना था। उप-धारा (4) के अनुसार, उप खंड (1) में निर्दिष्ट सहमति की प्राप्ति के बाद यू ई पी पी सी बी को चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सहमति जारी करनी थी। आगे, यू ई पी पी सी बी (मार्च 2016) ने सहमति आवेदनों के निस्तारण के लिए अधिकतम समय सीमा, ग्रीन श्रेणी के लिए 30 दिन; ऑरेंज श्रेणी के लिए 60 दिन; और रेड श्रेणी के उद्योगों के लिए 90 दिन निर्धारित की थी।

अभिलेखों की जाँच से पता चला है कि आर ओ, देहरादून द्वारा 2015-18 के दौरान जारी 760 सी टी ओ में से 503 (66 प्रतिशत) निर्धारित समय के भीतर जारी नहीं किए गए थे और विलंब 580 दिनों तक का था। उल्लेखनीय है कि उक्त उद्योग विलंब की अवधि के दौरान चालू थे। आगे यह भी देखा गया कि 2015-18 के दौरान निर्गत कुल 760 सी टी ओ में से 757 (99.61 प्रतिशत) मामलों में सी टी ओ पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ प्रदान किये गये थे और 757 मामलों में से 87 में सहमति, आवेदन सहमति की अवधि समाप्त होने के बाद जारी की गई। पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ दी गई सी टी ओ का वर्ष वार ब्यौरा **तालिका-1.13.5** में नीचे दर्शाया गया है:

¹⁵⁹ सभी उद्योग (अ) जो अहितकरक और जोखिम रहित हैं, 100 व्यक्तियों तक को रोजगार देते हैं, औद्योगिक अपशिष्टों का निर्वहन नहीं करते हैं, विनिर्माण प्रक्रिया में ईंधन का उपयोग नहीं करते हैं और विसरित प्रकृति के उत्सर्जन का उत्सर्जन नहीं करते हैं, उन्हें ग्रीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, (ब) 500 कि ली /दिन से नीचे के नियंत्रणीय तरल अपशिष्ट का निर्वहन, 24 मीट्रिक टन /दिन से कम के कोयले/ईंधन का उपभोग करना और 500 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित न करते हों को ऑरेंज के रूप में वर्गीकृत किया गया है (स) प्रदूषण फैलाने वाले प्रकृति के अपशिष्टों का @500 कि ली/दिन निर्वहन करना, 500 से अधिक व्यक्तियों/दिन को नियोजित करना तथा 24 मीट्रिक टन /दिन से अधिक कोयले/ईंधन का उपभोग करने वालों को रेड के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

¹⁶⁰ सी टी ओ की नियम और शर्तों के अनुसार।

तालिका-1.13.5: 2015-18 के दौरान जारी की गई सहमति के विश्लेषण के परिणाम

वर्ष	उद्योग की कुल संख्या जिन्हें सी टी ओ प्रदान किया गया	औद्योगिक इकाइयों की संख्या जिन्हें सहमति अवधि की समाप्ति के बाद सी टी ओ प्रदान किया गया (प्रतिशतता में)	औद्योगिक इकाइयों की संख्या जिन्हें सहमति अवधि के भीतर परन्तु पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ सी टी ओ निर्गत किया गया (प्रतिशतता में)	औद्योगिक इकाइयों की संख्या जिन्हें सहमति अवधि के शुरू होने से पहले सी टी ओ दी गयी (प्रतिशतता में)
2015-16	305	47 (15.41)	256 (83.93)	02 (0.66)
2016-17	213	19 (8.92)	193 (90.61)	01 (0.47)
2017-18	242	21 (8.68)	221 (91.32)	0
योग	760	87 (11.45)	670 (88.16)	03 (0.39)

स्रोत: यू ई पी पी सी बी द्वारा प्रदत्त आँकड़े।

सहमति जारी करने में देरी और इन्हें पूर्व तिथि से प्रभावी बनाने का अर्थ है कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा आवश्यक शर्तों के अनुपालन के तथ्य को दरकिनार कर दिया गया।

यू ई पी पी सी बी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, सी टी ओ निर्धारित समय-सीमा के भीतर जारी किए जाएं ताकि कोई भी औद्योगिक इकाई बिना वैध सहमति के न चल सके।

1.13.5.5 सहमति रजिस्टर

वायु अधिनियम की धारा 51 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य बोर्ड उन व्यक्तियों के विवरणों हेतु एक रजिस्टर का रख रखाव करेगा, जिन्हें वायु अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति प्रदान की गई है एवं ऐसी प्रत्येक सहमति के संबन्ध में इसके द्वारा निर्धारित उत्सर्जन के मानक एवं अन्य विवरण जो निर्धारित किए गए हों, को भी इंद्राज करेगा।

यू ई पी पी सी बी और आर ओ, देहरादून के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि उक्त सहमति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

सहमति रजिस्टर का रखरखाव न होने के कारण यू ई पी पी सी बी के पास उन व्यक्तियों जिन्हें सहमति जारी की गई थी, प्रत्येक मामले के लिए उत्सर्जन मानक एवं सहमति की शर्तों जो कि निगरानी के प्रारंभिक मानदण्ड थे, के बारे में समेकित सूचनाएं नहीं थीं।

1.13.5.6 उद्योगों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

यू ई पी पी सी बी की सहमति व्यवस्था के अन्तर्गत आछादित की गई 793 औद्योगिक इकाइयों में से 32 के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया कि पर्यावरणीय मंजूरी (ई सी)/सी टी ओ में उल्लिखित विभिन्न शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया जैसा कि नीचे तालिका-1.13.6 में वर्णित है:

तालिका-1.13.6: उद्योगों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

क्र सं	पर्यावरणीय स्वीकृति/ संचालित करने हेतु सहमति शर्तें	औद्योगिक इकाइयों की संख्या जिसमें अनुपालन नहीं पाया गया
1.	परियोजना प्राधिकारी प्रत्येक छः महीने के बाद प्राधिकरण को 'पर्यावरण स्वीकृति' की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।	छः इकाइयाँ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रही थीं।
2.	गैसीय उत्सर्जन {एस ओ ₂ , एन ओ ₂ , सी ओ, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वी ओ सी) और हाइड्रोकार्बन (एचसी)} और विभिन्न प्रक्रिया इकाइयों से आर एस पी एम स्तरों के साथ पार्टिकुलेट मैटर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुरूप होंगे।	नौ इकाइयाँ परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर रही थीं। इसके परिणामस्वरूप, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि निर्धारित मानदण्डों का पालन किया जा रहा है।
3.	कारखाना स्थल पर उपयोग किए जाने वाले वाहनों को सी पी सी बी के उत्सर्जन मानदण्डों और ध्वनि स्तर के मानकों का पालन करना चाहिए।	ग्यारह इकाइयों में, कारखाना स्थल पर इस्तेमाल किए गए वाहनों के पास पी यू सी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे।
4.	पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी कार्यों को पूरा करने के लिए पूर्ण विकसित प्रयोगशाला सुविधाओं से सुसज्जित एक अलग पर्यावरण प्रबंधन सेल स्थापित किया जाएगा।	बारह इकाइयों में, अलग से पर्यावरण प्रबंधन सेल स्थापित नहीं किया गया था।
5.	कुल परियोजना स्थल क्षेत्र का 33 प्रतिशत ग्रीन बेल्ट में परिवर्तित किया जाएगा।	दस इकाइयों में, ग्रीन बेल्ट में परिवर्तित कुल परियोजना स्थल क्षेत्र मानक मानदण्डों से नीचे था।
6.	आवेदक, सी पी सी बी द्वारा सुझाए गए पौधों की प्रजातियों से परिसर में ग्रीन बेल्ट की तीन पंक्तियों को विकसित करेगा।	इक्कीस इकाइयों में, सी पी सी बी मानदण्डों का पालन नहीं किया जा रहा था।
7.	उद्योग यू ई पी पी सी बी द्वारा निरीक्षण के समय "निरीक्षण पुस्तिका" प्रदान करेगा।	छब्बीस इकाइयों में, निरीक्षण पुस्तिका का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

यू ई पी पी सी बी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी औद्योगिक इकाइयाँ ई सी/सी टी ओ में निर्धारित शर्तों का पालन करें ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सके।

चूँकि ये अनियमितताएँ कुछ मामलों की नमूना -जाँच के आधार पर उजागर की गई हैं, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि यू ई पी पी सी बी सभी सहमति की समीक्षा करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी औद्योगिक इकाइयाँ ई सी/सी टी ओ में निर्धारित शर्तों का पालन करती हैं।

1.13.6 वाहन जनित प्रदूषण

वायु अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत, परिवहन विभाग (टी डी) वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु अधिकृत था। प्रमुख वाहन प्रदूषक सी ओ, एन ओ₂, हवा विषाक्त प्रदार्थ अर्थात् बेंजीन, एल्डीहाइड्स, लेड, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन आदि हैं।

केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988, और केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सी एम वी आर) 1989, देश भर में वाहनों के उत्सर्जन के नियमन के लिए प्रमुख साधन हैं। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों के उपर है।

देहरादून में वाहनों की संख्या 2015-16 में 6.81 लाख से बढ़कर 2017-18 के अंत तक 8.71 लाख हो गई।

1.13.6.1 वाहनों का पुनः पंजीकरण

केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उप-धारा (7), (8) और (10) के अनुसार, परिवहन वाहनों के अलावा अन्य सभी मोटर वाहनों का पंजीकरण 15 वर्षों के लिए वैध है और इसे फिटनेस के अधीन पुनः पाँच साल की अवधि के लिए आगे, मूल पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित करते हुए, नवीनीकृत किया जा सकता है। पुनः पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में 'पी यू सी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति' शामिल हैं।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 1999-2002¹⁶¹ की अवधि के दौरान क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आर टी ओ), देहरादून के पास 48,158 वाहनों के पंजीकरण किए गए थे और 2015-18 की अवधि के दौरान पुनः पंजीकरण के योग्य थे। तथापि, यह देखा गया कि केवल 11,176 वाहनों के पुनः पंजीकरण हुए और 4,748 वाहनों के लिए, अन्य राज्यों में पुनः पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया था। इस तरह परिवहन विभाग ने 15 साल के पुराने वाहनों के संबन्ध में पुनः पंजीकरण या उन्हें सड़क से हटाने के कार्यान्वयन की दिशा में पर्याप्त उपायों का प्रावधान नहीं किया। एक तंत्र, जिससे यह पुराने वाहनों द्वारा उत्सर्जन मानदण्डों के अनुपालन की जाँच कर सकता था, अनुपस्थित था।

परिवहन विभाग को पुराने वाहनों का या तो फिर से पंजीकरण करके या उन्हें सड़क से हटा कर, उत्सर्जन मापदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

1.13.6.2 वाहनजनित प्रदूषण भार

किसी क्षेत्र में, कुल उत्सर्जन भार में विभिन्न स्रोतों की हिस्सेदारी का आंकलन करने के लिए, उत्सर्जन भार का आंकलन एक आवश्यक कदम है। यह एक क्षेत्र में उत्सर्जन भार को कम करने में विभिन्न रणनीतियों की क्षमता को समझने में भी मदद करता है।

परिवहन विभाग के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा देहरादून में भारी यातायात के स्थानों की पहचान करने के लिए न तो कोई सर्वेक्षण किया गया और न ही प्रदूषण भार का आंकलन किया गया।

इसे इंगित किए जाने पर, आर टी ओ देहरादून ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। विश्वसनीय और प्रासंगिक डेटा के अभाव में परिवहन विभाग, देहरादून में प्रदूषण भार को कम करने हेतु एक व्यापक योजना या रणनीति तैयार करने में विफल रहा।

परिवहन विभाग को उत्सर्जन भार का अनुमान लगाने और प्रदूषण भार को कम करने के लिए रणनीति तैयार करने के प्रयास करने चाहिए।

¹⁶¹ 1999 से पहले का डेटा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

1.13.6.3 प्रवर्तन दल के पास उपलब्ध निष्क्रिय उपकरण

परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना की जाँच में पता चला कि दो प्रवर्तन दलों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहन के उत्सर्जन स्तर की जाँच का काम सौंपा गया था। तथापि यह देखा गया कि उत्सर्जन स्तर की जाँच के लिए जो उपकरण दलों के पास उपलब्ध थे वह निष्क्रिय थे इसलिए 2015-18 के दौरान दल द्वारा किसी वाहन¹⁶² की जाँच नहीं की गयी थी। इसलिए, विभाग उन वाहन मालिकों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने में विफल रहा, जो उत्सर्जन मापदण्डों का उल्लंघन कर रहे थे।

1.13.6.4 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र

सी एम वी आर 1989 के उप नियम 115 (7) के अनुसार, प्रत्येक मोटर वाहन पहली बार पंजीकृत होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद वैध पी यू सी प्रमाणपत्र अपने पास रखेगा, जिसे इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत एक एजेंसी द्वारा जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र की वैधता छः महीने के लिए होगी और प्रमाणपत्र हमेशा वाहन में रखा जाएगा और निर्धारित अधिकारियों द्वारा माँग पर प्रस्तुत किया जाएगा।

देहरादून में मार्च 2018 तक विभिन्न श्रेणियों के 8.71 लाख पंजीकृत वाहन थे। परिवहन विभाग द्वारा देहरादून में मार्च 2018 तक 19 पी यू सी केंद्रों को प्राधिकृत किया गया था।

1.13.6.4 (अ) पी यू सी प्रमाणपत्रधारी वाहनों के कवरेज में कमी

एक वाहन के पूरे उपयोगी जीवन काल के दौरान यह महत्वपूर्ण होता है कि उसकी जाँच के माध्यम से उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाए। प्रत्येक मोटर वाहन अपने साथ परिवहन विभाग द्वारा या परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत किसी पी यू सी केंद्र द्वारा जारी एक वैध "पी यू सी प्रमाणपत्र" (छः महीने के लिए वैध) अवश्य रखे। देहरादून में जारी पी यू सी प्रमाणपत्र और 2015-18 के दौरान पंजीकृत वाहनों की संख्या का विवरण तालिका-1.13.7 में नीचे दिया गया है:

तालिका-1.13.7: 2015-18 के दौरान देहरादून में पंजीकृत वाहनों और पी यू सी प्रमाणपत्रों की संख्या का विवरण

वर्ष	पंजीकृत वाहनों की संख्या	उन वाहनों की संख्या जिनके द्वारा पी यू सी प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना था	वर्ष के दौरान जारी किए गए पी यू सी प्रमाणपत्र
31-03-2015 को अंतिम अवशेष	6,81,292	-	-
2015-16	57,688	6,81,292	42,016
2016-17	61,100	7,38,980	41,953
2017-18	70,734	8,00,080	47,131
31-03-2018 को अंतिम अवशेष	8,70,814	-	-

स्रोत: परिवहन विभाग, देहरादून।

यह देखा जा सकता है कि 2015-18 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान जारी कुल पी यू सी प्रमाणपत्र पंजीकृत वाहनों की तुलना में काफी कम थे। इसके अलावा, विभाग के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था कि वाहन अपने पी यू सी प्रमाणपत्रों की समाप्ति के बाद उत्सर्जन परीक्षण के लिए वापस आएँ।

¹⁶² पी यू सी केंद्रों की मदद से 41 वाहनों की जाँच को छोड़कर।

विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करना चाहिए कि सभी वाहन अपने पी यू सी प्रमाणपत्रों की समाप्ति के बाद उत्सर्जन परीक्षण के लिए आएं।

1.13.6.4 (ब) पी यू सी केंद्रों का निरीक्षण नियमित रूप से नहीं किया गया

उत्तराखण्ड मोटर वाहन नियम 2011 के अनुसार, प्रत्येक पी यू सी केंद्र का निरीक्षण मोटर वाहन निरीक्षक या उससे उपर के पद के परिवहन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जा सकता है और निरीक्षण रिपोर्ट संबन्धित आर टी ओ को प्रस्तुत की जानी होगी। यह देखा गया है कि 2015-18 के दौरान परिवहन विभाग द्वारा ऐसा कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने उत्तर दिया कि पी यू सी केन्द्रों के नियमित निरीक्षण के लिए संबन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गये हैं।

1.13.6.4 (स) पी यू सी स्टेशनों के संयुक्त निरीक्षण के परिणाम

एक संयुक्त टीम (परिवहन विभाग और लेखापरीक्षा दल के अधिकारियों को मिलाकर) ने देहरादून के 19 पी यू सी केंद्रों में से छः का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं जैसा कि निम्न तालिका-1.13.8 में दिया गया है:

तालिका-1.13.8: पी यू सी स्टेशनों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के परिणाम

पी यू सी स्टेशनों का संयुक्त निरीक्षण	
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989/ उत्तराखण्ड मोटर वाहन नियम 2011 के प्रावधान	पी यू सी केंद्रों द्वारा गैर-अनुपालन
एक अधिकृत एजेंसी द्वारा अनुमोदित प्रकार के मीटर से प्रावधान (उत्सर्जन मानदण्डों) के अनुपालन के लिए उपाय किया जाएगा।	सभी छः परीक्षण एजेंसियां, अधिकृत एजेंसी द्वारा अनुमोदित मीटर के प्रकार से संबन्धित दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहीं।
प्राधिकार पत्र केवल पाँच वर्षों के लिए वैध होगा। इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन इसकी समाप्ति से 60 दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।	छः केंद्रों में से एक पी यू सी केंद्र के प्राधिकार पत्र की अवधि समाप्त हो गई थी। एक केंद्र ने प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया। केन्द्रों द्वारा नवीनीकरण हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।
पी यू सी केंद्र वाहन के परीक्षण के लिए केवल उन्हीं ऑपरेटरों को तैनात करेगा जो परीक्षण उपकरण के निर्माता/आपूर्तिकर्ता/डीलर द्वारा प्रशिक्षित हों और परीक्षण केवल उन्हीं कर्मियों द्वारा किया जाएगा।	सभी छः निरीक्षित पी यू सी केंद्र में वाहनों का परीक्षण परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किया जा रहा था।
केंद्र, एक प्रमुख स्थान पर प्राधिकार पत्र एवं ऑपरेटर का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करेगा।	निरीक्षण की गई छः एजेंसियों में से किसी के द्वारा भी प्राधिकार पत्र, ऑपरेटर के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित नहीं किया गया था।
पी यू सी केंद्र द्वारा जारी किए गए पी यू सी प्रमाणपत्रों से संबन्धित सूचना ए आर टी ओ/आर टी ओ/परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी।	निरीक्षित छः एजेंसियों में से किसी ने भी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया।
गैसविश्लेषक, धुआं मीटर (प्रिंटर सहित), आदि के वार्षिक रखरखाव के लिए एक समझौता किया जाना था।	छः एजेंसियों में से किसी ने भी गैसविश्लेषक, धुआं मीटर (प्रिंटर सहित), आदि के रखरखाव के लिए ए एम सी नहीं किया था।

इसे इंगित किए जाने पर, विभाग ने पी यू सी केंद्रों को नोटिस जारी कर उनका स्पष्टीकरण मांगा और साथ ही यह भी अवगत कराया कि परीक्षण केंद्रों के ऑपरेटर को नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने केंद्रों को संचालित करने के निर्देश दिए गये हैं।

चूँकि ये अनियमितताएँ कुछ मामलों की नमूना जाँच के आधार पर उजागर की गई हैं, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग सभी पी यू सी केंद्रों की समीक्षा करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके द्वारा नियमों के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है।

विभाग को पी यू सी केंद्रों द्वारा नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराना चाहिए।

1.13.7 ईंट भट्टों से प्रदूषण

सभी ईंट भट्टों को दून घाटी अधिसूचना, 1989 द्वारा 'औरेंज' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मिट्टी की ईंटें, छोटे या कुटीर पैमाने के ईंट भट्टों में उत्पादित की जाती हैं। ईंट भट्टों में कच्चे माल में कुछ हद तक टॉपसाइल, कोयला, धान की भूसी, फ्लाई ऐश, लकड़ी और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि अपशिष्ट शामिल हैं। ईंट निर्माण की प्रक्रिया में मुख्यतः कोयले का चूरा और धूल कणों का उत्सर्जन होता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना जी एस आर 543 (ई) दिनांक 22 जुलाई, 2009 द्वारा 'ईंट भट्टों के लिए उत्सर्जन मानकों' और उनसे संबन्धित प्रविष्टियों का निर्धारण किया गया है।

आर ओ देहरादून द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देहरादून में सात ईंट भट्टे थे। लेखापरीक्षा दल और आर ओ देहरादून के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से सात ईंट भट्टों में से छः का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया और निष्कर्ष तालिका-1.13.9 में नीचे दर्शाए गए हैं:

तालिका-1.13.9: ईंट भट्टों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

वायु अधिनियम, 1981 का प्रावधान	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
<ul style="list-style-type: none"> धारा 21 (1) के अनुसार, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना, किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन नहीं करेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> सी टी ओ प्राप्त किए बिना ही सभी छः इकाइयाँ संचालित हो रही थीं क्योंकि जारी किया गया सी टी ओ मार्च 2012 (दो इकाइयों का), मार्च 2016 (एक इकाई का) और मार्च 2018 (तीन इकाइयों का) में समाप्त हो गया था।
पर्यावरणीय मंजूरी (ई सी)/सी टी ओ का प्रावधान	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
<ul style="list-style-type: none"> इकाई एक बार बैकफिल्ड होने के बाद पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में खेती/वृक्षारोपण गतिविधि करेगी। इकाइयों द्वारा आर ओ यू ई पी पी सी बी, देहरादून को हर छः महीने में स्टैक एमिशन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। निरीक्षण पुस्तिका का रखरखाव ईंट भट्टा इकाइयों द्वारा किया जाना है तथा इसे बोर्ड अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना है। परिवहन के दौरान कार्य स्थल से धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए पानी का छिड़काव एवं खुदाई की गई मिट्टी को ढक कर रखना था। 	<ul style="list-style-type: none"> सभी छः इकाइयों में अपर्याप्त रोपण था। स्टैक निगरानी रिपोर्ट किसी भी इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा रही थी। किसी भी इकाई में निरीक्षण पुस्तिका का रखरखाव नहीं किया गया था। निरीक्षण की गई छः इकाइयों में से किसी ने भी ऐसा कोई उपाय नहीं अपनाया था।

<p>➤ परियोजना प्रस्तावक श्रमिकों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण प्रदान करेगा और उन्हें सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण एवं जानकारी भी प्रदान की जाएगी।</p>	<p>➤ कार्य स्थल पर श्रमिकों को ऐसे उपकरणों का उपयोग करते हुए नहीं देखा गया।</p>
<p>➤ औरेंज श्रेणी की इकाइयों के लिए वर्ष में कम से कम दो बार छमाही रूप से निरीक्षण/नमूना जाँच/निगरानी की जानी थी।</p>	<p>➤ सभी छः ईट भट्टों के मामले में निरीक्षण नहीं किए गए थे और स्टैक नमूने नहीं लिए गए थे तथा उनका विश्लेषण नहीं किया गया था।</p>

इसे इंगित किए जाने पर, आर ओ देहरादून ने अवगत कराया कि सी टी ओ के नवीनीकरण के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं और साथ ही सभी छः इकाइयों को सी टी ओ शर्तों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। इसके अलावा, आर ओ देहरादून ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण आवश्यक निरीक्षण नहीं किया गया।

इस प्रकार यू ई पी पी सी बी, ईट भट्टों द्वारा वायुमंडल में फैलने वाले प्रदूषकों के उत्सर्जन को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए अपने नियामक दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहा।

यू ई पी पी सी बी द्वारा ईट भट्टों को जारी की गयी ई सी/सी टी ओ के साथ जुड़ी शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना चाहिए।

चूँकि इन अनियमितताओं को कुछ मामलों की नमूना-जाँच के आधार पर उजागर किया गया है, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि यू ई पी पी सी बी सभी सहमति की समीक्षा करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी ईट भट्टों को जारी की गयी ई सी/ सी टी ओ के साथ जुड़ी शर्तों का पालन किया गया।

1.13.8 खनन

सभी खनन इकाइयों को दून घाटी अधिसूचना, 1989 द्वारा 'औरेंज' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खनन कार्यों से प्रदूषण उन्मूलन के लिए, खनन इकाइयों को ई सी और सी टी ओ के साथ संलग्न शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक हैं। यू ई पी पी सी बी ने औरेंज के रूप में वर्गीकृत इकाइयों के लिए अर्धवार्षिक निरीक्षण मानदण्ड तय किए थे। खनन इकाइयों के औरेंज श्रेणी में आने से छमाही आधार पर निरीक्षण किया जाना है।

देहरादून में संचालित पाँच में से तीन इकाइयों के संगत अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि आर ओ देहरादून द्वारा 2015-18 के दौरान कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

यह खनन इकाइयों के निरीक्षण करने में आर ओ द्वारा कमजोर निगरानी को दर्शाता है।

1.13.8.1 खनन इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण

देहरादून में कार्यरत पाँच में से तीन खनन इकाइयों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि खनन इकाइयाँ निर्धारित शर्तों का उल्लंघन कर रही थीं जैसा कि नीचे तालिका-1.13.10 में चर्चा की गयी हैं:

तालिका-1.13.10: खनन इकाइयों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

वायु अधिनियम, 1981 का प्रावधान	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
<ul style="list-style-type: none"> धारा 21 (1) के प्रावधानों के अधीन, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, राज्य बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना, किसी भी औद्योगिक संयंत्र¹⁶³ की स्थापना या संचालन नहीं करेगा। 	<ul style="list-style-type: none"> तीनों खनन इकाइयाँ संचालित हो रही थीं, यद्यपि उनके सी टी ओ की वैधता समाप्त हो गई थी। इकाइयों ने सी टी ओ के नवीनीकरण के लिए आवेदन भी नहीं किया था।
ई सी/सी टी ओ का प्रावधान	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
<ul style="list-style-type: none"> खनन सामग्री ढोने वाले ट्रक को ढकना। 	<ul style="list-style-type: none"> निरीक्षण की सभी इकाइयों में खनन सामग्री ढोने के लिए उपयोग किए गए वाहनों को ढका नहीं गया था।
<ul style="list-style-type: none"> खनन इकाइयाँ एस पी एम के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी का भी संचालन करेंगी। 	<ul style="list-style-type: none"> एस पी एम के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता की आवधिक निगरानी किसी भी इकाई द्वारा नहीं की गई थी।
<ul style="list-style-type: none"> पानी स्प्रे एवं छिड़काव प्रणाली स्थापित होनी चाहिए और उसका रख रखाव किया जाना चाहिए ताकि इसको धूल दमन में प्रयुक्त किया जा सके। 	<ul style="list-style-type: none"> सभी इकाइयों में पानी स्प्रे एवं छिड़काव प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी, इसलिए धूल का दमन नहीं किया जा सका।
<ul style="list-style-type: none"> उच्च दक्षता वाली धूल निकासी प्रणाली स्थापित की जाएगी। 	<ul style="list-style-type: none"> निरीक्षण की गई किसी भी इकाई ने उच्च दक्षता वाली धूल निकासी प्रणाली स्थापित नहीं की थी।

इसे इंगित किए जाने पर, आर ओ देहरादून ने अवगत कराया कि इकाइयों को 60 दिनों के भीतर सी टी ओ को नवीनीकृत करने और सी टी ओ में उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

यू ई पी पी सी बी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खनन इकाइयाँ अपने सी टी ओ का नवीनीकरण करें और ई सी/सी टी ओ से जुड़ी शर्तों का पालन करें।

चूँकि ये अनियमितताएँ कुछ मामलों की नमूना -जाँच के आधार पर उजागर की गई हैं, इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि यू ई पी पी सी बी को सभी सहमति की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी खनन इकाइयों ने अपने सी टी ओ का नवीनीकरण कराया है और ई सी/सी टी ओ से जुड़ी शर्तों का पालन किया है।

1.13.9 निगरानी

पूर्ववर्ती प्रस्तारों में निगरानी में उल्लिखित कमियों के अलावा, निम्नलिखित कमियाँ भी पाई गई थीं।

1.13.9.1 पर्यावरण संबंधी कथन

प्रत्येक व्यक्ति जिसे उद्योग, संचालन या प्रक्रिया के लिए वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति की आवश्यकता होती है, को एक वार्षिक 'पर्यावरण विवरण' प्रस्तुत करना आवश्यक होता है जिसमें प्रदूषक और उनके उत्सर्जन की मात्रा एवं तत्संबंधी मानकों से प्रतिशत भिन्नता के संबन्ध में कारणों का उल्लेख होता है।

¹⁶³ एक खदान को वायु अधिनियम, 1981 के संबन्ध में एक औद्योगिक संयंत्र माना जाता है।

यह देखा गया कि उद्योग यू ई पी पी सी बी को पर्यावरण विवरण प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। इसलिए, प्रदूषणकारी इकाइयों की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू अनुपस्थित था।

1.13.9.2 वार्षिक रिपोर्ट

वायु अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) निर्धारित करती है कि प्रत्येक राज्य बोर्ड हर वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष की अन्तिम तारीख से चार माह के भीतर राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि तैयार कर अग्रेषित करेगा जिसमें उसकी पूर्ववर्ती क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा जोखा यथा तत्कालीन पर्यावरण समस्याओं और उसके निवारण हेतु उपाय: पर्यावरणीय अनुसंधान; पर्यावरणीय प्रशिक्षण; पर्यावरणीय जागरूकता और उसमें जन भागीदारी, पर्यावरणीय मानकों (उनके प्रभावी होने की समय-सारणी सहित); पर्यावरणीय प्रदूषण के संबन्ध में शुरू की गई दण्डात्मक कार्यवाही और सिद्ध आक्षेप एवं अगले वर्ष से संबन्धित वार्षिक योजना का पूर्ण विवरण आदि शामिल होगा। रिपोर्ट को, पिछले वित्तीय वर्ष की अन्तिम तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जानी चाहिए।

यह देखा गया कि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी और वर्ष 2017-18 के लिए जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वह राज्य सरकार को अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई।

यू ई पी पी सी बी ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि वर्ष 2017-18 की रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। राज्य विधानमंडल को रिपोर्ट पर चर्चा करने और प्रदूषण के नियंत्रण या उन्मूलन के उपाय करने के विशेषाधिकार से वंचित किया गया था।

यू ई पी पी सी बी यह सुनिश्चित कर सकता है कि वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाए और राज्य सरकार को इसे राज्य विधानमंडल में रखने हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

1.13.9.3 श्रमशक्ति

यू ई पी पी सी बी में वैज्ञानिक और तकनीकी समूह के संबन्ध में स्वीकृत कार्मिक संख्या, तैनाती और रिक्त पद नीचे तालिका-1.13.11 में दिये गए हैं:

तालिका-1.13.11: : वैज्ञानिक और तकनीकी समूह से संबन्धित जनशक्ति का विवरण

समूह	स्वीकृत कार्मिक संख्या	तैनात कार्मिकों की स्थिति (31-03-2018 तक)	रिक्ति (प्रतिशत)
वैज्ञानिक	41	11	30 (73)
तकनीकी	26	10	16 (62)

स्रोत: यू ई पी पी सी बी द्वारा प्रदत्त आँकड़े।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वैज्ञानिक और तकनीकी समूहों में क्रमशः 73 प्रतिशत और 62 प्रतिशत रिक्तियां थीं। इन महत्वपूर्ण पदों की कमी ने वायु प्रदूषण गतिविधियों

की दिन-प्रतिदिन की निगरानी में बाधा डाली, जिसे निष्पादित करने के लिए यू ई पी पी सी बी को अधिदेशित किया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर, यू ई पी पी सी बी ने तथ्य को स्वीकार किया तथा अवगत कराया कि 19वीं बोर्ड बैठक (27 फरवरी 2018) में लिए गए निर्णयानुसार, वर्ग-III के रिक्त पद (कनिष्ठ अभियंता, व्यक्तिगत सहायक, प्रयोगशाला सहायक और निगरानी सहायक) राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे और सहायक पर्यावरण अभियंता और सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के रिक्त पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे।

1.13.10 निष्कर्ष

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू ई पी पी सी बी) वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए कोई व्यापक कार्यक्रम बनाने में विफल रहा। 2015-18 के दौरान अधिशेष निधियों का प्रतिशत कुल उपलब्ध धन का 56.03 प्रतिशत से 65.51 प्रतिशत के बीच था। यू ई पी पी सी बी द्वारा की जाने वाली निगरानी में कमी पाई गई क्योंकि यह 12 चिन्हित प्रदूषकों के सापेक्ष केवल तीन वायु प्रदूषकों की निगरानी कर रहा था, और वह भी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं किया जा रहा था। देहरादून में संचालित औद्योगिक इकाइयों से संबन्धित आँकड़ों के अभाव में यू ई पी पी सी बी यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि सभी संचालित इकाइयाँ प्रदूषण नियंत्रण से संबन्धित उपायों को प्रयोग में ला रही थीं। इसके द्वारा, सहमति के समाप्ति के बाद इसके नवीनीकरण पर नज़र रखने हेतु, किसी भी तंत्र विकसित नहीं किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा 2015-18 के दौरान 66 प्रतिशत संचालन के लिए सहमति निर्धारित समय के भीतर जारी नहीं किए गए थे। परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण के बारे में प्रावधान को लागू करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए। यह सुनिश्चित करने के लिए भी कोई प्रभावी तंत्र नहीं था कि वाहन अपने पी यू सी प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद उत्सर्जन परीक्षण के लिए वापस आते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पी यू सी प्रमाणपत्र प्राप्त वाहनों की संख्या में कमी हुई। यू ई पी पी सी बी ईट भट्टों और खनन इकाइयों द्वारा वायुमंडल में फैलने वाले प्रदूषकों के उत्सर्जन को रोकने और नियंत्रित करने के लिए अपने नियामक दायित्वों का निर्वहन करने में भी विफल रहा। महत्वपूर्ण पदों की कमी ने यू ई पी पी सी बी को अपने अधिदेश का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में बाधा डाली। यह अपनी कार्य पद्धति से संबन्धित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और उसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने में विफल रहा।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (जुलाई 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

अध्याय-॥ राजस्व क्षेत्र

अध्याय-II

राजस्व क्षेत्र

2.1 परिचय

भाग-I

2.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2017-18 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्ग्रहीत कर एवं करेत्तर राजस्व, वर्ष के दौरान विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े निम्न तालिका-2.1.1 में दिए गये हैं:

तालिका-2.1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत राजस्व					
	• कर राजस्व	7,355.34	8,338.47	9,377.79	10,897.31	10,164.93 ¹
	• करेत्तर राजस्व	1,316.54	1,110.44	1,219.66	1,345.82	1,769.53
	योग	8,671.88	9,448.91	10,597.45	12,243.13	11,934.46
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश ²	3,573.38	3,792.30	5,333.19	6,411.57	7,084.91 ³
	• सहायता अनुदान	5,075.27	7,005.34	5,303.79	6,234.27	8,085.20 ⁴
	योग	8,648.65	10,797.64	10,636.98	12,645.84	15,170.11
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	17,320.53	20,246.55	21,234.43	24,888.97	27,104.57
	1 से 3 की प्रतिशतता	50	47	50	49	44

स्रोत: वित्त लेखे।


¹ इसमें ₹ 1,971.82 करोड़ राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी) सम्मिलित है।

² नोट: विवरण हेतु, कृपया विवरण सं-14 को देखें: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों (खण्ड-II) में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे। "राज्य को समनुदेशित निवल आगमों का अंश" के अंतर्गत आँकड़ों को मुख्य लेखाशीर्ष-0020-निगम कर, 0021-आय एवं व्यय पर कर, 0032-सम्पत्ति पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय उत्पाद शुल्क तथा 0044-सेवा कर जो वित्त लेखों में 'अ-कर राजस्व' के अंतर्गत इंड्राज किए गए हैं, को राज्य द्वारा उद्ग्रहीत राजस्व से निकाल दिया गया है एवं उपर्युक्त तालिका में 'विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों के राज्यांश' में सम्मिलित किए गए हैं।

³ इसमें ₹ 100.52 करोड़ केन्द्रीय/संघीय वस्तु एवं सेवा कर (सी जी एस टी) और ₹ 715.36 करोड़ एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई जी एस टी) के सम्मिलित है।

⁴ इसमें वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) के लागू किये जाने के उपरान्त हुई राजस्व की हानि के लिए ₹ 1,283 करोड़ मुआवजे की राशि शामिल है।

चार्ट-2.1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों का 44 प्रतिशत (₹ 11,934.46 करोड़) राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहीत किया गया। शेष 56 प्रतिशत (₹ 15,170.11 करोड़) भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश एवं सहायता अनुदान के हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ था।

2.1.2 वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान उद्ग्रहीत कर राजस्व के विवरण निम्न तालिका-2.1.2 में दिए गए हैं:


तालिका-2.1.2: उद्ग्रहीत कर राजस्व के विवरण

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	वास्तविक 2016-17 के सापेक्ष वास्तविक 2017-18 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (प्रतिशतता)	वास्तविक (प्रतिशतता)	वास्तविक (प्रतिशतता)	वास्तविक (प्रतिशतता)	वास्तविक (प्रतिशतता)	
1.	बिक्री, व्यापार पर कर / राज्य वस्तु एवं सेवा कर ⁵	4,902.91 (66.66)	5,464.84 (65.54)	6,105.43 (65.11)	7,153.76 (65.65)	5,674.51 ⁶ (55.82)	(-) 20.68
2.	राज्य आबकारी	1,269.29 (17.26)	1,486.66 (17.83)	1,735.39 (18.51)	1,905.54 (17.49)	2,261.67 (22.25)	(+) 18.69
3.	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	686.71 (09.34)	714.06 (08.56)	870.67 (09.28)	777.58 (07.13)	882.26 (08.68)	(+) 13.46
4.	मोटर वाहनों पर कर	368.83 (05.01)	393.70 (04.72)	470.87 (05.02)	556.40 (05.11)	816.00 (08.03)	(+) 46.66
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	64.66 (00.88)	192.65 (02.31)	114.76 (01.22)	188.58 (01.73)	323.62 (03.18)	(+) 71.63
6.	भू-राजस्व	21.65 (00.29)	39.26 (00.47)	27.88 (00.30)	159.51 (01.46)	24.09 (00.24)	(-) 84.89
7.	उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	23.47 (00.32)	25.26 (00.30)	28.37 (00.30)	126.53 (01.16)	163.71 (01.61)	(+) 29.38
8.	अन्य	17.82 (00.24)	22.04 (00.27)	24.42 (00.26)	29.43 (00.27)	19.07 (00.19)	(-) 35.20
योग		7,355.34	8,338.47	9,377.79	10,897.31	10,164.93	(-) 6.72

स्रोत: वित्त लेखे।

⁵ सरकार द्वारा 101 वे संविधान संशोधन के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, इस कर प्रणाली ने केंद्र एवं राज्य सरकार के कई लागू करों के व्यापक प्रभाव को प्रतिस्थापित कर दिया।

⁶ जी एस टी + बिक्री, व्यापार पर कर = ₹ 1,971.82 करोड़ + ₹ 3,702.69 करोड़ = ₹ 5,674.51 करोड़।



राज्य के स्वयं के कर राजस्व 2013-14 में ₹7,355.34 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹10,164.93 करोड़ (38.20 प्रतिशत) हो गया। वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में 6.72 प्रतिशत की कमी थी। बिक्री, व्यापार कर / वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त राजस्व ₹5,674.51 करोड़ मुख्य अंश के रूप में सम्मिलित हुये लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में 20.68 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारण प्रतिवेदित किये:

बिक्री एवं व्यापार कर / वस्तु एवं सेवा कर: नयी कर प्रणाली अर्थात 1 जुलाई 2017 से जी एस टी लागू होने एवं कर की दर में भारी कमी किए जाने के कारण राजस्व प्राप्ति में गत वर्ष के सापेक्ष 20.68 प्रतिशत की कमी हुई थी।

राज्य आबकारी: विभाग का प्रभावकारी नियंत्रण एवं उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर अवैध शराब की तस्करी एवं उत्पादन की रोकथाम के फलस्वरूप राजस्व प्राप्ति में गत वर्ष के सापेक्ष 18.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क: 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 में विलेखों के पंजीकरण में वृद्धि होने के कारण वर्ष 2017-18 के दौरान स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क में 13.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: उपभोक्ताओं से विद्युत देयकों की अपेक्षाकृत अधिक वसूली के कारण राजस्व प्राप्ति में 2016-17 के सापेक्ष 2017-18 में 71.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मोटर वाहन कर: वाहनो के पंजीकरण एवं लाइसेन्स शुल्क व चालानों से वसूली में वृद्धि के कारण वर्ष 2016-17 के सापेक्ष 2017-18 में मोटर वाहन कर में 46.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अन्य विभागों द्वारा भिन्नता हेतु कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया गया (अगस्त 2019)।


2.1.3 वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान उद्ग्रहीत करेत्तर राजस्व का विवरण निम्न तालिका-2.1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.3: उद्ग्रहीत करेत्तर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	वास्तविक 2016-17 के सापेक्ष वास्तविक 2017-18 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (प्रतिशतता)	वास्तविक (प्रतिशतता)	वास्तविक (प्रतिशतता)	वास्तविक (प्रतिशतता)	वास्तविक (प्रतिशतता)	
1.	ऊर्जा	121.11 (09.20)	45.01 (04.05)	168.57 (13.88)	130.08 (09.67)	286.21 (16.17)	(+) 120.03
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	51.12 (03.88)	108.17 (09.74)	89.22 (07.35)	71.77 (05.33)	85.39 (04.83)	(+) 18.98
3.	वानिकी एवं वन्य जीव	362.70 (27.55)	351.24 (31.63)	357.47 (29.44)	318.21 (23.64)	312.20 (17.64)	(-) 1.89
4.	लोक निर्माण	15.51 (01.18)	28.29 (02.55)	13.96 (01.15)	51.08 (03.80)	18.69 (01.06)	(-) 63.41
5.	विविध सामान्य सेवार्य	48.74 (03.70)	8.26 (00.74)	(-) 5.50 (-) (00.45)	(-)6.16 (-) (00.46)	11.31 (00.64)	(+)283.60
6.	अन्य प्रशासनिक सेवार्य	32.38 (02.46)	33.50 (03.02)	43.19 (03.56)	38.90 (02.89)	143.56 (08.17)	(+) 269.05
7.	पुलिस	13.39 (01.02)	16.51 (01.49)	11.18 (00.92)	17.43 (01.30)	23.56 (01.33)	(+) 35.17
8.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	44.04 (03.35)	37.78 (03.40)	76.86 (06.33)	78.70 (05.85)	84.12 (04.75)	(+) 6.89
9.	सहकारिता	9.78 (00.74)	1.17 (00.11)	2.26 (00.19)	2.87 (00.21)	1.14 (00.06)	(-) 60.28
10.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	6.75 (00.51)	9.22 (00.83)	7.92 (00.65)	6.97 (00.52)	7.67 (00.43)	(+) 10.04
11.	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	249.99 (18.99)	223.72 (20.15)	272.65 (22.46)	335.17 (24.90)	439.81 (24.85)	(+) 31.22
12.	अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	361.03 (27.42)	247.57 (22.29)	176.38 (14.53)	300.80 (22.35)	355.87 (20.17)	(+) 18.31
योग		1,316.54	1,110.44	1,214.16	1,345.82	1,769.53	(+) 31.48

स्रोत: वित्त लेखे।



2013-14 से 2014-15 की अवधि के दौरान करेत्तर राजस्व में घटने की प्रवृत्ति देखी गई। यद्यपि, इसमें 2015-16 से 2017-18 में बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई। पिछले वर्षों की तुलना में 2016-17 एवं 2017-18 में वृद्धि क्रमशः ₹131.66 करोड़ (10.84 प्रतिशत) एवं ₹423.71 करोड़ (31.48 प्रतिशत) थी।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारण प्रतिवेदित किये:

सहकारिता: समिति/संस्थाओं द्वारा राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 60.28 प्रतिशत की कमी का मुख्य कारण अधिक लेखापरीक्षा शुल्क जमा किया जाना एवं मध्यस्थता शुल्क, आर टी आई शुल्क एवं राजस्व वसूली का कम किया जाना था।

वानिकी एवं वन्य जीव: वन उत्पाद के परिवहन शुल्क एवं लीसा (रेज़िन) की बिक्री में कमी के कारण राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 1.89 प्रतिशत की कमी हुई।

अन्य विभागों द्वारा भिन्नता हेतु कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया गया (अगस्त 2019)।

2.1.4 राजस्व बकायों का विश्लेषण

कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 को ₹6,825.94 करोड़ के राजस्व बकायों में से ₹1,757.61 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि निम्न तालिका-2.1.4 में वर्णित है:

तालिका-2.1.4: राजस्व बकाया

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2018 को कुल बकाये की राशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2018 को 5 वर्षों से अधिक बकाये की राशि (₹ करोड़ में)	विभाग के उत्तर
बिक्री, व्यापार पर कर/मूल्यवर्धित कर/वस्तु एवं सेवा कर	5,661.89	1,753.45	₹ 548.73 करोड़ (2,095 प्रकरण) की वसूली न्यायालय में विचाराधीन है एवं शेष ₹ 5,113.16 करोड़ के वसूली प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके हैं।
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,138.80	0.00	बकाया राशि वसूली हेतु प्रक्रियाधीन है।
सहकारिता	2.00	2.00	बकाया राशि वसूली हेतु प्रक्रियाधीन है।
स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	16.78		बकाया राशि वसूली हेतु प्रक्रियाधीन है।
वाहनों पर कर ⁷	5.59	1.61	9 प्रकरण (₹ 0.05 करोड़) न्यायालय में विचाराधीन हैं। शेष प्रकरणों में वसूली प्रमाणपत्र निर्गत किये गये हैं।
राज्य आबकारी	0.55	0.55	₹ 0.38 करोड़ की धनराशि के तीन प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। अन्य प्रकरणों में धनराशि (₹ 0.17 करोड़) की वसूली के लिए वसूली प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है।
मनोरंजन कर	0.33	0.00	₹ 0.001 करोड़ के 14 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। शेष प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।
योग	6,825.94	1,757.61	

स्रोत: विभागीय आँकड़े।

2.1.5 बकाया निर्धारण

वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित प्रकरणों का विवरण, कर निर्धारण योग्य प्रकरणों, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरणों एवं वर्ष के अन्त में अन्तिमीकरण हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या का विवरण जैसा कि बिक्री कर/मूल्यवर्धित कर/वस्तु एवं सेवा कर के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, निम्न तालिका-2.1.5 में दिया गया है:

तालिका-2.1.5: बकाया कर निर्धारण

राजस्व शीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष 2017-18 के दौरान निर्धारण योग्य नए प्रकरण	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2017-18 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अन्त में अवशेष	निस्तारण की प्रतिशतता (स्तम्भ 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार पर कर/मूल्यवर्धित कर/वस्तु एवं सेवा कर	1,25,201	69,529	1,94,730	1,25,332	69,398	64.36

स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

वर्ष 2017-18 के दौरान निपटाए गये मामलों की संख्या कर निर्धारण योग्य नए मामलों की संख्या से बहुत अधिक थी। इसलिए वर्ष 2017-18 के अंत में कर निर्धारण योग्य लम्बित प्रकरणों की संख्या कम हो गई।

2.1.6 वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन

वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन के प्रकरणों, अन्तिमीकृत प्रकरणों तथा वर्ष 2017-18 में उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर की माँग का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, निम्न तालिका-2.1.6 में दर्शाया गया है:

⁷ देहरादून एवं उधम सिंह नगर से सम्बन्धित सूचनाओं को छोड़कर।

तालिका-2.1.6: करापवंचन

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2017 को लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2017-18 के दौरान पकड़े गये प्रकरण	योग	प्रकरणों की संख्या जिसमें कर निर्धारण / जाँच पूरा होने पर अर्थदण्ड सहित अतिरिक्त माँग की गई		31 मार्च 2018 को लंबित प्रकरणों की संख्या
				प्रकरणों की संख्या	माँग की राशि	
बिक्री एवं व्यापार पर कर / मूल्यवर्धित कर / वस्तु एवं सेवा कर	576	338	914	837	17,603.00	77
मनोरंजन कर	93	111	204	118	4.02	86

स्रोत: विभागीय आँकड़े।

वर्ष के आरम्भ में बकाये प्रकरणों की संख्या की तुलना में वर्ष के अन्त में बिक्री एवं व्यापार से सम्बन्धित करों/मूल्यवर्धित कर/वस्तु एवं सेवा कर एवं मनोरंजन कर के प्रकरणों की संख्या में कमी हुई। विभाग द्वारा माँग की गई राशि के सापेक्ष वसूल की गई राशि को सूचित नहीं किया गया था (अगस्त 2019)।

2.1.7 कर वापसी के प्रकरण

वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में कर वापसी के लंबित प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकार कर वापसी एवं वर्ष 2017-18 के अन्त में लम्बित प्रकरण, जैसा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा सूचित किया गया, निम्न तालिका-2.1.7 में दिए गये हैं:

तालिका-2.1.7: कर वापसी प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिक्री कर / मूल्य वर्धित कर अधिनियम	
	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	1,028	34.20
वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	5,792	94.79
वर्ष के दौरान की गई वापसी	5,213	109.76
वर्ष के अन्त में बकाया शेष	1,607	19.23

स्रोत: विभागीय आँकड़े।

उत्तराखण्ड वैट अधिनियम 2005, की धारा 36 (3) में यह व्यवस्था है कि यदि वापसी दो माह पश्चात् की जाती है तो नों प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय होगी। ब्याज दायित्व से बचने के लिए राज्य सरकार को समय में कर वापसी के दावों का निस्तारण सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.8 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड निर्धारित लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, लेन-देनों की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करने हेतु सम्बद्ध सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण सम्पादित करते हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताएँ तथा जिनको स्थल पर निस्तारित नहीं किया गया, को निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र) में सम्मिलित करते हुये निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को निर्गत की जाती हैं एवं उनकी प्रतियाँ अगले उच्च प्राधिकारियों को शीघ्र सुधार की कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों को नि प्र की

प्राप्ति की दिनांक से चार सप्ताह के अन्दर नि प्र में सम्मिलित टिप्पणियों के अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। गम्भीर अनियमितताएँ विभागाध्यक्षों / सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

1,250 नि प्र से सम्बन्धित 2,764 लेखापरीक्षा प्रस्तर जून 2018 के अंत तक बकाया थे जिसमें ₹1,367.35 करोड़ की धनराशि अन्तर्निहित थी। पूर्ववर्ती दो वर्षों हेतु तदनुपरूपी आँकड़ों सहित विवरण निम्न तालिका-2.1.8 में दर्शाये गये हैं:

तालिका-2.1.8: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण	जून 2016	जून 2017	जून 2018
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	977	1,091	1,250
बकाया लेखापरीक्षा प्रस्तरों की संख्या	2,150	2,431	2,764
अन्तर्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	264.99	583.02	1,367.35

2.1.8.1 30 जून 2018 को विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व लेखापरीक्षा प्रस्तरों एवं अन्तर्निहित धनराशि का विवरण निम्न तालिका-2.1.9 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.9: विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं प्रस्तर

विभाग का नाम	प्राप्ति की प्रकृति	बकाया प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा प्रस्तरों की संख्या	अन्तर्निहित धनराशि (₹ करोड़ में)
वित्त	बिक्री, व्यापार एवं सुख-साधन पर कर	604	1,496	249.61
	मनोरंजन कर	14	9	0.07
आबकारी	राज्य आबकारी	102	167	210.19
परिवहन	मोटरयानों पर कर	120	273	230.09
स्टाम्प एवं निबंधन	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	324	497	14.33
खनन	खनन	22	91	287.09
वन	वन	64	231	375.97
योग		1,250	2,764	1,367.35

उत्तर प्राप्त न होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का बड़ी मात्रा में लम्बित रहना यह दर्शाता है कि कार्यालयाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में प्रधान महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने हेतु आवश्यक कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई।

सरकार अनिस्तारित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र एवं उचित प्रतिक्रिया हेतु एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

2.1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों के निस्तारण की प्रगति की निगरानी एवं शीघ्र निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा समिति गठित करती है। वर्ष 2017-18 के दौरान, वन विभाग से सम्बन्धित प्रस्तरों के निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा समिति की दो बैठक आयोजित की गयी जिसमें 117 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया जिसमें ₹41.61 करोड़ की धनराशि अन्तर्निहित थी।

अधिक संख्या में लंबित अनिस्तारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रस्तरों को देखते हुए उनके त्वरित निस्तारण हेतु सरकार सभी विभागों को निर्देशित कर सकती है कि प्रधान महालेखाकार के परामर्श से लेखापरीक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करें।

2.1.8.3 प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों के सम्बन्ध में विभागों / सरकार की प्रतिक्रिया

प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तर को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है, जिन्हें, प्रधान महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिवों / सचिवों को उनका ध्यान लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर आकर्षित करते हुये और उन लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर भेजने के निवेदन के साथ अग्रसारित किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये ऐसे प्रस्तरों के अंत में विभाग / शासन से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्यों को हमेशा इंगित किया गया है।

एक निष्पादन लेखापरीक्षा⁸ सहित आठ प्रलेख प्रस्तरों को मार्च 2018 से जून 2018 के मध्य सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों / सचिवों को प्रेषित किया गया था। इनमें से, एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं दो प्रलेख प्रस्तर पर शासन का उत्तर प्राप्त हुआ है जो प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है। शेष छः प्रलेख प्रस्तरों को जिन पर उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019), बिना किसी शासकीय प्रतिक्रिया के इस अध्याय में सम्मिलित कर लिया गया है। यद्यपि, सम्बन्धित लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा उत्तर प्राप्त हो गये हैं तथा इन्हें उचित प्रकार से प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है।

2.1.8.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति द्वारा दिसम्बर 2002 में अधिसूचित किया गया कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किये जाने पर विभाग लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर स्वप्रेरित कृत कार्यवाही भले ही लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा हेतु नहीं लिये गये हों, प्रारम्भ करेगी तथा उस पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही / व्याख्यात्मक टिप्पणी को प्रतिवेदन के पटल पर रखने के तीन माह के भीतर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों को असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किया जाता रहा है। वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 35 प्रस्तरों को सम्मिलित किया गया। दिसम्बर 2012 से सितम्बर 2018 के मध्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इन प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में पाँच प्रस्तरों पर सम्बन्धित विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की टिप्पणियाँ औसतन दस माह के विलम्ब से प्राप्त हुई थीं एवं पाँच विभागों से 18 प्रस्तरों⁹ के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 2019)।

वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व से सम्बन्धित किसी भी प्रस्तर पर लोक लेखा समिति में चर्चा नहीं हुई।

2.1.9 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों का निपटारा करने वाले तन्त्र का विश्लेषण

शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के मुख्य मुद्दों को सम्बोधित करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु, वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित विगत पाँच वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों पर कृत कार्यवाही का मूल्यांकन किया गया।

⁸ वन विभाग से प्राप्त वन राजस्व।

⁹ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016-17 के प्रस्तरों को छोड़कर।

विगत पाँच वर्षों में जारी वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों एवं उनकी 31 मार्च 2018 की स्थिति निम्न तालिका-2.1.10 में तालिकाबद्ध है:

तालिका-2.1.10: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			अन्तिम अवशेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि
2013-14	412	1,096	93.89	35	140	21.26	36	156	10.38	411	1,080	104.77
2014-15	411	1,080	104.77	44	135	8.83	17	100	13.12	438	1,115	100.48
2015-16	438	1,115	100.48	46	199	42.23	06	59	2.06	478	1,255	140.65
2016-17	478	1,255	140.65	52	265	44.57	06	94	39.73	524	1,426	145.48
2017-18	524	1,426	145.48	71	229	109.01	07	140	10.75	588	1,515	243.74

वर्ष 2013-14 के प्रारम्भ में 1,096 बकाया प्रस्तरों वाली 412 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सापेक्ष, वर्ष 2017-18 के अन्त में बढ़कर 1,515 प्रस्तरों वाली 588 निरीक्षण प्रतिवेदन बकाया हो गयी थी, जबकि 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान मात्र 549 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

2.1.10 विभागों / शासन द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही

प्रधान महालेखाकार द्वारा सम्पादित निष्पादन लेखापरीक्षाओं को सम्बन्धित विभाग / शासन को उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ सूचनार्थ अग्रेषित किया जाता है। इन पर बहिर्गमन सम्मेलन में भी चर्चा की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा को अन्तिम रूप देते समय विभाग / शासन के विचारों को सम्मिलित किया जाता है।

वाणिज्य कर विभाग पर तीन निष्पादन लेखापरीक्षा (नि ले), परिवहन विभाग पर एक, खनिज विभाग पर एक एवं स्टाम्प एवं निबंधन विभाग पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा को विगत पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आलोक में कुल 25 संस्तुतियों को शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही टिप्पणियों (कृ का टि) का विवरण निम्न तालिका-2.1.11 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.11: सरकार द्वारा स्वीकृत संस्तुति पर कृत कार्यवाही

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	स्थिति
2010-11	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा पत्रों का प्रतिसत्यापन	08	दिनांक 30.10.2013 को प्राप्त कृत कार्यवाही टिप्पणी चर्चा हेतु लंबित
2011-12	मूल्यवर्धित कर का प्रबन्धन	07	कृत कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त
2013-14	मोटरवाहन पर करों का आरोपण एवं संग्रहण	03	कृत कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त
	उप-खनिजों की प्राप्ति	02	
2014-15	राजस्व विभाग के लंबित प्रकरण	02	कृत कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त
2015-16	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण	03	कृत कार्यवाही टिप्पणी अप्राप्त

2.1.11 लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष 2017-18 के दौरान, कुल 316 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 169 इकाइयों की लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की गयी एवं 168 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी थी। इकाइयों का चुनाव जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

2.1.12 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान सम्पादित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2017-18 के दौरान वाणिज्यकर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, स्टाम्प एवं निबंधन, मनोरंजन कर, वन तथा खनन एवं खनिकर्म विभागों की 168 इकाइयों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि 530 प्रस्तरों में कुल ₹ 1,545.69 करोड़ का अवनिर्धारण / न्यूनारोपण / राजस्व हानि एवं अन्य अनियमितताएँ हुईं जिनका विवरण निम्न तालिका-2.1.12 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.12: श्रेणीवार लेखापरीक्षा निष्कर्ष

क्र सं	श्रेणी	प्रस्तर की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
बिक्री कर/मूल्यवर्धित कर			
1.	अर्थदंड का न्यूनारोपण	64	12.92
2.	कर की रियायती दर पर अनियमित छूट	81	9.27
3.	अन्य अनियमितताएँ	95	77.93
योग		240	100.12
खनन एवं खनिकर्म			
1.	रॉयल्टी का न्यूनारोपण/अनारोपण, लघु खनिज की अवैध खनन पर अर्थदण्ड का न्यूनारोपण एवं अन्य विविध अनियमितताएँ	60	13.73
योग		60	13.73
वन			
1.	लीसा के निर्धारित मानक से कम दोहन से राजस्व क्षति, भंडारित लीसा के रिसाव के कारण राजस्व क्षति, पट्टा किराया के विलम्बित जमा पर ब्याज की गैर-वसूली एवं अन्य विविध अनियमितताएँ	86	260.88
2.	अन्य अनियमितताएँ	87	81.05
3.	“वन विभाग से राजस्व प्राप्तियाँ” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	01	985.68
योग		174	1,327.61
राज्य आबकारी			
1.	आवेदन प्रपत्रों पर कर के न्यूनारोपण से राजस्व क्षति	6	5.27
2.	अनुज्ञप्ति शुल्क के न वसूले जाने के कारण राजस्व क्षति	11	58.05
3..	स्टाम्प शुल्क के न्यूनारोपण	7	0.10
4.	अन्य अनियमितताएँ	12	9.06
योग		36	72.48
स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क			
1.	स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क की कम उगाही	13	16.67
2.	अन्य अनियमितताएँ	07	15.08
योग		20	31.75
महायोग		530	1,545.69

वर्ष के दौरान, सम्बन्धित विभागों द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये ₹ 33.79 करोड़ की धनराशि के 104 प्रस्तरों में अवमूल्यांकन एवं अन्य अनियमितताओं के प्रकरणों को स्वीकार किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान विभागों द्वारा ₹ 0.99 करोड़ का संग्रहण किया गया।

2.1.13 राजस्व अध्याय का आच्छादन

राजस्व अध्याय में ₹ 992.83 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाली एक निष्पादन लेखापरीक्षा¹⁰ सहित आठ प्रस्तर सम्मिलित किये गये हैं, जिनमें से चार प्रकरणों (दो आंशिक प्रकरण) में विभाग/शासन द्वारा ₹ 1.25 करोड़ के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया गया। इनकी अध्याय-II के आगे आने वाले प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

भाग-II

2.1.14 माल और सेवा कर (जी एस टी) के परिवर्तन के लिए तैयारियाँ

माल और सेवा कर (जी एस टी) को प्रभावी रूप से 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जी एस टी¹¹ को वस्तुओं या सेवाओं (मानव उपभोग के लिए शराब और पांच निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर¹²) के प्रांतीय आपूर्ति पर पृथक रूप से परन्तु समवर्ती रूप से संघ (सी जी एस टी) और राज्य (एस जी एस टी) / संघ शासित (यू टी जी एस टी) द्वारा उद्ग्रहीत किया जा रहा है। पुनः, एकीकृत जी एस टी (आई जी एस टी) वस्तुओं या सेवाओं (आयात सहित) की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर उद्ग्रहीत किया जा रहा है और संसद के पास आई जी एस टी उद्ग्रहीत करने की विशिष्ट शक्ति है। जी एस टी लागू होने से पूर्व उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अनुसार वस्तुओं के क्रमवर्ती डीलरों के द्वारा माल के प्रांतीय विक्रय के क्रम में वैट एवं अंतर-राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में माल के विक्रय पर सी एस टी एक्ट, 1956 के अनुसार केंद्रीय बिक्री कर (सी एस टी) उद्ग्रहीत था।

यू वी ए टी अधिनियम के प्रावधानों को विनियमित करने की शक्ति राज्य सरकार को थी जबकि जी एस टी से सम्बन्धित प्रावधान केंद्र एवं राज्य द्वारा वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जी एस टी सी) की अनुशंसाओं पर विनियमित किए जा रहे थे, जोकि जी एस टी से सम्बन्धित प्रकरणों पर अनुशंसा देने हेतु केंद्र एवं सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व के आधार पर गठित किया गया था। राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (यू जी एस टी) अधिनियम, 2017 और उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अधिसूचित किया (जून 2017), जिसमें विभिन्न करों¹³ को समाहित किया गया था।

¹⁰ वन विभाग से राजस्व प्राप्तियाँ

¹¹ केंद्रीय जी एस टी: सी जी एस टी एवं राज्य/संघ क्षेत्र जी एस टी: एस जी एस टी/यू टी जी एस टी।

¹² पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, एविएशन टरबाइन फ्यूल एवं प्राकृतिक गैस।

¹³ मूल्य वर्धित कर, सी एस टी केन्द्रिय बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर एवं मनोरंजन कर इत्यादि।

माल और सेवा कर नेटवर्क (जी एस टी एन) भारत सरकार द्वारा आई टी (सूचना प्रौद्योगिकी) सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। यह करदाताओं को पंजीकरण, कर का भुगतान और विवरणियों को भरने के लिए फ्रंट-एण्ड आई टी सेवाएँ प्रदान करता है। बैक-एंड आई टी सेवाएँ अर्थात् पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विवरक दर्शक, प्रतिदाय प्रसंस्करण, एम आई एस प्रतिवेदन इत्यादि जी एस टी एन द्वारा मॉडल-II¹⁴ राज्यों को प्रदान किए जा रहे हैं। उत्तराखण्ड ने मॉडल-II का विकल्प चुना है।

2.1.14.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखा परीक्षा इस दृष्टिकोण के साथ संपादित की गयी:

- आई टी समाधान के कार्यान्वयन किए जाने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों का मूल्यांकन करना;
- नियमों / विनियमों एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों को तैयार कर लागू किए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए उठाए गए क्षमता विकास उपार्यों का निर्धारण करना; तथा
- विरासती कर व्यवस्था सम्बन्धी मुद्दों को संभालने में राज्य सरकार की रणनीति का विश्लेषण करना था।

2.1.14.2 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न अधिनियमों / नियमों एवं शासनादेशों, उसके अंतर्गत जारी किए गए परिपत्रों के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त किए गए थे।

- उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम, 2017
- उत्तराखण्ड जी एस टी नियम, 2017
- जी एस टी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017
- समाहित करों से सम्बन्धित अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों
- उत्तराखण्ड वैट अधिनियम 2005, स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर उत्तराखण्ड कर अधिनियम 2008, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 एवं केंद्र/राज्य सरकार तथा जी एस टी परिषद द्वारा जारी किये गए अन्य दिशा-निर्देश।

2.1.14.3 लेखापरीक्षा का आच्छादन

भारतीय संविधान के 101 वें संशोधन के बाद से अर्थात् 08 सितम्बर 2016 से मार्च 2018 तक राज्य सरकार / राज्य कर विभाग के जी एस टी के कार्यान्वयन से सम्बन्धित गतिविधियों की

¹⁴ मॉडल-I राज्य; इसमें जी एस टी एन द्वारा केवल फ्रंट एण्ड सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
मॉडल-II राज्य; इसमें फ्रंट एण्ड एवं बैक एण्ड दोनों सेवाएँ जी एस टी एन द्वारा प्रदान की जाती हैं।

समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, राज्य कर विभाग से उसकी जी एस टी के परिवर्तन के लिए तैयारियों के सम्बन्ध में सूचनाएं, विभागीय वेब आधारित अनुप्रयोग पर उपलब्ध डाटा एवं विरासती मुद्दे यथा कर-निर्धारण वसूली आदि की जाँच की गई।

2.1.14.4 वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक राजस्व का रुझान

जी एस टी जुलाई 2017 से लागू किया गया एवं अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक जी एस टी में समाहित / असमाहित करों को शामिल करते हुए जी एस टी के अंतर्गत कुल प्राप्ति ₹ 7,006 करोड़ थी (आई जी एस टी के अनंतिम आवंटन एवं राज्य की क्षतिपूर्ति को शामिल करते हुए)। पूर्व जी एस टी करों एवं जी एस टी के साथ-साथ वर्ष 2017-18 के मध्य प्राप्त क्षतिपूर्ति को शामिल करते हुए वास्तविक प्राप्तियों को नीचे दी गई तालिका-2.1.13 में दर्शाया गई है:

तालिका-2.1.13 : पूर्व-जी एस टी करों और जीएसटी के साथ-साथ 2017-18 के दौरान प्राप्त क्षतिपूर्ति के अंतर्गत प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन / लक्ष्य	पी जी एस टी के अंतर्गत प्राप्तियाँ	एस जी एस टी के अंतर्गत प्राप्तियाँ	आई जी एस टी का अनंतिम आवंटन	पी जी एस टी करों तथा जी एस टी के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	वृद्धि प्रतिशत में	क्षतिपूर्क प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ (क्षतिपूर्क सहित)	प्रक्षेपित राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013-14	4,847	4,903			4,903			4,903	-
2014-15	5,459	5,465			5,465	(+)11.46		5,465	-
2015-16	6,210	6,105			6,105	(+)11.71		6,105	-
2016-17	7,323	7,154			7,154	(+)17.18		7,154	-
2017-18	8,876	3,751	1,650	322	5,723	(-)20.00	1,283	7,006	4,836*

स्रोत: वित्त लेखा एवं राज्य वित्त रिपोर्टें।

आधार वर्ष (2015-16) के राजस्व आँकड़े के अनुसार वर्ष 2017-18 (01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक) के लिए प्रक्षेपित राजस्व ₹ 4,836 करोड़ था।

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2016-17 तक राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

2.1.14.5 कानूनी एवं वैधानिक तैयारियाँ

राज्य सरकार द्वारा (जून 2017) उत्तराखण्ड जी एस टी अधिनियम तथा नियम 2017 अधिसूचित किया गया। राज्य में अंतर-राज्यीय संव्यवहार के लिए ई-वे बिल व्यवस्था 01.04.2018 एवं प्रांतीय संव्यवहार के लिए 20.4.2018 से लागू किया गया। पुनः राज्य में जी एस टी क्रियान्वयन को सुगम बनाने हेतु समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अधिसूचनाएँ जारी की गईं। राज्य सरकार/ राज्य कर विभाग द्वारा जी एस टी के सम्बन्ध में जून 2017 से मार्च 2018 के मध्य कुल 170 अधिसूचनाएँ / परिपत्र / आदेश जारी किए गए।

2.1.14.6 विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की तैयारियाँ एवं क्षमता विकास के सम्बन्ध में किए जा रहे प्रयास

जी एस टी एन के द्वारा करदाताओं को तीन फ्रंट-एण्ड सेवाएँ नामतः पंजीकरण, कर का भुगतान एवं विवरणियों की प्रस्तुति प्रदान की जानी थी। क्योंकि उत्तराखण्ड के द्वारा जी एस टी कार्यान्वयन हेतु मॉड्यूल-II का विकल्प दिया गया था, अतः बैक-एण्ड एप्लीकेशन जैसे कि पंजीकरण का अनुमोदन, करदाता विवरण दर्शक, लेटर आफ अंडरटेकिंग (एल ओ यू) का प्रसंस्करण, प्रतिदायी प्रसंस्करण, प्रबंधन सूचना तंत्र (एम आई एस) प्रतिवेदन इत्यादि जी एस टी के प्रशासन हेतु जी एस टी एन द्वारा विकसित किए जा रहे थे। विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, जी एस टी से सम्बन्धित डाटा एस एफ टी पी सर्वर (सिक्वोर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल) के माध्यम से जी एस टी एन द्वारा विभाग को प्रदान किए जा रहे थे, जिसका रख-रखाव विभाग द्वारा किया जाता है।

विभाग के कुल 106 अधिकारियों को 20 कार्यशालाओं में राज्य के बाहर एन ए सी एन¹⁵ / जी एस टी एन / केंद्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के उपयोग एवं जी एस टी अधिनियमों तथा नियमों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, मिनिस्ट्रियल अधिकारियों को भी सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य जी एस टी से सम्बन्धित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। पुनः, विभाग द्वारा 764 से अधिक सेमिनार / कार्यशालाएं आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 28,415 हितधारकों / करदाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। विभागीय वेबसाइट (comtaxappl.uk.gov.in / gstweb) पर अधिनियमों / नियमों, अधिसूचनाओं / परिपत्रों / आदेशों, सहायता/एफ ए क्यू / प्रशिक्षण कार्यक्रम, जी एस टी मित्र, ई-वे बिल इत्यादि से सम्बन्धित सूचनाओं के लिए जी एस टी कॉर्नर टैब प्रदान किए गए हैं। करदाताओं द्वारा सामना किए जा रहे कानूनी एवं तकनीकी समस्याओं के निवारण के लिए विभाग द्वारा हैल्पडेस्क भी स्थापित किए गए।

2.1.14.7 जी एस टी का कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि जी एस टी के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा सामना किए गए प्रमुख मुद्दों/चुनौतियाँ पंजीकरण, स्थानांतरण, करदाताओं का आवंटन, विवरणियों की प्रस्तुति, कर का भुगतान, प्रतिदाय आदि थे। इन मुद्दों को राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017 से नियमों/विनियमों में किए गए परिवर्तनों सहित लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया गया और निम्नानुसार संक्षिप्त रूप से चर्चा की गई:

(i) करदाताओं का पंजीकरण

पूर्व जी एस टी कानून के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिनके वैध स्थायी खाता संख्या थे, उन्हें अनंतिम रूप से पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाना था। उसके पश्चात, प्रावधानित शर्तों को पूर्ण

¹⁵ नेशनल एकादमी ऑफ कस्टम, एक्साइज एण्ड नारकोटिक्स।

करने पर उन्हें अंतिम पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाना था। पुनः ऐसे करदाता जिनका टर्नओवर ₹ 20 लाख की निर्धारित सीमा से ऊपर था, उनका जी एस टी के अंतर्गत पंजीकृत होना अपेक्षित था।

(ii) राज्य कर विभाग के विद्यमान करदाताओं का स्थानांतरण-गमन

उत्तराखण्ड जी एस टी पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 17 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विद्यमान विधि के समाहित करों के अंतर्गत पंजीकृत है एवं जिनके पास एक पैन है वह अपने ई मेल पत्तों और मोबाइल नंबर के सत्यापन के द्वारा सामान्य पोर्टल पर नामांकन करेगा। ऐसे व्यक्ति को अनंतिम रूप से पंजीयन प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसे अनंतिम पंजीयन प्रदान किया गया है, आवेदन पत्र के विनिर्दिष्ट सूचनाओं एवं दस्तावेजों के साथ सामान्य पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी सूचनाओं के सही एवं पूर्ण पाए जाने पर पंजीकृत व्यक्ति को सिस्टम पोर्टल पर एक पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, 31 मार्च 2018 को राज्य कर विभाग में विद्यमान पंजीकृत करदाताओं के अनंतिम पंजीयन एवं अंतिम पंजीयन की स्थिति नीचे दी गयी तालिका-2.1.14 में दर्शायी गई हैं:

तालिका-2.1.14: 31 मार्च 2018 तक राज्य कर विभाग में मौजूदा पंजीकृत डीलरों के अनंतिम पंजीकरण और अंतिम पंजीकरण की स्थिति

वैध पैन के अनुसार विद्यमान पंजीकृत डीलरों की कुल संख्या (1)	जी एस टी एन से प्राप्त अनंतिम आई डी की कुल संख्या (कॉलम 1 के सापेक्ष प्रतिशत) (2)	प्रारम्भिक रूप से नामांकित डीलरों की संख्या (कॉलम 1 के सापेक्ष प्रतिशत) (3)	पूर्ण किये गए नामांकन (कॉलम 1 के सापेक्ष प्रतिशत) (4)
1,62,820	1,20,937 (74 प्रतिशत)	89,617 (55 प्रतिशत)	83,104 (51 प्रतिशत)

स्रोत: सूचना राज्य कर विभाग द्वारा प्रदान की गई।

उपरोक्त तालिका से देखा गया कि 55 प्रतिशत विद्यमान डीलरों ने अपना प्रारंभिक नामांकन पूर्ण किया तथा 51 प्रतिशत विद्यमान डीलरों द्वारा स्थानांतरण पूर्ण किए गए एवं जी एस टी के अंतर्गत पूर्ण रूप से पंजीकृत हुए।

गैर स्थानांतरण के कुछ मुख्य कारण डीलरों के टर्नओवर सीमा से कम अथवा शून्य होना, डुप्लीकेट पैन का होना, व्यवसाय का बंद होना एवं नए पंजीयन के साथ व्यवसाय का प्रारंभ होना इत्यादि था।

(iii) केंद्र और राज्य के बीच करदाताओं का विभाजन

क. राज्य कर विभाग एवं केंद्रीय उत्पाद विभाग में विद्यमान पंजीकृत करदाता: जी एस टी परिषद की अनुशंसा के अनुसार ₹ 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर 90 प्रतिशत विद्यमान पंजीकृत करदाता एवं ₹ 1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर 50 प्रतिशत विद्यमान करदाता राज्य को आवंटित किए गए।

तदनुसार, राज्य के क्षेत्राधिकार में 82,672 विद्यमान पंजीकृत करदाता (मार्च 2018), नीचे दी गयी तालिका-2.1.15 के अनुसार आवंटित किए गए:

तालिका-2.1.15: राज्य कर विभाग और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीकृत करदाताओं की संख्या (₹ 1.5 करोड़ तक और ₹ 1.5 करोड़ से अधिक का टर्नओवर)

विद्यमान पंजीकृत करदाता			
	1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर	1.5 करोड़ से कम टर्नओवर	योग
1	2	3	4
राज्य	8,171	74,501	82,672
केंद्र	5,224	37,260	42,484
योग	13,395	1,11,761	1,25,156

स्रोत: दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार सूचना राज्य कर विभाग द्वारा प्रदान की गई।

ख. नए करदाता: नए करदाता की केंद्र एवं राज्यों के बीच क्षेत्राधिकार करदाताओं द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान जी एस टी पोर्टल पर आवंटित किए जा रहे हैं। दिनांक 31.03.2018 के अनुसार राज्य के क्षेत्राधिकार में नए करदाताओं के पंजीयन की स्थिति तालिका-2.1.16 में नीचे दी गई हैं:

तालिका-2.1.16: 31.03.2018 को राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नए पंजीकरण की स्थिति

31.03.2018 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4
31,286	4,578	26,242	466

स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा दी गई जानकारी।

इस प्रकार 466 आवेदन पत्र दिनांक 31.03.2018 को विभिन्न स्तरों पर पंजीयन हेतु लंबित थे।

(iv) विवरणियों की प्रस्तुति

उत्तराखण्ड जी एस टी नियमावली 2017 के नियम 59 से 61 के अनुसार समाधान करदाताओं को छोड़कर अन्य करदाताओं को माल एवं सेवाओं के प्रदेश के बाहर आपूर्ति का विवरण फॉर्म जी एस टी आर-1¹⁶ में, माल एवं सेवाओं के प्रांतीय आपूर्ति का विवरण प्रपत्र जी एस टी आर-2¹⁷ में एवं एक विवरणी प्रपत्र जी एस टी आर-3 (जी एस टी आर-1 तथा जी एस टी आर-2 के माध्यम से प्रस्तुत किए गए सूचना के आधार पर सिस्टम द्वारा निर्गत) में मासिक रूप से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था जबकि समाधान करदाताओं द्वारा त्रैमासिक रूप से जी एस टी आर-4 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

¹⁶ जी एस टी आर-1: (अ) एक पंजीकृत व्यवहारी को प्रांत के बाहर एवं प्रांत के अंदर बीजक के अनुसार किए गए आपूर्ति का विवरण एवं एक अपंजीकृत व्यक्ति को ₹ 2.50 लाख के ऊपर के बीजक मूल्य के तहत प्रांत के बाहर आपूर्ति, (ब) एक अपंजीकृत व्यक्ति को प्रांतीय आपूर्ति का एक समेकित विवरण एवं एक पंजीकृत व्यक्ति को ₹ 2.50 लाख मूल्य के बीजक तक राज्य-वार प्रांत से बाहर आपूर्ति एवं, (स) माह के दौरान डेबिट एवं क्रेडिट नोट, यदि कोई हो।

¹⁷ जी एस टी आर-2: (अ) पंजीकृत या अपंजीकृत व्यक्ति से बीजक के अनुसार प्रांत के बाहर एवं प्रांत के अंदर प्राप्त आपूर्ति का विवरण; (ब) वस्तु एवं सेवाओं का आपात एवं (स) आपूर्तिकर्ता से प्राप्त डेबिट एवं क्रेडिट नोट, यदि कोई हो।

नई कर व्यवस्था की प्रारंभिक अवधि में करदाताओं द्वारा सामना की जा रही परेशानियों के समाधान के लिए विवरणियाँ प्रस्तुत करने की प्रावधानित प्रक्रिया को संशोधित किया गया। जी एस टी आर-2 तथा जी एस टी आर-3 की प्रस्तुतियों को स्थगित कर दिया गया एवं सभी करदाताओं को सरल मासिक विवरणी की प्रस्तुति जी एस टी आर-3 बी¹⁸ में आगामी माह की 20 तारीख तक कर जमा करते हुए बाध्यकारी कर दिया गया। आगे, ₹ 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर वाले करदाताओं द्वारा त्रैमासिक रूप से जी एस टी आर-1 प्रस्तुत किया जाना था। जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए अपनी विवरणी (जी एस टी आर-3 बी) प्रस्तुत करने वाले करदाताओं का विवरण तालिका-2.1.17 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1.17: करदाताओं का विवरण जिन्होंने जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान अपना रिटर्न (जी एस टी आर-3 बी) दाखिल किया था

माह/वर्ष	कुल करदाताओं की संख्या	विवरणी प्रस्तुत करने वाले करदाताओं की संख्या	विवरणी प्रस्तुत न करने वाले करदाताओं की संख्या	विवरणी प्रस्तुत करने वाले करदाताओं की संख्या (प्रतिशत)
जुलाई 2017	82,702	80,889	1,813	98
अगस्त 2017	91,527	87,904	3,623	96
सितम्बर 2017	97,364	92,395	4,969	95
अक्टूबर 2017	99,410	86,502	12,908	87
नवम्बर 2017	1,01,339	87,619	13,720	86
दिसम्बर 2017	1,02,654	88,683	13,971	86
जनवरी 2018	1,03,739	90,626	13,113	87
फरवरी 2018	1,04,462	92,284	12,178	88
मार्च 2018	1,05,023	94,231	10,792	90

उपरोक्त अवधि में विवरणियाँ प्रस्तुत करने की प्रतिशतता 98 प्रतिशत (जुलाई 2017) से घटकर 90 प्रतिशत रह गई। लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से विभाग को लंबित विवरणियों की करदाताओं द्वारा शीघ्रताशीघ्र प्रस्तुति सुनिश्चित करने हेतु ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

(v) समाधान करदाताओं द्वारा कर का भुगतान

कोई भी करदाता जिसका पूर्ववर्ती किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल टर्नओवर ₹ 75 लाख से कम हो वह सरलीकृत समाधान योजना का विकल्प ले सकता है जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिए बगैर राज्य में टर्नओवर पर एक प्रतिशत की रियायती दर से कर देय होगा। इसमें देय कर के भुगतान के बाद प्रपत्र जी एस टी आर-4 में त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

विवरणियों को प्रस्तुत किए जाने की स्थिति तालिका-2.1.18 में दर्शायी गयी है:

¹⁸ जी एस टी आर-3-बी: समाधान करदाताओं को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक मासिक विवरणी।

तालिका-2.1.18 : करदाताओं एवं उनके द्वारा प्रस्तुत विवरणियों का विवरण

त्रैमास	जी एस टी आर - 4 प्रस्तुत करने योग्य करदाताओं की संख्या	प्रस्तुत की गयी कुल विवरणियों की संख्या	प्रतिशत
सितम्बर 2017	25,805	17,012	66.00
दिसम्बर 2017	28,480	26,949	95.00
मार्च 2018	30,441	28,153	92.00

आगे 66 से 95 प्रतिशत समाधान करदाताओं द्वारा अपनी विवरणियाँ जी एस टी आर-4 प्रस्तुत की। इस प्रकार करदाताओं द्वारा देय कर को समय पर जमा सुनिश्चित किये जाने हेतु इन विवरणियों का अनुश्रवण किया जाना आवश्यक था।

(vi) जी एस टी के अंतर्गत प्रतिदाय

जी एस टी एन के अंतर्गत प्रतिदाय माइयूल कार्यरत नहीं था। अतः आवेदकों को प्रतिदाय मैनुअल प्रक्रिया के माध्यम से अनुमन्य किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक नगद खातों में अवशेष धनराशि या विशिष्ट कर अवधि के अंत में अनुप्रयोज्य इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रतिदाय के लिए विशेष प्रक्रियाएँ प्रावधानित थीं। अनुप्रयोज्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिदाय शून्य-दर आपूर्ति जो बिना कर भुगतान के की गई है या जब कर की दर बाहरी आपूर्ति के सापेक्ष प्रांतीय आपूर्ति पर अधिक होने के कारण क्रेडिट का संचय हो गया हो, मान्य है। विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, प्रतिदाय की स्थिति (जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक) नीचे दी गई तालिका-2.1.19 में दर्शायी गई है:

तालिका-2.1.19 : जी एस टी के अंतर्गत रिफंड की स्थिति (जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक)

31.03.2018 तक प्रतिदाय के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या		60 दिनों के निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकृत प्रतिदाय		60 दिनों के निर्धारित अवधि के पश्चात् स्वीकृत प्रतिदाय		अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या
करदाताओं की संख्या	धनराशि	करदाताओं की संख्या	धनराशि	करदाताओं की संख्या	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7
174	9.37	174	9.37	-	-	-

स्रोत: राज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना।

इस प्रकार विभाग द्वारा 31 मार्च 2018 तक सभी प्राप्त आवेदनों पर 60 दिनों की प्रावधानित समय सीमा के अंदर प्रतिदाय प्रदान किया गया।

2.1.14.8 विरासती मुद्दे

लेखापरीक्षा द्वारा कर-निर्धारण एवं बकाए की वसूली से सम्बन्धित विरासती मुद्दों की जाँच की गई, जिस पर हमारे लेखापरीक्षा अवलोकन निम्नानुसार हैं:

(i) डीलरों का कर निर्धारण

जी एस टी के क्रियान्वयन के पूर्व डीलर यू के वैट अधिनियम 2005, सी एस टी अधिनियम 1956 एवं अन्य लघु करों यथा प्रवेश कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर इत्यादि के अंतर्गत पंजीकृत थे। अतः वैट, मनोरंजन कर एवं प्रवेश कर के अंतर्गत पंजीकृत डीलरों का कर-निर्धारण (वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 की कर-अवधि) विभाग द्वारा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बाद प्रावधानित तीन वर्षों के अंतर्गत पूर्ण किया जाना था। यू के वैट अधिनियम 2005 की धारा 25ए के प्रावधानों के अंतर्गत (दिनांक 30.06.2017 को यथा संशोधित) बड़ी संख्या में अवशेष वार्षिक कर-निर्धारण के निस्तारण के उद्देश्य से आयुक्त, शासनादेश के द्वारा, इस धारा में प्रावधानित शर्तों के अंतर्गत यह घोषणा कर सकता है कि ऐसे शासनादेशों में सूचीबद्ध किए गए पंजीकृत डीलरों को यू के वैट एक्ट 2005 या सी एस टी एक्ट 1956 के अंतर्गत स्वतः कर-निर्धारण के अंतर्गत मान लिया जाए। यद्यपि सरकार द्वारा विलासिता एवं प्रवेश कर के लिए कोई स्वतः कर-निर्धारण योजना नहीं लायी गयी थी। राज्य कर आयुक्त के द्वारा स्वतः कर-निर्धारण योग्य डीलरों के लिए दिशा-निर्देश जारी (13 जुलाई 2017) किए गए। विभाग प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 से सम्बन्धित सभी कर-निर्धारण पूर्ण कर लिए गए थे। वर्ष 2015-16 की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किए जाने की तिथि 31 मार्च 2017 तक बढ़ा दी गई थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 जून 2018 निर्धारित की गई थी तथा कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए यह तिथि 30 जून 2019 थी।

विभागीय उत्तर के अनुसार, 31 मार्च 2018 तक कुल 69,398 वाद निस्तारण हेतु लंबित थे। विभाग द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए कर-निर्धारण की तिथि 30.06.2019 निर्धारित की गई थी। स्वतः कर-निर्धारण योजना की समीक्षा में यह पाया गया कि स्वतः कर-निर्धारण योजना में आई टी सी के सत्यापन एवं डीलरों द्वारा कर अदा न करने या रियायती दर पर कर अदा करने के लिए प्रस्तुत किए गए विभिन्न घोषणा पत्रों के सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किए गए थे। अतः इस योजना के अंतर्गत कर-निर्धारण करते समय राजस्व रिसाव का जोखिम है।

(ii) बकाए की वसूली

विभाग में बकाए कर को दो विभिन्न श्रेणियों यथा आच्छादित एवं अनाच्छादित में वर्गीकृत किया गया था। विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ₹ 7,486.96 करोड़¹⁹ का कुल बकाया (₹ 2,984.63 करोड़ आच्छादित²⁰ एवं ₹ 4,502.33 करोड़ अनाच्छादित²¹) 31.03.2018 को अवशेष

¹⁹ मूल्यवर्धित कर: ₹ 5,661.89 करोड़ एवं शेष समाहित कर (केन्द्रिय बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर एवं मनोरंजन कर इत्यादि): ₹ 1,827.07 करोड़।

²⁰ आच्छादित बकाए वैसे बकाए हैं जिनमें जिला अधिकारी के द्वारा डीलरों को वसूली पत्र (आर सी) जारी किए गए।

²¹ अनाच्छादित बकाए वे बकाए हैं जिनमें डीलरों को आर सी जारी नहीं किए गए।

था। इसके अतिरिक्त ₹ 7,486.96 करोड़ के कुल बकाए में से ₹ 4,566.81 करोड़ के बकाए न्यायालय / सरकार द्वारा या प्रशासनिक आधार पर स्थगित थे।

2.1.14.9 निष्कर्ष

सरकार / विभाग जी एस टी के क्रियान्वयन के लिए अपनी तैयारियों के प्रति मुस्तैद था जैसा कि जी एस टी काउंसिल द्वारा अनुमोदित मॉडल कानून के अनुसार अधिनियमों एवं नियमों को लागू किया जाना, विद्यमान करदाताओं का प्रारंभिक नामांकन, क्षमता निर्माण प्रयासों इत्यादि से प्रदर्शित था। लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा 01 जुलाई 2017 से जी एस टी परिषद की अनुशंसा पर नियमों / विनियमों में कई परिवर्तन किए गए। आगे जी एस टी एन पूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध कराने में विफल रहा और इस प्रकार जी एस टी आर-2 एवं जी एस टी आर-3 विवरणियों को प्रस्तुत करने से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। आगे विभाग को पूर्व जी एस टी के कर-निर्धारण प्रकरणों एवं बकाया कर की वसूली जैसे विरासती मुद्दों को केंद्रित व्यवस्थाओं के द्वारा समयबद्ध तरीके से अविलम्ब समाधान किए जाने की जरूरत है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

वन विभाग

2.2 वन विभाग से राजस्व प्राप्तियाँ

वनों का विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत सातवीं अनुसूची की 'समवर्ती सूची' में सम्मिलित है। वनों का प्रबंधन एवं नियंत्रण तथा विभिन्न वन उपजों पर रॉयल्टी, फीस एवं अर्थदण्ड के माध्यम से प्राप्त होने वाला राजस्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम (व स अ), 1980 जो कि केंद्रीय विधान हैं तथा समय-समय पर संशोधित उत्तराखण्ड प्रकाष्ठ एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 2012 एवं उपखनिज परिहार नियमावली एवं इनके अधीन जारी की गयी अधिसूचनाओं / आदेशों के द्वारा शासित होता है।

वन विशिष्ट प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो कि स्वयं को बनाए रखने के लिए स्वतः ही सक्षम होते हैं। विभाग का प्राथमिक कर्तव्य वनों को बनाये रखने की प्रणाली तथा सुरक्षा का प्रबंधन एवं वृक्षारोपण गतिविधियों द्वारा उनका संरक्षण एवं वृद्धि करना है। वन संसाधनों को बनाये रखना सरकार को वन-वर्धनिक संक्रियाओं के माध्यम से सतत राजस्व प्राप्त करवाने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वनों से प्राप्तियाँ करेत्तर प्राप्तियाँ हैं एवं 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान उत्तराखण्ड सरकार की कुल करेत्तर राजस्व प्राप्तियों में इसका भाग 17.58 प्रतिशत से लेकर 31.63 प्रतिशत तक रहा। वन विभाग की राजस्व प्राप्तियों पर यह निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संपादित की गयी कि क्या वन संसाधनों से प्राप्त होने वाले राजस्व को इष्टतम करने के उत्तराखण्ड सरकार के प्रयास पर्याप्त थे एवं विदोहन के लिए उपलब्ध संसाधनों को राज्य के हित में राजस्व वृद्धि करने के लिए सर्वोत्कृष्ट तरीके से उपयोग में लाया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा में अनेक प्रणालीगत कमियाँ उजागर हुईं और यह वन संसाधनों से महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त करने के लिए सरकार के समक्ष अवसरों को रेखांकित करता है। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

मुख्यांश

- विभाग कार्य योजनाओं की तैयारी में विलम्ब की प्रणालीगत समस्या से जूझ रहा था क्योंकि वर्तमान में लागू 24 कार्य योजनाओं में से कोई भी कार्य योजना विभाग के द्वारा समय पर तैयार नहीं की जा सकी। विभाग ने कार्य योजनाओं की तैयारी में विलम्ब की समस्या पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2014 में निर्दिष्ट स्थायी कार्य योजना इकाइयाँ भी स्थापित नहीं की।

[प्रस्तर 2.2.7.1 एवं 2.2.7.2]

- कार्य योजनाओं की तैयारी एवं अनुमोदन में विलम्ब के कारण दो प्रभागों में वृक्ष-पातन की गतिविधियाँ बंद करनी पड़ीं जिससे ₹ 75.37 करोड़ की रॉयल्टी की प्राप्ति नहीं हो सकी।
[प्रस्तर 2.2.8.1]
- साल वनों में आवरण खोलने की संक्रिया न करने के कारण विभाग ₹ 330.12 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, आवरण खोलने की संक्रिया के अभाव का विपरीत प्रभाव नए साल वृक्षों की संवृद्धि एवं साल वनों की समग्र गुणवत्ता पर भी पड़ता है।
[प्रस्तर 2.2.8.2]
- दो प्रभागों में वृक्षों को पातन हेतु चिन्हित न कर सकने के कारण पातन नहीं हुआ एवं आंकलित मात्रा में प्रकाष्ठ की प्राप्ति नहीं हुई जिस कारण से ₹ 27.90 करोड़ की रॉयल्टी प्राप्त नहीं हो सकी।
[प्रस्तर 2.2.8.3]
- यू एफ डी सी द्वारा वृक्षों का पातन न किए जाने के कारण प्रकाष्ठ की प्राप्ति नहीं हुई जिस कारण से ₹ 14.28 करोड़ की रॉयल्टी अप्राप्त रही।
[प्रस्तर 2.2.8.4]
- 2013-18 की अवधि के दौरान यूकेलिप्टस की रॉयल्टी के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण ₹ 31.19 करोड़ की रॉयल्टी की हानि हुई।
[प्रस्तर 2.2.8.5]
- 2013-18 की अवधि के दौरान यू एफ डी सी द्वारा जलौनी प्रकाष्ठ के विक्रय से ₹ 13.94 करोड़ एवं वृक्षों की जड़ों के विक्रय से ₹ 42.17 करोड़ की प्राप्ति हुई। तथापि, विभाग को इन राशियों में से कोई भी भाग प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि वृक्षों की जड़ों एवं जलौनी पर रॉयल्टी आरोपित करने के लिए आवश्यक तंत्र का अभाव था।
[प्रस्तर 2.2.8.6]
- बद्रीनाथ एवं टिहरी वन प्रभागों द्वारा लीसा विदोहन की समय सीमा का पालन न किये जाने के कारण लीसा का उत्पादन कम रहा जिससे ₹ 2.39 करोड़ की हानि हुई।
[प्रस्तर 2.2.9.1]
- योग्य चीड़ वृक्षों को लीसा उत्पादन के लिए कार्य योजना में सम्मिलित न किए जाने के कारण विभाग को प्रति वर्ष ₹ 2.47 करोड़ की हानि हो रही थी।
[प्रस्तर 2.2.9.2]

- वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र ने नदी तल से अवैध खनन के कारण उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर आरोपित की गयी ₹ 1.96 करोड़ की माँग को निरस्त करके एवं ₹ 6.34 करोड़ की माँग को ₹ 0.29 करोड़ में परिवर्तित करने के कारण विभाग को राजस्व की हानि हुई।

[प्रस्तर 2.2.10.2]

- उपखनिजों से त्रुटिपूर्ण दरों पर अभिवहन शुल्क वसूल किए जाने के कारण ₹ 72.27 लाख की क्षति हुई।

[प्रस्तर 2.2.10.3]

- विभाग द्वारा आठ लीज़ ग्रहणकर्ताओं से वसूली योग्य ₹ 417.95 करोड़ का प्रीमियम एवं लीज़ किराया वसूल नहीं किया गया।

[प्रस्तर 2.2.10.4]


2.2.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड में वन 24,678 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (53,483 वर्ग किलोमीटर) का 46 प्रतिशत है। वन उपज, जो कि वनों में की गयी वन-वर्धनिक संक्रियाओं से उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, विभाग के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है। लेखापरीक्षा ने विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने वाली 11 लेखापरीक्षित इकाइयों को आच्छादित किया। विभाग के राजस्व के मुख्य स्रोतों एवं उनसे संबन्धित वन प्रभागों का विवरण तालिका-2.2.1 में दिया गया है:

तालिका-2.2.1: वन विभाग के राजस्व के मुख्य स्रोत

क्रम संख्या	राजस्व का स्रोत	सम्बन्धित वन उपज/मद	सम्बन्धित चयनित प्रभाग	शासित करने वाला अधिनियम / नियम / प्रावधान
1.	रॉयल्टी	प्रकाष्ठ	पिथौरागढ़, बद्रीनाथ, टिहरी, तराई पश्चिमी, तराई पूर्वी, तराई केन्द्रीय, रामनगर, नैनीताल, भूमि संरक्षण कालसी, देहरादून,	भारतीय वन अधिनियम, 1927; कटान चिरान की शर्तें, 2012; कार्य योजनाओं के प्रावधान तथा विभाग के स्थायी आदेश
2.	विक्रय मूल्य	लीसा	बद्रीनाथ, टिहरी एवं नैनीताल	उत्तराखण्ड लीसा नीति, 2003 एवं विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश
3.	अभिवहन शुल्क	वनों से परिवहन की गयी समस्त वन उपज	पिथौरागढ़, बद्रीनाथ, टिहरी, तराई पश्चिमी, तराई पूर्वी, तराई केन्द्रीय, रामनगर, नैनीताल, भूमि संरक्षण कालसी, देहरादून	उत्तराखण्ड प्रकाष्ठ एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 2012
4.	अभिवहन शुल्क एवं मार्ग रख-रखाव शुल्क	केवल वन क्षेत्रों से खनन किए गए उपखनिज का परिवहन	तराई पूर्वी, तराई पश्चिमी एवं देहरादून जहाँ उपखनिजों का खनन किया जाता है	
5.	प्रीमियम एवं लीज़ किराया	वन भूमि का हस्तांतरण	पिथौरागढ़, बद्रीनाथ, टिहरी, तराई पश्चिमी, तराई पूर्वी, तराई केन्द्रीय, रामनगर, नैनीताल, भूमि संरक्षण कालसी, देहरादून एवं राजाजी टाड़गर रिजर्व	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं सम्बन्धित शासनादेश
6.	अर्थदण्ड एवं अभिशमन शुल्क	वन अपराध जैसे कि अवैध पातन एवं अवैध खनन	पिथौरागढ़, बद्रीनाथ, टिहरी, तराई पश्चिमी, तराई पूर्वी, तराई केन्द्रीय, रामनगर, नैनीताल, भूमि संरक्षण कालसी, देहरादून एवं राजाजी टाड़गर रिजर्व	भारतीय वन अधिनियम, 1927

2.2.2 संगठनात्मक ढाँचा



2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए संपादित की गयी कि क्या:

- उत्पादन एवं अन्य राजस्व उत्पादक गतिविधियाँ मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावी तरीके से निष्पादित की जा रही थीं;
- विदोहित वन उपज का निपटान राजस्व को इष्टतम करने के उद्देश्य से दक्षतापूर्वक किया जा रहा था;
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र एवं लेखा प्रणाली पर्याप्त रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए दक्ष थी कि राजस्व का रिसाव नहीं हो रहा था एवं एकत्रित राजस्व समुचित तरीके से लेखाबद्ध किया जा रहा था।

2.2.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त मानकों पर आधारित थी:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927;
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980;
- राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2004 एवं 2014;
- उत्तराखण्ड प्रकाष्ठ एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 2012;
- उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001;
- वन वित्तीय नियम; एवं
- राज्य सरकार तथा विभाग द्वारा राजस्व उत्पादक गतिविधियों एवं लेखा प्रणाली के सम्बन्ध में जारी किए गये निर्देश एवं आदेश।

2.2.5 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा जनवरी 2018 से अगस्त 2018 तक संपादित की गयी एवं इसमें 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि को आच्छादित किया गया। लेखापरीक्षा 11 इकाइयों²², जो ऐसी कुल 44 इकाइयों²³ में से थीं जिन्होंने 2012-17 की अवधि में ₹ 1.00 लाख से अधिक राजस्व अर्जित किया, के अभिलेखों की जाँच के द्वारा संपादित की गयी। ग्यारह चयनित इकाइयों में 10 क्षेत्रीय वन प्रभाग (कार्य योजनाओं द्वारा शासित) तथा एक संरक्षित क्षेत्र अर्थात् राजाजी टाइगर रिजर्व सम्मिलित थे। इकाइयों को प्रोबेबिलिटी प्रपोर्शनल टू साइज़ विद रिप्लेसमेन्ट पद्धति से अर्जित राजस्व को आकार का माप मानकर चयन किया गया। ग्यारह लेखापरीक्षित इकाइयाँ (कुल राजस्व ₹ 1,165.84 करोड़) 2013-18 की अवधि में अर्जित कुल वन प्राप्तियों (₹ 1,700.76 करोड़) का 68.55 प्रतिशत भाग आच्छादित करती थीं। इसके अतिरिक्त, मु व सं कार्य योजना एवं प्र व सं (वन कार्यबल के मुखिया) के अभिलेखों की भी जाँच की गयी। लेखापरीक्षा ने प्रकाष्ठ एवं उपखनिजों से संबन्धित तकनीकी मामलों पर वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून तथा भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, देहरादून के विशेषज्ञों से भी परामर्श किया एवं संबन्धित विषयों पर लेखापरीक्षा का मत निर्धारित करते समय उनके द्वारा प्रदत्त परामर्श को ध्यान में रखा है।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व, लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदण्ड एवं क्षेत्र के विषय में 21 फरवरी 2018 को आयोजित प्रवेश गोष्ठी में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ चर्चा की गयी। निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर 12 नवम्बर 2018 को आयोजित निकास गोष्ठी में विभाग के अ मु स एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की गयी। शासन/विभाग के उत्तरों (जनवरी 2019) को प्रतिवेदन में यथोचित स्थानों पर सम्यक रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

2.2.6 वन प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2.2.6.1 बजट प्राक्कलन के सापेक्ष वास्तविक

वन प्राप्तियाँ राज्य सरकार के करेत्तर राजस्व का प्रमुख स्रोत हैं। तथापि, 2013-18 की अवधि में वन प्राप्तियों के संग्रहण में गिरावट हुई। वर्ष 2014-15 से राज्य के समग्र करेत्तर राजस्व में वन प्राप्तियों के हिस्से में भी लगातार गिरावट दर्ज की गयी। इसका भाग 2014-15 में 31.63 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 17.58 प्रतिशत रह गया जैसा कि तालिका-2.2.2 में दिया गया है:

²² प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ (पायलट स्टडी के लिए चयनित); बद्रीनाथ; टिहरी; तराई पश्चिमी; तराई पूर्वी; तराई केंद्रीय; रामनगर; नैनीताल; भूमि संरक्षण कालसी; देहरादून एवं निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व।

²³ पैंतीस वन प्रभाग, छः संरक्षित क्षेत्र एवं वन संरक्षक (पश्चिमी क्षेत्र), वन वर्धनिक नैनीताल एवं वन वर्धनिक हल्द्वानी।

तालिका-2.2.2: बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक वन प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	वास्तविक वन प्राप्तियाँ	भिन्नता आधिक्य (+) / कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल करेत्तर प्राप्तियाँ	स्तम्भ 3 का स्तम्भ 6 से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4=3-2)	(5)	(6)	(7)
2013-14	309.33	362.70	(+) 53.37	(+)17.25	1,316.54	27.55
2014-15	342.06	351.24	(+) 9.18	(+) 2.68	1,110.44	31.63
2015-16	415.86	357.47	(-) 58.39	(-) 14.04	1,219.66	29.31
2016-17	506.75	318.21	(-)188.54	(-) 37.21	1,345.82	23.64
2017-18	500.00	311.14	(-)188.86	(-) 37.77	1,769.53	17.58
योग	2,074.00	1,700.76				

स्रोत: पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं बजट प्रलेख।

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि में विभाग ने ₹ 2,074.00 करोड़ के बजट प्राक्कलन के सापेक्ष ₹ 1,700.76 करोड़ का राजस्व संग्रहीत किया। संग्रहीत राजस्व बजट प्राक्कलन की तुलना में 2016-17 एवं 2017-18 में क्रमशः ₹ 188.54 करोड़ (37.21 प्रतिशत) एवं ₹ 188.86 करोड़ (37.77 प्रतिशत) कम रहा।

राजस्व की घटकवार प्रवृत्ति तालिका-2.2.3 में नीचे देखी जा सकती है:

तालिका-2.2.3: राजस्व के घटकों का रुझान

(₹ करोड़ में)

राजस्व का स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
यू एफ डी सी से प्राप्त प्रकाष्ठ रॉयल्टी	154.86	160.08	221.88	200.85	139.87
लीसा के विक्रय से प्राप्त आय	66.73	72.72	49.39	39.76	51.23
अन्य स्रोत	142.21	116.26	87.23	81.60	120.03
योग ²⁴	363.8	349.06	358.5	322.21	311.13

स्रोत: विभाग के राजस्व के मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2017-18 में प्रकाष्ठ से प्राप्त रॉयल्टी तेजी से कम हुई जिसका मुख्य कारण तीन वन प्रभागों, जहाँ हरे पातन की अनुमति थी, की कार्य योजनाओं का कालातीत होना, जैसा कि प्रस्तर 2.2.7.1 (ब) में इंगित किया गया है, एवं साथ ही साथ सभी प्रभागों में विकास कार्यों के पातन से संबन्धित रॉयल्टी का यू एफ डी सी से प्राप्त न होना, जैसा कि प्रस्तर 2.2.8.11 में इंगित किया गया है, है। आगे, लीसा के मूल्यों में कमी (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लीसा का मूल्य लगभग ₹ 8,000 प्रति कुंतल से कम होकर लगभग ₹ 5,000 प्रति कुंतल हो

²⁴ तालिका-2.2.2 एवं तालिका-2.2.3 में दर्शित कुल प्राप्तियों से सम्बन्धित आँकड़ों में सूक्ष्म अंतर है।

गया) के साथ ही साथ विक्रीत लीसा की मात्रा में कमी के कारण लीसा से प्राप्त राजस्व में गिरावट की प्रवृत्ति थी। वर्ष 2015-17 की अवधि में अन्य श्रोतों से प्राप्त राजस्व में कमी का कारण अभिवहन शुल्क में कमी²⁵ करना रहा जिसे अक्टूबर 2017 में समाप्त कर दिया गया।

निकास गोष्ठी में अ मु स वन विभाग ने अवगत कराया गया कि बजट प्राक्कलन सामान्यतः उच्च सीमा की तरफ निर्धारित किए जाते हैं।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग प्रणालीगत कमियों जैसे कि कार्य योजनाओं का विलम्ब से तैयार किया जाना, वृक्षों का पातन न किया जाना, लीसा के विदोहन में कमी एवं अन्य कमियों जैसा कि आगे आने वाले प्रस्तरों में चर्चा की गयी है, का समाधान करके बजट प्राक्कलन से अधिक राजस्व प्राप्त कर सकता था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.7 कार्य योजनाएँ

वन विभाग द्वारा प्रत्येक वन प्रभाग के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए कार्य योजना बनाई जाती है जो कि भारत सरकार (भा स) के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। वनों का प्रबंधन कार्य योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है जिनमें वनों के प्रबंधन एवं वनवर्धनिक²⁶ संक्रियाओं के लिए विस्तृत योजनाएँ सम्मिलित रहती हैं। अनुमोदित कार्य योजनाओं के अभाव में कोई भी वनवर्धनिक संक्रिया अथवा व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2014 के प्रस्तर 31 के अनुसार, एक कार्य योजना तैयार करने में दो से ढाई वर्ष का समय लगता है। 2014 की संहिता के प्रस्तर 60 के अनुसार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से क्षेत्रीय अपर प्रमुख वन संरक्षक को तीन माह के अंदर कार्य योजना को अनुमोदित करना होता है। आदर्श रूप से किसी कार्य योजना को समाप्त होने से पूर्व ही तैयार एवं अनुमोदित करवा लिया जाना चाहिए।

2.2.7.1 कार्य योजनाओं की स्थिति

(अ) सम्पूर्ण राज्य में कार्य योजनाओं की स्थिति


कुल मिलकर 27 वन प्रभाग ऐसे हैं जो कि कार्य योजनाओं से प्रबंधित होते हैं। तथापि, वर्तमान में केवल 24 कार्य योजनाएँ ही अस्तित्व में थीं। अवशेष तीन²⁷ प्रभागों की कार्य योजनाएँ छः से 30 माह की अवधि से समाप्त हो चुकी थीं। समस्त 27 प्रभागों की कार्य योजनाओं की स्थिति वेन रेखाचित्र में प्रदर्शित किया गया है।

²⁵ शासन के द्वारा ₹ 50 प्रति टन (मई 2012) से घटाकर ₹ 15 प्रति टन (दिसम्बर 2014) कर दिया गया।

²⁶ वन सम्पदा से सम्बन्धित समग्र उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वनों की स्थापना, वृद्धि, संघटन एवं वनस्पतियों की गुणवत्ता के नियंत्रण की कला एवं विज्ञान को ही वनवर्धन कहा जाता है।

²⁷ टोंस (30.09.2015 को समाप्त), अल्मोड़ा (30.09.2016 को समाप्त) एवं चकराता (30.09.2017 को समाप्त)।

कार्य योजनाओं से प्रबंधित चयनित 10 वन प्रभागों में से पाँच प्रभागों²⁸ की कार्य योजनाएँ लेखापरीक्षा अवधि में ही समाप्त हो गईं एवं पुनरीक्षित कार्य योजनाएँ 13 से 42 माह के विलम्ब से तैयार एवं अनुमोदित करवायी गईं। कार्य योजनाओं के अभाव में इन पाँच प्रभागों में वनवर्धनिक कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए एवं दो वन प्रभागों²⁹, जहाँ वृक्षों का पातन रुक गया जैसा कि प्रस्तर 2.2.8.1 में चर्चा की गई है, में ₹ 75.37 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पायी थी। शेष पाँच चयनित प्रभागों³⁰ में कार्य योजनाएँ पूर्व में संचालित कार्य योजनाओं की समाप्ति के 16 से 26 माह पश्चात³¹ तैयार एवं अनुमोदित करवाई गईं। तथापि, इन वन प्रभागों में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उचित कार्य योजनाएँ अस्तित्व में थीं।



(ब) लेखापरीक्षा के लिए चयनित प्रभागों में स्थिति

जिन पाँच प्रभागों में लेखापरीक्षा अवधि में कार्य योजनाएँ समाप्त हुई थीं उनकी कार्य योजनाओं की तैयारी में विलम्ब का खण्ड विवरण तालिका-2.2.4 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-2.2.4: कार्य योजनाओं की तैयारी / अनुमोदन में विलम्ब का विवरण

प्रभाग	कार्य योजना के समाप्ति की तिथि	कार्य योजना अधिकारी की नियुक्ति की तिथि	भारत सरकार को कार्य योजना प्रस्तुत किये जाने की तिथि	भारत सरकार ³² को कार्य योजना प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब	कार्य योजना के भारत सरकार द्वारा अनुमोदन की तिथि	कार्य योजना में कुल विलम्ब
बद्रीनाथ	30.09.13	30.11.11	30.10.14	13 माह	11.04.17	42 माह
टिहरी	30.09.13	11.11.11	18.10.14	13 माह	31.03.17	42 माह
तराई पश्चिमी	30.09.15	19.12.12	12.04.16	06 माह	14.03.17	17 माह
तराई केन्द्रीय	30.09.15	19.12.12	26.10.15	01 माह	14.03.17	17 माह
तराई पूर्वी	30.09.16	25.02.14	28.08.17	11 माह	03.11.17	13 माह

स्रोत: विभाग से संग्रहित सूचना।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि समस्त पाँच प्रभागों की कार्य योजनाएँ चालू कार्य योजनाओं की समाप्ति के एक से 13 माह पश्चात भारत सरकार को प्रस्तुत की गईं। यह कार्य योजनाएँ भारत सरकार द्वारा और भी विलम्ब से अनुमोदित की गईं क्योंकि भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में विभाग को एक से पाँच माह का समय लगा। विभाग इन पाँच प्रभागों की कार्य योजनाएँ पूर्व कार्य योजनाओं की समाप्ति के 13 से 42 माह पश्चात अनुमोदित करवा

²⁸ बद्रीनाथ, टिहरी, तराई पूर्वी, तराई पश्चिमी एवं तराई केन्द्रीय वन प्रभाग।

²⁹ तराई पूर्वी एवं तराई केन्द्रीय (जहाँ लेखापरीक्षा अवधि में कार्य योजनाएँ समाप्त हुईं)।

³⁰ पिथौरागढ़, भूमि संरक्षण कालसी, देहरादून, रामनगर एवं नैनीताल।

³¹ रामनगर एवं नैनीताल प्रभाग-16 माह, पिथौरागढ़-21 माह, भूमि संरक्षण कालसी-25 माह एवं देहरादून-26 माह।

³² पच्चीस से अधिक दिनों को एक माह माना गया है।

पाया। मु व सं कार्य योजना यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि समस्त वनों का प्रबंधन अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार हो एवं वह कार्य योजनाएँ तैयार करने के समस्त मामलों में प्रत्यक्ष भागीदारी रखता है। कार्य योजनाएँ तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित कार्यालय होने के बावजूद विभाग 24 चालू कार्य योजनाओं में से किसी एक कार्य योजना को भी समय पर तैयार नहीं कर सका।

शासन ने कार्य योजनाओं की प्रस्तुति एवं अनुमोदन के विलम्ब के तथ्य को स्वीकार किया (जनवरी 2019) एवं अवगत कराया कि उसने बकाया कार्य योजनाओं के भविष्य में समय पर तैयार करने के लिए एक कार्यनीति बनाई है।

2.2.7.2 राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता के अनुसार कार्य योजना इकाइयों की स्थापना न किया जाना

राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2014 कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए स्थायी कार्य योजना इकाइयों की स्थापना किया जाना निर्दिष्ट करती है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2014 के प्रस्तर 29 के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर एक कार्य योजना इकाई का मुखिया वन संरक्षक स्तर का कार्य योजना अधिकारी होना चाहिए जिसकी सहायता कम से कम दो सहायक वन संरक्षक, चार वन क्षेत्राधिकारी, 12 वन दरोगा एवं प्रत्येक विशेष क्षेत्र जैसे कि रिमोटसेन्सिंग, जैव-विविधता निर्धारण, सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण, वर्गीकरण विज्ञान इत्यादि में एक विषयवस्तु विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिये। आगे, प्रस्तर 30 में उल्लिखित है कि कार्य योजना इकाई के लिए पर्याप्त पद सृजित किए जाएँ। अन्यथा, विषयवस्तु विशेषज्ञ एवं कार्मिक संविदा के आधार पर नियोजित किए जा सकते हैं। परिस्थितियाँ कुछ भी हों, कार्य योजना तैयार करने का उत्तरदायित्व किसी वन प्रभाग के क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी / वन संरक्षक को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता का प्रस्तर 31 निर्दिष्ट करता है कि सामान्यतः एक कार्य योजना इकाई 10 वर्ष के चक्र में चार अथवा पाँच वन प्रभागों की कार्य योजनाओं की तैयारी/समीक्षा का काम कर सकती है। अतः, राज्य की समस्त 27 कार्य योजनाओं की तैयारी/पुनरीक्षण हेतु कम से कम 6 कार्य योजना इकाइयों की आवश्यकता होगी। तथापि, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता के अप्रैल 2014 में अस्तित्व में आने के चार वर्ष बीत जाने के पश्चात भी एक भी कार्य योजना इकाई की स्थापना विभाग द्वारा नहीं की जा सकी। कार्य योजना इकाई के अभाव में कार्य योजनाओं की तैयारी का कार्य कार्य योजना अधिकारियों द्वारा किया जाता रहा, जो कि इसी उद्देश्य के लिए तैनात किए जाते थे, जैसा कि पाँच चयनित वन प्रभागों के मामलों में देखा गया जहाँ लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कार्य योजनाएँ तैयार की गयी थीं। नवम्बर 2017 के बाद से, नौ प्रभागों³³ की कार्य योजनाओं को तैयार करने का उत्तरदायित्व क्षेत्रीय व सं को प्रत्यायोजित कर दी गई, जो कि संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन था। आगे, प्रत्येक कार्य योजना अधिकारी (क्षेत्रीय व सं)

³³ टोंस, अल्मोड़ा, चकराता, नैनीताल, रामनगर, देहरादून, भूमि संरक्षण कालसी, बागेश्वर एवं सिविल सोयम प्रभाग अल्मोड़ा।

की सहायता केवल एक वन क्षेत्राधिकारी एवं चार वन दरोगा द्वारा की जा रही थी जो कि उपरोक्त वर्णित मानकों के विपरीत था।

मु व सं कार्य योजना ने समर्पित कार्य योजना इकाइयों की स्थापना न होने का कारण मानव शक्ति की कमी को बताया।

शासन ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (जनवरी 2019) एवं अवगत कराया कि राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2014 के अनुसार चार कार्य योजना इकाइयों की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी।

2.2.7.3 दिशानिर्देशों के उल्लंघन में वन उपजों का विदोहन

टी एन गोड़ावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत सरकार एवं अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय (दिसम्बर 1996) तथा राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2004 के प्रस्तर 92 द्वारा किसी भी वन उपज का व्यावसायिक विदोहन प्रतिबंधित किया गया है जब तक कि यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के उपबंधों के अनुसार न किया गया हो। आगे, राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2014 के प्रस्तर 33 द्वारा भी इसी बिन्दु को यह कहते हुए रेखांकित किया गया है कि प्र व सं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वनों की सभी संक्रियाएँ अनुमोदित कार्य योजना के उपबंधों के अनुसार ही संपादित की जा रही हैं।

बद्रीनाथ एवं टिहरी वन प्रभागों (दो लीसा उत्पादक प्रभाग जिनमें लेखापरीक्षा अवधि में कार्य योजना समाप्त हो गयी) की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इन प्रभागों की कार्य योजनाएँ 30 सितंबर 2013 को समाप्त हो गयी थीं और पुनरीक्षित कार्य योजनाएँ क्रमशः 11 अप्रैल 2017 तथा 31 मार्च 2017 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गईं। इसी बीच प्रमुख सचिव ने इन प्रभागों में लीसा के विदोहन की स्वीकृति (जुलाई 2015) दे दी जब कि मु व सं कार्य योजना एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अनुमोदित कार्य योजना के अभाव के कारण ऐसी अनुमति देने से इंकार कर दिया था (फरवरी 2015 एवं जून 2014)। दोनों प्रभागों ने 2014 से 2016 की अवधि में 38,476.60 कुंतल³⁴ लीसा विदोहित किया जब वहाँ कोई भी कार्य योजना अस्तित्व में नहीं थी। इसके अतिरिक्त, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने 2015-16 में भारत सरकार द्वारा कार्य योजना अनुमोदित होने से पूर्व ही 346.84 हेक्टेयर में वृक्षों का पातन कर दिया। वन उपज का ऐसा विदोहन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों एवं राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2004 एवं 2014 के प्रावधानों के विपरीत था।

³⁴ बद्रीनाथ: 2014 फसल में 7,200.67 कुंतल, 2015 फसल में 8,040.74 कुंतल एवं 2016 फसल में 8,714.93 कुंतल; टिहरी: 2014 फसल में 3,320.69 कुंतल, 2015 फसल में 5,586.39 कुंतल एवं 2016 फसल में 5,613.18 कुंतल।

शासन ने अवगत कराया (जनवरी 2019) कि लीसा उन्हीं कूपों³⁵ से ही विदोहित किया गया जिन्हें अंतिम कार्य योजना में सम्मिलित किया गया था एवं जो कि अंततः भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए थे। विभाग ने आगे अवगत कराया कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग में पुराने यूकेलिप्टस वृक्षों का पातन प्रमुख सचिव के निर्देशों (अप्रैल 2015) के अनुसार किया गया था।

2.2.8 प्रकाष्ठ

प्रकाष्ठ से संबन्धित राजस्व विभाग द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम (यू एफ डी सी) से रॉयल्टी के रूप में प्राप्त किया जाता है जो कि उत्तराखण्ड में वृक्षों के पातन एवं विक्रय हेतु एकमात्र अधिकृत संस्था है। विभाग वृक्षों को पातन हेतु प्रति वर्ष चिन्हित करता है एवं चिन्हित वृक्षों की लॉटें³⁶ यू एफ डी सी को पातन हेतु सौंप दी जाती हैं। विभाग यू एफ डी सी से तीन किशतों में रॉयल्टी प्राप्त करता है- प्रथम वित्तीय वर्ष के मार्च माह में, द्वितीय एवं तृतीय अगले वित्तीय वर्ष के जून एवं सितंबर माह में।

पातन क्रियाएँ चार वृहद श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं जैसा कि तालिका-2.2.5 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-2.2.5: प्रभागों में संचालित होने वाली पातन क्रियाएँ

पातन का प्रकार		अंतर्निहित पातन क्रियाएँ	आच्छादित प्रभागों की संख्या
1. हरा पातन (ऐसा पातन कार्य योजना के प्रावधानों के अनुसार समुद्र तल से केवल 1000 मीटर से अनधिक ऊँचाई के क्षेत्रों में किया जाता है)	निःशेष पातन	वृक्षों का पातन एवं जड़ों का खुदान	तीन प्रभाग अर्थात तराई पूर्वी, तराई केंद्रीय एवं तराई पश्चिमी
	वितान खोलना/विरलन	सूर्य के प्रकाश को आने देने / स्थान बनाने हेतु वृक्षों का हटाया जाना	चार प्रभाग अर्थात तराई पूर्वी, रामनगर, देहरादून एवं भूमि संरक्षण कालसी
2. विकास कार्यों से संबन्धित पातन		सड़क इत्यादि के निर्माण हेतु पातन	सभी 11 चयनित प्रभाग
3. कार्य योजना के प्रावधानों के अनुसार मृत, बीमार एवं उखड़े हुए वृक्षों का पातन		कार्य योजना में निर्दिष्ट वार्षिक कूपों (पातन के लिये चिन्हित किये गये क्षेत्र) में मृत, बीमार एवं उखड़े हुए वृक्षों का पातन किया जाता है	दस चयनित प्रभाग (राजाजी टाइगर रिजर्व को छोड़कर)
4. विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के अनुसार मृत, बीमार एवं उखड़े हुए वृक्षों का पातन		एक विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के अनुसार मृत, बीमार एवं उखड़े हुए वृक्षों का पातन किया जाता है	दस चयनित प्रभाग (राजाजी टाइगर रिजर्व को छोड़कर)

प्रथम प्रकार का पातन अर्थात हरा पातन प्रकाष्ठ से प्राप्त होने वाले राजस्व का प्रमुख स्रोत है क्योंकि ऐसे पातन के लिए वर्षवार कूपों/क्षेत्रों को कार्य योजना में चिन्हित कर दिया जाता है एवं उपज का

³⁵ कूप वन उपज के विदोहन हेतु विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्र होते हैं।

³⁶ लॉट पातन हेतु विभाग द्वारा चिन्हित वृक्षों की एक सूची है। एक कूप में सुविधा के अनुसार एक या एक से अधिक लॉट हो सकते हैं।

आंकलन भी कार्य योजना में कर लिया जाता है। प्रकाष्ठ से प्राप्त होने वाले राजस्व से संबन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगे चर्चा की गयी है:

2.2.8.1 कार्य योजनाओं के विलम्ब से प्रस्तुति एवं अनुमोदित होने के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना

वनों में सभी वनवर्धनिक संक्रियाएँ कार्य योजना में निर्दिष्ट समयावधि के अनुसार ही संपादित की जाती हैं। अतः, किसी प्रभाग की पुरानी कार्य योजना की समाप्ति एवं नई कार्य योजना के अनुमोदन में कोई विलम्ब होने पर वनवर्धनिक कार्य रोक दिये जाते हैं जिससे न केवल वनों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है बल्कि इससे विभाग का राजस्व संग्रह भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इसीलिए, भारत सरकार को कार्य योजना प्रस्तुत करने एवं इन कार्य योजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया आदर्श रूप से चालू कार्य योजना की समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण हो जानी चाहिए।

तराई केंद्रीय एवं तराई पूर्वी प्रभागों की कार्य योजनाएँ चालू कार्य योजनाओं की समाप्ति के पश्चात प्रस्तुत एवं अनुमोदित करवाई गईं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 75.37 करोड़ की रॉयल्टी प्राप्त नहीं हुई, जैसा कि तालिका-2.2.6 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका-2.2.6: कार्य योजनाओं के विलम्ब से प्रस्तुत/अनुमोदित किए जाने के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना


प्रभाग	कार्य योजना समाप्ति की तिथि	भारत सरकार को कार्य योजना प्रस्तुत करने की तिथि	भारत सरकार द्वारा कार्य योजना के अनुमोदन की तिथि	कार्य योजना में कुल विलम्ब	कार्य योजना में विलम्ब के कारण अपातित प्रकाष्ठ (घनमीटर)	अप्राप्त रॉयल्टी (₹ करोड़ में) ³⁷
तराई केंद्रीय	30.09.15	26.10.15	14.03.17	17 माह	64954.81	42.42
तराई पूर्वी	30.09.16	28.08.17	03.11.17	13 माह	10751.00	32.95
योग					75,705.81	75.37

स्रोत: विभाग से एकत्रित सूचना।

नोट: शेष तीन प्रभागों में, जहाँ लेखापरीक्षा अवधि में कार्य योजनाएँ समाप्त हुईं, लीसा विदोहित किया गया (बद्रीनाथ एवं टिहरी प्रभाग) एवं प्रकाष्ठ का पातन हुआ (तराई पश्चिमी प्रभाग) जबकि कार्य योजनाएँ अस्तित्व में नहीं थीं।

कार्य योजना में समयान्तराल के कारण पातन न हो सकने का प्रभाव नीचे चार्ट-2.2.1 में देखा जा सकता है जो कि कार्य योजनाओं की समाप्ति के पश्चात प्रकाष्ठ से प्राप्त होने वाले राजस्व में तेज गिरावट को दर्शाता है।

³⁷ अपातित प्रजातित्वार प्रकाष्ठ (तराई पूर्वी प्रभाग के मामले में साल, सैन एवं जामुन तथा तराई केंद्रीय प्रभाग के मामले में पॉपलर, सागौन एवं यूकेलिप्टस) के आँकड़े कार्य योजना से लिए गए हैं एवं अनुमानित रॉयल्टी की गणना प्रभागों में लागू रॉयल्टी दरों के अनुसार की गई है।



निकास गोष्ठी के दौरान एवं अपने उत्तर (जनवरी 2019) में शासन ने अवगत कराया कि कार्य योजनाओं के अनुमोदन में विलम्ब के कारण वृक्षों का पातन नहीं किया जा सका और यह भी जोड़ा कि अपेक्षित पातन भारत सरकार के अनुमोदन के पश्चात पूर्ण कर ली जाएगी।

2.2.8.2 साल वनों में वितान न खोलने के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना

उत्तराखण्ड के साल वन प्राकृतिक रूप से उगे पौधों की कम जीवितता के कारण पुनरोत्पादन की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। साल के पौधों को ज्यादा समय तक सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, अतः प्रौढ़ एवं अति प्रौढ़ साल वृक्षों का घना वितान (आवरण) होने के कारण अपर्याप्त प्रकाश की स्थिति में इसके पौधे कमजोर हो जाते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजनाएँ विदोहन योग्य³⁸ व्यास वाले प्रौढ़ एवं अति प्रौढ़ वृक्षों के पातन के द्वारा वितान खोलने³⁹ की संक्रिया का प्रावधान करती हैं। राज्य सरकार ने भी विभाग को विदोहनयोग्य व्यास वाले हरे प्रौढ़ वृक्षों का पातन प्रारम्भ करने का निर्देश (2001) दिया था ताकि साल वनों में नकारात्मक वृद्धि एवं उनके विनाश से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त, ऐसे पातन से प्राप्त रॉयल्टी का एक तिहाई भाग सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन गतिविधियों (बीजों के जमने को प्रोत्साहित करने के लिए बेकार पत्तों को जलाने एवं भूमि की निराई-गुड़ाई करने; पौधों के लिए स्थान बनाने हेतु झाड़ियाँ काटने मनुष्यों एवं जानवरों द्वारा पौधों को कुचले जाने से बचाने के लिए बाड़ लगाने, आग से बचाव जैसी गतिविधियाँ) में उपयोग किया जाना था ताकि पुनरोत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, वितान खोलने की संक्रिया वार्षिक कार्य योजना के भारत सरकार द्वारा अनुमोदन एवं स्थल विशेष योजना, जिसमें सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन की विस्तृत योजना होती है, के प्र व सं द्वारा अनुमोदन के पश्चात संपादित की जानी चाहिए।

³⁸ विदोहन योग्य व्यास देहरादून एवं भूमि संरक्षण प्रभाग कालसी में 45 सेंटी मीटर एवं अधिक तथा तराई पूर्वी एवं रामनगर प्रभाग में 50 सेंटी मीटर एवं अधिक निर्धारित किया गया था।

³⁹ वितान खोलने में ऊंचे वृक्षों का चयनित पातन किया जाता है ताकि वन का उच्च वितान (आवरण) आंशिक रूप से खुल जाए एवं छोटे दबे हुए वृक्षों / पौधों की पहुँच सूर्य के प्रकाश तक हो जाए।

वितान खोलने की संक्रिया अथवा पुनरोत्पादन पातन साल वनों वाले चार प्रभागों (भूमि संरक्षण कालसी, देहरादून एवं रामनगर में 2013-18 के दौरान; तराई पूर्वी में 2013-16⁴⁰ के दौरान) में से किसी में भी संपादित नहीं की गई, यद्यपि यह उनकी कार्य योजनाओं में विशेष रूप से निर्दिष्ट की गई थी। आगे यह भी पाया गया कि प्रभागों ने इनमें से किसी भी वर्ष में (भूमि संरक्षण कालसी, देहरादून एवं रामनगर में 2013-18 के दौरान; तराई पूर्वी में 2013-16 के दौरान) वार्षिक कार्य योजना अथवा स्थल विशिष्ट योजना अनुमोदित नहीं करवाई और मुख्य वन संरक्षक- कार्य योजना द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी निर्देश जारी किए हुए नहीं पाये गए जबकि उन्हें प्रति वर्ष सूचित किया जाता था कि इन प्रभागों में वितान खोलने की संक्रिया संपादित नहीं की जा रही थी। इस आवश्यक वनवर्धनिक संक्रिया के संपादित न किए जाने के कारण प्रभाग 1.50 लाख घनमीटर प्रकाष्ठ के अनुमानित उत्पादन से ₹ 330.12 करोड़ का राजस्व प्राप्त नहीं कर सके जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.1** में दर्शाया गया है।

शासन ने अवगत कराया (जनवरी 2019) कि साल पुनरोत्पादन हेतु वितान खोलना शुद्ध रूप से एक वनवर्धनिक कार्य है और इसे राजस्व उत्पादन हेतु नहीं बनाया गया है। शासन ने आगे अवगत कराया कि रामनगर की कार्य योजना में वार्षिक कूप नहीं निर्दिष्ट किए गए थे एवं देहरादून तथा कालसी के मामले में बीमार वृक्षों के पातन, साल वृक्षों के पुनरोत्पादन के अभाव एवं वन क्षेत्रों में जैविक दबाव के कारण प्राकृतिक सहायतित पुनरोत्पादन का प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजा गया।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितान खोलने की संक्रिया कार्य योजना अधिकारी द्वारा समुचित गणना एवं सर्वेक्षण के पश्चात ही कार्य योजना में निर्धारित की जाती है और कार्य योजना अधिकारी समस्त संबन्धित तथ्यों जैसे कि पुनरोत्पादन की स्थिति, वनों पर जैविक एवं अजैविक दबाव तथा इन वनों का पूर्व में किया गया प्रबंधन इत्यादि पर विचार करने एवं इनका विश्लेषण करने के पश्चात ही वितान खोलने के लिए वार्षिक कूप अथवा 10 वर्षीय लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आगे, वितान खोलने का विशिष्ट उद्देश्य छोटे दबे हुए वृक्षों/पौधों को स्थान एवं सूर्य का प्रकाश उपलब्ध करवाना होता है तथा बीमार वृक्षों को हटाना वितान खोलने का विकल्प नहीं हो सकता है।

निकास गोष्ठी के दौरान अपर मुख्य सचिव ने विभाग को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि प्रभाग में वितान खोलने की संक्रिया कार्य योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार संपादित की जाए।

2.2.8.3 चिन्हित किए जाने के अभाव में वृक्षों का पातन न होने के कारण रॉयल्टी की प्राप्ति न होना

कार्य योजनाओं में किसी विशेष वर्ष में पातन हेतु निर्दिष्ट वृक्ष चिन्हित किए जाते हैं और यू एफ डी सी को आवंटित कर दिए जाते हैं। यू एफ डी सी पातन का कार्य संपादित करता है और विभाग को निर्धारित दरों पर रॉयल्टी भुगतान करता है। प्रत्येक प्रभाग की कार्य योजना में प्रत्येक वर्ष पातित

⁴⁰ तराई पूर्वी की कार्य योजना इसके पश्चात समाप्त हो गई।

किए जाने वाले वृक्षों का क्षेत्र/प्रजाति वार विवरण होता है। पातन के लिए योग्य वृक्षों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उन पर विशिष्ट चिन्ह अंकित किए जाते हैं ताकि केवल निर्धारित वृक्ष ही यू एफ डी सी द्वारा काटे जाएँ। इसी प्रक्रिया को चिन्हीकरण कहा जाता है। चिन्हीकरण पूर्ण होने के पश्चात चिन्हित वृक्ष निगम को पातन हेतु आवंटित कर दिए जाते हैं।

छः वन प्रभागों, जिनमें कार्य योजना के अनुसार हरे वृक्षों का पातन किया जाना अनुमत था, में से दो वन प्रभागों (रामनगर एवं तराई केंद्रीय) में तराई केंद्रीय के 83.41 हेक्टेयर क्षेत्रफल के तीन कूपों (2013-14) एवं रामनगर के 1,129.19 हेक्टेयर क्षेत्रफल के चार कूपों (2013-18) में बजट के अभाव में चिन्हीकरण का कार्य नहीं किया जा सका। इसके कारण वृक्षों का पातन नहीं हुआ एवं अनुमानित 10,017.77 घनमीटर प्रकाष्ठ का उत्पादन नहीं हुआ जिससे विभाग ₹ 27.90 करोड़ की रॉयल्टी प्राप्त नहीं कर सका जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.2** विवरण दिया गया है। आगे यह भी देखा गया कि चिन्हीकरण के लिए प्रभागों को बजट प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर द्वारा प्र व सं से बार बार बजट की माँग करने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं कराया गया था जबकि प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय ने चिन्हीकरण के लिए वार्षिक बजट के माध्यम से माँग की थी।

निकास गोष्ठी के दौरान अपर मुख्य सचिव ने विभाग को चिन्हीकरण संक्रिया के लिए प्रभागों को पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया।

2.2.8.4 उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वृक्षों का पातन न किए जाने के कारण रॉयल्टी प्राप्त न होना

यू एफ डी सी प्रदेश में वनों के वृक्षों के पातन एवं प्रकाष्ठ के विक्रय हेतु एकमात्र अधिकृत प्राधिकारी है। अतः, इससे अपेक्षित है कि यह विभाग के द्वारा चिन्हित प्रत्येक लॉट का पातन करे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः प्रभागों⁴¹, जहाँ हरा पातन कार्य योजना के अनुसार अनुमन्य था, में से दो⁴² में उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर की 20 लॉटों तथा प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय की 15 लॉटों, जो कि 2013-18 के दौरान आवंटित की गई थीं, का पातन नहीं किया जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.3** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यू एफ डी सी ने अस्पष्ट चिन्हीकरण, चिन्हीकरण में कार्य योजना के प्रावधानों का ध्यान न रखा जाना एवं कार्य की अधिकता इत्यादि विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए लॉटें लौटाईं। रामनगर प्रभाग ने यू एफ डी सी के दावों का विरोध किया एवं वृक्षों के पातन न होने के विषय में वन संरक्षक को अवगत कराया। दूसरी तरफ, प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय ने उत्तराखण्ड वन विकास निगम के साथ मामले को उठाया परंतु फिर भी पातन न होने के मामले

⁴¹ प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केंद्रीय; प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर; प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी; प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी; प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून; एवं प्रभागीय वनाधिकारी, मृदा संरक्षण कालसी।

⁴² प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केंद्रीय, प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर।

जारी रहे। इस प्रकार पातन न होने से 40,957.68 घनमीटर प्रकोष्ठ का उत्पादन नहीं हुआ जिस कारण विभाग ₹ 14.28 करोड़ की रॉयल्टी प्राप्त नहीं कर सका।

शासन ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि तराई केंद्रीय वन प्रभाग की सभी 15 लॉटों को 2018-19 में पुनः यू एफ डी सी को पातन हेतु आवंटित कर दिया गया था। रामनगर वन प्रभाग की 20 लॉटों के सम्बन्ध में यह बताया गया कि एक लॉट काटी जा चुकी थी, एक लॉट काटी जा रही थी, एक लॉट पुनः चिन्हित की जा रही थी एवं अवशेष लॉटों 2018-19 के दौरान पुनः यू एफ डी सी को आवंटित कर दी गयी थीं।

निकास गोष्ठी के दौरान प्रमुख वन संरक्षक (वन कार्यबलों के मुखिया) ने अपातित प्रकाष्ठ के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया।

2.2.8.5 रॉयल्टी के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण क्षति

उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश वन निगम के द्वारा पातित वृक्षों की रॉयल्टी निर्धारित करने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी किए (सितंबर 1983)। वर्तमान वर्ष में किसी विशेष प्रजाति की रॉयल्टी दर निर्धारित करने के लिए इससे पूर्व के दो वर्षों के औसत विक्रय मूल्य को ध्यान में रखा जाता है ताकि औसत विक्रय मूल्य में प्रतिशत वृद्धि / कमी को ज्ञात किया जा सके। फिर यह वृद्धि / कमी पूर्व वर्ष की रॉयल्टी दर में जोड़ दी जाती है जिससे कि वर्तमान वर्ष की रॉयल्टी दर प्राप्त हो जाती है। आगे 1994 में, शासन ने निर्णय लिया कि यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ के विषय में वन विभाग को भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी उत्तर प्रदेश वन विकास निगम द्वारा प्राप्त औसत विक्रय मूल्य का 55 प्रतिशत होगी।

वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड राज्य बनने के परिणामस्वरूप यू एफ डी सी की स्थापना होने के बाद भी यूकेलिप्टस की रॉयल्टी निर्धारण का यही तरीका जारी रहा। उत्तराखण्ड वन विकास निगम दो कागज मिलों को (एक प्रदेश में लालकुआं में स्थित है एवं दूसरी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में स्थित है) वार्ता के आधार पर, जैसी कि उत्तराखण्ड बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश के समय से ही प्रथा थी तथा अन्य क्रेताओं को नीलामी के आधार पर यूकेलिप्टस बेचता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने यू एफ डी सी को आवंटित की गई यूकेलिप्टस की रॉयल्टी यू एफ डी सी द्वारा प्राप्त औसत विक्रय मूल्य का 55 प्रतिशत निर्धारित नहीं की। इसके विपरीत, यू एफ डी सी के प्रस्ताव के आधार पर, इसने रॉयल्टी को यू एफ डी सी द्वारा दोनों कागज मिलों को बेची गई प्रकाष्ठ की दरों के 55 प्रतिशत पर निर्धारित कर दिया जैसा कि तालिका-2.2.7 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका-2.2.7: 2013-18 की अवधि में विक्रय यूकेलिप्टस का विवरण

वर्ष	कागज मिलों को विक्रय (घनमीटर में)	कागज मिलों से निगम को प्राप्त दरें (₹ प्रति घनमीटर)	विभाग के लिए निर्धारित रॉयल्टी (₹ प्रति घनमीटर)	निगम द्वारा कुल विक्रय (घनमीटर में)	कुल विक्रय पर निगम को प्राप्त राशि (₹ में)	कुल विक्रय से प्राप्त औसत दर (₹ प्रति घनमीटर)	विभाग के लिए निर्धारित की जाने वाली अपेक्षित रॉयल्टी (₹ प्रति घनमीटर)	दरों में अंतर (₹ प्रति घनमीटर)	विभाग द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित यूकेलिप्टस (घनमीटर)	राजस्व की क्षति (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4) =55% of (3)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8) =55% of (7)	(9) =(8) - (4)	(10)	(11) = (9)×(10)
2013-14	4,624	3,330.28	1,832	39,839.43	25,98,36,370	6,522.09	3,587	1,755	30,179	5,29,64,145
2014-15	12,775	3,332.64	1,833	38,724.17	23,39,91,336	6,042.51	3,323	1,490	51,265	7,63,84,850
2015-16	13,572	3,332.64	1,833	72,838.83	40,20,86,819	5,520.23	3,036	1,203	75,943	9,13,59,429
2016-17	5,514	3,332.64	1,833	67,933.43	39,00,82,628	5,742.13	3,158	1,325	24,121	3,19,60,325
2017-18	0.00	3,332.64	1,833	35,646.34	19,65,37,304	5,513.53	3,032	1,199	49,418	5,92,52,182
नोट: वर्ष 2017-18 के लिए कागज मिलों के लिए दरें निर्धारित कर दी गयी हैं लेकिन मिलों के द्वारा अभी प्रकाष्ठ उठाया नहीं गया था।									योग	31,19,20,931 अर्थात् ₹ 31.19 करोड़

स्रोत: उत्तराखण्ड वन विकास निगम के द्वारा रॉयल्टी निर्धारण समिति एवं लेखापरीक्षा को प्रस्तुत सूचना।

कागज मिलों से यू एफ डी सी को प्राप्त औसत दरें निगम द्वारा किए गए कुल विक्रय में प्राप्त दरों से काफी कम थीं। तथापि, रॉयल्टी निर्धारण समिति⁴³ ने औसत दरों के आधार पर रॉयल्टी निर्धारित नहीं की जिससे 2013-18 की अवधि में ₹ 31.19 करोड़ की क्षति हुई।

शासन ने उत्तर दिया (जनवरी 2019) कि रॉयल्टी निर्धारण समिति लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामले की समीक्षा करेगी।

2.2.8.6 जड़ों एवं जलौनी से रॉयल्टी की प्राप्ति न होना

(अ) किसी प्रजाति के वृक्षों के पातन के समय छोटी शाखाएँ अनिवार्य रूप से मिलती हैं। यह शाखाएँ 'जलौनी'⁴⁴ के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। विभाग के निर्देशों (अगस्त 1998) के अनुसार, निगम के द्वारा नीलाम की गई जलौनी प्रकाष्ठ की मात्रा पर विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर रॉयल्टी वसूल की जानी थी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने लेखापरीक्षा अवधि में निगम द्वारा नीलाम की गई जलौनी प्रकाष्ठ के लिए रॉयल्टी निर्धारित नहीं की थी। यू एफ डी सी ने 2013-18 की अवधि में जलौनी

⁴³ जिसमें प्रमुख वन संरक्षक (वन कार्यबलों के मुखिया) अध्यक्ष, मुख्य वन संरक्षक- कार्य योजना सदस्य सचिव के रूप में, यू एफ डी सी के प्रबंध निदेशक, गढ़वाल एवं कुमाऊँ के क्षेत्रीय मु व सं तथा विभाग के कुछ अन्य प्रमुख अधिकारी सदस्य के रूप में होते हैं।

⁴⁴ यूकेलिप्टस के मामले में 15 सेंटी मीटर से कम व्यास की लकड़ी, सागौन के मामले में 21 सेंटी मीटर से कम व्यास की लकड़ी एवं 30 सेंटी मीटर से कम व्यास की लकड़ी, अन्य प्रजातियों के मामले में जो गोल प्रकाष्ठ के साथ उत्पन्न होती है, जलौनी प्रकाष्ठ कहलाती है।

प्रकाष्ठ की नीलामी से ₹ 13.94 करोड़⁴⁵ अर्जित किए लेकिन विभाग को इस राशि में से कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ।

कुछ देशी प्रजातियों के वृक्षों, जैसे बांज, खर्सू, मौरू, तिलॉज, बुरांश आदि को 'ईंधन प्रकार के वृक्ष' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन वृक्षों के लिए, यू एफ डी सी को आवंटित पूरे आयतन के आधार पर विभाग को रॉयल्टी भुगतान की जाती है। वर्ष 2013-18 की अवधि में आवंटित 927.91 घनमीटर ईंधन प्रकार के वृक्षों के प्रकाष्ठ के लिए यू एफ डी सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल को रॉयल्टी भुगतान नहीं की गई। यद्यपि यू एफ डी सी द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रभाग को ईंधन प्रकार के वृक्षों की काटी गई मात्रा के विषय में सूचना दी जाती थी तथापि प्रभागीय वनाधिकारी ने इस प्रकार के वृक्षों की रॉयल्टी प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए विभाग को उक्त अवधि में ₹ 11.17 लाख की क्षति हुई।

(ब) सामान्य पातन के मामले में वृक्षों को जमीन से 15 सेंटी मीटर ऊपर से काटा जाता है एवं जड़ों को मृदा का क्षरण रोकने के लिए छोड़ दिया जाता है। तथापि, निःशेष पातन के मामले में वृक्षों को काटा जाता है और उनकी जड़ों को उखाड़ दिया जाता है। अतः, निःशेष पातन के मामले में यू एफ डी सी सामान्य व्यापारिक प्रकाष्ठ के अतिरिक्त जड़ों की नीलामी भी करता है।

तथापि, विभाग में वृक्षों की जड़ों पर रॉयल्टी आरोपित करने की कोई पद्धति चलन में नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप विभाग को ₹ 42.17 करोड़⁴⁶ की राशि, जो यू एफ डी सी ने 2013-18 की अवधि में जड़ों के विक्रय से प्राप्त की, में से कोई भी भाग प्राप्त नहीं हुआ।

शासन ने आश्वासन दिया (जनवरी 2019) कि जड़ों एवं जलौनी पर रॉयल्टी अधिरोपित करने के लिए एक नीति बनाई जाएगी। ईंधन प्रजाति के वृक्षों की रॉयल्टी वसूल न करने के मामले में शासन ने अवगत कराया (जनवरी 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामले के समाधान के लिए जरूरी प्रयास किए जा रहे थे।

2.2.8.7 अनुमान के सापेक्ष उत्पादन

विभाग अपने परिपत्र संख्या 124/2-7-1 दिनांक 19 नवम्बर 1956 में वर्णित लट्टे के ठोस होने के गुण के मानकों के आधार पर (जैसा कि परिशिष्ट-2.2.4 अ में वर्णित किया गया) वृक्षों को ठोस, योग्य एवं अयोग्य के रूप में वर्गीकृत करता है। अनुमानित प्रकाष्ठ उत्पादन वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा विकसित एक आयतन गुणांक तालिका के आधार पर आंकलित किया जाता है। यह

⁴⁵ 2013-14: ₹ 3.54 करोड़, 2014-15: ₹ 2.91 करोड़, 2015-16: ₹ 2.64 करोड़, 2016-17: ₹ 3.82 करोड़ एवं 2017-18: ₹ 1.03 करोड़।

⁴⁶ 2013-14: ₹ 8.98 करोड़, 2014-15: ₹ 7.94 करोड़, 2015-16: ₹ 9.52 करोड़, 2016-17: ₹ 11.25 करोड़ एवं 2017-18: ₹ 4.48 करोड़।

तालिका विभिन्न प्रजाति के वृक्षों तथा प्रजाति के अंदर विभिन्न व्यास वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न आयतन गुणांक आवंटित करती है। इस प्रक्रिया को तालिका-2.2.8 में नीचे समझा जा सकता है:

तालिका-2.2.8: वृक्षों के आयतन का अनुमान

वृक्ष का प्रकार	आयतन
ठोस वृक्ष	संबन्धित प्रजाति के संगत व्यास के लिए आयतन गुणांक तालिका में दिया गया पूरा आयतन गुणांक
योग्य वृक्ष	संबन्धित प्रजाति के संगत व्यास के लिए आयतन गुणांक तालिका में दिए गए आयतन गुणांक का 2/3 भाग
अयोग्य वृक्ष	संबन्धित प्रजाति के संगत व्यास के लिए आयतन गुणांक तालिका में दिए गए आयतन गुणांक का 1/3 भाग

विभाग उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित प्रकाष्ठ की रॉयल्टी अनुमानित उत्पादन के आधार पर प्राप्त करता है।

लेखापरीक्षा ने छह प्रभागों (तराई पूर्वी, तराई केंद्रीय, तराई पश्चिमी, देहरादून, कालसी एवं रामनगर), जहाँ हरा पातन अनुमन्य था, के सम्बन्ध में 2013-17⁴⁷ की अवधि में उत्पादित प्रकाष्ठ के विषय में यू एफ डी सी से प्राप्त आँकड़ों की जाँच की। यह पाया गया कि इन प्रभागों में अधिकतर लॉटों में आधिक्य उत्पादन हुआ था जैसा कि तालिका-2.2.9 में नीचे देखा जा सकता है:

तालिका-2.2.9: वर्ष 2013-17 की अवधि में पाँच प्रभागों में अनुमान के सापेक्ष अधिक उत्पादन का विवरण

	रामनगर	देहरादून	कालसी	तराई केंद्रीय	तराई पूर्वी	तराई पश्चिमी	योग
कुल लॉटों की संख्या	209	834	421	492	391	182	2529
अनुमान से कम उत्पादन वाली लॉटें	4	56	42	35	29	22	166
अनुमान से अधिक उत्पादन वाली लॉटें (प्रतिशत में)	205 (98)	778 (93)	379 (90)	457 (92)	362 (92)	160 (87)	2341 (92)
किसी एक लॉट में उत्पादन का अधिकतम मान (प्रतिशत में)	1,299	1,707	1,219	1,089	1,312	685	-
वर्ष 2013-17 की अवधि में कुल आधिक्य उत्पादन घनमीटर में	10,663	14,781	5,243	44,231	62,945	1913	1,39,776
आधिक्य उत्पादन का अनुमानित मूल्य (₹ करोड़ में)	6.77	7.64	2.77	28.67	40.29	1.15	87.29

स्रोत: उत्तराखण्ड वन विकास निगम से एकत्रित की गई सूचना।

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है कि छः प्रभागों में काटी गई 92 प्रतिशत लॉटों में अनुमान के सापेक्ष अधिक मात्रा में प्रकाष्ठ का उत्पादन हुआ। तथापि, अनुमानित आयतन के आधार पर रॉयल्टी भुगतान किए जाने की पद्धति के कारण, विभाग आधिक्य आयतन (2013-17 की अवधि में छः प्रभागों में 1,39,776 घनमीटर) की रॉयल्टी ₹ 87.29 करोड़ का दावा यू एफ डी सी से नहीं कर सका जैसा कि परिशिष्ट-2.2.4 ब में वर्णित किया गया है। यदि वास्तविक उत्पादन अनुमानित उत्पादन से एक अनुमन्य सीमा, जैसा कि विभाग स्वयं निर्धारित करे, से भी ज्यादा हो तो अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन में व्यापक अंतर दृष्टिगत रखते हुए विभाग वास्तविक उत्पादन के आधार पर

⁴⁷ वर्ष 2017-18 की अधिकतम लॉटों के लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा आँकड़े उपलब्ध नहीं करवाए जा सके। अतः, एकरूपता बनाए रखने के लिए, 2013-14 से 2016-17 के आँकड़ों पर ही विचार किया गया।

रॉयल्टी प्राप्त करने पर विचार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसा वास्तविक उत्पादन विभाग एवं यू एफ डी सी के संयुक्त निरीक्षण में अंकित किया जा सकता है जैसा कि कुछ अन्य प्रदेशों जैसे कि मध्य प्रदेश में प्रचलित है।

निकास गोष्ठी के दौरान प्रमुख वन संरक्षक (वन कार्यबलों के मुखिया) ने आश्वासन दिया कि मामले पर विचार किया जाएगा। शासन ने भी अवगत कराया (जनवरी 2019) कि चूंकि यह एक नीतिगत मसला है, अतः शासन में विचार-विमर्श करने के पश्चात इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा कि रॉयल्टी अनुमानित उत्पादन पर वसूल की जाए अथवा वास्तविक उत्पादन पर।

2.2.8.8 आयतन की गलत गणना के कारण रॉयल्टी की क्षति

विभाग के द्वारा जारी निर्देश (अप्रैल 1989) यह कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्षों को पहले चर्चा की गई तीन श्रेणियों के स्थान पर केवल दो श्रेणियों- योग्य एवं अयोग्य, में वर्गीकृत करना है। योग्य वृक्ष के अनुमानित आयतन की गणना के लिए उस विशेष प्रजाति हेतु विभाग द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण आयतन गुणांक लिया जाना था एवं अयोग्य वृक्ष का अनुमानित आयतन निर्धारित आयतन गुणांक का आधा भाग लेकर आंकलित किया जाना था।

कुल 11 चयनित प्रभागों में से, चार प्रभाग (पिथौरागढ़, टिहरी, बद्दीनाथ एवं नैनीताल) पर्वतीय हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन प्रभागों (पिथौरागढ़, बद्दीनाथ एवं नैनीताल) में 2013-14 से 2017-18 के अवधि में यह सूत्र सही तरीके से अपनाया गया था। टिहरी वन प्रभाग में उक्त निर्धारित सूत्र 2013-14 से 2014-15 तक अपनाया गया। 2015-18 के दौरान, प्रभाग ने आयतन की गणना करने का तरीका निम्नानुसार बदल दिया, जैसा कि तालिका-2.2.10 में नीचे दिया गया है:

तालिका-2.2.10: पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों के आयतन का अनुमान

प्रकार	निर्धारित आयतन	परिवर्तित आयतन	कम गणना
योग्य वृक्ष	उस विशेष प्रजाति एवं व्यास के लिए आयतन तालिका में दिया हुआ सम्पूर्ण आयतन	उस विशेष प्रजाति एवं व्यास के लिए आयतन तालिका में दिए हुए आयतन का 2/3	1/3 आयतन (1-2/3)
अयोग्य वृक्ष	उस विशेष प्रजाति एवं व्यास के लिए आयतन तालिका में दिए हुए आयतन का आधा	उस विशेष प्रजाति एवं व्यास के लिए आयतन तालिका में दिए हुए आयतन का 1/3	1/6 आयतन (1/2-1/3)

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, इसके परिणामस्वरूप योग्य एवं अयोग्य वृक्षों के मामले में क्रमशः 1/3 भाग एवं 1/6 भाग आयतन की गणना कम हुई। इस कारण से 2015-18 की अवधि में आवंटित प्रकाष्ठ हेतु 4,610.94 घनमीटर आयतन का कम अनुमान लगाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.01 करोड़ की रॉयल्टी की क्षति हुई।

प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी प्रभाग ने कहा कि अनुमान का तरीका यू एफ डी सी के अनुरोध पर परिवर्तित किया गया था।

निकास गोष्ठी के दौरान, अपर मुख्य सचिव ने विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी पर्वतीय प्रभागों द्वारा प्रकाष्ठ के आयतन की गणना करने के लिए विभाग के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार समरूप पद्धति अपनाई जाए।

2.2.8.9 सिविल वनों की प्रकाष्ठ पर राजस्व की क्षति

आरक्षित वनों से पातित प्रकाष्ठ की रॉयल्टी पूर्ण रूप से वन विभाग को प्राप्त होती है। दूसरी तरफ, सिविल वनों⁴⁸ के प्रकाष्ठ की रॉयल्टी विभाग, ज़िलाधिकारी एवं ज़िला पंचायत के मध्य विभाजित की जाती है। इस विषय में शासनादेश (जून 1968) सिविल वनों के प्रकाष्ठ हेतु प्राप्त रॉयल्टी में से वन विभाग द्वारा 10 प्रतिशत की दर से प्रशासनिक व्यय की कटौती करने का प्रावधान करता है। अवशेष रॉयल्टी इसके स्वयं (वन विभाग), ज़िलाधिकारी एवं ज़िला पंचायत के मध्य 40:40:20 के अनुपात में बांटी जाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बद्रीनाथ में सिविल वनों के प्रकाष्ठ हेतु ₹ 20.38 लाख की कुल रॉयल्टी में से प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ को केवल ₹ 2.04 लाख (10 प्रतिशत) ही मिला। अवशेष 90 प्रतिशत रॉयल्टी (₹ 18.34 लाख) बिना 40 प्रतिशत भाग वन विभाग को दिये हुए ही यू एफ डी सी द्वारा सीधे ज़िलाधिकारी / ज़िला पंचायत को वितरित कर दिया गया। तथापि, इस तथ्य के बावजूद कि यह प्रचलित पद्धति / शासनादेश के उल्लंघन में था एवं विभाग के राजस्व हितों को प्रभावित कर रहा था, प्रभागीय अधिकारियों ने निगम के साथ इस मामले को नहीं उठाया। विभाग को, इसलिए, 2013-14 से 2015-16 की अवधि में ₹ 7.34 लाख⁴⁹ की क्षति हुई।

शासन ने बताया (जनवरी 2019) कि यह मामला रॉयल्टी निर्धारण समिति की अगली बैठक में सुलझा लिया जाएगा।

2.2.8.10 बीमार, मृत एवं उखड़े हुए वृक्षों का निस्तारण

बीमार, मृत एवं उखड़े हुए वृक्ष एक विशेषज्ञ समिति⁵⁰ की सिफ़ारिश पर विभाग द्वारा निस्तारित किए जाते हैं। ऐसी प्रकाष्ठ को हटाया जाना एक आवश्यक वनवर्धनिक कार्य एवं विभाग के लिए राजस्व का एक अच्छा स्रोत भी है। उत्तराखण्ड शासन ने विभाग को उक्त समिति की बैठक त्रैमासिक आधार पर आवश्यक रूप से आयोजित करने का निर्देश दिया (फरवरी 2015) ताकि मृत, बीमार एवं उखड़े हुए वृक्ष अनिस्तारित न रहें। प्रमुख वन संरक्षक से अपेक्षा की गई कि वह उत्तराखण्ड शासन को उसके आदेश के अनुपालन के बारे में अर्धवार्षिक प्रतिवेदन दिया करें।

⁴⁸ यह वन आरक्षित वनों के अंतर्गत नहीं आते हैं एवं राजस्व विभाग के नियंत्रण में होते हैं।

⁴⁹ ₹ 18.34 लाख x 40 प्रतिशत = ₹ 7.336 लाख।

⁵⁰ यह समिति प्रभागीय वनाधिकारी, एक कार्य योजना अधिकारी एवं किसी स्थानीय संगठन जो कि पर्यावरण के हित में कार्य कर रहा हो के सदस्य से मिलकर बनती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 से 2017-18 की अवधि में 10 प्रभागों⁵¹ में से छः में अपेक्षित 72 बैठकों⁵² की तुलना में केवल 14 बैठकें⁵³ ही आयोजित की गईं। इन बैठकों में, 30,971 वृक्षों को गिराने की अनुशंसा की गई एवं उनका निस्तारण किया गया। अवशेष चार प्रभागों⁵⁴ में एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई। अतः, नियमित समयान्तराल पर समिति की बैठकें आयोजित न करने के कारण विभाग आरक्षित वनों के मृत एवं उखड़े हुए वृक्षों के निस्तारण से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण राजस्व से वंचित रह गया। इसके अतिरिक्त, प्रमुख वन संरक्षक ने भी शासन को उसके आदेश के अनुपालन के विषय में कोई भी अर्धवार्षिक प्रतिवेदन नहीं भेजा।

यू एफ डी सी एवं विभाग ने भी समय-समय पर इस बात पर बल दिया था कि वनों में अनिस्तारित मृत एवं उखड़े हुए वृक्ष पर्याप्त मात्रा में हैं अतः बैठकों को नियमित रूप से समयबद्ध तरीके से आयोजित किए जाने की आवश्यकता थी। इसके बावजूद, लेखापरीक्षा अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या कम थी।

निकास गोष्ठी के दौरान, प्रमुख वन संरक्षक (वन कार्यबलों के मुखिया) ने आश्वासन दिया कि बीमार, मृत एवं उखड़े वृक्षों का निस्तारण नियमित एवं समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।

2.2.8.11 विकास कार्यों के दौरान पातित वृक्षों की रॉयल्टी का अवरोधन

किसी विशेष वित्तीय वर्ष में उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित प्रकाष्ठ की रॉयल्टी उसी वित्तीय वर्ष के मार्च (प्रथम किस्त) तथा अगले वित्तीय वर्ष के जून एवं सितंबर (द्वितीय एवं तृतीय किस्त) में भुगतान की जाती है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम आवंटित एवं स्वीकार की गई लॉटों के विषय में रॉयल्टी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस विषय में दिशानिर्देश विभाग द्वारा तय किए गए हैं एवं उक्त दिशानिर्देश उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा 2015-16 तक पालन भी किए गए थे।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने विभाग द्वारा सड़क निर्माण इत्यादि विकास कार्यों से संबन्धित पातन हेतु आवंटित प्रकाष्ठ के विषय में इस परम्परा को बदलने के लिए एकतरफा निर्णय ले लिया (सितंबर 2016)। यू एफ डी सी ने निर्देश दिया (सितंबर 2016) कि ऐसी प्रकाष्ठ की रॉयल्टी प्रकाष्ठ के विक्रय एवं विक्रय मूल्य का 20 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की कटौती के बाद विभाग को भुगतान की जाएगी। यह परिवर्तन यू एफ डी सी के पूर्व प्रस्ताव (दिसंबर 2015) के विभाग द्वारा अस्वीकार करने के बाद किया गया जिसमें यू एफ डी सी ने विकास कार्यों से सम्बन्धी लॉटों को रॉयल्टी-मुक्त करने की माँग की थी।

⁵¹ राजाजी टाड़गर रिज़र्व में बीमार, मृत एवं उखड़े हुए वृक्षों का पातन नहीं किया जाता है।

⁵² छः प्रभाग X 4 बैठकें प्रति वर्ष X 3 वर्ष।

⁵³ देहरादून-01, पिथौरागढ़-01, नैनीताल-01, टिहरी-05, बद्रीनाथ-03 एवं कालसी-03।

⁵⁴ प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी, तराई पश्चिमी, तराई केंद्रीय एवं रामनगर।

नौ प्रभागों में 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान विकास कार्यों से संबन्धित 136 लॉट⁵⁵, जिनमें 14,294.88 घनमीटर प्रकाष्ठ था, यू एफ डी सी के द्वारा स्वीकार की गई। यद्यपि, इस प्रकाष्ठ के लिए ₹ 7.11 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान यू एफ डी सी के द्वारा रोक लिया गया। यद्यपि रॉयल्टी की किश्त जमा करने की निर्धारित तिथियाँ बीत चुकी थीं, विभाग को ₹ 7.11 करोड़ की रॉयल्टी यू एफ डी सी से प्राप्त नहीं हुई।

आगे, विभाग के द्वारा अनुश्रवण की कमी देखी गई जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि विभाग आवंटित लॉटों से हुई प्रकाष्ठ की बिक्री के विषय में अनजान था। विभाग ने यू एफ डी सी के द्वारा रॉयल्टी के भुगतान की समयावधि में एकतरफा बदलाव का विरोध भी नहीं किया।

शासन ने बताया (जनवरी 2019) कि इस मामले पर रॉयल्टी निर्धारण समिति की अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

निकास गोष्ठी के दौरान, प्रमुख वन संरक्षक (वन कार्यबलों के मुखिया) ने आश्वासन दिया कि समुचित विचार के पश्चात मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी।

2.2.8.12 अवैध पातन के कारण क्षति

किसी वन से किसी निजी व्यक्ति द्वारा वृक्षों का पातन एवं हटाया जाना भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 26 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। वन उत्पादों के इस प्रकार अवैध तरीके से हटाये जाने को रोकने के लिए नियंत्रणकारी गतिविधियाँ जैसे कि वन क्षेत्रों की नियमित गश्त, महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर वन नियंत्रण चौकियों की स्थापना एवं वन बीटों में पर्याप्त मानव शक्ति की उपलब्धता इत्यादि आवश्यक हैं।

11 चयनित में से 10 प्रभागों के अपराध सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच से प्रकाष्ठ के अवैध पातन की स्थिति प्रकट हुई जैसा कि नीचे तालिका-2.2.11 में विवरण दिया गया है:

तालिका-2.2.11: दस प्रभागों में अवैध पातन का विवरण

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	योग
अवैध पातित प्रकाष्ठ का आयतन (घनमीटर में)	519	451	441	379	319	2,109
पकड़ी गई अवैध पातित प्रकाष्ठ का आयतन (घनमीटर में)	321	319	303	288	206	1,437
अवैध पातित प्रकाष्ठ का आयतन जो बरामद न हो सकी (घनमीटर में)	198	132	138	91	113	672
गैर-बरामद प्रकाष्ठ का मूल्य (₹ लाख में)	17.87	11.32	7.73	8.55	12.40	57.87

स्रोत: विभाग से एकत्रित सूचना।

⁵⁵ पिथौरागढ़-447.92 घनमीटर वाली 18 लॉटें, बदीनाथ-1,875.78 घनमीटर वाली 42 लॉटें, टिहरी-657.84 घनमीटर वाली 13 लॉटें, नैनीताल-1,606.24 घनमीटर वाली 16 लॉटें, तराई पूर्वी-141.94 घनमीटर वाली 03 लॉटें, तराई पश्चिमी-845.19 घनमीटर वाली 04 लॉटें, तराई केंद्रीय-6,998.02 घनमीटर वाली 28 लॉटें, रामनगर-265.85 घनमीटर वाली 01 लॉट एवं देहरादून-1,456.10 घनमीटर वाली 11 लॉटें।

ऊपर की तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2013-18 की अवधि में 2,109 घनमीटर प्रकाष्ठ का अवैध पातन किया गया। इसमें से, ₹ 57.87 लाख मूल्य की 672 घनमीटर प्रकाष्ठ (**परिशिष्ट-2.2.5**) को बरामद नहीं किया जा सका क्योंकि विभाग अपराधियों को पकड़ नहीं सका। यद्यपि अवैध पातन के मामले हर वर्ष जारी रहे, इनमें गिरावट का रुझान विभाग तथा साथ ही पर्यावरण के लिए शुभ संकेत है।

शासन ने अवगत कराया (जनवरी 2019) कि विभाग द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों की वजह से ही अवैध पातन में गिरावट का रुझान था।

2.2.9 लीसा

रेजिन अर्थात् स्थानीय भाषा में लीसा एक बहुत ही चिपचिपा एवं ज्वलनशील पदार्थ होता है जो कि चीड़ के वृक्षों से निकलता है। लीसा तब स्रावित होता है जब वृक्ष की छाल तने के एक भाग से हटाई जाती है एवं एक चीरा लगाया जाता है। तब चीरे के दोनों तरफ प्रति सप्ताह एक-एक छोटी नाली (2 मिलीमीटर गहरी) बनाई जाती है। लीसा में दो कार्बनिक यौगिक होते हैं- तारपीन का तेल एवं राल, तथा लीसा को दवा तैयार करने, प्रसाधन सामग्री, इत्र, कागज उद्योग गोंद, पेंट, वार्निश एवं पॉलिश इत्यादि में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। उत्तराखण्ड में लीसा मार्च से अक्टूबर की अवधि में चीड़ के वृक्षों से निकाला जाता है तथा वन विभाग के द्वारा नैनीताल एवं ऋषिकेश डिपो में नीलाम किया जाता है। 11 चयनित प्रभागों में से केवल तीन (बद्रीनाथ, टिहरी एवं नैनीताल) में चीड़ वन पाए जाते हैं जिनमें लीसा का उत्पादन होता है। लेखापरीक्षा को लीसा के उत्पादन एवं विक्रय के प्रबंधन में निम्नलिखित खामियाँ मिलीं:

2.2.9.1 कम उत्पादन के कारण राजस्व की क्षति

लीसा उत्पादन के लिए समय सारणी में उल्लेख है कि दिसंबर के अंत तक कार्यादेश निर्गत कर दिए जाएँ ताकि सभी मध्यवर्ती क्रियाएँ समय पर पूरी हो जाएँ एवं लीसा का विदोहन मार्च से प्रारम्भ हो जाए। लीसा सर्दी का मौसम, जो कि लीसा उत्पादन के लिए सहायक नहीं होता है, शुरू होने के पहले आठ महीने की अवधि (मार्च से अक्टूबर) में वृक्षों से उत्पादित होता है। अतः यह मासिक अवधि खण्ड लीसा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रदेश स्तरीय समिति ने बद्रीनाथ एवं टिहरी में प्रत्येक मौसम (मार्च-अक्टूबर) में 100 घावों में 3.50 क्विंटल उत्पादन का मानक निर्धारित किया (जुलाई 2014)। नैनीताल में एक मौसम में उत्पादन का लक्ष्य 4.30 क्विंटल प्रति 100 घाव रखा गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन लीसा उत्पादक प्रभागों में से दो (बद्रीनाथ एवं टिहरी) में 2014 से 2017 की अवधि में लीसा निकालने का कार्यादेश तीन से आठ माह के विलम्ब से जारी किए गए। अतः, लीसा उत्पादन के लिए उपलब्ध प्रभावी काल खण्ड (मार्च से अक्टूबर) एक से छः माह तक कम हो गया जिसके कारण लीसा के उत्पादन में कमी आई एवं विभाग को ₹ 2.39 करोड़ के राजस्व की क्षति हुई जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.6** में दर्शाया गया है। नैनीताल में कम उत्पादन नहीं पाया गया।

शासन ने टिहरी में कम उत्पादन के तथ्य को स्वीकार किया (जनवरी 2019)। बद्रीनाथ प्रभाग के मामले में शासन ने बताया कि उत्पादन पूर्व के लक्ष्य 3.0 किग्रा प्रति घाव के अनुसार था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि राज्य स्तरीय समिति ने 2014 में ही लीसा उत्पादन का लक्ष्य 3 किग्रा से 3.5 किग्रा में संशोधित कर दिया था।

2.2.9.2 नई कार्य योजना में योग्य चीड़ वृक्षों को सम्मिलित न किए जाने से क्षति

लीसा उत्पादन के लिए योग्य लीसा वृक्षों के कूपों की पहचान कार्य योजना तैयार किए जाने के समय ही कर ली जाती है। कार्य योजना अवधि में प्रभाग चिन्हीत कूपों से ही लीसा का विदोहन करते हैं। न्यूनतम 40 सेमी व्यास वाले चीड़ के वृक्ष लीसा विदोहन के लिए योग्य होते हैं एवं एक योग्य वृक्ष 25 वर्ष तक लीसा का उत्पादन करता है।

बद्रीनाथ प्रभाग की कार्य योजना 30 सितंबर 2013 को समाप्त हुई। कार्य योजना अधिकारी ने आंशिक गणना, क्षेत्रीय कर्मचारियों से चर्चा एवं क्षेत्र निरीक्षण के आधार पर 2,87,500 नए योग्य चीड़ वृक्षों को द्वितीय प्रारम्भिक कार्य योजना प्रतिवेदन में सम्मिलित किया। मुख्य वन संरक्षक- कार्य योजना ने भी भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को लिखे गए अपने पत्र (मई 2016) में उक्त योग्य वृक्षों को द्वितीय प्रारम्भिक कार्य योजना प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने को सही ठहराया एवं यह भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भी किया गया। तथापि, नई कार्य योजना (अप्रैल 2017) में केवल 1,30,500 नए वृक्ष ही सम्मिलित पाए गए। अतः विभाग ने 1,57,000 नए योग्य वृक्षों को कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.47 करोड़⁵⁶ की क्षति हर वर्ष के लिए हो रही है।

शासन ने अवगत कराया (जनवरी 2019) कि चीड़ वृक्षों की संख्या समग्र गणना के पश्चात घटाई गई। तथापि, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमोदित कार्य योजना में समग्र गणना का तथ्य अभिलेखित नहीं था। मुख्य वन संरक्षक - कार्य योजना ने स्वीकार किया कि चीड़ वृक्षों की संख्या उनके एवं कार्य योजना अधिकारी के मध्य मौखिक चर्चा के पश्चात कम की गई थी।

2.2.9.3 लीसा की खराब संग्रहण व्यवस्था के कारण क्षति

लीसा एक उच्च ज्वलनशील पदार्थ है जो गर्म मौसम में कंटेनर की दरारों से बाहर निकल आता है। टिनो से रिसा हुआ लीसा गड्ढों में एकत्रित किया जाता है एवं रिसे हुए लीसा की लॉटों के रूप में पृथक से बेचा जाता है। तथापि, सामान्य लीसा की तुलना में रिसे हुए लीसा के लिए कम दरें प्राप्त होती हैं। इसके कारण, शासन ने मौसम के प्रभाव को कम करने के लिए लीसा के भण्डारों पर समुचित छाया बनाने के लिए निर्देश जारी किए (अप्रैल 2003)। समय के गुजरने के साथ-साथ लीसा की गुणवत्ता कम होती रहती है एवं इस प्रकार का लीसा कम मूल्य प्राप्त कर पाता है।

⁵⁶ 1,57,000 वृक्ष X 3.50 क्विंटल उत्पादन प्रति 100 वृक्ष X 2013-18 की अवधि में लीसा का न्यूनतम विक्रय मूल्य ₹ 4,500 प्रति क्विंटल।

नैनीताल वन प्रभाग के सुलताननगरी डिपो के संयुक्त निरीक्षण (मई 2018) से प्रकट हुआ कि 20 प्लेटफॉर्म में से केवल पाँच में ही छाया बनाई गई थी। शेष प्लेटफॉर्म में संग्रहीत लीसा धूल, मिट्टी, प्रकाश एवं बारिश जैसी प्रकृति की मार के लिए बिलकुल खुला था। यह भी पाया गया कि लीसा संग्रहीत करने के लिए उपयोग में लाए गए कंटेनर खराब गुणवत्ता के थे। रिसा हुआ लीसा खुले गड्ढों में संग्रह किया गया था जैसा कि नीचे के चित्र-2.2.1 एवं 2.2.2 में दर्शाया गया है।



चित्र 2.2.1 एवं 2.2.2: नैनीताल वन प्रभाग के सुलताननगरी लीसा डिपो में खुले गड्ढों में संग्रहीत लीसा

खुले संग्रहण के कारण उत्पन्न अशुद्धियाँ उत्तराखण्ड के उत्पादित लीसा की कम बिक्री का एक कारण हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, रिसा हुआ लीसा सामान्य लीसा की तुलना में कम मूल्य प्राप्त कर पाता है। इनके मूल्य में अंतर ₹ 144 से ₹ 1,984 प्रति कुंतल तक था।

शासन ने बताया (जनवरी 2019) कि लीसा के रिसाव की समस्या टिनो में भण्डारण के कारण ज्यादा एवं छाया के अभाव के कारण कम होती है। तथापि, विभाग ने आश्वासन दिया कि निधियों की उपलब्धता के आधार पर छाया का निर्माण किया जाएगा।

2.2.10 उपखनिज एवं राजस्व के अन्य स्रोत

आरक्षित वनों से बहने वाली नदियों से उपखनिजों (रेता, बजरी एवं बोल्डर) का संग्रहण एक आवश्यक बाढ़ नियंत्रण उपाय एवं सरकार के लिए राजस्व का एक अच्छा स्रोत है। भारत सरकार के अनुमोदन के पश्चात वन क्षेत्र का विशिष्ट क्षेत्र अर्थात् नदी तल खनन कार्य करवाने के लिए यू एफ डी सी को 10 वर्षों के लिए पट्टे पर दे दिया जाता है। यू एफ डी सी प्रबंधन शुल्क, रॉयल्टी, वस्तु एवं सेवा कर, आय कर, रिवर ट्रेनिंग शुल्क, श्रमिक कल्याण शुल्क इत्यादि वसूल करता है जबकि वन विभाग परिवहन किए जा रहे उपखनिजों से अभिवहन शुल्क (वर्तमान में ₹ 110 प्रति घनमीटर) एवं मार्ग मरम्मत शुल्क (वर्तमान में ₹ 130 प्रति ट्रक) की वसूली करता है।

तीन प्रभागों में वर्तमान में खनन कार्य किए जा रहे हैं।

लेखापरीक्षा ने गोला एवं कैलाश / नन्धौर नदियों (तराई पूर्वी वन प्रभाग के अधीन), कोसी एवं दाबका नदियों (तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अधीन) एवं सोंग तथा जाखन नदियों (देहरादून वन

प्रभाग के अधीन) में किए जा रहे खनन कार्य में अभिवहन शुल्क में क्षति के मामले देखे जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है:

2.2.10.1 खनन सत्र के कम होने के कारण क्षति

प्रत्येक खनन सत्र के लिए उपखनिज की विशेष मात्रा का संग्रहण करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। खनन सत्र प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह की पहली तारीख से शुरू होता है एवं अगले वर्ष 31 मई को समाप्त होता है। खनन कार्य खनन का लक्ष्य पूर्ण होने अथवा खनन सत्र समाप्त होने, जो भी पहले हो, तक चलता रहता है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला खनन समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी खनन करवाने के लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में कार्यादेश जारी करते हैं।

सभी तीन प्रभागों में, नदी तल में खनन करवाने के लिए आवश्यक समस्त कार्यों को पूरा करने के विषय में कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की हुई नहीं पाई गई। तराई पूर्वी एवं तराई पश्चिमी वन प्रभागों के प्रभागीय वनाधिकारियों ने 2013-14 से 2017-18 के खनन सत्र में 14 दिनों से 172 दिनों तक के विलम्ब से कार्यादेश जारी किए। इसके अतिरिक्त, प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी / यू एफ डी सी कैलाश / नन्धौर नदियों सही समय पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सके जिसके कारण 2016-17 खनन सत्र में खनन कार्य नदी में पूरी तरह बंद रहा। इन कारणों की वजह से खनन कार्य करने के लिए खनन सत्र की उपलब्धता कम रही। अतः, तराई पूर्वी एवं तराई पश्चिमी प्रभागों में 2013-14 से 2017-18 खनन सत्रों में 3.90 करोड़ घनमीटर के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 3.06 करोड़ घनमीटर उपखनिज ही उत्खनन किया जा सका। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि देहरादून वन प्रभाग ने एक साथ ही पाँच वर्षों के लिए कार्यादेश जारी कर दिये थे फिर भी उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने 60.52 लाख घनमीटर के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 31.12 लाख घनमीटर उपखनिज का विदोहन किया। अतः, 1.13 करोड़ घनमीटर उपखनिज के कम उत्पादन होने / उत्पादन न होने के कारण विभाग ₹ 53.15 करोड़ की अभिवहन शुल्क की राशि प्राप्त न कर सका, जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.7** में दर्शाया गया है।

शासन ने अवगत कराया (जनवरी 2019) कि खनन के लक्ष्य नदी तल से खनन की जाने वाली अधिकतम अनुमत खनन को दर्शाते हैं एवं इनका पूरा न होना राजस्व क्षति के अनुमान का आधार नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया कि खनन बाजार की माँग पर निर्भर होता है। यह उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि कम उत्पादन मुख्यतः कार्यादेशों के जारी करने में विलम्ब के कारण हुआ। इसके अतिरिक्त, खनन गतिविधि अनुमत अवधि के अंतिम दिन तक जारी रही जो कि यह दिखाता है कि खनन के लिए अधिक समय उपलब्ध होने पर खनन के लक्ष्य पूरे किए जा सकते थे। देहरादून के मामले में प्रभागीय लॉगिंग प्रबन्धक (खनन), देहरादून,

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, ने बताया कि खनन क्षेत्र का दूरस्थ स्थित होने एवं केवल स्थानीय माँग के कारण ही उपखनिजों का विदोहन कम था।

चूँकि खनन गतिविधि विभाग की एक नियमित गतिविधि है जो कि प्रत्येक वर्ष संपादित की जाती है अतः विभाग द्वारा उन रुकावटों को दूर किए जाने की आवश्यकता है जिनके परिणामस्वरूप कार्यादेश जारी होने एवं अन्य प्रबंध करने में विलम्ब होता है।

2.2.10.2 लोक माँग को निरस्त / कम करना

उपखनिजों के विदोहन के लिए उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित क्षेत्रों में विभाग एवं यू एफ डी सी द्वारा माह में दो बार संयुक्त निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निषिद्ध क्षेत्रों में एवं अनुमत गहराई से ज्यादा खनन नहीं किया जा रहा है। उत्तराखण्ड वन विकास निगम को केवल नदी के आधे मध्य भाग के नदी तल से एवं केवल तीन मीटर की गहराई तक ही उपखनिज निकालने की अनुमति होती है। विभाग निषिद्ध क्षेत्रों से उत्खनित खनिज के दो गुने के बराबर लोक माँग उठाता है जो कि एक प्रकार का अर्थदण्ड होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल तीन जाँचे गए प्रभागों, जहाँ नदी तल में खनन संपादित किया जाता है, में से दो प्रभागों⁵⁷ में 2013-14 से 2017-18 की अवधि में खनन क्षेत्रों के संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् निगम के सापेक्ष ₹ 8.39 करोड़ की 19 लोक माँगें⁵⁸ जारी की। प्रभागीय वनाधिकारियों ने इन लोक माँगों को एकतरफा जारी किया क्योंकि यू एफ डी सी के प्रतिनिधियों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। तथापि, वन संरक्षक (पश्चिमी क्षेत्र) ने ₹ 1.96 करोड़ की सात लोक माँगों को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उक्त लोक माँग एकतरफा जारी की गयी थीं एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम के कर्मचारियों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों पर हस्ताक्षर नहीं किया था। आगे, ₹ 6.34 करोड़ की 10 लोक माँगों को वन संरक्षक द्वारा अवैध खनन की मात्रा को कम निर्धारित करके केवल ₹ 0.29 करोड़ में निस्तारित कर दिया गया। ₹ 6.86 लाख की अवशेष दो लोक माँगें मध्यस्थता के लिए वन संरक्षक के समक्ष विचाराधीन थीं। अतः, विभाग ने ₹ 8.01 करोड़ का राजस्व प्राप्त नहीं किया।

विभाग द्वारा इस मुद्दे को हल करने तथा एक व्यवहारिक समाधान खोजे जाने की आवश्यकता है क्योंकि उत्तराखण्ड वन विकास निगम के कर्मचारियों द्वारा जान-बूझकर असहयोग किए जाने के कारण अर्थदण्ड निरंतर अप्राप्त रह जाता है।

2.2.10.3 अभिवहन शुल्क का कम आरोपण

अक्टूबर 2017 की शासन की अधिसूचना⁵⁹ में वन क्षेत्र के नदी तल से एकत्रित सामग्री पर अभिवहन शुल्क की दर तत्काल प्रभाव से ₹ 15 प्रति टन के स्थान पर ₹ 50 प्रति टन कर दी गई।

⁵⁷ प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी एवं तराई पूर्वी।

⁵⁸ तराई पश्चिमी प्रभाग में ₹ 6.05 करोड़ की 16 लोक माँग एवं तराई पूर्वी प्रभाग में ₹ 2.34 करोड़ की तीन लोक माँग।

⁵⁹ उत्तराखण्ड शासन के वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 2190/ X -2-2017-21(13) / देहरादून दिनांक 06 अक्टूबर 2017।

दो प्रभागों⁶⁰ के अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि (06.10.2017) के पश्चात भी ₹ 50 प्रति टन के स्थान पर ₹ 15 प्रति टन की दर से अभिवहन शुल्क वसूल किया गया जिसके कारण ₹ 72.27 लाख⁶¹ के राजस्व की क्षति हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन प्रभागों में आदेश विलम्ब से प्राप्त हुआ।

निकास गोष्ठी के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया। विभाग को अभिवहन शुल्क की दरों को समय पर लागू किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2.10.4 प्रीमियम एवं लीज़ किराया प्राप्त न होना

वन भूमि के पट्टेदारों को वन विभाग को एक मुश्त प्रीमियम एवं वार्षिक पट्टा किराया देना पड़ता है। उत्तराखण्ड सरकार ने वन भूमि के चालू पट्टों के नवीनीकरण एवं नए पट्टों की स्वीकृति तथा वन भूमि के प्रीमियम एवं लीज़ किराए की गणना के लिए एक नीति निर्गत की (सितंबर 2005)। नीति के प्रस्तर 2 के अनुसार प्रीमियम पट्टे की शुरुआत में ही भुगतान किया जाना था। नीति में वन भूमि के पट्टों के लिए निम्नलिखित शर्तें तय की गईं जैसा की नीचे तालिका-2.2.12 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.2.12: प्रीमियम एवं पट्टा किराए की शर्तें

क्र. सं.	पट्टे का उद्देश्य	प्रीमियम की गणना के लिये सूत्र	पट्टा किराए की गणना के लिए सूत्र
पट्टे के नवीनीकरण के लिए			
1.	कृषि (एक हेक्टेयर से अधिक के लिए)	जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर x पट्टे की अवधि / 99	प्रीमियम राशि का एक प्रतिशत
2.	घर, छप्पर, झोपड़ी, गौशाला के लिए (200 वर्ग मीटर से अधिक)		
3.	वाणिज्यिक		
नये पट्टे के लिए			
1.	जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण, विद्युत पारेषण लाइनों, जल आधारित उद्योगों की स्थापना जैसे कि मिनरल वॉटर प्लांट एवं पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए।	जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर x पट्टे की अवधि/99	प्रीमियम राशि का एक प्रतिशत
2.	उक्त उद्देश्यों से भिन्न के लिए	जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर	प्रीमियम राशि का दस प्रतिशत

नमूना जाँच हेतु चयनित 11 प्रभागों में से चार इकाइयों⁶² में आठ मामलों में अत्यधिक मौद्रिक मूल्य का प्रीमियम एवं पट्टा किराया वसूल न किया जाना या कम वसूल किया जाना पाया गया। प्रीमियम

⁶⁰ तराई पश्चिमी रामनगर (18.10.2017 से 01.11.2017 तक ₹ 1.06 लाख) एवं भूमि संरक्षण कालसी (06.10.2017 से 24.10.2017 तक ₹ 71.21 लाख)।

⁶¹ राजस्व क्षति की अवधि 06.10.2017 से 01.11.2017 तक थी।

⁶² प्रभागीय वनधिकारी तराई (केंद्रीय), टिहरी, तराई पूर्वी एवं राजाजी टाइगर रिजर्व।

एवं एवं पट्टा किराए की वसूल न किये जाने / कम वसूल किये जाने के मामलों का विवरण नीचे तालिका-2.2.13 में दिया गया है:

तालिका-2.2.13: प्रीमियम एवं पट्टा किराए को वसूल न किया जाना एवं कम वसूल किया जाना (धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	इकाई	संस्थान	वसूली कम / ना किया जाना	प्रीमियम	लीज़ किराया	योग
1.	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केंद्रीय वन प्रभाग हल्द्वानी	मैसर्स किच्छा शुगर कंपनी (पट्टा मई 1997 में समाप्त हो गई। मई 1997 से भुगतान नहीं किया।)	मई 1997 से प्रीमियम एवं पट्टा किराया वसूल न किया जाना	72,62,500	1,59,77,500	2,32,40,000
2.	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केंद्रीय वन प्रभाग हल्द्वानी	मैसर्स हरिदत्त नित्यानन्द विद्यालय (पट्टा 1991 में समाप्त हो गई। मई 2018 तक नवीनीकरण नहीं किया गया।)	1992 से प्रीमियम एवं पट्टा किराया वसूल न किया जाना	9,03,02,727	12,19,08,672	21,22,11,399
3.	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केंद्रीय वन प्रभाग हल्द्वानी	उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास संस्था फार्म हाउस का पट्टा 1991 में समाप्त हो गया। मई 2018 तक नवीनीकरण नहीं किया गया।	1992 से प्रीमियम एवं पट्टा किराया वसूल न किया जाना	1,29,70,56,818	35,02,05,336	1,64,72,62,154
4.	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी	उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मंडी परिषद (पट्टा फरवरी 2017 से 30 वर्ष के लिए प्रारम्भ हुई। स्वीकृति सितंबर 2012 में जारी की गई।)	प्रीमियम एवं पट्टा किराया वसूल न किया जाना	2,00,418	6,01,260	8,01,678
5.	प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी	भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड, कोटेश्वर (मार्च 2017 में स्वीकृति जारी की गई।)	लीज़ किराए की कम वसूली किया जाना	-	11,53,926	11,53,926
6.	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी	संचुरी पेपर मिल लाल कुआं (पट्टा का नवीनीकरण जनवरी 2014 से प्रारम्भ हुआ)	प्रीमियम एवं पट्टा किराया वसूल न किया जाना	1,84,72,19,152	40,93,04,790	2,25,65,23,942
7.	निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व	श्री दूधाधारी जी बर्फानी गौशाला ट्रस्ट (पट्टा सितंबर 1986 में समाप्त हो गई। जून 2018 तक नवीनीकरण नहीं किया गया।)	प्रीमियम एवं पट्टा किराया वसूल न किया जाना	91,76,566	29,36,512	1,21,13,078
8.	निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व	नगर पालिका परिषद हरिद्वार (पट्टा मार्च 2008 में समाप्त हो गया। जून 2018 तक नवीनीकरण नहीं किया गया।)	प्रीमियम एवं पट्टा किराया वसूल न किया जाना	1,69,10,000	93,00,500	2,62,10,500
योग				3,26,81,28,181	91,13,88,496	4,17,95,16,677

(विवरण परिशिष्ट-2.2.8 में दिया गया है)

नीति के प्रस्तर 2 के अनुसार पट्टा प्रारम्भ होने से पहले ही प्रीमियम जमा किया जाना होता है। यह शर्त विभाग द्वारा लागू न किए जाने के कारण प्रीमियम की वसूली नहीं हुई। आगे यह भी पाया गया

कि पट्टाधारकों से पट्टा किराया भी वसूल नहीं किया गया। इस कारण से ₹ 417.95 करोड़ के प्रीमियम एवं पट्टा किराया की वसूली कम/नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त, ऋषिकेश एवं कर्णप्रयाग के बीच रेल परियोजना (126 किमी) के लिए 63.422 हेक्टेयर वन भूमि रेल विकास निगम को हस्तांतरित की गई (अक्टूबर 2017), जिसके लिए प्रीमियम पट्टाधारक द्वारा पट्टा प्रारम्भ होने से पहले ही भुगतान किया जाना था। तथापि, विभाग द्वारा ₹ 418.58 करोड़ के प्रीमियम एवं ₹ 41.86 करोड़ के पट्टा किराया की माँग विभाग द्वारा अप्रैल 2018 में भूमि के हस्तान्तरण के पश्चात की गई।

2.2.10.5 राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विसंगति होने के कारण क्षति

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए दो विभिन्न नियम वन उपजों के अवैध परिवहन के लिए भिन्न-भिन्न अर्थदण्ड का प्रावधान करते हैं जैसा की नीचे तालिका-2.2.14 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.2.14: उपखनिजों के अवैध परिवहन के लिए अर्थदण्ड

नियम	नियम लागू करने वाला विभाग	अर्थदण्ड
उत्तराखण्ड प्रकाष्ठ एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 2012	वन विभाग	₹ 10,000 तक
उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का प्रतिषेध) (संशोधन) नियमावली, 2015 एवं 2016	खनन विभाग	₹ 25,000 (7 अक्टूबर 2015 से पूर्व सभी मामलों के लिए)
		₹ 25,000 से ₹ 2,00,000 (7 अक्टूबर 2015 को या इसकी बाद वाहन के प्रकार के आधार पर)
		₹ 5,000 से ₹ 2,00,000 (13 नवंबर 2016 को या इसके बाद वाहन के प्रकार के आधार पर)

2015-16 से 2017-18 तक सात प्रभागीय वनाधिकारियों⁶³ ने वन क्षेत्रों से उपखनिजों के अवैध परिवहन के 280 मामलों में उत्तराखण्ड प्रकाष्ठ एवं अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 2012 के अनुसार अर्थदण्ड का आरोपण किया। यह पाया गया कि विभाग ₹ 1.30 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न कर सकता था यदि उसने उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का प्रतिषेध) (संशोधन) नियमावली, 2015 एवं 2016 के अनुसार अर्थदण्ड का आरोपण किया होता।

निकास गोष्ठी के दौरान अपर मुख्य सचिव ने बताया कि दो विभिन्न अधिनियमों के अधीन आरोपणीय अर्थदण्ड की समीक्षा की जाएगी।

2.2.11 महत्वपूर्ण राजस्व का स्थानांतरण न किया जाना

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V के प्रस्तर 351 के अनुसार समस्त जमा या अवशेष, जो कि तीन से अधिक पूर्ण लेखा वर्षों तक बिना दावे के रहता है, प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में राजस्व के समुचित लेखाशीर्ष⁶⁴ में जमा कर दिया जाए।

⁶³ तराई केंद्रीय, तराई पूर्वी, भूमि संरक्षण कालसी, नैनीताल, रामनगर, तराई पश्चिमी, देहरादून (अवैध परिवहन में लिप्त वाहन के प्रकार के आधार पर)।

⁶⁴ मुख्य लेखा शीर्ष 0406।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 चयनित प्रभागों, राजाजी टाड़गर रिजर्व को छोड़कर, में व्यक्तियों द्वारा निजी जमीन पर वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के लिए तथा लीसा ठेकेदारों द्वारा जमानत के रूप में जमा ₹ 0.56 करोड़ की राशि तीन से अधिक लेखावर्षों से पड़ी थी। इसी प्रकार, आठ प्रभागों में विभिन्न कार्यों के लिए तीन वर्षों से अधिक समय से ₹ 6.09 करोड़ वन जमा मद में पड़े थे जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.9** में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय ने इस प्रकार की राशियों को उपयुक्त राजस्व लेखाशीर्ष में जमा किया था। इस प्रकार, ₹ 6.65 करोड़ राजस्व लेखाशीर्ष में हस्तांतरित नहीं किया गया था।

शासन ने बताया (जनवरी 2019) के सभी वन प्रभागों द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही थी।

2.2.12 लोक लेखा में राजस्व का अवरोधन

वन विभाग द्वारा अर्जित राजस्व राजकोष में मुख्य लेखाशीर्ष '0406- वानिकी एवं वन्य जीव' में जमा किया जाता है। सिविल वनों एवं वन पंचायतों के प्रकाष्ठ एवं लीसा की बिक्री से प्राप्त राजस्व विभाग एवं अन्य हितधारकों के मध्य वितरित⁶⁵ होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो प्रभागों⁶⁶ में 2008-09 से 2017-18 की अवधि में सिविल वनों एवं वन पंचायतों के प्रकाष्ठ एवं लीसा के विक्रय से प्राप्त राजस्व ₹ 30.82 करोड़⁶⁷ वन विभाग, जिलाधिकारी एवं जिला पंचायत के मध्य वितरित करके वन विभाग को प्राप्त राशि को मुख्य लेखाशीर्ष '0406- वानिकी एवं वन्य जीवन' में जमा करने के स्थान पर राजकोष के मुख्य लेखाशीर्ष '8782-103' में जमा कर दिया गया था। अतः, विभाग ने अपने राजस्व⁶⁸ के साथ ही अन्य संस्थाओं के राजस्व को भी लोक लेखे में अवरोधित कर दिया था एवं यह राशियाँ विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए सरकार को उपलब्ध नहीं थी।

शासन ने बताया (जनवरी 2019) कि राजस्व को वितरित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई थी।

2.2.13 निःशेष पातन के बाद वृक्षारोपण न किया जाना

निःशेष पातन (वृक्षों का पातन एवं जड़ों का निकालना) उन्हीं क्षेत्रों में अनुमत है जिनकी समुद्र तल से ऊँचाई 1,000 मीटर से कम है। ऐसा पातन केवल कुछ विशेष क्षेत्रों एवं विशेष वाणिज्यिक फसलों

⁶⁵ प्रकाष्ठ {सिविल वन: वन विभाग-10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में एवं अवशेष 90 प्रतिशत का 40 प्रतिशत राजस्व के रूप में, जिलाधिकारी-90 प्रतिशत का 40 प्रतिशत एवं जिला पंचायत-90 प्रतिशत का 20 प्रतिशत। वन पंचायत: वन विभाग-10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में एवं वन पंचायत-अवशेष 90 प्रतिशत।}

लीसा {सिविल वन: वन विभाग-10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में एवं विदोहन की लागत तथा अवशेष राशि का 40 प्रतिशत, जिलाधिकारी-अवशेष राशि का 40 प्रतिशत एवं जिला पंचायत-अवशेष राशि का 20 प्रतिशत। वन पंचायत: वन विभाग-10 प्रतिशत एवं विदोहन लागत तथा अवशेष राशि वन पंचायत को।}

⁶⁶ पिथौरागढ़ एवं नैनीताल ।

⁶⁷ पिथौरागढ़- ₹ 8.05 करोड़, नैनीताल- ₹ 22.77 करोड़।

⁶⁸ पिथौरागढ़-कुल जमा ₹ 7.80 करोड़ में से विभाग का राजस्व ₹ 3.59 करोड़ + नैनीताल-कुल जमा ₹ 8.00 करोड़ में से ₹ 3.02 करोड़ विभाग का राजस्व (शेष अवरोधित राशि का विभाजन विभाग के पास उपलब्ध नहीं था) = ₹ 6.61 करोड़।

जैसे कि यूकेलिप्टस, सागौन, एवं पॉपलर तक सीमित होता है एवं कार्य योजना के प्रावधानों के तहत कड़ाई से नियंत्रित होता है। कार्य योजनाओं में प्रावधान होता है कि किसी भी निःशेष पातन के बाद उसी क्षेत्र में अगले वर्ष अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने तीन चयनित वन प्रभागों, जहाँ निःशेष पातन अनुमत है, में से तराई केंद्रीय वन प्रभाग में पाया कि 2013-16 की अवधि में कार्य योजना के प्रावधानों के अनुसार निःशेष पातन किया गया था। तथापि, 2013-16 की अवधि में पातित क्षेत्रों में से 507 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण नहीं किया गया था। कार्य योजना के प्रावधानों के अनुसार वृक्षारोपण के अभाव में भविष्य में राजस्व की संभावनाएँ नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं एवं वन क्षेत्र भी कम होता है।

शासन ने मामले में सुधारात्मक उपाय किए जाने का आश्वासन दिया (जनवरी 2019)।

2.2.14 मानव शक्ति

मानव शक्ति किसी भी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। चूंकि विभाग की सभी वनवर्धनिक एवं प्रवर्तन गतिविधियाँ मानव शक्ति प्रधान हैं, अतः विभाग के उद्देश्यों की सफल प्राप्ति मुख्यतः मानव शक्ति की उपलब्धता पर निर्भर है।

कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक पदों के सम्बन्ध में विभाग के पास उपलब्ध मानव शक्ति की स्थिति (जैसा 31-03-2018 को था) से मानव बल के अपूर्ण वितरण का पता चला जैसा कि नीचे तालिका-2.2.15 में विवरण दिया गया है:

तालिका-2.2.15: स्वीकृत पदों के सापेक्ष 31.03.2018 को कार्यरत मानव शक्ति की स्थिति

पदों का विवरण	भारतीय वन सेवा					राज्य वन सेवा	अधीनस्थ वन सेवा		अवर अधीनस्थ वन सेवा
	प्रमुख वन संरक्षक	अपर प्रमुख वन संरक्षक	मुख्य वन संरक्षक	वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	सहायक वन संरक्षक	वन क्षेत्राधिकारी	उप वन क्षेत्राधिकारी/वन दारोगा	वन रक्षक
स्वीकृत पद	03	04	14	17	31	90	308	2,137	3,650
कार्यरत मानव शक्ति (प्रतिनियुक्ति सहित)	06+03*	04+06*	12+11*	11+04*	32+04*	26+10*	244	1,829	2,432
स्वीकृत पदों से प्रतिशत	-	-	-	-	-	-	-	-	67

स्रोत: विभाग से एकत्रित सूचना।

* प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी।

तालिका के आँकड़े दिखाते हैं कि प्रमुख वन संरक्षक, जो नियोजन एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होते हैं, स्तर पर मानव शक्ति की अधिकता थी। वन दारोगाओं एवं वन रक्षकों, जो कि वनों में सभी वनवर्धनिक एवं प्रवर्तन गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, की कमी थी एवं विभाग ने अतिक्रमण एवं अवैध पातन का कारण इन पदक्रमों में मानव शक्ति की कमी को बताया। राज्य में वन क्षेत्रों में

अवैध पातन एवं अवैध खनन तथा अतिक्रमण इत्यादि के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को काफी सीमा तक क्षेत्रीय व्यूह रचना में मानव शक्ति की कमी से जोड़ा जा सकता है।

2.2.15 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण किसी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया सुरक्षाकवच है कि इसकी गतिविधियाँ नियोजन के मुताबिक ही चल रही हैं। यह एक अंतर्निहित प्रक्रिया होती है जो कि जवाबदेही के उत्तरदायित्व को पूरा करवाने; लागू होने योग्य कानूनों एवं नियमों का अनुपालन करवाने; कार्यों को मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी तरीके से पूरा करवाने का उद्देश्य रखती है एवं इसका अंतिम परिणाम क्षति के विरुद्ध संसाधनों को सुरक्षित करने के रूप में होता है। आंतरिक नियंत्रण न्यून थे जैसा कि कार्य योजनाओं के विलम्ब से तैयार किए जाने, कार्य योजना इकाइयों की स्थापना न किए जाने, वितान खोलने की कार्यवाही न किए जाने, चिन्हीकरण के अभाव में पातन न किए जाने, विकास कार्य सम्बन्धी पातन की रॉयल्टी अवरोधित रहने, लीसा के कम उत्पादन इत्यादि के मामलों में देखा गया। ये मामले इस तथ्य के बावजूद लगातार जारी रहे कि यह कमियाँ विभाग के उच्च नियंत्रण के संज्ञान में थीं।

उक्त के अलावा कुछ अन्य मामले भी लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए। इन पर नीचे चर्चा की गई है:

- उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के प्रस्तर 154(12) में प्रावधान है कि यदि किसी सरकार, स्थानीय निकाय अथवा बाहरी संस्था के विरुद्ध कोई बड़ा दावा अनावश्यक रूप से लंबे समय तक बकाया पड़ा रहने दिया जाता है तो यह एक वित्तीय अनियमितता होती है। अतः, विभाग को अपने सभी बकाये समयबद्ध तरीके से वसूल करने चाहिए। तथापि, 11 चयनित प्रभागों में ₹ 19.05 करोड़⁶⁹ के बकाये वसूली के लिए अवशेष थे। लेखापरीक्षा अवधि में विभाग द्वारा बकाया वसूली के लिए कोई कार्यवाही की हुई नहीं पाई गई जबकि इस विषय में सूचना नियमित रूप से क्षेत्रीय वन संरक्षकों को प्रभागों द्वारा सौंपी जा रही थी।
- आठ प्रभागों में विभागीय स्तर पर वन अपराधों से संबन्धित 2,308 मामले बकाया थे। इनमें से 1,025 मामले तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया थे; 410 मामले दो से तीन वर्षों के मध्य के बकाया थे और 873 मामले एक एवं दो वर्ष के मध्य के बकाया थे।
- ग्यारह चयनित प्रभागों में 9,053.21 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमित थी। अतिक्रमित भूमि में से 193 मामलों में (125.56 हेक्टेयर 1940/1950 से अतिक्रमित) नियमितीकरण का प्रस्ताव 2001 में वन संरक्षकों को प्रस्तुत किया गया परंतु इस विषय में भारत सरकार के साथ आगे कोई पत्राचार नहीं किया गया एवं भूमि नियमितीकरण के बिना अतिक्रमित ही बनी रही। इसके अतिरिक्त, 121 अतिक्रमणों (75.66 हेक्टेयर) में अदालत ने बेदखली का आदेश दिया था


⁶⁹ ₹ 0.69 करोड़ उत्तराखण्ड वन निगम से (2001-2014 से बकाया) एवं ₹ 14.66 करोड़ उत्तर प्रदेश वन निगम से (1977-2000 से बकाया), ₹ 3.47 करोड़ उद्योगों से (1985-2000 से बकाया), ₹ 0.23 करोड़ दूसरों से (1952-2012)।

(1993/2007)। तथापि, विभाग के द्वारा अतिक्रमित क्षेत्र को खाली करवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतिक्रमित के 112 मामलों (158.45 हेक्टेयर) में विभागीय अदालतों में कार्यवाही चल रही थी एवं 11,519 मामलों (8,693.54 हेक्टेयर), विभाग द्वारा भूमि को खाली करवाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। अतः, प्रभागीय वनाधिकारियों की निष्क्रियता के कारण 9,053.21 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमित बनी रही।

शासन ने अवगत कराया (जनवरी 2019) कि विभिन्न प्रभागों में बकाया मामलों के त्वरित निस्तारण एवं अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही की जा रही थी।

2.2.16 लेखापरीक्षा में देखी गई कमियों के वित्तीय प्रभाव का चित्रीय निरूपण

पूर्वोक्त प्रस्तरों में जिन लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण दिया गया है वे कई प्रणालीगत एवं अनुपालन सम्बन्धी कमियों को रेखांकित करते हैं जो कि 2013-18 की अवधि में राजस्व की महत्वपूर्ण राशियों के अप्राप्त रहने एवं विभाग को हानि का कारण थीं। यदि यह कमियाँ न होतीं तो 2013-18 की अवधि में चयनित प्रभागों का 'संभावित राजस्व' अधिक रहा होता। हमने अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर 2013-18 की अवधि हेतु चयनित प्रभागों के संभावित राजस्व की गणना की जैसा कि **परिशिष्ट-2.2.10** में दर्शाया गया है। चयनित प्रभागों की 2013-18 की अवधि में वास्तविक प्राप्तियाँ एवं संभावित प्राप्तियाँ **चार्ट-2.2.2** में नीचे चित्रित की गई हैं:



उपरोक्त रेखाचित्र से यह स्पष्ट है कि चयनित प्रभागों की 2013-18 के दौरान संभावित राजस्व वास्तविक राजस्व से काफी अधिक हो सकता था।

2.2.17 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग कार्य योजनाओं के तैयार करने में विलम्ब की एक प्रणालीगत समस्या का सामना कर रहा था जिसका परिणाम विभाग द्वारा किए जाने वाले पातन कार्यों पर विराम एवं

राजस्व के प्राप्त न होने के रूप में सामने आया। भारत सरकार द्वारा कार्य योजनाओं के तैयार करने के लिए स्थायी कार्य योजना इकाइयों की स्थापना के रूप में निर्धारित प्रणाली का राज्य में पालन नहीं किया गया। साल वनों में वितान खोलने की संक्रिया कार्य योजना में निर्दिष्ट होने के बावजूद विभाग ने कभी भी वितान खोलने की कार्यवाही नहीं की जिसके कारण से राजस्व प्राप्त नहीं हो सका एवं सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन के लिए निधियाँ उपलब्ध नहीं हो सकीं। इसके अतिरिक्त, वितान न खोलना नए साल वृक्षों की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। विभाग द्वारा वृक्षों को चिन्हित न करने, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा पातन न करने एवं विकास कार्यों से संबन्धित लॉटों की रॉयल्टी का अवरोधन किए जाने के मामलों से विभाग के राजस्व की संभावनाएँ और भी धूमिल हुईं। रॉयल्टी निर्धारण समिति ने यूकेलिप्टस की रॉयल्टी निर्धारित करने में प्रत्येक वर्ष गलती की जिसके परिणामस्वरूप विभाग को क्षति हुई। प्रकाष्ठ के वास्तविक उत्पादन पर रॉयल्टी का उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा भुगतान किए जाने एवं नीलाम किए गए जलौनी प्रकाष्ठ एवं जड़ों पर रॉयल्टी भुगतान किए जाने के विषय में तंत्र का अभाव होने के कारण भी विभाग को क्षति हुई।

आगे, लीसा का कम उत्पादन होने, कार्य योजना में योग्य चीड़ वृक्षों के सम्मिलित न किए जाने, एवं समुचित भण्डारण सुविधाओं का अभाव होने के मुद्दों की वजह से विभाग को लीसा से प्राप्त होने वाला राजस्व विपरीत तरीके से प्रभावित हुआ। विभाग उपखनिजों के कम उत्पादन, उत्तराखण्ड वन निगम के विरुद्ध जारी लोक माँग के निरस्तीकरण एवं कमी, पट्टाधारकों से प्रीमियम एवं पट्टा किराए की वसूली न किए जाने एवं राजस्व की राशियों के लोक लेखे में अवरोधन के मामलों को रोककर अधिक राजस्व प्राप्त कर सकता है।

वन विभाग के राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने के लिए शासन, लेखापरीक्षा द्वारा की गई, निम्नलिखित अनुशंसाओं को क्रियान्वित कर सकता है:

1. कार्य योजना संहिता, 2014 के अनुसार ही कार्य योजना इकाइयों का गठन किया जाना चाहिए एवं कार्य योजनाएँ समयबद्ध तरीके से तैयार की जानी चाहिए;
2. वितान खोलने सहित पातन गतिविधियों से संबन्धित कार्य योजना के समस्त निर्देशों का प्रभागों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए एवं चिन्हीकरण कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया जाना चाहिए;
3. यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ की समुचित रॉयल्टी निर्धारित की जानी चाहिए एवं पातन सम्बन्धित विकास कार्यों की रॉयल्टी निर्धारित समयावधि में वसूल की जा सकती है;
4. अनुमानित उत्पादन, जिस पर अभी विभाग को उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा रॉयल्टी भुगतान की जाती है, की तुलना में प्रकाष्ठ के अधिक उत्पादन पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम से रॉयल्टी वसूल किए जाने का एक तंत्र होना चाहिए;

5. उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा विक्रय की गई जलौनी एवं जड़ों पर भी रॉयल्टी आरोपित एवं एकत्रित की जा सकती है;
6. लीसा का उत्पादन एवं उपखनिजों का विदोहन निर्धारित समयावधि में प्रारम्भ हो जाना चाहिए एवं उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया जाना चाहिए;
7. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के विरुद्ध लोक माँग प्रभागों में किए गए मूल निरीक्षणों के आधार पर वसूल की जानी चाहिए एवं बिना किसी आधार के लोक माँग में कोई कमी/निरस्तीकरण नहीं होना चाहिए;
8. सभी पट्टाधारकों से प्रीमियम एवं पट्टा किराया समयबद्ध तरीके से वसूल किया जाना चाहिए; एवं
9. लोक लेखे में अवरुद्ध राजस्व की राशियों को तेजी से वितरित करके योग्य राशि को विभाग के राजस्व लेखाशीर्ष में समायोजित किया जाना चाहिए।

निकास गोष्ठी के दौरान, शासन ने लेखापरीक्षा द्वारा की गई समस्त अनुशंसाएँ स्वीकार कर लीं।

अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग

2.3 कर का न्यूनारोपण

गलत दर से कर लागू करने के कारण कर के न्यूनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 51.71 लाख की राजस्व क्षति।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम (उ मू व क अ), 2005 की धारा-4 (2) (ख) (i) (ख) एवं (ई) में प्रावधान है कि दिनांक 28 मई, 2012 से अनुसूची II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में पाँच प्रतिशत की दर से तथा किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं माल के सम्बन्ध में 13.5 प्रतिशत की दर से कर देय होगा।

(क) अपर आयुक्त, वाणिज्य कर (अ आ वा क), देहरादून द्वारा जारी (19 सितम्बर, 2008) पत्र संख्या 2163 के अनुसार “ट्रेड रबर” (टायर एवं ट्यूब की रिट्रेडिंग के लिये प्रयुक्त) पर 12.5 प्रतिशत (दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से 13 एवं दिनांक 28 मई 2012 से 13.5 प्रतिशत संशोधित) की दर से कर देय है। जब यह अनुसूची II (ख) की प्रविष्टि संख्या 96⁷⁰ से आच्छादित नहीं माना जा सकता है (परिशिष्ट-2.3.1 की मद संख्या 1 एवं 2)।

⁷⁰ रबर, कच्चा रबर, लेटेक्स रबर एवं ड्राइ रिब्ड प्रविष्टि संख्या 96 के अंतर्गत आच्छादित होते हैं।

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा 72 सहायक आयुक्त/ उपायुक्त, वाणिज्य कर⁷¹ के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई, जहाँ 19,114 निर्धारण पूर्ण कर लिए गये थे। जिनमें से, लेखापरीक्षा द्वारा 7,638 प्रकरणों की नमूना जाँच की गई और पाया गया कि (अक्टूबर, 2017 से जनवरी, 2018) तीन कार्यालयों में, क नि अ द्वारा वर्ष 2012-13 से 2014-15 के कर निर्धारण में चार व्यापारियों⁷² के पाँच प्रकरणों⁷³ में कर निर्धारण (अगस्त, 2016 से मार्च, 2017) करते समय किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं, माल की बिक्री पर 13.5 प्रतिशत के स्थान पर क्रमशः पाँच एवं साढ़े चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.12 लाख के कर का न्यूनारोपण हुआ (जैसा कि **परिशिष्ट-2.3.1** में वर्णित)।

इसे इंगित किये जाने पर क नि अ, देहरादून द्वारा बताया गया (अक्टूबर, 2017) कि उ मू व क अ, 2005 की अनुसूची II (ख) की प्रविष्टि संख्या 96 के अनुसार (**परिशिष्ट-2.3.1 की मद संख्या 1 एवं 2** के प्रकरण में) कर आरोपित किया गया था तथा क नि अ (उ आ), रुड़की ने बताया (दिसम्बर 2017) कि अनुसूची II (ख) की प्रविष्टि संख्या 144 के अनुसार (**परिशिष्ट-2.3.1 की मद संख्या 4** के प्रकरण में) कर आरोपित किया गया था, तथा सम्बन्धित व्यापारियों को इस सम्बन्ध में नोटिस जारी किये जायेंगे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रविष्टि संख्या 96 के अन्तर्गत केवल रबर, कच्चा रबर, लेटेक्स तथा ड्राई रिब्ड आच्छादित है तथा प्रविष्टि संख्या 144 परित्यक्त रबर से निर्मित रबर प्रसंस्कृत तेल से सम्बन्धित है। पुनः अ आ वा क के निर्देशानुसार ट्रेड रबर (टायर, ट्यूब की रिट्रेडिंग के लिये प्रयुक्त) को प्रविष्टि संख्या 96 से आच्छादित नहीं माना जा सकता। क नि अ (स आ), रुड़की ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए (जनवरी, 2019) ₹ 6.64 लाख की बकाया माँग के विरुद्ध (**परिशिष्ट-2.3.1 की मद संख्या 5** के प्रकरण में) नोटिस जारी किया; वसूली लम्बित है (जनवरी 2019)। आगे, स आ (क नि) देहरादून ने तीन प्रकरणों में से एक व्यापारी (**परिशिष्ट- 2.3.1 की मद संख्या 3** के प्रकरण में) से ₹ 0.21 लाख की बकाया माँग की वसूली की गयी (फरवरी, 2018)।

(ख) उ मू व क अ की अनुसूची II की प्रविष्टि 61 के क्रम संख्या (X) की वर्गीकरण के अनुसार ऐसे एल सी डी पैनल, एल ई डी पैनल एवं उसके पार्ट्स, जो सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद (सू प्रौ उ) के रूप में प्रयोग किया जाता है, उन पर पाँच प्रतिशत की दर से कर देय होगा।

आगे उ मू व क अ, 2005 की धारा 57 के अन्तर्गत एक व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर आ व क द्वारा दिये गये निर्णय (मई, 2016) के अनुसार सू प्रौ उ के रूप में प्रयोग किये जाने वाले एल ई डी पैनल्स एवं उसके पार्ट्स पर पाँच प्रतिशत की दर से कर देय था, जबकि एल ई डी बल्ब, एल ई डी

⁷¹ सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर: 34 एवं उपायुक्त, वाणिज्य कर 38।

⁷² टिन न. 05000495986, टिन न. 05013114716, टिन न. 05007468831 एवं टिन न. 05009153139 ।

⁷³ सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर (क्षेत्र-VII), देहरादून: 03 (नमूना जाँच किये गए 70 प्रकरणों में से); उपायुक्त राज्यकर (निर्धारण-IV), रुड़की: 01 (नमूना जाँच किये गए 129 प्रकरणों में से) और सहायक आयुक्त, राज्य कर (निर्धारण-IV), रुड़की: 01 (नमूना जाँच किये गए 64 प्रकरणों में से)।

ट्यूब्स, एल ई डी पैनल्स तथा अन्य एल ई डी उत्पाद पर अवर्गीकृत वस्तु की भांति 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था।

सहायक आयुक्त, {कर निर्धारण (क नि)}-1, वाणिज्य कर, रुड़की के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2017) में पाया गया कि क नि अ द्वारा एक व्यापारी⁷⁴ (एल ई डी लाइट के विनिर्माण एवं बिक्री करने वाला) के वर्ष 2012-13 के कर निर्धारण (मार्च, 2016) को अन्तिम रूप देते समय ₹ 3.01 करोड़ मूल्य के इमरजेन्सी लाइट (स्ट्रीट लाइट, पोस्ट टॉप लैम्प, फ्लड लाइट, पैनल डाउन लाइट, पैनल कॉमेट, पैनल डिस्क लाइट, पैनल डी-लाइट, पाथ फाईन्डर इत्यादि) की बिक्री को अनुसूची II (ख) में वर्गीकृत वस्तु मानते हुए पाँच प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया जबकि एल ई डी पैनल्स इत्यादि (सू प्रौ उ के रूप में प्रयोग न की जाने वाली) की बिक्री पर अवर्गीकृत वस्तुओं की बिक्री की भांति 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार, गलत दर से कर लागू करने के परिणामस्वरूप 8.5 प्रतिशत⁷⁵ की अन्तरीय दर से ₹ 25.59 लाख⁷⁶ कर का न्यूनारोपण हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्त, राज्य कर ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए (सितम्बर 2018) बताया कि ₹ 40.65 लाख की कुल माँग के विरुद्ध ₹ 20.86 लाख जमा को समायोजित करते हुए ₹ 24.72 लाख की माँग की गयी है। वसूली प्रतीक्षित (नवम्बर, 2018) है।

इस प्रकार, गलत दर से कर लागू करने से कर के न्यूनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 51.71 लाख⁷⁷ राजस्व क्षति हुयी।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (अप्रैल, 2018); उसका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

2.4 अर्थदण्ड का अनारोपण

टी डी एस विलम्ब से जमा करने के कारण व्यवसायी से ₹ 0.59 करोड़ के अर्थदण्ड तथा ब्याज की वसूली न किया जाना।

उ मू व क अ, 2005 की धारा 35 (4), (8) एवं (9) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संकर्म संविदा के अनुसरण में भुगतान के लिये उत्तरदायी हो, ऐसा भुगतान करते समय स्रोत पर कर (टी डी एस) की धनराशि की कटौती करेगा तथा उसे कटौती माह की आगामी माह की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करेगा। ऐसा करने में असफल रहने पर काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गयी और यदि काटी गयी तो इस प्रकार जमा न की गयी, धनराशि पर दुगुने से अनधिक अर्थदण्ड का दायी होगा। इसके अतिरिक्त, उस तिथि से, जब ऐसी धनराशि कटौती योग्य थी, से उस तिथि

⁷⁴ टिन नं 050065974801

⁷⁵ (13.5-5) प्रतिशत।

⁷⁶ ₹ 3.01 करोड़ x 8.5 प्रतिशत (13.5-5 प्रतिशत)।

⁷⁷ (₹ 26.12 + ₹ 25.59) लाख।

तक जब ऐसी धनराशि वास्तव में जमा की गयी, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का देनदार होगा।

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा 72 सहायक आयुक्त / उपायुक्त, वाणिज्य कर⁷⁸ के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई, जहाँ 19,114 निर्धारण पूर्ण कर लिए गये थे। जिनमें से, लेखापरीक्षा द्वारा 7,638 प्रकरणों की नमूना जाँच की गई। सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड-II, वाणिज्य कर, ऋषिकेश⁷⁹ के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर, 2017) में पाया गया कि एक फर्म⁸⁰ द्वारा वर्ष 2012-13 में एक ठेकेदार को ₹ 7.25 करोड़ के भुगतान पर दिनांक 30.06.2012 को ₹ 0.29 करोड़⁸¹ टी डी एस के रूप में कटौती की गयी। इस टी डी एस को दिनांक 31.07.2012 तक सरकारी कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित था, जबकि इसे दिनांक 25.08.2012 को जमा किया गया। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35(8) एवं (9) के अनुसार ₹ 0.58 करोड़ अर्थदण्ड (₹ 0.29 करोड़ टी डी एस की दुगुनी धनराशि) तथा टी डी एस कटौती दिनांक से जमा करने की तिथि तक ₹ 0.68 लाख⁸² ब्याज आरोपणीय है। जबकि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा टी डी एस के विलम्ब से जमा करने पर अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया (अप्रैल, 2016)।

इसे इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी (क नि अ) द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 (8) के अन्तर्गत व्यवसायी को टी डी एस विलम्ब से जमा करने पर स्पष्टीकरण माँगते हुए नोटिस जारी किया गया। क नि अ द्वारा व्यवसायी के उत्तर को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विलम्ब के यथोचित साक्ष्य/कारण प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः क नि अ द्वारा ₹ 0.58 करोड़ अर्थदण्ड तथा ₹ 0.68 लाख ब्याज आरोपित किया गया (फरवरी, 2018)। क नि अ के आदेश के विरुद्ध व्यवसायी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ (09.05.2018), जिसने अपील के अन्तिम निर्णय आने तक बकाया अर्थदण्ड की 90 प्रतिशत धनराशि स्थगित करने (25.07.2018) तथा 10 प्रतिशत धनराशि 30 दिन के भीतर जमा करने का आदेश दिया। आदेशानुसार, व्यवसायी ने कुल अर्थदण्ड का 10 प्रतिशत अर्थात् ₹ 5,79,632 (06 जुलाई, 2018 एवं 06 अगस्त, 2018) तथा ब्याज की धनराशि ₹ 67,888 (27 जून 2018) को जमा किया।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (मार्च 2018); शासन का उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

⁷⁸ सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर: 34 एवं उपायुक्त, वाणिज्य कर 38।

⁷⁹ नमूना जाँच किये गए 72 प्रकरणों में से सहायक आयुक्त (निर्धारण) -II वाणिज्य कर, ऋषिकेश के एक प्रकरण में।

⁸⁰ टिन न.: 05012674724।

⁸¹ ₹ 7.25 करोड़ का चार प्रतिशत।

⁸² (₹ 29 लाख * 15 प्रतिशत * 57 दिवस (30.06.2012 से 25.08.2012))/365 दिवस।

2.5 कर का अनारोपण

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा चावल के आटे की बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित करने के स्थान पर कर मुक्त बिक्री माने जाने के परिणामस्वरूप ₹ 8.59 लाख के कर का अनारोपण हुआ।

उ मू व क अ की धारा- 4(2)(ख)(i)(ख) एवं (घ) में प्रावधान है कि अनुसूची II(ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में चार प्रतिशत तथा किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं, माल के सम्बन्ध में 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय होगा। आगे, दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से अनुसूची II (ख) में विनिर्दिष्ट माल पर अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत तथा किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं, माल पर 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय होगा। पुनः दरों को दिनांक 28 मई 2012 से पुनरीक्षित करते हुए अनुसूची II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में पाँच प्रतिशत तथा अवर्गीकृत माल के सम्बन्ध में 13.5 प्रतिशत किया गया।

2015-16 के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा 49 सहायक आयुक्त / उपायुक्त, वाणिज्यकर⁸³ के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई, जहाँ 10,694 निर्धारण पूर्ण कर लिए गये थे। जिनमें से, लेखापरीक्षा द्वारा 4,310 प्रकरणों की नमूना जाँच की गई। उपायुक्त (कर निर्धारण)-I, राज्य कर, रुड़की के अभिलेखों की जाँच (अगस्त, 2015) में पाया गया कि एक व्यापारी⁸⁴ द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 1.65 करोड़⁸⁵ की चावल के आटे की बिक्री को करमुक्त घोषित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी (क नि अ) द्वारा चावल का आटा किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत न होने के बावजूद इस कर मुक्त बिक्री को अनुमोदित किया गया (फरवरी, 2015)। इस प्रकार, चावल के आटे की बिक्री पर कर के अनारोपण से ₹ 22.22 लाख⁸⁶ की राजस्व क्षति हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केन्द्रीय कर ₹ 13.63 लाख सहित ₹ 22.22 लाख कर आरोपित किया गया (मार्च, 2017)। कन्साइनमेंट बिक्री के समर्थन में व्यापारी ने प्रपत्र-‘च’ प्रस्तुत किया। वैट की अवशेष धनराशि ₹ 8.59 लाख वसूली हेतु लम्बित है।

शासन द्वारा पुनः उत्तर दिया गया (सितम्बर, 2018) कि बकाया माँग ₹ 8.59 लाख में से ₹ 1.72 लाख की वसूली की जा चुकी है। शेष धनराशि ₹ 6.87 लाख अब भी वसूली हेतु लम्बित है।

⁸³ सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर: 26 एवं उपायुक्त, वाणिज्य कर 23।

⁸⁴ टिन नं.:05003933763 नमूना जाँच किये गए 279 प्रकरणों में से उपायुक्त (निर्धारण) -I वाणिज्य कर, रुड़की के एक प्रकरण में।

⁸⁵ कन्साइनमेंट बिक्री (कमीशन पर) ₹ 1.01 करोड़ एवं अन्य बिक्री ₹ 0.64 करोड़।

⁸⁶ ₹ 1.65 करोड़ का 13.5 प्रतिशत की दर पर।

आबकारी विभाग

2.6 अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री

विभाग द्वारा अनुज्ञापियों पर अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री किये जाने पर प्रशमन शुल्क के कम आरोपण के कारण ₹ 19.50 लाख की राजस्व क्षति हुई।

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 34 (ख) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञापन, अनुज्ञा-पत्र अथवा पास प्रदान करने वाला प्राधिकारी धारक अथवा उसके सेवक अथवा उसकी ओर से अभिव्यक्त या निहित कोई कार्यकारी द्वारा उसमें उल्लिखित किसी भी शर्तों के उल्लंघन करने पर इसे निरस्त या निलम्बित कर सकता है। इसी शर्तों में से एक अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री अनुज्ञापन के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन है। आगे, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 118/XXIII/2016/04(01)2016 दिनांक 25 फरवरी, 2016 के नियम 22 (तीन) में इस प्रकार के उल्लंघन पर अर्थदण्ड का प्रावधान है जिसमें अनुज्ञापियों पर प्रशमन शुल्क आरोपित किया जायेगा, यदि राज्य में देशी/विदेशी मदिरा/बीयर दुकानों की शिकायत/निरीक्षण के समय पाया गया कि देशी/विदेशी मदिरा/बीयर की बिक्री एम आर पी से अधिक मूल्य पर की जाती है। उपरोक्त अधिसूचना के नियम 22 (तीन) (4) के अनुसार अनुज्ञापियों के चौथे या अधिक उल्लंघन पर अग्रिम नगद जमा का तीन प्रतिशत की दर से प्रशमन शुल्क आरोपित किया जायेगा। नियम 18(6) के अनुसार, अनुज्ञापियों को दो किस्तों में दो माह के न्यूनतम प्रत्याभूति शुल्क के बराबर प्रतिभूति क्रमशः प्रथम किस्त 30 दिनों के अन्दर तथा द्वितीय किस्त 45 दिनों के अन्दर जमा करनी होती है। उपरोक्त अधिसूचना एवं अधिनियम के दण्डनीय प्रावधान को सभी अनुज्ञापियों के अनुज्ञापन की नियम एवं शर्तों में भी शामिल किया गया है।

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा 13 जिला आबकारी अधिकारियों (जि आ अ) के 529 अनुज्ञापनों में से 370 अनुज्ञापनों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून की ब्रीच पंजिका की जाँच (जून, 2017) में पाया गया कि मई, 2016 से दिसम्बर, 2016 के दौरान सात अनुज्ञापियों (देहरादून में नमूना जाँच किये गए 50 अनुज्ञापनों में से) द्वारा देशी / विदेशी मदिरा / बीयर की अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री की गयी थी, तथा चौथी एवं उससे अधिक बार उल्लंघन किया गया था। आगे संज्ञान में आया कि विभाग द्वारा कुल अग्रिम प्रतिभूति जमा के स्थान पर एक माह के अग्रिम प्रतिभूति जमा का तीन प्रतिशत की दर से गलत प्रशमन शुल्क आरोपित किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 19.50 लाख प्रशमन शुल्क का न्यूनारोपण हुआ (परिशिष्ट-2.6.1 में वर्णित)। पुनः, विभाग कड़ी कार्यवाही जैसे निलम्बन/अनुज्ञापन

का निरस्तीकरण तथा सम्पूर्ण जमा प्रतिभूति⁸⁷ जब्त किये जाने में असफल रहा, जैसा कि बार-बार उल्लंघन को रोकने में अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर शासन द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त अधिसूचना के नियम-22 के (तीन) (4) में अंतर्निहित है कि नगद प्रतिभूति जमा एक माह के न्यूनतम प्रत्याभूति ड्यूटी के बराबर है तथा संबंधित प्राधिकारी द्वारा तदनुसार प्रशमन शुल्क आरोपित किया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियम 22(तीन)(4) स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि चौथे या अधिक बार उल्लंघन पर कुल अग्रिम नगद प्रतिभूति जमा का तीन प्रतिशत के बराबर राशि जमा करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा-34 के अनुसार आबकारी आयुक्त को बारम्बार उल्लंघन के निवारण हेतु अनुज्ञापन को निरस्त / निलम्बित करने का अधिकार है। इस प्रकार, विभाग को अनुज्ञापियों पर प्रशमन शुल्क के न्यूनारोपण के कारण ₹ 19.50 लाख की राजस्व की क्षति हुई।

खनन विभाग

2.7 खनिजों के भण्डारण हेतु शुल्क का अनारोपण

तीन भण्डारकर्ताओं से खनिजों के भण्डारण हेतु निर्धारित शुल्क का अनारोपण एवं वसूली न किए जाने के कारण विभाग को ₹ 3.17 करोड़ की राजस्व क्षति हुई।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना सं. 96/VII-1/2016/158-ख/2004 दिनांक 22.01.2016 द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 यथासंशोधित, 2015 के नियम-2 (1) (ट) के अनुसार जनपद पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर) मध्य पर्वतीय क्षेत्र तथा जनपद हरिद्वार का सम्पूर्ण भाग मैदानी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया था। पुनः नियम-8(2)(2) के अनुसार मध्य पर्वतीय क्षेत्र में खनिज भण्डारण हेतु 1,000 घनमीटर तक के लिये आवेदन शुल्क ₹ 50,000 तथा इससे अधिक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1,000 घनमीटर या उसके भाग पर अतिरिक्त ₹ 50,000 आवेदन शुल्क देय था। नियम 8 (2) (3) के अनुसार मैदानी क्षेत्र में खनिज भण्डारण हेतु 1,000 घन मी तक आवेदन शुल्क ₹ 60,000 तथा उससे अधिक क एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1,000 घन मी या उसके भाग पर अतिरिक्त ₹ 60,000 आवेदन शुल्क देय था।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा 13 जिला खान अधिकारियों (जि ख अ) के 393 भण्डारकर्ताओं में से 274 खनिज भण्डारकर्ताओं के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। कार्यालय जिला खनन

⁸⁷ सभी सातों अभ्यस्त उल्लंघनकारियों की सम्पूर्ण जमा प्रतिभूति की राशि ₹ 4.81 करोड़ थी।

अधिकारी (जि ख अ), हरिद्वार⁸⁸ एवं पौड़ी गढ़वाल⁸⁹ के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच (जून 2017 एवं जनवरी 2018) में पाया गया कि तीन भण्डारकर्ताओं द्वारा भण्डारण हेतु उपरोक्त नियम के अनुसार आवेदन शुल्क जमा नहीं किया गया था। विवरण निम्नवत है:

अ) उपरोक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार जिला खनन अधिकारी हरिद्वार द्वारा 32,000 घन मी खनिजों के भण्डारण के लिए एक भण्डारकर्ता को दिनांक 31.03.2016 को अनुमति दी गई थी। नियम 8 (2) (3) के अनुसार, उप खनिज के 32,000 घनमीटर भण्डारण के लिए आवेदक द्वारा ₹ 0.19 करोड़⁹⁰ का आवेदन शुल्क देय था। तथापि, जिला खनन अधिकारी हरिद्वार द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों में लेखापरीक्षा को उक्त राशि जमा करने एवं माँग सृजित किए जाने का प्रमाण नहीं मिला।

ब) हरिद्वार के एक अन्य भण्डारकर्ता द्वारा खनिजों के भण्डारण के लिए शुल्क के रूप में ₹ 1.20 लाख की राशि जमा (10 मई 2016) की गयी थी। आवेदक को दिनांक 30 जून 2016 से 2,50,000 घनमीटर उप खनिज के भण्डारण की अनुमति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त नियम 8 (2) (3) के अनुसार 2,50,000 घनमीटर खनिजों के भण्डारण के लिए ₹ 1.50 करोड़⁹¹ का आवेदन शुल्क देय था। इस प्रकार, ₹ 1.49 करोड़⁹² आवेदन शुल्क भण्डारकर्ता पर आरोपणीय था।

स) इसी प्रकार, पौड़ी गढ़वाल के एक भण्डारकर्ता को 11.02.2016 को 3,00,000 घनमीटर उपखनिजों के भण्डारण की अनुमति दी गई थी। उपरोक्त नियम 8 (2) (2) के अनुसार 3,00,000 घनमीटर खनिजों के भण्डारण के लिए ₹ 1.50 करोड़⁹³ का आवेदन शुल्क देय था। जबकि आवेदक द्वारा मात्र ₹ 1.00 लाख जमा (10 सितम्बर 2019) किए गये थे। अतः भण्डारकर्ता पर ₹ 1.49 करोड़⁹⁴ आवेदन शुल्क आरोपणीय था।

इस प्रकार नियमानुसार विभाग को, उपरोक्त तीन प्रकरणों में, खनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन शुल्क जमा न करने के कारण ₹ 3.17 करोड़⁹⁵ की राजस्व क्षति हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर जि ख अ, हरिद्वार द्वारा अवगत (जून 2017) कराया गया कि प्रकरण उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर तथा उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर उचित कार्यवाही की जायेगी। जि ख अ, पौड़ी गढ़वाल द्वारा उत्तर (जनवरी 2018) दिया गया कि संबन्धित भण्डारण संचालक को नोटिस प्रेषित कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

⁸⁸ हरिद्वार में 64 नमूना जाँच किये गए भण्डारकर्ताओं में से दो भण्डारकर्ता।

⁸⁹ पौड़ी गढ़वाल में 16 नमूना जाँच किये गए भण्डारकर्ताओं में से एक भण्डारकर्ता।

⁹⁰ 32,000 घनमीटर x ₹ 60,000/1,000 घनमीटर = ₹ 19, 20,000 (₹ 0.19 करोड़)।

⁹¹ 2, 50,000 घनमीटर x ₹ 60,000/1,000 घनमीटर = ₹ 1, 50, 00,000 (₹ 1.50 करोड़)।

⁹² ₹ (1,50,00,000-1,20,000) = ₹ 1,48,80,000 (₹ 1.49 करोड़)।

⁹³ 3,00,000 घनमीटर x ₹ 50,000/1,000 घनमीटर = ₹ 1,50,00,000 (₹ 1.50 करोड़)।

⁹⁴ ₹ 1,50,00,000 - ₹ 1,00,000= ₹ 1,49,00,000 (₹ 1.49 करोड़)।

⁹⁵ ₹ (0.19 + 1.49 + 1.49) करोड़।

2.8 खनन प्राप्ति की वसूली न किया जाना

स्टोन क्रशर मालिकों से ₹ 1.21 करोड़ के विनियमितीकरण शुल्क और ₹ 0.65 करोड़ के वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली न किए जाने के परिणामस्वरूप शासन को ₹ 1.86 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से, अवैध खनन को रोकना, राज्य के लोगों को प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना और क्रशर इकाइयों के सुचारु संचालन के लिए, पहले से स्थापित / संचालित एवं भविष्य में स्थापित होने वाले प्लांट / क्रशर की लाइसेंस नीति, 2015 को समाप्त कर राज्य सरकार ने (नवंबर 2016) लाइसेंस नीति, 2016⁹⁶ जारी की। उपरोक्त नीति के अध्याय-I के धारा-9 के अनुसार पूर्व से स्थापित / संचालित क्रशर स्वामियों को इस नीति की घोषणा के 15 दिन के भीतर अपने प्लांट की क्षमता (टन / घण्टा के अनुसार) घोषित किया जाना था। शासन द्वारा जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर प्लांट का (प्लांट की घोषित क्षमता के अनुसार) विनियमितीकरण किया जाना था। पुनः आवेदन शुल्क⁹⁷ (जैसा कि नीति के अध्याय-II में दिया गया है) की राशि में से प्लान्ट स्वामी द्वारा जमा कराये गए आवेदन पत्र शुल्क को घटाये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि जमा कराया जाना था। इसके अलावा, नीति के अध्याय-III के धारा-1 के अनुसार, निर्धारित आवेदन शुल्क का 25 प्रतिशत स्टोनक्रशर प्लांट के मालिक को वार्षिक नवीकरण शुल्क के रूप में जमा करना था।

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा 13 जिला खान अधिकारियों (जि ख अ) के 245 स्टोनक्रशर इकाइयों में से 171 स्टोनक्रशर इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। चार जिला खनन अधिकारियों⁹⁸ (जि ख अ) के अभिलेखों (जून 2017 और मार्च 2018 के मध्य) की जाँच में पाया गया कि उपरोक्त नीति के अध्याय-I के खंड-9 के अनुसार, विभाग द्वारा 26 स्टोनक्रशर के मालिकों⁹⁹ से ₹ 1.21 करोड़ के विनियमितीकरण शुल्क को क्रशर/ प्लांटों के विनियमितीकरण के लिए एकत्रित नहीं किया गया, जो नीति के प्रभावी दिनांक (19 नवंबर, 2016) से पूर्व स्थापित / संचालित थे और इसके बाद में भी संचालित थे (जैसा कि परिशिष्ट-2.8.1 में वर्णित है)। आगे, नीति के अध्याय III के धारा-1 अनुसार 26 स्टोनक्रशर के मालिकों द्वारा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹ 0.65 करोड़ जमा नहीं किया गया (जैसा कि परिशिष्ट-2.8.1 में वर्णित है)।

⁹⁶ कार्यालय जापन संख्या 1758/VII-1/16/68-रिट/08, देहरादून, दिनांक 19.11.2016।

⁹⁷ नीति के अध्याय-II के अनुसार **मैदानी क्षेत्र** हेतु स्टोनक्रशर के लिए आवेदन शुल्क ₹10.00 लाख (क्षमता 100 टन/घण्टा तक) एवं ₹ 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घंटे अथवा उसके भाग के लिए) एवं **पर्वतीय क्षेत्र** हेतु स्टोनक्रशर के लिए आवेदन शुल्क ₹ 5.00 लाख (क्षमता 100 टन/घण्टा तक) एवं ₹ 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घंटे अथवा उसके भाग के लिए) निर्धारित था।

⁹⁸ हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी (नेनीताल) और पौड़ी गढ़वाल।

⁹⁹ जि ख अ, हरिद्वार-22 (नमूना जाँच किए गए 64 स्टोनक्रशरों में से); जि ख अ, देहरादून-01 (नमूना जाँच किए गए केवल एक स्टोनक्रशर); जि ख अ, हल्द्वानी-02 (नमूना जाँच किए गए 25 स्टोनक्रशरों में से) एवं जि ख अ, पौड़ी गढ़वाल-01 (नमूना जाँच किए गए दो स्टोनक्रशरों में से)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जि ख अ, देहरादून और हल्द्वानी द्वारा (फरवरी 2019) तीन स्टोनक्रशर मालिकों से ₹ 12.25 लाख के विनियमितीकरण शुल्क के साथ-साथ से ₹ 6.75 लाख के वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की वसूली की गयी थी **{(परिशिष्ट-2.8.1 के क्रम संख्या (ब) और (स))}**। जि ख अ पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार के मामले में, विनियमितीकरण शुल्क के साथ-साथ 23 मालिकों से वार्षिक नवीनीकरण शुल्क अभी भी लंबित (फरवरी 2019) था।

इसलिए स्टोनक्रशर मालिकों से ₹ 1.67 करोड़¹⁰⁰ राजस्व की प्राप्ति नहीं किए जाने से राज्य सरकार को राजस्व क्षति हुई।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

2.9 रॉयल्टी की त्रुटिपूर्ण गणना

विभाग द्वारा रॉयल्टी की गणना गलत दर से किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 32.74 लाख की रॉयल्टी का कम वसूल किया जाना।

26 फरवरी 2016 से प्रभावी उत्तराखण्ड उप खनिज (रियायत) (संशोधन) नियम, 2016¹⁰¹ के अनुसार उप खनिज के लिए ₹ 194.50 प्रति घनमीटर की रॉयल्टी दर निर्धारित किया गया है, जैसे कि नदी के तल से उपलब्ध रेत, बजरी और बोल्टर एवं नदी तल के अलावा अन्य स्थान से प्राप्त साधारण मिट्टी की रायल्टी ₹ 50.00 प्रति टन थी। 19 मई 2016 से हरिद्वार और अन्य स्थानों के लिए साधारण रेत, बजरी और बोल्टर या उपरोक्त में से कोई भी नदी के तल में उपलब्ध मिश्रित स्थिति में रायल्टी दर¹⁰² को ₹ 154 प्रति घनमीटर निर्धारित किया गया था।

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा 13 जिला खान अधिकारियों (जि ख अ) के 350 पट्टाधारकों में से 245 पट्टाधारकों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। जिला खनन अधिकारी¹⁰³ (जि ख अ) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जिला खनन अधिकारियों द्वारा छः प्रकरणों में रायल्टी की गणना त्रुटिपूर्ण की गयी थी, जिसका विवरण निम्नवत है:-

अ) जि ख अ, देहरादून में, तीन अनुज्ञापनों¹⁰⁴ के प्रकरणों में साधारण मिट्टी के खनन के लिए अप्रैल से मई 2016 तक अनुज्ञापन प्रदान किए गए थे, जि ख अ द्वारा रॉयल्टी की गणना ₹ 8 प्रति घनमीटर¹⁰⁵ की दर की गई थी, जबकि रॉयल्टी की गणना ₹ 50 प्रति टन¹⁰⁶ के अनुसार की जानी थी।

¹⁰⁰ ₹ 108.25 लाख (विनियमितीकरण शुल्क: ₹ 120.50 - ₹ 12.25) + ₹ 58.25 (नवीनीकरण शुल्क: ₹ 65.00 - ₹ 6.75) = ₹ 166.50 लाख।

¹⁰¹ अधिसूचना सं. 211/VII-1/24-ख/2007 दिनांक 26.02.2016।

¹⁰² अधिसूचना सं. 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016।

¹⁰³ जिला खनन अधिकारी, नैनीताल एवं जिला खनन अधिकारी, देहरादून।

¹⁰⁴ देहरादून में नमूना जाँच किये गए 55 पट्टाधारकों में से।

¹⁰⁵ यह दर दिनांक 7 अगस्त 2015 को जारी अधिसूचना के पूर्व लागू थी।

¹⁰⁶ यह दर दिनांक 7 अगस्त 2015 को जारी अधिसूचना में ₹ 8 प्रति घनमीटर के स्थान पर प्रतिस्थापित की गई थी।

जि ख अ द्वारा प्राप्त रॉयल्टी राशि के अनुसार, इन पट्टाधारकों द्वारा रॉयल्टी के रूप में ₹ 1.94 लाख जमा किया गया था। जि ख अ को साधारण मिट्टी के लिए लागू दर ₹ 50.00 प्रति टन के अनुसार ₹ 26.69 लाख की रॉयल्टी की गणना करनी चाहिए थी। साधारण मिट्टी के लिए रॉयल्टी की त्रुटिपूर्ण गणना के परिणामस्वरूप ₹ 24.75 लाख की रॉयल्टी कम आरोपित की गयी थी। जिसका परिशिष्ट-2.9.1 में विवरण है।

ब) इसी प्रकार जि ख अ नैनीताल में, तीन अनुज्ञापनों¹⁰⁷ के प्रकरण में, जिनमें सितम्बर 2016 और नवम्बर 2016 के दौरान नदी तल से भिन्न स्थानों से उपखनिजों¹⁰⁸ के लिए अनुज्ञापन प्रदान किए गए थे, जि ख अ द्वारा उपखनिजों की रॉयल्टी की गणना ₹ 154 प्रति घनमीटर¹⁰⁹ की दर से की गई, जबकि इसकी गणना ₹ 194.50 प्रति घनमीटर की दर से की जानी थी। रॉयल्टी की त्रुटिपूर्ण गणना के परिणामस्वरूप ₹ 7.99 लाख की रॉयल्टी कम आरोपित की गयी थी, जिसका परिशिष्ट-2.9.1 में विवरण है।

इसे इंगित किए जाने पर, जि ख अ, नैनीताल ने बताया (नवंबर 2017) कि रॉयल्टी अधिसूचना (19 मई 2016) के अनुसार रॉयल्टी ₹ 154 प्रति घनमीटर की दर से आरोपित एवं वसूली की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नदी के तल में उपलब्ध उप खनिज के लिए उक्त दर लागू थी, जबकि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामले नदी तल के अलावा अन्य स्थानों से खनन किए गए उप खनिजों से सम्बन्धित थे। इसलिए, रॉयल्टी को ₹ 194.50 प्रति घनमीटर की दर से आरोपित किया जाना था। जि ख अ, देहरादून द्वारा उत्तर दिया गया (मार्च 2018) कि मामले की जाँच करने बाद पट्टाधारकों को नोटिस जारी करके वसूली की जाएगी। विभाग द्वारा रॉयल्टी की त्रुटिपूर्ण गणना किए जाने के परिणामस्वरूप रॉयल्टी ₹ 32.74 लाख¹¹⁰ कम आरोपित किया गया।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

2.10 शुल्क का अनारोपण

पट्टों पर रिवर ट्रेनिंग, विकास शुल्क और क्षतिपूर्ति शुल्क के अनारोपण से जिला खनिज फाउण्डेशन में ₹ 59.68 लाख की धनराशि कम जमा हुई जिसका उपयोग खनन से सम्बन्धित कार्यों से प्रभावित लोगों/क्षेत्रों के लाभ के लिए किया जाना था।

विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31-07-2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड उप-खनिज (बालू, बजरी, बोल्टर, ईट आदि) नीति, 2015 के धारा 3(3) के अनुसार निजी पट्टाधारकों द्वारा रिवर ट्रेनिंग¹¹¹ रॉयल्टी एवं विकास शुल्क रॉयल्टी का क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से देय था।

¹⁰⁷ हल्द्वानी, नैनीताल में जाँच किये 19 भण्डारकर्ताओं में से।

¹⁰⁸ बालू, बजरी और बोल्टर।

¹⁰⁹ यह दर नदी तल में उपलब्ध उपखनिजों के लिए लागू थी तथा यह नदी तल से भिन्न स्थानों पर उपलब्ध खनिजों के लिए लागू नहीं थी।

¹¹⁰ ₹ (24.75+7.99) लाख।

¹¹¹ रिवर ट्रेनिंग उन संरचनात्मक उपायों को संदर्भित करता है जो एक नदी और उसके किनारों को बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं।

इसके अलावा, कार्यालय जाप दिनांक 10.10.2016 के अनुसार, रिवर ट्रेनिंग और विकास शुल्क के अलावा, निजी पट्टाधारकों पर रॉयल्टी का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क भी लागू था। पुनः उक्त नीति की धारा 8 (3) (2) के अनुसार, खनन से सम्बन्धित कार्यों से प्रभावित लोगों / क्षेत्रों के लाभ के कार्यों पर उपयोग के लिए उपरोक्त शुल्क जिला खनिज फाउण्डेशन (जि ख फा) में जमा करना आवश्यक था।

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा 13 जिला खान अधिकारियों (जि ख अ) के 350 पट्टाधारकों में से 245 पट्टाधारकों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई। जि ख अ, उत्तरकाशी और देहरादून के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया (दिसम्बर 2017 एवं मार्च 2018 क्रमशः) कि जनवरी 2015 और अक्टूबर 2016 के मध्य आठ निजी पट्टाधारकों¹¹² के साथ निष्पादित पट्टे पर रॉयल्टी की गणना के समय यह शुल्क¹¹³ आरोपित नहीं किये गये थे और ना ही संबंधित पट्टाधारकों¹¹⁴ द्वारा यह शुल्क जमा किये गये थे। निजी पट्टाधारकों से विकास और क्षतिपूर्ति शुल्क का अनारोपण / जमा नहीं किए जाने के परिणाम स्वरूप जि ख फा में ₹ 59.68 लाख की हानि हुई, जैसा कि **परिशिष्ट-2.10.1** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर जि ख अ, उत्तरकाशी द्वारा बताया गया कि पट्टा विलेख के निष्पादन के समय रिवर ट्रेनिंग और विकास शुल्क का कोई प्रावधान नहीं था। जि ख अ, उत्तरकाशी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपर्युक्त शुल्क उन पट्टाधारकों पर भी लागू थे, जिनके पट्टे उपरोक्त जापन के जारी होने से पहले निष्पादित किए गए थे, जैसा कि उद्योग निदेशालय द्वारा जून 2018 में स्पष्ट किया गया था। जि ख अ, देहरादून द्वारा (मई 2018) निजी पट्टा धारकों को बिना किसी देरी के अपेक्षित राशि जमा करने के निर्देश दे दिये गए थे।

रिवर ट्रेनिंग, विकास शुल्क और क्षतिपूर्ति शुल्क के अनारोपण के परिणाम स्वरूप जि ख फा में ₹ 59.68 लाख की हानि हुई।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2018); उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

इंगित प्रकरण लेखापरीक्षा द्वारा संपादित जाँच पर आधारित हैं। विभाग इसी प्रकार के प्रकरणों की जाँच और आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर सकता है।

¹¹² रिवर ट्रेनिंग शुल्क, विकास शुल्क और क्षतिपूर्ति शुल्क।

¹¹³ उत्तरकाशी: सात (नमूना जाँच किये गए आठ पट्टाधारकों में से) और देहरादून: एक (नमूना जाँच किये गए 55 पट्टाधारकों में से)।

¹¹⁴ एक मामले में, एक निजी पट्टाधारक ने रिवर ट्रेनिंग शुल्क और विकास शुल्क जमा किया था लेकिन क्षतिपूर्ति शुल्क जमा नहीं किया था।

अध्याय-III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

अध्याय-III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

3.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यविधि

3.1.1 परिचय

सामान्य

3.1.1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के सा क्षे उ जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों को संचालित किये जाने के लिये स्थापित किये जाते हैं तथा यह राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2018 तक, उत्तराखण्ड में 30 सा क्षे उ थे, जिनमें तीन सांविधिक निगम¹ एवं 27 सरकारी कम्पनियाँ (आठ अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ² सहित) जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थीं। इनमें से कोई भी सरकारी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

3.1.1.2 30 सितम्बर 2018 को नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित है। सा क्षे उ की प्रकृति एवं लेखों की स्थिति नीचे दी गई तालिका-3.1.1 में दर्शाई गई है:

तालिका-3.1.1: प्रतिवेदन में सम्मिलित सार्वजनिक उपक्रमों की प्रकृति

सा क्षे उ की प्रकृति	कुल संख्या	सा क्षे उ की संख्या जिनके लेखे रिपोर्टिंग अवधि ³ के दौरान प्राप्त हुए				सा क्षे उ की संख्या जिनके लेखे 30 सितम्बर 2018 को बकाया (बकाया कुल लेखे) थे
		2017-18 तक के लेखे	2016-17 तक के लेखे	2015-16 तक के लेखे	कुल	
कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ ⁴	19 ⁵	3	4	2	9	16 (62)
सांविधिक निगम	3	-	1	-	1	3 (5)
कुल कार्यरत सा क्षे उ	22	3	5	2	10	19 (67)
अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ	8	-	-	-	-	8 (211)
कुल	30	3	5	2	10	27 (278)

¹ उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, एवं उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

² अकार्यरत सा क्षे उ का मतलब एक ऐसी कम्पनी है जो किसी भी व्यवसाय या कार्य को नहीं कर रही है, या उसने कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन नहीं किया है, या पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

³ अक्टूबर 2017 से सितम्बर 2018 तक।

⁴ सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) एवं 139 (7) में संदर्भित अन्य कम्पनियाँ सम्मिलित हैं।

⁵ इसमें चार नये सा क्षे उ नामतः देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उत्तराखण्ड इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड सम्मिलित हैं, जिनको राज्य सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था और उनके पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे। इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के पहले लेखे आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 30 सितम्बर 2018 को अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 8,770.99 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2017-18 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के 4.03 प्रतिशत के बराबर था (₹ 2,17,609 करोड़)। कार्यरत साक्षे उ ने अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार ₹ 238.89 करोड़ की हानि वहन की। मार्च 2018 तक राज्य के साक्षे उ ने लगभग 20,000 कर्मचारियों को नियुक्त किया था।

आठ साक्षे उ⁶, पूँजी (₹ 3.36 करोड़) एवं दीर्घकालिक ऋण (₹ 23.88 करोड़) के सापेक्ष ₹ 27.24 करोड़ निवेश के साथ गत 2 से 18 वर्षों की अवधि से अकार्यरत हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं करता है।

3.1.1.3 जवाबदेही संरचना

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 एवं 143 में वर्णित हैं। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें एक कम्पनी, जो ऐसी सरकारी कम्पनी की एक सहायक कम्पनी हो, भी सम्मिलित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति करते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी में नि म ले प द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के एक सौ अस्सी दिनों के अंदर की जानी चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में नि म ले प द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कम्पनी के पंजीकरण की दिनांक से साठ दिनों के अंदर की जानी चाहिए एवं यदि नि म ले प द्वारा उल्लेखित अवधि में इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो कम्पनी के निदेशक मण्डल अथवा कम्पनी के सदस्यों द्वारा इस प्रकार के लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाती है।

⁶ यू पी ए आई, ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाँ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी), उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाँ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी), कुम्हान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक), उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक), उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक), गढ़वाल अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक), कुमाँ अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)। इसके अलावा, चार साक्षे उ मुख्यतः गढ़वाल अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, कुमाँ अनुसुचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, ट्रांसकेबल्स लिमिटेड और उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड, जो 2016-17 तक कार्यरत थीं, वर्ष 2017-18 में अब चार अकार्यरत साक्षे उ को उसमें सम्मिलित किया गया है। इन साक्षे उ में कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं हुई हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) या (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कम्पनी के मामले में भारत के नि म ले प, यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी के लेखों की नमूना जाँच करवा सकते हैं तथा नमूना जाँच के प्रतिवेदन पर नि म ले प (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी अथवा केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कम्पनी नि म ले प द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। किसी कम्पनी के 31 मार्च 2014 को अथवा उससे पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों से सम्बन्धित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती रहेगी।

3.1.1.4 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार नि म ले प द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत कम्पनी के वित्तीय विवरणों एवं अन्य दस्तावेजों के सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति नि म ले प को प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों की अवधि में नि म ले प द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके सम्बन्धित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, नि म ले प उत्तराखण्ड परिवहन निगम और उत्तराखण्ड वन विकास निगम के लिए एक मात्र लेखापरीक्षक है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के संबन्ध में नि म ले प को इसकी लेखापरीक्षा नि म ले प (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत 2018-19 तक सौंपी गयी है।

3.1.1.5 सा क्षे 3 द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

(अ) समय पर अंतिम रूप देने एवं प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कामकाज एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है एवं इस तरह की तैयारी के बाद जितना जल्दी हो सके नि म ले प द्वारा तैयार की गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन या उस पर कोई टिप्पणी के साथ सदन या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में रखेगा। सांविधिक निगमों को विनियमित करने के लिये संबन्धित अधिनियमों में भी लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित

निधि से कम्पनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की ए जी एम करानी होती है। यह भी कहा गया है कि एक ए जी एम की दिनांक से अगली दिनांक के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त ए जी एम के समक्ष उनके विचार करने के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना एवं कारावास की तरह दण्डारोपण किये जाने का प्रावधान है।

(ब) सरकार एवं विधानसभा की भूमिका

राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन सा क्षे उ के मामलों पर नियंत्रण रखती है। बोर्ड के मुख्य कार्यकारी एवं निदेशकों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

राज्य विधानसभा, सा क्षे उ में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग की निगरानी करता है। इसके लिए, राज्य सरकार की कम्पनियों के संबन्ध में, सांविधिक लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन एवं नि म ले प की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन एवं सांविधिक निगमों के मामले में, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, अधिनियम 2013 की धारा 394 के अंतर्गत राज्य विधानसभा के सामने रखी जाती हैं या जैसा कि सम्बन्धित अधिनियमों में निर्धारित किया गया हो। नि म ले प का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नि म ले प (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

3.1.1.6 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

उत्तराखण्ड सरकार (जी ओ यू) की सा क्षे उ में वित्तीय भागीदारी के मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं:

- **शेयर पूँजी एवं ऋण** - शेयर पूँजी योगदान के अतिरिक्त, जी ओ यू समय-समय पर सा क्षे उ को ऋणों के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता** - जी ओ यू आवश्यकता के अनुसार सा क्षे उ को अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **गारंटी** - जी ओ यू वित्तीय संस्थानों से सा क्षे उ द्वारा लिये गये ऋण की ब्याज के साथ पुर्नभुगतान की गारंटी भी देती है।

3.1.1.7 31 मार्च 2018 को सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे तालिका-3.1.2 में दिया गया है:


तालिका-3.1.2: सा क्षेत्र 3 में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगम		कुल	निवेश ⁷ (₹ करोड़ में)		
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	अकार्यरत		इक्विटी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
ऊर्जा	4	--	--	--	4	2,947.78	3,361.23	6,309.01
वित्त	1	2	--	--	3	23.43	1.21	24.64
सेवा	3	--	1	--	4	258.71	122.80	381.51
ढाँचागत	4	--	1	--	5	3,084.24	276.61	3,360.85
अन्य	7	6	1	--	14	48.50	303.09	351.59
योग	19	8	3		30	6,362.66	4,064.94	10,427.60

स्रोत: सा क्षेत्र 3 से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलन।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान सा क्षेत्र 3 निवेश का जोर मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र पर था। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹ 10,427.60 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र को ₹ 6,309.01 करोड़ (60.50 प्रतिशत) का शासकीय निवेश प्राप्त हुआ।

3.1.1.8 31 मार्च 2014 एवं 31 मार्च 2018 के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश नीचे दिए गए चार्ट-3.1.1 में दर्शाया गया है:



ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रतिवेदन में चार ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षेत्र 3 के लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तर 3.2 में एवं 26 सा क्षेत्र 3 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के प्रस्तर 3.3 में प्रस्तुत कर रहे हैं।

⁷ निवेश में इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण सम्मिलित हैं।

भाग-1 (ऊर्जा क्षेत्र)

3.2 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

3.2.1 परिचय

3.2.1.1 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। ऊर्जा क्षेत्र के साक्षे उ के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में साक्षे उ की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि के लिए इन उपक्रमों के टर्नओवर एवं उत्तराखण्ड की जी एस डी पी का विवरण निम्न तालिका-3.2.1 में दिया गया है:

तालिका-3.2.1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं उत्तराखण्ड के जी एस डी पी का विवरण

(₹ करोड़ में)					
विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	3,968.35	4,421.60	5,745.16	5,883.21	6,780.91
उत्तराखण्ड की जी एस डी पी	1,49,074	1,61,439	1,75,772	1,95,606	2,17,609
टर्नओवर का उत्तराखण्ड के जी एस डी पी से प्रतिशतता	2.66	2.74	3.27	3.01	3.12

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के साक्षे उ के टर्नओवर के आँकड़ों एवं जी एस डी पी के आँकड़ों का उत्तराखण्ड सरकार के 2017-18 के वित्तीय लेखों के आधार पर संकलन।

इन उपक्रमों के टर्नओवर में गत वर्षों के सापेक्ष निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि में टर्नओवर में वृद्धि 2.40 प्रतिशत एवं 29.93 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में उत्तराखण्ड की जी एस डी पी में वृद्धि 8.29 प्रतिशत एवं 11.28 प्रतिशत के मध्य रही। जी एस डी पी की पिछले पाँच वर्षों के दौरान वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर 10.58 प्रतिशत रही। वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी विधि है। जी एस डी पी के 10.58 प्रतिशत की वार्षिक मिश्रित वृद्धि के सापेक्ष इन उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान 15.76 प्रतिशत की उच्च मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। जिस कारण जी एस डी पी में इन उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी वर्ष 2013-14 में 2.66 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 3.12 प्रतिशत हो गई।

3.2.1.2 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड 14 जनवरी 2000 को अविभाजित उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के पारेषण और वितरण के टर्नओवर के लिए तीन अलग-अलग संस्थाओं में विभाजित हुआ था। उत्तरांचल राज्य के गठन (09 नवम्बर 2000) के परिणामस्वरूप, उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) राज्य में ऊर्जा के पारेषण और वितरण के कार्यों को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन

लिमिटेड (यू पी पी सी एल) की उत्तराधिकारी इकाई के रूप में सामने आया। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तरांचल सरकार के बीच हस्ताक्षरित एम ओ यू (13 मार्च 2001) द्वारा, व्यापार को यू पी सी एल को स्थानांतरित (01 अप्रैल 2001) कर दिया गया था।

ऊर्जा मंत्रालय (एम ओ पी), भारत सरकार (जी ओ आई) ने अपने आदेश (05 नवम्बर 2001) द्वारा संपत्ति और देनदारियों के विभाजन की कार्यप्रणाली की अधिसूचना को जारी किया जो 09 नवम्बर 2001 से प्रभावी हुई। इस योजना के अनुसार, अविभाजित ऊर्जा कम्पनियों की सभी स्थाई संपत्तियाँ जो उत्तरांचल में थीं, उनको यू पी सी एल और उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू जे वी एन एल) को जैसी भी स्थिति हो, हस्तांतरित किया जाना था। क्षेत्रीय इकाइयों की चल संपत्ति और भंडार को स्थान के आधार पर हस्तांतरित किया जाना था। अविभाजित ऊर्जा कम्पनियों की परियोजना / परिसंपत्तियाँ की विशिष्ट देनदारियों को उत्तराधिकारी कम्पनियों को हस्तांतरित किया जाना था जहाँ इस तरह की परियोजना / परिसंपत्तियाँ भी हस्तांतरित की गई थीं। वो देनदारियों जो किसी भी परियोजना / परिसंपत्तियों को सौंपी नहीं जा सकती थीं, उन्हें यू पी पी सी एल और यू पी सी एल के बीच और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड और यू जे वी एन एल के बीच ऊर्जा की खपत के अनुपात में बाँटा जाना था। तथापि, अंतिम हस्तांतरण योजना को, शेष परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण हेतु अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। [प्राधिकार: यू जे वी एन एल के वर्ष 2017-18 के लेखे में की गई टिप्पणी संख्या 42(1)]।

उत्तराखण्ड में, ऊर्जा का उत्पादन यू जे वी एन एल (12 फरवरी 2001 को गठित) द्वारा किया जाता है, तथा पारेषण और वितरण का व्यवसाय उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) द्वारा किया जाता है, जिसे 12 फरवरी 2001 को गठित किया गया था। 27 मई 2004 को राज्य में 132 के वी तथा उससे ऊपर की पारेषण लाइनें और सबस्टेशन के रख रखाव और संचालित करने के लिए पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) का गठन किया गया था। 16 जनवरी 2017 को निगमित किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक नई कंपनी है। इसने 31 मार्च 2018 तक व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत नहीं की थी।

3.2.1.3 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ के विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण के कोई प्रकरण नहीं थे।

3.2.1.4 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2018 को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश⁸ का गतिविधि-वार सारांश नीचे तालिका-3.2.2 में दिया गया है:

⁸ निवेश में जी ओ यू द्वारा प्रदत्त इक्विटी पूँजी और दीर्घावधि ऋण सम्मिलित हैं।

तालिका-3.2.2: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधिवार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)			
		इक्विटी	दीर्घावधि ऋण		कुल
			जी ओ यू	अन्य	
ऊर्जा का उत्पादन	2	1,167.87	265.80	1,105.09	2,538.76
ऊर्जा का पारेषण	1	473.88	17.22	537.70	1,028.80
ऊर्जा का वितरण	1	1,306.03	33.28	1,402.14	2,741.45
कुल	4	2,947.78	316.30	3,044.93	6,309.01

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के साक्षे उ से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलन।

31 मार्च 2018 तक, 04 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 6,309.01 करोड़ था। निवेश में इक्विटी 46.72 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 53.28 प्रतिशत शामिल थे।

राज्य सरकार द्वारा दिये गये अग्रिम ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 9.41 प्रतिशत (₹ 316.30 करोड़) था जबकि भारत सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया गया ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 90.59 प्रतिशत (₹ 3,044.93 करोड़) था। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार का ₹ 151.13 करोड़ का ऋण (मूल ₹ 77.82 करोड़ और उस पर ब्याज ₹ 73.31 करोड़) उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना⁹ (उदय) के अंतर्गत राज्य डिस्कॉम की इक्विटी में परिवर्तित करने का निर्णय लिया (मार्च 2016)। तथापि, वित्त विभाग ने ऋण को इक्विटी में अभी तक परिवर्तित नहीं किया (मई 2019)।

3.2.1.5 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

उत्तराखण्ड सरकार (जी ओ यू) वार्षिक बजट के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र के साक्षे उ को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों का, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के संबन्ध में वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के रूप में बजटीय बहिर्गमन के विवरण का सारांश निम्न तालिका-3.2.3 में दिया गया है:

तालिका-3.2.3: वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता के बारे में विवरण

(₹ करोड़ में)


विवरण ¹⁰	2015-16		2016-17		2017-18	
	साक्षे उ की संख्या	राशि	साक्षे उ की संख्या	राशि	साक्षे उ की संख्या	राशि
इक्विटी पूँजी (i)	3	57.36	4	130.01	3	53.00
दिये गये ऋण(ii)	1	6.71	3	129.27	2	35.49
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	1	17.88	1	46.40	1	14.96
कुल बहिर्गमन (i+ii+iii)	-	81.95	-	305.68	-	103.45
अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन	1	77.82	-	-	-	-
निर्गमित गारंटियाँ	3	506.88	-	-	1	358.31
गारंटी प्रतिबद्धता	3	830.97	2	988.83	2	894.75

स्रोत: साक्षे उ से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलन।

⁹ डिस्कॉम के वित्तीय और परिचालन बदलाव के लिए ऊर्जा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना।

¹⁰ यह राशि केवल राज्य के बजट से बहिर्गमन को दर्शाती है।

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों के लिए इक्विटी ऋण एवं अनुदान / सब्सिडी में बजटीय बहिर्गमन का विवरण निम्न चार्ट-3.2.1 में दिया गया है:



वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, इन सार्वजनिक उपक्रमों को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 385.03 करोड़ एवं 81.95 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त ₹ 103.45 करोड़ की बजटीय सहायता में इक्विटी, ऋण एवं अनुदान के रूप में क्रमशः ₹ 53.00 करोड़, ₹ 35.49 करोड़ एवं ₹ 14.96 करोड़ सम्मिलित थीं। यू जे वी एन एल को बाँध पुनर्वास एवं सुधार योजना के लिए ₹ 14.96 करोड़ का अनुदान दिया गया। ऊर्जा मंत्रालय (एम ओ पी) भारत सरकार ने राज्य स्वामित्व ऊर्जा वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिये उदय योजना प्रारम्भ की (20 नवम्बर 2015)। उदय योजना के प्रावधानों एवं एक डिस्कॉम के द्वारा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की चर्चा इस अध्याय के **प्रस्तर 3.2.1.21** के अंतर्गत की गई है। यू पी सी एल का ऋण ₹ 671.50 करोड़ (₹ 73.71 करोड़ ब्याज सहित) बकाया था। राज्य सरकार ने उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम का कोई ऋण अधिग्रहित नहीं किया। तथापि, 2015-16 के दौरान उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड¹¹ द्वारा उदय योजना के अंतर्गत ₹ 151.13 करोड़ की ऋण राशि (ब्याज सहित) को इक्विटी में परिवर्तित किया गया था। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कोई भी आदेश जारी नहीं किया है (मई 2019)।

सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा बैंक और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य सरकार गारंटी प्रदान करती है तथा प्रति वर्ष एक *प्रतिशत* की गारंटी शुल्क लेती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया (सितम्बर 2000) कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को दी गई गारंटी पर एक *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से गारंटी शुल्क वसूल किया जाए और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इसे अपनाया गया था। 31 मार्च 2016 तक गारंटी प्रतिबद्धता बकाया राशि ₹ 830.97 करोड़ (तीन सा क्षे 3) थी, जो 31 मार्च 2018 तक बढ़कर ₹ 894.75 करोड़ (दो सा क्षे 3) हो गई। 2017-18 के दौरान एक सा क्षे 3 नामतः उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने ₹ 4.23 करोड़ की गारंटी शुल्क का भुगतान किया। यू पी सी एल का ₹ 5.36 करोड़ गारंटी शुल्क देय के रूप में बकाया था।

¹¹ 24 जून 2016 को आयोजित निदेशक मण्डल की बैठक में रूपांतरण को मंजूरी दी गई जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख सचिव (ऊर्जा) और सचिव (वित्त) के प्रतिनिधि मौजूद थे।

3.2.1.6 उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

इक्विटी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के संबन्ध में राज्य सा क्षे उ के अभिलेखों के आँकड़े जी ओ यू के वित्त लेखों में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि उक्त आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बन्धित सा क्षे उ एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 को इक्विटी, ऋण और गारंटी के आँकड़ों में अंतर की स्थिति नीचे तालिका-3.2.4 में दर्शाई गई है:

तालिका-3.2.4: वित्त लेखों एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण और गारंटी
(₹ करोड़ में)

के संबन्ध में बकाया	वित्त लेखों के अनुसार	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार	अंतर
इक्विटी	2942.80	2947.78	4.98
ऋण	217.35	316.30	98.95
गारंटी	917.79	894.75	23.04

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र (सा क्षे उ) से प्राप्त सूचना एवं वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलन।

आँकड़ों में अंतर गत कई वर्षों से बना है। अंतरों के समाधान हेतु इस मुद्दे को सा क्षे उ/विभागों के मध्य समय-समय पर उठाया गया। हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार और सा क्षे उ को अंतरों का समयबद्ध समाधान करना चाहिए।

3.2.1.7 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

31 मार्च 2018 तक नि म ले प के लेखापरीक्षा के अधीन चार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम¹² थे। वर्ष 2017-18 के लिए तीन कार्यशील सा क्षे उ¹³ द्वारा 30 सितम्बर 2018 तक सांविधिक आवश्यकता के अनुसार लेखे प्रस्तुत किए गए थे। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे तालिका-3.2.5 में दिया गया है:

तालिका-3.2.5: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को प्रस्तुत करने की स्थिति

क्र सं	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	सा क्षे उ की संख्या	3	3	3	3	4
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखों की संख्या	4	3	3	3	3
3.	सा क्षे उ की संख्या जिनके चालू वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दिया गया	3	4	3	3	3
4.	पिछले वर्ष के लेखों की संख्या जिनके लेखों को चालू वर्ष में अंतिम रूप दिया गया	4	2	2	-	-
5.	सा क्षे उ की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	2	2	-	-	1
6.	बकाया लेखों की संख्या	2	2	-	-	1
7.	बकाया की सीमा	एक वर्ष	एक वर्ष	-	-	एक वर्ष

स्रोत: अक्टूबर 2017 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान कार्यरत सा क्षे उ के प्राप्त लेखों के आधार पर संकलन किया गया।

¹² उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और किशाऊ निगम लिमिटेड।

¹³ उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड और उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 31 मार्च 2018 तक व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत नहीं की थी।

ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षेत्र 3 की कम्पनियाँ पिछले तीन वर्षों से अपने वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने में तत्पर हैं।


3.2.1.8 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षेत्र 3¹⁴ की वित्तीय स्थिति एवं कार्य के परिणाम 30 सितम्बर 2018 तक उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार **परिशिष्ट-3.2.1** में दिये गये हैं।

सा क्षेत्र 3 को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार और अन्य द्वारा इन सा क्षेत्र 3 में 31 मार्च 2018 को निवेश की राशि ₹ 6,309.00 करोड़ थी जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 2,947.77 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 3,361.23 करोड़ सम्मिलित थे। जिसमें से इन सा क्षेत्र 3 में जी ओ यू का निवेश ₹ 3,264.07 करोड़ था जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 2,947.77 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 316.30 करोड़ थे।

जी ओ यू द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के तीन कार्यशील सा क्षेत्र 3 में 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की वर्षवार स्थिति नीचे **चार्ट-3.2.2** में दी गई है:

चार्ट-3.2.2: जी ओ यू द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश



कम्पनी की लाभप्रदता को पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, इक्विटी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल, एक निर्धारित वर्ष में निवेश की गई राशि से संबन्धित लाभ अथवा हानि की राशि से मापा जाता है एवं कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी उपयोग की गई कार्यरत पूँजी से मापता है एवं इसकी गणना एक


¹⁴ किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 31 मार्च 2018 तक वाणिज्यिक गतिविधियों की शुरुआत नहीं की थी और इसके पहले लेखे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। इक्विटी पर प्रतिफल निष्पादन की माप है, जिसकी गणना करों के पश्चात के शुद्ध लाभ को शेयर धारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है।

3.2.1.9 निवेश पर प्रतिफल

निवेश पर प्रतिफल, कुल निवेश पर लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान तीन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों¹⁵ द्वारा अर्जित/वहन की गई लाभ/हानि¹⁶ की समग्र स्थिति निम्न चार्ट-3.2.3 में प्रदर्शित है:

चार्ट-3.2.3: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित/वहन की गई लाभ/हानि



तीन सा क्षेत्र द्वारा 2016-17 में वहन की गई ₹ 175.02 करोड़ की हानि के सापेक्ष 2017-18 में ₹ 136.60 करोड़ की हानि वहन की गई। इन सा क्षेत्र के वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरणों के अनुसार, दो सा क्षेत्र ने ₹ 92.62 करोड़ का लाभ कमाया और एक सा क्षेत्र ने ₹ 229.22 करोड़ की हानि का वहन किया (परिशिष्ट-3.2.1)। 2017-18 में, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 63.73 करोड़) और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 28.89 करोड़) लाभ कमाने वाले सा क्षेत्र थे, जबकि यू पी सी एल ने ₹ 229.22 करोड़ की हानि वहन की।

2013-14 से 2017-18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षेत्र की स्थिति को, जिनके द्वारा लाभ/हानि अर्जित/वहन की गई, निम्न तालिका-3.2.6 दिया गया है:

तालिका-3.2.6: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षेत्र द्वारा अर्जित/उठाई गई लाभ/हानि की स्थिति

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र में कुल सा क्षेत्र	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सा क्षेत्र की संख्या	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले सा क्षेत्र की संख्या	सा क्षेत्र की संख्या जिनको वर्ष के दौरान सीमांत लाभ/हानि हुई
2013-14	03	03	--	--
2014-15	03	02	01	--
2015-16	03	02	01	--
2016-17	03	02	01	--
2017-18	04 ¹⁷	02	01	--

¹⁵ किशाऊ निगम लिमिटेड को छोड़कर, जिसने 31 मार्च 2018 तक व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू नहीं किया था।

¹⁶ सम्बन्धित वर्षों के दौरान नवीनतम वित्तीय विवरणों के अनुसार आँकड़े हैं।

¹⁷ ऊर्जा क्षेत्र का एक सा क्षेत्र नामतः किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 31 मार्च 2018 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू नहीं की थीं।

(अ) ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

राज्य सरकार ने तीन ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ में इक्विटी, ऋण और अनुदान के रूप में धन का निवेश किया। इन सा क्षे उ की संपूर्ण इक्विटी में राज्य सरकार का योगदान था। जी ओ यू द्वारा इन सा क्षे उ को दिए गए दीर्घकालिक ऋणों में से, ब्याज मुक्त आधार पर कोई ऋण नहीं दिया गया और उदय योजना के अंतर्गत कोई सब्सिडी नहीं दी गई थी।

इन सा क्षे उ से निवेश पर प्रतिफल की गणना जी ओ यू द्वारा इक्विटी और ऋण के रूप में किए गए निवेश पर की गई है। ऋणों के मामले में, केवल ब्याज मुक्त ऋणों को ही निवेश माना जाता है क्योंकि सरकार को ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और इसलिए सरकार द्वारा इक्विटी निवेश की प्रकृति इस हद तक होती है कि जब तक ऋणों को वापस करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता, पुनर्भुगतान के नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान करें। सब्सिडी/अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए गए धन को निवेश के रूप में नहीं गिना जाएगा।

ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ में राज्य सरकार का निवेश केवल इक्विटी पर आधारित है। इन सा क्षे उ की प्रारंभिक इक्विटी में कोई भी संचित हानियाँ सम्मिलित नहीं हैं, जो उनको पुनर्गठन योजना, 2000 के अंतर्गत हस्तांतरित की गई थीं, जैसा कि उपरोक्त प्रस्तर 3.2.1.2 में संदर्भित किया गया है।

31 मार्च 2018 को, इन सा क्षे उ में राज्य सरकार का निवेश ₹ 3,264.07 करोड़ था जिसमें ₹ 2,947.77 करोड़ इक्विटी और ₹ 316.30 करोड़ दीर्घावधि ब्याज असर वाला ऋण था।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल जैसाकि निम्न तालिका-3.2.7 में दिया गया है:

तालिका-3.2.7: ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल

वित्तीय वर्ष	वर्ष के अंत में ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी ¹⁸ के रूप में जी ओ यू द्वारा धन का निवेश (₹ करोड़ में)	वर्ष के लिए कुल आय/ हानियाँ (₹ करोड़ में)	निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
2013-14	2,385.03	339.32	14.23
2014-15	2,556.28	(-)134.66	(-)5.27
2015-16	2,764.77	155.53	5.63
2016-17	2,894.77	(-)175.02	(-)6.05
2017-18	2,947.77	(-)136.60	(-)4.63

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ द्वारा दी गई सूचना।

निवेश पर प्रतिफल अस्थिर था। यू पी सी एल 2014-15 से लगातार हानियाँ वहन कर रहा था जबकि यू जे वी एन एल और पिटकुल की लाभप्रदता का रुझान भी घटते क्रम में था। यू पी सी एल द्वारा वहन की गई हानियों से ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ का कुल निवेश पर समग्र प्रतिफल ऋणात्मक ज़ोन में चला गया।

¹⁸ जी ओ यू द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को कोई ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया गया था।

(ब) निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की तीन कम्पनियों में महत्वपूर्ण निवेश को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से इस निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इसलिए, तीन कम्पनियों में जी ओ यू द्वारा निवेश किए गए धन पर प्रतिफल की गणना ऐतिहासिक लागत के आधार पर करने के अलावा, निवेश पर प्रतिफल की गणना निवेश के वर्तमान मूल्य (पी वी) पर विचार करने के बाद भी की गई है। राज्य सरकार के निवेश के पी वी की गणना, इन कम्पनियों के प्रारम्भ होने से लेकर 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में निवेशित धन के आधार पर की गई है। प्रत्येक वर्ष से 31 मार्च 2018 के अंत तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को वर्तमान मूल्य तक लाने के लिए विगत निवेशों/वर्षवार जी ओ यू द्वारा इन सा क्षे उ में निवेशित धन को सरकारी ऋण पर ब्याज की वर्षवार औसत दर पर मिश्रित किया गया है जिसे सम्बन्धित वर्ष के लिए सरकार की निधि की न्यूनतम लागत माना गया है। इस प्रकार राज्य सरकार के निवेश की पी वी की गणना की गई है जहाँ सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में प्रारम्भ से 31 मार्च 2018 तक धन का निवेश किया गया था। तीनों सा क्षे उ में केवल वर्ष 2013-14 के दौरान निवेश पर प्रतिफल धनात्मक था जबकि दो सा क्षे उ में 2014-15 से 2017-18 के दौरान निवेश पर प्रतिफल धनात्मक था।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी वी) की गणना निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर की गई है।

- ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ में कोई ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया गया है।
- जी ओ यू के निवेश में कोई अनुदान / सब्सिडी नहीं दी गई है।
- उदय स्कीम के अंतर्गत कोई सब्सिडी नहीं दी गई थी।

3.2.1.10 इन कम्पनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2018 तक इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में तीन ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में राज्य सरकार की कम्पनीवार निवेश की स्थिति **परिशिष्ट-3.2.2** में इंगित की गई है। इन कम्पनियों की स्थापना से 31 मार्च 2018 तक तीन ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों¹⁹ से सम्बन्धित राज्य सरकार के निवेश के पी वी की समेकित स्थिति निम्न **तालिका-3.2.8** में दर्शाई गई है:

¹⁹ उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 31 मार्च 2018 तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू नहीं कीं।

तालिका-3.2.8: 2000-01 से 2017-18 तक राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश एवं सरकार की निधि के वर्तमान मूल्य (पी वी) का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशतता में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन की लागत की वसूली हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल आय ²⁰
i	ii	iii	iv	v = iii + iv	vi	vii=ii + v	viii = {vii * (1 + vii)/100}	ix = {vii * vi} / 100	x
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	10.00	0.00	10.00	8.36	10.00	10.84	0.84	-27.62
2002-03	10.84	0.00	0.00	0.00	10.40	10.84	11.97	1.13	-13.80
2003-04	11.97	0.00	0.00	0.00	8.51	11.97	12.99	1.02	-34.73
2004-05	12.99	168.66	0.00	168.66	9.10	181.65	198.18	16.53	-180.75
2005-06	198.18	241.64	0.00	241.64	7.47	439.82	472.67	32.85	-125.29
2006-07	472.67	119.98	0.00	119.98	7.79	592.65	638.82	46.17	-180.25
2007-08	638.82	229.20	0.00	229.20	7.99	868.02	937.37	69.35	-206.65
2008-09	937.37	72.03	0.00	72.03	7.75	1,009.40	1,087.63	78.23	-347.35
2009-10	1,087.63	694.88	0.00	694.88	7.64	1,782.51	1,918.69	136.18	-543.10
2010-11	1,918.69	31.71	0.00	31.71	7.34	1,950.40	2,093.56	143.16	-196.78
2011-12	2,093.56	41.78	0.00	41.78	7.83	2,135.34	2,302.54	167.2	5.33
2012-13	2,302.54	516.35	0.00	516.35	8.50	2,818.89	3,058.50	239.61	8.80
2013-14	3,058.50	258.80	0.00	258.80	7.57	3,317.30	3,568.42	251.12	339.32
2014-15	3,568.42	171.25	0.00	171.25	7.73	3,739.67	4,028.75	289.08	-134.66
2015-16	4,028.75	208.49 ²¹	0.00	208.49	8.19	4,237.24	4,584.27	347.03	155.53
2016-17	4,584.27	130.00	0.00	130.00	8.90	4,714.27	5,133.84	419.57	-175.02
2017-18	5,133.84	53.00	0.00	53.00	8.27	5,186.84	5,615.79	428.95	-136.60
योग		2,947.77	0.00	2,947.77					

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ द्वारा दी गई सूचना।

सा क्षे उ की प्रारंभिक इक्विटी में, पुनर्गठन योजना, 2000 के अंतर्गत उनको हस्तांतरित कोई भी संचित हानियाँ सम्मिलित नहीं गई हैं जैसा कि प्रस्तर 3.2.1.2 में सदर्भित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अंत में ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ में निवेशित धनराशि का अधिशेष वर्ष 2001-02 में ₹ 10 करोड़ (इक्विटी) से बढ़कर वर्ष 2017-2018 में ₹ 2,947.77 करोड़ हो गया था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में (₹ 2,937.77 करोड़) पुनः निवेशित किया गया। राज्य सरकार द्वारा निवेश की पी वी 31 मार्च 2018 को ₹ 5,615.79 करोड़ आगणित की गई।

वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक की कुल आय को दो सा क्षे उ नामतः यू पी सी एल और यू जे वी एन एल के संबन्ध में वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ / हानि) दर्शाया गया और 2004-05 के बाद से उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहित सभी तीनों सा क्षे उ के संबन्ध में शुद्ध आय

²⁰ वर्ष के लिए कुल आय, उन तीन सा क्षे उ (ऊर्जा क्षेत्र) के संबन्ध में वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ / हानि) को दर्शाती है, जहाँ राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था। यदि किसी वर्ष के दौरान किसी भी सा क्षे उ के वार्षिक लेखे लंबित थे, तो उस वर्ष के लिए शुद्ध आय (लाभ / हानि) सम्बन्धित सा क्षे उ के नवीनतम लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार ली गई है।

²¹ इसमें ₹ 151.13 करोड़ के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया गया है प्रस्तर 3.2.1.4 का संदर्भ।

(लाभ/हानि) दर्शाया गया। सभी तीनों साक्षे उने सम्बन्धित वर्षों के लिए लाभ / हानि दिखाते हुए वाणिज्यिक लेखा सिद्धांत पर अपने वार्षिक लेखे तैयार किए।

यह देखा जा सकता है कि इन साक्षे उ की लिए कुल आय 2001-02 से 2017-18 के दौरान ऋणात्मक थी सिवाय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और वर्ष 2015-16 के दौरान, जो की यह दर्शाता है कि निवेशित निधियों पर प्रतिफल अर्जित करने के बजाय सरकार धन के लागत को वसूल नहीं कर सकी। इसके अलावा, वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2015-16 के लिए धनात्मक कुल आय भी इन कम्पनियों में किए गए निवेश के न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से काफी कम रही। वर्ष 2013-14 के दौरान आय, यू पी सी एल की ऊर्जा खरीद की देयता की वापसी के कारण न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से अधिक थी।

उदय स्कीम के अंतर्गत, परिचालन बदलाव प्राप्त करने के लिए एम ओ पी, जी ओ आई; जी ओ यू एवं यू पी सी एल के मध्य एक त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (एम ओ यू) निष्पादित किया गया। तथापि, उदय स्कीम के अंतर्गत यू पी सी एल को कोई सब्सिडी नहीं दी गई। 2017-18 के दौरान, निवेश पर प्रतिफल की तुलना, ऐसे निवेश की ऐतिहासिक लागत और वर्तमान मूल्य के आधार पर निम्न तालिका-3.2.9 में दी गई है:

तालिका-3.2.9: राज्य सरकार की निधि पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

कुल आय/हानि (-)	जी ओ यू द्वारा इक्विटी ²² के रूप में निवेश	ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश का प्रतिफल (प्रतिशत)	वर्ष के अंत में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेश का वर्तमान मूल्य को मानते हुए राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)
(-) 136.60	2,947.77	(-) 4.63	5,615.79	(-) 2.43

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के साक्षे उ द्वारा दी गई सूचना।

वर्ष 2017-18 के लिए निवेश पर प्रतिफल, वर्तमान मूल्य और ऐतिहासिक लागत दोनों के आधार पर ऋणात्मक थे।

3.2.1.11 निवल मूल्य का क्षरण

प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं संचित लाभ में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने पर कुल योग निवल मूल्य होता है। वास्तव में यह माप है कि क्या एक उपक्रम स्वामियों के लिए मूल्यवान है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है। तीन सार्वजनिक उपक्रमों की ₹ 2,947.77 करोड़ के पूँजी निवेश के विरुद्ध समग्र संचित हानि ₹ 1,864.37 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,083.40 करोड़ का निवल मूल्य था। इन तीन ऊर्जा क्षेत्र के साक्षे उ में से, यू पी सी एल में निवल मूल्य (-₹ 1,262.69 करोड़) पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 2013-14 से

²² राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को कोई ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया गया।

2017-18 के दौरान तीन ऊ क्षे उ²³ की प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानियाँ एवं निवल मूल्य निम्न तालिका-3.2.10 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.2.10: 2013-14 से 2017-18 के दौरान तीन ऊ क्षे उ का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	मुक्त कोषों एवं संचित लाभ	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+) / हानियाँ (-)	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2013-14	2,385.03	-	(-)1,562.79	00	822.24
2014-15	2,556.28	-	(-)1,698.04	00	858.24
2015-16	2,764.77	-	(-)1,542.51	00	1,222.26
2016-17	2,894.77	-	(-)1,845.19	00	1,049.58
2017-18	2,947.77	-	(-)1,864.37	00	1,083.40

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा दी गई जानकारी।

राज्य सरकार इन सा क्षे उ में 2013-18 तक की अवधि के दौरान लगातार इक्विटी निवेश करके वित्तीय सहायता प्रदान करती रही। इसके बावजूद, यू पी सी एल की संचित हानि 2013-14 में ₹ 1,695.38 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 2,568.72 करोड़ हो गई। हानि के परिणामस्वरूप यू पी सी एल का निवल मूल्य 2013-18 के दौरान तक ऋणात्मक रहा। दो सा क्षे उ²⁴ का निवल मूल्य धनात्मक था।

3.2.1.12 लाभांश का भुगतान

राज्य सरकार ने कोई भी लाभांश नीति नहीं बनाई है जिसके अंतर्गत सा क्षे उ को राज्य सरकार द्वारा योगदान में दी गई शेयर पूँजी पर न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना होगा। ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ से सम्बन्धित लाभांश भुगतान जहाँ अवधि के दौरान जी ओ यू द्वारा इक्विटी का निवेश किया गया था, निम्न तालिका-3.2.11 में दिखाया गया है:

तालिका-3.2.11: 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ द्वारा लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सा क्षे उ जहाँ जी ओ यू द्वारा इक्विटी का निवेश किया गया है		वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सा क्षे उ		वर्ष के दौरान सा क्षे उ द्वारा लाभांश घोषित / भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशतता)
	सा क्षे उ की संख्या	जी ओ यू द्वारा इक्विटी का निवेश	सा क्षे उ की संख्या	जी ओ यू द्वारा इक्विटी का निवेश	सा क्षे उ की संख्या	सा क्षे उ द्वारा घोषित लाभांश / भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3*100
2013-14	3	2,385.03	3	2,385.03	-	-	-
2014-15	3	2,556.28	2	1,479.38	-	-	-
2015-16	3	2,764.77	2	1,526.74	1	15.18	0.55
2016-17	4	2,894.77	2	1,610.74	2	27.69	0.96
2017-18	4	2,947.77	2	1,641.74	1	18.69	0.63

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ द्वारा प्रदान की गई सूचना।

²³ किशाऊ निगम लिमिटेड के अतिरिक्त।

²⁴ उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड और उत्तराखण्ड पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

केवल एक ऊर्जा क्षेत्र के साक्षे उ (यू जे वी एन एल) ने 2015-16 से 2017-18 के दौरान लाभांश का भुगतान / घोषित किया एवं उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2016-17 के दौरान लाभांश का भुगतान / घोषित किया था।

2013-14 से 2014-15 के दौरान लाभांश भुगतान अनुपात शून्य था जबकि 2015-16 से 2017-18 के दौरान, यह बहुत नगण्य था और केवल 0.55 प्रतिशत और 0.96 प्रतिशत के बीच था। इसके अलावा, इनमें से किसी भी साक्षे उ ने 2014-15 तक इन कम्पनियों की स्थापना के बाद से लाभांश घोषित / भुगतान नहीं किया था।

3.2.1.13 इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल (आर ओ ई) वित्तीय निष्पादन कि एक माप है जिससे यह गणना की जाती है कि कम्पनी कितने प्रभावी ढंग से सम्पत्तियों का उपयोग लाभ अर्जित करने के लिए करती है। आर ओ ई की गणना शुद्ध आय (अर्थात् कर अदायगी के उपरान्त शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी के लिए की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्या में हों।

शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय के योग में से संचित हानियाँ एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात की जाती है और यह दर्शाता है कि यदि समस्त संपत्तियाँ विक्रय कर दी जाये एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो कम्पनी के हितधारकों के पास कितना शेष रहेगा। एक धनात्मक शेयरधारकों की निधि दर्शाती है कि कम्पनी के पास अपने दायित्व के भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है जबकि ऋणात्मक शेयरधारकों की इक्विटी का अर्थ है कि दायित्व संपत्ति से अधिक है।

इक्विटी पर प्रतिफल की गणना तीन साक्षे उ के सम्बंध में की गई है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा पूँजी का निवेश किया गया है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान तीन साक्षे उ से संबन्धित शेयरधारकों की निधि एवं आर ओ ई का विवरण निम्न तालिका-3.2.12 में दिया गया है:

तालिका-3.2.12: तीन ऊर्जा क्षेत्र के साक्षे उ से संबन्धित इक्विटी पर प्रतिफल जहाँ जी ओ यू द्वारा निधि का निवेश किया गया है

वर्ष	शुद्ध आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आर ओ ई (प्रतिशतता)
2013-14	339.32	822.24	41.27
2014-15	-134.66	858.24	--
2015-16	155.53	1,222.26	12.72
2016-17	-175.02	1,049.58	--
2017-18	-136.60	1,083.40	--

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के साक्षे उ के वित्तीय विवरणों से संकलित सूचना।

मार्च 2018 को समाप्त हुई पिछले पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, शुद्ध आय केवल वर्ष 2013-14 और 2015-16 में धनात्मक थी, जबकि शेयरधारकों की निधि सभी वर्षों में धनात्मक थी इसलिए

वर्ष 2013-14 और 2015-16 को छोड़कर इन सा क्षेत्र 3 में आर ओ ई की गणना नहीं की जा सकी जिसमें आर ओ ई क्रमशः 41.27 प्रतिशत और 12.72 प्रतिशत था। यू पी सी एल द्वारा अत्यधिक हानि उठाने के परिणामस्वरूप तीन वर्षों में इन सा क्षेत्र 3 की शुद्ध आय ऋणात्मक रही। निर्धारित टैरिफ द्वारा भी यह अपनी ऊर्जा आपूर्ति की लागत को वसूल नहीं कर सकी।

3.2.1.14 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर ओ सी ई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता एवं किस दक्षता से उसकी पूँजी को लगाया गया है, मापता है।

आर ओ सी ई की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई बी आई टी) को नियोजित पूँजी²⁵ द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान समस्त तीनों ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षेत्र 3 के आर ओ सी ई का विवरण निम्न तालिका-3.2.13 में दिया गया है:

तालिका-3.2.13: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ई बी आई टी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आर ओ सी ई (प्रतिशत)
2013-14	630.52	3,272.50	19.27
2014-15	75.48	3,334.18	2.26
2015-16	523.76	3,947.20	13.27
2016-17	168.83	4,442.04	3.80
2017-18	211.93	4,444.64	4.77

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षेत्र 3 के वित्तीय विवरणों से संकलित सूचना।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान आर ओ सी ई 2.26 प्रतिशत और 19.27 प्रतिशत के मध्य रहा। सा क्षेत्र 3 का आर ओ सी ई अस्थिर प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसमें वर्ष 2015-16 में सुधार हुआ क्योंकि दो सा क्षेत्र 3²⁶ के लाभ में वृद्धि हुई।

3.2.1.15 कम्पनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

जिन कम्पनियों के 2013-14 से 2017-18 के दौरान दीर्घावधि ऋण थे, ऐसे ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षेत्र 3 के ऋणों का विश्लेषण सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए ऋणों के चुकाने की क्षमता के मूल्यांकन हेतु किया गया था। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया गया है।

3.2.1.16 ब्याज-व्याप्ति अनुपात

ब्याज-व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व कम्पनी

²⁵ नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ - आस्थगित राजस्व व्यय सा क्षेत्र 3 के नवीनतम वर्ष के अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आँकड़े।

²⁶ उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड और उत्तराखण्ड पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

की आय (ई बी आई टी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात बताता है कि कम्पनी ब्याज पर होने वाले अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। ऊर्जा क्षेत्र की तीन सा क्षे उ, जिन पर 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान ब्याज का भार था, में ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण नीचे तालिका-3.2.14 में दिया गया है:

तालिका-3.2.14: ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ई बी आई टी) (₹ करोड़ में)	कम्पनियों ²⁷ की संख्या जिन पर सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण का भार था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	कम्पनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2013-14	292.11	630.52	3	3	0
2014-15	312.78	75.48	3	2	1
2015-16	339.91	523.76	3	2	1
2016-17	368.88	168.83	3	2	1
2017-18	366.46	211.93	3	2	1

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों से संकलित सूचना।

यह देखा गया कि दो सा क्षे उ²⁸ का 2013-14 से 2017-18 के दौरान एक से अधिक का ब्याज व्याप्ति अनुपात है। एक सा क्षे उ²⁹ का 2014-15 से 2017-18 के दौरान ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है। इस प्रकार, सा क्षे उ ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर रहा था।

3.2.1.17 ऋण-टर्नओवर अनुपात

गत पाँच वर्षों के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ के टर्नओवर में 15.76 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर एवं ऋणों में 7.83 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जिसके कारण ऋण-टर्नओवर अनुपात 2013-14 में 0.62:1 से सुधर कर 2017-18 में 0.50:1 हो गया जैसा की निम्न तालिका-3.2.15 में दिया गया है:

तालिका-3.2.15: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित ऋण टर्नओवर अनुपात

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार एवं अन्य (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं) से ऋण	2,450.26	2,475.94	2,724.94	3,392.46	3,361.23
टर्नओवर	3,968.35	4,421.60	5,745.16	5,883.21	6,780.91
ऋण-टर्नओवर अनुपात	0.62:1	0.56:1	0.47:1	0.58:1	0.50:1

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों से संकलित सूचना।

²⁷ एक ऊर्जा क्षेत्र का सा क्षे उ किशाऊ निगम लिमिटेड को नहीं माना गया है क्योंकि मार्च 2018 तक इसका परिचालन शुरू नहीं हुआ था।

²⁸ उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड और उत्तराखण्ड पाँवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

²⁹ उत्तराखण्ड पाँवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

3.2.1.18 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत सहायता

ऊर्जा मंत्रालय (एम ओ पी), भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) प्रारम्भ (20 नवम्बर 2015) की। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम्स के संचालन एवं वित्तीय परिवर्तन के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे:

3.2.1.19 संचालन क्षमता में सुधार के लिए योजना

भागीदार राज्यों को, विभिन्न लक्षित गतिविधियाँ जैसे अनिवार्य फीडर एवं वितरण परिवर्तकों (डी टी) की मीटरिंग, परिवर्तकों या मीटरों का उन्नयन या बदलना, 31 दिसम्बर 2019 तक प्रति माह 200 यूनिट से अधिक खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से माँग पक्ष का प्रबन्धन (डी एस एम), दरों का तिमाही पुनरीक्षण, मानव शक्ति में वृद्धि, उपभोक्ता सेवा नीति का कार्यान्वयन, मासिक आधार पर प्रदर्शन की निगरानी एवं उन क्षेत्रों में ऊर्जा की आपूर्ति में वृद्धि का आश्वासन जहाँ संचालन क्षमता में सुधार के लिए ए टी एंड सी घाटे को कम किया गया है, आदि करने की आवश्यकता थी। इन लक्षित गतिविधियों के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके जैसे फीडर एवं डी टी स्तर पर हानियों को चिन्हित करने की क्षमता, हानि वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान एवं कटौतियों को कम करना, चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, उच्चतम लोड एवं ऊर्जा के उपभोग को कम करना, आदि। परिचालन सुधारों के परिणाम संकेतकों के माध्यम से मापे जाने थे जैसे कि वर्ष 2018-19 में एम ओ पी एवं राज्यों द्वारा तय की गई हानियों की कमी के प्रक्षेपवक्र के अनुसार ए टी एंड सी हानि को 14.50 प्रतिशत तक कम करना, एवं आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व वसूली के बीच अंतर में कमी करके 2018-19 तक शून्य करना, वितरण परिवर्तकों की मीटरिंग, ऊर्जा लेखा परीक्षा प्रारम्भ करने में शत प्रतिशत उपलब्धि, आदि।

3.2.1.20 वित्तीय परिवर्तन के लिए योजना

भागीदार राज्यों को 30 सितम्बर 2015 तक डिस्कॉम्स के ऋण को दो वर्षों के दौरान 75 प्रतिशत, 2015-16 में 50 प्रतिशत एवं 2016-17 में 25 प्रतिशत अधिग्रहण करना आवश्यक था। वित्तीय परिवर्तन के लिए योजना में प्रावधान था कि:

- राज्य गैर सांविधिक तरलता अनुपात ऋणपत्र जारी करेगा एवं ऐसे ऋणपत्रों के जारी होने से प्राप्त होने वाली आय को डिस्कॉम्स को हस्तांतरित कर दिया जाएगा जिसके बदले में बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के ऋण की राशि का निर्वहन करेगा। इस प्रकार जारी किए गए ऋणपत्रों की परिपक्वता अवधि 10-15 वर्ष की होगी, जिसमें 5 साल तक मूलधन चुकाने की छूट होगी।
- डिस्कॉम का ऋण पहले से देय ऋण की प्राथमिकता में अधिग्रहित किया जाएगा, इसके बाद उच्च लागत वाले ऋण को लिया जाएगा।

➤ 2015-16 एवं 2016-17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम को हस्तांतरण एक अनुदान के रूप में होगा जो कि तीन वर्षों में डिस्कॉम को राज्य ऋण के माध्यम से शेष हस्तांतरण के साथ विस्तारित किया जा सकता है। असाधारण प्रकरणों में, 25 प्रतिशत अनुदान इक्विटी के रूप में दिया जा सकता है।

3.2.1.21 उदय योजना का कार्यान्वयन

राज्य में उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

अ. परिचालन मापदण्डों की उपलब्धि

उदय योजना के अंतर्गत एक राज्य डिस्कॉम्स (यू पी सी एल) से सम्बन्धित विभिन्न परिचालन मापदण्डों के सापेक्ष लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ नीचे तालिका-3.2.16 के अनुसार थीं:

तालिका-3.2.16: 31 मार्च 2019 तक संचालन निष्पादन के मापदण्डवार उपलब्धियाँ एवं लक्ष्य

उदय स्कीम का मापदण्ड	उदय स्कीम के अंतर्गत लक्ष्य	उदय स्कीम के अंतर्गत प्रगति	उपलब्धि (प्रतिशतता में)
फीडर मीटरिंग (संख्या में)	1,980	1,980	100
वितरण परिवर्तकों की मीटरिंग (संख्या में)			
नगरीय	6,616	6,777	102
ग्रामीण	--	--	--
फीडर पृथक्करण (संख्या में)	60	20	33
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	1,395	858	62
असम्बद्ध घरों में विद्युत (संख्या लाख में)	21.17	22.45	106
स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	3,00,000	उच्च पूँजी लागत और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित मुद्दों के कारण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया	
एल ई डी उजाला का वितरण (संख्या लाख में)	59.33	52.88	89
ए टी एंड सी हानियाँ (% में)	14.50	15.21 ³⁰	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
ए सी एस-ए आर आर में अंतर (₹ प्रति यूनिट)	0.00	(-) 0.03	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
शुद्ध आय या लाभ/हानि सब्सिडी सहित (₹ करोड़ में)	10.57	(229.22) ³¹	लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ

स्रोत: एम ओ पी, जी ओ आई की वेबसाइट के अनुसार उदय योजना के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य आँकड़े।

राज्य ने स्मार्ट मीटरिंग के लिए कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। फीडर पृथक्करण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया था जबकि फीडर मीटरिंग, नगरीय क्षेत्र में वितरण परिवर्तकों की मीटरिंग, असंबद्ध घरों में ऊर्जा प्रदान करना एवं एल ई डी का वितरण का प्रदर्शन उत्साहवर्धक था क्योंकि वह लक्ष्य से अधिक रहा। इसके अतिरिक्त, राज्य मार्च 2019 तक 14.50 प्रतिशत ए टी एंड सी हानि की कमी का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। एम ओ पी, जी ओ आई के अनुसार, 31 मार्च 2019 तक उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम द्वारा की गई समग्र उपलब्धियों के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य सभी राज्यों में 14 वें स्थान पर रहा।

³⁰ वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनंतिम आँकड़े।

³¹ वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरण सा क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसलिए, वर्ष 2017-18 के आँकड़ों को अपनाया गया है।

ब. वित्तीय बदलाव का कार्यान्वयन

जी ओ यू या राज्य डिस्कॉम ने वित्तीय देनदारियों के निर्वहन के लिए कोई बॉन्ड जारी नहीं किया है। जी ओ यू ने उदय स्कीम का लाभ उठाने के लिए एम ओ पी, जी ओ आई को 'सैद्धांतिक रूप से' अपनी सहमति जताई (05 मार्च 2016)। तत्पश्चात, संचालन परिवर्तन के लिए एम ओ पी, जी ओ आई, जी ओ यू एवं राज्य डिस्कॉम (अर्थात यू पी सी एल) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर (21 मार्च 2016) किए गए। राज्य सरकार ने उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम का कोई ऋण अधिग्रहित नहीं किया है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार के ऋण (ब्याज सहित) ₹151.13 करोड़ की राशि को यू पी सी एल³² द्वारा उदय योजना के अंतर्गत 2015-16 के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किया गया था जैसा कि **प्रस्तर 3.2.1.4** में संदर्भित है। इसके अतिरिक्त, जी ओ यू के निर्देशानुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ₹ 520.37 करोड़³³ (30 सितम्बर 2015 को) के ऋण को चुकाने के लिए राज्य गारंटी बॉन्ड जारी करने के लिए, यू पी सी एल के निदेशक मण्डल ने बॉन्ड जारी नहीं करने का निर्णय लिया (29 सितम्बर 2016) क्योंकि ऋण ब्याज की औसत दर (आठ प्रतिशत) से कम थी।

3.2.1.22 ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों पर टिप्पणियाँ

तीन ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों³⁴ ने, 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान अपने तीन लेखापरीक्षित लेखों को प्रधान महालेखाकार को अग्रेषित किया। इनमें से सभी लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों एवं नि म ले प द्वारा सम्पादित अनुपूरक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने दर्शाया कि लेखों की गुणवत्ता में सारभूत सुधार करने की आवश्यकता है। 2015-18 के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि म ले प की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण निम्न **तालिका-3.2.17** के अनुसार है:

तालिका-3.2.17: लेखा परीक्षा टिप्पणियों का ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	33.82	1	4.81	2	120.81
2.	लाभ में वृद्धि			-	-		
3.	हानि में वृद्धि	2	184.44	1	2.15	1	36.82
4.	हानि में कमी			-	-		
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	1	0.31	1	1.93	2	3.75
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियाँ	3	60.09	3	176.73	3	589.96

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे 3 के संबन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों / नि म ले प की टिप्पणियों से संकलित।

³² 24 जून 2016 को आयोजित निदेशक मण्डल की बैठक में रूपांतरण को मंजूरी दी गई जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख सचिव (ऊर्जा) और सचिव (वित्त) के प्रतिनिधि मौजूद थे।

³³ औसत ब्याज दर 12 प्रतिशत।

³⁴ एक नया ऊर्जा क्षेत्र सा क्षे 3 किशाऊ निगम लिमिटेड ने अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं क्योंकि मार्च 2018 तक इसका संचालन शुरू नहीं हुआ था।

वर्ष 2017-18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सभी लेखों पर अहर्ता प्रमाणपत्र जारी किए थे। इसके अलावा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दो लेखों में लेखा मानकों के अनुपालन न करने के तीन दृष्टांतों का उल्लेख किया गया था।

3.2.1.23 निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए, ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों से सम्बन्धित एक अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर, ऊर्जा विभाग, जी ओ यू के प्रधान सचिव को इस अनुरोध के साथ जारी किया गया था कि चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करें। अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर का उत्तर प्राप्त हो गया है (मई 2018)। अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर का वित्तीय प्रभाव ₹ 3.34 करोड़ है।

3.2.1.24 लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया उत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नि म ले प के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों / निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना निर्धारित प्रारूप में उत्तर / व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने होते हैं। व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति निम्न तालिका-3.2.18 में दी गई है:

तालिका-3.2.18: ऊर्जा क्षेत्र सा क्षे उ से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (31 दिसम्बर 2018 तक)

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सा क्षे उ) का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तिथि	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में ऊर्जा क्षेत्र सा क्षे उ से सम्बन्धित कुल निष्पादन लेखा परीक्षा (पी ए) और प्रस्तर		पी ए / प्रस्तर की संख्या जिसके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुए थे	
		पी ए	प्रस्तर	पी ए	प्रस्तर
2012-13	नवम्बर 2014	01	01	01	01
2013-14	नवम्बर 2015	--	03	--	03
2014-15	नवम्बर 2016	--	03	--	03
2015-16	मई 2017	--	--	--	--
2016-17	सितम्बर 2018	--	03	--	03

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित।

उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रस्तरों की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दिसम्बर 2018 तक ऊर्जा विभाग³⁵ के पास लंबित थीं।

³⁵ उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और यू जे वी एन लिमिटेड।

3.2.1.25 कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

31 दिसम्बर 2018 को ऊर्जा क्षेत्र के सा क्षे उ से संबन्धित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों की, जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा क्षे उ) में सम्मिलित किए गए थे, कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति निम्न तालिका-3.2.19 के अनुसार थी:

तालिका-3.2.19: 31 दिसम्बर 2018 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं चर्चा किये गए निष्पादन लेखापरीक्षाएं / प्रस्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर	निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर
2012-13	01	01	--	--
2013-14	--	03	--	--
2014-15	--	03	--	--
2015-16	--	--	--	--
2016-17	--	03	--	--

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलन।

वर्ष 2012-13 से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा क्षे उ) पर चर्चा लंबित है।

3.2.1.26 कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

दिसम्बर 2003 और दिसम्बर 2008 में राज्य विधायिका को प्रस्तुत कोपू की चार प्रतिवेदनों³⁶ पर कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए टी एन) प्राप्त नहीं हुए थे (मार्च 2019) जैसा कि निम्न तालिका-3.2.20 में इंगित है:

तालिका-3.2.20: कोपू प्रतिवेदन का अनुपालन

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू प्रतिवेदन की कुल संख्या	कोपू प्रतिवेदन में सिफारिश की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जहाँ एटीएन प्राप्त नहीं हुई
2005-06	02	03	कोई ए टी एन प्राप्त नहीं हुआ।
2009-10	02	15	

स्रोत: कोपू प्रतिवेदनों के आधार पर संकलन।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनो में यू पी सी एल से सम्बन्धित प्रस्तरों के संबन्ध में अनुशंसाएँ शामिल थीं, जो वर्ष 1997-1998, 1998-99, 2000-01, 2001-02, 2004-05 और 2005-06 के लिए भारत के नि म ले प के प्रतिवेदन में दिखाई गयी थीं। इन चार कोपू प्रतिवेदनों में की गई अनुशंसाओं पर ए टी एन मार्च 2019 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

³⁶ 11.10.2006 (दो प्रतिवेदन), 23.03.2011 और 29.09.2011 को विधानसभा के समक्ष कोपू प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया गया।

भाग-II (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त)

3.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

3.3.1 परिचय

3.3.1.1 31 मार्च 2018 को ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबन्धित 26 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा क्षे उ) थे। इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 23 सरकारी कम्पनियाँ³⁷ एवं तीन सांविधिक निगम³⁸ सम्मिलित थे। सरकारी कम्पनियों में एक³⁹ अकार्यरत⁴⁰ कम्पनी और अन्य सरकारी कम्पनियों के स्वामित्व वाली सात सहायक कम्पनियाँ⁴¹ शामिल थीं। सभी सात सहायक कम्पनियाँ अकार्यरत हैं। इस प्रकार, 18 कार्यरत कम्पनियाँ और आठ अकार्यरत कम्पनियाँ हैं।

राज्य सरकार समय-समय पर इक्विटी, ऋण और अनुदान / सब्सिडी के रूप में राज्य सा क्षे उ को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य के इन 26 सा क्षे उ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में से, राज्य सरकार ने केवल 18 सरकारी कम्पनियों और दो सहायक कम्पनियों⁴² में ही धन का निवेश किया। राज्य सरकार ने पाँच सरकारी कम्पनियों और एक सांविधिक निगम किसी में भी निधि का निवेश नहीं किया था जो कि अन्य सरकारी कम्पनियों की सहायक कम्पनी के रूप में निगमित थी। इन पाँच सहायक कम्पनियों में इक्विटी का योगदान नियंत्रक कम्पनियों द्वारा किया गया था।

³⁷ इसमें तीन नए सा क्षे उ सम्मिलित हैं, जैसे देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो राज्य सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मार्च 2017 से सितम्बर 2017 के दौरान सम्मिलित किए गए थे।

³⁸ सांविधिक निगम की लेखापरीक्षा उनके सम्बन्धित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक उत्तराखण्ड परिवहन निगम और उत्तराखण्ड वन विकास निगम के लिए एक मात्र लेखापरीक्षक है। उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखा परीक्षा प्रारम्भिक रूप से नि म ले प को 2003-04 से 2008-09 तक के लिए सौंपी गयी थी जिसे नि म ले प के (डी पी सी) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत वर्ष 2018-19 तक बढ़ाया गया है।

³⁹ यू पी ए आई लिमिटेड।

⁴⁰ अकार्यरत सा क्षे उ का तात्पर्य एक ऐसी कम्पनी से है जो किसी भी व्यवसाय या संचालन को नहीं कर रही है, या उसने कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन नहीं किया है, या पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरण दर्ज नहीं किया है।

⁴¹ ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी), उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी), कुमट्रॉन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल क्षेत्र निगम लिमिटेड की सहायक), उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी), उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक), गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक), कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहायक)। इसके अतिरिक्त, चार सा क्षे उ नामतः गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, ट्रांस केबल्स लिमिटेड और उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड, जो 2016-17 तक कार्यरत थे, को वर्ष 2017-18 से अकार्यरत सा क्षे उ के रूप में शामिल किया गया है। इन सा क्षे उ में कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं हुई हैं।

⁴² गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक), कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)।

3.3.1.2 राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

सा क्षेत्र 3 के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा क्षेत्र 3 की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि के लिए राज्य सा क्षेत्र 3 के टर्नओवर⁴³ एवं उत्तराखण्ड के जी एस डी पी का विवरण निम्न तालिका-3.3.1 में दिया गया है:

तालिका-3.3.1: राज्य सा क्षेत्र 3 के टर्नओवर एवं उत्तराखण्ड के जी एस डी पी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	1,134.89	1,319.82	1,428.17	1,440.43	1,990.08
उत्तराखण्ड की जी एस डी पी	1,49,074.00	1,61,439.00	1,75,772.00	1,95,606.00	2,17,609.00
टर्नओवर का उत्तराखण्ड के जी एस डी पी से प्रतिशतता	0.76	0.82	0.81	0.74	0.91

स्रोत: कार्यरत सा क्षेत्र 3 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर के आँकड़ों, नि म ले प के वर्ष 2016-17 तक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से लिए किये गए टर्नओवर के आँकड़े तथा उत्तराखण्ड सरकार के 2017-18 के वित्तीय लेखों के अनुसार जी एस डी पी आँकड़ों के आधार पर संकलन।

सम्बन्धित वर्षों में उपलब्ध अद्यतन लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार इन सा क्षेत्र 3 के टर्नओवर में पिछले वर्षों की तुलना में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। 2013-18 की अवधि के दौरान, टर्नओवर में वृद्धि 0.86 प्रतिशत एवं 38.16 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि उसी अवधि के दौरान राज्य के जी एस डी पी में वृद्धि 8.29 प्रतिशत और 11.28 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले पाँच वर्षों के दौरान जी एस डी पी की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर 10.58 प्रतिशत थी। मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी विधि है। जी एस डी पी की 10.58 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर के सापेक्ष, उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान 20.59 प्रतिशत की उच्च मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। जो कि जी एस डी पी में इन सार्वजनिक सा क्षेत्र 3 के टर्नओवर की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि 2013-14 में 0.76 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 0.91 प्रतिशत के रूप में परिमाणित हुई।

3.3.1.3 राज्य सा क्षेत्र 3 में निवेश

कुछ सा क्षेत्र 3 ऐसे हैं जो निश्चित सेवाएँ प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के साधन के रूप में कार्य करते हैं जिन सेवाओं को निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों से प्रदान करने में इच्छुक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में भी निवेश किया है जो निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में काम करते हैं। इसलिए इन

⁴³ इसमें छः सार्वजनिक उपक्रम (तीन नए सार्वजनिक उपक्रम नामतः इको-टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड सम्मिलित नहीं हैं; एक सा क्षेत्र 3 अर्थात् उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, जिनके पहले लेखे अब तक प्राप्त नहीं किए गए हैं और दो सा क्षेत्र 3 नामतः यू पी हिल फोन्स लिमिटेड और यू पी हिल क्वार्टेज जिनका विवरण राज्य के निर्माण के बाद से उपलब्ध नहीं हैं)।

राज्य सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति का दो प्रमुख वर्गीकरणों के अंतर्गत विश्लेषण किया गया है, सामाजिक क्षेत्र में और प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम करने वाले। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की ओर से कुछ विशिष्ट गतिविधियों को करने के लिए इनमें से दस राज्य सा क्षेत्र उ⁴⁴ को 'अन्य' के तहत वर्गीकृत किया गया है। इन 26 राज्य सा क्षेत्र उ⁴⁵ में इक्विटी और दीर्घावधि ऋण के रूप में 31 मार्च 2018 तक किए गए निवेश का विवरण **परिशिष्ट-3.3.1** में वर्णित है।

3.3.1.4 31 मार्च 2018 को इन राज्य सा क्षेत्र उ में निवेश का क्षेत्र-वार सारांश नीचे **तालिका-3.3.2** में दिया गया है:

तालिका-3.3.2: राज्य सा क्षेत्र उ में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र	सा क्षेत्र उ की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)				कुल
		इक्विटी		दीर्घावधि ऋण		
		जी ओ यू	अन्य	जी ओ यू	अन्य	
सामाजिक क्षेत्र	05	24.91	6.57	1.17	0.04	32.69
प्रतिस्पर्धी वातावरण में सा क्षेत्र उ	11	1,002.50	2,369.39	331.97	347.86	4,051.72
अन्य	10	9.32	2.19	4.15	18.52	34.18
कुल	26	1,036.73	2,378.15	337.29	366.42	4,118.59

स्रोत: सा क्षेत्र उ से द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलन।

31 मार्च 2018 तक, इन सा क्षेत्र उ में कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹4,118.59 करोड़ था। निवेश में इक्विटी 82.91 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 17.09 प्रतिशत सम्मिलित था। उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा दिये गये अग्रिम दीर्घावधि ऋण, कुल दीर्घावधि ऋणों का 47.93 प्रतिशत (₹ 337.29 करोड़) था, जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिया गया ऋण 52.07 प्रतिशत (₹366.42 करोड़) था।

निवेश 2013-14 में ₹ 2,800.21 करोड़ 47.08 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में ₹ 4,118.59 करोड़ हो गया। इक्विटी में ₹ 1,163.34 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण में ₹155.04 करोड़ की वृद्धि हुई।

3.3.1.5 राज्य सा क्षेत्र उ का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा इन सा क्षेत्र उ में कोई भी विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण नहीं किया गया।

⁴⁴ ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी), उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी), उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, यू पी ए आई, कुमाऊँ लिमिटेड (उत्तरप्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायक), उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक), उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी), उत्तराखण्ड मेट्रो रेल अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं देहारादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

⁴⁵ दो सार्वजनिक सा क्षेत्र उ नामतः उत्तराखण्ड वन विकास निगम और यू पी हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड को छोड़कर जिसमें राज्य सरकार द्वारा कोई भी निवेश (इक्विटी या दीर्घकालिक ऋण के रूप में) नहीं किया गया है।

3.3.1.6 राज्य सा क्षेत्र 3 को बजटीय समर्थन

जी ओ यू द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य सा क्षेत्र 3 को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मार्च 2018 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सा क्षेत्र 3 के संबन्ध में वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण, अनुदान / सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋणों के संबन्ध में बजटीय बहिर्गमन के विवरण का सारांश निम्न तालिका-3.3.3 जैसा है:

तालिका-3.3.3: वर्षों के दौरान राज्य सा क्षेत्र 3 को बजटीय समर्थन के संबन्ध में विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण ⁴⁶	2015-16		2016-17		2017-18	
	सा क्षेत्र 3 की संख्या	धनराशि	सा क्षेत्र 3 की संख्या	धनराशि	सा क्षेत्र 3 की संख्या	धनराशि
इक्विटी पूँजी बहिर्गमन (i)	4	26.95	2	78.42	4	63.02
दिये गए ऋण(ii)	2	12.10	-	-	-	-
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	6	339.30	5	490.80	5	649.21
कुल बहिर्गमन (i+ii+iii)	-	378.35	-	569.22	-	712.23
अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
निर्गमित गारंटियाँ	1	10.46	1	6.25	-	-
गारंटी प्रतिबद्धता	-	-	1	0.19	1	0.67

स्रोत: सा क्षेत्र 3 द्वारा प्रदान सूचना के आधार पर संकलन।

इक्विटी, ऋणों एवं अनुदान / सब्सिडी के लिए बजटीय बहिर्गमन से संबन्धित मार्च 2018 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों का विवरण निम्न चार्ट-3.3.1 में दिया गया है:

चार्ट-3.3.1: इक्विटी, ऋणों एवं अनुदान / सब्सिडी के रूप में बजटीय बहिर्गमन



वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, इन सा क्षेत्र 3 को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 378.35 करोड़ एवं ₹ 712.23 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017-18 के दौरान दी गई ₹ 712.23 करोड़ की बजटीय सहायता में इक्विटी एवं अनुदान / सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 63.02 करोड़ एवं ₹ 649.21 करोड़ सम्मिलित थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान

⁴⁶ धनराशि केवल राज्य बजट से बहिर्गमन को दर्शाती है।

इन सा क्षेत्रों को ऋण सहायता प्रदान नहीं की। राज्य सरकार द्वारा किसानों को गन्ने के मूल्यों का भुगतान करने के लिए डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड और किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड को सब्सिडी प्रदान की गई तथा उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को सीवरेज और जलापूर्ति हेतु अवसरचनाओं का सृजन करने के लिए ₹ 590.99 करोड़ प्रदान किये।

सा क्षेत्रों को बैंक और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु, जी ओ यू गारंटी प्रदान करती है तथा एक प्रतिशत प्रति वर्ष का गारंटी शुल्क प्रभारित करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सा क्षेत्रों को राज्य सरकार द्वारा आदेश द्वारा दी गई गारंटी पर एक प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गारंटी शुल्क प्रभारित करने के लिए आदेशित (सितम्बर 2000) किया गया था और उसी को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपनाया गया था। 31 मार्च 2014 तक बकाया गारंटी प्रतिबद्धता की राशि शून्य थी, जो 31 मार्च 2018 को बढ़कर ₹ 0.67 करोड़ (एक सा क्षेत्र उ-किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड) हो गई। वर्ष 2017-18 के दौरान, सा क्षेत्रों द्वारा कोई गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था।

3.3.1.7 उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

राज्य के सा क्षेत्रों के अभिलेखों के अनुसार, इक्विटी, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के संबंध में आँकड़े जी ओ यू के वित्त लेखों में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो सम्बन्धित सा क्षेत्रों एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करवाना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2018 की स्थिति निम्न तालिका-3.3.4 में वर्णित की गई है:

तालिका-3.3.4: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखों एवं राज्य सा क्षेत्रों के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋण एवं बकाया गारंटियाँ

(₹ करोड़ में)

मद के संबंध में बकाया	वित्त लेखों के अनुसार धनराशि	राज्य के सा क्षेत्रों के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	अंतर
इक्विटी	266.44	339.51 ⁴⁷	73.07
ऋण	102.01	337.29	235.28
गारंटियाँ	-	0.67	0.67

स्रोत: सा क्षेत्रों एवं अनुमोदित वित्त लेखों द्वारा प्रदान सूचना के आधार पर संकलन।

पिछले कई वर्षों से आँकड़ों के बीच अंतर लगातार बना हुआ है। अंतरों के समाधान का प्रकरण भी समय-समय पर प्रधान महालेखाकर (उत्तराखण्ड) द्वारा सा क्षेत्रों / विभागों के साथ उठाया गया था। आँकड़ों का न मिलना लोकधन के रिसाव और धोखाधड़ी के साथ-साथ प्रासंगिक कानून के उल्लंघन को भी दर्शाता है। हम अनुशांसा करते हैं कि राज्य सरकार और सम्बन्धित सा क्षेत्रों को समयबद्ध तरीके से अंतरों को समाधान करना चाहिए।

⁴⁷ इसमें उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त किये गये पूँजीगत अनुदान के ₹ 697.22 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं जो कि 31 मार्च 2018 तक बकाया थे।

राज्य सा क्षे उ द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण

31 मार्च 2018 को 26 सा क्षे उ में से 18 कार्यरत सा क्षे उ (15 सरकारी कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) एवं 8 अकार्यरत सा क्षे उ थे। राज्य सा क्षे उ द्वारा लेखों की तैयारी के लिए समयसीमा के पालन करने की स्थिति नीचे वर्णित है:

3.3.1.8 कार्यरत राज्य सा क्षे उ द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

वर्ष 2017-18 के लिए सभी कार्यरत सा क्षे उ द्वारा 30 सितम्बर 2018 तक लेखों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। तथापि, किसी भी कार्यरत सरकारी कम्पनी ने वर्ष 2017-18 के लिए उनके लेखों को नि म ले प को लेखापरीक्षा के लिए 30 सितम्बर अथवा उससे पूर्व प्रस्तुत नहीं किया था। तीन सांविधिक निगमों में से, नि म ले प उत्तराखण्ड परिवहन निगम और यू एफ डी सी का एकमात्र लेखापरीक्षक है। नि म ले प को उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा नि म ले प (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत 2018-19 तक सौंपी गयी। किसी भी सांविधिक निगम द्वारा, लेखा परीक्षा के लिए वर्ष 2017-18 के लेखे 30 सितम्बर 2018 तक प्रस्तुत नहीं किये थे।

30 सितम्बर 2018 को कार्यरत सा क्षे उ के लेखों को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे तालिका-3.3.5 में दिया गया है:

तालिका-3.3.5: कार्यरत राज्य सा क्षे उ द्वारा लेखों को प्रस्तुत करने की स्थिति

क्र सं	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	सा क्षे उ की संख्या	18	18	18	19 ⁴⁸	18 ⁴⁹
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत किये गये लेखों की संख्या	15	07	19	32	12
3.	कार्यरत सा क्षे उ की संख्या जिन्होंने चालू वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दिया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गये पिछले वर्ष के लेखों की संख्या	11	14	12	37	12
5.	कार्यरत सा क्षे उ की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	18	18	18	19	18
6.	बकाया लेखों की संख्या	147	151	157	150 ⁵⁰	66
7.	बकाया की सीमा	एक वर्ष से सताईस वर्ष	एक वर्ष से अट्ठाईस वर्ष	एक वर्ष से उनतीस वर्ष	एक वर्ष से तीस वर्ष	एक वर्ष से तेरह वर्ष

स्रोत: अक्टूबर 2017 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान कार्यरत सा क्षे उ से प्राप्त लेखों के आधार पर संकलन।

⁴⁸ 2016-17 के दौरान, एक नया सा क्षे उ नामतः उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम जो 2005-06 में निगमित किया गया था, को व्यावसायिक अध्याय में शामिल किया गया। 12 लेखाओं को बकाया में सम्मिलित किया गया है क्योंकि कम्पनी का प्रथम लेखा अभी तक प्राप्त होना बाकी है।

⁴⁹ चार कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों को अकार्यरत सा क्षे उ माना जाता है और इस संबंध में विवरण तालिका-3.3.6 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, तीन नए सा क्षे उ नामतः देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एवं उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल हैं।

⁵⁰ चार कम्पनियों के 90 लेखे (2016-17 तक) अकार्यरत सा क्षे उ में स्थानांतरित किए गए तालिका-3.3.6।

01 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान, कार्यरत 18 राज्य सा क्षेत्रों में से 9 सा क्षेत्रों के पिछले वर्षों के 12 वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया। इसके अतिरिक्त, 18 सा क्षेत्रों से संबन्धित 66 वार्षिक लेखे बकाया थे, जैसा कि **परिशिष्ट-3.3.2** में वर्णित है। प्रशासनिक विभागों के पास इन संस्थाओं के क्रियाकलापों की देखरेख करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन सा क्षेत्रों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखों को अंतिम रूप दिया जाए और अपनाया जाए। प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा लेखों में बकाया के संबंध में संबन्धित विभागों को त्रैमासिक रूप से सूचित किया गया था।

जी ओ यू द्वारा 18 कार्यरत सा क्षेत्रों में से छः को ₹ 176.22 करोड़ (ऋण: ₹ 16.86 करोड़, सब्सिडी: ₹ 159.36 करोड़) प्रदान किए गए थे, जिनके लेखों को 30 सितम्बर 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 में निर्धारित था, जबकि इस अवधि के दौरान 10 सार्वजनिक सा क्षेत्रों⁵¹ में कोई निवेश नहीं किया गया था जिनके लेखे बकाया थे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किए गए निवेश का सा क्षेत्रों वार विवरण जिनके लेखे बकाया थे, का ब्यौरा **परिशिष्ट-3.3.2** में दर्शाया गया है। तथापि, 2017-18 की अवधि के लिए इन कार्यरत राज्य सा क्षेत्रों में से छः सा क्षेत्रों⁵² के लेखों को अंतिम रूप दिया गया और अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया, जबकि 12 कार्यरत राज्य सा क्षेत्रों के 60 लेखे मार्च 2019 तक प्रतीक्षित थे।

शेष 12 सा क्षेत्रों में लेखों को अंतिम रूप देने और तत्पश्चात लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या निवेश और व्यय का उचित रूप से लेखांकन किया गया था और जिस उद्देश्य से धनराशि का निवेश किया गया था, वह प्राप्त हो गया। इसीलिए, इन सा क्षेत्रों में जी ओ यू का निवेश राज्य विधायिका के नियंत्रण से बाहर रहा।

3.3.1.9 अकार्यरत राज्य सा क्षेत्रों के द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता

आठ अकार्यरत सा क्षेत्रों में से, एक सा क्षेत्रों की नामतः यू पी ए आई लिमिटेड मार्च 1991 से परिसमापन में था। आठ अकार्यरत सा क्षेत्रों के लेखे अंतिमिकरण हेतु बकाया थे जिसका विवरण जैसा कि निम्न तालिका-3.3.6 में दिया गया है:

⁵¹ दो नए सार्वजनिक उपक्रमों के लेखे नामतः उत्तराखण्ड मेट्रो रेल तथा इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 30 सितम्बर 2018 तक देय नहीं थे।

⁵² डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उत्तरांचल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड।

तालिका-3.3.6: अकार्यरत सा क्षेत्र 3 के संबन्ध में बकाया लेखों की स्थिति

क्र सं	अकार्यरत कम्पनियों के नाम	अवधि जिसमें लेखे बकाया थे
1.	यू पी ए आई लिमिटेड (31.03.1991 से परिसमापन के अंतर्गत)	1989-90 से 2017-18
2.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	2000-01 से 2017-18
3.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1997-98 से 2017-18
4.	कुमट्रोन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1990-91 से 2017-18
5.	उत्तर प्रदेश हिल फोन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1987-88 से 2017-18
6.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1989-90 से 2017-18
7.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1994-95 से 2017-18
8.	कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1987-88 से 2017-18

स्रोत: अक्टूबर 2017 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान सा क्षेत्र 3 से प्राप्त हुए लेखों के आधार पर संकलन।

इन अकार्यरत सा क्षेत्र 3 में से किसी ने भी मार्च 2019 तक अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं।

3.3.1.10 सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) नि म ले प का वह प्रतिवेदन है जो सांविधिक निगमों के लेखाओं पर आधारित हैं। इन प्रतिवेदनों को सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधानमण्डल के समक्ष रखा जाता है। सभी तीन कार्यरत सांविधिक निगमों ने वर्ष 2017-18 के अपने लेखे 30 सितम्बर 2018 तक अग्रेषित नहीं किए थे।

सांविधिक निगमों की वार्षिक लेखों की स्थिति एवं उनके एस ए आर के विधायिका के पटल पर रखे जाने की स्थिति निम्न तालिका-3.3.7 में वर्णित है:

तालिका-3.3.7: सांविधिक निगमों के एस ए आर को पटल पर रखे जाने की स्थिति

निगम का नाम	लेखों की वर्ष	एस ए आर के पटल पर रखे जाने का माह
उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2014-15 से 2016-17	अभी रखा जाना बाकी है
उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2010-11 से 2015-16	अभी रखा जाना बाकी है
उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2014-15 एवं 2015-16	मार्च 2018

स्रोत: सांविधिक निगमों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर संकलन।

3.3.1.11 राज्य सा क्षेत्र 3 के द्वारा लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

जैसा कि प्रस्तर 3.3.1.8 में इंगित किया गया है, लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब सम्बन्धित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ साथ कपट एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणामित हो सकता है। उपर्युक्त लेखों में बकाया की स्थिति को देखते हुये, 2017-18 में

जी एस डी पी में सा क्षेत्र के वास्तविक योगदान का आंकलन नहीं किया जा सका तथा राजकोष में भी इनके योगदान को राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।


अतः यह सिफारिश की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये तथा लेखों के बकाया की समाप्ति के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिये। सरकार को भी कम्पनी द्वारा लेख तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा बकाया लेखों की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

3.3.1.12 कार्यशील राज्य सा क्षेत्र का निष्पादन

छब्बीस राज्य सा क्षेत्र की, 30 सितम्बर 2018 तक की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार **परिशिष्ट-3.3.3** में वर्णित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। राज्य सरकार एवं अन्य के द्वारा सा क्षेत्र में किया गया निवेश ₹ 4,118.59 करोड़ था जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 3,414.88 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 703.71 करोड़ सम्मिलित थे। जिसमें से, जी ओ यू का निवेश ₹ 1,374.02 करोड़ था जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 1,036.73 करोड़⁵³ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 337.29 करोड़ सम्मिलित थे। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सा क्षेत्र में जी ओ यू के निवेश का वर्षवार विवरण निम्न **चार्ट-3.3.2** में दिया है:

चार्ट-3.3.2: सा क्षेत्र उ क्षेत्र (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में जी ओ यू द्वारा कुल निवेश



कम्पनी की लाभप्रदता को पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में निवेश की गई राशि से संबन्धित हुई लाभ


⁵³ इसमें राज्य सरकार से उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को प्राप्त पूँजीगत अनुदान ₹ 697.22 करोड़ सम्मिलित हैं और 31 मार्च 2018 तक बकाया है।

अथवा हानि को मापता है एवं निवल लाभ की कुल निवेश से प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी उपयोग की गई पूँजी से मापता है तथा जिसकी गणना कम्पनी की ब्याज एवं कर से पूर्व की आय को नियोजित पूँजी से भाग देकर की जाती है।

3.3.1.13 निवेश पर प्रतिफल

निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि का कुल निवेश से प्रतिशतता है। 2013-14 से 2017-18 के दौरान 14 कार्यरत राज्य सा क्षेत्र 3 द्वारा अर्जित / वहन की गई लाभ / हानियों⁵⁴ की समग्र स्थिति को निम्न चार्ट-3.3.3 में दर्शाया गया है :

चार्ट-3.3.3: वर्षों के दौरान 14 कार्यरत सा क्षेत्र 3 द्वारा अर्जित / वहन किया गया लाभ / हानि



स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखण्ड लिमिटेड के लाभ में पर्याप्त कमी के कारण 2013-14 में 14 सा क्षेत्र 3 द्वारा ₹ 49.83 करोड़ की हानि का वहन किया जो 2017-18 में बढ़कर ₹102.29 करोड़ हो गया। इन कार्यरत राज्य सा क्षेत्र 3 के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार, छः सा क्षेत्र 3 ने ₹ 38.06 करोड़ का लाभ अर्जित किया और आठ सा क्षेत्र 3 ने ₹ 140.35 करोड़ की हानि का वहन किया जैसा की **परिशिष्ट-3.3.3** में वर्णित है।

शीर्ष पर लाभ अर्जित करने वाली सा क्षेत्र 3 में यू एफ डी सी (₹ 20.31 करोड़) एवं स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखण्ड लिमिटेड (₹ 7.66 करोड़), जबकि उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 39.50 करोड़), डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 36.04 करोड़) और किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 29.68 करोड़) को भारी हानियों का वहन करना पड़ा।

2013-14 से 2017-18 के दौरान, 14 कार्यरत सा क्षेत्र 3 द्वारा अर्जित / वहन की गई लाभ / हानियों की स्थिति निम्न **तालिका-3.3.8** में दी गई है:

⁵⁴ आँकड़े सम्बन्धित वर्ष के नवीनतम अंतिम लेखों पर आधारित हैं।

तालिका-3.3.8: 2013-14 से 2017-18 के दौरान कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित / वहन की गई, लाभ / हानि की स्थिति

वित्तीय वर्ष	सा क्षे उ की कुल संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सा क्षे उ की संख्या	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले सा क्षे उ की संख्या	वर्ष के दौरान सीमांत लाभ/हानि वाले सा क्षे उ की संख्या
2013-14	14	06	07	01
2014-15	14	07	06	01
2015-16	14	06	07	01
2016-17	14	06	07	01
2017-18	14	05	08	01

3.3.1.14 ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

राज्य सरकार ने इक्विटी, दीर्घावधि ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में धन का निवेश केवल 14 सा क्षे उ⁵⁵ में किया है। सरकार द्वारा इन सा क्षे उ में ₹ 1,360.81 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें इक्विटी के रूप में ₹1,028.84 करोड़⁵⁶ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 331.97 करोड़ है।

अनुदान⁵⁷/ सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कोषों को निवेश के रूप में नहीं माना गया है क्योंकि वे निवेश के रूप में योग्य नहीं माने जाते हैं। कुल दीर्घावधि ऋण में से मात्र ब्याज मुक्त ऋण को ही निवेश माना गया है। तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ सा क्षे उ द्वारा ब्याज मुक्त ऋण चुकाए गए हैं, ऐतिहासिक लागत और वर्तमान मूल्य (पी वी) पर आधारित निवेश के मूल्य की गणना अवधि के दौरान ब्याज मुक्त ऋणों के घटे हुए शेषों पर की गयी है जैसा की तालिका-3.3.10 में वर्णित है।

इस अवधि के दौरान जारी किए गए ₹ 331.97 करोड़ के दीर्घकालिक ऋणों में से, ₹ 186.62 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण थे जो ब्याज मुक्त ऋण के घटे हुए शेषों पर आधारित थे। इस प्रकार, ऐतिहासिक लागत के आधार पर इन 14 सा क्षे उ में राज्य सरकार का कुल निवेश ₹1,215.46 करोड़ (इक्विटी के रूप में ₹1,028.84 करोड़ + ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹186.62 करोड़) था।

निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए निवेश पर प्रतिफल निम्न तालिका-3.3.9 में दिया गया है:

⁵⁵ चार कम्पनियों ने सितम्बर 2018 तक अपने प्रथम लेखे प्रेषित नहीं किए थे।

⁵⁶ इसमें से राज्य सरकार से उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा प्राप्त पूँजीगत अनुदान ₹ 697.22 करोड़ सम्मिलित है और 31 मार्च 2018 तक बकाया है।

⁵⁷ उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के मामले में, राज्य सरकार संपत्ति सृजन के लिए पूँजी अनुदान प्रदान कर रही है। इसलिए, इसे निवेश माना गया है।

तालिका-3.3.9: ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार की निधियों पर प्रतिफल

क्षेत्रवार/वर्षवार विभाजन	कुल आय	ऐतिहासिक लागत के आधार जी ओ यू द्वारा इक्विटी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में धन का किया गया निवेश	ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशतता)
2013-14			
सामाजिक क्षेत्र	5.91	16.33	36.19
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-86.62	552.54	-15.68
अन्य	30.88	8.95	345.03
कुल	-49.83	577.82	-8.62
2014-15			
सामाजिक क्षेत्र	5.91	17.04	34.68
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-87.53	1,015.85	-8.62
अन्य	36.55	8.95	408.38
कुल	-45.07	1,041.84	-4.33
2015-16			
सामाजिक क्षेत्र	7.26	17.44	41.63
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-104.69	1,048.93	-9.98
अन्य	36.55	8.95	408.38
कुल	-60.88	1,075.32	-5.66
2016-17			
सामाजिक क्षेत्र	6.26	17.44	35.89
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-49.06	1,126.70	-4.35
अन्य	12.26	8.95	136.98
कुल	-30.54	1,153.09	-2.65
2017-18			
सामाजिक क्षेत्र	7.56	17.44	43.35
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-127.95	1,189.07	-10.76
अन्य	18.10	8.95	202.23
कुल	-102.29	1,215.46	-8.42

राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल की गणना राज्य सरकार के निवेश की लागत से इन सा क्षेत्र 3 की कुल आय⁵⁸ को विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक रहा। इसकी सीमा (-) 8.62 प्रतिशत और (-) 2.65 प्रतिशत के मध्य रही। 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल, मुख्य रूप से वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखण्ड लिमिटेड में लाभ में कमी के कारण, 2016-17 की तुलना में कम रहा।

⁵⁸ इसमें उन राज्य सा क्षेत्र 3 से सम्बन्धित वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/हानि सम्मिलित हैं जहाँ राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है।

3.3.1.15 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

चौदह राज्य सा क्षेत्र में जहाँ राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है के निवेश के सापेक्ष आय का विश्लेषण इन सा क्षेत्र की लाभप्रदता को निर्धारित करने के लिये संपादित किया गया है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं हो सकती है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। इसलिए, इन 14 सा क्षेत्र में जी ओ यू द्वारा निवेश की गई निधियों पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर आय की गणना के अतिरिक्त, धन के वर्तमान मूल्य (पी वी) पर विचार करने के बाद निवेश पर आय की भी गणना की गई है। राज्य सरकार के निवेश की पी वी की गणना की गई थी, जहाँ इन कम्पनियों के समामेलन के बाद से 31 मार्च 2018 तक इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था। 2013-14 से 2017-18 के दौरान, इन 14 सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक रहा। निवेश पर प्रतिफल की गणना पाँच वर्षों के लिए निवेश के आधार पर की गई है तथा पी वी के आधार पर दर्शाई गई।

राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में निवेशित धन राशि के वर्तमान मूल्य (पी वी) की गणना निम्न धारणाओं पर की गई है:

- राज्य सरकार के ब्याज मुक्त ऋण को सरकार द्वारा किया गया निधियों का निवेश माना गया है। तथापि, राज्य सा क्षेत्र द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान के संबन्ध में, अवधि के दौरान पी वी की गणना ब्याज मुक्त ऋण के घटे हुए शेषों पर की गई है। अनुदान / सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराये गए धन को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि वह निवेश मानने योग्य नहीं है जैसा कि प्रस्तर 3.3.1.6 में सब्सिडी की प्रकृति को दर्शाया गया है।
- सम्बन्धित वित्तीय वर्ष⁵⁹ के लिए सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य लाने के लिए मिश्रित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे सरकार द्वारा वर्ष के लिए निधियों के निवेश की लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

2013-14 से 2017-18 के दौरान जब इन सा क्षेत्र ने हानियाँ वहन किया, हानि के कारण निवल मूल्य का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त माप है। सा क्षेत्र के निवल मूल्य के क्षरण पर प्रस्तर 3.3.1.18 में टिप्पणी की गई है।

3.3.1.16 2001-02 से 2017-18 तक की अवधि के लिए इन 14 राज्य सा क्षेत्र में ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी एवं ऋण के रूप में राज्य सरकार की निधियों के निवेश की सा क्षेत्र

⁵⁹ सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर सम्बन्धित वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के राज्य वित्त पर भारत के नि म ले प की प्रतिवेदन से ली गई थी जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर के लिए गणना = ब्याज भुगतान / [(पिछले वर्ष की राज कोषीय दायित्व + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय दायित्व) / 2] * 100।

वार स्थिति **परिशिष्ट-3.3.4** में इंगित की गई है। आगे, इन सा क्षेत्र 3 में समान अवधि के लिये राज्य सरकार के निवेश की एन पी वी की समेकित स्थिति नीचे **तालिका-3.3.10** में इंगित की गई है:

तालिका-3.3.10: 2001-02 से 2017-18 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई निधियाँ एवं सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (पी वी) का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल आय
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii*(1+v i/100)}	ix={vii*vi}/100	x
प्रारंभिक शेष		46.70	0.00	0.00	0.00	46.70	46.70		
2001-02	46.70	8.20	0.00	8.20	8.36	54.90	59.49	4.59	-3.37
2002-03	59.49	18.30	3.72	22.02	10.40	81.51	89.99	8.48	-3.60
2003-04	89.99	128.45	0.00	128.45	8.51	218.44	237.03	18.59	-13.60
2004-05	237.03	226.33	0.00	226.33	9.10	463.36	505.53	42.17	-8.66
2005-06	505.53	187.59	9.72	197.31	7.47	702.84	755.34	52.50	-10.05
2006-07	755.34	172.93	-0.25	172.68	7.79	928.02	1,000.31	72.29	2.02
2007-08	1,000.31	249.44	23.42	272.86	7.99	1,273.17	1,374.90	101.73	11.51
2008-09	1,374.90	219.47	5.49	224.96	7.75	1,599.86	1,723.85	123.99	37.29
2009-10	1,723.85	130.68	0.00	130.68	7.64	1,854.53	1,996.22	141.69	37.29
2010-11	1,996.22	-609.11	0.00	-609.11	7.34	1,387.11	1,488.92	101.81	24.10
2011-12	1,488.92	-269.48	100.52	-168.96	7.83	1,319.96	1,423.31	103.35	-41.03
2012-13	1,423.31	66.95	25.00	91.95	8.50	1,515.26	1,644.06	128.80	-63.06
2013-14	1,644.06	-176.25	10.00	-166.25	7.57	1,477.81	1,589.68	111.87	-49.83
2014-15	1,589.68	463.02	1.00	464.02	7.73	2,053.70	2,212.45	158.75	-45.07
2015-16	2,212.45	25.48	8.00	33.48	8.19	2,245.93	2,429.87	183.94	-60.88
2016-17	2,429.87	77.77	0.00	77.77	8.90	2,507.64	2,730.82	223.18	-30.54
2017-18	2,730.82	62.37	0.00	62.37	8.27	2,793.19	3,024.19	231.00	-102.29
योग		1,028.84	186.62	1,215.46					

राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अंत में इन सा क्षेत्र 3 में निवेशित धनराशि का अवशेष वर्ष 2001-2002 में ₹ 46.70 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 के अंत में ₹ 1,215.46 करोड़⁶⁰ हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने 2001-2002 से 2017-18 की अवधि के दौरान इक्विटी (₹ 982.14 करोड़) एवं ब्याज मुक्त ऋण (₹ 186.62 करोड़) के रूप में निवेश किया। राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई निधियों की पी वी 31 मार्च 2018 को ₹ 3,024.19 करोड़ थीं।

2001-02 से 2017-18 की अवधि के दौरान, कुल आय 2001-02 से 2005-06 के दौरान ऋणात्मक रही तथा जी ओ यू द्वारा निवेशित निधियों की लागत की वसूली इन सा क्षेत्र 3 में नहीं हुई। यह तीन

⁶⁰ ₹ 1,215.46 करोड़ = ₹ 1,028.84 करोड़ + ₹ 186.62 करोड़।

सा क्षेत्र 3⁶¹ में इन वर्षों में भारी हानि के कारण हुई। इसी प्रकार, 2011-12 से 2017-18 के दौरान, चार सा क्षेत्र 3⁶² को काफी हानि हुई। इसके अतिरिक्त, 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान एक सा क्षेत्र 3⁶³ द्वारा अर्जित लाभ ने अन्य सा क्षेत्र 3 द्वारा वहन किए गए की गई हानि की भरपाई की, जिसके परिणामस्वरूप कुल आय धनात्मक में परिवर्तित हो गयी।

आगे, लाभ अर्जन करने वाली दो सा क्षेत्र 3 अर्थात् उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और यू एफ डी सी, जिन्होंने क्रमशः 2004-05 से 2017-18 और 2013-14 से 2017-18 के मध्य लाभ अर्जित किया था, के विश्लेषण में पाया गया कि ये सा क्षेत्र 3 बाजार में एकाधिकार के कारण लाभ अर्जित कर सके। उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने औद्योगिक भूमि के विकास और आवंटन से जुड़े क्रियाकलापों से आय अर्जित की और उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने लकड़ी की बिक्री और खनन क्रियाकलापों से महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित किया।

3.3.1.17 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान, सरकार द्वारा इन सा क्षेत्र 3 में किये गये निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक था, राज्य सरकार के निधियों पर ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य के आधार पर क्षेत्रवार प्रतिफल की तुलना निम्न तालिका-3.3.11 में दी गयी है:

तालिका-3.3.11: राज्य सरकार की निधियों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्षवार क्षेत्रवार विभाजन	कुल आय	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ऐतिहासिक लागत पर इक्विटी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में किया गया निवेश	राज्य सरकार के निवेश का ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल (प्रतिशत)	वर्ष के अंत में राज्य सरकार की निधियों का पी वी	राज्य सरकार की निधियों पर वर्तमान मूल्य को ध्यान में रख कर प्रतिफल (प्रतिशत)
2013-14					
सामाजिक क्षेत्र	5.91	16.33	36.19	31.75	18.61
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-86.62	552.54	-15.68	1,533.09	-5.65
अन्य	30.88	8.95	345.03	24.84	124.3
कुल	-49.83	577.82	-8.62	1,589.68	-3.13
2014-15					
सामाजिक क्षेत्र	5.91	17.04	34.68	34.97	16.9
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-87.53	1,015.85	-8.62	2,150.72	-4.07
अन्य	36.55	8.95	408.38	26.76	136.56
कुल	-45.07	1,041.84	-4.33	2,212.45	-2.04
2015-16					
सामाजिक क्षेत्र	7.26	17.44	41.63	38.27	18.97
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-104.69	1,048.93	-9.98	2,362.65	-4.43
अन्य	36.55	8.95	408.38	28.96	126.23
कुल	-60.88	1,075.32	-5.66	2,429.87	-2.51

⁶¹ डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, किछा शुगर कम्पनी लिमिटेड और उत्तराखण्ड परिवहन निगम।

⁶² उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई विकास निगम, डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, किछा शुगर कम्पनी लिमिटेड और उत्तराखण्ड परिवहन निगम।

⁶³ उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड।

2016-17					
सामाजिक क्षेत्र	6.26	17.44	35.89	41.68	15.02
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-49.06	1,126.7	-4.35	2,657.61	-1.85
अन्य	12.26	8.95	136.98	31.53	38.88
कुल	-30.54	1,153.09	-2.65	2,730.82	-1.12
2017-18					
सामाजिक क्षेत्र	7.56	17.44	43.35	45.12	16.75
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	-127.95	1,189.07	-10.76	2,944.92	-4.34
अन्य	18.1	8.95	202.23	34.14	53.02
कुल	-102.29	1,215.46	-8.42	3,024.19	-3.38

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य को भी ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक लागत के आधार पर कमाया हुआ प्रतिफल 2013-14 से 2017-18 के दौरान ऋणात्मक रहा।

3.3.1.18 निवल मूल्य का क्षरण

निवल मूल्य से तात्पर्य कुल प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त आरक्षित एवं आधिक्य के योग में से संचित हानि और स्थगित राजस्व व्यय के योग को घटाने से होता है। आवश्यक रूप से यह एक माप है जो एक उपक्रम का उसके स्वामियों के लिए मूल्य है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा खत्म हो गया है। सभी राज्य सा क्षेत्र 3 में पूँजीगत निवेश एवं संचित हानियाँ उनके नवीनतम लेखों के अनुसार (30 सितम्बर 2018 तक) क्रमशः ₹ 2,771.12 करोड़ एवं ₹ (-) 455.78 करोड़ थे जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य ₹ 2,315.34 करोड़ आता है जैसा कि **परिशिष्ट-3.3.3** में वर्णित है। निवेश एवं संचित हानियों के विश्लेषण में पाया गया कि इन 26 सा क्षेत्र 3 में से आठ में निवल मूल्य का पूर्णरूप से क्षरण हो गया। इन आठ सा क्षेत्र 3 में इक्विटी निवेश एवं संचित हानियाँ क्रमशः ₹ 278.10 करोड़ एवं ₹ 1,056.22 करोड़ थीं। डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (-) ₹ 310.76 करोड़, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (-) ₹ 246.30 करोड़ और उत्तराखण्ड परिवहन निगम (-) ₹ 189.05 करोड़ में निवल मूल्य का पूर्णतः क्षरण हो गया।

निम्नलिखित **तालिका-3.3.12** में 14 कार्यरत कम्पनियाँ जिनमें राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निवेश किया गया है, कुल प्रदत्त पूँजी, कुल संचित लाभ/हानि, एवं कुल निवल मूल्य को इंगित किया गया है:

तालिका-3.3.12: वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान 14 सा क्षेत्र 3 का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी ⁶⁴	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/ हानि (-) ⁶⁵ मुक्त कोष को समायोजित करने के बाद	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2013-14	2,242.93	-162.17	0	2,080.76
2014-15	2,591.36	-310.62	0	2,280.74
2015-16	2,782.48	-360.79	0	2,421.69
2016-17	3,060.86	-420.34	0	2,640.52
2017-18	3,404.22	-442.29	0	2,961.93

⁶⁴ चालू वर्ष में सम्बन्धित वर्षों के अंतिम रूप दिये गए लेखों के अनुसार।

⁶⁵ नवीनतम अंतिम लेखों के आधार पर।

इन सार्वजनिक उपक्रमों का निवल मूल्य 2013-14 में ₹ 2,080.76 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 2,961.93 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान, 14 साक्षे उ में से नौ साक्षे उ⁶⁶ ने धनात्मक निवल मूल्य एवं पाँच⁶⁷ साक्षे उ ने ऋणात्मक निवल मूल्य प्रदर्शित किया। साक्षे उ का निवल मूल्य बढ़ने का मुख्य कारण जी ओ यू द्वारा पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड में पूँजी का निवेश था।

3.3.1.19 लाभान्श का भुगतान

राज्य सरकार ने कोई भी लाभान्श नीति नहीं बनाई थी जिसके अंतर्गत साक्षे उ को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई अंश पूँजी पर न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना होगा। 2013-14 से 2017-18 के दौरान, किसी भी साक्षे उ ने कोई लाभान्श घोषित नहीं किया। था

3.3.1.20 इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल (आर ओ ई) वित्तीय निष्पादन कि एक माप है जिससे यह गणना की जाती है कि प्रबन्धन द्वारा शेयरधारकों की निधि का उपयोग लाभों के सृजन करने में कितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात् करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी कम्पनी में की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्यायें हैं।

कम्पनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों के योग में से संचित हानियाँ एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात की जाती है एवं यह दर्शाता है कि यदि समस्त संपत्तियाँ विक्रय कर दी जायें एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो हितधारकों के पास कितना शेष रहेगा। एक धनात्मक शेयरधारकों की निधि दर्शाती है कि कम्पनी के पास अपने दायित्व के भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है जबकि ऋणात्मक शेयरधारकों की निधि का अर्थ है कि दायित्व संपत्ति से अधिक हैं।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 14 साक्षे उ जिनमें राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया है के शेयरधारकों की निधि एवं आर ओ आई का विवरण निम्न तालिका-3.3.13 में दिया गया है:

⁶⁶ उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तरांचल परियोजना विकास और निर्माण निगम लिमिटेड, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम और उत्तराखण्ड ब्रिज रोपवे टनल एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

⁶⁷ उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई विकास निगम लिमिटेड, डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड और उत्तराखण्ड परिवहन निगम।

तालिका-3.3.13: 14 सा क्षेत्र उ से सम्बन्धित इक्विटी पर प्रतिफल जिनमें जी ओ यू द्वारा धन का निवेश किया गया है

वर्ष	शुद्ध आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आर ओ ई (प्रतिशत)
2013-14	-49.83	238.10	-
2014-15	-45.07	394.19	-
2015-16	-60.88	527.92	-
2016-17	-30.54	546.14	-
2017-18	-102.29	586.55	-

क्योंकि 2013-18 के दौरान इन सा क्षेत्र उ की कुल आय ऋणात्मक थी इसलिए आर ओ ई की गणना नहीं की जा सकी।

3.3.1.21 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर ओ सी ई) एक अनुपात है जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है। आर ओ सी ई की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ई बी आई टी) को नियोजित पूँजी⁶⁸ द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान समस्त 20 राज्य सा क्षेत्र उ⁶⁹ के आर ओ सी ई का विवरण नीचे दी गई तालिका-3.3.14 में दिया गया है:

तालिका-3.3.14: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ई बी आई टी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)
2013-14	-0.38	2,800.93	-0.01
2014-15	-3.16	2,834.59	-0.11
2015-16	-10.63	2,843.73	-0.37
2016-17	42.15	3,362.04	1.25
2017-18	-34.18	3,655.48	-0.94

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन राज्य सा क्षेत्र उ का आर ओ सी ई (-) 0.94 प्रतिशत और 1.25 प्रतिशत की सीमा के मध्य रहा। पूर्व में लेखों की अवधि की तुलना में वर्ष 2016-17 में आरओसीई बढ़ी जिसका मुख्य कारण उत्तराखण्ड परिवहन निगम, डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड और किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड के प्रतिवेदित वार्षिक लेखों में सुधार था।

⁶⁸ नियोजित पूँजी = शेयरपूँजी + मुक्त आरक्षित और आधिक्य + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियाँ-स्थगित राजस्व व्यय। सा क्षेत्र उ के आँकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

⁶⁹ इसमें छः सार्वजनिक सा क्षेत्र उ शामिल नहीं हैं (तीन नए सार्वजनिक सा क्षेत्र उ नामतः इको-टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड; एक सा क्षेत्र उ नामतः उत्तराखण्ड अल्प संख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, जिनके पहले लेखे अभी तक प्राप्त नहीं किए गए हैं और दो सा क्षेत्र उ अर्थात् यूपी हिल फोन लिमिटेड और यू पी हिल क्वार्ट्ज जिनका विवरण राज्य के सृजन के बाद से ही उपलब्ध नहीं हैं)।

3.3.1.22 साक्षे उ के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों को चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए साक्षे उ के दीर्घावधि ऋणों का, जिन्हें 2013-14 से 2017-18 के दौरान लिया गया था, विश्लेषण किया गया। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

3.3.1.23 ब्याज-व्याप्ति अनुपात

ब्याज-व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई बी आई टी) को उसी अवधि के ब्याज के व्यय से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान, धनात्मक एवं ऋणात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण निम्न तालिका-3.3.15 में दिया गया है:

तालिका-3.3.15: राज्य साक्षे उ से सम्बन्धित ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई बी आई टी) (₹ करोड़ में)	सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने वाले साक्षे उ की संख्या	साक्षे उ की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	साक्षे उ की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2013-14	42.34	-29.05	11	6	5 ⁷⁰
2014-15	35.17	-13.30	10	6	4 ⁷¹
2015-16	36.92	-48.42	11	5	6 ⁷²
2016-17	61.84	40.47	10	5	5 ⁷³
2017-18	64.68	-41.70	10	4	6 ⁷⁴

वर्ष 2017-18 के दौरान, जिन 10 राज्य साक्षे उ में सरकार के साथ बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण की देयता है, उनमें से 4 साक्षे उ में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है जबकि शेष 6 साक्षे उ में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है जो कि यह इंगित करता है कि यह

⁷⁰ उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड परिवहन निगम।

⁷¹ उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

⁷² उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड परिवहन निगम।

⁷³ उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

⁷⁴ उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

6 सा क्षेत्र 3 इस अवधि के दौरान ब्याज के व्ययों की पूर्ति हेतु पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर सके।

3.3.1.24 ऋण-टर्नओवर अनुपात

गत पाँच वर्षों के दौरान, इन 20 सा क्षेत्र 3⁷⁵ के टर्नओवर में 20.59 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि एवं ऋणों में 12.14 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिससे की ऋण टर्नओवर अनुपात 2013-14 में 0.48:1 से घट कर 2017-18 में 0.35:1 हो गया जैसा की निम्न तालिका-3.3.16 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.3.16: राज्य सा क्षेत्र 3 से सम्बन्धित ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार एवं अन्य (बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं) से ऋण	548.67	564.01	432.20	731.68	703.71
टर्नओवर	1,134.89	1,319.82	1,428.17	1,440.43	1,990.08
ऋण-टर्नओवर अनुपात	0.48:1	0.43:1	0.30:1	0.51:1	0.35:1

स्रोत: वित्तीय विवरण एवं सा क्षेत्र 3 द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलन।

ऋण टर्नओवर अनुपात में गिरवाट की प्रवृत्ति यह इंगित करती है कि सा क्षेत्र 3 अपने ऋण से अधिक टर्नओवर करने में सक्षम थे।

3.3.1.25 अकार्यरत सा क्षेत्र 3 का समापन

31 मार्च 2018 तक 26 राज्य सा क्षेत्र 3 में से आठ अकार्यरत कम्पनियों में पूंजी (₹ 3.36 करोड़) और दीर्घकालिक ऋणों (₹ 23.88 करोड़) को मिलाकर कुल निवेश ₹ 27.24 करोड़ (यू पी ए आई लिमिटेड में ₹ 0.17 करोड़, ट्रांस केबल्स लिमिटेड में ₹ 4.38 करोड़, उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड में ₹ 20.27 करोड़, कुमट्रोन लिमिटेड में ₹ 0.18 करोड़, गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में ₹ 1.71 करोड़, यू पी हिल फॉस लिमिटेड में ₹ 0.03 और कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में ₹ 0.50 करोड़) था। 31 मार्च 2018 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में अकार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या निम्न तालिका-3.3.17 में दी गई है:

तालिका-3.3.17: अकार्यरत राज्य सा क्षेत्र 3

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अकार्यरत कम्पनियों की संख्या	4	4	4	4	8

स्रोत: सम्बन्धित वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा क्षेत्र 3), जी ओ यू एवं परिशिष्ट-3.3.1 में सम्मिलित सूचनाओं के आधार पर संकलन।

⁷⁵ इसमें छः सार्वजनिक सा क्षेत्र 3 शामिल नहीं हैं (तीन नए सार्वजनिक सा क्षेत्र 3 अर्थात् इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड; एक सा क्षेत्र 3 अर्थात् उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, जिनके पहले लेखे अब तक प्राप्त नहीं किए गए हैं। और दो सा क्षेत्र 3 अर्थात् यू पी हिल फोन सीमित और यू पी हिल क्वार्ट्ज जहाँ विवरण राज्य सृजन के बाद से ही उपलब्ध नहीं हैं)।

इन अकार्यरत सार्वजनिक साक्षे उ में से, 31.03.1991 से एक साक्षे उ⁷⁶ परिसमापन के अधीन था। सरकार इन साक्षे उ को बंद करने के संबन्ध में उचित निर्णय ले सकती है।

3.3.1.26 राज्य साक्षे उ के लेखों पर टिप्पणियाँ

1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 तक आठ कार्यरत कम्पनियों ने अपने 11 लेखापरीक्षित लेखों को प्रधान महालेखाकार को अग्रेषित किया। इनमें से आठ लेखों को अनुपूरक लेखा परीक्षा के लिए चुना गया और तीन लेखों⁷⁷ को गैर-समीक्षा प्रमाणपत्र दिया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि म ले प द्वारा संपादित अनुपूरक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इंगित करते हैं कि लेखों के रख-रखाव की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि म ले प की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण निम्न तालिका-3.3.18 में दिया गया है:

तालिका-3.3.18: कार्यरत कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	0.91	10	52.45	6	37.81
2.	लाभ में वृद्धि	0	-	0	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	3	8.18	20	150.65	2	7.62
4.	हानि में कमी	0	-	0	-	-	-
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	0	-	15	3.75	4	15.85
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियाँ	7	112.20	12	25.36	5	185.38

स्रोत: ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त साक्षे उ के संबन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि म ले प की टिप्पणियों के आधार पर संकलन।

वर्ष 2017-18 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने छः लेखों पर अर्हता प्रमाण-पत्र और दो लेखों पर प्रतिकूल प्रमाण पत्र प्रदान किये। साक्षे उ द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि पाँच लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 37 मामले इंगित किये गये।

3.3.1.27 राज्य में तीन सांविधिक निगम अर्थात् उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड परिवहन निगम और यू एफ डी सी हैं। नि म ले प सभी सांविधिक निगमों के संबन्ध में एकमात्र लेखापरीक्षक है।

किसी भी सांविधिक निगम द्वारा वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखे अग्रेषित नहीं किए गए थे, जबकि यू एफ डी सी ने वर्ष 2016-17 के लिए दिसम्बर 2017 में वार्षिक लेखे अग्रेषित किए थे। नि म ले प ने वर्ष 2016-17 के लेखों पर 'सही और निष्पक्ष' प्रमाण पत्र दिया है।

⁷⁶ यू पी ए आई।

⁷⁷ डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड, उत्तरांचल परियोजना विकास और निर्माण निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई विकास निगम लिमिटेड।

सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि म ले प की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण निम्न तालिका-3.3.19 में दिया गया है:

तालिका-3.3.19: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	5	163.16	1	25.87
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	2	12.66	3	48.33	-	-
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	सारवान तथ्यों का प्रकट नहीं किया जाना	-	-	3	32.67	-	-
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	1	11.73	5	146.07	1	7.17

स्रोत: सांविधिक निगमों के संबन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि म ले प की टिप्पणियों के आधार पर संकलन।

3.3.1.28 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर

31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के प्रतिवेदन के लिए, तीन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर, जो कि उत्तराखण्ड बहुदेशीय एवं विकास निगम लिमिटेड, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड और उत्तराखण्ड वन विकास निगम से संबन्धित थे, को संबन्धित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों / सचिवों को उनके उत्तर प्रस्तुत करने के लिए जारी किये गये थे। अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर पर किसी में भी जवाब राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। तीन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 23.45 करोड़ है।

3.3.1.29 लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया उत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः, यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाए। सभी प्रशासनिक विभागों को सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना निर्धारित प्रारूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों / निष्पादन लेखापरीक्षाओं (पी ए) पर अपना उत्तर / व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में प्रस्तुत करनी होती हैं। व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति निम्न तालिका-3.3.20 में दी गई है:

तालिका-3.3.20: सा क्षेत्र उ के संबन्ध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (31 दिसम्बर 2018 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा क्षेत्र उ) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की राज्य विधायिका में प्रस्तुतीकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सा क्षेत्र उ से संबन्धित सम्मिलित कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पी ए) एवं प्रस्तर		निष्पादन प्रस्तरों की संख्या जिन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं	
		पी ए	प्रस्तर	पी ए	प्रस्तर
2012-13	नवम्बर 2014	--	01	--	01
2013-14	नवम्बर 2015	--	03	--	03
2014-15	नवम्बर 2016	--	03	--	03
2015-16	मई 2017	--	02	--	02
2016-17	सितम्बर 2018	--	02	--	02

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलन।

उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रस्तर की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दिसम्बर 2018 तक पाँच विभागों⁷⁸ के पास लंबित थीं।

3.3.1.30 कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

31 दिसम्बर 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा क्षेत्र उ) में सम्मिलित सा क्षेत्र उ से सम्बन्धित (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे तालिका-3.3.21 में दर्शाई गई है:

तालिका-3.3.21: 31 दिसम्बर 2018 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं चर्चा किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाएं/प्रस्तर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रस्तरों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये प्रस्तर	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर	निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर
2012-13	--	01	--	01
2013-14	--	03	--	--
2014-15	--	03	--	--
2015-16	--	02	--	02
2016-17	--	02	--	--

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू में की गई चर्चा के आधार पर संकलन।

31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा क्षेत्र उ) चर्चा के लिए लंबित हैं।

3.3.1.31 कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

दो प्रतिवेदनों⁷⁹ पर जो कि दिसम्बर 2003 और दिसम्बर 2008 में राज्य विधायिका में प्रस्तुत किए गए, पर कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए टी एन) अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं (मार्च 2019), जैसा की नीचे तालिका-3.3.22 में इंगित किया गया है:

⁷⁸ कृषि; उद्योग; परिवहन; पर्यटन और वन।

⁷⁹ कोपू प्रतिवेदन विधान सभा के समक्ष 30.12.2003 और 17.12.2008 को प्रस्तुत किया गया।

तालिका-3.3.22: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की संख्या	कोपू के प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुशंसाओं की संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जिन पर ए टी एन प्राप्त नहीं हुए
2002-03	01	02	कोई भी कृत कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
2008-09	01	01	

स्रोत: कोपू प्रतिवेदन के आधार पर संकलन।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में गढ़वाल मण्डल विकास निगम और उत्तराखण्ड पेय जल निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तर के संबन्ध में अनुशंसाएँ थीं, जो वर्ष 1999-2000 की भारत के नि म ले प के प्रतिवेदन में सम्मिलित की गई थीं। मार्च 2019 तक इन दो कोपू प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए टी एन) प्राप्त नहीं हुई थी।

अनुपालन लेखापरीक्षा

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड

3.4 आय की हानि

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड को प्रचलित दर से कम दर पर भूमि पट्टे पर देने के कारण ₹ 1.08 करोड़ के पट्टा किराया का परित्याग करना पड़ा।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड (जी एम वी एन) का राजपुर रोड देहरादून में बहुमंजिला व्यावसायिक कार्यालय भवन है जो शहर का एक प्रमुख स्थान है। भवन के भूतल तथा उसके प्रथम तल के कुछ भाग का उपयोग जी एम वी एन द्वारा अपने उद्देश्य के लिए किया जा रहा था। जी एम वी एन के पास किराए के लिए 13,655.64 वर्ग फुट⁸⁰ स्थान उपलब्ध था और यह 2001⁸¹ के बाद से वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थानों को पट्टे पर दिया गया था। प्रबंध निदेशक, जी एम वी एन के अभिलेखों (मार्च 2015) की जाँच तथा आगे एकत्र की गयी सूचना (दिसम्बर 2017) में पाया गया कि इसके 13,655.64 वर्ग फुट क्षेत्र में से 10,107.57 वर्ग फुट⁸² का क्षेत्र भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई)⁸³ तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)⁸⁴ को पहले वर्ष के लिए ₹ 90 प्रति वर्ग फुट की दर से प्रत्येक वर्ष पाँच प्रतिशत मूल्यवृद्धि के साथ पट्टे पर दिया गया था। जी एम वी एन द्वारा भवन के शेष क्षेत्रफल⁸⁵ को सेबी एवं आर बी आई द्वारा भुगतान की

⁸⁰ पहली मंजिल का हिस्सा (1,257.38 वर्ग फुट), दूसरी मंजिल (3,580.69 वर्ग फुट) और तीसरी मंजिल (7,817.57 वर्ग फुट) जुलाई 2012 से।

⁸¹ प्रारम्भ में, पहली मंजिल पर 1,310 वर्ग फुट का क्षेत्र जी एम वी एन द्वारा हुडको को (01.05 2001 से) पट्टे पर दिया गया था।

⁸² आर बी आई-7,817.57 वर्ग फुट; से बी-2,290 वर्ग फुट।

⁸³ 13 जुलाई 2012 से आज तक।

⁸⁴ 1 सितम्बर 2013 से आज तक।

⁸⁵ 3,548.07 वर्ग फुट क्षेत्र।

गयी पट्टे की समकक्ष दर पर किराए पर दिये जाने के स्थान पर राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग (एस आई पी आर डी, उत्तराखण्ड) को ₹ 24.63 प्रति वर्ग फुट की काफी कम दर से दिसम्बर 2013 से क्षेत्र पट्टे पर दिया गया। यह भी संज्ञान में आया कि दिसम्बर 2016 में एस आई पी आर डी द्वारा 3,548.07 वर्ग फुट क्षेत्र रिक्त किए जाने के पश्चात 2,257.33 वर्ग फुट क्षेत्र आर बी आई, देहरादून को ₹ 108⁸⁶ प्रति वर्ग फुट की उच्च दर पर जी एम वी एन द्वारा मई 2017 से पट्टे पर दिया गया था।

इस प्रकार, आर बी आई / सेबी से ली जा रही दर से कम दर पर आवास को किराए पर देकर, जी एम वी एन दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2016 की अवधि में ₹ 1.08 करोड़⁸⁷ के पट्टे के किराए से वंचित रहा।

जी एम वी एन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि (फरवरी 2018) कि एस आई पी आर डी को नियमित रूप से ₹ 1.08 करोड़ की अंतर राशि का भुगतान करने के अनुरोध के बावजूद, कोई भुगतान नहीं मिला। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जी एम वी एन को एक वाणिज्यिक संगठन होने के नाते अपने वित्तीय हित को सुरक्षित रखने के लिए आर बी आई / सेबी से प्रभारित किए जाने वाले दर / बाजार दर पर भवन का स्थान किराए पर देना चाहिए था। ऐसा नहीं करने से, इसने ₹ 1.08 करोड़ का नुकसान उठाया।

यह मामला सरकार को भेजा गया था (अप्रैल 2018); इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

3.5 राजस्व की हानि

कम्पनी लाभार्थियों से ऋण के रूप में दिये गए ₹ 12.94 करोड़ की वसूली नहीं कर सकी। इसके अलावा, कम्पनी ने अतिरिक्त ब्याज से बचने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से राष्ट्रीय स्तर के निगमों को ₹ 8.29 करोड़ वापस कर दिये।

उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना (अक्टूबर 2001) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के उद्यम के रूप में की गई थी। कम्पनी का उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए प्रोत्साहन / अनुदान / सहायता / संगठित / वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कम्पनी आसान शर्तों, / मार्जिन मनी ऋण और / या लाभार्थी को सहायता, या राज्य के सहकारी समितियों को उनके व्यापार, व्यवसाय या अन्य आर्थिक क्रियाकलापों के लिए कम ब्याज दर पर अग्रिम ऋण देने और ऋण के वितरण के लिए सरकार के एक प्रतिनिधि⁸⁸ के रूप में भी कार्य करती है।

⁸⁶ प्रथम वर्ष के लिए ₹ 108.00 प्रति वर्ग फुट एवं द्वितीय वर्ष के लिए ₹ 112.50 प्रति वर्ग फुट।

⁸⁷ दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2016: देय किराया ₹ 1.39 करोड़ - एस आई पी आर डी द्वारा भुगतान किया गया ₹ 0.31 करोड़ = शेष ₹ 1.08 करोड़।

⁸⁸ राज्य चैनलाईजिंग अभिकरण (एस सी ए)।

राज्य सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं⁸⁹ को शुरू करने के लिए कम्पनी को ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय निगमों (एन सी)⁹⁰ को गारंटी दी थी। इस उद्देश्य के लिए, कम्पनी ने लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने वाले एन सी के साथ अनुबंध किया। अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार, लाभार्थियों को उस दर से तीन प्रतिशत ब्याज दर बढ़ाकर ऋण प्रदान किए गए थे जिस पर कम्पनी द्वारा राशि उधार ली गई थी। ऋण की वसूली को सुरक्षित करने के लिए, कम्पनी को लाभार्थियों से आगे की तिथि का चेक (पी डी सी) लेने की आवश्यकता थी। ऋण को नियत अवधि के भीतर त्रैमासिक किश्तों में एन सी को चुकाया जाना था। ऋण की अदायगी में चूक की स्थिति में, बकायों पर ब्याज की सामान्य दरों से दो प्रतिशत अधिक की अतिरिक्त ब्याज लागू होता था।

कम्पनी ने 2001-02 से 2016-17 के दौरान, एन सी से ₹ 23.27 करोड़ उधार लिए। इस राशि में से, ₹ 18.47 करोड़, राज्य के सभी जिलों में लक्षित समूहों के 2012 लाभार्थियों को ऋण के रूप में वितरित किये गये थे। कम्पनी ने ब्याज के साथ ₹ 15.35 करोड़ वसूल किये और ₹ 12.94 करोड़⁹¹ (₹ 8.29 करोड़ मूलधन के रूप में + ₹ 4.65 करोड़ ब्याज के रूप में) 1,382 बकायादार लाभार्थियों से एक से 16 वर्ष (मार्च 2018) की अवधि के लिए वसूली के लिए लंबित था। कम्पनी ने मार्च 2018 तक ₹ 20.98 करोड़⁹² को एन सी को चुका दिया। भुगतान में देरी के मामले में दो प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज से बचने के लिए, कम्पनी ने ₹ 8.29 करोड़ का भुगतान स्वयं के संसाधनों से एन सी को किया था। इसके अतिरिक्त, 1,382 डिफॉल्टर लाभार्थियों में से केवल 313 (22.64 प्रतिशत) डिफॉल्टरों को रिकवरी सर्टिफिकेट (आर सी) जारी किए गए थे।

इंगित किए जाने पर, प्रबन्धन ने अवगत कराया (जनवरी 2017) कि पर्याप्त प्रयासों के बाद भी अर्थात् कुछ मामलों में, नोटिस और आर सी जारी किए जाने के बाद भी ऋण राशि की वसूली नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा ने पाया कि ऋण वसूली न होने का मुख्य कारण कमजोर वसूली तंत्र जैसे कि सभी आगे की तिथि के चेक एकत्रित करके बैंकों में जमा नहीं किए गए थे और राज्य के 1,069 डिफॉल्टिंग लाभार्थियों (77.35 प्रतिशत) के विरुद्ध आर सी जारी नहीं की गयी थी।

लाभार्थियों से ऋण की वसूली की दिशा में कम्पनी की उदासीनता के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा अतिरिक्त ब्याज के प्रभार से बचने के लिए स्वयं के संसाधनों से एन सी को धनराशि वापिस की गयी, जिससे ₹ 8.29 करोड़ की हानि के अतिरिक्त ₹ 12.94 करोड़ की ऋण राशि की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2018); उसका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

⁸⁹ राष्ट्रीय निगमों द्वारा संचालित योजनाएँ जिसके लिए यू बी वी ई वी एन एल एक एस सी ए के रूप में काम कर रहा है।

⁹⁰ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निगम और राष्ट्रीय अल्प संख्यक वित्त निगम।

⁹¹ ₹ 8.29 करोड़ (मूलधन) + ₹ 4.65 करोड़ (ब्याज)।

⁹² ₹ 18.27 करोड़ (मूलधन) + ₹ 2.71 करोड़ (ब्याज)।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

3.6 ब्याज की हानि

अपने फण्ड के अनुचित प्रबन्धन के कारण निगम ने ₹1.14 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज को अर्जित करने का अवसर खो दिया।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम (निगम) द्वारा अंगीकृत यू पी वन निगम अधिनियम, 1974 (01 अप्रैल 2001) के अनुसार, निगम का अपना फण्ड होगा जो कि स्थानीय फण्ड होगा और जिसमें निगम द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाएगी। फण्ड की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक या सहकारी बैंक या किसी भी अनुसूचित बैंक में रखा जाएगा।

निगम ने (30 जनवरी 2017) विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक वर्ष की अवधि की सावधि जमा में निधि के धन के निवेश के लिए अपनी सर्वोत्तम दरों की पेशकश करने के लिए आमंत्रित किया। प्रतिउत्तर में, आठ बैंकों⁹³ ने (30 जनवरी से 02 फरवरी 2017 तक) तीन स्लैबों में अपनी ब्याज दरें बताईं i) ₹ एक करोड़⁹⁴ तक का निवेश, ii) ₹ एक और पाँच⁹⁵ / दस करोड़⁹⁶ के बीच निवेश और iii) ₹ पाँच/ दस करोड़⁹⁷ से ऊपर का निवेश। सिंडिकेट बैंक द्वारा ₹ एक से पाँच करोड़ के स्लैब में उच्चतम दर (प्रति वर्ष 6.5 प्रतिशत) की पेशकश की गई। जनवरी-फरवरी 2017 के दौरान, निगम ने छः अल्पावधि सावधि जमाओं में ₹ 104.05 करोड़ का एक वर्ष के लिए दो अनुसूचित बैंकों⁹⁸ में प्रत्येक ₹ पाँच करोड़ से अधिक के मूल्य पर पाँच प्रतिशत से लेकर 5.51 प्रतिशत तक का निवेश किया, जिसके विरुद्ध उसने एक वर्ष का ब्याज ₹ 5.61 करोड़ अर्जित किया। निगम के पास सिंडिकेट बैंक द्वारा ₹ एक करोड़ से ₹ पाँच करोड़ के स्लैब में पेश की गई 6.50 प्रतिशत उच्च ब्याज की दर पर निधि का निवेश करके ₹ 6.93 करोड़ का ब्याज अर्जित करने का विकल्प था जैसा कि फरवरी 2017 में किया गया था जिसमें ₹ 10.68 करोड़ की धनराशि को तीन सावधि जमा के रूप में ₹ 5 करोड़ से कम की धनराशियों में विभाजित किया गया था। यदि निगम ने अपने फण्ड को 6.50 प्रतिशत की उच्च ब्याज दर वाले स्लैब में निवेश किया होता, तो यह ₹ 1.32 करोड़ की अतिरिक्त ब्याज आय अर्जित कर सकता था (जैसा कि **परिशिष्ट-3.6.1** में वर्णित है)।

सरकार ने अवगत कराया कि (जून 2018) राशि को सिंडिकेट बैंक की पेशकश पर सावधि जमा में निवेश किया गया था जिसने ₹ पाँच करोड़ से ऊपर के स्लैब में उच्चतम दर की पेशकश की थी तथा पुनः अवगत कराया गया कि एक ही तारीख में एक से अधिक सावधि जमा पर निवेश एकल आई डी के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। यह भी अवगत कराया गया कि पंजाब नेशनल बैंक

⁹³ पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक।

⁹⁴ 6.75 प्रतिशत से सात प्रतिशत प्रति वर्ष।

⁹⁵ ₹ एक से ₹ पाँच करोड़ (सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक) और ₹ एक से ₹ दस करोड़ (यूको बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक)।

⁹⁶ 4.00 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत प्रति वर्ष।

⁹⁷ 4.50 प्रतिशत से 5.51 प्रतिशत प्रति वर्ष।

⁹⁸ पंजाब नेशनल बैंक और सिंडिकेट बैंक।

(पी एन बी) ने अन्य बैंकों की तुलना में निगम को दिए गए ऋण⁹⁹ पर बेहतर दर (5.5 प्रतिशत) की पेशकश की थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रस्तावित उच्च ब्याज दर (6.50 प्रतिशत) का लाभ उठाने के लिए निगम को ₹ एक से ₹ पाँच करोड़ के स्लैब में निवेश करना चाहिए था। एक ही तारीख में एक से अधिक सावधि जमा में निवेश करने में असमर्थता के संबंध में, यह पाया गया कि निगम ने एक ही तिथि (01 फरवरी 2017) को चार सावधि जमा (₹ नौ करोड़ प्रत्येक) करके पी एन बी में अपना फण्ड निवेश किया था। इसके अतिरिक्त, निगम का कथन उचित नहीं है क्योंकि उसने फरवरी 2017 में सिंडिकेट बैंक द्वारा पेश किये गये अधिक ब्याज को अर्जित करने के लिए (6.50 प्रतिशत की दर से) ₹ एक से पाँच करोड़ के स्लैब में तीन सावधि जमा¹⁰⁰ करने हेतु ₹ 10.68 करोड़ का विभाजन किया था। इसके अतिरिक्त, निगम द्वारा लिए गए ऋण पर सिंडिकेट बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज की उच्च दर पर विचार करने के बाद भी निगम को ₹ 1.14 करोड़¹⁰¹ की हानि हुई (परिशिष्ट-3.6.1)।

इस प्रकार, निगम ने अपने फण्ड के अनुचित प्रबन्धन के कारण ₹ 1.14 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज को अर्जित करने का अवसर खो दिया।

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.7 उपभोक्ता को अनुचित लाभ

उपभोक्ता द्वारा भुगतान में नियमित रूप से चूक करने के बावजूद भी उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) ने बार-बार किश्तों का पुनः निर्धारण कर उपभोक्ता को अनुचित लाभ दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.34 करोड़ के बकाया का संचय हुआ तथा राजस्व की वसूली नहीं हुई।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियमन, 2007 का खण्ड 4.1 यह प्रावधान करता है कि यू पी सी एल विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के अनुसार, उन उपभोक्ता को जो अपने बकायों का भुगतान करने में चूक करते हैं, बकायों का भुगतान करने हेतु स्पष्ट 15 दिन का समय देते हुये लिखित रूप से विच्छेदन की सूचना जारी कर सकता है। यू पी सी एल उक्त सूचना की अवधि की समाप्ति पर उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति को समाप्त कर सकता है। यदि उपभोक्ता विच्छेदन की तारीख के छः महीने के भीतर बकाया सहित समस्त देय राशि का भुगतान नहीं करता है तो ऐसे संयोजन स्थायी रूप से विच्छेद कर दिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त, बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए केवल 12 किश्तों की अनुमति¹⁰² थी।

⁹⁹ आवश्यकता पड़ने पर, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निगम अपने एफ डी आर के विरुद्ध ऋण लेता है।

¹⁰⁰ ₹ 4.999 करोड़ (03.02.2017), ₹ 4.999 करोड़ (04.02.2017), ₹ 0.68 करोड़ (05.02.2017)।

¹⁰¹ [अर्जित ब्याज का अंतर ₹ 104.05 करोड़ पर 6.50 प्रतिशत की दर से अर्जित ब्याज (₹ 6.93 करोड़) और 5 से 5.5 प्रतिशत की दर से अर्जित ब्याज (₹ 5.61 करोड़) = ₹ 1.32 करोड़] - [ब्याज का अंतर जो कि ऋण पर भुगतान किया जाता है 8.5 प्रतिशत की दर से (₹ 0.52 करोड़) और ऋण पर ब्याज का भुगतान 5 से 5.5 प्रतिशत की दर से (₹ 0.34 करोड़) = ₹ 0.18 करोड़] = ₹ 1.14 करोड़ (जैसा कि **परिशिष्ट-3.6.1** में वर्णित है)।

¹⁰² प्रबंध निदेशक के आदेश दिनांक 27.06.2011 और 20.05.2017 के अनुसार।

अभिलेखों की जाँच (जून 2017) और अतिरिक्त सूचना (जनवरी 2018) जो अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड (ई ई, ई डी डी), काशीपुर से एकत्रित की गयी, में पाया गया कि एक उपभोक्ता¹⁰³ को 3,100 किलोवाट के स्वीकृत भार के साथ 01.10.2013 को कनेक्शन जारी किया गया था। उपभोक्ता ने विद्युत बिलों के भुगतान में प्रथम बिल (नवम्बर 2013) से अक्टूबर 2017 तक में निरंतर चूक की। यू पी सी एल ने यू ई आर सी विनियमों के अनुसार उचित कार्यवाही नहीं की और उपभोक्ता द्वारा लगातार विद्युत का बकाया भुगतान करने में चूक के बावजूद भी यू पी सी एल ने किश्त सुविधा को 10 बार पुनर्निर्धारित किया, जिसे यू पी सी एल ने भुगतान करने के लिए उपभोक्ता को प्रदान किया था। बकाया राशि अप्रैल 2014 में ₹ 44.91 लाख से बढ़कर अप्रैल 2015 में ₹ 89.09 लाख; अप्रैल 2016 में ₹ 1.12 करोड़ और अप्रैल 2017 में ₹ 2.23 करोड़ हो गई। यू पी सी एल द्वारा संयोजन को अंततः 1.11.2017 को विच्छेद कर दिया गया तथा बकाया वसूली अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अंतर्गत उपभोक्ता को ₹ 2.65 करोड़ का (नवम्बर 2017) डिमांड नोटिस जारी किया गया था। जिसके विरुद्ध उपभोक्ता ने नैनीताल उच्च न्यायालय में विद्युत बकाया के भुगतान करने हेतु राहत प्रदान करने के लिए अपील¹⁰⁴ दायर की। उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता को बकाया की पहली किश्त (₹ 25 लाख) का भुगतान 27 दिसम्बर 2017 को या इससे पूर्व करने तथा शेष बकाया¹⁰⁵ किश्तों का भुगतान अगले माह की 27 तारीख या उससे पूर्व करने का आदेश दिया (दिसम्बर 2017)। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी, उपभोक्ता ने विद्युत की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया और खण्ड ने ₹ 2.33 करोड़¹⁰⁶ का रिकवरी सर्टिफिकेट (बकाया राशि अधिनियम, 1948 धारा 5 के अंतर्गत) (अक्टूबर 2017 तक) जिले के मजिस्ट्रेट (डी एम), उधम सिंह नगर को निर्गत किया (जनवरी 2018) जिससे कि वे सुरक्षा राशि को समायोजित करने के बाद बकाए की वसूली करें। उपभोक्ता ने फिर से हाईकोर्ट में एक याचिका (30.01.2018) बकाया भुगतान के लिए समय बढ़ाने की माँग हेतु दायर की। उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता को ₹ 25 लाख दिनांक 21.03.2018 तक जमा करने का और 27.12.2017 से 27.3.2018 तक की बकाया किश्तों की धनराशि का 50 प्रतिशत 15 दिन में और शेष 50 प्रतिशत धनराशि को एक माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया (20.03.2018)। उपभोक्ता ने ₹ 25 लाख का भुगतान (₹ 10 लाख 21.3.2018 को और ₹ 15 लाख 22.3.2018 को) कर दिया तथा उसका विद्युत संयोजन बहाल कर दिया गया। तथापि, इसके बाद उपभोक्ता ने कोई राशि जमा नहीं की और विद्युत की बकाया राशि मार्च 2018 तक बढ़कर ₹ 3.34 करोड़ हो गई थी। यू पी सी एल ने 04.04.2018 को उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी और ₹ 3.34 करोड़ का रिकवरी प्रमाण पत्र सम्बन्धित डी एम को जारी किया (21.06.2018)।

¹⁰³ सृष्टि स्टील उद्योग, काशीपुर।

¹⁰⁴ विशेष अपील सं 1023 वर्ष 2017।

¹⁰⁵ 18 समान किश्तों में बकाया राशि वितरित की गई।

¹⁰⁶ कुल बकाया: ₹ 2.65 करोड़ - सुरक्षा राशि: ₹ 0.32 करोड़ = ₹ 2.33 करोड़।

यू पी सी एल ने (03.10.2017 और 07.11.2017) 12 किशतों के बजाय उपभोक्ता को विद्युत के बकाये के भुगतान के लिए 29 और 18 किशतों की सुविधा प्रदान की जो कि अपने स्वयं के आदेश का उल्लंघन था और जिससे उपभोक्ता को अनुचित लाभ हुआ।

इस ओर इंगित किए जाने पर, सरकार ने अवगत कराया (मई 2018) कि बकाया वसूली की संभावना को अधिकतम करने की दृष्टि से, किशत सुविधा प्रदान की गई थी। तथापि, यू पी सी एल के प्रयास असफल रहे।

यू पी सी एल ने यू ई आर सी विनियमन, 2007 की धारा 4.1 के अनुसार उपभोक्ता के खिलाफ समय पर कार्यवाही नहीं की और स्थिति को यथावत रखा, जिसके कारण ₹ 3.34 करोड़ की बकाया राशि का संचय हुआ। यू पी सी एल द्वारा अपने आदेश (मई 2017) का उल्लंघन करते हुए, विद्युत बकाया के भुगतान के लिए किशतों की संख्या में निर्धारित सीमा से अधिक वृद्धि की, जो उपभोक्ता के लिए एक अनुचित लाभ था।

यदि यू पी सी एल द्वारा यू ई आर सी विनियमन, 2007 का पालन किया गया होता, तो ₹ 3.34 करोड़ की विद्युत के बकाया के संचय से बचा जा सकता था।

देहरादून

दिनांक: 24 अक्टूबर 2019



(एस.आलोक)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),

उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 06 नवम्बर 2019



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.1.9.1; पृष्ठ 5)

ले प में सम्मिलित प्रस्तरों पर कृ का टि की प्राप्ति से संबन्धित स्थिति


लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	31 मार्च 2018 को लंबित कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ	राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने की तिथि	कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ प्राप्ति की अंतिम तिथि	
सिविल / सामाजिक, समान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर सा क्षेत्र 3)	2000-01	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	01	23.06.2003	22.09.2003	
		पर्यावरण विभाग	01			
	योग			02		
	2001-02	वित्त विभाग	01	12.01.2005	11.04.2005	
		योग				01
	2002-03	सिंचाई विभाग	01	05.10.2005	04.01.2006	
		वित्तीय एवं समाज कल्याण विभाग	01			
	योग			02		
	2003-04	सिंचाई विभाग	01	19.04.2006	18.07.2006	
		पंचायती राज विभाग	01			
	योग			02		
	2004-05	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	01	27.06.2007	26.09.2007	
		लो नि वि	01			
	योग			02		
	2005-06	चिकित्सा विभाग	01	07.03.2008	06.06.2008	
		खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	01			
		खेल एवं युवा कल्याण विभाग	01			
		ग्राम्य विकास विभाग	01			
	योग			04		
	2006-07	पेय जल विभाग	01	13.07.2009	12.10.2009	
		सूचना विभाग	02			
		नागरिक उद्बुधन विभाग	01			
	योग			04		
	2007-08	शहरी विकास विभाग	01	22.09.2010	21.12.2010	
		तकनीकी शिक्षा विभाग	01			
		सूचना एवं लोक संपर्क विभाग	01			
	योग			03		
	2008-09	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	02	29.03.2011	28.06.2011	
		राजस्व विभाग	01			
		ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएँ	01			
		ऊर्जा विभाग (पी पी पी)	01			
	योग			05		
2009-10	पर्यटन विभाग	01	11.12.2012	10.03.2013		
	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	01				
योग			02			
2010-11	लो नि वि	02	18.09.2013	17.12.2013		
	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	01				
	पुलिस विभाग	01				
	आयुष विभाग	01				
योग			05			
2011-12	निर्वाचन विभाग	01				
	श्रम विभाग	01				
	महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग	01				

		समाज कल्याण विभाग	02		
		खेल विभाग	01		
		उच्च शिक्षा विभाग	01		
		लो नि वि	02		
		उद्यान विभाग	01		
		योग	10		
	2012-13	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02	27.11.2014	26.02.2015
		सिंचाई विभाग	01		
		गृह विभाग	01		
		चिकित्सा शिक्षा विभाग	02		
		लो नि वि	01		
		तकनीकी शिक्षा विभाग	01		
		खेल एवं युवा कल्याण विभाग	01		
		ग्राम्य विकास विभाग (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण संपर्क)	00		
		योग	09		
	2013-14	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	01	03.11.2015	02.02.2016
		डेयरी विकास विभाग	01		
		वन विभाग	01		
		उच्च शिक्षा विभाग	01		
		चिकित्सा शिक्षा विभाग	01		
		गृह विभाग	01		
		चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02		
		लो नि वि	01		
		मुख्य मन्त्री कार्यालय	01		
		पेयजल विभाग	01		
		रेशम उत्पादन विभाग	01		
		समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग	01		
		शहरी विकास विभाग	01		
		उत्तराखण्ड नवीकरण उर्जा विकास अभिकरण	01		
		योग	15		
	2014-15	शिक्षा विभाग	01	07.11.2016	06.02.2017
		प्राथमिक शिक्षा विभाग	01		
		कृषि विभाग	01		
		नागरिक उड्डयन विभाग	01		
		संस्कृति विभाग	01		
		वन विभाग	01		
		चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	01		
		गृह विभाग	01		
		औद्योगिक विकास विभाग	01		
		ग्राम्य विकास विभाग	01		
		लो नि वि	03		
		राजस्व विभाग (सी एल आर)	01		
		समाज कल्याण विभाग	01		
		राजस्व विभाग (राजस्व विभाग में मामलों की पेंडेन्सी)	01		
		योग	16		
	2015-16	प्राथमिक शिक्षा विभाग	00	02.05.2017	01.08.2017
		गृह विभाग	01		
		आयुष विभाग	01		
		आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं मानक	01		
		वन विभाग	02		

		उच्च शिक्षा विभाग	01		
		उद्यान विभाग	01		
		भू-राजस्व विभाग	01		
		चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02		
		लो नि वि	00		
		समाज कल्याण विभाग	01		
		पर्यटन विभाग	01		
		शहरी विकास विभाग	01		
		महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग	02		
		योग	15		
		कुल योग	97		
राज्य वित्त	2000-01	वित्त और विविध	सभी अध्याय	23.06.2003	22.09.2003
	2001-02	वित्त और विविध	सभी अध्याय	19.07.2004	18.10.2004
	2002-03	वित्त और विविध	सभी अध्याय	12.01.2005	11.04.2005
	2003-04	वित्त और विविध	सभी अध्याय	05.10.2005	04.01.2006
	2004-05	वित्त और विविध	सभी अध्याय	19.04.2006	18.07.2006
	2005-06	वित्त और विविध	सभी अध्याय	27.06.2007	26.09.2007
	2006-07	वित्त और विविध	सभी अध्याय	07.03.2008	06.06.2008
	2007-08	वित्त और विविध	सभी अध्याय	13.07.2009	12.10.2009
	2008-09	वित्त और विविध	सभी अध्याय	22.09.2010	21.12.2010
	2009-10	वित्त और विविध	सभी अध्याय	29.03.2011	28.06.2011
	2010-11	वित्त और विविध	सभी अध्याय	11.12.2012	10.03.2013
	2011-12	वित्त और विविध	सभी अध्याय	18.09.2013	17.12.2013
	2012-13	वित्त और विविध	सभी अध्याय	27.11.2014	26.02.2015
	2013-14	वित्त और विविध	सभी अध्याय	03.11.2015	02.06.2016
	2014-15	वित्त और विविध	सभी अध्याय	07.11.2016	06.02.2017
2015-16	वित्त और विविध	सभी अध्याय	02.05.2017	01.08.2017	
2016-17	वित्त और विविध	सभी अध्याय	26.03.2018	25.06.2018	
जिला नैनीताल	2011-12	विविध	सभी अध्याय	18.09.2013	17.12.2013
	2012-13	विविध	सभी अध्याय	27.11.2014	26.02.2015

परिशिष्ट-1.2.1
(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.2; पृष्ठ 10)

विभागीय ओर्गेनोग्राम



परिशिष्ट-1.2.2
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.2.4; पृष्ठ 11)

सैंपलिंग का विवरण

संभाग	चयनित बेस गोदाम	चयनित जनपद	चयनित तहसील	चयनित आंतरिक गोदाम	
गढ़वाल	ज्वालापुर	टिहरी	नरेंद्र नगर	चौदह बीघा	गजा
			टिहरी	नयी टिहरी	चंबा
	बहादुराबाद	पौड़ी	पौड़ी	पौड़ी	खौलाचौरी
			श्रीनगर	श्रीनगर	-
कुमाऊँ	रुद्रपुर	अल्मोड़ा	द्वाराहाट	द्वाराहाट	कनाली पोखर
			रानीखेत	रानीखेत	सोनी
	किच्छा	उधमसिंह नगर	जिला पूर्ति अधिकारी के अंतर्गत कोई आंतरिक गोदाम संचालित न होने के कारण कोई गोदाम चयनित नहीं किया गया।		

परिशिष्ट-1.2.3
(संदर्भ: प्रस्तर; 1.2.9.3; पृष्ठ 20)

सूखन पर अतिरिक्त भुगतान का विवरण

वर्ष	धान की एम एस पी (प्रति कुंतल)	सूखन एम एस पी की एक % की दर से (प्रति कुंतल)	धान की मात्रा (कुंतल में)	भुगतान हेतु सूखन की धनराशि (₹ में)	वास्तविक भुगतान (₹ में)	अतिरिक्त भुगतान (₹ में)
	(अ)	(ब)	(स)	(द=ब*स)	(य=अ*स)	(र=य-द)
2015-16	1,410	14.10	1,797.04	25,338.264	25,33,826.40	25,08,488.14
2016-17	1,470	14.70	917.06	13,480.782	13,48,078.20	13,34,597.42
2017-18	1,550	15.50	35.82	555.210	55,521.00	54,965.79
कुल अतिरिक्त भुगतान						38,98,051.35

परिशिष्ट-1.2.4

(संदर्भ: प्रस्तर; 1.2.9.4 पृष्ठ 21)

विनिर्दिष्टियों की सूची (चावल) : (जी ओ आई आदेश दिनांक: एक सितम्बर 2014, सं-8-1/2014-एस & आई)

क्र. सं.	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)		
		ग्रेड 'ए'	कॉमन	
1.	टूटे हुए*	कच्चा	25.0	25.0
		अधपका/ एकल अधपका चावल	16.0	16.0
2.	फ़ौरन मैटर्स**	कच्चा/अधपका/ एकल अधपका चावल	0.5	0.5
3.	क्षतिग्रस्त# / आंशिक क्षतिग्रस्त अनाज	कच्चा	3.0	3.0
		अधपका/ एकल अधपका चावल	4.0	4.0
4.	बदरंग अनाज	कच्चा	3.0	3.0
		अधपका/ एकल अधपका चावल	5.0	5.0
5.	चाकी अनाज	कच्चा	5.0	5.0
6.	लाल अनाज	कच्चा/ अधपका/ एकल अधपका चावल	3.0	3.0
7.	निम्न श्रेणी का मिश्रण	कच्चा/ अधपका/ एकल अधपका चावल	6.0	---
8.	डिहस्कड अनाज	कच्चा/ अधपका/ एकल अधपका चावल	13.0	13.0
9.	नमी की मात्रा	कच्चा/ अधपका/ एकल अधपका चावल	14.0	14.0

*. एक प्रतिशत से अधिक वजन छोटा टूटा हुआ नहीं होगा।

** कुल वजन से 0.25 प्रतिशत से अधिक खनिज पदार्थ नहीं होगा और 0.10 प्रतिशत से अधिक पशु द्वारा पैदा की गयी अशुद्धता नहीं होगी।

#. जिसमें पिन प्वाइंट क्षतिग्रस्त अनाज शामिल हैं।

परिशिष्ट-1.2.5

(संदर्भ: प्रस्तर; 1.2.9.4; पृष्ठ 21)

विश्लेषण प्रक्रिया (भारत सरकार के आदेश दिनांक: एक सितम्बर, 2014, सं-8-1/2014-एस एवं आई)

एक पेट्री डिश (80x70 मिमी) में 5 ग्राम चावल (साबुत चावल और टूटे हुए) लें। डिस्टिल्ड वॉटर और 20 मिलीलीटर मेथिलीन ब्लू सॉल्यूशन (0.05 प्रतिशत) में दानों को डुबोएं और लगभग एक मिनट तक पड़े रहने दें। मिथाइलीन ब्लू घोल को डिकलाइन करें। लगभग 20 मिलीलीटर पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड (आसुत जल में मात्रा के अनुसार 5 प्रतिशत घोल) के साथ एक भंवर धोने दें। नीले रंग के दाग वाले दानों पर लगभग 20 मिलीलीटर मैटल वॉश का पानी डालें और मेटानिल येलो सॉल्यूशन (आसुत जल में वजन के आधार पर 0.05 प्रतिशत) डालें और लगभग एक मिनट तक पड़े रहने दें। प्रवाह को कम करें और ताजे पानी से दो बार धोएं। ताजे पानी के नीचे सना हुआ अनाज रखें और डिहस्कड अनाज गिनें। विश्लेषण के तहत 5 ग्राम नमूने में अनाज की कुल संख्या की गणना करें। तीन टुकड़ों को एक पूरे अनाज के रूप में गिना जाता है।


गणना:

1. डिहस्कड अनाज का प्रतिशत = $(\text{एन} \times 100) / \text{डबल्यू}$
जहाँ एन = 5 ग्राम सैंपल में डिहस्कड अनाज की संख्या .
डबल्यू = 5 ग्राम सैंपल में कुल अनाज
2. भारतीय मानक ब्यूरो में दिए गए नमूने की विधि समय-समय पर संशोधित "अनाज और दलहन के नमूने की विधि" एन ओ आई एस:14818-2000 का पालन किया जाना चाहिए।
3. पूर्ण करनेल्स के आकार के 1/8वें से कम टुकड़ों को कार्बनिक विदेशी पदार्थ के रूप में माना जाएगा। टुकड़ों के आकार के निर्धारण के लिए चावल की प्रमुख वर्ग की औसत लंबाई को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
4. अकार्बनिक फ़ॉरेन मेटर्स किसी भी लॉट में 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, यदि यह अधिक है, तो स्टॉक को साफ किया जाना चाहिए और सीमा के भीतर लाया जाना चाहिए। गुठली या गुठली के टुकड़ों पर चावल की सतह पर कीचड़ चिपकना अकार्बनिक बाह्य पदार्थ के रूप में माना जाएगा।
5. प्रेशर पेरोबोइलिंग तकनीक द्वारा तैयार चावल के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पेरोबोइलिंग की सही प्रक्रिया अपनाई जाए यानी प्रेशर लागू किया जाए, जिस समय के लिए प्रेशर लागू किया जाए, मिलिंग से पहले उचित जिलेटिनाइजेशन, वातन और सुखाना पर्याप्त हो ताकि रंग और अधपके चावल के खाना पकाने का समय अच्छा हो और अनाज पपड़ी बनने से मुक्त हो।

परिशिष्ट-1.2.6

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.10; पृष्ठ 22)

खाद्यान्न के उठान एवं वितरण प्रदर्शित करता हुआ पिक्टोग्राफ



परिशिष्ट-1.2.7
(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.10.2; पृष्ठ 23)

राशन कार्ड एवं इकाइयों का विवरण

डिजिटাইजेशन से पूर्व (अप्रैल 2013 से सितम्बर 2015)					
राशन कार्डों की संख्या			इकाइयों की संख्या		
ए पी एल	बी पी एल	ए ए वाई	ए पी एल	बी पी एल	ए ए वाई
23,20,366	3,07,074	1,90,926	1,05,59,245	14,90,395	8,25,570
डिजिटাইजेशन के बाद (अक्टूबर 2015 से मार्च 2018)					
राशन कार्डों की संख्या			इकाइयों की संख्या		
पी एच एच	ए ए वाई		पी एच एच	ए ए वाई	
11,38,256	1,82,255		54,22,880	7,68,930	

स्रोत: सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध।

परिशिष्ट-1.2.7 अ
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.2.10.2; पृष्ठ 23)

राशन कार्ड, इकाइयों तथा खाद्यान्न की आवश्यकता का विवरण

	अवधि	आवंटन (कि ग्रा में)		इकाई	अवधि (माह में)	राशन कार्ड/इकाइयों की संख्या	आवश्यकता (मी टन में)			
		चावल	गेहूँ				चावल	योग	गेहूँ	योग
ए ए वाई	2013 - सितम्बर 2015	24.60	10.40	प्रति कार्ड	30	1,90,926	1,40,903.39	2,59,551.39	59,568.912	1,32,288.657
	अक्टूबर 2015 - मार्च 2018	21.70	13.30		30	1,82,255	1,18,648.01		72,719.745	
बी पी एल	2013 - सितम्बर 2015	23.20	11.80		30	3,07,074	2,13,723.50	2,13,723.50	1,08,704.196	1,08,704.196
पी एच एच	अक्टूबर 2015 - मार्च 2018	3.00	2.00	प्रति इकाई	30	54,22,880	4,88,059.20	4,88,059.20	3,25,372.800	3,25,372.800

ए पी एल (चावल 05 कि ग्रा और गेहूँ 10 कि ग्रा प्रति राशन कार्ड); बी पी एल (चावल 23.200 कि ग्रा और गेहूँ 11.800 कि ग्रा प्रति कार्ड); ए ए वाई (चावल 24.600 कि ग्रा और गेहूँ 10.400 कि ग्रा प्रति कार्ड, एन एफ एस ए लागू होने के बाद चावल 21.700 कि ग्रा और गेहूँ 13.300 कि ग्रा); पी एच एच (चावल 3.00 कि ग्रा और गेहूँ 2.00 कि ग्रा प्रति इकाई) ।

परिशिष्ट-1.2.8

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.10.2; पृष्ठ 23)

जनपदों में आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न का वितरण

(मात्रा मी टन में)

जनपद अल्मोड़ा							
अवधि	श्रेणी	चावल			गेहूँ		
		आवश्यक मात्रा	वास्तविक वितरण	अतिरिक्त	आवश्यक मात्रा	वास्तविक वितरण	अतिरिक्त
2013-14 से 2017-18	ए ए वाई	20,239.194	21,013.952	774.758	10,337.856	10,712.851	374.995
2013-14 से सितम्बर 2015	बी पी एल	23,504.615	28,938.336	5,433.721	11,954.935	12,942.272	987.337
2013-14 से सितम्बर 2015	ए पी एल	17,058.570	19,164.664	2,106.094	34,117.140	34,962.971	845.831
अक्टूबर 2015 से मार्च 2018	पी एच एच	31,282.560	31,973.195	690.635	20,855.040	20,185.506	0.000
योग		92,084.939	1,01,090.147	9,005.208	77,264.971	78,803.600	2,208.163
जनपद पौड़ी							
अवधि	श्रेणी	चावल			गेहूँ		
		आवश्यक मात्रा	वास्तविक वितरण	अतिरिक्त	आवश्यक मात्रा	वास्तविक वितरण	अतिरिक्त
2013-14 से सितम्बर. 2015	बी पी एल	11,951.713	12,801.381	849.668	6,078.888	5,676.614	0.000
जनपद टिहरी							
अवधि	श्रेणी	चावल			गेहूँ		
		आवश्यक मात्रा	वास्तविक वितरण	अतिरिक्त	आवश्यक मात्रा	वास्तविक वितरण	अतिरिक्त
2013-14 से 2017-18	ए ए वाई	33,560.496	33,274.463	0.000	17,179.704	17,336.140	156.436
2013-14 से सितम्बर 2015	बी पी एल	17,813.425	21,984.010	4,170.585	9060.275	9734.826	674.551
2013-14 से सितम्बर 2015	ए पी एल	19,050.000	19,998.068	948.068	38,100.000	39,190.074	1090.474
अक्टूबर 2015 से मार्च 2018	पी एच एच	26420.490	27,033.498	613.008	17,613.660	16,896.588	0.000
योग		96,844.411	1,02,290.039	5,731.661	81,953.639	83,157.628	1,921.061
जनपद उधम सिंह नगर							
अवधि	श्रेणी	चावल			गेहूँ		
		आवश्यक मात्रा	वास्तविक वितरण	अतिरिक्त	आवश्यक मात्रा	वास्तविक वितरण	अतिरिक्त
2013-14 से सितम्बर 2015	बी पी एल	27,590.135	34,394.536	6,804.401	14,032.915	14,694.757	661.842

स्रोत: सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध।

परिशिष्ट-1.2.9

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.2.11.1; पृष्ठ 27)

परिवहन विभाग की दरों तथा निम्नतम निविदत दरों की तुलना में अंतर

वर्ष	न्यूनतम निविदत दर		अधिकतम निविदत दर		परिवहन विभाग की दरों ¹ की तुलना में अंतर (प्रतिशत में)		निम्नतम निविदत दरों की तुलना में अंतर (प्रतिशत में)	
	गढ़वाल ²	कुमाऊँ ³	गढ़वाल	कुमाऊँ	गढ़वाल	कुमाऊँ	गढ़वाल	कुमाऊँ
2013-14	13.50	9.93	22.00	29.91	260 से 487	397 से 1396	63	201
2014-15	20.80	27.00	32.00	36.95	455 से 753	1250 से 1748	54	37
2015-16	23.70	29.50	34.80	39.64	532 से 828	1375 से 1882	47	34
2016-17	16.50	33.00	34.75	45.63	340 से 827	1550 से 2182	111	38
2017-18	28.00	36.30	41.45	50.19	647 से 1000	1715 से 2410	48	38

परिशिष्ट-1.2.10

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.11.1; पृष्ठ 27)

दो/तीन स्थानों के लिए ट्रांसपोर्टर्स के चयन को दर्शाने वाला विवरण

गढ़वाल मण्डल			
वर्ष	ट्रांसपोर्टर्स का नाम	वाहन संख्या	परिवहन हेतु ट्रांसपोर्टर्स का चयन
2013-14	बंसल ट्रांसपोर्ट कम्पनी	यू पी 20 पी 1079, एच आर 46 ए 4772	03 स्थान
2014-15	बंसल ट्रांसपोर्ट कम्पनी.	यू पी 20 पी 1079, एच आर 46 ए 4772	03 स्थान
	सुभाष चन्द्र	एच आर 582332, एच आर 38 एच 4815	02 स्थान
2015-16	बंसल ट्रांसपोर्ट कम्पनी	यू पी 20 टी 1079 एच आर 46 ए 4772	03 स्थान
2016-17	बंसल ट्रांसपोर्ट कम्पनी	यू पी 20 वाई 3477, यू पी 20 टी 3478	02 स्थान
	सुभाष चन्द्र	यू पी 0754907, यू के 07 सी ए 3504	02 स्थान
2017-18	बंसल ट्रांसपोर्ट कम्पनी.	यू पी 20 टी 1079, यू पी 20 टी 3477	02 स्थान
	भूपेश कुमार	यू के 08 सी ए 4528, यू पी 11 एफ 0684	02 स्थान
कुमाऊँ मण्डल			
वर्ष	ट्रांसपोर्टर्स का नाम	वाहन संख्या	परिवहन हेतु ट्रांसपोर्टर्स का चयन
2013-14	सुभाष चन्द्र	एच आर 582332, एच आर 38 एच 4815	02 स्थान
	धन प्रकाश	यू के 07 सी ए 1095, यू जी ए 9017	02 स्थान
	बिपिन कुमार अग्रवाल	एच आर 552938, यू पी 20 एन 3090	02 स्थान
2014-15	रमेश चन्द्र गुप्ता	यू पी 075650, यू पी 07 एफ 6395	02 स्थान
	कंवलजीत सिंह बत्रा	यू पी 11 टी 3229, यू पी 11 डी 6717	02 स्थान
2015-16	योगेश कुमार	यू के 07 सी ए 9127, यू पी 07 ई 0520	02 स्थान
	कंवलजीत सिंह बत्रा	यू के 07 सी ए 3048, एच आर 63 ए 3253	02 स्थान
2016-17	योगेश कुमार	एच आर 38 एच 4602, यू पी 07 ई 0520	02 स्थान
	भूपेश कुमार	यू के 08 सी ए 4528, यू के 08 सी ए 4873	02 स्थान
2017-18	शिव ट्रांसपोर्ट	यू ए 06 एच 7478, यू के 06 सी ए 1790	02 स्थान
	कंवलजीत सिंह बत्रा	यू पी 11 टी 3229, एच आर 63 ए 3253	02 स्थान

¹ ₹ 0.25 प्रति कुंतल प्रति किलोमीटर (₹ 2.00 प्रति 08 किलोमीटर प्रति कुंतल कुमायूं में और ₹ 3.75 प्रति 15 किलोमीटर प्रति कुंतल गढ़वाल में)

² प्रति 15 किलोमीटर प्रति कुंतल ₹ में।

³ प्रति 08 किलोमीटर प्रति कुंतल ₹ में।

परिशिष्ट-1.2.11
(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.11.4 पृष्ठ 28)

गोदामों के निर्माण का विवरण

(₹ लाख में)

गोदाम का नाम	स्वीकृति वर्ष/क्षमता	अवमुक्त धनराशि	व्यय	कार्य अपूर्ण रहने का कारण
खाद्यान्न गोदाम नेटवाड, उत्तरकाशी	जून 2008 (300 मी टन)	34.81	30.98	कार्य मार्च में पूर्ण हो गया था परंतु पहुँच मार्ग न होने के कारण भवन अनुपयोगित पड़ा हुआ था।
खाद्यान्न गोदाम गुलाबकोटी, जोशीमठ, चमोली	मार्च, 2015 (200 मी टन)	48.28	28.89	सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि अवमुक्त हो चुकी थी लेकिन निर्माण स्थल पर कठोर चट्टान होने के कारण कार्य अवरुद्ध था।
खाद्यान्न गोदाम ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून	दिसंबर /2015 (2000 मी टन)	240.52	150.60	बकाया धनराशि ₹ 66.92 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त न होने के कारण कार्य रुका हुआ था।
खाद्यान्न गोदाम काफलीगैर, वागेश्वर	अगस्त 2016 (200 मी टन)	60.00	45.00	कार्यदायी संस्था को बकाया धनराशि ₹ 15.00 लाख न अवमुक्त होने के कारण कार्य रुका हुआ था।

परिशिष्ट-1.4.1
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.4; पृष्ठ 41)

छ: जिलों में चालान किये गये वाहनों से कम प्रशमन शुल्क लिये जाने का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र सं	कार्यालय का नाम	चालान की अवधि	धारा नं.	चालान किए गए वाहनों की संख्या	प्रति वाहन वसूल की गयी प्रशमन राशि	प्रति वाहन वसूल की जाने वाली प्रशमन राशि	कम वसूली की गई प्रशमन राशि	राजस्व हानि
1.	पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़	10/16 से 03/18	179(1)	6,228	100	500	400	24,91,200
2.	पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंह नगर	10/16 से 03/18	179(1)	27,749	100	500	400	1,10,99,600
3.	पुलिस अधीक्षक, देहरादून	10/16 से 03/18	179(1)	18,446	100	500	400	73,78,400
4.	पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार	10/16 से 03/18	179(1)	19,703	100	500	400	78,81,200
5.	पुलिस अधीक्षक, चमोली	10/16 से 03/18	179(1)	4,079	100	500	400	16,31,600
6.	पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल	10/16 से 03/18	179(1)	3,025	100	500	400	12,10,000
योग				79,230				3,16,92,000 लगभग ₹ 3.17 करोड़

परिशिष्ट-1.7.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.7.1; पृष्ठ 47)

राज्य के 20 ब्लड बैंकों द्वारा घटते क्रम में रक्त इकाइयों का संग्रह

क्र. सं.	ब्लड बैंक का नाम	एकत्रित रक्त इकाइयों की संख्या			कुल योग
		2015-16	2016-17	2017-18	
1.	सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज हल्द्वानी	10,970	10,742	10,927	32,639
2.	एस एस जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल	6,831	7,089	7,547	21,467
3.	एल डी भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर	6,625	6,770	7,211	20,606
4.	एच एम जी जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक, हरिद्वार	6,273	6,809	8,440	21,522
5.	जे एल एन जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर*	6,070	6,338	6,014	18,422
6.	एस जे एन एस एम राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रुड़की	6,220	6,074	6,165	18,459
7.	दून चिकित्सालय, देहरादून	6,180	5,425	5,008	16,613
8.	बी डी पाण्डे जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक, पिथौरागढ़	2,421	2,700	2,289	7,410
9.	बेस चिकित्सालय श्रीनगर, पौड़ी	2,259	1,606	1,711	5,576
10.	संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार	1,396	1,867	1,757	5,020
11.	जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा	1,015	953	1,016	2,984
12.	एस पी एस राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश, देहरादून	290	850	633	1,773
13.	जिला चिकित्सालय, ब्लड बैंक, उत्तरकाशी	425	619	567	1,611
14.	बी डी पाण्डेय जिला चिकित्सालय, ब्लड बैंक नैनीताल	484	462	549	1,495
15.	गोविंद सिंह महर जिला चिकित्सालय, रानीखेत, अल्मोड़ा	356	459	438	1,253
16.	जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली	265	171	223	659
17.	जिला चिकित्सालय, बौराड़ी, टिहरी	शून्य	102	283	385
18.	जिला चिकित्सालय, ब्लड बैंक, पौड़ी	शून्य	32	58	90
19.	जिला चिकित्सालय, ब्लड बैंक, बागेश्वर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	जिला चिकित्सालय, ब्लड बैंक, चम्पावत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

स्रोत: एस बी टी सी, देहरादून से एकत्र की गई जानकारी।

*इसे पायलट अध्ययन के लिए लिया गया था।

परिशिष्ट-1.7.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.7.3.1 अ एवं ब; पृष्ठ 51)

चयनित आठ ब्लड बैंकों में वी बी डी की स्थिति और एस बी टी सी द्वारा प्रगति रिपोर्ट में इसकी प्रतिशतता दिखायी गयी है

क्र. सं.	ब्लड बैंक का नाम	2015-16			2016-17			2017-18		
		टी बी सी	वी बी डी	प्रगति रिपोर्ट में एस बी टी सी द्वारा दिखाया गया प्रतिशत	टी बी सी	वी बी डी	प्रगति रिपोर्ट में एस बी टी सी द्वारा दिखाया गया प्रतिशत	टी बी सी	वी बी डी	प्रगति रिपोर्ट में एस बी टी सी द्वारा दिखाया गया प्रतिशत
1.	एस टी एम चिकित्सालय, हल्द्वानी	10,970	3,216 (29)	94	10,742	2,098 (20)	95	10,927	2,646(24)	94
2.	एस एस जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल	6,831	1,813 (27)	92	7,089	1,865 (26)	74	7,547	1,705(23)	88
3.	एल डी भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर	6,625	2,186 (33)	83	6,770	2,136 (32)	81	7,211	2,308(32)	82
4.	एच एम जी जिला चिकित्सालय, हरिद्वार	6,273	4,493 (72)	88	6,809	5,400 (79)	89	8,440	5,902(70)	77
5.	एस जे एन एस एम राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रुड़की	6,220	2,488 (40)	80	6,074	3,166 (52)	67	6,165	2,281(37)	68
6.	दून चिकित्सालय, देहरादून	6,180	1,112 (18)	86	5,425	1,356 (25)	83	5,008	1,102(22)	82
7.	बी डी पाण्डेय चिकित्सालय, पिथौरागढ़	2,421	637 (26)	84	2,700	949 (35)	79	2,289	734 (32)	81
8.	बेस चिकित्सालय श्रीनगर	2,259	792 (35)	79	1,606	530 (33)	89	1,711	616 (36)	83


स्रोत: चयनित ब्लड बैंकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और एस बी टी सी की प्रगति रिपोर्ट।

नोट: ब्रैकेट में आँकड़े टी बी सी के विरुद्ध वी बी डी के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

परिशिष्ट-1.7.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.7.4.1; पृष्ठ 53)

लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करने की प्रक्रिया



स्रोत : एस डी सी, देहरादून

परिशिष्ट-1.7.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.7.4.1; पृष्ठ 53)

लाइसेंस के गैर-नवीकरण की स्थिति मार्च 2018 तक

क्र. सं.	ब्लड बैंक का नाम	लाइसेंस की वैधता	ब्लड बैंक द्वारा अब तक कमियों को दूर नहीं किया गया	कमियों का असर
1.	सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज	26.03.2017	कोई भी उपकरण कैलिब्रेटेड नहीं पाया गया; सेरोलॉजी प्रयोगशाला और टी टी आई लैब में ब्लड बैंक की सफाई संतोषजनक नहीं थी; थर्मोग्राफ रिकॉर्डर कार्यरत नहीं पाया गया; एलिजा रीडर के परीक्षण हेतु सुविधा का अभाव	रक्त और रक्त घटक संदूषण के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, इस प्रक्रिया का पालन न करने से रक्त प्राप्त करने वाले को संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है।
2.	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़	29.06.1998	टी टी आई लैब में ब्लड बैंक की सफाई संतोषजनक नहीं है; उपकरणों का कैलिब्रेशन न किया जाना; थर्मोग्राफ रिकॉर्डर कार्यरत नहीं पाया गया; एलिजा रीडर के परीक्षण हेतु सुविधा का अभाव	
3.	एल डी भट्ट चिकित्सालय काशीपुर	08.10.2017	उपकरणों का कैलिब्रेशन न किया जाना; थर्मोग्राफ रिकॉर्डर कार्यरत नहीं पाया गया,	
4.	एस पी एस राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश	23.04.2017	उपकरणों का कैलिब्रेशन न किया जाना; डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट्स को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेफ्रिजरेटर के तापमान की निगरानी के लिए कोई प्रक्रिया नहीं; परीक्षित रक्त के भंडारण के लिए स्टैंडबाई रेफ्रिजरेटर खराब पाया गया।	
5.	एस एस जीना चिकित्सालय, हल्द्वानी	09.10.2017	उपकरणों का कैलिब्रेशन न किया जाना	
6.	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	31.12.2006	उपकरणों का कैलिब्रेशन न किया जाना, एलिजा रीडर के परीक्षण हेतु सुविधा न होना, डाइइलैक्टिक सिलर्स खराब होना, अपरीक्षित रक्त के भंडारण हेतु रेफ्रिजरेटर का खराब होना, एक ही रेफ्रिजरेटरमें परीक्षित एवं अपरीक्षित रक्त इकाइयों का भंडारण।	

परिशिष्ट-1.7.5

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.7.4.1; पृष्ठ 53)

जून 2018 तक लाइसेंस के गैर-नवीनीकरण की स्थिति

क्र. सं.	ब्लड बैंक का नाम	ब्लड बैंक स्थापना की तिथि	लाइसेंस वैधता की तिथि	लाइसेंसिंग प्राधिकरण की कार्यवाही	लाइसेंस के नवीनीकृत न किए जाने का कारण	टिप्पणियाँ
1.	दून चिकित्सालय, देहरादून	10.10.2012	09.10.2017	26.01.18 को निरीक्षण किया	अनुमोदन के लिए सी डी एस सी ओ को भेजा गया	10.10.2017 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (आठ माह)
2.	एस पी एस राजकीय चिकित्सालय, ऋषिकेश	24.04.2012	23.04.2017	26.01.18 को निरीक्षण किया	ब्लड बैंक द्वारा अब तक कमियाँ को दूर नहीं किया गया	24.04.2017 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (एक वर्ष तीन माह)
3.	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	20.01.1998	31.12.2006	08.03.18 को निरीक्षण किया	-तदैव-	01.01.2007 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (ग्यारह वर्ष छः माह)
4.	एस एस जीना चिकित्सालय, हल्द्वानी	10.10.2002	09.10.2017	04.01.18 को निरीक्षण किया	- तदैव -	10.10.2017 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (आठ माह)
5.	सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज	27.03.2012	26.03.2017	05.07.17 को निरीक्षण किया	- तदैव -	27.03.2017 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (एक वर्ष तीन माह)
6.	एल डी भद्र चिकित्सालय काशीपुर	09.10.2012	08.10.2017	28.11.17 को निरीक्षण किया	- तदैव -	09.10.2017 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (आठ माह)
7.	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़	30.06.1997	29.06.1998	27.03.18 को निरीक्षण किया	- तदैव -	30.06.1998 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (20 वर्ष)। क्योंकि 1998 से लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ
8.	जीवन रेखा चिकित्सालय, काशीपुर	27.08.2012	26.08.2017	अब तक निरीक्षण नहीं किया गया	निरीक्षण करने के लिए लाइसेंस प्राधिकरण की विफलता	27.08.2017 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (दस माह)
9.	जिला चिकित्सालय पौड़ी	28.12.2012	27.12.2017	अब तक निरीक्षण नहीं किया गया	- तदैव -	28.12.2017 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (छः माह)
10.	जिला चिकित्सालय , अल्मोड़ा	01.01.2013	31.12.2017	अब तक निरीक्षण नहीं किया गया	- तदैव -	01.01.2018 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (छः माह)
11.	जीएसएम जिला चिकित्सालय, रानीखेत	15.06.2011	14.06.2016	अब तक निरीक्षण नहीं किया गया	- तदैव -	15.06.2016 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (दो वर्ष)
12.	जिला चिकित्सालय , चमोली	11.04.1997	31.12.2017	अब तक निरीक्षण नहीं किया गया	- तदैव -	01.01.2018 से बिना लाइसेंस के चल रहा है (छः माह)
13.	बी डी पाण्डेय (एम) चिकित्सालय, नैनीताल	01.01.2013	31.12.2017	अब तक निरीक्षण नहीं किया गया	- तदैव -	छः माह से बिना लाइसेंस के चल रहा है।
14.	हिमालयन हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट, देहरादून	30.12.2012	31.12.2017	---		नवीनीकृत
15.	मैक्स सुपर अस्पताल, देहरादून	27.12.2012	28.12.2017	---		नवीनीकृत
16.	एच एम जी जिला चिकित्सालय, हरिद्वार	26.01.2012	27.01.2017	---		नवीनीकृत
17.	जे एल एन जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, यू एस नगर	30.12.2011	31.12.2016	---		नवीनीकृत

स्रोत: एस डी सी, देहरादून से एकत्र की गई सूचना।

नोट 1- ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अनुसार ब्लड बैंक का निरीक्षण सी डी एस सी ओ और एस डी सी की टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है।

नोट 2- अधिनियम में दोषी लाइसेंसधारी के खिलाफ कोई दंडात्मक उपाय या दंड का प्रावधान नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-1.7.6
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.7.5.2; पृष्ठ 56)

2015 से मार्च 2018 के दौरान उपकरणों के कैलिब्रेशन न किए जाने की स्थिति

उपकरण का नाम	अंशांकन की आवधिकता	अंशांकन कब से नहीं किया गया
हिमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज	वार्षिक	एल डी भट्ट चिकित्सालय काशीपुर एवं एसएस जीना चिकित्सालय, हल्द्वानी का 04/2016 से 03/2018
		एस जे एन एम चिकित्सालय, रुड़की का 09/2016 से 03/2018
		जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ का 05/2015 से 03/2018
		सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी का 02/2017 से 03/2018
जनरल लैब सेंट्रीफ्यूज, ऑटोमेटिड ब्लड टाइपिंग, हीमोग्लोबिनो मीटर, रिफ्रक्टोमीटर	प्रत्येक छः माह	एल डी भट्ट चिकित्सालय काशीपुर एवं एसएस जीना चिकित्सालय, हल्द्वानी का 04/2016 से 03/2018
		एस जे एन एम चिकित्सालय, रुड़की का 09/2016 से 03/2018
		जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ का 05/2015 से 03/2018
		सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी का 02/2017 से 03/2018

परिशिष्ट-1.10.1

(संदर्भ: प्रस्तर 1.10.1; पृष्ठ 64)

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जिन पर अनुवर्ती प्रतिवेदन में विचार नहीं किया गया


क्र. सं.	विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में टिप्पणियाँ एवं प्रस्तर संख्या	अनुवर्ती प्रतिवेदन में विचार न किए जाने के कारण
1.	लाभार्थियों का अनियमित चयन (प्रस्तर-1.3.6.1)	जैसा कि इं आ यो के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन बी पी एल सूची-2002 से किया जाता था जबकि प्र आ यो-ग्रा के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति गणना (सा आ जा ग) 2011 में दिये गए चयन आवासीय वंचित मानकों से संबन्धित आंकड़ों का प्रयोग करते हुए किया जाता है जो आवाससॉफ्ट पर अपलोड है एवं लाभार्थी को सहायता दिये जाने के पूर्व संबन्धित ग्राम सभाओं के द्वारा लाभार्थी की पात्रता सत्यापित की जाती है।
2.	समूह दृष्टिकोण हेतु लाभार्थियों की पहचान न किया जाना। (प्रस्तर-1.3.6.3)	प्र आ यो-ग्रा के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः अनुवर्ती लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया।
3.	आवासों की सूची का रख-रखाव न किया जाना। (प्रस्तर-1.3.6.5)	प्र आ यो-ग्रा के दिशा-निर्देशों के अनुसार आंकड़ों को आवाससॉफ्ट पर अपलोड किए जाने का प्रावधान है एवं ऐसा किया जा रहा है, इस कारण अनुवर्ती लेखापरीक्षा में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई।
4.	महिला सदस्यों के नाम इं आ यो के आवासों का आवंटन न किया जाना। (प्रस्तर-1.3.8.3)	प्र आ यो-ग्रा के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवासों का आवंटन पति पत्नी दोनों के नाम पर किया जा रहा है, इस कारण अनुवर्ती लेखापरीक्षा में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई।
5.	अ जा/अ ज जा बी पी एल परिवारों को आवासों के आवंटन में निर्धारित सीमा का अनुपालन न किया जाना। (प्रस्तर-1.3.8.4)	उक्त टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं क्योंकि राज्य में अ जा/अ ज जा के परिवारों की उपलब्धता 60 प्रतिशत से कम है।

परिशिष्ट-1.12.1
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.12.2; पृष्ठ 78)


वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता मानदण्ड और चयन प्रक्रिया का विवरण

क्र.सं.	पात्रता मानदण्ड	आवश्यक सहायक दस्तावेज
1.	आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए	आधार कार्ड/परिवार रजिस्टर/वोटर आई डी
2.	आवेदक को बी पी एल श्रेणी का होना चाहिए	बी पी एल प्रमाण पत्र
अथवा		
3.	मासिक पारिवारिक आय ₹ 4,000 तक हो	कम से कम तहसीलदार स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र
4.	ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक के पास भूमि 2.5 एकड से कम होनी चाहिए	पटवारी रिपोर्ट
5.	आवेदक के पुत्र/पौत्र की आयु 20 से अधिक हो परन्तु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो	इस सम्बन्ध में शपथपत्र

चयन की प्रक्रिया



पेंशन वितरण की प्रक्रिया



परिशिष्ट-1.13.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.13.4.1; पृष्ठ 95)

वायु प्रदूषकों, उनके स्रोतों और प्रभाव का विवरण

प्रदूषक	संभावित मानवजनित स्रोत	प्रभाव	
		मानव / वनस्पति / जीव	पर्यावरण और प्रकृति
<p>सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) SO₂, ज्वालामुखियों और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित रासायनिक यौगिक है और यह वायुमंडल में कणों का प्रसार करने के लिए भी अग्रदूत है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> जीवाश्म ईंधन का दहन (कोयला, थर्मल पावर प्लांट, कार्यालय, कारखानों में भारी ईंधन तेल) कागज उद्योग जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण और वितरण धातुओं को गलाना (सल्फाइड अयस्क का उत्पादन करने के लिए तांबा, सीसा और जस्ता) पेट्रोलियम रिफाइनिंग डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस चालित वाहनों में दहन प्रक्रिया 	<ul style="list-style-type: none"> साँस की बीमारी दृश्यता में कमी मौजूदा हृदय और फेफड़ों के रोगों को बढ़ाता है 	<ul style="list-style-type: none"> अम्ल वर्षा सौंदर्य क्षति
<p>नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO_x) नाइट्रोजन के ऑक्साइड अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैसों के समूह के लिए एक प्रजातिगत शब्द है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग-अलग मात्रा में होते हैं। NO_x को नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO) के रूप में उत्सर्जित किया जाता है जो तेजी से अधिक विषाक्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO₂ में ऑक्सीकृत होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) एक लाल-भूरे रंग की विषैली गैस है जिसमें एक विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध होती है जो गंध को काटती है और एक प्रमुख वायु प्रदूषक है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> उच्च तापमान दहन (आंतरिक दहन इंजन, जीवाश्म ईंधन से चलने वाली बिजली की घर, औद्योगिक) बायोमास और जीवाश्म ईंधन का जलना 	<ul style="list-style-type: none"> नाक और गले पर जलन श्वसन संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि 	<ul style="list-style-type: none"> क्षोभमंडल में गठित ओजोन का अग्रणी ऑक्सीकरण के परिणामस्वरूप पनाइट्रेट एरोसोल बनने के कारण वायुमंडल में कणिका तत्व उत्पन्न होते हैं
<p>श्वसनीय निलंबित पार्टिकुलेट मैटर (PM₁₀, आकार 10≤μm, मोटे अंश PM₁₀-PM_{2.5}) थोरेसिक अंश कहा जाता है) पार्टिकुलेट मैटर (PM) आसपास के गैसों के साथ अर्ध संतुलन में निलंबित ठोस और तरल कण का एक जटिल मिश्रण है। आर एस पी एम के प्रमुख घटक कार्बनिक और मौलिक कार्बन, धातु / तत्व जैसे सिलिकॉन, मैग्नीशियम, लोहा, आयर्न जैसे सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, अमोनियम आदि हैं। PM₁₀ श्वसनली और फेफड़ों में बस सकता है और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> विशेष रूप से डीजल वाहनों से सड़क यातायात उत्सर्जन औद्योगिक दहन, कुछ सार्वजनिक बिजली उत्पादन करता है वाणिज्यिक और आवासीय दहन गैर-दहन प्रक्रियाएं (जैसे उत्खनन) कृषि गतिविधियाँ 	<ul style="list-style-type: none"> कार्डियो-पल्मोनरी समस्याएं वृद्ध लोगों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया 	<ul style="list-style-type: none"> दृश्यता में कमी
<p>पार्टिकुलेट मैटर 2.5 (PM_{2.5}), आकार 2.5μm, 2.5μm तक सूक्ष्म अंश आकार, श्वसनीय अंश) 2.5 माइक्रोन मीटर से छोटे वायुवहित कणों को महीन कण कहा जाता है। मुख्य रूप से कार्बनिस सामग्री (कार्बनिक और तात्विक), अकार्बनिक यौगिकों (सल्फेट, नाइट्रेट और अमोनियम) से बना है, और धातु यौगिकों</p>	<ul style="list-style-type: none"> वाहनजनित उत्सर्जन औद्योगिक दहन कुछ सार्वजनिक बिजली उत्पादन वाणिज्यिक और आवासीय दहन 	<ul style="list-style-type: none"> ऑक्सीडेटिव तनाव श्वसन संबंधी लक्षण जैसे वायुमार्ग में जलन, खांसी या सांस लेने में कठिनाई फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी बढ़े हुए अस्थमा 	<ul style="list-style-type: none"> सौंदर्य क्षति दृश्यता में कमी

<p>(लोहा, एल्यूमीनियम, निकल, तांबा, जस्ता, और सीसा) का पता लगाता है। सबसे बड़ी समस्याएँ, पीएम_{2.5}, फेफड़ों के गैस विनिमय क्षेत्रों में घुस कर करते हैं, और बहुत छोटे कण (<100 नैनोमीटर) फेफड़ों के माध्यम से अन्य अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे छोटे कण, हालांकि, 100 एनएम (नैनोकणों) से कम रक्तप्रवाह में मिल सकते हैं और हृदय प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं</p>		<ul style="list-style-type: none"> ● क्रोनिक ब्रॉकाइटिस ● अनियमित दिल की धड़कन कार्डियो - फुफुसीय विकार ● दिल या फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों में समय से पहले मृत्यु 	
<p>ओजोन (O₃) ओजोन एक धुंधली नीली गैस है, जो पानी में घुलनशील और गैर-ध्रुवीय सॉल्वेंट्स के साथ विशिष्ट तेज गंध होती है जो कुछ हद तक क्लोरीन ब्लीच जैसी होती है। ओजोन एक द्वितीयक प्रदूषक है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) के ऑक्साइड के बीच प्रतिक्रिया से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। शिखर O₃ स्तर आमतौर पर वर्ष के गर्म समय के दौरान होते हैं।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● कार के इंजन, औद्योगिक संचालन, रासायनिक सॉल्वेंट्स द्वारा उत्सर्जित हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड युक्त हवा पर सूर्य के प्रकाश की प्रतिक्रिया से ओजोन बनाने के लिए ● इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फोटोकॉपीर्स 	<ul style="list-style-type: none"> ● फेफड़े की कार्यक्षमता कम हो जाती है ● साँस की बीमारी ● अकाल मृत्यु, अस्थमा, ब्रॉकाइटिस, दिल का दौरा, और अन्य कार्डियोपल्मोनरी समस्याएं। ● जमीनी स्तर ओजोन और प्रदूषण जो प्रकाश संश्लेषण के साथ हस्तक्षेप करते हैं और कुछ पौधों की प्रजातियों के समग्र विकास को कम करते हैं 	<ul style="list-style-type: none"> ● कार टायर, गैस्केट, ओ-रिंग, मे ओजोन क्रेकिंग चेन के टांचे के भीतर ओलेफिनिक या डबल बांड वाले किसी भी बहुलक पर ओजोन के हमले के कारण होता है ● उपरी क्षोभमंडल में मौजूद ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है, जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित कुछ अवरक्त ऊर्जा को अवशोषित करता है।
<p>लैड लैड एक चमकदार, सघन, कोमल, अत्यधिक लचीला, नीले-सफेद रंग की धातु है जो विद्युत कूचालक धातु होती है और यह क्षरण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होती है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● अपशिष्ट भस्मीकरण ● धातु प्रसंस्करण ● पेंट उद्योग ● भोजन के डिब्बे, स्तन के दूध, पीने के पानी, प्रसाधन सामग्री, चीनी मिट्टी के बर्तनों में जलाऊ लकड़ी या मिट्टी के तेल, स्वदेशी उपचार, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों, दूषित पेयजल, खिलौने, औद्योगिक अपशिष्टों, सीसा एसिड बैटरी, गोला बारूद, पेंट्स और वार्निशों, पानी के पाइप में लीड मिलाप ● ऑटोमोबाइल निकास, 	<ul style="list-style-type: none"> ● सीसा तेजी से रक्तप्रवाह में अवशोषित हो जाता है और माना जाता है कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय प्रणाली, गुर्दे और प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ● रक्ताल्पता जैसे रक्त विकार, रक्तचाप में वृद्धि। ● शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन जो नरम ऊतकों और हड्डियों दोनों में जमा होता है। ● नेफ्रोपैथी, और पेट का दर्द। ● उंगलियों, कलाई या टखनों में कमजोरी। ● महिलाओं में गर्भपात और प्रजनन क्षमता में कमी, लड़कियों में यौवन में देरी ● बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता को स्थायी रूप से कम करता है 	
<p>कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) जिसे कार्बन ऑक्साइड भी कहा जाता है, एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है जो हवा से थोड़ी हल्की है। यह मनुष्यों और जानवरों के लिए अत्यधिक मात्रा में विषाक्त है। मुख्य रूप से कार्बन युक्त ईंधन के अधूरे दहन से बनता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● आंतरिक दहन इंजन का निकास, विशेष रूप से पेट्रोल इंजन वाले वाहनों का ● कार्बन ईंधन का जलना ● अपशिष्ट भस्मीकरण में कार्बनिक दहन 	<ul style="list-style-type: none"> ● CO फेफड़ों के माध्यम से रक्तप्रवाह में प्रवेश करता है और हीमोग्लोबिन रूपों के साथ मिलकर कार्बोक्सीहेमोग्लोबिन बनाता है। इस स्थिति को एनोक्सिमिया के रूप में जाना 	

	<ul style="list-style-type: none"> पावर स्टेशन की प्रक्रिया लोहे की गलन फसल अवशेषों को जलाना 	<p>जाता है, जो रक्त की ऑक्सीजन को अंगों और ऊतकों तक ले जाने की क्षमता को रोकता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> दिल की बीमारी वाले व्यक्ति CO विषाक्तता के प्रति संवेदनशील होते हैं और यदि वह व्यायाम करते समय सांस लेते हैं तो सीने में दर्द का अनुभव हो सकता है। एक गर्भवती महिला के भ्रूण पर प्रतिकूल प्रभाव शिशुओं, बुजुर्ग व्यक्तियों और श्वसन रोगों वाले व्यक्ति भी विशेष रूप से संवेदनशील हैं। एंटिड्रगमटोरिस, वासोडिलेटर और नव संवहनी विकास में प्रोत्साहक 	
<p>अमोनिया (NH₃) नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक, एक रंगहीन गैस जिसमें एक विशिष्ट तीखी गंध होती है। भोजन और उर्वरकों के अग्रदूत के रूप में कार्य करके स्थलीय जीवों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कई दवाइयों के संश्लेषण के लिए निर्माण खंड भी है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> कृषि क्षेत्र उर्वरक उद्योग औद्योगिक साइटें जो अमोनिया को स्टोर करती हैं या इसे एक शीतलकके रूप में उपयोग करती हैं, यदि रासायनिक रिसाव या फैलाव होता है, तो उच्च स्तर पर अमोनिया का निकास हो सकता है। 	<ul style="list-style-type: none"> त्वचा, आंखों, गले और फेफड़ों में जलन और खांसी का कारण जलन अमोनिया के बहुत अधिक सांद्रता के संपर्क में आने के बाद फेफड़ों की क्षति और मृत्यु तक हो सकती है 	<ul style="list-style-type: none"> गंध
<p>बेंजीन (C₆H₆) बेंजीन एक रंगहीन, मीठी महक वाला तरल है। जब भी कार्बन युक्त सामग्री अधूरा दहन से गुजरती है तो बेंजीन उत्पन्न होता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ईंधन का दहन (मोटर वाहन ईंधन, लकड़ी और स्थिर जीवाश्म ईंधन, अन्य सुगंधित पदार्थ) वाष्पीकरण (ईंधन भंडारण कंटेनर, ईंधन भरने के दौरान) औद्योगिक उत्सर्जन कोक तंदूर परक्लोरोएथिलीन जो कुछ सूखी सफाई सुविधाओं से उत्सर्जित होता है तंबाकू का धुआँ, लकड़ी का धुआँ गोंद, पेंट, फर्नीचर मोम और डिटेजेंट 	<ul style="list-style-type: none"> हेमेटोटाॉक्सिक, न्यूरोटाॉक्सिक, ल्यूकेमोजेनिक, कार्सिनोजेनिक प्रभाव बेंजीन के दीर्घकालिक संपर्क में गुणसूत्र क्षति, प्रतिरक्षा दमन, अप्लास्टिक अनीमिया, मायलोइड्सप्लास्टिक सिंड्रोम, ल्यूकेमिया, गैर-हॉजकिन्स लिफोमा और फेफड़ों और नासिकाशोथ का कैंसर हो सकता है। प्रजनन प्रणाली, भ्रूण और पुरुषों में प्रजनन क्षमता के विकास पर प्रभाव, जन्म के समय कम वजन, अस्थि निर्माण में देरी, और अस्थि मज्जा क्षति। 	
<p>पोलिरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (BaP) (पार्टिकुलेट फेज केवल) एक पांच-रिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसके मेटाबोलाइट्स उत्परिवर्ती और अत्यधिक कैंसरकारी होते हैं।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ईंधन का अपूर्ण दहन (कोयले और कच्चे तेल का प्रसंस्करण) प्राकृतिक गैस का दहन सड़क परिवहन औद्योगिक कारखाना तंबाकू का धुआँ कोल तार 	<ul style="list-style-type: none"> म्यूटाजेनिक और अत्यधिक कैंसरकारी (त्वचा, फेफड़े, और मूत्राशय के कैंसर मनुष्यों में और जानवरों में) त्वचा में लाल चकत्ते या आंखों में जलन ब्रॉकाइटिस 	

	<ul style="list-style-type: none"> कार्बनिक पदार्थों के दहन से उत्पन्न सभी धुएँ, ऑटोमोबाइल निकास धुएँ (विशेष रूप से डीजल इंजन) जले हुए खाद्य पदार्थ जैसे कॉफी, जले हुए टोस्ट, पकाया हुआ मास, ग्रिल्ड खाद्य सामग्री। 		
<p>आर्सेनिक (As) एक ठोस स्तरित, ग्रेफाइट का एक रफल एनालॉग, रंग में धात्विक धूसर और एक अर्धचालक है। यह एक शक्तिशाली जहर है (IARC) आर्सेनिक और समूह 1 कार्सिनोजेन (IARC) के रूप में मान्य है</p>	<ul style="list-style-type: none"> धातुओं को गलाना, ईंधनों का दहन (विशेषकर निम्न श्रेणी के भूरे कोयले का) कीटनाशकों का प्रयोग। लकड़ी के संरक्षण, कांच का उत्पादन, गैर-धातु धातु मिश्र धातु, इलेक्ट्रॉनिक अर्धचालक विनिर्माण। स्मेल्टर उद्योग से जुड़ा कोक ओवन उत्सर्जन 	<ul style="list-style-type: none"> एपिजेनेटिक परिवर्तन मल्टी-सिस्टम अंग विफलता जहर के रूप में 	
<p>निकेल (Ni) एक चाँदी जैसी चमकदार क्षरण प्रतिरोधी धातु है जिसमें हल्का सुनहरा रंग है</p>	<ul style="list-style-type: none"> जीवाश्म ईंधन का दहन निकल चढ़ाना धातुकर्म प्रक्रियाएँ 	<ul style="list-style-type: none"> निकल सल्फाइड धूआं और धूल को कार्सिनोजेनिक माना जाता है एलर्जी, जिल्द की सूजन। पॉफोलिक्स वाले रोगियों में निकल से संवेदनशीलता भी मौजूद हो सकती है। 	<ul style="list-style-type: none"> हवा में विस्फोटक

परिशिष्ट-1.13.2 अ
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.13.5.2; पृष्ठ 102)

औद्योगिक इकाइयों की सूची जिनमें सी टी ओ 31-03-18 तक वैध था

क्र. सं.	उद्योग - रैंड श्रेणी
1.	आर्मी वेलफ़ेर हाउसिंग संगठन
2.	देहरादून दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ लिमिटेड, देहरादून
3.	एम एस डब्ल्यू प्रसंस्करण और निपटान सुविधा का विकास शीशमबाड़ा
4.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड
5.	शिवालिक रसायन लिमिटेड
क्र. सं.	उद्योग - ऑरेंज श्रेणी
1.	बामर लॉरी-वैन लीरलिमिटेड
2.	देहरादून प्रीमियर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	ई-ड्यूरैबल्स यूनिट-II
4.	शारदा होटल्स एंड टूर प्राइवेट लिमिटेड
5.	होटल सुरभि पैलेस इंडिया लिमिटेड
6.	हाउसहोल्ड फार्मास्यूटिकल्स
7.	जे के प्रिंट पैक्स
8.	प्रीमियर न्यूट्रास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	रीडबर्ग फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
10.	सर्वेयर फार्मास्यूटिकल्स
11.	वर्व ह्यूमन केयर लैबॉरेटरीज
12.	विंडलास हेल्थकेयर
क्र. सं.	उद्योग - ग्रीन श्रेणी
1.	अलेक्सिया पैनल्स
2.	एम्बर एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड. यूनिट-6
3.	एस्पायर ओरल केयर प्राइवेट लिमिटेड
4.	कोपरनिकस इंडिया
5.	ईज़ी मेट प्राइवेट लिमिटेड
6.	ई-ड्यूरैबल्स
7.	हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड
8.	इन्वोलेट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इन्वोलेट इंजीनियरिंग लिमिटेड)
9.	पी सी ज्वैलर लिमिटेड
10.	राजीव गाँधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सोसायटी (शापोरोजी पलॉजी और कम्पनी लिमिटेड।)
11.	वी एल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
12.	वी एल सी सी पर्सनल केयर लिमिटेड
13.	वैली होटल एंड रिसॉर्ट्स
क्र. सं.	उद्योग - व्हाइट श्रेणी
1.	क्लोवर ऑर्गेनिकस प्राइवेट लिमिटेड
2.	डिक्सन भूरजी मोल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड

परिशिष्ट-1.13.2 ब
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.13.5.2; पृष्ठ 102)

औद्योगिक इकाइयों की सूची जिनमें सी टी ओ 31-03-18 तक वैध था

क्र. सं.	उद्योग का नाम	सी टी ओ स्थिति
1.	देहरादून दुग्ध उत्पाद सहकारी संघ लिमिटेड, देहरादून	31-03-18 तक वैध
2.	एम एस डब्ल्यू प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटी विकास शीशमबाड़ा	
3.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	
4.	बामर लॉरी-वैन लीर लिमिटेड	
5.	ई-इयूरेबल्स यूनिट-II	
6.	होटल सुरभि पैलेस इंडिया लिमिटेड	
7.	हाउस होल्ड फार्मास्यूटिकल्स	
8.	जे के प्रिंट पैक्स	
9.	रिडेबुर्ग फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	
10.	सर्वेयर फार्मास्यूटिकल्स	
11.	वर्व ह्यूमन केयर लैबॉरेटरीज़	
12.	विंडलास हेल्थकेयर	
13.	अलेक्सिया पैनल्स	
14.	एम्बर एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड यूनाइट-6	
15.	एस्पायर ओरल केयर प्राइवेट लिमिटेड	
16.	ईजी मैट प्राइवेट लिमिटेड	
17.	इन्वोलेट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	
18.	क्लोवर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	
19.	डिक्सन भूरजी मोल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड	

परिशिष्ट-1.13.2 स
(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.13.5.2; पृष्ठ 102)

औद्योगिक इकाइयों की सूची, जिन्हें कभी सी टी ओ नहीं मिला, लेकिन अभी भी संचालित हैं

क्र. सं.	उद्योग का नाम	सी टी ओ स्थिति
1.	आर्मी वेल्फेयर हाउसिंग ओर्गेनाइजेशन	सी टी ओ के लिए कभी आवेदन नहीं किया गया। केवल सी टी ई प्राप्त किया
2.	राजीव गाँधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सोसाइटी (शापोरोजी पलॉजी और कम्पनी लिमिटेड)।	
3.	वैली होटल एन रिसॉर्ट (स्पाइस)	

क्र. सं.	उद्योग का नाम	सी टी ओ स्थिति
1.	देहरादून प्रीमियर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	सी टी ई के लिए आवेदन किया लेकिन निरस्त कर दिया गया

परिशिष्ट-1.13.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर 1.13.5.4; पृष्ठ 103)

प्रदूषण सूचकांक के समग्र स्कोर के वर्गीकरण की प्रणाली

सी पी सी बी दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्गीकरण प्रदूषण सूचकांक के समग्र स्कोर (0-100 अंक) के आधार पर किया जाएगा अर्थात यदि उद्योग 60 और उससे अधिक स्कोर करता है, तो इसे रेड श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा; यदि यह 41 से 59 स्कोर करता है, तो इसे ऑरेंज श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और यदि यह 21 से 40 स्कोर करता है, तो इसे ग्रीन श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 20 (20 सहित) अंक तक का उद्योग, को व्हाइट श्रेणी या गैर-प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सी पी सी बी के परिपत्र दिनांक 07.03.2016 में कहा गया है कि वर्गीकरण निम्न भारांक के अनुसार प्रदत्त प्रदूषण सूचकांक के समग्र स्कोर (0-100) के आधार पर किया जाएगा।

PM, CO, NO _x , SO _x , HMs, बेंजीन, अमोनिया और उद्योग के लिए प्रासंगिक अन्य विषाक्त मापदंडों के आधार पर वायु प्रदूषण स्कोर।	40 अंक
उद्योग के लिए प्रासंगिक Ph, TSS, NH ₃ -N, BOD, फिनोल और अन्य विषैले प्रदूषकों जैसे मापदंडों के आधार पर जल प्रदूषण स्कोर।	40 अंक
उद्योग द्वारा उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट (भूमि भराव योग्य, लाइलाज, पुनः प्रयोज्य)।	20 अंक
औद्योगिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले कचरे की प्रकृति के आधार पर पैरामीटर तय किए जाने हैं। केवल जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण वाले उद्योगों, को 100 स्कोर के सापेक्ष सामान्यीकृत किया जाएगा।	

दून घाटी अधिसूचना के अनुसार, (अ) 100 व्यक्तियों तक के गैर अप्रिय और गैर खतरनाक रोजगार वाले उद्योगों (अप्रिय और खतरनाक उद्योग वे हैं जो ज्वलनशील, विस्फोटक, संक्षारक या जहरीले पदार्थ का उपयोग करते हैं), (ब) सभी उद्योग जो प्रदूषणकारी प्रकृति के औद्योगिक अपशिष्टों का निर्वहन नहीं करते हैं और जो अधिसूचना में उल्लिखित किसी भी प्रक्रिया को नहीं करते हैं, और (स) सभी उद्योग जो अपनी निर्माण प्रक्रिया में या किसी सहायक प्रक्रिया में ईंधन का उपयोग नहीं करते हैं और जो एक विसरित प्रकृति के आशुलोपी उत्सर्जन का उत्सर्जन नहीं करते, उन्हें ग्रीन श्रेणी रंग में वर्गीकृत किया जाएगा।

इसके अलावा, (अ) सभी उद्योग, जो कुछ तरल अपशिष्टों (500 के एल प्रतिदिन से नीचे) का उत्सर्जन करते हैं, जिन्हें उपयुक्त सिद्ध प्रौद्योगिकी के साथ नियंत्रित किया जा सकता है, (ब) सभी उद्योग जिनमें कोयले / ईंधन की दैनिक खपत 24 मीट्रिक टन प्रति दिन से कम है और विशेष रूप से उत्सर्जन जिससे उपयुक्त सिद्ध प्रौद्योगिकी, को नियंत्रित किया जा सकता है और (स) 500 व्यक्तियों तक को रोजगार देने वाले सभी उद्योगों को ऑरेंज श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

इसके अलावा, (अ) सभी उद्योग जो 500 केएल प्रतिदिन की दर से प्रदूषणकारी प्रकृति के अपशिष्टों रिसाव करते हैं और जिन्हें पर्याप्त रूप से तनुकरण करने की प्राकृतिक प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है, और वे अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें उपयुक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, (ब) सभी उद्योग जिसमें 500 से अधिक व्यक्ति प्रति दिन कार्यरत हैं, और (स) सभी उद्योग जिनमें कोयला/ईंधन की दैनिक खपत 24 मीट्रिक टन प्रति दिन से अधिक है, को रेड श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

परिशिष्ट-2.2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.8.2; पृष्ठ 149)

वितान न खोलने के कारण राजस्व की प्राप्ति न होने से संबन्धित विवरण

प्रभाग	वर्ष	प्रकाष्ठ	संभावित आयतन (घन मीटर में)	मृत, बीमार एवं उखड़े हुए वृक्षों के हटाने से प्राप्त वास्तविक आयतन (घन मीटर में)	कमी (घन मीटर में)	दर (₹ प्रति घन मीटर)	प्रकाष्ठ, जिसे पातित नहीं किया गया, की रॉयल्टी (₹ में)
तराई पूर्वी	2013-14	साल	10,447.40	0	10,447.40	30,785	32,16,23,209
		सैन	1,243.29	0	1,243.29	9,066	1,12,71,667
		जामुन	551.74	0	551.74	4,285	23,64,206
		कोकाट	1,767.55	0	1,767.55	6,314	1,11,60,311
	2014-15	साल	10,447.40	0	10,447.40	31,376	32,77,97,622
		सैन	1,243.29	0	1,243.29	8,634	1,07,34,566
		जामुन	551.74	0	551.74	4,264	23,52,619
		कोकाट	1,767.55	0	1,767.55	6,270	1,10,82,539
	2015-16	साल	10,447.40	0	10,447.40	34,923	36,48,54,550
		सैन	1,243.29	0	1,243.29	8,288	1,03,04,388
		जामुन	551.74	0	551.74	4,636	25,57,867
		कोकाट	1,767.55	0	1,767.55	6,988	1,23,51,639
योग (अ)					42,029.94		108,84,55,183
कालसी	2013-14	साल	2,168.91	313.19	1,855.72	20,218	3,75,18,947
		सैन	1,043.03	0	1,043.03	6,348	66,21,154
		कोकाट	1,788.05	0	1,788.05	6,015	1,07,55,121
	2014-15	साल	2,168.91	977.22	1,191.69	18,903	2,25,26,516
		सैन	1,043.03	0	1,043.03	6,077	63,38,493
		कोकाट	1,788.05	0	1,788.05	5,628	1,00,63,145
	2015-16	साल	2,168.91	1,129.50	1,039.41	20,459	2,12,65,289
		सैन	1,043.03	0	1,043.03	6,287	65,57,530
		कोकाट	1,788.05	0	1,788.05	4,733	84,62,841
	2016-17	साल	2,168.91	297.90	1,871.01	21,068	3,94,18,439
		सैन	1,043.03	0	1,043.03	6,248	65,16,851
		कोकाट	1,788.05	0	1,788.05	4,662	83,35,889
	2017-18	साल	2,168.91	360.59	1,808.32	21,550	3,89,69,296
		सैन	1,043.03	0	1,043.03	5,761	60,08,896
		कोकाट	1,788.05	0	1,788.05	5,348	95,62,491
योग (ब)					21,921.55		238,920,899
रामनगर	2013-14	साल	13,179.60	1,249.62	11,929.98	30,785	36,72,64,311.20
	2014-15	साल	12,727.68	961.63	11,766.05	32,376	38,09,37,667.20
	2015-16	साल	8,661.33	918.65	7,742.68	34,923	27,03,97,648.60
	2016-17	साल	2,504.31	136.37	2,367.93	37,794	8,94,93,659.80
	2017-18	साल	12,827.39	966.38	11,861.02	35,292	41,85,99,012.00
	योग (स)					45,667.66	

देहरादून	2013-14	साल	3,207.33	235.02	2,972.31	20,218	6,00,94,073
		सैन	2,937.11	38.27	2,898.84	6,348	1,84,01,844
		कोकाट	2,355.56	13.51	2,342.05	6,015	1,40,87,450
	2014-15	साल	3,207.33	354.408	2,852.92	18,903	5,39,28,709
		सैन	2,937.11	38.5963	2,898.51	6,077	1,76,14,274
		कोकाट	2,355.56	6.5647	2,349.00	5,628	1,32,20,162
	2015-16	साल	3,207.33	206.1165	3,001.21	20,459	6,14,01,745
		सैन	2,937.11	10.621	2,926.49	6,287	1,83,98,843
		कोकाट	2,355.56	1.8694	2,353.69	4,733	1,11,40,032
	2016-17	साल	3,207.33	542.3766	2,664.95	21,068	5,61,45,154
		सैन	2,937.11	11.8359	2,925.28	6,248	1,82,77,119
		कोकाट	2,355.56	2.1807	2,353.38	4,662	1,09,71,468
	2017-18	साल	3,207.33	235.4723	2,971.85	21,550	6,40,43,447
		सैन	2,937.11	8.3369	2,928.77	5,761	1,68,72,668
		कोकाट	2,355.56	3.942	2,351.62	5,348	1,25,76,469
योग (द)					40,790.88		44,71,73,763
महा योग (अ+ब+स+द)					150,410.03		330,12,42,216

स्रोत: विभाग से एकत्रित सूचना।

नोट: यद्यपि पातन से प्राप्त होने वाला आयतन केवल साल से प्राप्त होना था, जैसा कि कार्य योजना में प्रावधान किया गया है, फिर भी लेखापरीक्षा ने इसे वनों में उपलब्ध साल, सैन, जामुन एवं कोकाट की वृक्ष निधि अनुपात में विभाजित करके इसे तर्कसंगत बनाया है।

परिशिष्ट-2.2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.8.3; पृष्ठ 150)

चिन्हीकरण के अभाव में पातन न होने के कारण राजस्व प्राप्त न होने का विवरण

प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय							
ब्लॉक/प्लॉट	कार्य वृत्त	पातन हेतु वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पादकता (घन मीटर प्रति हेक्टेयर में)	प्रकाष्ठ जो उत्पादित नहीं हो सका (घन मीटर में)	यूकेलिप्टस की दर (₹ प्रति घन मीटर में)	राजस्व की क्षति (₹ में)
पीपलपड़ाव 92 अ	पल्पवुड (यूकेलिप्टस)	2013-14	12.00	27.561	330.7320	1,832	6,05,901.024
पीपलपड़ाव 100	पल्पवुड		26.80	27.561	738.6348	1,832	13,53,178.954
पीपलपड़ाव 114	पल्पवुड		44.61	27.561	1,229.4960	1,832	22,52,437.057
योग (अ)			83.41		2,298.8628		42,11,516.650
ब्लॉक/प्लॉट	कार्य वृत्त	पातन हेतु वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पादकता (घन मीटर प्रति हेक्टेयर में)	साल प्रकाष्ठ जो उत्पादित नहीं हो सका (घन मीटर में)	साल की दर (₹ प्रति घन मीटर में)	राजस्व की क्षति (₹ में)
मोना 1	साल निम्नगिरि	2013-14	120.28	आवश्यक नहीं क्योंकि संभावित उत्पादन प्रभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया	820.07	30,785	2,52,45,824.17
काठगोदाम 13	साल निम्नगिरि	2014-15	183.30		1,273.02	31,376	3,99,42,212.77
देचौरी-2	साल निम्नगिरि	2016-17	647.51		4,412.78	37,794	16,67,76,607.30
कैलाखुर 6 ब	साल निम्नगिरि	2017-18	178.10		1213.04	35,292	4,28,10,607.68
योग (ब)			1,129.19		7,718.91		27,47,75,345.47
महायोग (अ + ब)			1,212.60		10,017.7728		27,89,86,862.120

परिशिष्ट-2.2.3

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.8.4; पृष्ठ 150)

उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा पातन न किए जाने से रॉयल्टी प्राप्त न होने का विवरण

प्रभाग	लॉटों की संख्या	प्रथम बार आवंटन का वर्ष	पातित नहीं की गई प्रकाष्ठ का आयतन घन मीटर में	पातित नहीं की गई प्रकाष्ठ की रॉयल्टी (करोड़ ₹ में)
रामनगर	01	2010-11	1,728.79	3.16
	03	2011-12		
	01	2012-13		
	01	2013-14		
	02	2014-15		
	03	2015-16		
	08	2016-17		
	01	2017-18		
तराई केंद्रीय	15	2017-18	39,228.89	11.12
योग	35		40,957.68	14.28

परिशिष्ट-2.2.4 अ

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.8.7; पृष्ठ 153)

ठोस, योग्य एवं अयोग्य वृक्षों की श्रेणियों के वर्गीकरण के मापदण्ड

वर्गीकरण	केवल साल, सैन एवं चीड़ के लिए	साल, सैन, चीड़, खैर एवं सांदन को छोड़कर अन्य सभी प्रजातियों के लिए	खैर के लिए (केवल योग्य एवं अयोग्य में वर्गीकृत)	सांदन के लिए (केवल योग्य एवं अयोग्य में वर्गीकृत)
ठोस	67-100 प्रति शत अर्थात् 2/3 अथवा इससे अधिक तना सीधा एवं दोषरहित है।	जो वृक्ष किसी भी भाग से कम से कम 10 फीट या अधिक लंबाई का एक ठोस एवं पर्याप्त सीधा ऐसा बेलनाकार लट्टा प्रदान कर सके जिसका मध्य व्यास वृक्ष स्थल की लंबाई पर व्यास के 4/5 से कम न हो।	लागू नहीं	लागू नहीं
योग्य	34-66 प्रति शत अर्थात् 2/3 अथवा इससे अधिक तना सीधा एवं दोषरहित है।	जैसा ठोस वृक्ष के लिए दिया गया है सिवाय इसके कि लट्टे की लंबाई 5 फीट से लेकर 10 फीट से कम तक होगी।	एक योग्य वृक्ष वह होता है जो कम से कम 8 फीट का एक लट्टा उत्पन्न कर सके और जिसका छाल के ऊपर व्यास कम से कम 8 इंच हो और जो कत्या उत्पादन के योग्य हो।	एक योग्य वृक्ष वह होता है जो कम से कम दो स्वस्थ एवं सीधे लट्टे, जिनकी लंबाई तीन फीट हो एवं व्यास आठ इंच से कम न हो, उत्पन्न कर सके।
अयोग्य	0-33 प्रति शत अर्थात् 2/3 अथवा इससे अधिक तना सीधा एवं दोषरहित है।	जैसा ठोस वृक्ष के लिए दिया गया है सिवाय इसके कि लट्टे की लंबाई 5 फीट से कम होगी।	उपरोक्त में वर्गीकृत न हो सकने वाला वृक्ष अयोग्य वृक्ष होगा।	उपरोक्त में वर्गीकृत न हो सकने वाला वृक्ष अयोग्य वृक्ष होगा।

नोट: 12 इंच या इससे अधिक व्यास के सभी वृक्षों को ठोस, योग्य एवं अयोग्य में वर्गीकरण किया जाना चाहिए। 12 इंच से कम का वर्गीकरण केवल योग्य एवं अयोग्य में करना चाहिए।

परिशिष्ट-2.2.4 ब

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.8.7; पृष्ठ 154)

वास्तविक उत्पादन पर रॉयल्टी का भुगतान न होने के कारण राजस्व की क्षति का विवरण

वर्ष	रामनगर वन प्रभाग					देहरादून वन प्रभाग					
	अनुमानित आयतन (घन मीटर में)	वास्तविक आयतन (घन मीटर में)	अंतर (घन मीटर में)	रॉयल्टी (₹/घन मीटर)	अनुमानित रॉयल्टी (₹ में)	अनुमानित आयतन (घन मीटर में)	वास्तविक आयतन (घन मीटर में)	अंतर (घन मीटर में)	रॉयल्टी (₹/घन मीटर)	अनुमानित रॉयल्टी (₹ में)	
2013-14	5,214.707	7,782.2171	2,567.5101	6,314	1,62,11,258.77	7,593.916	9,786.7607	2,192.845	6,014	1,31,87,771.03	
2014-15	6,123.282	9,525.9417	3,402.6597	6,270	2,13,34,676.32	15,636.67	20,106.354	4,469.683	5,627	2,51,50,905.12	
2015-16	5,061.553	7,621.2236	2,559.6706	6,988	1,78,86,978.15	11,699.82	14,998.016	3,298.194	4,732	1,56,07,053.53	
2016-17	2,783.779	4,916.9069	2,133.1279	5,759	1,22,84,683.58	19,575.43	24,395.454	4,820.021	4,662	2,24,70,938.37	
कुल अनुमानित रॉयल्टी (अ)					6,77,17,596.82	कुल अनुमानित रॉयल्टी (ब)					7,64,16,695.25
वर्ष	तराई केंद्रीय वन प्रभाग हल्द्वानी					तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी					
	अनुमानित आयतन (घन मीटर में)	वास्तविक आयतन (घन मीटर में)	अंतर (घन मीटर में)	रॉयल्टी (₹/घन मीटर)	अनुमानित रॉयल्टी (₹ में)	अनुमानित आयतन (घन मीटर में)	वास्तविक आयतन (घन मीटर में)	अंतर (घन मीटर में)	रॉयल्टी (₹/घन मीटर)	अनुमानित रॉयल्टी (₹ में)	
2013-14	49,093.35	61,547.80	12,454.45	6,314	7,86,37,397.30	31,375.46	40,127.745	8,752.283	6,314	5,52,61,916.12	
2014-15	61,629.20	80,403.46	18,774.26	6,270	11,77,14,610.20	45,975.05	63,339.686	17,364.630	6,270	10,88,76,248.30	
2015-16	44,254.46	56,880.23	12,625.77	6,988	8,82,28,880.76	56,426.42	78,122.531	21,696.110	6,988	15,16,12,400.60	
2016-17	2,986.915	3,363.555	376.64	5,759	21,69,069.76	42,682.86	57,814.827	15,131.970	5,759	871,44,990.47	
कुल अनुमानित रॉयल्टी (स)					28,67,49,958.02	कुल अनुमानित रॉयल्टी (द)					40,28,95,616.83
वर्ष	कालसी वन प्रभाग, कालसी					तराई पश्चिमी वन प्रभाग					
	अनुमानित आयतन (घन मीटर में)	वास्तविक आयतन (घन मीटर में)	अंतर (घन मीटर में)	रॉयल्टी (₹/घन मीटर)	अनुमानित रॉयल्टी (₹ में)	अनुमानित आयतन (घन मीटर में)	वास्तविक आयतन (घन मीटर में)	अंतर (घन मीटर में)	रॉयल्टी (₹/घन मीटर)	अनुमानित रॉयल्टी (₹ में)	
2013-14	3,609.198	4,684.8879	1,075.6901	6,014	64,69,200.261	9,769.124	10,300.6234	531.4994	6,314	33,55,887.20	
2014-15	7,901.630	9,629.1181	1,727.4885	5,627	97,20,577.790	16,813.819	18,968.5678	2,154.7488	6,270	1,35,10,275.00	
2015-16	4,590.895	5,912.9658	1,322.0713	4,732	62,56,041.392	25,206.578	24,424.6726	-781.9054	6,988	-54,63,954.90	
2016-17	5,192.267	6,310.0398	1,117.7733	4,662	52,11,059.125	91.329	100.6777	9.3487	5,759	53,839.16	
कुल अनुमानित रॉयल्टी (य)					2,76,56,870.418	कुल अनुमानित रॉयल्टी (र)					1,14,56,046.41
महायोग (अ) + (ब) + (स) + (द) + (य) + (र) = ₹ 87,28,92,793.75											

नोट: अनुमानित रॉयल्टी की गणना करने के लिए कोकाट(एक मिश्रित प्रजाति) की रॉयल्टी की दरें लागू की गई हैं।

परिशिष्ट-2.2.5
(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.8.12; पृष्ठ 159)

अवैध पातन का विवरण

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	अवैध पातन के मामलों की संख्या	अवैध पातित वृक्षों की संख्या	अवैध पातितप्रकाष्ठ का आयतन (घन मीटर में)	अवैध पातित प्रकाष्ठ का मूल्य (₹ में)	अवैध पातित प्रकाष्ठ का आयतन जो बरामद नहीं किया जा सका (घन मीटर में)	अवैध पातित प्रकाष्ठ, जो बरामद नहीं किया जा सका, का मूल्य (₹ में)
1.	प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय वन प्रभाग हल्द्वानी	2013-14	125	317	99.02	17,43,581	10.61	+
		2014-15	53	83	53.34	11,10,420	2.81	+
		2015-16	45	45	39,255	11,63,785	6.229	1,29,539
		2016-17	26	40	19,108	4,27,574	1.5593	12,925
		2017-18	15	22	16,819	4,68,158	3.096	92,839
		योग	264	507	227.542	49,13,518	24.3043	2,35,303
2.	प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी	2013-14	126	184	123.2310	21,74,757	31.1801	4,50,557
		2014-15	121	187	120.3701	24,82,234	13.051	4,59,106
		2015-16	124	162	104.6895	18,77,064	10.0991	+
		2016-17	123	162	119.1280	23,65,391	-	+
		2017-18	104	139	87.6835	17,33,141	16.019	2,69,952
		योग	598	834	555.1021	1,06,32,587	70.3492	11,79,615
3.	प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी	2013-14	28	49	8.311	1,04,236	3.4971	50,692
		2014-15	28	57	10.249	1,92,627	1.9417	59,505
		2015-16	24	57	5.147	85,910	-	35,157
		2016-17	18	30	4.318	71,232	0.1234	+
		2017-18	21	42	13.459	1,38,788	6.1714	49,745
		योग	119	235	41.484	5,92,793	11.7336	1,95,099
4.	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल	2013-14	20	13	9.142	24,215	6.262	18,871
		2014-15	-	-	-	-	-	-
		2015-16	2	6	-	150	-	150
		2016-17	5	18	1.22	700	1.22	700
		2017-18	6	13	4.16	3,925	4.16	3,925
		योग	33	50	14.522	28,990	11.642	23,646
5.	प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग रामनगर	2013-14	25	39	20.3800	3,08,737	2.051	51,096
		2014-15	39	75	29.7360	6,40,888	-	1,02,697
		2015-16	24	138	38.0676	5,68,761	2.3029	+
		2016-17	19	50	15.9280	2,99,513	2.3522	+
		2017-18	20	45	30.6118	3,68,280	6.0418	34,192
		योग	127	347	134.7234	21,86,179	12.7479	1,87,985
6.	प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग टिहरी	2013-14	13	22	11.274	24,365	8.5892	15,673
		2014-15	11	18	9.788	22,922	9.4633	21,689
		2015-16	24	49	17.711	32,549	14.8216	21,483
		2016-17	10	55	11.356	42,194	11.356	42,194
		2017-18	14	60	5.158	28,884	4.6618	26,731
		योग	72	204	55.287	1,50,914	48.8919	1,27,770
7.	प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर	2013-14	71	341	96.7670	14,37,526	41.9850	5,80,003
		2014-15	97	258	96.1030	16,26,741	27.8850	+
		2015-16	127	405	123.5464	20,75,189	22.3426	+
		2016-17	128	311	102.6364	13,90,700	6.8778	+
		2017-18	87	208	70.0650	11,59,511	8.6875	2,47,518
		योग	510	1523	489.1178	76,89,667	107.7779	8,27,521
8.	प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़	2013-14	49	112	57.293	1,18,014	51.0220	78,014
		2014-15	26	105	31.416	69,494	30.6280	65,869
		2015-16	15	23	14.497	1,07,856	11.9295	+
		2016-17	14	46	35.542	1,53,081	34.0856	1,34,805
		2017-18	14	31	44.861	1,20,819	44.8610	1,20,819
		योग	118	317	183.609	5,69,264	172.5261	3,99,507

9.	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून	2013-14	28	46	18.9590	4,14,656	6.7259	3,22,908.00
		2014-15	32	54	58.5099	7,42,396	25.5133	2,49,984.25
		2015-16	27	46	44.3960	2,98,370	27.6797	2,07,857.00
		2016-17	23	41	32.9720	3,53,771	24.2157	2,89,435.00
		2017-18	29	45	24.7010	2,31,104	5.4385	1,71,038.00
	योग	139	232	179.5379	20,40,297	89.5731	12,41,222.25	
10.	निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व	2013-14	98	205	74.4030	6,17,164	36.5770	2,18,818.53
		2014-15	61	120	41.2630	3,43,002	21.0354	1,73,612.04
		2015-16	58	77	54.2790	4,63,623.74	42.8390	3,78,942.21
		2016-17	48	63	36.4074	5,87,645	9.3066	3,74,687.00
		2017-18	34	59	21.9200	2,10,511	13.4886	2,23,514.00
	योग	299	524	228.2724	22,21,945.74	123.2466	13,69,573.78	
	महायोग	2,279	4,773	2,109.198	3,10,26,155	672.7926	57,87,242.03	

*नकारात्मक अंतर को नहीं लिया गया है।

परिशिष्ट-2.2.6

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.9.1; पृष्ठ 159)

लीसा के कम उत्पादन से क्षति

प्रभाग	फसल वर्ष	लीसा घावों की संख्या	उत्पादन का मानक (किलोग्राम प्रति घाव)	संभावित उत्पादन क्विंटल में	वास्तविक उत्पादन क्विंटल में	कम उत्पादन क्विंटल में	2014-17 के दौरान प्राप्त न्यूनतम दर (₹ प्रति क्विंटल)	क्षति ₹ में
बद्रीनाथ	2014	2,39,500	3.50	8,383	7,201	1,182	4,500	53,19,000
	2015	2,57,000		8,995	8,041	954		42,93,000
	2016	2,57,000		8,995	8,715	280		12,60,000
	2017	2,57,000		8,995	7,729	1,266		56,97,000
टिहरी	2014	1,41,600		4,956	3,321	1,635		73,57,500
योग						5,317		2,39,26,500 या (₹ 2.39 करोड़)

परिशिष्ट-2.2.7

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.10.1; पृष्ठ संख्या 162)

उपखनिजों के कम उत्पादन से अभिवहन शुल्क की नदी-वार क्षति का विवरण

वर्ष	तराई पश्चिमी प्रभाग				तराई पूर्वी प्रभाग				शुद्ध कम उत्पादन (घन मीटर में)	अभिवहन शुल्क की दर (₹ प्रति घन मीटर में)	कम उत्पादन के कारण अभिवहन शुल्क की क्षति (₹ में)
	कोसी		दाबका		गोला		कैलाश/नन्धीर				
	लक्ष्य (घन मीटर में)	प्राप्ति (घन मीटर में)	लक्ष्य (घन मीटर में)	प्राप्ति (घन मीटर में)	लक्ष्य (घन मीटर में)	प्राप्ति (घन मीटर में)	लक्ष्य (घन मीटर में)	प्राप्ति (घन मीटर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = स्तम्भ (2+4+6+8) - स्तम्भ(3+5+7+9)	(11)	(12) = स्तम्भ 10*11
2013-14	11,49,000	9,99,640	3,02,000	3,44,512	54,25,000	54,07,254	21,00,000	20,96,542	1,28,052 (89,76,000-88,47,948)	90	11,524,680
2014-15	11,49,000	2,44,189	3,02,000	74,671	54,25,000	54,16,963	21,00,000	15,83,544	16,56,633 (89,76,000-73,19,367)	27	4,47,29,091
2015-16	11,49,000	3,12,828	2,72,027	39,472	54,25,000	44,35,879	21,00,000	8,02,496	33,55,352 (89,46,027-55,90,675)	33	11,07,26,616
2016-17	2,52,499	2,52,672	32,587	32,560	37,34,000	37,46,613	17,42,000	0	17,29,241 (57,61,086-40,31,845)	33	5,70,64,953
2017-18	5,03,602	501965	76,712	76,674	40,14,000	40,12,836	17,42,000	2,30,200	15,14,639 (63,36,314-48,21,675)	110	16,66,10,290
योग (अ)									83,83,917 (3,89,95,427-3,06,11,510)		39,06,55,630
वर्ष	देहरादून प्रभाग								शुद्ध कम उत्पादन (घन मीटर में)	अभिवहन शुल्क की दर (₹ प्रति घन मीटर में)	कम उत्पादन के कारण अभिवहन शुल्क की क्षति (₹ में)
	सोंग-1		सोंग-2		सोंग-3		जाखन-1				
	लक्ष्य (घन मीटर में)	प्राप्ति (घन मीटर में)	लक्ष्य (घन मीटर में)	प्राप्ति (घन मीटर में)	लक्ष्य (घन मीटर में)	प्राप्ति (घन मीटर में)	लक्ष्य (घन मीटर में)	प्राप्ति (घन मीटर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = स्तम्भ (2+4+6+8) - स्तम्भ(3+5+7+9)	(11)	(12) = स्तम्भ 10*11
2013-14	3,75,000	3,75,030	4,25,000	2,79,323	3,00,000	2,77,843	3,25,000	2,20,970	2,71,834 (14,25,000-11,53,166)	90	2,44,65,060
2014-15	3,75,000	3,72,765	4,25,000	2,08,632	3,00,000	1,38,872	3,25,000	98,830	6,05,901 (14,25,000-8,19,099)	27	1,63,59,327
2015-16	3,75,000	2,42,928	4,25,000	68,407	3,00,000	1,70,583	3,25,000	48,798	8,94,284 (14,25,000-5,30,716)	33	2,95,11,372
2016-17	3,75,000	2,58,777	4,25,000	31,175	3,00,000	2,45,420	3,25,000	1,34,704	7,54,924 (14,25,000-6,70,076)	33	2,49,12,492
2017-18	3,06,818	2,67,119	3,47,727	41,497	3,00,000	2,41,214	1,47,027	1,37,380	4,14,362 (11,01,572-6,87,210)	110	4,55,79,820
योग (ब)									29,41,305 (88,01,572-38,60,267)		14,08,28,071
महा योग (अ + ब)									1,13,25,222		53,14,83,701

स्रोत: विभाग एवं उत्तराखण्ड वन विकास निगम से एकत्रित सूचना।

परिशिष्ट-2.2.8

(संदर्भ:प्रस्तर 2.2.10.4; पृष्ठ संख्या 165)

प्रीमियम एवं पट्टा किराए की गलत गणना एवं कम/न वसूली का विवरण

इकाई का नाम	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	शासन/विभाग का उत्तर	रिबटल	मौद्रिक मूल्य	प्रीमियम एवं पट्टा किराया की गणना
(I) प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी	1) 0.2075 हेक्टेयर (2075 वर्ग मीटर) वन भूमि 1997 में 30 वर्ष का पट्टा पर किच्छा शुगर कंपनी (बमेठा बाँगर खीमा, हल्दुचौड, नैनीताल). को दी गई उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 21 मई 1997 के अनुसार, प्रीमियम सर्किल दर के अनुसार वर्तमान बाजार मूल्य पर भुगतान किया जाना था एवं प्रीमियम का 10 प्रति शत की दर से पट्टा किराया भी कंपनी द्वारा भुगतान किया जाना था। प्रीमियम एवं पट्टा किराया के भुगतान के बाद भूमि पट्टा गृहिता को हस्तांतरित की जानी थी। लेकिन न तो प्रीमियम और न ही पट्टा किराया ही लेखापरीक्षा की तिथि तक भुगतान किया गया।	पट्टा गृहिता एवं संबन्धित जिलाधिकारी के साथ भूमि के सर्किल दर के विषय में पत्र व्यवहार किया जा रहा है।	यह विभाग की ज़िम्मेदारी है की वह प्रीमियम एवं पट्टा किराया की गणना (जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित राजस्व ग्राम के सर्किल दर के अनुसार) करे और पट्टा गृहिता से उक्त राशि वसूल करे।	प्रीमियम ₹ 72,62,500 पट्टा किराया ₹ 1,59,77,500 ₹ 2,32,40,000	प्रीमियम ₹ 3,500 (सर्किल दर प्रति वर्ग मीटर जैसा की 14 जनवरी 2018 को मुख्य सड़क से 200 मीटर से अधिक की दूरी पर अकृषि भूमि के लिए लागू था) x 2,075 वर्ग मीटर (भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में) (पट्टा के नवीनीकरण के लिए). पट्टा किराया ₹ 72,62,500 (प्रीमियम) x 10 प्रति शत x 22 वर्ष.
	2) 2.83 हेक्टेयर (28300 वर्ग मीटर) वन भूमि पट्टे पर सर्व श्री हरिदत्त नित्यानन्द विद्यालय हल्द्वानी तल्ली हल्द्वानी को दी गई जो की 1991 में समाप्त हो गई। पट्टा लेखापरीक्षा की तिथि तक पुनः नवीनीकृत नहीं की गई।	पट्टा का नवीनीकरण पट्टा गृहिता के असहयोग के कारण पडा रहा।	उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पट्टा गृहिता के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।	प्रीमियम ₹ 9,03,02,727 पट्टा किराया ₹ 12,19,08,672 ₹ 21,22,11,399	प्रीमियम ₹ 11,700 (सर्किल दर प्रति वर्ग मीटर) x 28,300 वर्ग मीटर (भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में) x 27 वर्ष (1992 से 2018 तक)/99 (पट्टा के नवीनीकरण के लिए) पट्टा किराया ₹ 9,03,02,727 (प्रीमियम) x 5 प्रति शत(व्यापारिक उद्देश्य के लिए) x 27 वर्ष.
	3) 380.47 हेक्टेयर वन भूमि पट्टे पर उत्तर प्रदेश (वर्तमान में उत्तराखण्ड) सैनिक पुनर्वास संस्था फार्म हाउस उधमसिंह नगर को दी गई थी जो की 1991 में समाप्त हो गई। पट्टा लेखापरीक्षा की तिथि तक पुनः नवीनीकृत नहीं की गई।	पट्टा गृहिता को 28.08.2017 को पत्र भेजा गया कि वह पट्टा नवीनीकरण प्रस्ताव को ऑनलाइन अपलोड कर दे किन्तु पट्टा गृहिता के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।	कोई भी उपयुक्त कार्यवाही विभाग के द्वारा नहीं गई जिससे की प्रीमियम एवं पट्टा किराया की वसूली हो सके।	प्रीमियम ₹ 1,29,70,56,818 पट्टा किराया ₹ 35,02,05,336 ₹ 1,64,72,62,154	प्रीमियम {₹ 1,25,00,000 (सर्किल दर प्रति हेक्टेयर) x 380.47 हेक्टेयर (भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में) x 27 वर्ष (1992 से 2018 तक)/99 (पट्टा के पुनः नवीनीकरण के लिए). पट्टा किराया ₹ 1,29,70,56,818 (प्रीमियम) x 1 प्रति शत(कृषि उद्देश्यों के लिए) x 27 वर्ष.
योग (I)				₹ 1,88,27,13,553	

<p>(2) प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी</p>	<p>1) 0.679 हेक्टेयर वन भूमि 30 वर्ष घुत्तु से पंवाली कांठा तक मैटीरियल हैण्डलिंग रोपवे बनाने के लिए दी गई। प्रीमियम एवं पट्टा किराये की धनराशि की गणना जिलाधिकारी द्वारा गलत की गई। जिलाधिकारी के द्वारा गणना - प्रीमियम= वन भूमि का क्षेत्रफल * प्रति हेक्टेयर दर * पट्टा अवधि (0.679*423500*30/99=87138) एक वर्ष का किराया = प्रीमियम *10% (₹ 87,138 *10%)=₹ 8,713.80 अर्थात् ₹8,714 30 वर्ष का किराया = ₹ 8,714*30 = ₹ 2,61,420 किराया = प्रीमियम * 10% (87138 X 10%= 8713.80 या 8714X30वर्ष= 261420) ऑडिट के अनुसार - प्रीमियम = वन भूमि का क्षेत्रफल * प्रति हेक्टेयर दर= 0.679*423500 =287557 किराया = प्रीमियम*10% (287557*10%*30 वर्ष) 2) 4.8 हेक्टेयर वन भूमि पावर गिड कार्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कोटेश्वर नई टिहरी को 35 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई। जिलाधिकारी ने भूमि के पट्टा किराए की मासिक किश्त की गणना ₹ 33,939 (अर्थात् 35 वर्ष x ₹ 33939 = ₹ 11,87,865 35 वर्ष के लिए). किन्तु पट्टा गृहिता ने ₹ 11,87,865 के बजाये एक बार में ₹ 33,939 की राशि 35 वर्षों के लिए जमा करदी इस प्रकार पट्टा गृहिता के द्वारा पट्टे किराये का कम भुगतान किया।</p>	<p>पट्टा किराए की पुनः गणना के लिए पत्र व्यवहार जिलाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है एवं तदनुसार बकाया वसूल कर लिया जाएगा। शेष 34 वर्षों के पट्टा किराए को वसूली के लिए प्रक्रिया गतिमान है।</p>	<p>विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया।</p>	<p>1) प्रीमियम वास्तविक भुगतान योग्य: ₹ 2,87,557 भुगतान किया: ₹ 87,139 कम भुगतान: ₹ 2,00,418 पट्टा किराया वास्तविक भुगतान योग्य: ₹ 8,62,680 भुगतान किया: ₹ 2,61,420 कम भुगतान: ₹ 6,01,260 ₹ 8,01,678</p> <p>2) पट्टा किराया वास्तव में भुगतान योग्य: ₹11,87,865 भुगतान किया: ₹33,939 कम भुगतान: ₹ 11,53,926</p>	<p>प्रीमियम {₹ 4,23,500 (सर्किल दर प्रति हेक्टेयर) x 0.679 हेक्टेयर (भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में)} (नये पट्टे के लिए). पट्टा किराया ₹ 2,87,557 (प्रीमियम) x 10 प्रति शत (अर्थात् ₹ 28,756) x 30 वर्ष (नये पट्टे के लिए) पट्टा किराया ₹ 33,93,939.40 (प्रीमियम) x 1 प्रति शत (अर्थात् ₹ 33,939) x 35 वर्ष (नये पट्टे के लिए).</p>
योग (ii)				₹ 19,55,604	
<p>(3) प्रभागीय वनाधिकारीतराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी</p>	<p>1) उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 156/7-1-2005-500(826)2002 दिनांक 09 सितंबर 2005 के अनुसार प्रीमियम की गणना (जिलाधिकारी की वर्तमान बाजार दर * पट्टा अवधि/99) की जाती थी एवं वार्षिक पट्टा किराया व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दी गई पट्टों के लिए प्रीमियम का 5 प्रति शत था। 160.4164 हेक्टेयर (1604164 वर्ग मीटर) वन भूमि सेंचुरी पेपर मिल लाल कुआं को दी गई।इसकी पट्टा अवधि दिसंबर 2013 में समाप्त हो गई एवं इसका नवीनीकरण अगस्त 2017 में 30 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया।आगे, पट्टा किराया पट्टा गृहिता द्वारा 26 फरवरी 2018 को 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2018 तक की अवधि के लिए गलत सर्किल दर पर भुगतान किया गया (अर्थात् कृषि भूमि के अनुसार सर्किल दर की कृषि भूमि की दर लेकर अर्थात् ₹ 4,30,000 लाख प्रति हेक्टेयर बजाय अकृषि भूमि के)। इसके अतिरिक्त, उक्त भूमि का प्रीमियम भी पट्टा गृहिता द्वारा भुगतान नहीं किया गया।</p>	<p>भूमि के बाजार मूल्य से मूल्यांकन के लिए जिलाधिकारी से पत्राचार किया जा रहा है इसके पश्चात राशि की वसूली की जायेगी।</p>	<p>विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया।</p>	<p>प्रीमियम ₹1,84,72,19,152 पट्टा किराया @5% वास्तविक भुगतान योग्य: ₹46,18,04,790 भुगतान किया: ₹ 5,25,00,000 कम भुगतान: ₹40,93,04,790 ₹ 225,65,23,942</p>	<p>प्रीमियम {₹ 3,800 (50 से 200 मीटर दूरी तक अकृषि सर्किल दर प्रति वर्ग मीटर) x 16,04,164 वर्ग मीटर (वर्ग मीटर में भूमि का क्षेत्रफल) x 30 वर्ष (2014 से 2043)/99 (पट्टा के नवीनीकरण के लिए). पट्टा किराया ₹ 1,84,72,19,152 (प्रीमियम) x 5 प्रतिशत (अर्थात् ₹ 9,23, 60,958) x 5 वर्ष (2014 से 2018 तक).</p>
योग (iii)				₹ 2,25,65,23,942	

(4) निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून	1) चार एकड़ की वन भूमि (1.67 हेक्टेयर) श्री दूधधारी जी बर्फानी गौशाला ट्रस्ट भूपतवाला हरिद्वार को 10 वर्षों अर्थात् 1986 तक के लिए हस्तांतरित (सितंबर 1976) की गई। पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात, पट्टा गृहीता ने वन भूमि को गैर कानूनी तरीके से वर्तमान तिथि तक कब्जा बनाये रखा है। आगे, पट्टा गृहीता ने (जुलाई 2001) 17.833 हेक्टेयर और वन भूमि उसी स्थान पर देने का निवेदन किया एवं विभाग को प्रस्ताव दिया की इतनी भूमि का क्षेत्रफल ही अर्थात् 19.503 हेक्टेयर दूसरी जगह पर उपलब्ध कराया जाएगा। भारत सरकार ने पट्टा गृहीता के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। पट्टा गृहीता ने सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर की। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (अक्टूबर 2015) पर केंद्रीय शक्ति प्राप्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया (अप्रैल 2017) कि पट्टा गृहीता ने वन भूमि को अवैध तरीके से कब्जा किया और इसे यथा शीघ्र खाली कराया जाना चाहिए। वन विभाग ने पट्टा गृहीता को एक सप्ताह के अंदर वन भूमि खाली करने का नोटिस जारी किया (अगस्त 2017)। तथापि, पट्टा गृहीता द्वारा वन भूमि आतिथि तक खाली नहीं की गई है एवं विभाग द्वारा नोटिस जारी करने के बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई है।	विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया	-----	प्रीमियम ₹ 91,76,566	प्रीमियम ₹ 1,70,00,000 x 1.67 हेक्टेयर x 32 वर्ष (04.09.1986 से 2018) /99.
	2) वन भूमि 4.23 एकड़ (1.71 हेक्टेयर) नगर पालिका परिषद हरिद्वार को 13.03.2008 तक 30 वर्षों के लिए रोपवे के निर्माण एवं संचालन के लिए हस्तांतरित की गई। आगे, पट्टा गृहीता ने निवेदन किया ⁴ (अक्टूबर 2010) के पट्टा 30 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दी जाए। तथापि, विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। ठेकेदार, जो रोपवे संचालित कर रहा था, ने उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में वाद दायर की। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया (अगस्त 2012) कि न्याय हित में यह उचित होगा कि प्रमुख सचिव, वन विभाग सभी पक्षों को सुनने के पश्चात यह निर्णय लें कि क्या नगर पालिका परिषद को दी गई पट्टा याचिकाकर्ता के पक्ष में बढ़ाई जा सकती है अथवा नहीं। आगे यह भी आदेश दिया गया कि मामले में प्रमुख सचिव द्वारा निर्णय जितनी जल्दी लिया जा सके लिया जाए। जब तक प्रमुख सचिव द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता था, सभी पक्षों को रोपवे संचालन के विषय में यथास्थिति बनाए रखनी थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इस विषय में निर्णय प्रमुख सचिव स्तर पर लेखापरीक्षा तिथि तक लंबित था। निर्णय को लंबित रखने में विलम्ब के कारण विभाग आतिथि तक प्रीमियम एवं पट्टा किराया से महरूम रह गया।	विभाग ने कहा कि पट्टा गृहीता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि निर्णय शासन स्तर पर लंबित था।	-----	प्रीमियम ₹ 1,69,10,000	प्रीमियम ₹ 8,900 (प्रीमियम) x 1.71 हेक्टेयर x 10,000 x 11 वर्ष/99.
			योग (iv)	₹ 3,83,23,578	
योग चार प्रभाग	योग 08 मामले	महा योग (i + ii + iii + iv))		₹ 4,17,95,16,677 (अर्थात् ₹ 417.95 करोड़)	

⁴ विभाग के अनुसार, लीज 13.03.2008 को समाप्त हुई, तथापि, पट्टा गृहीता के अनुसार, लीज 2011 में समाप्त होनी थी।

परिशिष्ट-2.2.9

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.11; पृष्ठ संख्या 167)

संभावित राजस्व के हस्तांतरित न किए जाने का विवरण

क्रम संख्या	इकाई का नाम	निजी भूमि में पातन की जमानत (₹ में)	लीसा ठेकेदारों की जमानत (₹ में)	वन जमा (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रभागीय वनाधिकारी तराई केंद्रीय वन प्रभागहल्द्वानी	7,88,200.00	0.00	1,54,154.00
2.	प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभागहल्द्वानी	1,84,400.00	0.00	92,18,536.00
3.	प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षक वन प्रभागकालसी	11,03,550.00	0.00	21,63,473.00
4.	प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभागनैनीताल	80,400.00	17,82,263.00	27,50,112.00
5.	प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभागरामनगर	67,950.00	0.00	1,11,50,895.00
6.	प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभागटिहरी	34,400.00	1,62,500.00	0.00
7.	प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभागरामनगर	3,294,20.00	0.00	46,76,330.00
8.	प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभागपिथौरागढ़	3,19,950.00	12,000.00	0.00
9.	प्रभागीय वनाधिकारी बद्दीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर	0.00	5,74,783.00	0.00
10.	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभागदेहरादून	1,91,600.00	0.00	2,67,60,526.00
11.	निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून	0.00	0.00	39,88,000
	योग	30,99,870.00	25,31,546.00	6,08,62,026.00
	महा योगस्तम्भ (3+4+5)	6,64,80,442.00		

स्रोत: विभाग से एकत्रित सूचना।

परिशिष्ट-2.2.10

(संदर्भ: प्रस्तर 2.2.16; पृष्ठ संख्या 170)

संभावित प्राप्तियों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियाँ

(धनराशि करोड़ ₹ में)

प्रस्तर संख्या एवं शीर्षक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	योग
2.2.8.1: कार्य योजनाओं के विलंब से प्रस्तुति एवं अनुमोदित होने के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना	0.000	0.000	4.200	71.170	0.000	75.370
2.2.8.2: साल वनों में वितान न खोलने के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना	86.116	85.659	78.769	22.916	56.663	330.123
2.2.8.3: चिह्नित किए जाने के अभाव में वृक्षों का पातन न होने के कारण रॉयल्टी की प्राप्ति न होना	2.950	3.990	0.000	16.680	4.280	27.900
2.2.8.4: उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वृक्षों का पातन न किए जाने के कारण रॉयल्टी प्राप्त न होना	0.000	0.000	0.000	0.000	14.280	14.280
2.2.8.5: रॉयल्टी के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण क्षति	5.300	7.640	9.130	3.200	5.920	31.190
2.2.8.6: जड़ों एवं जलौनी से रॉयल्टी की प्राप्ति न होना	0.030	0.030	0.030	0.020	0.003	0.113
2.2.8.8: आयतन की गलत गणना के कारण रॉयल्टी की क्षति	0.000	0.000	0.270	0.471	0.270	1.011
2.2.8.9: सिविल वनों की प्रकाष्ठ पर राजस्व की क्षति	0.000	0.000	0.073	0.000	0.000	0.073
2.2.8.11: विकास कार्यों के दौरान पातित वृक्षों की रॉयल्टी का अवरोधन	0.000	0.000	0.000	2.640	4.470	7.110
2.2.8.12: अवैध पातन के कारण क्षति	0.180	0.110	0.080	0.080	0.120	0.570
2.2.9.1: कम उत्पादन के कारण राजस्व की क्षति	0.000	1.270	0.430	0.120	0.570	2.390
2.2.9.2: नई कार्य योजना में योग्य चीड़ वृक्षों को सम्मिलित न किए जाने से क्षति	0.000	0.000	0.000	0.000	2.470	2.470
2.2.10.1: खनन सब के कम होने के कारण क्षति	3.599	6.109	14.024	8.198	21.219	53.149
2.2.10.2: लोक मांग में कमी/ निरस्त किया जाना	0.000	0.000	0.000	1.960	6.050	8.010
2.2.10.3: अभिवहन शुल्क का कम आरोपण	0.000	0.000	0.000	0.000	0.722	0.722
2.2.10.4: प्रीमियम एवं पट्टा किराया प्राप्त न होना	1.915	1.995	1.915	2.030	227.567	235.422
2.2.11: महत्वपूर्ण राजस्व का स्थानांतरण न किया जाना	0.00	0.00	0.00	0.000	6.650	6.650
2.2.12: लोक लेखा में राजस्व का अवरोधन	2.890	0.390	0.310	2.830	0.190	6.610
परित्यक्त प्राप्तियाँ	102.980	107.193	109.231	132.315	351.444	803.163
वास्तविक प्राप्तियाँ	245.550	241.230	243.600	208.740	226.710	1,165.830
संभावित प्राप्तियाँ	348.530	348.423	352.831	341.055	578.154	1,968.993

परिशिष्ट-2.3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3; पृष्ठ 172 एवं 173)

चार व्यापारियों के पाँच प्रकरणों में कर के न्यूनारोपण का विवरण

इकाई का नाम	व्यापारी का टिन	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण की दिनांक	वस्तु का नाम	वस्तु का मूल्य (धनराशि ₹ में)	अंतरीय कर का प्रतिशत	देय कर (धनराशि ₹ में)	अदा कर (धनराशि ₹ में)	कर का न्यूनारोपण (धनराशि ₹ में)	टिप्पणी
सहा आयुक्त (क नि) खण्ड VII राज्य कर देहरादून	05011165986	(1) 2013-14	11.08.2016	टायर रिट्रीडिंग मेटेरियल	45,68,198	8.5 (13.5-5)	6,16,706.73	2,28,409	3,88,297.73	अवर्गीकृत वस्तुएं जो अनुसूची 2 (ख) में विनिर्दिष्ट नहीं हैं
		(2) 2014-15	11.08.2016	टायर रिट्रीडिंग मेटेरियल	46,11,232	8.5 (13.5-5)	6,22,516.32	2,30,561	3,91,955.32	
	05013114716	(3) 2013-14	22.03.2017	प्लास्टिक स्क्रैप	2,47,502	8.5 (13.5-5)	33,412.77	12,375.10	21,037.67	
उपायुक्त (क नि) खण्ड IV राज्य कर रुड़की	05007468831	(4) 2012-13	23.01.2016	रिट्रीडिंग रबर	8,35,755	9 (13.5-4.5)	1,12,826.92	37,609.00	75,217.92	
					1,26,12,845	8.5 (13.5-5)	17,02,734	6,30,642.00	10,72,092	
सहा आयुक्त (क नि) खण्ड IV राज्य कर रुड़की	05009153139	(5) 2013-14	14.02.2017	प्लास्टिक स्क्रैप	78,07,639	8.5 (13.5-5)	10,54,031	3,90,382	6,63,649 नोटिस जारी	
योग									26,12,249.64 (अर्थात ₹ 26.12 लाख)	

परिशिष्ट-2.6.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.6; पृष्ठ 177)

अनुज्ञापियों पर प्रशमन शुल्क के न्यूनारोपण का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र सं	अनुज्ञापी का नाम	अनुज्ञापन का प्रकार	उल्लंघन का दिनांक	4 या 4 से अधिक बार उल्लंघन	देय प्रशमन शुल्क की धनराशि (कॉलम 7 का 3%) 6	प्रतिभूति जमा की प्रथम किस्त	प्रतिभूति जमा की द्वितीय किस्त	कुल अग्रिम जमा प्रतिभूति	प्रत्येक अग्रिम जमा प्रतिभूति पर 3% की दर से प्रशमन शुल्क (3 % of कॉलम 9) 10	प्रशमन शुल्क की कम जमा धनराशि (10-6) 11
1.	श्रीमती अनीता सक्सेना अनुज्ञापी विदेशी मदिरा पटेलनगर	एफ एल-5 डी	15.05.16	04 बार	1,50,319	50,10,626	50,10,626	1,00,21,252	3,00,638	1,50,319
			21.05.16	05 बार	1,50,319				3,00,638	1,50,319
			12.07.16	06 बार	1,50,319				3,00,638	1,50,319
2.	श्री प्रदीप विष्ट अनुज्ञापी विदेशी मदिरा आई एस बी टी देहरादून	एफ एल-5 डी	21.05.16	04 बार	50,178	16,72,585	16,72,585	33,45,170	1,00,355	50,177
			12.07.16	05 बार	50,178				1,00,355	50,177
			19.07.16	06 बार	50,178				1,00,355	50,177
			03.08.16	07 बार	50,178				1,00,355	50,177
3.	श्री संदीप भण्डारी अनुज्ञापी विदेशी मदिरा रानीपोखरी	एफ एल-5 डी	12.08.16	04 बार	1,24,071	41,35,691	41,35,691	82,71,382	2,48,141	1,24,070
			14.09.16	05 बार	1,24,071				2,48,141	1,24,070
			30.11.16	06 बार	1,24,071				2,48,141	1,24,070
4.	श्री सत्य प्रकाश करनवाल अनुज्ञापी विदेशी मदिरा राजपुर रोड-2	एफ एल-5 डी	21.05.16	04 बार	1,19,060	39,68,659	39,68,659	79,37,318	2,38,120	1,19,060
5.	श्रीमती अनीता पोखरियाल अनुज्ञापी देशी मदिरा पटेलनगर	सी एल-5 सी	25.05.16	04 बार	1,76,064	58,68,786	58,68,786	1,17,37,572	3,52,127	1,76,063
			04.08.16	05 बार	1,76,064				3,52,127	1,76,063
			26.08.16	06 बार	1,76,064				3,52,127	1,76,063
			27.08.16	07 बार	1,76,064				3,52,127	1,76,063
6.	श्रीमती पुष्पा पाठक अनुज्ञापी विदेशी मदिरा मोहकमपुर	सी एल-5 सी	16.10.16	04 बार	89,120	29,70,674	29,70,674	59,41,348	1,78,240	89,120
7.	श्रीमती लीलावती भट्ट अनुज्ञापी विदेशी मदिरा चकराता	एफ एल-5 डी	05.12.16	04 बार	13,376	4,45,865	4,45,865	8,91,730	26,752	13,376
योग					19,49,692	2,40,72,886	2,40,72,886	4,81,45,772	38,99,378	19,49,686

परिशिष्ट-2.8.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.8; पृष्ठ 180, 181)

स्टोन क्रशर मालिकों से विनियमितीकरण शुल्क ₹ 1.21 करोड़ एवं वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹ 0.65 करोड़ की वसूली न किए जाने का विवरण

क्र सं	इकाई का नाम	स्टोन क्रशर मालिक का नाम	स्टोन क्रशर की क्षमता	स्टोन क्रशर की स्वीकृति अवधि	अधिसूचना दिनांक 19-11-2016 के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क (₹ लाख में)	जमा आवेदन शुल्क (₹ लाख में)	देय विनियमितीकरण शुल्क (निर्धारित आवेदन शुल्क - जमा शुल्क)* 50% (₹ लाख में)	देय नवीनीकरण शुल्क (अधिसूचना दिनांक 19-11-2016 के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का 25%) (₹ लाख में)
(अ)	जिला खान अधिकारी हरिद्वार	1. सर्वश्री इंडिया स्टोन क्रशर, दौलतपुर हज रतपुर उ र एफ बुधवाशहीद	25 टन प्रति घंटा	24.10.2013 से 23.10.2018	10.00	0.50	4.75	2.50
		2. सर्वश्री नवाज स्टोन क्रशर, बुधवाशहीद	25 टन प्रति घंटा	19.12.2013 से 18.12.2018	10.00	0	5.00	2.50
		3. सर्वश्री देव भूमि स्टोन क्रशर, बंजारेवाला	25 टन प्रति घंटा	03.09.2014 से 02.09.2019	10.00	0.50	4.75	2.50
		4. सर्वश्री लक्ष्मी स्टोन क्रशर, गाँव-बंजारेवाला	25 टन प्रति घंटा	02.12.2014 से 01.12.2019	10.00	0.50	4.75	2.50
		5. सर्वश्री हरिद्वार ग्रिट स्टोन क्रशर, शहीदवाला ग्रांट	25 टन प्रति घंटा	04.09.2015 से 03.09.2020	10.00	0	5.00	2.50
		6. सर्वश्री श्री बालाजी स्टोन क्रशर, भोगपुर	25 टन प्रति घंटा	27.05.2014 से 26.05.2019	10.00	0	5.00	2.50
		7. सर्वश्री एंडवर स्टोन क्रशर, साजनपुर पीली	50 टन प्रति घंटा	05.07.2013 से 04.07.2018	10.00	0	5.00	2.50
		8. सर्वश्री जी स्टोन क्रशर, भोगपुर	40 टन प्रति घंटा	21.12.2013 से 20.12.2018	10.00	0.50	4.75	2.50
		9. सर्वश्री श्री लक्ष्मी नारायण स्टोन क्रशर, शाहपुर-शीतलाखेड़ा	50 टन प्रति घंटा	18.11.2013 से 17.11.2018	10.00	0	5.00	2.50
		10. सर्वश्री बट्टी विशाल स्टोन क्रशर द्वारा श्री अमित भारद्वाज	20 टन प्रति घंटा	24.02.2014 से 23.02.2019	10.00	0.50	4.75	2.50
		11. सर्वश्री नटराज स्टोन इंडस्ट्रीज़ विशनपुर	30 टन प्रति घंटा	22.05.2015 से 21.05.2020	10.00	0.50	4.75	2.50
		12. सर्वश्री तेजस स्टोन क्रशर, भोगपुर	40 टन प्रति घंटा	15.06.2014 से 14.06.2019	10.00	0.50	4.75	2.50

		13.	सर्वश्री सेंचुरी पार्क स्टोन क्रशर, भोगपुर तहसील व जिला हरिद्वार	83 टन प्रति घंटा	10.07.2015 से 09.07.2020	10.00	0.50	4.75	2.50
		14.	सर्वश्री एस आर स्टोन क्रशर, विशनपुर झरदा	100 टन प्रति घंटा	19.05.2015 से 18.05.2020	10.00	0	5.00	2.50
		15.	सर्वश्री कुमार स्टोन क्रशर, हरदेव पुर सहदेवपुर उ आर एफ रानी माजरा	200 टन प्रति घंटा	31.07.2015 से 30.07.2020	12.00	0.50	5.75	3.00
		16.	सर्वश्री श्री साई स्टोन इंडस्ट्रीज, कतरपुर	30 टन प्रति घंटा	28.07.2015 से 27.07.2020	10.00	0.50	4.75	2.50
		17.	सर्वश्री माँ गंगा स्टोन क्रशर, वाडीटीप	20 टन प्रति घंटा	26.10.2015 से 25.10.2020	10.00	10.00	0	2.50
		18.	सर्वश्री श्री राम स्टोन क्रशर(इंडिया), शाहपुर शीतलखेड़ा	40 टन प्रति घंटा	31.07.2015 से 30.07.2020	10.00	0.50	4.75	2.50
		19.	सर्वश्री सिद्धि विनायक माइन एंड मिनरल, भोगपुर	120 टन प्रति घंटा	04.09.2015 से 03.09.2020	12.00	0.50	5.75	3.00
		20.	सर्वश्री महालक्ष्मी स्टोन क्रशर, भोगपुर	200 टन प्रति घंटा	28.07.2015 से 27.07.2020	12.00	0	6.00	3.00
		21.	सर्वश्री आर के त्यागी एंड कंपनी, भोगपुर	200 टन प्रति घंटा	30.07.2015 से 29.07.2020	12.00	0	6.00	3.00
		22.	सर्वश्री ओम साई राम इंडस्ट्रीज गाँव - रानी माजरा लक्सर रोड	15 टन प्रति घंटा	05.09.2014 से 04.09.2019	10.00	0	5.00	2.50
(ब)	जिला खान अधिकारी देहरादून	23.	सर्वश्री ग्रामीण इंडिया लिमिटेड, कालसी	600 टन प्रति दिन (25 टन प्रति घंटा)	11.06.2015 से 10.06.2018	5.00	2.50	1.25 वसूला गया	1.25 वसूला गया
(स)	जिला खान अधिकारी नैनीताल, हल्द्वानी	24.	सर्वश्री महाकाली स्टोन क्रशर	2,500 टन प्रति दिन (104.17 टन प्रति घंटा)	29.07.2005 से वर्तमान तक	12.00	0	6.00 वसूला गया	3.00 वसूला गया
		25.	सर्वश्री महालक्ष्मी स्टोन क्रशर	1,200 टन प्रति दिन (50 टन प्रति घंटा)	17.03.2007 से वर्तमान तक	10.00	0	5.00 वसूला गया	2.50 वसूला गया
(द)	जिला खान अधिकारी पौड़ी	26.	प्रदीप तिवाड़ी पुत्र रमेश चन्द्र तिवाड़ी गाँव धनुआ लगगा	200 टन प्रति दिन (8.33 टन प्रति घंटा)	31.07.2015 से 30.07.2018	5.00	0.50	2.25	1.25
योग								120.50	65.00

टिप्पणी-1: जहां ऑडिट के लिए चालान की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं, आवेदन शुल्क की राशि शून्य के रूप में ली गई थी।

टिप्पणी-2: विभाग के उत्तर के अनुसार, क्रम संख्या 24 और 25 पर अंकित स्टोन क्रशर के मालिकों द्वारा आवेदन शुल्क जमा नहीं किया था। इसलिए आवेदन शुल्क का कालम खाली रखा गया है।

परिशिष्ट-2.9.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.9; पृष्ठ 182)

दो जिला खान अधिकारियों द्वारा छः मामलों में रायल्टी की गलत गणना का विवरण

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	पट्टा धारक का नाम / लाइसेंसी (सर्व शी)	लाइसेन्स स्वीकृत करने का दिनांक	लागू कार्यालय जापन / अधिसूचना की तारीख	उप खनिज का प्रकार	उपखनिज/मिट्टी की मात्रा (टन/घन मीटर में)	दर प्रति टन / घन मीटर (₹ में)	देय रायल्टी (₹ में)	जमा रायल्टी (₹ में)	अंतर (₹ में)
	अ	ब	स	द	त	थ	घ	न (थ*घ)	प	फ
1.	जिला खान अधिकारी, देहरादून	राज पल अहलवालिया 48-ब, रेस कोर्स देहरादून	11.04.2016	26.02.2016	मिट्टी	26,015 टन (11,825 घन मीटर *2.2)	50 प्रति टन	13,00,750 (26,015*50 प्रति टन)	94,600 (11,825*₹ 8 प्रति घन मीटर)	12,06,150
2.		सुपर टेक लिमिटेड, 11/9 आशीर्वाद इनक्लेव, देहरादून	12.05.2016	26.02.2016	मिट्टी	22,957 टन (10,435 घन मीटर *2.2)	50 प्रति टन	11,47,850 (22,957*50 प्रति टन)	83,480 (10,435*₹ 8 प्रति घन मीटर)	10,64,370
3.		अशोक राणा, 35 धामावाला, देहरादून	03.05.2016	26.02.2016	मिट्टी	4,400 टन (2,000 घन मीटर *2.2)	50 प्रति टन	2,20,000 (4,400*50 प्रति टन)	16,000 (2,000*₹ 8 प्रति घन मीटर)	2,04,000
योग (अ)								26,68,600	1,94,080	24,74,520
4.	जिला खान अधिकारी, नैनीताल	गुरप्रीत सिंह पुत्र स्व. दयाल सिंह, गाँव-पट्टापनी कालाडुंगी, नैनीताल	08.09.2016	26.02.2016	रेता, बजरी और बोल्टर (रिवर बेड से अलग स्थान पर)	2,816 घन मीटर	194.50 प्रति घन मीटर	5,47,712 (2,816*194.50 प्रति घन मीटर)	4,33,664 (2,816*₹154 प्रति घन मीटर)	1,14,048
5.		देशराज पुत्र गुरुदीप्ता गाँव सेमलचौड़, कालाडुंगी, नैनीताल	15.09.2016	26.02.2016	रेता, बजरी और बोल्टर (रिवर बेड से अलग स्थान पर)	12,903 घन मीटर	194.50 प्रति घन मीटर	25,09,634 (12,903*194.50 प्रति घन मीटर)	19,87,062 (12,903*₹154 प्रति घन मीटर)	5,22,572
6.		राजेंद्र कुमार दास, गाँव सेमलचौड़, कालाडुंगी, नैनीताल	08.11.2016	26.02.2016 और 30.09.2016	रेता, बजरी और बोल्टर (रिवर बेड से अलग स्थान पर)	4,020 घन मीटर	194.50 प्रति घन मीटर	7,81,890 (4,020*194.50 प्रति घन मीटर)	6,19,080 (4,020*₹154 प्रति घन मीटर)	1,62,810
योग (ब)								38,39,236	30,39,806	7,99,430
योग (अ) + (ब)								65,07,836	32,33,886	32,73,950 अर्थात् ₹ 32.74 लाख

टिप्पणी : 01 घन मीटर = 2.2 टन।

परिशिष्ट-2.10.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.10; पृष्ठ 183)

रिवर ट्रेनिंग, विकास शुल्क और क्षतिपूर्ति शुल्क की गणना दर्शाने वाला विवरण

क्र सं	निजी पट्टे धारक का नाम	लीज विलेख के पंजीकरण का दिनांक	लीज की अवधि (वर्ष में)	मासिक रायल्टी (₹ में)	माह / तिमाही	जमा की गयी रायल्टी (₹ में)	रायल्टी जमा करने का दिनांक	रिवर ट्रेनिंग (रायल्टी का 15%) 31.07.2015 से लागू (₹ में)	विकास शुल्क (रायल्टी का 10%) 31.07.2015 से लागू (₹ में)	क्षतिपूर्ति (रायल्टी का 15%) 10.10.2016 से लागू (₹ में)
1.	श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री भदौ सिंह गाँव/तहसील-चिनयाली सौड़ उत्तरकाशी	29.01.2015	5	3,89,975	अक्टूबर-15	3,89,975	20.10.2015	58,496.25	38,997.50	0
					जनवरी-16	3,89,975	15.02.2016	58,496.25	38,997.50	0
					फरवरी-16	3,89,975	03.03.2016	58,496.25	38,997.50	0
					मार्च-16	3,89,975	14.03.2016	58,496.25	38,997.50	0
					अप्रैल-16	3,89,975	21.03.2016	58,496.25	38,997.50	0
					मई-16	3,89,975	03.05.2016	58,496.25	38,997.50	0
					जून-16	3,89,975	18.05.2016	58,496.25	38,997.50	0
					फरवरी-17	3,89,975	17.02.2017	58,496.25	38,997.50	58,496.00
	मार्च-17	3,89,975	03.03.2017	58,496.25	38,997.50	58,496.00				
2.	श्री जगवीर सिंह भण्डारी पुत्र श्री कौशल सिंह गाँव/पोस्ट-पौनती बड़कोट, उत्तरकाशी	22.10.2016	5	88,122	नवम्बर-16 और दिसम्बर-16	1,40,995 ⁵	06.03.2017	पट्टा धारक द्वारा रायल्टी सहित जमा किया गया।		21,149.00
3.	श्री विनोद डोभाल पुत्र श्री नन्धी लाल गाँव-चकर गाँव बड़कोट, उत्तरकाशी	16.06.2015	3 वर्ष अथवा 30.09.16 जो भी पहले हो	1,35,000	अक्टूबर-15	1,35,000	20.10.2015	20,250.00	13,500.00	0
					नवम्बर-15	1,35,000	23.11.2015	20,250.00	13,500.00	0
					दिसम्बर-15 से अप्रैल-16	6,75,000	10.06.2016	1,01,250.00	67,500.00	0
4.	श्री मोहन लाल रावत पुत्र श्री जय सिंह, गाँव मकुडी तहसील मोरी उत्तरकाशी	16.06.2015	3 वर्ष अथवा 30.09.16 जो भी पहले हो	1,38,889	अक्टूबर-15	1,38,889	29.01.2016	20,833.35	13,888.90	0
					नवम्बर-15	1,38,889	29.01.2016	20,833.35	13,888.90	0
					दिसम्बर-15	1,38,889	31.03.2016	20,833.35	13,888.90	0
					जनवरी-16	1,38,889	31.03.2016	20,833.35	13,888.90	0
					फरवरी-16	1,38,889	17.05.2016	20,833.35	13,888.90	0
					मार्च-16	1,38,889	17.05.2016	20,833.35	13,888.90	0
अप्रैल -16	1,38,889	30.06.2016	20,833.35	13,888.90	0					

⁵ ₹ 88,122*2= ₹ 1, 76,244 (यह रिवर ट्रेनिंग और विकास शुल्क सहित)।

इसलिए, रायल्टी का 125 प्रतिशत (रिवर ट्रेनिंग और विकास शुल्क के बिना) = ₹ 1,76,244।

रायल्टी= (₹ 1, 76,244*100)/125 = ₹ 1, 40,995।

5.	श्री दिनराज बिष्ट पुत्र स्व. श्री बिरेन्द्र सिंह, गाँव-मंगलीसेरा तहसील डूँडा उत्तरकाशी	15.06.2015	3 वर्ष अथवा 30.09.16 जो भी पहले हो	35,625	अक्तूबर -15	35,625	20.10.2015	5,343.75	3,562.50	0
					नवम्बर -15	35,625	19.11.2015	5,343.75	3,562.50	0
					दिसम्बर -15	35,625	19.12.2015	5,343.75	3,562.50	0
					जनवरी -16	35,625	18.01.2016	5,343.75	3,562.50	0
					फरवरी -16	35,625	20.02.2016	5,343.75	3,562.50	0
					मार्च -16	35,625	29.03.2016	5,343.75	3,562.50	0
					अप्रैल-16	35,625	04.05.2016	5,343.75	3,562.50	0
					मई-16	35,625	26.05.2016	5,343.75	3,562.50	0
6.	श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री पाल सिंह गाँव-नगड़ी बाड़ी चिनयाली सौंड उत्तरकाशी	28.10.2015	5	1,36,445	नवम्बर -15	1,36,445	10.06.2016	20,466.75	13,644.50	0
7.	श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री केशर सिंह एवं श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह, गाँव-हदियादी, उत्तरकाशी				दिसम्बर -15	1,36,445	22.12.2015	20,466.75	13,644.50	0
					जनवरी -16	1,36,445	11.01.2016	20,466.75	13,644.50	0
					फरवरी -16	1,36,445	18.02.2016	20,466.75	13,644.50	0
					मार्च -16	1,36,445	18.03.2016	20,466.75	13,644.50	0
					अप्रैल -16	1,36,445	22.04.2016	20,466.75	13,644.50	0
					मई -16	1,36,445	18.05.2016	20,466.75	13,644.50	0
					जून-16	1,36,445	16.06.2016	20,466.75	13,644.50	0
					नवंबर 2015 से जून 2016 के दौरान अतिरिक्त निकासी की रॉयल्टी	2,91,900	10.01.2017	43,785.00	29,190.00	0
		जनवरी -17	2,00,000	11.01.2017	30,000.00	20,000.00	30,000.00			
		जनवरी -17	2,00,000	31.01.2017	30,000.00	20,000.00	30,000.00			
		फरवरी -17	1,40,000	20.02.2017	21,000.00	14,000.00	21,000.00			
24.05.2014	5	76,317	अक्तूबर -15	76,317	12.10.2015	11,447.55	7,631.70	0		
			दिसम्बर -15	76,317	19.12.2015	11,447.55	7,631.70	0		
			जनवरी -16	76,317	19.01.2016	11,447.55	7,631.70	0		
			फरवरी -16	76,317	15.02.2016	11,447.55	7,631.70	0		
			मार्च -16	76,317	02.03.2016	11,447.55	7,631.70	0		
			अप्रैल -16	76,317	19.04.2016	11,447.55	7,631.70	0		

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र)

					मई -16	76,317	02.05.2016	11,447.55	7,631.70	0
					जून -16	76,317	15.06.2016	11,447.55	7,631.70	0
					अक्टूबर -16	76,317	13.10.2016	11,447.55	7,631.70	0
					नवम्बर -16	76,317	21.11.2016	11,447.55	7,631.70	11,448.00
					दिसम्बर-16	76,317	13.12.2016	11,447.55	7,631.70	11,448.00
					जनवरी-17	76,317	20.01.2017	11,447.55	7,631.70	11,448.00
					फरवरी 17-मार्च 17	1,52,634	20.02.2017	22,895.10	15,263.40	22,895.00
8.	श्री अजय डबराल पुत्र श्री डी एल डबराल , सुंदरवाला रायपुर देहारादून	07.12.15	5	17,57,825 (प्रथम वर्ष के लिए) और 21,97,281 (द्वितीय वर्ष के लिए)	दिसम्बर -15	17,57,825	16.04.2016	2,63,673.75	1,75,782.50	0
					मार्च -16	17,57,825	16.04.2016	2,63,673.75	1,75,782.50	0
					जुलाई-16	23,50,000	16.12.2016	3,52,500.00	2,35,000.00	0
					अक्टूबर-16	11,66,000	31.12.2016	1,74,900.00	1,16,600.00	0
					दिसम्बर-16	21,97,281	चालान उपलब्ध नहीं	3,29,592.15	2,19,728.10	3,29,592.00
					मार्च-17	21,97,281	26.10.2017	3,29,592.15	2,19,728.10	3,29,592.00
योग								30,19,516.00	20,13,011.00	9,35,564.00
महायोग								59,68,091.00		

परिशिष्ट-3.2.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.2.1.8; पृष्ठ 195 एवं प्रस्तर 3.2.1.9; पृष्ठ 196)

नवीनतम वर्ष के लिए ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय परिणामों का सारांश जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया

क्र सं	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधि और नाम	खातों की अवधि	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ / हानि	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ / हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य*	संचित लाभ / हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ.	उत्पादन								
1.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	2017-18	175.76	63.73	734.50	1,167.86	3,109.32	1,738.42	570.56
2.	किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अभी तक प्रारंभिक खाते नहीं मिले हैं							
ब.	प्रसारण								
1.	पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2017-18	72.53	28.89	265.10	473.88	1162.59	607.67	133.79
स.	वितरण								
1.	उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	-36.36	-229.22	5,781.31	1,306.03	172.73	-1,262.69	-2,568.72
कुल योग			211.93	(-136.60)	6,780.91	2,947.77	4,444.64	1,083.40	-1,864.37

* निवल मूल्य पूँजी-मुक्त पूँजी और मुफ्त कोष और अधिशेष माइनस संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय का कुल योग है।

नोट 1: ब्याज और कर के बाद निवल लाभ / हानि, भारतीय लेखा मानदण्ड के अन्य व्यापक आय के रूप में विचार के बिना हैं, ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के अनुरूप।

नोट 2: किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड 16 जनवरी 2017 को शामिल किया गया था और इसने 31 मार्च 2018 तक किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत नहीं की थी।

परिशिष्ट-3.2.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.2.1.10; पृष्ठ 198)

स्थापना के बाद से 31 मार्च 2018 तक चार ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	यू जे वी एन एल			पिटकुल			यू पी सी एल			किशाऊ निगम लिमिटेड			कुल		
	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण	ब्याज मुक्त ऋण इक्विटी में परिवर्तित	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण	ब्याज मुक्त ऋण इक्विटी में परिवर्तित	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण	ब्याज मुक्त ऋण इक्विटी में परिवर्तित	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण	ब्याज मुक्त ऋण इक्विटी में परिवर्तित	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण	ब्याज मुक्त ऋण इक्विटी में परिवर्तित
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	139.36	0.00	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.66	0.00	0.00
2005-06	227.78	0.00	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.64	0.00	0.00
2006-07	97.42	0.00	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.98	0.00	0.00
2007-08	190.25	0.00	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.20	0.00	0.00
2008-09	52.33	0.00	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.03	0.00	0.00
2009-10	73.07	0.00	0.00	49.81	0.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.88	0.00	0.00
2010-11	16.59	0.00	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.71	0.00	0.00
2011-12	3.67	0.00	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.78	0.00	0.00
2012-13	68.11	0.00	0.00	56.33	0.00	0.00	391.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.35	0.00	0.00
2013-14	202.21	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.80	0.00	0.00
2014-15	8.10	0.00	0.00	95.15	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.25	0.00	0.00
2015-16	21.80	0.00	0.00	25.56	0.00	0.00	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.49	0.00	0.00
2016-17	47.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	130.01	0.00	0.00
2017-18	15.17	0.00	0.00	15.83	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
योग	1,167.86	0.00	0.00	473.88	0.00	0.00	1,306.03	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,947.78	0.00	0.00

नोट: किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड 16 जनवरी 2017 को शामिल किया गया था और इसने 31 मार्च 2018 तक किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत नहीं की थी। किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रदत्त पूँजी ₹ 0.01 लाख थी और जो ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की कुल इक्विटी में शामिल नहीं थी।

परिशिष्ट-3.3.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.3.1.3; पृष्ठ 212 एवं प्रस्तर 3.3.1.25; पृष्ठ 229)

31 मार्च 2018 तक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं सं	क्षेत्र / कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का महीना और वर्ष	इक्विटी				वर्ष 2017-18 के अंत में दीर्घावधि ऋण बकाया			
				जी ओ यू	भारत सरकार	अन्य	योग	जी ओ यू	भारत सरकार	अन्य	योग
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
अ सामाजिक क्षेत्र											
I- कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ											
1.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एव विकास निगम लिमिटेड	सामाजिक कल्याण	अक्टूबर 2001	16.44	5.99	0	22.43	0	0	0	0
2.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	विविध (सार्वजनिक कल्याण)	मार्च 2004	1.00	0	0	1.00	0	0	0	0
3.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम (आरंभिक खाते नहीं मिले)	अल्पसंख्यक (वित्त) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास	जनवरी 2005	7.05	0	0	7.05	0	0	0	0
योग अ-I				24.49	5.99	0	30.48	0	0	0	0
II- अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ											
1.	गढ़वाल अनुसूचित जनजति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी)	अल्पसंख्यक (वित्त) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास	जून 1974	0.20	0	0.30	0.50	1.17	0.04	0	1.21
2.	कुमाऊँ अनुसूचित जनजति विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी)	अल्पसंख्यक (वित्त) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास	जून 1975	0.22	0	0.28	0.50	0	0	0	0
योग अ-II				0.42	0	0.58	1.000	1.17	0.04	0	1.21
योग अ (I+II)				24.91	5.99	0.58	31.48	1.17	0.04	0	1.21

ब. प्रतिस्पर्धी पर्यावरण क्षेत्र											
I कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ											
1.	उत्तराखण्ड सीड एवं तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।	कृषि	फरवरी 1969	1.20	0.84	2.04	4.08	12.50	0	0	12.50
2.	स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	विविध (औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास)	जुलाई 2002	26.00	0	2.50	28.50	0	0	196.15	196.15
3.	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड जिसे पहले उत्तराखण्ड राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।	विविध (औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास)	मार्च 2008	4.00	0	0	4.00	5.00	0	0	5.00
4.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी और गन्ना	दिसम्बर 2001	6.00	0	0	6.00	127.99	10.81	3.15	141.95
5.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी और गन्ना	फरवरी 1972	17.54	0	0.45	17.99	116.32	0	9.65	125.97
6.	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	सिंचाई	दिसम्बर 2010	1.07	0	0	1.07	0	0	0	0
7.	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	मार्च 1971	13.42	0	0	13.42	0	0	0	0
8.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	मार्च 1976	6.64	0	0	6.64	47.22	0	0.23	47.45
9.	उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरंभिक खाते नहीं मिले)	पर्यटन	मार्च 2017	0.05	0	0	0.05	0	0	0	0
योग ब-I				75.92	0.84	4.99	81.75	309.03	10.81	209.18	529.02
II वैधानिक निगम											
1.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	विविध (पानी की आपूर्ति और सीवरेज)	नवम्बर 2002	697.22	2,354.32	0	3,051.54	21.01	0	54.45	75.46
2.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	ट्रांसपोर्ट	अक्टूबर 2003	229.36	9.24	0	238.6	1.93	0	73.42	75.35
योग ब-II				926.58	2,363.56	0	3,290.14	22.94	0	127.87	150.81
योग ब (I+II)				1002.5	2,364.40	4.99	3,371.89	331.97	10.81	337.05	679.83

स. अन्य											
I. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ											
1.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स	जून 1985	8.95	0	0	8.95	0	0	0	0
2.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरंभिक खाते नहीं मिले)	शहरी विकास	मार्च 2017	0.10	0	0	0.10	0	0	0	0
3.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरंभिक खाते नहीं मिले)	शहरी विकास	सितम्बर 2017	0.10	0	0	0.10	0	0	0	0
योग स-I				9.15	0	0	9.15	0	0	0	0
II. अकार्यरत सरकारी कम्पनी											
1.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	इलेक्ट्रॉनिक्स	नवंबर 1973	0	0	1.63	1.63	2.75	0	0	2.75
2.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	इलेक्ट्रॉनिक्स	मार्च 1978	0	0	0.35	0.35	1.40	18.52	0	19.92
3.	यू पी ए आई लिमिटेड	सिंचाई	अप्रैल 1977	0.17	0	0	0.17	0	0	0	0
4.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी) (उपलब्ध नहीं)	इलेक्ट्रॉनिक्स	जुलाई 1987	0	0	0.03	0.03	0	0	0	0
5.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी) (उपलब्ध नहीं)	इलेक्ट्रॉनिक्स	जुलाई 1989	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	कुंमट्रोन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	इलेक्ट्रॉनिक्स	अप्रैल 1987	0	0	0.18	0.18	0	0	0	0
योग स -II				0.17	0	2.19	2.36	4.15	18.52	0	22.67
III वैधानिक निगम											
1.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	वन	मई 2001	0	0	0	0	0	0	0	0
योग स III				0	0	0	0	0	0	0	0
योग स(I+II+III)				9.32	0	2.19	11.51	4.15	18.52	0	22.67
महायोग (अ+ब+स)				1,036.73	2,370.39	7.76	3,414.88	337.29	29.37	337.05	703.71

परिशिष्ट-3.3.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.3.1.8; पृष्ठ 216)

कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में, जिस अवधि के लिए उनके लेखे बकाया हैं, राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं सं	क्षेत्र/कम्पनी का नाम	अवधि जो खातों को अंतिम रूप दिया	अवधि जिसके लिए खाते बकाया हैं	नवीनतम खातों के अनुसार पूंजी का भुगतान किया गया	उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश, जिसमें लेखे बकाया है		
					ऋण	ऋण	ऋण
अ- कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ							
1.	उत्तराखण्ड सीड एवं तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।	2015-16	2016-17 से 2017-18	4.08	-	-	-
2.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एव विकास निगम लिमिटेड	2007-08	2008-09 से 2017-18	8.33	-	45.85	45.85
3.	स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2014-15	2015-16 से 2017-18	28.50	-	-	-
4.	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड जिसे पहले उत्तराखण्ड राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।	2014-15	2015-16 से 2017-18	4.00	-	-	-
5.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2014-15 से 2017-18	8.95	-	21.09	21.09
6.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18	17.99	-	26.22	26.22
7.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18	6.00	-	29.95	29.95
8.	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1.07	-	-	-
9.	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2006-07 से 2017-18	13.42	9.81	-	9.81
10.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12 से 2017-18	6.10	-	-	-
11.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	2017-18	0.10	-	-	-
12.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1.00	-	-	-
13.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	आरंभिक खाते नहीं मिले	-	-	7.05	36.25	43.30
14.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरंभिक खाते नहीं मिले)	आरंभिक खाते नहीं मिले					
15.	उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	आरंभिक खाते नहीं मिले					
योग अ				99.54	16.86	159.36	176.22
ब- कार्यरत वैधानिक निगम							
1.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2015-16	2016-17 से 2017-18	2,429.65	-	-	-
2.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2015-16	2016-17 से 2017-18	238.60	-	-	-
3.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2016-17	2017-18	-	-	-	-
योग ब				2,668.25	-	-	-
योग (अ + ब)				2,767.79	-	-	-

परिशिष्ट-3.3.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.3.1.12, 3.3.1.13 एवं 3.3.1.18; पृष्ठ 218, 219 एवं 225)

नवीनतम वर्षों के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के सारांशित वित्तीय परिणाम जिसके लिए लेखों को अंतिम रूप दिया गया

(₹ करोड़ में)

क्रं सं	क्षेत्र/कम्पनी का प्रकार और नाम	खातों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ / हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	कुल मूल्य	संचित लाभ / हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(अ)-सामाजिक क्षेत्र										
कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ										
1.	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एव विकास निगम लिमिटेड	2007-08	2018-19	1.06	0.86	0.98	8.43	14.14	10.13	1.70
2.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2016-17	2018-19	9.90	6.70	313.69	1.00	50.06	50.06	49.06
3.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम आरंभिक खाते नहीं मिले	-	-	0	0	0	0	0	0	0
योग अ-I				10.96	7.56	314.67	9.43	64.2	60.19	50.76
अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ										
4.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1993-94	2012-13	0.10	0.07	0.54	0.50	0.58	-0.13	-0.63
5.	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड (कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1986-87	2002-03	-0.02	-0.02	0.10	0.50	0.89	0.46	-0.04
योग अ-II				0.08	0.05	0.64	1.00	1.47	0.33	-0.67
योग अ (I+II)				11.04	7.61	315.31	10.43	65.67	60.52	50.09
ब-प्रतिस्पर्धी पर्यावरण क्षेत्र										
I- कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ										
6.	उत्तराखण्ड सीड एवं तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।	2015-16	2018-19	-12.6	-15.62	102.43	4.08	-2.63	-5.13	-9.21
7.	स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2014-15	2018-19	12.47	7.66	13.68	28.5	409.32	409.32	380.82
8.	पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड जिसे पहले उत्तराखण्ड राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।	2014-15	2016-17	3.48	2.52	43.57	4.00	10.38	5.38	1.38
9.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18	-12.33	-36.04	72.66	6.00	-163.53	-310.76	-316.76
10.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2018-19	-6.73	-29.68	118.44	17.99	132.94	-246.3	-264.29
11.	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2018-19	0.01	0.01	2.13	1.07	0.85	0.85	-0.22
12.	कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2016-17	-0.30	-1.51	100.49	13.42	13.18	12.75	-0.67

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र)

13.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2018-19	-3.42	-3.80	131.51	6.10	58.64	51.11	45.01
14.	उत्तराखण्ड इकोटूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आरंभिक खाते नहीं मिले)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
योग ब-II				-19.42	-76.46	584.91	81.16	459.15	-82.78	-163.94
II-वैधानिक निगम										
15.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2015-16	2016-17	-29.85	-39.50	67.91	2,429.65	2,272.36	2,195.26	-234.39
16.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2015-16	2017-18	-11.99	-11.99	309.12	238.60	-186.38	-189.05	-427.65
योग ब-II				-41.84	-51.49	377.03	2,668.25	2,085.98	2,006.21	-662.04
योग ब (I+II)				-61.26	-127.95	961.94	2,749.41	2,545.13	1,923.43	-825.98
स-अन्य										
I-कार्यरत सरकारी कम्पनी										
17.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	2017-18	-2.21	-2.21	1.32	8.95	-15.98	-15.98	-24.93
18.	उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरंभिक खाते नहीं मिले)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
19.	देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरंभिक खाते नहीं मिले)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
योग स-I				-2.21	-2.21	1.32	8.95	-15.98	-15.98	-24.93
II-अकार्यरत सरकारी कम्पनी										
20.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाऊं मण्डल विकास निगम की सहायक कम्पनी)	1999-00	2002-03	-0.84	-0.84	2.8	1.63	-1.42	-4.17	-5.8
21.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1996-97	1997-89	-1.19	-1.19	0	0.35	13.32	-6.6	-6.95
22.	यू पी ए आई लिमिटेड *	1988-89	1999-00	0	0	0	0.17	0.12	0.12	-0.05
23.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी) (उपलब्ध नहीं)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी) (उपलब्ध नहीं)	-	-	0	0	0	0	0	0	0
25.	कुंमट्रोन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1989-90	1990-91	-0.02	-0.02	0	0.18	0.16	0.16	-0.02
योग स-II				-2.05	-2.05	2.80	2.33	12.18	-10.49	-12.82
III-वैधानिक निगम										
26.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2016-17	2018-19	20.31	20.31	708.71	0	357.86	357.86	357.86
योग स-III				20.31	20.31	708.71	0	357.86	357.86	357.86
योग स (I+II+III)				16.05	16.05	712.83	11.28	354.06	331.39	320.11
महायोग (अ+ब+स)				-34.17	-104.29	1990.08	2771.12	2964.86	2315.34	-455.78
I-कार्यरत सरकारी कम्पनियों				-10.67	-71.11	900.9	99.54	507.37	-38.57	-138.11
ii-वैधानिक निगम				-21.53	-31.18	1085.74	2668.25	2443.84	2364.07	-304.18
ii-कार्यशील सार्वजनिक उपक्रम (i+ii)				-32.2	-102.29	1986.64	2767.79	2951.21	2325.5	-442.29
iv-अकार्यरत सरकारी कम्पनियों				-1.97	-2.00	3.44	3.33	13.65	-10.16	-13.49
महायोग (iii+iv)				-34.17	-104.29	1990.08	2771.12	2964.86	2315.34	-455.78

परिशिष्ट-3.3.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.3.1.16; पृष्ठ 223)

वर्ष 2001-02 से 2017-18 तक की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

अ-सामाजिक क्षेत्र (1 एवं 2) और प्रतिस्पर्धी 3 से 5										
क्रं सं	1.		2.		3.		4.		5	
वर्ष	उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एव विकास निगम लिमिटेड		उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड		उत्तराखण्ड सीड एवं तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड		स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड		उत्तराखण्ड परिवहन निगम	
	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	1.10	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	16.00	0.00	0.00	1.93
2003-04	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	3.00	0.00
2004-05	0.71	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
2005-06	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	4.25
2006-07	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
2007-08	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19.50
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.11
2012-13	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2013-14	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2014-15	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.86	1.00
2015-16	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	16.44	0.00	1.00	0.00	1.20	0.00	26.00	0.00	229.36	161.79
ब-प्रतियोगी क्षेत्र										
क्रं. सं.	6.		7.		8.		9.		10.	
वर्ष	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड		उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम		पुल, रोपवे, सुरंग और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड जिसे पहले उत्तराखण्ड राज्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।		डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड		किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	
	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण
2000-01	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

2003-04	0.00	0.00	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	148.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.25
2007-08	0.00	0.00	247.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	217.92	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	127.73	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	-609.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	-271.70	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	-177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2016-17	-0.15	0.00	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	6.64	0.00	697.22	0.00	4.00	0.00	6.00	0.00	17.54	8.75

ब-प्रतिस्पर्धी क्षेत्र (11 एवं 12) और अन्य क्षेत्र 13 एवं 14

क्र. सं.	11.		12.		13.		14.	
	उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड		उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड		उत्तराखण्ड वन विकास निगम	
	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण	इक्विटी	ब्याज रहित ऋण
2000-01	0.00	0.00	13.42	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	1.07	0.00	13.42	16.08	8.95	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट-3.6.1

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.6; पृष्ठ 236, 237)

अर्जित ब्याज और जिसे अर्जित किया जा सकता था को दर्शाने वाला विवरण

बैंक का नाम	एफ डी आर संख्या	दिनांक	धनराशि (₹ में)	ब्याज की दर जिस पर निवेश किया है	परिपक्वता मूल्य (₹ में)	अर्जित ब्याज (₹ में)	ब्याज की दर जिस पर राशि का निवेश किया जाना चाहिए था	अपेक्षित परिपक्वता मूल्य (₹ में)	ब्याज जो अर्जित किया जा सकता था (₹ में)	ब्याज की हानि (₹ में)
सिंडिकेट बैंक	8515/458/0000077/6	02.02.17	57,69,23,282	5.51	60,93,74,637	3,24,51,355	6.5	61,53,47,301	3,84,24,019	59,72,664
पंजाब नेशनल बैंक	445600PU00012580	01.02.17	9,00,00,000	5	9,45,85,080	45,85,080	6.5	9,59,94,145	59,94,145	14,09,065
	445600PU00012562	01.02.17	9,00,00,000	5	9,45,85,080	45,85,080	6.5	9,59,94,145	59,94,145	14,09,065
	445600PU00012571	01.02.17	9,00,00,000	5	9,45,85,080	45,85,080	6.5	9,59,94,145	59,94,145	14,09,065
	445600GR00000368	01.02.17	9,00,00,000	5	9,45,85,080	45,85,080	6.5	9,59,94,145	59,94,145	14,09,065
	445600GR00000734	31.01.17	10,35,73,830	5	10,88,50,434	52,76,604	6.5	11,04,72,014	68,98,184	16,21,580
योग			1,04,04,97,112		1,09,65,65,391	5,60,68,279		1,10,97,95,895	6,92,98,783	1,32,30,504

(अ) ₹ 1.32 करोड़

ऋण की राशि (₹ में)	पंजाब नेशनल बैंक की ब्याज दर	राशि का भुगतान (₹ में)	सिंडिकेट बैंक की ब्याज दर	भुगतान की जाने वाली अपेक्षित धनराशि (₹ में)	अंतर (₹ में)
1	2	3	4	5	6=(5-3)
35,00,00,000	5.5	33,74,058	8.5	52,14,453*	18,40,395

(ब) ₹ 0.18 करोड़

* ₹ 33,74,058 x 8.5 = ₹ 5,21,453

5.5

ब्याज की हानि: (अ) ₹ 1.32 करोड़ - (ब) ₹ 0.18 करोड़ = ₹ 1.14 करोड़

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in